राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या : 18

शुक्रवार,

26 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आवासीय योजना हेतु अवाप्त भूमि प्रकरण

301. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा साकेत नगर, रोहिणी नगर, एम.आई.ए. नगर योजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब-कब व कौनसी धारा के तहत? दिनांक वार विवरण मय नोटिफिकेशन की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) अवार्ड घोषित होने के उपरान्त धारा 12 के तहत काश्तकारों को कितने समय में अवार्ड की सूचना दी जाती है? क्या उक्त काश्तकारों को समय सीमा में धारा 12 के तहत सूचित किया गया? क्या यह सही है कि समयावधि के अन्दर धारा 12 की कार्यवाही न करने व समय पर भुगतान न कर पाने की स्थिति में अवार्ड शून्य हो जाता है और समय सीमा में सूचित नहीं करने के लिए कौन दोषी है? उक्त त्रुटि के लिए क्या काश्तकार जिम्मेदार है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि साकेत नगर योजना का अवार्ड आवासीय योजना हेतु किया गया था? क्या उक्त आवासीय योजना का उद्देश्य बदल कर किसी ट्रस्ट को भूमि का आबंटन किया जाना प्रस्तावित है? क्या नियमों में आवासीय योजना का उद्देश्य समाप्त हो जाने पर व न्यास द्वारा उक्त योजना

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

को ड्राप किये जाने के उपरान्त भी पुरानी दरों पर भूमि की अवाप्ति अन्य उद्देश्य के लिए न्यायसंगत है?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त तीनों योजनाओं में से एक योजना रोहिणी नगर की भूमि में से अवार्डशुदा भूमि को सरकार द्वारा अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(5) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में से किसी एक या अनेक योजनाओं को न्यास द्वारा अलाभकारी मानते हुए अवाप्ति से मुक्त करने की अभिशंसा सरकार को भेजी गयी है? यदि हां, तो किस योजना हेतु? कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त में से अनेक योजनाएं अवाप्ति से मुक्त हो चुकी हैं किन्तु नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा की गयी धारा 48 की लापरवाहीपूर्वक कार्य प्रणाली का नुकसान काश्तकारों पर थोपा जा रहा है?

(7) क्या यह सही है कि सरकार/नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा काश्तकारों से उक्त योजनाओं में अवाप्ति के बदले विकसित भूमि देने के विकल्प मांगे गये हैं व अनेक काश्तकारों द्वारा विकल्प प्रस्तुत भी किये गये हैं?

(8) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्रों को जबरन अस्वीकार कर हठधर्मितापूर्वक किसानों की जमीनों को वर्तमान बाजार मूल्य के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत कीमत पर हथिया कर लाभ कमाना चाहती है? क्या सरकार वर्तमान नियमों के तहत मुआवजे के बदले विकसित भूमि 20+5 प्रतिशत व वर्तमान बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान दरों पर मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 9 बिन्दु हैं, पूरा का पूरा इतिहास बनाया हुआ है।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : (1) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा साकेत नगर, रोहिणी नगर एवं एम.आई.ए. योजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी किये गये थे। साकेत नगर योजना हेतु कुल 403 बीघा भूमि अवाप्त करने हेतु

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

धारा 4(1) का नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 26.04.1995 को तथा धारा-6 का नोटिफिकेशन दिनांक 07.06.1996 को प्रकाशित हुआ था जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

रोहिणी नगर योजना हेतु कुल 407 बीघा भूमि अवाप्त करने हेतु धारा-4(1) में राजस्थान राजपत्र में दिनांक 03.08.1995 को तथा धारा-6 की अधिसूचना दिनांक 25.01.1997 को प्रकाशित हुई थी जिनकी प्रतियां भी संलग्न हैं।

एम.आई.ए. योजना हेतु कुल 513 बीघा 12 बिस्वा भूमि अवाप्त करने हेतु धारा-4(1) का नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 06.11.1995 को तथा धारा-6 का नोटिफिकेशन दिनांक 20.12.1996 को प्रकाशित हुआ था जिनकी प्रतियां भी संलग्न हैं।

(2) उक्त धारा 12 के तहत अवार्ड घोषित होने के उपरान्त अवार्ड की सूचना हितबद्ध व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को जो उस अवार्ड के दिये जाने के समय या अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं हैं, तत्काल दिये जाने का प्रावधान है। सम्बन्धित पक्षकारों को वर्ष 2007-08 में सूचित किया जा चुका है। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अवार्ड शून्य नहीं होता है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है और ना ही काश्तकार जिम्मेदार है।

(3) जी हां। साकेत नगर योजना का अवार्ड आवासीय योजना हेतु किया गया है। वर्तमान में किसी ट्रस्ट को भूमि आबंटित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। नियमानुसार योजना का उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है। न्यास द्वारा योजना को ड्राप करने का निर्णय लिये जाने से ही अवाप्ति की कार्यवाही ड्राप नहीं होती है। अवाप्ति की कार्यवाही अवार्ड अनुसार ही की जा रही है।

(4) जी हां। रोहिणी नगर योजना में कुछ भूमि राज्य सरकार के द्वारा अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया।

(5) जी हां। न्यास द्वारा दिनांक 10.08.2000 में भूखण्डों की मांग नहीं होने व अन्य कारणों से रोहिणी नगर, साकेत नगर व एम.आई.ए. योजना को अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। किन्तु पुनः न्यास द्वारा दिनांक 17.12.2005 के निर्णय द्वारा मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया जाकर कुछ भूमि का मुआवजा अदा कर कब्जा लिया जा चुका है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(6) जी हां। उपरोक्त तीनों योजनाएं अवाप्ति से मुक्त नहीं हुई हैं। न्यास द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी है, ना ही काश्तकारों पर किसी प्रकार का नुकसान थोपा जा रहा है। समस्त कार्यवाही अवार्ड अनुसार की जा रही है। जो कुछ भी लापरवाही की बात आयी है उसको देखा जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब में नहीं है, आपने जोड़ा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं जोड़ सकता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, जोड़ सकते हो।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : (7) जी हां। साकेत नगर योजना में 15 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु 27 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों को कुल 19 बीघा 5 बिस्वा विकसित भूमि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रोहिणी नगर योजना में 15 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु 12 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों को कुल 7 बीघा 4 बिस्वा विकसित भूमि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एम.आई.ए. योजना में 15 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु 33 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों को कुल 28 बीघा 12 बिस्वा विकसित भूमि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(8) यह सही नहीं है कि नगर विकास न्यास, अलवर काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्रों को जबरन अस्वीकार कर हठधर्मितापूर्वक किसानों की जमीनों को वर्तमान बाजार मूल्य के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत कीमत पर हथियाना चाहती है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के परिपत्र प.6(29) नविवि/04 दिनांक 20.06.2007 की पालना में जिन खातेदारों द्वारा विकसित भूमि के लिए निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये थे उनकी स्वीकृति की कार्यवाही न्यास स्तर पर विचाराधीन है, शेष प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः न्यास के द्वारा मुआवजे का भुगतान नियमानुसार अवार्ड अनुसार ही किया जा सकता है अथवा जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि 20.09.2007 तक विकल्प दिये थे उन्हें दिनांक 20.06.2007 के अनुसार 15 प्रतिशत विकसित भूमि दी जा सकती है। इस कारण मुआवजे के रूप में 20+5 प्रतिशत विकसित भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के ध्यान में इस प्रश्न के माध्यम से लाना चाहता हूं कि उक्त तीनों योजनाओं के लिए धारा 34 की कार्यवाही 20.03.1989 को 21 वर्ष पूर्व हुई। अन्य धाराओं में भी कार्यवाही होती रही और 1998 में इसके अवार्ड की कार्यवाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के खण्ड संख्या 1 में बताया कि 26.04.1995 को नोटिफिकेशन हुआ और धारा 6 का नोटिफिकेशन 7.06.1996 को हुआ, 14 वर्ष हो गये। माननीय मंत्री महोदय, 12 वर्ष अवार्ड को हो गये, 21 वर्ष 34 के नोटिफिकेशन को हो गये। अवाप्ति की जाने वाली भूमि के अवाप्त घोषित होने की दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर-अन्दर अवाप्त राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। तो क्या हो गया?

दूसरी बात, क्या इन तीनों योजनाओं की अवाप्ति की कुल प्रक्रिया, टोटल प्रोसीडिंग्स जिसमें नकद भुगतान या विकसित भूमि देने की कानूनी प्रक्रिया यूआईटी, अलवर द्वारा नियत समय में पूरी कर ली गयी?

अध्यक्ष महोदय, तीसरा, यूआईटी, अलवर द्वारा तीनों योजनाओं की क्रियान्विति के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? और वर्तमान में इन तीनों योजनाओं की क्या स्थिति है?

अध्यक्ष महोदय, चौथा मेरा प्रश्न है आपसे, यह मानवीय पहलू है, क्या सरकार इन योजनाओं से प्रभावित गरीब काश्तकार जिसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं और यह बर्तन कली करने वाले सुनार खत्री हैं, सारे ऐसे हैं जिनमें से अधिकतम लोग बीपीएल की श्रेणी में जी रहे हैं, क्या सरकार इन योजनाओं से प्रभावित गरीब किसानों को न्याय हित में और जन हित में अवाप्ति से मुक्त करने की कार्यवाही करेगी?

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, 1998 में अवार्ड की कार्यवाही हुई। नगर विकास न्यास, अलवर की उक्त अवार्ड की कार्यवाही के बाद सन् 2001 में यह निर्णय ले लिया गया कि हमारे लिए लाभकारी नहीं है, प्रोफिटेबल नहीं है; ऐसी संस्था जो बिना लाभ-हानि के लिए गठित की जाती है उस संस्था ने यह निर्णय ले लिया कि योजना हमारे लिए लाभकारी नहीं है, अलाभकारी है इसलिए इन तीनों योजनाओं को अवाप्ति से ड्रोप करने का ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस ट्रस्ट निर्णय को लेकर इन्होंने राज्य सरकार के पास इसकी कापी भेजी। राज्य सरकार ने नगर विकास न्यास को पत्र

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

लिखा, चूंकि 1989 से 2001 तक 12 साल तक अवाप्ति की प्रक्रिया के अधीन यह जमीन रही, ऐसे में जब आप इसको अवाप्ति की कार्यवाही से बाहर करेंगे, अवाप्ति से मुक्त करेंगे तो यह किसान अवाप्ति मुक्ति के साथ-साथ 12 वर्ष का मुआवजा नहीं मांगने लग जाएं इसके लिए धारा 48 में आप इंडेम्निटी बांड इन किसानों से ले लें ताकि अवाप्ति को डीएक्वायर करने की कार्यवाही पूरी मानी जा सके। नगर विकास न्यास, अलवर ने एक जोरदार कार्यवाही की, सामान्यतः किसानों को नोटिस नहीं देकर ऐसे समाचार पत्र, जो जनता में वितरित नहीं होते, राजस्थान का झरोखा, अलवर का झरोखा और सांध्य ज्योति दैनिक जो प्रसार संख्या वाले अख़बार हैं, जिनको जनता पढ़ती है उन अखबारों में नहीं देकर जो अख़बार जनता तक नहीं पहुंचते उनमें देकर उस धारा 48 की इतिश्री इन्होंने कर ली। इसमें भी एक और बड़ी खामी यह रही कि धारा 48 की जो कापी थी वह राज्य सरकार को नहीं भिजवाई। राज्य सरकार को नहीं भिजवाने के कारण वह अवाप्ति से मुक्ति की कार्यवाही अधरझूल में रह गई।

आपने अपने उत्तर में बताया, खण्ड संख्या 2 में कि समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अवाप्ति शून्य नहीं होती है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है और न ही काश्तकार दोषी है। सरकार भी दोषी नहीं है, यू आई टी भी दोषी नहीं है और काश्तकार भी दोषी नहीं है तो फिर चौथा कौन दोषी है? वह किसान जो 1989 से अपनी जमीन को न तो इसलिए बेच पा रहा है कि उसकी बेटी की शादी है...

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक प्रश्न ही है, कोई अलग बात नहीं है बिलकुल भी। मैं तो पीड़ा बता रहा हूं किसान की कि 1989 से वह अपनी जमीन नहीं बेच पाया, अपनी जमीन में पानी का साधन नहीं कर पाया, कोई फेंसिंग या बाउंड्रीवाल नहीं बना पाया कि पता नहीं कब यू आई टी इस जमीन पर कब्जा कर ले और गरीब किसानों को उजाड़ दे, उसका पैसा बरबाद हो जाए। 1989 से आज तक न तो आपने अवार्ड का भुगतान किया, 2 साल के अन्दर-अन्दर आपकी अवाप्ति की प्रक्रिया में अगर अवार्ड का भुगतान नहीं होता है तो अवार्ड की कार्यवाही शून्य हो जाती है। यू आई टी आपको गुमराह कर रही है कि अवार्ड की कार्यवाही शून्य नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: चलिए, जवाब दिलवाते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला सवाल तो यह पूछा कि क्या दो वर्ष में अवार्ड का भुगतान हो जाना चाहिए था। दो वर्ष में अवार्ड का भुगतान होना कहीं अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्यता है कानून के मुताबिक तो निर्णय है जो दो वर्ष में हो जाना चाहिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): किस बात का निर्णय, माननीय मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरी बात सुनें। मैंने तसल्ली से आपकी पूरी सप्लीमेंट्री को सुना है। आप मेरी भी सुन लें, फिर आप जो पूछेंगे उन सबका मैं जवाब दूंगा।

साकेत नगर, रोहिणी नगर और एम आई ए योजना, इन तीनों योजनाओं की नगर विकास न्यास के द्वारा जो सबसे पहले निकाली गई, धारा 32 में कोई मियाद नहीं होती, सेक्शन 4 में जिस वक्त निकाली, वह निकाली 26.4.1995, 3.8.1995 और 6.11.1995 को। सेक्शन 4 में निकालने के बाद सेक्शन 6 है, वह भी दो वर्ष में निकाला जाना चाहिए था। यह प्रक्रिया यू आई टी के द्वारा समय में पूरी की गई, पहली बात।

अवार्ड के भुगतान के बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि अवार्ड के भुगतान की कोई मियाद नहीं होती है। यह बात अलग है कि वह अवार्ड हो चुका है और अवार्ड होने के बाद मान लीजिए, काश्तकार अवार्ड लेने नहीं आता, क्योंकि कई बार कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, कई बार फिर वह इस बात के लिए चाइस दे देता है कि मुझे नकद अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे 15 प्रतिशत या 25 प्रतिशत का मुआवजा चाहिए। तो उससे नेगोशिएशन में टाइम लगता है और चलता रहता है। तो कई बार कोर्ट बीच में आ जाता है। कोर्ट बीच में जब आ जाता है तो किस्सा लम्बा चला जाता है, दस-दस, पन्द्रह पन्द्रह, बीस-बीस साल तक अदालतों से फैसले नहीं होते।

दूसरा सवाल आपने पूछा कि तीनों योजनाओं के अवाप्ति के कुल प्रकरणों में नकद भुगतान और विकसित भूमि देने की कानूनी प्रक्रिया यू आई टी के द्वारा पूरी की गई या नहीं की गई। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि यू आई टी के द्वारा लापरवाही रही और यह प्रक्रिया वक्त पर जो पूरी होनी चाहिए वह नहीं हुई।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

नम्बर तीन आपने पूछा है कि यू आई टी के द्वारा तीनों योजनाओं की क्रियान्विति के लिए क्या प्रयास किए गए। मैं इसमें भी निश्चित तौर पर आपकी बात को मानता हूं और इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जितने गम्भीर प्रयास नगर विकास न्यास द्वारा किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए और उसी का परिणाम निकला कि 1989 में 32 सेक्शन में निकालने के बाद भी आज तक भी इन तीनों योजनाओं पर कोई काम नहीं हो पाया।

दूसरा आपने पूछा है, खण्ड 2 में कि अवार्ड घोषित करने के उपरान्त क्या खातेदारों को इंडिविजुअली नोटिस जारी किए गए या नहीं। मैंने पत्रावली देखी है, मुझे कहीं पर भी इस प्रकार का कोई यू आई टी का नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख वहां पर नहीं मिला, मिला तो सिर्फ यह उल्लेख जरूर मिला कि अखबारों में साया कर दिया। वह सफिशिएन्ट नहीं होता है। नियम यह है और कानून भी है कि जिस व्यक्ति की भूमि का एक्वीजिशन आप कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल नोटिस कलक्टर या आथोराइज्ड आफिसर को देना पड़ेगा।

तो ये लैप्सेज जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि यू आई टी द्वारा यह कहा गया कि ये योजनाएं हमारे लिए लाभकारी नहीं हैं और उन्होंने लिखकर 2001 में राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा कि डीएक्वायर कर दिया जाए लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त, 2001 की बात मैं बता रहा हूं आपको, सन् 2001 में यू आई टी ने यह लिख कर भेजा कि जिन काश्तकारों को 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत जिनको अवार्ड दिया जा चुका है, चाहे नकद का दिया गया हो चाहे भूमि का दिया गया हो, कम्पनसेशन के बतौर वह इंडेम्निटी बांड में यह लिखकर दे देते हैं कि हम कोई क्लेम नहीं करेंगे तो फिर इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन नगर विकास न्यास के द्वारा राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई और न ही काश्तकारों के द्वारा विभाग में कोई रिप्रजेंटेशन राज्य सरकार के पास आया जिसमें राज्य सरकार उस वक्त उस पर डिएक्वीजिशन का फैसला कर सकती थी।

अब आखिरी सवाल आपका यह रहता है, गरीब काश्तकारों की बात आपने कही कि शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स हैं वे लोग, जो बरतनों पर कलई करते हैं, और भी कई तरह के लोग होंगे तीनों में, इन तीनों योजनाओं में नगर सुधार न्यास के द्वारा कोई खर्चा करके न तो कोई सेक्टर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

रोड बनाए गए, न कोई लाइटों का इन्तजाम किया गया, न बिजली के खम्भे लगाए गए, कोई मकान नहीं बनाए गए, कुछ नहीं किया गया, वगैरह-वगैरह, इन सब बातों को दिखवा लिया जाएगा और दिखवाने के बाद इन मामलों को औचित्य के आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय ले लिया जाएगा कि इन तीनों योजनाओं के बाबत नगर विकास न्यास के ट्रस्ट का क्या फैसला है, क्या निर्णय है और वहां के काश्तकार क्या चाहते हैं और क्या इस प्रकार की योजना है जो भविष्य में जाकर लाभकारी हो सकती है या नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष: विस्तार से हो गया, 20 मिनट आपके एक प्रश्न में लग गए। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अगर एक प्रश्न बड़ा है, उसका उत्तर मुझे चाहिए तो आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

302. **श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नीति के तहत विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के भामोद, पालड़ी, तालवा-बिहाजर, श्यामपुरा (पूरावाला), कूनेड, ठिकरिया (तुलसीपुरा), जोधूला, नाथावाला में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी माध्यमिक विद्यालय युक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी नहीं। अपितु बजट सत्र 2009-10 में जिन ग्राम पंचायतों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, (प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक) में 1,900 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। तदनुसार 1,216 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तदनुसार जारी क्रमोन्नति आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भामोद तथा कूनेड को माध्यमिक विद्यालय में आदेश दिनांक 26.02.2010 के द्वारा क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तालवा, पालड़ी, श्यामपुरा (पुरावाला), जोधूला के प्रस्ताव विद्यालय क्रमोन्नति हेतु विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट 2009-10 में 1,900 स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया था परन्तु एक भी स्कूल 2009-10 में खोली नहीं गई। जो आठवीं पास करके बालक, बालिका जो दूर नहीं जा सकते थे, वे वंचित रह गये। बजट लैप्स हो गया। उसके कारण से उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया क्योंकि यह घोषणा सरकार ने बजट में की थी और आबंटित बजट भी लैप्स हो गया। इतना विलम्ब होने के बाद भी केवल मात्र राजनीतिक आधार पर 836 स्कूलों के आदेश दिसम्बर में निकाले गये और उसके बाद में 356 के आदेश अभी फरवरी में निकले हैं। अभी आठवीं की परीक्षा तो हो गई, परिणाम आने वाले हैं। वह गरीब बालक जो गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वे फिर टी सी कटाएंगे, दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी पंचायत में एक भी स्कूल नहीं है। अभी भी, 9 महीने बाद भी सरकार बिलकुल सो रही है, बजट भी लैप्स हो चुका, 31 को हो जाएगा, 2-3 दिन और हैं।

क्या कारण है कि इसके कारण सरकार क्योंकि उनको 1,900 स्कूलें, यह घोषित किया था बजट में कि सेकंडरी स्कूल जो गांव की पंचायतें हैं, उन पंचायतों में सेकंडरी स्कूल खोला जाएगा। पूरा वर्ष निकल गया, 9 महीने

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

निकल गये, अगले वर्ष के लिए जो बालक आठवीं से गांव से बाहर नहीं जा सकते, बालिकाएं नहीं जा सकतीं, उनको फिर टी सी कटानी पड़ेगी या घर बैठना पड़ेगा या एडमिशन के नाम पर फिर उनको नहीं खोला जाएगा। ऐसी बदनीयती मुझे सरकार में लगती है। इसलिए मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह क्या कारण रहे कि विद्यालय नहीं खोले गये? दूसरा, बजट अगर आबंटित किया गया तो कौनसे हैड में आवंटित किया गया, पिछले बजट का? और अब बजट आ गया, अभी 2010-11 का, इसमें कौन से बजट हैड में कितना आबंटन किया गया है? मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करें। और मेरे जो विद्यालय बचे हुए हैं, वे कब खोले जाएंगे?

इसी प्रकार से, एक मैंने और पूछा था कि पंचायत मुख्यालय जो रह गये ......(व्यवधान) यह प्रश्न है, प्रश्न को इंटिमेट कर रहे हैं, आपके भी हित में है ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ऐसा है, प्रश्न ही है, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। कौन से बजट हैड में यह अलाट किया गया? कितना अलाट किया गया, पिछले वर्ष भी और अब स्कूल खोल रहे हैं, जुलाई में प्रारम्भ करेंगे वह कौनसा बजट हैड है जिसमें कितना एलोकेशन किया गया? यह निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में रही हुई हैं, साहब, आसन के बीच में टहल रही हैं!

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बजट 2009-10 में 1,900 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में खोलने का प्रावधान किया गया था। जुलाई के अंत में हमने यह तय किया कि चूंकि जुलाई के बीच सत्र में स्कूल खोले जाने से न तो अध्यापक लगा पाएंगे, छात्र भी दूसरी जगह आएंगे इसलिए यह 1,216 विद्यालय खोले जा चुके हैं और 31 अप्रैल, 2010 तक पूरे विद्यालय 1,900 जहां जिस ग्राम पंचायत में एक भी सीनियर सेकंडरी और सेकंडरी स्कूल नहीं हैं उन ग्राम पंचायतों में एक-एक माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जहां तक बजट का सवाल है, जब स्कूल चालू होंगे तो बजट अपने आप दिया जाएगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आठवीं का रिजल्ट आने वाला है, टी सी कटाएंगे। इस कारण से सरकारी स्कूल में बालक नहीं आएंगे तो आप खोलेंगे नहीं, फिर इस नाम से नहीं खोलेंगे। यह गांव के गरीब आदमियों के साथ अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है, पूरक प्रश्न?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): प्रश्न यह है, यह कह रहा हूं मैं कि खोलने की जो अवधि है 30 तारीख तक करेंगे पिछले बजट का। 2009-10 का बजट भी 30 अप्रैल के बाद करेंगे। 2010-11 का बजट भी पास हो रहा है 31 तारीख पहले-पहले। ऐसा क्यों किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित नहीं है, उनकी कांस्टिट्युएंसी का प्रश्न है। आप सीनियर हैं, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मंत्रीजी, आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक देखिए, पूरे राजस्थान का है, उसके बाद में आप नहीं पूछने देंगे। कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

मंदिर श्री गंगाश्याम जी जोधपुर के पुजारियों की संख्या में वृद्धि

303 **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आत्मनिर्भर फण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत मंदिरों में पुजारी की स्थाई नियुक्ति में गत कई वर्षों से सरकार द्वारा वृद्धि नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर का जूनी मण्डी स्थित मंदिर श्री गंगाश्याम जी काफी पुराना व विशाल है जहां लगभग 3 से 4 हजार दर्शनार्थी आते हैं?

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर में केवल 5 पुजारी होने के कारण विशेष त्योहारों पर मंदिर की साज-सज्जा व सफाई आदि न होने से पूजा में विघ्न पड़ता है? क्या सरकार उक्त मंदिर के महत्व की दृष्टि से पुजारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: देवस्थान मंत्री।

देवस्थान मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। राज्य सरकार के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों की व्यवस्था प्रणाली और सुचारू एवं सुदृढ़ करने के लिए देवस्थान विभाग द्वारा उक्त मंदिरों की व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस मंदिर में प्रतिदिन 500 से 700 के लगभग दर्शनार्थी ही आते हैं।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त मंदिर में 5 अंशकालीन पुजारियों के होने के कारण विशेष त्योहारों पर मंदिर की साज सज्जा व सफाई न होने से पूजा में विघ्न पड़ता है क्योंकि मंदिर की साज सज्जा व सफाई इत्यादि हेतु मंदिर में अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं। मंदिर में 5 अंशकालीन पुजारी कार्यरत होने के कारण विशेष त्योहारों पर साज सज्जा व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। पुजारियों की संख्या में वृद्धि करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मान्यवर अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्षों में कितने नये पुजारी रखे गये, अंशकालीन या पूर्णकालीन? एक भी नया अपाइंटमेंट हुआ है क्या? दूसरा, अंशकालीन पुजारी जो कि सुबह 4 बजे से 12 बजे तक और सायंकाल 4 से 11 बजे, 15 घंटे ड्युटी करने वाले को भी आप कब तक अंशकालीन चलाते रहेंगे? क्यों नहीं उनको पूर्णकालिक पुजारी नियुक्त किया जाए? पांच सौ से सात सौ की संख्या वर्तमान में है या कितने वर्ष पुरानी संख्या आप दे रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, घनश्याम जी का मंदिर जैसे गोबिन्ददेवजी का मंदिर जयपुर में है, उसी तरह प्राचीन राज्यकालीन वह मंदिर है और वहां भक्तों की संख्या सुबह मंगला जब होती है, तब भी दो सौ से ढाई सौ लोग होते हैं तो दिन भर सात सौ की संख्या, यह संख्या गलत है, बिलकुल सरासर गलत है। रिकार्ड बहुत पुराना है। यहां पाँच अंशकालीन पुजारी

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

कब से नियुक्त किये हुए हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पाँच अंशकालीन पुजारी काम कर ही नहीं सकते क्योंकि पूजागृह है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है आपका?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं बता रहा हूं, साहब। पूजागृह में केवल पुजारी की ही एंट्री है, दूसरा अन्य कोई कर्मचारी एंट्री नहीं कर सकता है। उनको एक निश्चित वेश में जाना पड़ता है। मैंने आंखों से देखा है, सब बड़े त्योहारों पर मैं जाता हूं, पहले मैं वहीं रहता था, वहां पर दूसरे लोगों को ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा यह है कि इसमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कितनी ही संख्या और बढ़ाएंगे, अंशकालीन पुजारियों की और पूर्णकालीन कर्मचारी कितने करेंगे? यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बिराजें। ......(व्यवधान)...... घनश्याम जी का मंदिर है ......(व्यवधान)...... आप तो जवाब दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आपके घर? ......(व्यवधान)......

माननीय सभापति महोदय, जो पाँच अंशकालीन पुजारी हैं वे पूजा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त हैं और सरकार का अभी नये पुजारियों को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दें। आप जवाब आने दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जवाब देकर के बैठ गये न। ये बैठ गये न जवाब देकर।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न उनका है, पहले उनको पूछने दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तो मैं भी तो जोधपुर की हूं, मैं कौनसी नई जगह से आई हूं।

श्री अध्यक्ष: उससे क्या हुआ? यह कोई जरूरी है क्या कि हर मामले में आप पूछें ही पूछें?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): .....और मैं तो खुद वहां... (व्यवधान) इन मंदिर में मैं तो डेली जाती हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं। मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता। विराजें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): अध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया था कि ये सब पुराने रिकार्ड की बात कर रहे हैं। पाँच पुजारी अंशकालीन सारी सेवा पूजा की व्यवस्था आर्डिनरी डेज में भी नहीं कर सकते। कारण यह है कि दो पुजारी तो चरणामृत देने वाले चाहिए, दो पुजारी सेवा पूजा करने के लिए चाहिए, एक पुजारी मंदिर के अन्दर की सुव्यवस्था, भगवान के वेश बदलने के लिए, उनको सुलाने के लिए चाहिए। इस तरह से कम से कम 10 लोग लगते हैं। वे क्या करते हैं कि अपने परिवार के दूसरे बच्चों को लाकर के यह काम करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। श्री जसवंत यादव। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया, मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हो गये हैं। कृपया आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी जवाब दे कहां रहे हैं? मंत्रीजी ने जवाब सारा कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष: दे दिया जवाब। कृपया विराजें। वन मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह क्या बात हुई? मंदिर में तो हम जाते हैं रोज, उनको तो मंदिर ही मालूम नहीं है कि घनश्यामजी का मंदिर कहां है।

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब देने दें। यह अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): xxx

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की प्राप्त शिकायतें

304. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पाँच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पेड़ों की अवैध कटाई की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों को सज़ा देने हेतु ठोस कानून/नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल): (1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजस्व विभाग को पेड़ों की अवैध कटाई की 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वन विभाग के गश्ती दल एवं स्टाफ द्वारा चोरी छिपे वृक्षों के अवैध कटान, छंगाई एवं अवैध लकड़ी परिवहन के कुल 159 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये 159 प्रकरणों में से 158 प्रकरणों में शमन किया जाकर रुपये 2.63 लाख मुआवजा वसूल किया गया है एवं एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) वन क्षेत्रों से पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रावधान हैं, जिनके अनुरूप कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार राजस्व क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जाती है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ों की कटाई हो रही है यह तो माननीय मंत्रीजी ने मान लिया है और पेड़ों की कटाई कई तरह से हो रही है। कहीं अवैध खनन से हो रही है, कहीं तस्करी से हो रही है और ये पेड़ दिनोंदिन खतम होते जा रहे हैं। हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि हरित राजस्थान बने और उनके सबसे प्रिय मंत्री भी इस विभाग के मंत्री हैं। मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो लिंक्ड हैं। मैं चाहूंगा कि एक-एक का जवाब हो जाए, लम्बा चौड़ा नहीं है, वो एक-दूसरे से लिंक्ड हैं इसलिए आप बीच में ही मत बिठा दीजिये यह मेरा आपसे आग्रह है। एक तो राजस्थान वन अधिनियम, फोरेस्ट एक्ट, 1953 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के बाद क्षेत्रों में फोरेस्ट और अनएक्सक्लुजिव फोरेस्ट के पेड़ों की कटाई में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? यह मंत्रीजी बतायें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, पेड़ों में वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, दोनों में अलग-अलग प्रावधान किये हुए हैं। राजस्थान में अवैध पेड़ों की कटाई के कई मामले आये हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने.....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं यह पूछ रहा हूं कि बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? मुझे भाषण नहीं, मुझे केवल इतना चाहिए कि बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जहां तक माननीय सदस्य ने बहरोड़ के बारे में पूछा है, निश्चित रूप से वर्षवार पाँच साल की मांगी है और हमने एक-एक वर्षवार इनको दी। कटाई हुई है, पहले से कमी आई है। इस सैटेलाइट की जांच से, राजस्थान में पेड़ों की बढ़ोतरी सैटेलाइट के माध्यम से आई है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी, मैं यह सैटेलाइट की नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन है कि बहरोड़ के अन्दर पेड़ों की कटाई में बढ़ोतरी हुई है? यह 1955 का और 1953 का रेवेन्यू और फोरेस्ट एक्ट लागू होने के बाद बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहले से कमी आई है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कमी आई है। पेड़ों की कटाई हो रही है, रोजाना रेहडिया मेरे यहां भरी हुई रहती हैं, रोजाना ट्रोलियां भरी हुई रहती हैं। अनएक्सक्लुजिव जो फोरेस्ट होते हैं उनमें मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोई लकड़ियों की रेहड़ी भरकर जा रही है तो फोरेस्ट एक्ट, 1953 की किस धारा के तहत आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और उसको कितनी सज़ा दे सकते हैं?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 में दो तरह वनों को डिफाइन किया है। एक तो रक्षित, प्रोटेक्टेड वन और एक अरक्षित, रिजर्व्ड फोरेस्ट।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अनएक्सक्लुजिव फोरेस्ट पूछ रहा हूं। अवर्गीकृत फोरेस्ट के अन्दर से पेड़ काटकर के कोई लोग अपनी रेहड़ी में ले जा रहा है, बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा है तो आप किस धारा के अन्दर उसको सज़ा दे सकते हैं? उसको कौन तो पकड़ सकता है और कितनी सज़ा दे सकते हैं? जबकि सामने हरे पेड़ भरे हुए आ रहे हैं। यह बात पूछ रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, अरक्षित वन, रिजर्व फोरेस्ट में राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा.....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं रिजर्व फोरेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, अवर्गीकृत पूछ रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): दो तरह के फोरेस्ट हैं रिजर्व और अरिजर्व। रक्षित और अरक्षित।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मैं रेवेन्यू एक्ट, 1955 के तहत पूछ रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): वह टीनेंसी एक्ट अलग है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अनएक्सक्लुजिव, अवर्गीकृत क्षेत्र में जो किसान जबरदस्ती हरे पेड़ काटकर ला रहा है और उसने रेहड़ी भर रखी है तो आप उसको किस कानून के तहत सज़ा दे सकते हैं और सज़ा दे सकते हैं तो कितनी दे सकते हैं?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन दो तरह के हैं रक्षित और अरक्षित। एक मिनट।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): फोरेस्ट लैंड अलग है, रेवेन्यू लैंड अलग है। दोनों के अलग-अलग है इसमें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं रेवेन्यू की पूछ रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): रेवेन्यू में अलग है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): रेवेन्यू में जो फोरेस्ट उसमें नहीं है, जो अन-आइडेंटिफाइ किये, अनएक्सक्लुजिव कहिये, अवर्गीकृत कहिये.....

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): रेवेन्यू वाले में रेवेन्यू विभाग करता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बात रेवेन्यू विभाग की नहीं कर रहा हूं। अवर्गीकृत, मंत्री महोदय, अवर्गीकृत जो फोरेस्ट, हमारा रिजर्व फोरेस्ट है उनके अलावा जो पेड़ पौधे सरकार के खड़े रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उसमें धारा 32 के अन्दर कार्यवाही होती है। मैं फोरेस्ट का अलग-अलग बता रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। टीनेंसी एक्ट तो रेवेन्यू का अलग है, वन अधिनियम अलग है। वन अधिनियम में तो दो तरह के वन हैं एक रक्षित और एक अरक्षित। आप रक्षित वालों के बारे में पूछेंगे तो धारा 32 के तहत होती है और अरक्षित के

(श्री रामलाल)

बारे में पूछोगे तो धारा 26 के तहत कार्यवाही होती है जिसमें 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। उसमें टीनेंसी एक्ट का पूछेंगे तो रेवेन्यू विभाग से पूछो। इसके अलावा पेड़ की कीमत के अनुसार वे पेनल्टी लगाते हैं। अलग-अलग उसमें प्रावधान हैं। आप यह पूछिये। आप फोरेस्ट की पूछ रहे हैं या रेवेन्यू की पूछ रहे हैं?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)ः अध्यक्ष महोदय, ताली बजाने का शौक हो गया है। हमारे यहां पर बहरोड़ तहसील..... (व्यवधान) पहले आप सुनिये। आप इस तरह से प्रश्न पूछने वाले को क्यों दबा रहे हो? अगर आपके मंत्रीजी जवाब नहीं दें तो यह मेरा दोष है क्या?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक)ः आप शब्द सही बोलिये न, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)ः सर, मेरा सप्लीमेंट्री है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर)ः .....वन विभाग अलग है, यह रेवेन्यू विभाग अलग है। ये अलग कार्यवाही करते हैं और वह अलग कार्यवाही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर)ः ये आसन को निर्देशित कर रहे हैं, ये आसन को निर्देश देंगे? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)ः मैंने पेड़ों की कटाई पूछी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर)ः आप आसन को निर्देश देंगे? मूल प्रश्नकर्ता खड़े हैं और वे आसन को निर्देश दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)ः अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा जो प्रश्न है उसमें साफ लिखा हुआ है, किसी जंगल को आइडेंटिफाइ किया ही नहीं। मैंने पूछा है कि क्या पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों को सज़ा देने हेतु ठोस कानून है। यह सीधा वन विभाग से है। मैंने यह नहीं पूछा कि कौनसे, जो मैं पूछ रहा हूं उसकी बात करो। अब आप जो कह रहे हैं कि सज़ा दे सकते हैं, आप सज़ा नहीं दे सकते। न आपके फोरेस्ट वाले पकड़ सकते, न पुलिस वाले पकड़ सकते हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, दे सकते हैं, कहा न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गलत कह दिया न। गलत कह दिया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप फोरेस्ट की पूछ रहे हो तो दो अधिनियम हैं, एक फोरेस्ट का अलग अधिनियम है और काश्तकारी अधिनियम अलग है। काश्तकारी अधिनियम में 7 प्रजातियों को छूट दे रखी है, फोरेस्ट में कोई छूट नहीं दे रखी है। फोरेस्ट में दो तरह के फोरेस्ट होते हैं जिसमें एक में धारा 32 में सज़ा है, एक में धारा 26 में सज़ा है और टीनेंसी एक्ट में जो प्रावधान है उसमें 7 प्रजातियों को टीनेंसी एक्ट में छूट है। वन अधिनियम में 8 प्रजातियों को यह छूट.....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये सात प्रजातियां कौन-कौन सी हैं, यह भी बता दो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह भी बता देता हूं। ये सात प्रजातियां हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1955 में...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ये हैं सह बबूल, अरडू, देशी बबूल, विलायती बबूल, शीशम, इजरायली बबूल को हटाने की अनुज्ञा को इसमें कर रखा है जिसमें अलग-अलग जिलों में बीकानेर-जैसलमेर जिले तथा गंगानगर में करणपुर, रायसिंहनगर, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ एवं घड़साना तहसीलों में, जिला हनुमानगढ़ में टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर भादरा तहसीलें हैं और जोधपुर जिले की तहसील फलौदी, औसियां के अन्दर नियम लागू हैं और... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा क्षेत्र बहरोड तक सीमित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे बहरोड तक सीमित है। (व्यवधान) यह प्रश्न मेरे बहरोड से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह इसमें राजस्थान में छूट है। यह आठ प्रजातियां जो बताईं...(व्यवधान) उनके अलावा सब में छूट है...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, जो नरेगा के तहत, महानरेगा के तहत पेड़ लगाये जा रहे हैं, जो मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि हरित राजस्थान बने, निश्चित रूप से वह रेवेन्यू के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): ये कन्फ्यूज्ड हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ये कन्फ्यूज्ड नहीं हैं, इनके कान फ्यूज हो रहे हैं। सुनते कम हैं ये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कन्फ्यूज्ड तो कोई बात नहीं। हमारे पेड़ों की कटाई आपके 1953 फोरेस्ट एक्ट और रेवेन्यू एक्ट 1955 के तहत नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या मंत्रीजी इस कानून में संशोधन करेंगे?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपने काश्तकारी अधिनियम का पूछा, फिर वन विभाग पर आ गये, अब रेवेन्यू एक्ट पर आये। रेवेन्यू एक्ट फिर अलग है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 1953 फोरेस्ट एक्ट है, वह बता दीजिये। रेवेन्यू एक्ट, 1955 है, 1953 फोरेस्ट एक्ट है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): फोरेस्ट में भी रेवेन्यू एक्ट है। फोरेस्ट एक्ट 1953 है, वह अधिनियम 1953 है। इसमें दो तरह के कानून हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप रेवेन्यू एक्ट छोड़ दीजिये, आप तो फोरेस्ट एक्ट बता दीजिये। 1953 के तहत पेड़ कटाई हो रही है, क्या आप इसमें संशोधन करेंगे? यह पेड़ों की कटाई को तो आपने स्वीकार किया है। आप अपने वन विभाग को ले लीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, आठ प्रजातियां हैं...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): रेवेन्यू एक्ट को छोड़ दीजिये, फोरेस्ट एक्ट 1953 लागू है। खड़े पेड़ की कटाई वनों में हो रही है, जंगल में हो रही है, इस बात को आप मान भी रहे हैं तो क्या आप इसको संशोधित करेंगे?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन में, रिजर्व फोरेस्ट में अगर काटते हैं तो वहां बिलकुल मनाही है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, एक मिनट। राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 में सरकार ने नोटिफिकेशन दिनांक 19.2.1991 से जिन

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सात प्रजातियों को छूट दी है, उनकी आड़ रखते हुए और भी प्रजातियों को काटा गया है। ऊपर इन प्रजातियों को रख लिया जाता है और नीचे दूसरी प्रजाति को रख लिया जाता है। क्या इसमें भी आप संशोधित करेंगे? क्योंकि इससे पेड़ दिनों-दिन कटते जा रहे हैं और यह कारगर हो नहीं रही है। 1991 में जो नोटिफिकेशन किया था, आपने सात प्रजातियों को छूट दी थी, उससे और ज्यादा कटाई होना शुरू हो गई है। उन लोगों को लकड़ी ले जाने की सुविधा हो गई। तो क्या आप इसमें भी कोई संशोधन करने की मंशा रखते हैं, पेड़ों को बचाने के लिए?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य बता रहे हैं, बहरोड़ में इनके जिन-जिन प्रजातियों को छूट है, उनकी आड़ में दूसरे पेड़ कटते हैं। जैसे ही हमको शिकायत मिलती है तो हम कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा ये खुद कह रहे हैं... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, यह कानून गलत है, इस कानून को संशोधित करेंगे कि नहीं? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप जवाब तो सुनिये दो मिनट, आपका प्रश्न है, आप लगातार प्रश्न करते जा रहे हैं, जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कानून में सारे प्रावधान है, कानून में प्रावधान है पेड़ों के सम्बन्ध में, आप हमें बताइये वहां पर, हम निश्चित रूप से करेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न किसी दूसरे ने दिया हुआ है, इनका नहीं है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): पिछले पाँच साल में क्या किया? आप पाँच साल में कर लेते। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, अध्यक्षजी, अलवर जिले की तीन तहसीलें... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इनका नहीं है, यह किसी ने दिया हुआ है इनको बोलने के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...बहरोड, मुण्डावर, किशनगढ़बास में सरकार ने जरिये नोटिफिकेशन 13.7.1986 में मेकेनिकल वाहनों को छोड़कर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)
अन्य वाहनों में समस्त प्रजातियों की लकड़ी की वैध या अवैध ढुलाई, परिवहन की फोरेस्ट एक्ट में छूट दी है जिसमें कि सारे पेड़ कटते हैं दमादम। तो इसमें प्रावधान करेंगे, बस इतना ही बता दें आप।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा बहरोड से सम्बन्धित है। बहरोड में यह कानून लागू है। अलवर जिले की तीन तहसीलों में यह लागू है, बहरोड, मुण्डावर और किशनगढ़बास में और जिसमें मेकेनिकल के अलावा जो भी साधन हैं, उनके अन्दर चाहे वैध लकड़ी हो, अवैध लकड़ी हो, उसको ले जा सकते हैं। फोरेस्ट वाले बेचारे हाथ बांधकर देखते रहते हैं। तो क्या उस कानून के अन्दर कोई संशोधन करने की मंशा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब सुनिये आप।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 के इस कानून में आठ प्रजातियों को छूट दी गई है। इसमें जो सामने बात आई...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आठ इन प्रजातियों की बात नहीं कर रहा हूं। यह मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, उसको आप सुनिये। अध्यक्षजी, प्लीज। अध्यक्षजी प्लीज, आप गौर फरमायें एक बार।

श्री अध्यक्ष: आप तो, मंत्रीजी, इनका स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये बस।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसमें कठोर कानून बना हुआ है, उसमें कार्यवाही करते हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें पकड़ने का प्रावधान ही नहीं है। तीन तहसीलों के अन्दर जो नोटिफिकेशन किया है, 13.7.1986 का, बहरोड, मुण्डावर, किशनगढ़बास, इसमें फोरेस्ट विभाग के पास में कोई पकड़ने का कानून है? मैं कह रहा हूं कि आप इसको रद्द करेंगे क्या इस नोटिफिकेशन

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

को या नहीं? बात यह हो रही है। इसमे आपके पास प्रावधान ही नहीं है किसी को पकड़ने का। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, जिन आठ प्रजातियों को छोड़कर... (व्यवधान) जो कठोर कानून है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री नगराज (धरियावद): जवाब को सुनना ही नहीं चाहते हैं ये।

श्री अध्यक्ष: आप तो स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये। ये पूछ रहे हैं कि इस कानून में कोई संशोधन करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो साफ कहा गया है कि आठ प्रजातियों को छोड़कर कठोर कानून है। इसके अलावा कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है, न बदल रही है राज्य सरकार। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह साधारण बात नहीं है, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, शायद मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे हैं। मेकेनिकल डिवाइस के अलावा किसी मोटराइज्ड व्हीकल के द्वारा...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी के समझ आ गया, उन्होंने कहा कि कानून में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी, वह तो समझ ही नहीं पाये; ये क्या कह रहे हैं, वह समझ ही नहीं पाये। (व्यवधान) इससे जंगल बचेगा ही नहीं। मंत्रीजी के समझ में नहीं आई बात। सीधा-सीधा बहरोड से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...ये प्रजातियां लिंक्ड हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं यह नहीं मानता हूं कि मंत्रीजी को समझ में नहीं आया, मंत्रीजी ज्ञानी हैं। समझ में आ गया। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं फोरेस्ट एक्ट निकाल कर लाया हूं। (व्यवधान) मैं फोरेस्ट एक्ट निकाल कर लाया हूं।

श्री नगराज (धरियावद): ये ज्यादा समझते हैं? कैसी बात कर रहे हैं कि मंत्रीजी को समझ नहीं आया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र एक बात माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कानून में संशोधन नहीं करेंगे तो पेड़ कटेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाह रहा हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये तारानगर वाले सदस्य पूछने लग गये। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मूल प्रश्नकर्ता यह कह रहे थे... (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, जब जवाब आ गया और पूरे संतुष्ट हो गये, ये फिर इनको पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपके बात समझ में नहीं आई, पूरे सदन को समझ में आ गई और मूल प्रश्न करने वाले को समझ में आ गई। (व्यवधान) इनके खुद के समझ में नहीं आई, प्रश्न करने वाले को समझ में नहीं आई।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इनको ये मालूम ही नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं। इनको किसी ने लिखकर दे दिया और ये पूछे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाह रहा हूं...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही नहीं है। माननीय सदस्य कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं मेरे बहरोड के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मात्र इतना ही पूछना चाहता हूं, जो बात माननीय सदस्य ने पूछी, दिनांक 13.7.1986 को वन विभाग ने एक सर्कुलर निकाल दिया। उस सर्कुलर में अलवर जिले की तीन तहसीलों में यह कह दिया कि अगर नॉन-मेकेनिकल, बिना कोई इंजन के वाहन से कोई भी पेड़ काटकर ले जायेगा, उस पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार विभाग को नहीं है। इन्होंने मात्र यह पूछा है कि क्या उस सर्कुलर को सरकार वापस लेने का विचार रखती है या नहीं? मात्र बात इतनी सी है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): घरों के लिए लकड़ी जायेगी। यह जो कानून बना हुआ है, वह सही है, अध्यक्ष महोदय। यह जो कहना चाह रहे हैं कि इसमें नॉन मेकेनिकल व्हीकल हैं, इसमें अमेंडमेंट किया जाये, नॉन मेकेनिकल व्हीकल और रात को काटकर अपने उपयोग के लिए लकड़ी नहीं ले जा सकते हैं। मंत्रीजी ने जो बात कही है, वह सही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: वह जो जवाब दे रहे हैं, वह भी सुन लें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हरित राजस्थान का क्या होगा, मुख्य मंत्रीजी के सपने का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब देना आवश्यक है क्या?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल स्पेसिफिक सवाल है। 13.7.1986 के उस सर्कुलर को सरकार विथड्रा करना चाहती है या नहीं करना चाहती? नम्बर एक। नम्बर दो, अगर वह सर्कुलर है तो उस सर्कुलर की आड़ में इस अलवर जिले के अन्दर हरित राजस्थान की कल्पना को धूलधूसरित करके हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। मंत्रीजी, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 159 प्रकरण वन विभाग में आये, आपने 158 कम्पाउंड कर दिये और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत जो 21 शिकायतें आपको प्राप्त हुईं उनमें आपने क्या-क्या कार्यवाही की?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मेरे तीन स्पेसिफिक सवाल हैं, पहला 13.7.1986 का सर्कुलर, दूसरा आपने 159 में से 158 कम्पाउंड कर दी, एक कम्पाउंड नहीं किया और तीसरा काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत 21 शिकायतें जो प्राप्त हुईं उनमें क्या क्या कार्यवाही विभाग ने की?

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये, और कोई बात नहीं करनी किसी की।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले सदस्य काफी ज्ञानी हैं, बीच में आपने पूछा है, पहले उनका जवाब दे देता हूं। (व्यवधान) हैं? यह तो मालूम है, सदन को मालूम है, राजस्थान को मालूम है, वह मैनेज करने से थोड़े ही होता है उप नेता महोदय, मालूम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे आपसे प्रमाण-पत्र नहीं लेना कि मैं ज्ञानी हूं। क्या हूं, मुझे आपसे प्रमाण-पत्र नहीं लेना। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सर्टिफिकेट दे रखा है, आप विराजिये। आपको अनुमति नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति नहीं दी है, आसन से अनुमति लेने के बाद बात करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी इतनी बातों पर समय बरबाद करें इससे अच्छा तो स्पेसिफिक जवाब दे दें ना।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 का नोटिफिकेशन जो हुआ उसको सरकार ने विथड्रा कर लिया और सात प्रजातियों को छूट दी है। अब सात के लिए यह कह रहे हैं कि उसमें कानून में वापस लेना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान के हित में है। दूसरा आपने पूछा (व्यवधान) हर चीज में ही..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कर लिया न, वह विथड्रा कर लिया। और दूसरा, इसमें टिनेंसी एक्ट अलग है, रेवेन्यू एक्ट अलग है, फोरेस्ट एक्ट अलग है। (व्यवधान) तीनों का अलग-अलग बता दिया। प्रकरण, जहां तक प्रकरण की पूछी, हमने कार्यवाही की, एक तो न्यायालय में,

(श्री रामलाल)

21 शिकायतें प्राप्त हुईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गश्ती दलों ने इसके अलावा 159 प्रकरण...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, दो मिनट पहले तो कह रहे थे विथड्रा नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं कि विथड्रा कर लिया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसमें से एक को न्यायालय में चालान किया, बाकी को कम्पाउंड करके 2.63 लाख रुपये वन विभाग ने वसूल किये हैं। यह प्रावधान...

श्री अध्यक्ष: श्री अब्दुल सगीर खां ।

धौलपुर जिले में औद्योगिक विकास की प्रस्तावित योजनाएं

305. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर के औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार धौलपुर में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक) : (1) धौलपुर के औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाँच औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जिन पर 2,150.27 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। छठा औद्योगिक क्षेत्र स्टोन पार्क विश्नोदा वर्तमान में विकसित किया जा रहा है जिस पर अब तक 1056.00 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) बिन्दु संख्या एक में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों द्वारा स्थापित 203 औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत तथा पाँच औद्योगिक इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वह पाँच औद्योगिक क्षेत्र जो विकसित किये गये हैं, वे कौन-कौन से हैं और क्या वहां उत्पादन हो रहा है? ए। क्या यह सत्य है कि औद्योगिक क्षेत्र स्टोन पार्क में लगभग डेढ़ साल से काम बंद पडा है? मंत्रीजी बतायें, स्टोन पार्क विश्नोदा कब तक बनकर तैयार हो जायेगा। बी। सी

(श्री अब्दुल सगीर खाँ)

- क्या यह सत्य है कि 203 औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 80 प्रतिशत इकाइयां बंद पड़ी हैं और वहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? डी- क्या यह सत्य है कि उपरोक्त 203 इकाइयों में से किसी भी इकाई में 50 श्रमिक से अधिक काम नहीं करते हैं? ई- धौलपुर में कार्यरत टोटल श्रमिकों की कितनी संख्या है? एफ- क्या सरकार उद्योगपतियों से बात कर कोई हैवी इण्डस्ट्री धौलपुर में लगाने का इरादा रखती है? एफ एंड देन जी- क्या सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति शीघ्र घोषित करने का इरादा रखती है? मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि धौलपुर जिले में पाँच औद्योगिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं, औद्योगिक क्षेत्र ओडेला-धौलपुर, जो 1986 में स्थापित हुआ, 1991 में उसको विकसित घोषित किया गया, 118 भूखण्ड बने जिसमें 109 भूखण्डों पर 87 इकाइयां कार्यरत हैं। ग्रोथ सेंटर, धौलपुर जो 1996 में स्वीकृत हुआ, 98 में विकसित हुआ, 261 इकाइयों में से 161 इकाइयां हैं जिसमें 137 इकाइयां कार्यरत हैं। ग्रोथ सेंटर विस्तार, धौलपुर जो 2004 में घोषित हुआ, 07 में विकसित हुआ, 360 इकाइयों में से 270 इकाइयां कार्यरत हैं। बाड़ी 1986 में, 96 में विकसित हुआ, 125 इकाइयों में से 43 इकाइयां कार्यरत हैं। पुराना औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर जो उद्योग विभाग की ओर से रीको को हस्तांतरित हुआ, इसमें भी पाँच इकाइयां कार्यरत हैं। स्टोन पार्क जो है विश्नोदा का, 2007 में घोषित हुआ लेकिन इसमें 25 प्लाट जो केवल आर्टिजंस ने लिये हैं उनमें भी अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य यह था कि यहां पर स्टोन पार्क के जरिये कई बड़ी यूनिट्स को हम आमंत्रित करें। इसमें हमने 277 भूखण्ड केवल आर्टिजंस के लिए रखे और 134 भूखण्ड हमने बड़े उद्योगों के लिए रखे लेकिन बड़ा उद्योग इसमें कोई भी आया नहीं और आर्टिजंस में से भी केवल 25 आर्टिजंस ही आये जिनका भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है।

माननीय, आपने जानकारी चाही कि 203 जो यूनिट्स हैं उनमें से आपने फरमाया कि 80 प्रतिशत बंद है, 80 प्रतिशत बंद नहीं है लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और उसका मेन कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रहा कि उससे पहले चाहे आयरन फाउंड्री हो, चाहे लैदर का वर्क हो, आगरा पास में होने की वजह से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहां पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगे और आगरा के लोग यहां पर आकर के धौलपुर में उन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया। लेकिन जैसे ही आगरा में गैस की सप्लाई शुरू हुई यहां से आयरन फाउंड्री वगैरह, लैदर वगैरह जो बड़े काम थे वे निश्चित रूप से वापस आगरा की ओर चले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, स्पेसिफिक यह बताइये कि it is not 80%. What is the percentage?

श्री अध्यक्ष: जवाब पूरा हो जाय।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य ने जानकारी कि चाही क्या धौलपुर क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग सरकार लगाना चाह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योग नहीं लगाती, सरकार अपनी उद्योग नीति बहुत शीघ्र घोषित करने वाली है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैंने यह नहीं पूछा कि सरकार उद्योग लगाना चाहती है, उद्योगपतियों को आप मोटिवेट करेंगे, आपने कोई उद्योगपतियों से सम्पर्क किया कि यहां पर यह सम्भावनाएं हैं? मेरा प्रश्न यह है, मंत्रीजी। मैंने यह नहीं, मैं जानता हूं इतना कि सरकार नहीं लगाती है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार निश्चित रूप से नई उद्योग नीति बहुत शीघ्र घोषित करने वाली है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए हम समय-समय पर जहां कहीं भी बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं वहां जाकर के हम लोगों से रूबरू होते हैं, वहां बैठकर उनसे बात भी करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उद्योगपति अपना निवेश जो करते हैं वे अपनी लाभप्रदता के आधार पर करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि धौलपुर में, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि धौलपुर में सीमेंट का कोई बड़ा उद्योग आने की सम्भावना है कि नहीं है, इस बारे में मैं निश्चित रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वहां पर लाइमस्टोन की क्या उपलब्धता है, उसकी क्वालिटी क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी दें। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य, व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेकर के कोशिश करूंगा। यदि कोई बड़ा उद्योगपति उनके साथ में यदि किसी सम्पर्क में हो तो वह आये, हम उसको निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए पूरा अच्छा वातावरण देंगे।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, two of my questions have not been answered by the hon'ble Minister. Number one-what is the total number of the workers working in these 203 units? That you have not answered, Number two you have not answered, instead of 80%, what is the percentage of the units functioning over there? Yes, give me the answer.

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,055 के करीब वहां पर श्रमिक कार्यरत हैं। यह कहना कतई गलत है कि सारे..

श्री अध्यक्ष: इनके जवाब इनके जैसी भाषा में ही दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,055 के करीब श्रमिक वहां पर कार्यरत हैं। वे बार-बार यह कह रहे हैं कि 80 प्रतिशत यूनिट्स बंद हैं, अब यूनिट बंद हैं, अब चालू करना तो उद्यमियों का अपना स्वयं का निर्णय है, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, सब चल रही हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सरकार केवल इतना ही करती है कि उनके साथ यदि कोई प्रोब्लम हो तो उस प्रोब्लम का समाधान सरकार निश्चित रूप से उनके साथ बात करके करती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धौलपुर का मामला है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उद्योग नीति का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे मूण्ड्वा क्षेत्र की पूरी जमीन आपने एक्वायर कर ली है और अम्बुजा वाले अभी तक सीमेंट का वहां कारखाना नहीं लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Speaker Sir one question has not been answered at all. What is the policy which is in the process to decide whether….(interruptions) Tell me.

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): अम्बुजा सीमेंट वाले मेरे काम नहीं कर रहे वहां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपने उसका तो बताया ही नहीं कि इंडस्ट्रीयल पालिसी है कि नहीं, क्या है, कब घोषित करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीयल पालिसी बहुत जल्द हम घोषित करने जा रहे हैं। It will be announced very shortly.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): When? After Five years when you will be no more in the Government? Hon'ble Minister, when would you announce the industrial policy? After five years?

(समय : 12.00 बजे)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं उनमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह सरकार का जवाब नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को प्रयास करना चाहिए बंद पड़े उद्योगों को शुरू करने का। हमारी समस्या तो लैबर है, एम्प्लॉयमेंट है। जितने उद्योग बंद पड़े है किस कारण से बंद पड़े हैं? चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से उद्योगपतियों ने जमीन उद्योग के नाम से लेकर आज जमीन की कोस्ट बढ़ती जा रही है इसलिए उसमें काम करना नहीं चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहते हैं। तो, मंत्री महोदय, यह जवाब आप दे कि बंद पड़े उद्योगों के लिए भी इस तरह की पोलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे उनको शुरू कर सकें।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको हम रिवाइव करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं और माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, भरतपुर का सिमको इसको सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इसको जल्द फलैक्सशिप करने वाले हैं। आप मुझे धन्यवाद देंगे इसके लिए।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया पृष्ठ संख्या-306 पर आगे देखें)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: काहे का पाइंट ऑफ ऑर्डर? बैठिये आप। आसन पाँव पर है, विराजिए।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, प्लीज-प्लीज, आप मुझे मौका दें, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है।

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है, विराजिए। पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। आसन पांव पर है कृपया विराजे। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर की विकलांग बालिका को पदक जीतने के बाद भी अनुदान की राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री छोटू सिंह भाटी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्राम मोहनगढ़ की ढाणी शंकरसिंह राजपुरोहित में बी.एस.एफ. एवं पुलिस द्वारा मादक पदार्थ (हेरोइन) के सम्बन्ध में तलाशी लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

3. श्रीमती अनिता सिंह एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विशेष आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजने के सम्बन्ध में।
4. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली स्थित ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा केमिकल्स खरीद में की गई भारी अनियमितता व निर्धारित मापदण्ड में प्रदूषित पानी का उपचार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री अमराराम एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य के 27 जिलों में भयंकर अकाल के बाद भी ऋणी किसानों की भूमि एवं कृषि उपकरण भूमि विकास बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर के सैनिक परिवारों की पीड़ा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री विजय बंसल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर स्थित घना पक्षी विहार (नेशनल पार्क) में पक्षियों के लिए पानी के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बाली विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 1500 बी.पी.एल. आवेदकों को आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत बोयल के ग्राम छीतरिया में दिनांक 15.9.2008 को बिजली गिरने से मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने के सम्बन्ध में।

10. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से चौमूं के जयरामपुरा गांव में एक ही परिवार के सात व्यक्तियों द्वारा आत्म हत्या करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री विजय बंसल, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीमती संजना आगरी एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुखराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से मेड़ता कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालय जायल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के विभिन्न गांवों एवं कस्बों की पेयजल समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर में मेगाफूड पार्क बनाने के सम्बन्ध में।

5. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में हटाये गये अतिरिक्त पैराटीचर्स को प्रबोधक पद पर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

6. डा. रघु शर्मा, सदस्य की ओर से केकड़ी में 50 वर्ष पुरानी सीमेंट पाइप लाइन को स्टील पाइप लाइन में बदलकर पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

7. श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से किसानों के थ्री फेस विद्युत कनेक्शनों को सिंगल फेस विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तन कराने हेतु नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

8. श्री नरपतसिंह राजवी, सदस्य की ओर से भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नन्नाणा, गरदाना खोडिप में भू-जल संरक्षण के तहत वाटर शेड कार्यक्रम की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में भूमिगत विद्युत केबल डालने के कार्य में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगे पांच मोघों से किसानों को पानी नहीं मिलने से उनका लगान माफ करने के सम्बन्ध में।

11. श्री हेमसिंह भड़ाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कंटिंजेंसी तथा विधायक कोटे से स्वीकृत पेयजल योजनाओं को तुरन्त चालू करने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर में बहने वाली रूपारेल नदी पर दो पुल बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

चूंकि आज शिक्षा के ऊपर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, उसके अलावा भी विधायी कार्य अलग से काफी है इसलिए अगर आप सब की अनुमति हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए? 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री विजय बसंल।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्षजी, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहती हूं। कल सदन के अन्दर, पूरे राजस्थान के अन्दर जिस तरह से सदन चिंतित था कि जो अवैध खनन हो रहा है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिस तरह आप चिंतित थे...

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोल रही हैं आप? किन नियमों के तहत कहां बोल रही हैं आप?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): एक मिनट, साहब, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोल रहे हैं? किन नियमों के अन्तर्गत?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, मैं वह बात आपको, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उसमें बात कहना चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न होता ही नहीं है इसमें। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप नियम प्रक्रियाओं को एक बार मेहरबानी करके देखें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): बात इतनी सी है कि कल जिस तरह से आसन...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बात कितनी भी हो, नियम प्रक्रिया के तहत ही तो आपको बोलने की स्वीकृति होगी।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्षजी, बात पूरी सुनिये...

श्री अध्यक्ष: कौन से नियम में क्या बात उठाना चाहती हैं, यह तो बताइए पहले आप? क्या व्यवस्था का प्रश्न है? कौन से नियम में है? व्यवस्था का प्रश्न है, कौन से नियम में है?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, एक बात है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री विजय बंसल

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री विजय बंसल।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री विजय बंसल।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। केवल श्री विजय बंसल। अंकित नहीं होगा किसी का, केवल श्री विजय बंसल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): xxx

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: कौनसे नियम में पाइंट आफ आर्डर? कौनसे नियम में है? कोई अंकित नहीं होगा, केवल श्री विजय बंसल।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं होता है पाइंट आफ आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। केवल श्री विजय बंसल।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): xxx

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

घना पक्षी विहार, भरतपुर में पानी का अभाव

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भरतपुर स्थित घना पक्षी विहार जो नेशनल पार्क है और पानी की कमी से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, उसकी ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1976 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जब इसका अवलोकन किया था तो उन्होंने ही कहा था कि संसार में इससे बड़ा पक्षियों का विहार कहीं नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पानी आने का मुख्य स्रोत गंभीरी नदी थी लेकिन पाचना बांध बन जाने के बाद गंभीरी नदी का पानी रोक दिया गया जबकि रियासत कालीन संधि 1913 में उस गंभीरी नदी से भरतपुर घना को पानी देने की एक संधि थी।

(श्री विजय बंसल)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि घना पक्षी विहार संसार में एक ऐसा विहार है जहां विभिन्न देशों से 400 प्रजाति के पक्षी वहां आकर अपनी क्रीड़ा करते हैं। साइबेरियन सारस जो संसार में हिन्दुस्तान में सिर्फ घना पक्षी विहार में आते हैं, सबसे बड़ा संसार का यह मेला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बेरोजगारी की समस्या है। उद्योग बंद पड़े हैं। एक मात्र साधन वहां पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों के कारण वहां होटल, वहां के रिक्शा चालक, गाइड्स का मेन स्रोत था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के टाइम में 2007-08 में इस पक्षी विहार को बचाने के लिए, उसमें पानी की व्यवस्था कराने के लिए 106 करोड़ की योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी गई थी लेकिन आज तक केन्द्र सरकार के पास वह योजना लम्बित पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष ही मुख्य मंत्री महोदय ने 56 करोड़ की एक योजना इस पक्षी विहार को बचाने के लिए जमुना जल से पाइप लाइन डाल कर पक्षी विहार में लाने की बनायी थी लेकिन दुर्भाग्य है कि यह योजना भी खटाई में पड़ रही है क्योंकि गलत निविदाओं के कारण वहां कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव देना चाहता हूं कि चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना इस साल चालू होने वाली है लेकिन भरतपुर शहर में न तो टंकी बन पायी, न और इसके साधन बनाये गये। इसलिए जब पानी आना शुरू हो जाएगा तो उस चम्बल परियोजना का पानी जो मला हैडवर्क्स पर आएगा उस पानी को अगर घना पक्षी विहार में दे दिया जाता है तो उस पक्षी विहार की रक्षा हो सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 2009 में यूनेस्को ने राजस्थान सरकार को एक पत्र भी लिखा है कि यदि फरवरी, 2011 तक राजस्थान सरकार ने घना पक्षी विहार में पानी की व्यवस्था नहीं की तो यह विश्व धरोहर की सूची से पृथक कर दिया जाएगा।

(समय : 12.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि घना पक्षी विहार की वजह से भरतपुर ही नहीं राजस्थान को भी देश और विदेश में जाना जाता है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। मेरा आपके माध्यम से माननीय

(श्री विजय बंसल)

मंत्रीजी से अनुरोध है कि भरतपुर के अस्तित्व को बचाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इसमें पानी की व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी। विराजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, कैलादेवी राष्ट्रीय अभयारण्य, भरतपुर के इन जीव-जंतु, पक्षियों को जीवित रखने के लिए सरकार ने एक योजना बनायी थी। इसको 300 एमसीएफटी और अधिकतम 500 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता थी और इस 350 एमसीएफटी जल को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 56.22 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति विभाग ने दे दी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत गोरधन ड्रेन से वर्षा ऋतु में बाढ़ का पानी लिफ्ट करके 17.10 किलोमीटर की पाइप लाइन के द्वारा घना पक्षी विहार तक लाया जाना प्रस्तावित था। जब हमने कार्य की निविदाएं प्रि-क्वालिफिकेशन दीं तो माननीय उच्च न्यायालय ने निविदाओं के अंतिम निस्तारण पर रोक लगा दी। आज वह लिस्टेड है । हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस हेरिटेज को जो घना विहार है, को चाहे धौलपुर-भरतपुर परियोजना से या पांचना बांध से इनको पानी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि पर्यटक मंत्री भी दो मिनट में इस बारे में जवाब दें।

श्री सभापति: इसमें जो मंत्रीजी ने आपको जवाब दिया है, in case if you have any …

श्री विजय बंसल (भरतपुर): नहीं, पर्यटक मंत्री विराजमान हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं भी चिंतित हूं इस बात से और मैं भी जलदाय मंत्रीजी से इस बारे में विचार-विमर्श कर चुकी हूं। हम सभी चिंतित हैं और ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद में राज्य सरकार बिलकुल इस चीज को चाहती है कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहे, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आयें। तो आपकी और हमारी चिन्ता एक ही है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): सुप्रीम कोर्ट में नहीं है हाई कोर्ट में है। वह भी निविदा गलत लगी थी इस कारण से स्टे हुआ है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब जो है, अब उसका स्टे दे दिया तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? तो स्टे वेकेट हो जाएगा then we will do it.

बाली विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल के बकाया विद्युत कनेक्शन

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है। उसका उद्देश्य यह है कि जितने भी राजस्व गांव, ढाणियां और बीपीएल परिवार के जितने भी सदस्य जो आज भी लाइट से जुड़े हुए नहीं हैं उनको इस योजना के तहत लाइट से जोड़ा जाए; जो राजस्व गांव आज दिन तक जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़ा जाए; जो ढाणियां आज दिन तक जुड़ी हुई नहीं हैं उनको जोड़ने के काम हेतु इस राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार के उद्देश्य की पालना में राज्य सरकार को भी इस योजना से जोड़ा गया है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली जिले को इस राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 2007-08 में जोड़ा गया। आज बाली विधान सभा क्षेत्र में मैं ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि लगभग 25 राजस्व गांव और लगभग चालीस ऐसी ढाणियां हैं और लगभग 20 हजार बीपीएल परिवारों में से 12 हजार बीपीएल परिवार हैं जिनके पास आज तक लाइट नहीं है। 2007 में यह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पाली जिले में स्वीकृत हुई। इसके तहत बाली विधान सभा क्षेत्र में 2007 से लेकर 2010 तक आज दिन तक एक भी बी.पी.एल. परिवार के घर में बल्ब की रोशनी नहीं जलायी गयी और लगभग पच्चीस राजस्व गांव हैं और लगभग चालीस ढाणियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्रीजी, कि पन्द्रह सौ बी.पी.एल. परिवारों ने फाइल भर कर दो सौ रुपये जमा करवा कर आपके सहायक अभियंता, देसूरी, बाली, फालना में दो सौ रुपये की रसीदें कटवायी हैं और फाइलें जमा करवायी हैं पर आज दिन तक आपके लेवल पर किसी कर्मचारी, अधिकारी ने न तो कोई एस्टिमेट बनाया, न

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ही उन्होंने उन ढाणियों को देखा है, न उन गांवों को देखा है और आज भी तीन साल के उपरांत आपके राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना खाली कागजों में सम्मिलित होकर रह गयी है।

मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 हजार से ज्यादा बीपीएल परिवार बाली पंचायत समिति में हैं और लगभग सात हजार बीपीएल परिवार देसूरी पंचायत समिति में हैं, 20-22 हजार बी.पी.एल. परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी बल्ब की रोशनी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को कह कर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में, आज तीन साल हो गये, आपने उसको ठेका दे रखा है पर आज दिन तक कोई भी काम वहां पर चला नहीं है। खाली एक बेड ही एक ऐसा गांव है जहां पर दो साल पहले आपके लोगों ने पोल खड़े कर दिये पर आज दिन तक उस पर लाइन भी नहीं लगी और गरीबों को उसकी कोई सहायता नहीं मिल रही है। पन्द्रह सौ लोगों ने दो सौ रुपये की रसीदें कटवायी हैं और लगातार सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता के वहां चक्कर काट रहे हैं कि कब तक हमारे यह योजना स्वीकृत होगी, कब तक हमको लाइट मिलेगी। आज गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। आज इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, वह बच्चों को अच्छी जिन्दगी देना चाहता है पर लगातार तीन साल से आपकी अनदेखी के कारण, आपके कर्मचारी/अधिकारियों की अनदेखी के कारण उनको यह जो विद्युतीकरण योजना लागू हुई है उन गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही है।

दूसरा मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आज बाली विधान सभा क्षेत्र की जो बाली पंचायत समिति और देसूरी पंचायत समिति हैं, इनके अधिकांश किसान अपने कुओं पर रहते हैं और वहां ही अपना जीवनयापन करते हैं। उन्होंने अपने मकान बना रखे हैं, उनका व्यवसाय वहीं है, कुओं पर खेती करते हैं। बच्चों को वहां से पढ़ाई-लिखाई के लिए आगे नजदीक स्कूल में भेजते हैं। आज हालत यह है कि इस बाली विधान सभा क्षेत्र में काश्तकार लगातार आपके कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलते हैं, आज दिन तक जिनके पास डोमेस्टिक कनेक्शन हैं पर पिछले पांच साल से आज तक डोमेस्टिक कनेक्शन दिये नहीं जा रहे हैं। उनके डोमेस्टिक कनेक्शन हैं पर एफ आर पी के तहत उनको आज दिन तक जोड़ा नहीं गया है। या जो आदमी पैसा देता है उसका काम पहले होता है। सरकार को चाहिए कि पूरे गांव के किसान वर्ग जो अपने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

खेतों में रहते हैं जो अपनी जमीन पर रहते हैं, उनके डोमेस्टिक कनेक्शन हैं उनकी आपको तैयारी करके उनका पूरा गांववाइज एस्टिमेट बना कर उसको पास करना चाहिए। किसान अकेले जाता है, एक फाइल लेकर जाता है और पैसा देकर अपना काम करा कर आता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सीमा तय करें कि इस सीमा के अन्दर इन किसानों को सिंगल फेज कनेक्शन, जिनके पास आलरैडी कनेक्शन हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, उनको एफ आर पी योजना के तहत आज मात्र पांच घंटे बिजली मिल रही है, सात घंटे बिजली मिल रही है। पूरी-पूरी रात वह अंधेरे में काट रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं। आज उनका कुओं पर रहना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। किसान अपने कुए पर रह ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में सिंगल फेज कनेक्शन, जिन किसानों के डोमेस्टिक के कनेक्शन हैं उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में सिंगल फेज एफ आर पी के तहत जोड़ा जाए ताकि उनको भी बीस घंटे तक लाइट मिले, उनके बच्चे पढ़ सकें, वे आज आराम की नींद ले सकें। आज वे भयभीत हैं, इतनी चोरियां बढ़ गयी हैं। आज पिछले दो सालों के आंकड़ें देख लें अगर आप तो प्रत्येक किसान के घर में जो वे भैंस पालते हैं या जो उनके मवेशी हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं और आज दिन तक कोई पकड़ा नहीं गया है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसके ऊपर ध्यानाकर्षित करते हुए कि आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में इन बी.पी.एल. परिवार और जो राजस्व गांव, ढाणियां और जो बीपीएल परिवार के लोगों की फाइलें लगी हैं और जिस बी.पी.एल. परिवार को योजना के तहत जोड़ना चाहिए लाइट से, इसको जोड़ा जाए और किसान वर्ग जो कुओं पर रह रहा है उनको जल्दी से सिंगल फेज कनेक्शन देकर लाभान्वित करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप कुछ फरमायेंगे? Would you like to react to what he has said?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, पाली डिस्ट्रिक्ट इलेवंथ प्लान में है जो आर जी जी वाई की योजना है और इलेवंथ प्लान का अभी कम्प्लीशन नहीं है। इलेवंथ प्लान सितम्बर, 2010 तक कम्प्लीशन पर है। उसमें अभी माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, 300 से ऊपर की जितनी भी ढाणियां और

(डा. जितेन्द्र सिंह)

गांव हैं, गांव तो हैं ही, ढाणियां हैं, उन सबका विद्युतीकरण मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पी जी सी आई एल गवर्नमेंट आफ इण्डिया की कम्पनी है यह कोई प्राइवेट कम्पनी को भी नहीं दे रखा है, PGCIL is the government concern, जो लुक आफटर कर रही है और मैं आपको एश्योर करता हूं कि जो भी आपने फरमाया है, 300 से ऊपर की जितनी भी ढाणियां और गांव इसमें आ जायेंगे, वे सारे के सारे इसमें इन्क्लूड कर लिये जायेंगे। उसके लिये आलरैडी 2,991 लाख की हमारी योजना है इलेवंथ प्लान की सिर्फ पाली डिस्ट्रिक्ट के लिये। इसलिए मैं आपको एश्योर करता हूं कि टाइम बाउंड प्रोग्राम में हमारे वह हो जायेंगे।

जो 300 से कम की ढाणियां हैं, उनके लिये सप्लीमेंट्री स्कीम गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने आर ई सी को भेजी है। सभापति महोदय, बाली से आने वाले सदस्य को मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ज्यों ही हमारी वह स्वीकृत होकर आती है तो 300 से नीचे की जितनी भी ढाणियां हैं, they will be connected.

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, विद्युतीकरण योजना में 2007 में इसको सम्मिलित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्रीजी, कि ऐसे नहीं है कि काम, आपने दो साल पहले खाली पोल खड़े किये हैं। आज दिन तक उन पोल पर बिजली की केबल भी नहीं लगाई । खंबे पटके हुए हैं परन्तु काम नहीं हो रहा है । आप कह रहे हैं कि इलेवंथ प्लान में है, इलेवंथ प्लान में अगर यह है तो काम चालू कैसे हुआ? और चालू हुआ तो फिर वह काम पिछले दो साल से ठप क्यों पड़ा है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था, बाली से आने वाले माननीय सदस्य, कि यह जो इलेवंथ प्लान में है वह सितम्बर तक है और आप विश्वास रखिए कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की पी जी सी आई एल कन्सर्न है कोई प्राइवेट कन्सर्न भी नहीं है. I assure you that this will be completed. और जो 300 से नीचे हैं उसकी भी अलग से योजना भेज दी है। मैं इसको स्पेशली दिखा लूंगा।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मंत्रीजी, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो सिंगल फेज कनेक्शन हैं जो काश्तकार कुए पर रह रहे हैं आज पांच साल हो गये उनके डोमेस्टिक कनेक्शन हैं आज दिन तक उनका कनेक्शन

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

नहीं हुआ है। आज आदमी फाइल लेकर खुद जाता है। तो क्यों नहीं आपके अधिकारी पूरे राजस्व गांव का एस्टिमेट बनाते? जब प्रावधान है, जिसके कुए पर डोमेस्टिक कनेक्शन है उनको लाइट एफ आर पी से जोड़ने का प्रावधान है तो फिर क्यों काश्तकार अपनी फाइल ले जाकर एक बड़ी रकम देकर अपना काम करवा रहा है? इससे आपके विभाग में बहुत भ्रष्टाचार सामने आयेगा और लोग परेशान हो रहे हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको आप टाइम बाउंड प्रोग्राम में और पूरे राजस्व ग्राम में जो भी किसान जिसके पास डोमेस्टिक कनेक्शन है उनको सिंगल फेज एफ आर पी से जोड़ा जाये ताकि उनको 20 घंटे लाइट मिले। आज 24 घंटे में से उन्हें मात्र 5 घंटे लाइट मिल रही है, मतलब 15-16 घंटे वह अंधरे में गुजार रहे हैं। आज परीक्षाएं चल रही हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर काट रहे हैं, चोरियां हो रही हैं । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दें।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत के ग्राम छीतरिया में बिजली गिरने से मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में दिनांक 15.9.2008 को करीब 8.15 पीएम पर ग्राम छितरिया में बिजली गिरने से कृषक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु हो गई है। ग्राम छितरिया के खसरा नं. 800 में बिजली गिरने से कृषक ओम प्रकाश पुत्र सुखाराम कौम जटिया निवासी चंडावल की पत्नी चम्पा देवी उम्र 35 वर्ष और नरेश उम्र 10 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सभापति महोदय, उक्त मृतकों की मौका फर्द रिपोर्ट, पुलिस कार्यवाही, मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी कार्यवाही होने के बावजूद भी 15.09.2008 से आज तक 26.03.2010 तक प्रशासन व अधिकारियों ने मृतकों के आश्रितों को कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया? माननीय मंत्री महोदय, एक गरीब मजदूर व्यक्ति के परिवार में सुनामी, प्राकृतिक प्रकोप या आपदा से, बिजली गिरने से एक कृषक की पत्नी और मासूम बेटे की मौत हो जाती है। उस अकाल मौत में दो वर्ष पूरे होने के बावजूद भी, सारी कार्यवाही होने के बावजूद भी आज तक प्राकृतिक आपदा कोष या कृषि मंडी आपदा कोष से आला अधिकारियों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा क्यों नहीं दिया? मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसे आला अधिकारी जो इतनी

(श्रीमती संजना आगरी)

लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही करनी चाहिये ताकि किसान के बेटे को मुआवजा मिले।

मेरे सोजत क्षेत्र में पंचायत समिति अटपड़ा में कल दिनांक 25.3.2010 को कुए पर कार्य करते समय अचानक कुए में गिर जाने से ऐसे ही हेमाराम पुत्र तुलसाराम मेघवाल व हरिराम पुत्र जेठाराम मेघवाल की अकाल मौत हो गई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि एक गरीब काश्तकार का बेटा दो-दो वर्ष तक अपने मुआवजे के लिये इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि यह बिजली गिरने से जिस काश्तकार की पत्नी और बेटे की मौत हुई है, उसको आज दिन तक दो वर्ष पूरे होने आये हैं अभी तक उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कल जो यह घटना हुई है, इस काश्तकार गरीब किसान के बेटे को भी इसी तरह दो वर्ष इंतजार नहीं करना पड़े।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप तुरन्त कार्यवाही करके मृतक के आश्रितों को, उसकी पत्नी व बेटे को अलग-अलग मुआवजा और कुए में गिरने वाले मृतकों को भी दो-दो लाख रुपये मुआवजा, सहायता राशि अकाल सहायता कोष से दिलाने की तुरन्त कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है, एक किसान के परिवार का सवाल है। एक गरीब किसान अकाल की इस भयंकर स्थिति में है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है।

श्री सभापति: यह बेसिकली कौन से मंत्रालय से सम्बन्धित है? इसमें जो आपने कहा है क्योंकि बिजली गिरने से तो यह बिजली मंत्रालय से तो नहीं है, प्राकृतिक बिजली से हुई है। तो कृषि और आपदा वाले, आपदा मंत्री अगर चाहें तो...

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, आपदा मंत्री महोदय विराजे हैं और कुए में गिरने से ...

श्री सभापति: आपदा और कृषि मंत्रीजी अगर यहां उपस्थित हैं और वह रिएक्ट करना चाहें, मैं बाध्य तो नहीं कर सकता पर ।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): कल की तारीख में कुए में गिरने से दो काश्तकार की अचानक मौत हो गई है, कृपया मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सभापति: मेरे ख्याल से सरकार के ध्यान में यह बात आ गई है। So I think they will do the needful. श्री हनुमान बेनीवाल।

चौमूं के जयरामपुरा ग्राम में सात व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान में लगातार सामूहिक रूप से किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज राजस्थान में महाराष्ट्र की तर्ज पर सामूहिक आत्महत्याएं पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी से और खेती के अलाभकारी होने से राजस्थान का किसान भी महाराष्ट्र के किसान की तरह प्रदेश में जगह-जगह आत्महत्याएं कर रहा है। अगर आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है तो वह सरकार स्वयं है, सरकार की दोषपूर्ण नीति, चाहे केन्द्र सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो। सरकार की दोषपूर्ण नीति और अलाभकारी कृषि नीति की वजह से प्रदेश में जगह-जगह किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है। जब खेती से पैदावार नहीं होती, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से जोत भी दिनों-दिन कम होती जा रही है। जब घर के अन्दर जवान बेटी हो जाती है और बेटा पढ़-लिखकर बैठ जाता है तो किसान के सामने दो ही बातें रहती हैं-या तो वह अपराध के रास्ते पर चले या आत्महत्या को अपना लें। चूंकि राजस्थान का किसान स्वाभिमानी है इसलिए वह आत्महत्या को अपनाता है।

कल आमेर विधान सभा क्षेत्र के हरमाडा थाना क्षेत्र में जयरामपुरा गांव के अन्दर मावलियों की ढाणी में बंशीधर जाट ने अपनी पत्नी, अपनी पुत्रियों और बेटों सहित, सात जनों ने आत्महत्या की। जिसने भी आज राजस्थान के अन्दर सुबह अख़बार पढ़ा तो प्रत्येक व्यक्ति को इस दर्द का अहसास हुआ और हर व्यक्ति के मन के अन्दर है कि किस तरह प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई आत्महत्याओं को रोका जाए। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के कृषि मंत्री, सदन चल रहा है, जयपुर के अन्दर विराजमान हैं। प्रदेश के न तो कृषि मंत्रीजी और न एक भी काबिना मंत्री, यहां से मात्र 30-40 किलोमीटर दूर की यह घटना है, संवेदना प्रकट करने भी उस घटना स्थल पर नहीं गये। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। (व्यवधान) हमें इतना जरूर पता लगा कि आमेर विधान सभा क्षेत्र के विधायक...(व्यवधान)

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): सुबह से शाम तक वहां पर मौजूद था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, आप विराज जाए। माननीय सदस्य, विराज जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधायक गंगासहायजी उपस्थित थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आसन की बगैर इजाजत से बोले तो वह अंकित बिलकुल नहीं होगा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आमेर विधायक वहां उपस्थित थे लेकिन विधायकों के हाथ में कोई मुआवजा देने का अधिकार नहीं है। अगर प्रदेश का कोई मंत्री जाता और उस परिवार को, मैं उन सब परिवारों के लिए मांग करता हूं आसन से कि जितनी भी आत्महत्याएं, सामूहिक आत्महत्याएं राजस्थान के अन्दर हुई हैं, प्रत्येक परिवार को सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपये मुआवजे की तुरन्त घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति: I think, you have covered your point? ठीक है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाकर, पूरे राजस्थान के अन्दर कृषि को लाभकारी कैसे बनाया जाए इस हेतु तुरन्त समिति गठित करे। विधान सभा सदस्य जिनमें 80 प्रतिशत किसान के बेटे जीतकर आते हैं, उनके सुझाव लेकर एक समिति तुरंत बनाई जाए जिससे प्रदेश हमारा जो महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ा है, आज किसानों ने आत्महत्या शुरू की, अगर यही हालात रहे और प्रदेश का नौजवान भी बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की डगर पर चल पड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान का हो जाएगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं...

श्री सभापति: थैंक्यू।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि घोषणा पत्र के अन्दर 82,000 नौकरियां इस साल में लगाने की बात करने वाली सरकार ने आज 31 मार्च आने वाला है लेकिन 82,000 पद राजस्थान की सरकार ने नहीं भरे, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रसंघ चुनाव की बात की, ज्यादा से ज्यादा रोजगार राजस्थान के अन्दर देने की घोषणा पत्र के अन्दर बात की लेकिन एक भी घोषणा ...

श्री सभापति: धन्यवाद। आदरणीय सदस्य, विराज जाएं। थैंक्यू वैरी मच।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिए मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जानबूझकर....

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, विराज जाएं। Please take your seat.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नोटों की माला पहनने के लिए इनको टाइम मिल जाता है।

श्री सभापति: आदरणीय अब विराज जाएं. I think, your point is well made. Your point has been well made. Thank you very much.

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): xxx

श्री सभापति: I will not allow any person to react on this. आप प्लीज बैठ जायें।

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): xxx

श्री सभापति: I am not permitting you. Please take your seat. I am not permitting you.

पर्ची से बोलने वाले। आदरणीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जवाब तो दिलवा दीजिए।

श्री सभापति: आप विराज जाएं। I think, your point is well made.

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं सदन में विराजमान माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि राजसमंद विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आती हूं वहां पर अभी पानी का जो संकट है, उस संकट को देखते हुए पानी के टैंकर्स, हैण्डपम्प रिपेयर, यह सारी चीजों के लिए एक मीटिंग इन्होंने बुलवाई थी, कलक्टर और राजसमंद के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय मांगीलालजी गरासिया, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग को हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गये। उस मीटिंग में बहुत बड़े-बड़े वादे किये थे और बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई थीं कि हैण्डपम्प रिपेयर हो जाएंगे, 15 दिन के अन्दर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सारे हैण्डपम्प रिपेयर हो जाएंगे। न्यूजपेपर के अन्दर बहुत अच्छी खबरें भी छपी थीं, कहा गया था कि पानी के टैंकर, आप तो लिखकर भेज दीजिए जितने टैंकर चाहिए, वह टैंकर हम शुरू करा देंगे। ग्राम पंचायतों से प्रपोजल आ गये, ग्राम सभायें करके वह प्रपोजल इन तक पहुंच चुके लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक 20 दिन होने के बाद मीटिंग के, आज तक वे पानी के टैंकर गांव के अन्दर शुरू नहीं हुए। नतीजा यह हो रहा है कि रोज हमारे पास टेलीफोन आते हैं कि पानी के टैंकर शुरू नहीं हो रहे। चारा, पानी, जो पशुओं के लिए पानी है वह पानी भी नहीं शुरू करवाया अभी तक। तो यह स्थिति हो गई है कि जब गांव के लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो कलक्टर राजसमंद कहते हैं कि केस बनाओ इनके ऊपर। यानि एक तरफ तो सरकार जिसको पानी पिलाना चाहिए वह पानी सरकार नहीं पिला रही है, दूसरी तरफ गांव के लोग आक्रोशित होकर सड़क पर आए तो उनके खिलाफ केस बनते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर में माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मंत्रीजी, इस ओर ध्यान दीजिए कि पीने के पानी का संकट, बहुत भयंकर संकट आ गया है। ऐसे संकट के समय अगर आप पानी के टैंकर को बहुत ज्यादा लम्बित करते जाएंगे, बार- बार इस बात को कहते जाएंगे कि हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं और उसको लम्बा खींचते चले जाएंगे तो यह हालात हैं कि गांवों की जो महिला है उसे 2-2, 3-3 किलोमीटर चलकर पीने के पानी के लिए, एक घड़ा पानी लाने के लिए उसे तलाशना पड़ रहा है कि पानी का सोर्स कहां है।

दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । पानी के हैंडपम्प हैं और जिन हैंडपम्प को रिपेयर करने की बात हो रही है, वहां यह स्थिति हो गई कि हैंडपम्प जो अबेंडन हो गये हैं जिनमें पानी नहीं है, वे सूख चुके हैं हैंडपम्प, उनकी यह स्थिति है कि इनके विभाग के लोग जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि यह हैंडपम्प खराब हो गया है तो उसके ऊपर क्रास लगा देते हैं कि अब इस हैंडपम्प में पानी नहीं है लेकिन उसी समय वहां जो उसमें पाइप हैं उन पाइप को वह लोग निकाल लेते हैं, एसेसरीज को निकाल रहे हैं वहां से। उसका वहां कोई रिकार्ड मेंटेन नहीं है। पुराने पाइप निकाले जा रहे हैं और नये जहां हैंडपम्प खुद रहे हैं, उनके अन्दर वे पुराने पाइप को ही फिर से ठीक करवाकर वापस नई जगह पर खुदाये जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला इस सन्दर्भ में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वहां पर चल रहा है, उसका भी मैं ध्यान आकर्षित कर रही हूं क्योंकि आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा रूप लेगा। इसलिए आज सदन के माध्यम से, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, आपको कहना चाहती हूं कि ध्यान दीजिए इस बात का कि जहां पर आपके नीचे के कर्मचारी हैं जो ए ईएन हैं, जे ईएन हैं, वे सारे लोग इनके अन्दर लिप्त हैं।

जो हैंडपम्प रिपेयर मांगते हैं वे हैंडपम्प रिपेयर हो नहीं रहे; नये हैंडपम्प लगाने हैं वह लगा नहीं रहे, जो टैंकर शुरू करने हैं वे टैंकर शुरू नहीं हो रहे; सिर्फ एक ही बात का गीत गा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं आया, कंटिंजेंसी का कोई पैसा नहीं आया इसलिए यह काम नहीं हो रहा है। मैं, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से इसके बारे में उत्तर जानना चाहती हूं। अगर वे बोलेंगे तो बड़ी कृपा होगी राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के ऊपर और वहां की जनता के ऊपर। धन्यवाद।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने राजसमंद में पेयजल संकट के बारे में कहा, यह सही है कि राजसन्मद पीने के पानी के लिए क्रिटिकल है, राजसमंद ही नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए पिछले दिनों राजसमंद मैं स्वयं गया था, मेरे प्रमुख शासन सचिव गये थे और हमने वस्तुस्थिति का और पानी की वहां की प्रोबलम का आकलन किया था। उसके बाद उदयपुर के अन्दर, राजसमंद एक विशेष रूप से हमारा था कि इसमें सबसे ज्यादा नीचे जलस्तर चला गया है। हमारे जो प्रोबलेमेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें राजसमंद भी है। लेकिन यह कहना सदस्या का मैं नहीं समझता हूं, हैंडपम्प 1,329 चालू हैं और टोटल 1,554 हैंडपम्प इनके विधान सभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, अगर वहां पर हैंडपम्प खोदे जाते हैं खोदने के तीन महीने के अन्दर ही उनका जल स्तर इतना नीचे डिप्लीट होता है कि कहीं हैंडपम्प सूख रहे हैं। इसलिये हमारे लिये ज्यादा चिन्ता का विषय था कि इसमें किस तरह से लोगों को पानी पिला सकें।

471 गांव और इनकी ढाणियां हैं और एक इनका कस्बा है, कांकरोली कस्बा, उस कांकरोली कस्बे के अन्दर अभी हमने एक टैंकर की व्यवस्था कर रखी है और वह 12 ट्रिप रोज के करता है और करीब 60 हजार लीटर प्रतिदिन पानी वहां के कस्बे में उपलब्ध कराया जा रहा है। राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्र में 7 टैंकरों के माध्यम से 35 टैंकर ट्रिप के द्वारा पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत एक लाख 75 हजार लीटर

(श्री महीपाल मदेरणा)
प्रतिदिन पेयजल परिवहन 15 गांव और 3 ढाणियां, कुल 18 गांव और ढाणियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दूसरा हमने यह भी फैसला किया है कि उप-खण्ड स्तर पर उप-खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पेयजल कमेटी जो समस्याग्रस्त गांवों की समीक्षा कर आवश्यकता के अनुरूप टैंकर और परिवहन की स्वीकृति प्रदान करती है, माननीय सदस्या ने कहा है कि मेरे पास है, मुझे आप वह गांवों की सूची दे दीजिए, मैं निश्चित रूप से कलक्टर से कहकर उनका स्टेटस पता कराकर, अगर जरूरत पड़ी तो ग्रामीण और पशु, दोनों को हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे। यह आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

राज्य में सड़कों का अव्यवहारिक सुदृढ़ीकरण

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की कई कालोनियां नारकीय जीवन की स्थिति में जी रही हैं। राजस्थान के कई शहरों के अन्दर सड़क स्ट्रेंथन करते समय जो उनका लेवल है, आज राजस्थान की राजधानी में भी देखा जा सकता है कि सड़क पर सड़क पेवर लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ को तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, इस बात पर विचार नहीं किया कि राजस्थान की कई कालोनियों के अन्दर, जहां मकान हैं, जहां मकान का लेवल नीचे हो चुका है और सड़क का लेवल उससे ऊपर हो चुका है। उससे वहां के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। बरसात में पानी उनके घर में घुस जाता है। जहां हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां हैं, वहां सीवरेज का पानी अन्दर घुस जाता है, नालियों का पानी अन्दर घुस रहा है। लेकिन सरकार इसकी कोई योजना नहीं बना रही।

सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी से मैं अभी आ रहा था, विधान सभा में भी मैं देखते आ रहा हूं कि लगातार पेवर पर पेवर, सड़क के सुदृढ़ीकरण के कारण जो फुटपाथ एक फुट ऊंचा था, आज वह फुटपाथ नीचे हो चुका है, सड़क ऊपर हो चुकी है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, इनका पुराना अनुभव भी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, नगर निगम हो, नगर-पालिकाओं की तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, कोई रोड हिस्टरी नहीं है कि वह रोड कब

(श्री ओम बिरला)

बनी थी, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितने मकान के लेवल हैं, कितने उसके कामर्शियल लेवल हैं, फुटपाथ कितना है। कोई रोड हिस्टरी नहीं है। जिस दिन भी कोई महामहिम गुजरे और आये, उस पर पेवर सड़क बना देते हैं। एक दिन जे.डी.ए. कमिश्नर साहब आये, उन्होंने कहा, विधान सभा की सड़क खराब है, एक पेवर की लेयर चढ़ा दी। एक दिन दूसरे मंत्रीजी आये, उन्होंने कहा, फिर खराब है, फिर पेवर का लेयर चढ़ा दी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज कई कालोनियों के अन्दर जब जाते हैं, लोग कहते हैं, हमें रोड नहीं चाहिए, हमारे घर में पानी घुसता है।

अच्छा हो, सभापति महोदय, जे.डी.ए., नगर-निगम, नगर विकास न्यास, यू.आई.टी., मैं अभी गांवों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, शहरों की तो सड़कें ठीक नहीं कर पा रहे, शहरों की तो स्ट्रेंथ परत चढ़ रही है और हमारे यहां मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं गांवों में। शहरों की स्थिति खराब और गांव के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि राजस्थान के जितने भी जे.डी.ए., नगर निगम, यू.आई.टी. हैं, उनका सर्वे करवाया जाए, किस-किस कालोनी के अन्दर प्लिंथ लेवल सड़क का ऊंचा हो चुका है, उनके घर का नीचे हो चुका है। इतना ही नहीं, जितने फुटपाथ जो सरकार बना रही है, आज, सभापति महोदय, हम सबको दु:ख होता है, सरकार के करोड़ों रुपये लगकर फुटपाथ बनते हैं और वह फुटपाथ चार साल बाद पता चलता है कि नीचे चला गया है। सरकार के धन का, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम सब लोग सरकार के धन के ट्रस्टी हैं और सरकार के धन का एक-एक पैसा उपयोग में आये, प्लानिंग ठीक से बने, योजना ठीक से बने।

माननीय सदस्य, सिविल लाइन से आने वालों ने एक विषय उठाया था कि राजस्थान के अन्दर जितने भी प्राइवेट केबल्स हैं, आई.टी. लाइनें हैं, बी.एस.एन.एल. की लाइन है, ऐसी स्थिति है, सभापति महोदय, कोटा में खुद मंत्रीजी ने देखा है, एक महीने पहले रोड बनी और एक महीने बाद उस रोड को खोद दिया गया। मंत्रीजी ने गम्भीरता तो दिखाई थी, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई थी लेकिन उस एफ.आई.आर. में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एक्शन प्लान भी नहीं हुआ। कहां वह फाइल दब गई?

(श्री ओम बिरला)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्लानिंग और योजनाएं ऐसी बनें कि किसी के घर में बरसात का पानी न घुसे। आज राजस्थान के अन्दर जयपुर की स्थिति क्या है, आधे घण्टा पानी आ जाए तो पूरे जयपुर के रास्ते बंद हो जाते हैं। आज कोटा के अन्दर डायवर्जन चैनल बना, डायवर्जन चैनल के कारण पानी नहीं आ रहा है लेकिन आज भी कोटा की आधी कालोनियां और आठों बाजार ऐसे हैं जहां दुकानें नीचे चली गई हैं, सड़क ऊपर चली आई है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, अभी मंत्रीजी कहेंगे कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, आप सक्षम हैं, आप प्लानिंग बनाओ, योजना बनाओ, आपके मन में सपने हैं जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के, उन सपनों को पूरा करो और पूरे राजस्थान के अन्दर नगरपालिका से लेकर नगर निगम, यू.आई.टी., जे.डी.ए. की रोड हिस्टरी बनानी चाहिए और उस रोड हिस्टरी के आधार पर, आज टेक्नीकल रूप से नगर निगम और नगरपालिकाओं में इंजीनियर साउंड नहीं हैं, उस रोड हिस्टरी के आधार पर पेवर सड़क बनायें या स्ट्रेंथ हों। आज पूरे देश में, दिल्ली में चले जाएं, मुम्बई में चले जाएं...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां। दिल्ली में चले जाएं, मुम्बई में चले जाएं, सब जगह रिसाइक्लिंग का काम शुरू हो चुका है। रिसाइक्लिंग से जहां रोड की कीमत में 30 प्रतिशत कमी आई है, सभापति महोदय, पर्यावरण दृष्टि से भी, वह डामर और गिट्टी काम आयेगा, जिसकी चर्चा पूरा विश्व कर रहा है। इसलिए मैं, माननीय मंत्रीजी, यह कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भी रिसाइक्लिंग योजना लानी चाहिए और जो भी सड़क बनायें, उस सड़क को बनाने के पहले उसकी हिस्टरी के आधार पर वहां के रहने वालों के मकान, वहां के आवासीय, शहरों के फुटपाथ, उसको देखते हुए स्थिति के आधार पर सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। यही मेरी मांग है।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली में जल-शोधन ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में अनियमितताएं

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, पाली एक औद्योगिक शहर है और पाली शहर में लगभग 800 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें रंगाई-छपाई का काम मुख्यतः होता है। इस काम

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

में बहुत बड़ी मात्रा में कलर और केमिकल का उपयोग लिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि इसमें कलर और केमिकल का उपयोग होता है तो उसके कारण पानी प्रदूषित हो जाता है और वह प्रदूषित पानी नदी में जाकर आगे गांवों को कोई नुकसान नहीं करे इसलिए उस पानी को उपचारित करने के लिए सरकार के ही आदेश से पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउंडेशन बना रखा है जिसका काम है ट्रीटमेंट प्लांट चलाना और जो भी प्रदूषित पानी है उसको सही तरीके से उपचारित करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं लापरवाही कह दूं या जान-बूझकर कह दूं कि जिस मापदंड का पानी उपचारित होना चाहिए वह हो नहीं रहा है और साथ में इस ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में जो कलर, केमिकल की खरीद की जाती है, जो पानी के परिशोधन के काम में आते हैं उनमें भी भारी अनियमितताएं बरती जाती हैं। अब यह जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंत्रीजी, उसमें जिला कलक्टर भी है, और भी अधिकारी हैं, रीको के, आर.एस.ई.बी. के, पी.एच.ई.डी. के, नगर परिषद के, हमको भी आपने सदस्य बना रखा है, मैं भी हूं, एम.पी. भी हैं, नगर परिषद् के सभापति भी हैं और पाली के औद्योगिक इकाइयों के कुछ प्रतिनिधि भी उसमें सदस्य हैं लेकिन संचालन का जो मेन काम है वह अधिशासी न्यासी होता है उसके जिम्मे होता है। जो भी परचेज होगी वह उसकी देख-रेख में होगी और जो संचालन होगा वह भी उसकी देख-रेख में होगा। यह अधिशासी न्यासी का मुख्य कार्य होता है क्योंकि बाकी सारे जो भी अधिकारी हैं उनको इतना समय नहीं है, राजनेताओं को भी इतना समय नहीं। उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस तरीके से वे जिम्मेदारी निभा रहे हैं उससे लगता है कि वे इस मामले में पूरे गम्भीर नहीं हैं।

जुलाई, 2009 में जो केमिकल की खरीद की गयी उसमें न तो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनकी स्वीकृति ली गयी और जब टेंडर कर दिये, टेंडर स्वीकृत कर दिये तो उसकी मंजूरी भी ट्रस्ट से नहीं ली गयी। एक संचालन समिति बनी हुई है चार लोगों की जिसका काम है मुख्य तौर से कि ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से चले, उसने ही सारा काम कर दिया। जो काम ट्रस्ट को करना था, जो अधिकार ट्रस्ट के पास मौजूद था, वह अधिकार संचालन समिति ने अपने हाथ में लेकर बिना ट्रस्ट को विश्वास में लिये बहुत बड़ी मात्रा में कलर केमिकल खरीदे। उसमें भी भारी अनियमितता की गयी। एक फारस सल्फेट केमिकल है, उसके टेंडर में जो फर्स्ट लोएस्ट था उसने माल देने से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मना कर दिया और जैसा कि नियम है, अगर वह माल नहीं दे तो अमानती राशि है वह जब्त कर देनी चाहिए। नौ महीने तक अमानती राशि जब्त नहीं की। मैंने विधान सभा में अतारांकित प्रश्न लगाया इस सम्बन्ध में और प्रश्न जब पाली पहुंचा तो मेनिपुलेट करके उसके दो दिन पहले अमानती राशि जब्त की गयी, जबकि टेंडर 9 महीने पहले हो गये थे। उस दौरान सेकिंड लोएस्ट से बहुत बड़ी मात्रा में माल आपने परचेज भी कर लिया था। लाइम की परचेजिंग में यही से हुई। फर्स्ट लोएस्ट से माल नहीं लेकर सेकिंड लोएस्ट से महंगा माल लिया गया और अमानती राशि जमा थी, फर्स्ट लोएस्ट की वह उसको वापस लौटा दी। यह भी कारण बताया कि फर्स्ट लोएस्ट ने माल देने से मना किया या संचालन समिति ने अपनी इच्छा से सैकण्ड लोएस्ट को आदेश दे दिये।

माननीय मंत्री महोदय, यह जो ट्रीटमेंट प्लान चलते हैं न, वे व्यापारियों के पैसे से चलते हैं। हर व्यापारी की इसमें हिस्सेदारी है। पाली के व्यापारियों ने तय कर रखा है कि प्रति गांठ इतने रुपये हम सैस कर के रूप में देंगे जिससे यह ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा। यह व्यापारियों का पैसा है, हजारों व्यापारियों का और उसका इस तरह से दुरुपयोग हो जाए, यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक बिलकुल आग्रह रहेगा कि थोड़ा इसके ऊपर आप अंकुश लगाओ ताकि गड़बड़ी नहीं हो।

उसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, पाली में कुल चार ट्रीटमेंट प्लांट हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ट्रीटमेंट प्लांट में प्रदूषित पानी ज्यादा आ जाता है और दूसरे में कम आता है तो उसके लिए ट्रस्ट की मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि सभी ट्रीटमेंट प्लांट को पाइप लाइन के जरिए एक दूसरे से जोड़ दें ताकि कहीं पानी अधिक हो और वह बिना उपचारित किये नदी में जो रहा है तो पाइप लाइन के जरिए उसको दूसरे जहां कम पानी आ रहा है वहां भिजवा दिया जाए ताकि वहां वह उपचारित हो सके। निर्णय यह हुआ ट्रस्ट में लेकिन काम क्या किया, प्लांट नम्बर एक, दो को तीन से जोड़ते हुए चार तक बाई ग्रेविटी पाइप लाइन बिछाने का वर्क आर्डर दे दिया। तय कुछ और हुआ और वर्क आर्डर कुछ और दे दिया। तय हुआ अलग डिजाइन की पाइप लाइन लगाने का ताकि एक दूसरे प्लांट में पहुंचा सके और बिछा दी आर.सी.सी. की पाइप लाइन कि एक, दो का पानी तीन होते हुए चार तक चला जाएगा बाई ग्रेविटी। उसमें भी गड़बड़ हो गयी। 75 लाख की पाइप लाइन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बिछी उसमें लेवल का कोई ध्यान नहीं रखा गया और आज हालत यह है कि जो पानी बाई ग्रेविटी एक, दो होते हुए तीन और चार में जाना था उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट नम्बर एक और दो में 2 पम्प लगाने पड़े जिसका महीने का बिजली का खर्चा लगभग 30-40 हजार आता है। यह व्यापारियों के ऊपर जाता है। मंत्री महोदय, पाइप लाइन यदि आप देख लो न, उसका कोई लेवल नहीं, कहीं सड़क से छह इंच नीचे है, कहीं एक फुट नीचे है, कहीं डेढ़ फुट नीचे है और एक दो जगह तो वह पाइप लाइन फूट चुकी है। तो जो व्यापारियों का सैस कर के रूप में दिया गया पैसा था उसका दुरुपयोग अधिशासी न्यासी ने किया है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि कहीं ऐसी अनियमतता और नहीं हो, पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए आप इस प्रकरण की जांच करवाएं और आपको लगे कि वाकई में गड़बड़ हुई है तो जिसने भी गड़बड़ की है उसके ऊपर जो नियमानुसार कार्यवाही बनती है, वह आप करें ताकि व्यापारियों का सैस का पैसा सही काम पर खर्च हो सके, यह मेरा निवेदन है। माननीय मंत्रीजी, आप यहां बैठे हैं, बहुत एक्टिव मंत्री हैं, मैं चाहूंगा कि प्रदूषण की समस्या पाली की ऐसी समस्या है जिससे पूरा इलाका बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। पूरे राजस्थान में, दिल्ली में भी इसकी कई बार गूंज हुई है। पैसा व्यापारी दे रहे हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा है। तो, मंत्री महोदय, आप कुछ न कुछ जवाब दें।

(समय 13.00 बजे)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, इसमें टेंडर की प्रक्रिया अख़बार में साया होने के बाद होती है। आप खुद भी मैम्बर हैं, एम पी साहब भी मैम्बर हैं इसलिये चिन्ता व्यक्त की है, इनको नहीं पूछा गया। जहां तक विभाग ने मुझे जानकारी दी, उसकी राशि जब्त कर ली गयी है तथा और भी अनियमितताएं हैं, जो आपने सामने बताई हैं, मैं इनको दिखवाकर आपको संतुष्ट कर दूंगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, सभापति महोदय, राशि कब जब्त की और कब जब्त करनी थी, थोड़ा यह बता दें। मेरा अतारांकित प्रश्न पहुंचा नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से what the hon'ble minister has reacted with, is more or less enough. If you have any other queries, you can meet him in his chamber.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति व अन्य सुविधाएं

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं सीकर जिले के सैनिक परिवारों की जो परेशानियां हैं, आपदा है, उनके बारे में आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब से भारत देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक सीकर जिला या शेखावाटी इलाका वह इलाका रहा है, जहां किसान का बेटा एक तरफ हल चलाता है तो दूजा बेटा देश की सीमाओं पर दुश्मन की सेना से लोहा लेने के लिये सेना में भर्ती होता है। आजादी से लेकर आज तक जो भी सेना ने दुश्मन से युद्ध किये हैं शेखावाटी का इलाका कुर्बानियां देकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये अग्रणी रहा है। 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक ऐसा कोई मौका नहीं रहा है जिसमें सीकर, शेखावाटी के सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही हो। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनकी परेशानियों की तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इसलिये आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि सीकर जिले के जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उनका संगठन बना हुआ है और उनके सैकड़ों सैनिक जब मेरे पास फरियाद लेकर आये तो मैं उनकी दो-तीन परेशानियां यहां सदन में आपके माध्यम से रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि राजस्थान सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे जिससे उनकी समस्या का समाधान हो।

मैं, सभापति महोदय, पहली बात तो यह कहना चाहूंगा, बात पुरानी है, आज के ठीक 26 साल पहले सन् 1984 में जब हिन्दुस्तान में आतंकवाद का साया था, हमारे देश की प्रधान मंत्री स्व. इंदिरा गांधी हुआ करती थीं, उस जमाने की बात है। हमारे सीकर के जेरठी गांव का सैनिक बी एस एफ में कार्यरत था, हरिसिंह पुत्र जोधाराम और जब संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, उस दौरान हमारी भारत सरकार की प्रधान मंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने यह आदेश देकर कि भारत देश में जो आतंकवाद फैल रहा है, उसका सफाया करेंगे। उसमें भारत देश की जनता, सेना के तमाम लोग आतंकवाद का सफाया करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे।

(श्री पेमाराम)

वहीं केन्द्र सरकार के आदेश से बी एस एफ का जवान हरिसिंह 4 जून, 1984 को अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए स्वर्ण मंदिर में अपने प्राणों की कुर्बानी करके वहां शहीद हो गया। 4 जून, 1984 को जब हरिसिंह शहीद हुआ, वह अपने पीछे अपने पिताजी, जो 70 साल की उम्र के थे, मां कोयली देवी, जो 60 साल की उम्र की थी, आज उसकी मां और पिताजी भी इस धरती पर नहीं बच पाये हैं। उसकी पत्नी जो उस दौरान 36 साल की थी, आज 62 वर्ष की उसकी उम्र हो गयी है। उस दौरान उसके तीन बेटे थे। बलबीर, जो 10 वर्ष का था, आज 36 वर्ष का हो गया; मुकेश आठ वर्ष का था, आज 34 वर्ष का हो गया; और सबसे छोटा जो दो वर्ष का बच्चा था और अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाया था, धर्मेश, जो दो वर्ष का था, वह आज 28 साल का हो गया। इतना होने के बावजूद भी, माननीय सभापति महोदय, मैं कानून की बात तो नहीं जानता कि कानून में क्या लिखा हुआ है और क्या मंढा हुआ है लेकिन मैं उन सैनिकों की तरफ से, सीकर जिले की जनता की तरफ से, राजस्थान की सरकार से यह अपील करना चाहूंगा। वाकई में जब कल टौंक के सोयला में पीने के पानी के सवाल को लेकर गोलीकांड हुआ, कानून में नहीं लिखा हुआ था, शायद आजादी के बाद पहला मौका है, राजस्थान की सरकार ने गोली के शिकार हुए परिवारों को नौकरी और मुआवजा दिया। कल आन्दोलन था, किसान सिंचाई के लिये पानी की मांग कर रहे थे रावला और घड़साना में, वहां जब गोलियां चलीं तो राजस्थान सरकार ने मृतक किसान के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी है। हरिसिंह के परिवार को कुछ नहीं दिया। उस दौरान सरकार का आदेश था कि जो सैनिक अपने प्राणों की कुर्बानी देगा, 50 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं दु:ख के साथ कहना चाहूंगा कि सीकर जिले के हरिसिंह की मौत के बाद इसकी मां गुजर गयी, इसके पिताजी गुजर गये, वे आज इस धरती पर नहीं है, उसके बेटे अभी ओवरएज होने की स्थिति में हैं।

इसी के साथ, हरिसिंह के साथ सी.आर.पी.एफ. का एक दूजा जवान था विजयेन्द्र सिंह, जो अलवर जिले का था, उसे 50 बीघा जमीन मिल गयी। अलवर जिला भी हमारे राजस्थान प्रान्त में है। जो उसके आदेश हैं, वह अलवर के जिला कलक्टर ने 6 अक्टूबर, 1989 में जारी करके उसकी पत्नी को 50 बीघा जमीन का अलाटमेंट कर दिया। उसकी जमाबंदी मैं लेकर आया हूं। लेकिन मैं दु:ख के साथ कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान पत्रिका वाला इसके

(श्री पेमाराम)

घर पर पहुंचा तो मनकोरी देवी उस दौरान जब इसका पति जवान था और आतंकवादियों से लोहा ले रहा था, उस दौरान जो जवान थी, आज झांइयां पड़कर मनकोरी देवी की तस्वीर जो छापी है, दुखद बात है। इसलिये मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, यह पत्रावली कार्मिक विभाग में भी लम्बित है और सैनिक कल्याण विभाग में भी लम्बित है, इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह भूमिहीन परिवार है। जिस परिवार के पास सिवाय, या तो भगवान का सहारा है या कोई सहारा नहीं है, उस परिवार के साथ दया करे। जिसने देश के लिये और देश से आतंकवाद का सफाया करने के लिये अपनी जान कुर्बान की, उसके बेटे को नौकरी दे। यदि कानून में प्रावधान नहीं है तो कानून बनाने वाली राजस्थान विधान सभा से बढ़कर कोई कानून नहीं है। उसमें पक्ष और विपक्ष तमाम सदस्यों से अपील करूंगा कि इस कानून में जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, छूट देकर करे।

इसी तरह से एक घटना और है, सीकर जिले के ही छोटीपुरा गांव का दल्लाराम पुत्र चेताराम जो 1971 में लद्दाख में दुश्मन की सेना से लोहा लेते हुए अयोग्य हो गया, सेना के डाक्टर ने यह घोषित कर दिया कि यह विकलांग हो गया, यह असहाय हो गया, सेना के काबिल नहीं है; 10.6.2008 को विकलांग सैनिकों के आश्रित को नौकरी देने का आदेश भी जारी हो गया, यह सही है लेकिन इसकी भी पत्रावली कार्मिक विभाग में है या माननीय सैनिक कल्याण मंत्रीजी के विभाग में पत्रावली जमा है।

मैं सीकर जिले के उन तमाम सैनिकों के लिये यह कहना चाहूंगा कि वे सैनिक देश की सीमाओं के लिये भी लड़ते हैं, देश में यदि भारत के अन्दर भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सेना को पुकारते हैं, बाढ़ आती है तो सेना को पुकारते हैं, बोरवेल में हमारा कोई बेटा गिर जाये तो सेना काम में आती है और यही नहीं, सभापति महोदय, सब कुछ कुर्बान करके देश की जनता की सेवा करने का काम करते हैं। इसलिये मैं अपील करना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस सवाल पर अपने विचार रखते हुए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इन दोनों को नौकरी और 50 बीघा भूमि देने के लिये कहें तो मैं समझूंगा कि सैनिकों के लिये, सैनिकों के परिवारों के लिये राजस्थान की सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: Would you like to react to it?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सीकर के कांस्टेबल हरिसिंह के मामले का यहां उल्लेख किया। यह बी एस एफ का जवान था। शहीदों को जो भी सुविधाएं, अनुकम्पा नियुक्ति देने का या उनको जमीन देने का जो फैसला 1999 में राज्य सरकार ने किया, उस समय सिर्फ कारगिल में जो शहीद हुए उनके लिये किया गया। फिर उसके बाद में जून, 2008 में 1.1.1971 से 31.3.1994 तक जो शहीद हुए उनको भी यह लाभ देने का निर्णय लिया परन्तु इसमें मिलिटरी फोर्सेज के लिए ही है। यह जो जवान शहीद हुआ है यह बी एस एफ का जवान है, पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के लिए निर्णय नहीं हुआ है। यह बाद में, मेरे मंत्री बनने के बाद पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के लोग भी मुझसे मिले। बाड़मेर के डी आई जी एस एस जोधा मुझसे मिले, उन्होंने भी बी एस एफ की अपनी पीड़ा मुझे बतायी। उसके बाद प्रयास करके यह 19.11.2009 को हमने इन बी एस एफ पैरा-मिलिटरी फोर्सेज को भी, शहीद को जो सुविधाएं मिल रही हैं वह सुविधाएं उनको देने का फैसला कर लिया है। परन्तु यह मामला पहले का है। 19.11.2009 के बाद में पैरा-मिलिटरी फोर्सेज का कोई भी सैनिक शहीद होगा उसको वही लाभ मिलेगा, जो मिलिटरी फोर्सेज के शहीद को मिलेगा परन्तु यह मामला पहले का है। इसलिए पहले जो शहीद हुए हैं, 19.11.2009 को जो हमने निर्णय किया है, वह इस पर लागू नहीं हो पा रहा है। इस वजह से यह मामला अटका हुआ है। फिर भी अगर इसमें कुछ हो सकता हो तो मैं कोशिश करूंगा। 19.11.2009 के पहले के जो पुराने मामले हैं पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के, बाकी वालों के जैसे 01.01.1971 के बाद जो शहीद हुए हैं उनको देने का सरकार ने फैसला किया है, मेरे पास उससे पहले के लोग आते हैं। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय भी शहीद हुए। स्वर्ण मन्दिर में भी लोग शहीद हुए, आपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जैसा अपन ने कारगिल वालों को किया था, फिर 1971 तक पीछे ले गये, फिर मिलिटरी फोर्सेज को लिया। ये कुछ ऐसे केसेज हैं, इनको राज्य सरकार कर सकती है। इनको कोई रोकता नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपने कहा, यह बात बिलकुल सही है। परसों ही मुझे एक शहीद का आश्रित मिला, उसने कहा। पहली बार 1999 में शहीदों के लिए किया। उसके पहले कभी नहीं किया गया, उससे पहले शहीद को कुछ नहीं था। शहीद जो हो गये, हो गये। तो अभी मेरे पास एक आया 1971 के पहले का शहीद परिवार, उसका आश्रित, उसने कहा कि 1971

(श्री हेमाराम चौधरी)

के पहले का मामला है। मैंने कहा कि यह इसमें कवर नहीं हो रहा है, कैसे दूं, किस तरीके से आपकी मदद करूं। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत कम मामले होंगे क्योंकि इसलिए नहीं किया कि 1971 के बाद यह जो फैसला हुआ, 1971 से पहले इसलिए शामिल नहीं किया, जैसा कि उसने मुझे बताया कि 1962 और 1965 वाले के आश्रित 45 साल के हो गये होंगे और 45 साल वालों को नियुक्ति की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी और 45 साल से कम की उम्र वाले शायद होंगे नहीं। मैंने कहा कि मैं इस पूरे मामले का परीक्षण करवा लेता हूं और सभी जिला मुख्यालयों से रिपोर्ट मंगवा लूंगा। ऐसे कितने प्रकरण हो सकते हैं। अगर कम प्रकरण होंगे तो अलग से कुछ विचार करने की कोशिश करूंगा। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है क्योंकि शहीद देश की रक्षा के लिए होता है, उसको कुछ मिलना चाहिए।

श्री पेमाराम (धोद): विकलांग हो गया, साहब, पूरा वाला।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मोहन लालजी गुप्ता स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था पर आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां सफाई व्यवस्था माकूल नहीं है और इस पर जो मैंने लिखा है, जबाव प्रस्तुत करें ताकि मैं अपना वक्तव्य दे सकूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका जो शर्ट है, यह भी आज आकर्षण का केन्द्र हो रहा है। चर्चा चल रही है इसकी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह मेरा दुर्भाग्य है कि आप मेरे शर्ट की तारीफ कर रहे हैं, कोई और करे तो बात समझ में आवे।

सभापति महोदय, जिस तरीके का यह इस जयपुर शहर का नियोजन है और जिस नियोजन को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर बसाया गया था, निश्चित तौर पर बसाने वालों ने कुछ और सोचा था कि जयपुर शहर का क्या आलम रहना चाहिए लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की कि सफाई की व्यवस्था यहां पर माकूल नहीं है, मैं काफी हद तक माननीय सदस्य से सहमत हूं। समस्या यह है कि इस सफाई का मोटे तौर पर यह कर्तव्य

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
नगर निगम का हुआ करता है। अगर किसी नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका का प्राथमिक कर्तव्य है तो वह सफाई का है। अब इसके लिए मैं अगर यह कहूं कि 15 साल तक आपका नगर निगम पर कब्जा रहा और अब हमारा है तो कोई बात बनने वाली है नहीं। मैं खुद इस विचार का हूं कि उन बातों को लेकर अपन बैठे रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अपन सदन में जितने माननीय सदस्य हैं, मोटे तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कोई समस्या देखते हैं, अगर इस प्रकार की विकट समस्या है जो वर्षो से लगातार चली आ रही है और जिस वजह से जयपुर की काफी कुछ जो ख्याति है, उस ख्याति में काफी कुछ कमी होती जा रही है तो निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे को सुझाव देने पड़ेंगे और सुझाव देकर उनको क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आज तो आप अच्छी बात कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या? जब से आपने दल बदला है तब से आपकी आवाज समझ में नहीं आती।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि बड़े सुन्दर शब्दों में, बड़े अच्छे मूड में बात को स्वीकार किया और जिम्मेदारी महसूस की।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए कि मैं अगर यह कहूं, चूंकि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य यहां के मेयर रह चुके हैं और जब ये मेयर थे, मैं उस वक्त फार्चुनेटली यू डी एच मिनिस्टर भी था, लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट भी मेरे पास था। मेरे इनसे काफी अच्छे ताल्लुक थे। ये वक्त-वक्त पर समस्याओं को लेकर मेरे पास आया करते थे। मेरा ख्याल है कि जितना मैंने इनको कॉपरेट किया, शायद और किसी ने किया भी नहीं होगा और अभी भी कर रहा हूं।

तो जो व्यवस्थाएं उस वक्त थीं उनके अन्दर कुछ न कुछ बढ़ोतरी तो हुई है, काम आगे बढ़ा है। फिर भी आपने जो शंका जाहिर की है कि यहां समुचित व्यवस्था नहीं, व्यवस्था माकूल नहीं है सफाई की जैसी कि जयपुर जैसे शहर में होनी चाहिए थी, मैं उससे एग्री करता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं, देखिए, कई बातें हैं। जब आप महापौर थे तो भी धरने प्रदर्शन हुआ करते

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

थे और धरने प्रदर्शन ही नहीं, फौजदारियां तक हुआ करती थीं। अब भी होती हैं, लगातार होती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, मंजीत सिंहजी सी ई ओ थे और एक कर्मचारी की मौत हो गयी। तो यूनियन ने उसकी लाश को मंजीत सिंह की टेबल पर रख दिया। यहां तक हुआ। सफाई मजदूरों की यूनियन अलग बनी हुई है, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की यूनियन अलग बनी हुई है, इंजीनियर्स की यूनियन अलग बनी हुई है। इतना वहां पर यूनियन के कारण और यूनियन के कारण ही नहीं बल्कि और भी कई कारणों से इतनी घोर अव्यवस्था है कि अगर कोई व्यवस्था सुधारना भी चाहे तो इतना यह कुछ आसान काम नहीं है।

सफाई के बाबत् जो कुछ भी सम्भव हो सकता है वह करने की कोशिश की गयी है। निश्चित तौर पर देखिये, आप आये, आपके बाद परनामी जी साहब आये, परनामीजी साहब के पहले दो मैडम थीं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एक तो श्रीमती वर्मा थीं और एक शील धाभाईजी थीं, प्रयास उन्होंने भी किये। निश्चित तौर पर प्रयास उन्होंने भी किये, कुछ न कुछ सफाई के मामले में अपनी जिम्मेदारी निभायी लेकिन किसी न किसी कारणवश यह सब कुछ होता रहा।

सरकार की तरफ से जितना सहयोग आपको मिल सकता था, मिलने की कोशिश की। हमने कभी इस बात पर यह नहीं देखा कि नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है या कांग्रेस का कब्जा है। जो कुछ आपका हक था, राजस्थान की सरकार ने उस वक्त भी दिया जब कि अशोक गहलोत साहब की सरकार थी। पिछले पांच साल की सरकार के द्वारा आपको कितनी-कितनी एड दी गयी या आपको कितना सहयोग दिया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज भी देख लीजिएगा, किसी वक्त आपके टाइम पर 6 जोन हुआ करते थे, आज हमने 8 जोन बनाने की कोशिश की है, पहले 70 वार्ड थे, 77 वार्ड हो गये। 77 वार्ड के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ायी गयी, मुख्य निरीक्षक जो थे उनकी संख्या भी बढ़ायी गयी, 51 स्वास्थ्य निरीक्षक जो आज कार्यरत हैं उनसे भी काम लेने की कोशिश की गयी। इसी तरीके से 5,644 सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त भी 888 कांट्रेक्ट पर लेने की भी कोशिश की गयी। तो इस प्रकार 1992 से जो व्यवस्था चल रही थी उसमें वक्त-वक्त पर, वक्त-वक्त पर तब्दीली करके और इस सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयत्न किया गया है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

स्पेशल गैंग भी, वक्त-वक्त पर स्पेशल गैंग भी लगायी गयी लेकिन फिर भी मैं यह समझ करके चलता हूं कि जिस प्रकार से जयपुर की सफाई होनी चाहिए थी और जयपुर में जिस प्रकार ट्यूरिस्ट आता है, जो पर्यटन केन्द्र के हिसाब से यहां पर जितना रश आता है वह अगर कुछ नम्बर एक पर किसी बात की कोई आलोचना करके अगर इस शहर की जाता है तो वह सफाई की करके जाता है। इसमें कोई दोराय नहीं, इस बात से एग्री करता हूं।

अब मुझे तो आपके सुझाव चाहिए, आप खुद एक्सपीरियंस रहे, परनामी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, पांच साल तक इन्होंने भी काफी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है और आपने भी गेन किया है, आप बताएं मुझे कि सरकार को, हमें इस जयपुर को सुधारने के लिए, जयपुर शहर की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप बताएं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी, आप 50 साल में परनामीजी और यह सफाई नहीं करा सके तो हेरिटेज सिटी बनाकर कैसे काम चलेगा? हेरिटेज सिटी बना पायेंगे क्या? यह सफाई नहीं करा सकते। जब यह कह रहे हैं कि मैं महापौर रहा, परनामीजी महापौर रहे, यह जब अपने शहर की सफाई नहीं करा पाये तो यहां विधान सभा में बैठ कर क्या करा सकते हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): श्रवणजी, आप विराजो, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो लोग अपने पद पर रह कर उस गरिमा को पूरा नहीं कर पाये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप विराजो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप विराजो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप काहे को बोलते हो बीच-बीच में? आप इतने समझदार आदमी हो, आप इतने समझदार एम.एल.ए. हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फरमाएं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में और मेरी राजनीति के शुरुआत जयपुर शहर के महापौर बनने से हुई है, मैं प्रथम महापौर रहा हूं।

श्री सभापति: Give your last two suggestions.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सर, मैं बोलना चाहता हूं अगर आप मुझे आज्ञा दें। इन्होंने सुझाव मांगे हैं, मैं सुझाव दूंगा और आप भी जयपुर शहर में रहते हैं।

श्री सभापति: हां, मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप भी जयपुर शहर में रहते हैं, माननीय सभापति महोदय, आपको भी यह जानकारी होगी कि अगर सफाई हो जायेगी आज के इस ध्यानाकर्षण से और यह कुछ स्ट्रिक्ट आदेश दे देते हैं तो शायद अच्छा काम हो जायेगा। And you will be feeling proud for the Jaipur city. सर, महापौर के नाते मैंने काम भी किया और मेरा यह कमिटमेंट है। जब भी मैं कहीं शहर में जाता हूं, बाहर जाता हूं, विदेशों में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां बाहर अच्छी सफाई है और जयपुर शहर में जब भी कहीं मैं जाता हूं और जहां कभी कहीं गंदगी दिखती है मेरे को, कहीं कचरा दिखता है तो मेरा खून खौल उठता है। कमिटमेंट है। मुझे लगता है कि कुछ अधूरा काम जो मैं नहीं कर पाया, जो कर सकता था अब निश्चित रूप से करूं और आपका सहयोग भी करूं। उसमें सरकार का सहयोग भी करना चाहता हूं क्योंकि यह सब काम हमारा सबका काम मिल कर है, यह एबव पार्टी लाइन है। मैं चाहता हूं कि आप अभी फ्रीमोंट गये थे...(व्यवधान)...ओमजी, प्लीज, फ्लो बेकार हो जाता है, प्लीज। (व्यवधान)

मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं। आप अभी फ्रीमोंट गये थे, जयपुर की सिस्टर सिटी है, वहां आपका भी स्वागत हुआ था, वहां भी आपको लोगों ने कहा था, वहां के लोगों ने आपको यह कहा था कि जयपुर शहर में दो ही समस्याएं हैं, साहब, हम वहां जाते हैं गंदगी ही गंदगी दिखती है। उन्होंने मुझे भी कहा था कि आपके मंत्रीजी आये थे, मैंने भी आपको दूरभाष पर बताया था कि आपका बड़ा वक्तव्य छपा है वहां, फ्रीमोंट में, यू.एस.ए. गये थे आप।

दूसरा, यहां भिखारी बहुत हैं, ट्यूरिस्ट क्या इम्प्रैशन लेकर जाता है? हेरिटेज वाक आपने तय कर रखा है। इस विश्व के पूरे ट्यूरिस्ट को आप यहां बुलाते हैं और हेरिटेज वॉक के अन्दर घूमने के लिए कहते हैं। आप सुबह हेरिटेज वाक कीजिए। (व्यवधान) प्लीज, श्रवणजी, मैं बैठ जाऊं, आप बोल लो फिर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं यह भिखारी ...(व्यवधान) फिर सफाई हो जायेगी।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, किसी प्रकार का व्यवधान आसन बरदाश्त नहीं करेगा। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो आसन की इजाजत के बगैर बोले वह बिलकुल अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): थैंक यू।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हेरिटेज वाक में गंदगी है, सूअर हैं, आवारा पशु हैं। शर्म से नाक नीची हो जाती है, आंखें भी नीचे हो जाती हैं।

आमेर में जाते हैं वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं है। आमेर में सारे ट्यूरिस्ट जाते हैं, आमेर रोड पर सारे ट्यूरिस्ट जाते हैं, वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं है। जयपुर शहर की कई कालोनियां आजकल नयी बस गयीं, वहां पर नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं हैं। जयपुर शहर में जब भी कहीं आप जाइये तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कचरा कंटेनर डिपो में नहीं जाता है। (व्यवधान)

माननीय सदस्या, मैं कॉपरेट करने के लिए कह रहा हूं और मैं मानता हूं कि यह सफाई व्यवस्था नहीं है, उसको ठीक करने के लिए कह रहा हूं, उसमें कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया।

कंटेनर्स, खुले में कचरा जा रहा है। आपकी गाड़ी भी कभी-कभी जाती होगी तो आपको भी लगता होगा कि कचरा बाहर आ रहा है, कचरा डिपो से लदा, मांस खुले में जा रहा है। आखिर ये ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से हमारा यह वर्ल्ड क्लास सिटी जिसको आप बनाने जा रहे हैं, जिसकी प्राइमरी आवश्यकता है वर्ल्ड क्लास सिटी की कि अगर सफाई नहीं हो तो वर्ल्ड क्लास सिटी कहलाने लायक नहीं है।

यह जयपुर ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गोल्डन ट्रायंगल है जयपुर, आगरा और दिल्ली। वर्ल्ड का कोई भी ट्यूरिस्ट आयेगा तो निश्चित रूप से जयपुर, आगरा और दिल्ली में जायेगा। यह गोल्डन ट्रायंगल है।

यहां की सफाई व्यवस्था को देखकर भी मैं बहुत दुखी हूं, श्रीमान, और मैं यह चाहता हूं कि आप अपने प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से एक अच्छा सी.ई.ओ. यहां लगाएं। जयपुर नगर निगम में जो भी सी.ई.ओ. लगे हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, कितनी बार सफाई व्यवस्था का दौरा करते

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हैं? सिर्फ दस से पांच टेबल पर बैठकर के जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था सी.ई.ओ. के माध्यम से नहीं चलायी जा सकती। दस से पांच आफिस में बैठकर के, कमिशनर बैठ जाए और उसके माध्यम से सफाई व्यवस्था हो जायेगी, वह नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव आज्ञा प्रदान करें कि जो भी सी.ई.ओ. होगा, सुबह से पहले छह बजे घर से निकलेगा और सफाई व्यवस्था की चैकिंग करेगा, दिन में भी चैकिंग करेगा। कमिशनर्स निश्चित रूप से डेली चैकिंग करेंगे, क्लोज्ड कंटेनर्स जायेंगे और उनकी डेली सख्ती से मानीटरिंग होगी। वह ही मंजीत सिंह जी की बात कर रहा हूं। ऐसे आफिसर को लगाइये जो सख्ती कर सके और उन पर सख्ती करके पाबंदी से इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कचरा कहीं भी दिख जाए तो उस पर पेनल्टी लगाइये। सफाई कर्मचारियों पर पाबंदी करें और उनके माध्यम से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को माकूल बनाएं। थ्री-टीयर सिस्टम है सफाई का, उस थ्री-टीयर सिस्टम को आप सिंगल-टीयर में लाइये, सिंगल-टीयर में लाने से बहुत सारी बातें पूरी हो जाएंगी। सफाई कर्मचारी जो पुराने तरीके से सफाई करते हैं, उनको आधुनिक तरीके के उपकरण दीजिए। मैं बाहर गया था, मुझे अच्छी तरह मालूम है, हमारी सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं वह झाड़ू नीचे इस प्रकार से पीठ को मोड़ कर के सफाई करती हैं, बीमारी होने की संभावना है। ऊंची झाड़ू लगा सकते हैं, डंडे वाली झाड़ू जिससे उनकी पीठ भी ठीक हो जाएगी और ढंग से काम भी कर सकेंगी। उनके मास्क लगने चाहिए सफाई कर्मचारियों के, उनकी ड्रेसेज होनी चाहिए।

आखिर वर्ल्ड क्लास सिटी हम बनाने जा रहे हैं, 365 दिन सफाई होनी चाहिए। सौ दिन तो सफाई कर्मचारियों की छुट्टी रहती है। संडे को और अन्य अवकाश के दिन तो आप यह देखिए, आपके घर में अगर 365 दिन सफाई नहीं हो तो क्या हालत हो? डेली सफाई होती है आपके घर में, शहर की सफाई भी रोजाना होनी चाहिए। सौ दिन छुट्टी मिलती है रेल कर्मचारियों को, रेल 365 दिन चलती है, बसें 365 दिन चलती हैं, अन्य आवश्यक सेवाएं पानी भी 365 दिन आता है तो सफाई भी निश्चित रूप से 365 दिन होनी चाहिए। उसमें जो आलरैडी छुट्टी की व्यवस्था है वह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं लेकिन 365 दिन सफाई हो।

हाई स्पीड व्हीकल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, लैण्डफिल साइट हो। डोर-टू-डोर कलेक्शन योजना हमने चालू की थी। माननीय सभापति महोदय, घर-घर

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

जाकर कचरा उठाने की व्यवस्था भारतवर्ष में पहली बार जयपुर शहर में मैंने अपने कार्यकाल में चालू की थी और वह व्यक्ति सी डी सी के माध्यम से अन्य शहरों में काम कर रहे हैं। सूरत में, नागपुर में, छत्तीसगढ़ में, चेन्नई में, अन्य जगहों पर और लोग काम कर रहे हैं लेकिन जयपुर शहर में उनका स्थान नहीं है। मुझे यह नहीं लगता है कि कोई आप उसी को ही दीजिए लेकिन घर-घर से कचरा उठाने वाली व्यवस्था को विभिन्न लोगों के माध्यम से, विभिन्न मोहल्ला समितियों के माध्यम से आप इसको बाध्य कर सकते हैं कि विभिन्न मोहल्ला समिति अपने यहां एम्पलाय रखें और घर-घर से कचरा उठाएं। थैलियों की पाबन्दी हो सकती है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सफाई का काम केवल एक मात्र म्युनिसिपेलिटी का नहीं है, शहर की जनता को भी अनुशासित होना पड़ेगा। उसके लिए सफाई करने के बाद में यदि कोई कचरा डालता है, अपनी दुकान का कचरा, मकान का कचरा बाहर डालता है, तो उस पर आप पेनल्टी लगाइये। उस दुकानदार पर भी पेनल्टी लगाइये और उसमें हम आपका सहयोग करेंगे क्योंकि यह सफाई की व्यवस्था केवल सरकार का काम नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस जयपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक कीजिए। आर यू आई डी पी के माध्यम से आपने शहर के अन्दर गलियों को पक्का करवा दिया, म्युनिसिपल कारपोरेशन ने पक्का करवा दिया और उसके बाद वह सिस्टम ऐसा फेल हुआ है। कुछ स्थानों पर तो आप जाकर देखिए, वे रो रहे हैं। हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो गया और वह पानी ड्रेनेज सिस्टम का, जो गलियां पक्की की हैं, नाले पक्के किये हैं जिनके माध्यम से सीवर लाइन में पानी जाता है वह वापस रसोई घरों में आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है वापस! इतना बड़ा अनर्थ! इतना बड़ा करोड़ों रुपये का काम जयपुर में हो जाए और उसके बाद में यह सारा सिस्टम फेल हो जाए, यह हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी की योग्यता और सक्षमता पर एक प्रश्नचिन्ह है। आप चल कर देखिए, कितने लोग परेशान हैं जयपुर शहर में उस सीवर लाइन के सिस्टम में ।

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी शहर में आवारा पशु हैं उनको पकड़ने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे इस जयपुर शहर को क्या हो गया? It is a city of cows, dogs, monkeys and donkeys. यह कहते हैं, क्या हो गया यह? (व्यवधान) मैं

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

बहुत सीरियस बात कर रहा हूं और माननीय मंत्री महोदय, यह अबव पार्टी लाइन बात है। आप चलिए शहर में, किस प्रकार से अव्यवस्थाएं हैं। अव्यवस्थाओं का आलम तो यह है कि हमारी जो माननीय महापोर महोदया हैं, उनके घर के बाहर, उनकी गली में, उनके रास्ते में भी सफाई नहीं हो पाती है, उनके यहां भी कचरा सही ढंग से नहीं उठ पा रहा है। उनके यहां भी आवारा पशु हो रहे हैं। वे खुद भी दुःखी हैं। हम भी दुःखी हैं, पार्षद भी दुःखी हैं। (व्यवधान) मैं तो रोजाना जाता रहता हूं, मेरा काम है शहर में .....

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे जयपुर शहर में बहुत सारे मन्दिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बहुत सारी सार्वजनिक यात्राएं जाती हैं, बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं, उन सार्वजनिक यात्राओं के, ट्रेड फेयर्स के माध्यम से जिस प्रकार से गन्दगी हो जाती है। शादी ब्याह के स्थान हैं, वहां पैसे तो लेते हैं, सफाई शुल्क लेते हैं लेकिन उसकी सफाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आप एक कानून बनाएं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स भी हैं म्युनिसिपेलिटी सोलिड वेस्ट नियम 2000, उसको आपको लागू करना है। वे रूल्स बने हुए हैं, उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन्स को आप लागू कर दीजिए। शहर में कचरा ढककर रहना चाहिए, ओपन कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा यदि होगा चाहे वह दुकानों का हो, चाहे मकान का हो, थैलियों में होगा। समय पर कचरा डालेंगे, समय पर म्युनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारी उठायेंगे और समय पर फील्ड उसको ढक कर लेकर जायेंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स हैं उसके हिसाब से कराने का आप आश्वासन दें तब ही जयपुर शहर में अच्छी सफाई हो सकती है। धन्यवाद, जय भारत।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट मेरा है।

श्री सभापति: Let us conclude this. उसके बाद में।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मैं स्पेसिफिक पूछूंगा। मैं एक तो यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की संख्या...

श्री सभापति: आप एक दफा विराजें। सफाई पर अगर सजेशन हों......

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मंत्रीजी ने मेरा नाम लिया था।

श्री सभापति: I will allow you but only suggestions. No documentary.

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): Only suggestions.

श्री सभापति: No documentary.

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सफाई कर्मचारियों की संख्या में कितने सालों से भर्ती नहीं हुई है? अभी आपने बताया कि 5,644 सफाई कर्मचारी जयपुर शहर में कार्यरत हैं। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार जयपुर शहर की जनसंख्या को देखते हुए और जिस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ा है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की भर्ती कब तक करेंगे?

दूसरा, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हर साल जब बरसात का समय होता है तो हम नालों की सफाई करवाते हैं; यहां जयपुर में कई नाले हैं बड़े-बड़े, उनकी सफाई हम करवाते हैं और वह जब बरसात प्रारम्भ होती है तब हम सफाई चालू करवाते हैं, कचरा बाहर डालते हैं। वह उठता नहीं, उसके पहले वह वापस अन्दर चला जाता है बरसात आते ही। तो मेरा यह सुझाव है कि यदि बरसात के दो या तीन महीने पहले यिद नालों की सफाई का काम चालू हो तो निश्चित रूप से यह फायदेमंद रहेगा।

तीसरा, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में अभी वार्डों का पुनर्सीमांकन हुआ है। पहले सत्तर वार्ड थे अब सत्तत्तर वार्ड हो गये, पापुलेशन के हिसाब से वार्डों का पुनर्सीमांकन हो गया। पर इन वार्डों में जैसे पहले वार्ड 18 था उसमें पन्द्रह हजार की पापुलेशन थी; उसमें वार्ड नम्बर 16 का कुछ हिस्सा मिल गया, अब पापुलेशन हो गयी, मान लीजिए, पन्द्रह हजार की जगह बीस हजार और वार्ड सोलह की पापुलेशन पहले बीस हजार थी, उसकी जगह रह गयी पन्द्रह हजार। तो अब यह क्या हुआ है कि जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वह जो वार्ड सोलह का हिस्सा 18 में मिला, वहां एडिशनल सफाई कर्मचारी नहीं लगे और सोलह में पूरे रह गये। तो मेरा कहना यह है कि सभी वार्डों में पापुलेशन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों का प्रोपर डिस्ट्रीब्युशन हो एरिया के हिसाब से, पापुलेशन के हिसाब से, तो सफाई माकूल हो सकेगी।

(श्री कालीचरण सराफ)

चौथी जो सबसे बड़ी बात है जयपुर शहर में कि आज जितने भी बड़े शहर हैं चाहे वह कलकत्ता हो, चाहे मुम्बई हो, दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, वहां सब जगह सफाई कर्मचारी रात में सफाई करते हैं। यहां रात में सफाई नहीं होती। यहां एक तो सुबह 7.00 बजे सफाई होती है, दूसरा दोपहर में 2.00 बजे सफाई होती है। तो मेरा सुझाव है कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन से बात करके यदि उनको कोई एडिशनल पैसा भी देना पड़े तो देना चाहिये और यदि रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था जयपुर शहर में हो जाए तो जैसे ही सुबह पहले उठे तो पूरा जयपुर शहर साफ नजर आयेगा।

ये 4-5 सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रीजी इस मामले में गौर करेंगे।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि चार महीने नगर निगम के चुनाव हुए हो गये, अभी तक जो कमेटीज बननी चाहिये, जिनके माध्यम से जयपुर शहर में काम होता था, क्योंकि बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और महापौर आपके कांग्रेस का है इसलिये उन कमेटीज का गठन नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग यह सोचते हैं कि यदि कमेटी का गठन हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चेयरमेन बन जायेंगे। वह तो आज कराओ या कल कराओ, यह तो बनना है। तो मेरा यह सुझाव है कि नगर निगम का काम सुचारू रूप से चले और जयपुर शहर में मुकम्मल सफाई व्यवस्था हो इसके लिये कमेटीज का गठन जल्दी से जल्दी अगले 10-15 दिनों में निश्चित रूप से करना चाहिये। यह मेरे 4-5 सुझाव हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सफाई एक सतत् प्रक्रिया है। यदि आपने तीन दिन सफाई कर दी, अच्छी सफाई कर दी और एक दिन यदि आपने उसमें ब्रेक कर दिया तो वापस गन्दगी हो जायेगी। हम अपने घर को ही देख लें। घर पर हमारे कर्मचारी काम करते हैं परन्तु यदि घर की गृहिणी उस कर्मचारी के द्वारा किये गये काम की मानिटरिंग नहीं करती तो वह भी सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती। नगर निगम में मानिटरिंग का काम सैनिटरी इंस्पेक्टर करता है; कमिश्नर भी करता है, सी ई ओ भी करता है, जन-प्रतिनिधि भी करते हैं परन्तु मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी होती है वह सैनिटरी इंस्पेक्टर की होती है परन्तु मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि

(श्री अशोक परनामी)

पिछले 10 वर्षों से एक भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती हमारी राजस्थान सरकार में नहीं हुई चाहे वह जयपुर नगर निगम हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे कोटा का, चाहे पूरे राजस्थान प्रदेश को आप ले लो।

यह भी बताते हुए मुझे दुख है कि यहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग हम जयपुर में देते हैं। जयपुर में सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पाये हुए इंस्पेक्टर राजस्थान में नौकरी नहीं पा पाते और राजस्थान से बाहर प्रदेशों में उनको नौकरी मिलती है। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैन्टिरी इंस्पेक्टर की भर्ती हम राजस्थान प्रदेश में करें जिससे कि सफाई व्यवस्था का माकूल बंदोबस्त कर सकें।

जब मैं 4 वर्ष तक महापौर रहा तो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया था। लांगरियावास में हमने एक प्लांट लगाया था। जो पूरा गारबेज इकट्ठा होता है पूरे जयपुर शहर का हम उसको पहले कहीं खड्डे में डाला करते थे, अब उस गारबेज से हम एनर्जी फ्यूल बनाते हैं। परन्तु वह केवल 500 मैट्रिक टन का था जबकि जयपुर शहर में गारबेज करीबन 1500 मैट्रिक टन, 1200 मैट्रिक टन इकट्ठा होता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं जिससे जो कचरा जयपुर शहर में इकट्ठा हो रहा है उसका एनर्जी फ्यूल बना सकें, उसको वेस्ट नहीं कर सकें।

इसके साथ जो हमारा सीवरेज का पानी है उसको भी हमने रिसाइकल करने का यहां धेलावास में प्लांट लगाया। वह हमने करीबन 132 एम एल डी का लगाया है। अभी उसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे पूरे जयपुर शहर का सीवरेज का पानी रिसाइकल होगा और एग्रीकल्चर के काम में भी हम ले सकेंगे।

जिस प्रकार घर की गृहिणी यदि अपने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं रखती तो घर की सफाई नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, मंत्री महोदय, एक नम्र निवेदन भी करना चाहूंगा, यदि तीन महीने में एक बार आपने जयपुर शहर का दौरा कर लिया तो निश्चित रूप से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था भी हो जायेगी, चाकबंद भी हो जायेगा..

श्री सभापति: Thank you very much. मंत्री महोदय।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय..

श्री सभापति: Any other suggestions?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी उस दिन वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर पर चर्चा हो रही थी तो उसमें माननीय मंत्री महोदय ने एक बात उठायी थी कि हमारे कार्यकाल के दौरान 430 रुपये टन में कचरा उठाया गया जिसमें आपको कुछ भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही थी। तो मैं आज इस सदन के सामने आपको बताना चाहता हूं कि अब महापौर आपका है, सरकार आपकी है, कचरा भी उठाने का आप कांट्रेक्ट देंगे। कृपया सदन में इतना अवश्य बता दें कि इस बार जो टेंडर हो उसमें क्या रेट आती है पर टन कचरा उठाने की। यह मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय गुप्ता साहब ने जो बात कही है, मोटे तौर पर जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, सब स्वागत योग्य हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर इन पर काम किया जाए तो निश्चित तौर पर यहां की सफाई में काफी कुछ परिवर्तन भी आयेगा और सफाई का माहौल भी बनेगा। 3-4 बातें आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब ने कहीं।

यह बात सही है कि वार्डों के परिसीमन के बाद सफाई कर्मचारियों का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये वह नहीं हो पाया। यह निश्चित तौर पर होना चाहिये क्योंकि जब वार्ड का डी-लिमिटेशन हुआ तो डी-लिमिटेशन में किसी वार्ड की पापूलेशन कुछ ज्यादा हो गयी, किसी की कुछ कम हो गयी। जिसमें कम थी उसमें अगर बीट मान लीजिये 20 थीं तो वह तो 20 ही रह गयीं लेकिन जिसमें ज्यादा पापूलेशन हो गयी उसमें अगर मान लीजिये बीट 22 थीं तो वह 22 की 22 ही रह गयीं। उसमें से कुछ न कुछ परिवर्तन हो करके और उस बीट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये था। मैं उससे एग्री करता हूं।

दूसरी बात आपने यह कही कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। भर्ती का मामला ऐसा है कि भर्ती के लिये तो अब 1998 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने यह आदेश निकाला था कि भर्ती करिये। इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी भर्ती जितनी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए थी उतनी संख्या उन्होंने नहीं दी थी लेकिन नगरपालिका ने, नगर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

परिषद् ने और नगर निगम ने भर्तियां नहीं कीं। न करने का कारण भी आप जानते हैं क्योंकि संख्या तो कम थी, एप्लीकेंट ज्यादा थे। उन्होंने कहा, कम की भर्ती करेंगे तो बाकी के लोगों को नाराजगी होगी। फिर दूसरी एक और बात उसमें हो गयी। मोटे तौर पर भर्ती न होने का मुख्य कारण यह रहा कि इसमें हर आदमी एप्लाई कर सकता था। ब्राह्मण भी कर सकता था, बनिया भी कर सकता था, जाट भी कर सकता था, राजपूत भी कर सकता था, वह भी कर सकता था। तो लोगों के दिमाग में यह बात पैदा हुई कि जो लोग, जो परिवार परम्परागत तरीके से सफाई करते जा रहे हैं उनको चांसेज उसमें नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग भर्ती हो जायेंगे जो कि नौकरी तो पा लेंगे लेकिन सफाई का काम नहीं करेंगे। तो वह कंफ्यूजन भी 5 साल तक आपकी गवर्नमेंट के टाइम पर भी रहा और हमारे वक्त में भी रहा। लेकिन अब उसमें सरकार कुछ न कुछ विचार कर रही है और विचार करके उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इन भर्तियों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जायेगा।

तीसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि नाले की सफाई है, नाले की सफाई कब होती है, जब बारिश आने वाली होती है और यह बात भी सही है कि जब नाले की सफाई होगी तो सफाई करने वाला जो है वह नाले के ऊपर बाहर कचरा डाल देगा। फिर बारिश आयेगी और वह कचरा वापस उसमें चला जायेगा। मैं निश्चित रूप से यहां से डायरेक्शन दिलवाऊंगा सारी नगरपालिकाओं को और सारी नगर परिषदों को और यू एल बी को कि कम से कम भी तीन महीने पहले, बारिश से दो-तीन महीने पहले-पहले सफाई हो और यह सुनिश्चित कराया जाये कि नाले से जो कचरा निकालकर के बाहर गया है उसकी सफाई हो जाये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उसकी पहले वीडियोग्राफी भी करायें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सफाई के पहले वीडियोग्राफी और बाद में वीडियोग्राफी करा दें। आप तो जानते हो कि वह फर्जी बिल उठा लेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने वैसे भी अभी सड़क का मामला उठाया है। इन्होंने सड़क का जो मामला उठाया था, ये तो बहुत टेक्नीकल आदमी हैं, इनसे तो अलग ही बात करनी पड़ेगी। आपके सुझाव बड़े अमूल्य हैं इसलिए अलग से बात करनी पड़ेगी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एक रात्रिकालीन वाली बात भी आपने कही, वह सम्भव हो सकेगा तो निश्चित रूप से करेंगे। कई शहरों में होती है रात्रि को।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बड़े शहरों में यही होता है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यहां भी होता है, जयपुर में भी होता है, मुख्य बाजारों में होता है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जरूर।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): लेकिन थोड़े दिनों से बंद हो गया। इसको वापस चालू कीजिये। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 365 दिन सफाई हो शहर में उसका आश्वासन दीजिये। यह 100 दिन तक छुटियों में सफाई नहीं होती है और थ्री-टीयर सिस्टम है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बात आ जाने दें, बाद में बोल लेना।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन पर विश्वास करना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): म्युनिसिपल सालिड वेस्ट नियम 2000 जो सुप्रीम कोर्ट पर ...(व्यवधान) ओम जी, ओम जी।

श्री सभापति: अब आप मंत्रीजी का जवाब तो पूरा सुन लें ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कमेटियों के बारे में भी। मंत्री महोदय, कमेटियों के बारे में भी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, Let the Minister deliberate.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): OK, Sir.

श्री सभापति: मैं मंत्रीजी से एक निवेदन जरूर करूंगा, किशनपोल से आने वाले सदस्य ने मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, so why not concentrate on what he has also said. I think he had done enough justice to the Malviya Nagar.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 365 दिन की जो बात आपने कही है...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इनका पहले आपस में हो गया होगा। यह जो मैंने प्रश्न उठाया है, 365 दिन सफाई हो, थ्री-टीयर सिस्टम...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आइये, आइये, ठीक है, आयें।

श्री सभापति: आपकी तरफ अब वह वाकई में आकर्षित हो रहे हैं, विराजें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिये, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि गंदी गलियों में पहले सिर्फ एक बार सफाई हुआ करती थी आपके वक्त में और आज सतत रूप से इस बात का प्रबंध किया जायेगा कि गंदी गलियों में बार-बार सफाई हो। अब, देखिये, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बिलकुल बोलें, आप पहले बोल लो फिर मैं बोल दूंगा। सर, मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा।

श्री सभापति: आप विराजें तो सही।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ठीक है, सर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी विराजें। I think so काफी लेंदी हिस्टरी है इस मामले में ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 1994 में कचरे के तौल की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हमने इस व्यवस्था को चेंज किया है कि ट्रांसफर स्टेशन पर कचरागाह जितने भी बने हैं, वहां तौल के हिसाब से उनका पेमेंट किया जायेगा। इससे जिस तरीके का लीकेज हुआ करता था वह लीकेज काफी कुछ कम हुआ है, यह आप स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि यह वार्ड नम्बर 26, 27, 28 में आपने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया को भी दिखवा लेंगे। अगर इस प्रक्रिया के अच्छे रिजल्ट हैं तो इसको दूसरे वार्डों में भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा। थ्री-टीयर सिस्टम के लिए आपने कहा, थ्री-टीयर सिस्टम की प्रशंसा की लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि चारदीवारी के बाहर के क्षेत्र में सफाई के मामले में उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं भी यही चाहता हूं कि थ्री-टीयर सिस्टम की जगह वन-टीयर सिस्टम लागू किया जाये। हम भी यही चाहते हैं,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मेरी भी डिमांड यही है। पूरे शहर में, पूरे राजस्थान में और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठीक है, मैं दिखवा लेता हूं, इसको और दिखवा लेता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन का जो डिसीजन है, बाध्यकारी है। 365 दिन सफाई, थ्री-टीयर सिस्टम से वन-टीयर सिस्टम, समग्र सफाई, यह तीन-चार चीजें जो महत्वपूर्ण हैं और डोर-टू-डोर कलेक्शन, इस पर आप जवाब दे दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह भी बताता हूं, मैं बताता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कालीचरणजी, प्लीज। आप इन चार बातों का जवाब दे दो, जयपुर शहर की सफाई हो जायेगी। डोर-टू-डोर कलेक्शन, वन-टीयर सिस्टम, 365 डेज सफाई और ट्रांसपोर्टेशन क्लोजड हो। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोल तो लेने दो आप। आप बोल लिये सब कुछ, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि थ्री-टीयर सिस्टम आपके टाइम पर लागू किया आपने, चारदीवारी के बाहर के क्षेत्रों में वन-टीयर सिस्टम लागू कर देने से ना केवल सफाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है बल्कि सफाईकर्मियों की आवश्यकताओं में भी कमी आयी है। आप इस बात को देखें। फिर भी अगर इसके गुण-दोष देखने के लिए बिलकुल स्वतंत्र हैं, बिलकुल ओपन हैं, इस तरह का नहीं है कि हम यह फालो करेंगे। यह जो सिस्टम है उसी पर हम चलेंगे; अगर इसका कोई एडवांटेज है तो यह सिस्टम अपनायेंगे, दूसरे में डिस्एडवांटेज होगा तो उस सिस्टम को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, 1994 में शहर में एक कचरा पात्र नहीं था, आज हमने कचरे पात्र रखवाने का प्रबंध किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: Why do you people react? Why can’t you sit down? Let him complete first.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कंप्लीट कर लीजिये, कर लीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक परिवर्तन और किया है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: Again, is something wrong with that seat? Sit down please.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हम पालिटिकल जवाब नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति: Hon'ble Member, please take your seat.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक परिवर्तन और किया है कि 1994 के वक्त में जितना भी कचरे का परिवहन हुआ करता था वह खुले ट्रैक्टरों से हुआ करता था, उसका नतीजा यह रहता था कि जब खुले ट्रैक्टर में कचरा जाता था तो पूरी सड़क पर कचरा बहता हुआ, गिरता हुआ जाया करता था। उस व्यवस्था में आप लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन अभी हमने यह परिवर्तन किया है कि नगर निगम के द्वारा यह कार्य बंद कवर्ड काम्पेक्ट्स के जरिये इन डम्फर के द्वारा किया जाता है। यह तो आपकी बात का जवाब है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि कमेटियां नहीं बनीं, वह सारी इसलिए नहीं कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, इसलिए बहुमत की वजह से कि सारी कमेटियां भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जायेंगी, यह बता दें कि राजस्थान में कहां बनी हैं कमेटियां? जहां पर कांग्रेस का राज है, क्या वहां बन गयी हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो क्यों नहीं बनी हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। सरकार क्या करेगी इसमें? बोर्ड तय करता है कि कौनसी कमेटी कब बनेगी, कब नहीं बनेगी। हमने नहीं तय किया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप निर्देश दीजिये। सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। यह कमेटियां नहीं हैं इसलिए यह सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिये, मेरी बात सुनिये। एक्ट में प्रोविजन सिर्फ यह डाला गया है कि अगर मान लीजिये कि बोर्ड नहीं बनाता है 90 दिन के अन्दर-अन्दर तो सरकार बना देगी। लेकिन यह मतलब नहीं है कि सरकार बनाये ही बनाये। यह ड्यूटी नगर निगम की है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप यह चाहते हैं कि यह कमेटियां नहीं बनें और आप अपने लोगों की कमेटियां बना दें, यह आरोप है मेरा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी और सुन लें। नगर निगम बीकानेर में मौजूद हैं? क्या बन गयीं कमेटियां?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्यों नहीं बनाने दी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात तो सुनिये। नहीं बनी, वह तो बोर्ड वाले जाने। कुल मिलाकर के कोटा में 60 का बोर्ड है उसमें से 44 वार्ड कांग्रेस के हैं। क्या वहां कमेटियां बन गयीं? क्या जोधपुर में कमेटियां बन गयीं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर में तो बन गयीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जोधपुर में बन गयीं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जोधपुर में बन गयीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कहां पर?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उदयपुर में बन गयीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उदयपुर में बन गयी होंगी, निगम की बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): डेढ़ महीना हो गया, यही पड़ी हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब हो सकता है बन गयी हो, हो सकता है, बन गयी होंगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा यह कहना है कि यह कमेटियां नहीं बनने के कारण यह सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। जब तक कमेटियां नहीं बनेंगी यह सफाई हो या लाइट की व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए बिना किसी राजनीतिक सोच के जिसका जहां बहुमत है तो है, कमेटियां लोकतांत्रिक तरीके से बनायें जिससे कि काम हो सके।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मंत्रीजी यह बता दें ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अगर सरकार की यह मंशा नहीं होती तो सरकार ने जो नया एक्ट 1995 के बाद में 2009 का एक्ट बनाया और जो आप लोगों ने पास किया, वहां उसमें हम यह भी प्रोविजन डालने की कोशिश कर लेते कि बोर्ड का अधिकार नहीं रहेगा, सरकार कमेटियां बनायेगी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लेकिन हमने पाबंदी लगायी बोर्ड पर कि आपने 90 दिन के अन्दर नहीं बनायी, अगर अब बोर्ड नहीं बनाता है तो उसका क्या किया जाये?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 90 दिन में नहीं बनायी तो उसमें क्या करेंगे? यह तो बतायें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, एक मिनट विराज जायें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजें। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, if you go through Rule 131, the Chair will not allow a debate on it. I am very specific about it. इस नियम के तहत ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, अलाऊ कर दिया, आपने अलाऊ किया है।

श्री सभापति: 131 के प्रावधान में यह व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने अलाऊ कर दिया और अन्य सदस्यों को जवाब दे दिया, मेरा भी जवाब देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें. You are not supposed to argue with the Chair. Sit down.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): No. I am not arguing with the Chair.

श्री सभापति: Will you please take your seat? I will not allow that.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरी बातों का जवाब दें माननीय मंत्री महोदय।

(समय : 14.00 बजे)

श्री सभापति: आप विराज जायें। आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। Will you please take your seat? I will not allow that.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरी बात का जवाब दिलवाइए माननीय मंत्रीजी से।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। आसन इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि 131 में आदरणीय मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद आप कोई स्पेसिफिक क्वेरी पूछ सकते हैं लेकिन किसी हालत में

(श्री सभापति)

चेयर डिबेट अलाउ नहीं करेगी। कृपा करके यह ध्यान रखें, जिस प्रकरण के माध्यम से आप आए हैं उस प्रक्रिया की सैंक्टिटी को भी आपको निभाना पड़ेगा। So I would request the Hon'ble Member to limit his deliberations to the specific queries. I would not allow a debate. आप विराज जाएं। Let him complete.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कम्पलीट कर दिया माननीय मंत्रीजी ने और बैठ गए।

श्री सभापति: यह भी मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि मुख्यत: मोहनलालजी गुप्ता का यह ध्यानाकर्षण था, I will limit this query to him as an individual. Thank you.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): क्षमा करें, माननीय मंत्रीजी ध्यान को डाइवर्ट करते हुए दूसरे प्रश्न का जवाब देने लग गए।

मेरे इसमें तीन-चार स्पेसिफिक प्रश्न हैं और मैं आश्वासन चाहता हूं कि आपने जब बोर्ड पर छोड़ दिया तो कमेटी केवल बोर्ड ही गठित करेगा, सरकार गठित नहीं करेगी। राजनीतिक भेदभाव के कारण यह स्पेसिफिक आश्वासन आप सदन को दें कि राज्य सरकार गठित नहीं करेगी। (व्यवधान) एक स्पेसिफिक आश्वासन चाहता हूं।

दूसरा, मैं चाहता हूं कि 365 दिन सफाई का आश्वासन दें। तीसरा आश्वासन मैं चाहता हूं सिंगल टीयर सिस्टम। यह सब एज-पर-लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह सरकार के लिए बाध्यकारी है, यह सब आप कर नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि डोर-टू-डोर गारबेज, 365 डेज स्वीपिंग, सिंगल टीयर सिस्टम, क्लोज्ड स्टोरेज और लैंडफिल साइट इन सबके बारे में आप टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत आश्वासन देते हुए इस सफाई की व्यवस्था के बारे में आप सदन को आश्वस्त करें कि आप इसके बारे में गम्भीर रहते हुए इसके बारे में आप क्या करवाएंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने तीन बातें उठाईं। एक तो यह कि 365 दिन की सफाई, निश्चित तौर पर 365 दिन सफाई की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपने उठाई कि सरकार ने कमेटियां नहीं बनाईं। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं, हमारे लोकप्रिय विधायक बैठे हुए हैं ओम बिरलाजी, 2004 में नगर निगम, कोटा के इलेक्शन हुए और इलेक्शन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

होने के एक साल बाद वहां के बोर्ड ने कमेटियां बना दीं, कमेटियां बनकर राज्य सरकार में आ गईं और साढ़े तीन साल तक राज्य सरकार ने उन पर रोक लगा दी। साढ़े तीन साल तक। जब सरकार हमारी बनी तब जाकर मैंने उन्हीं कमेटियों को वापस रिवाइव किया कि इन कमेटियों के जरिये काम किया जाए। तो सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। अगर मान लीजिए ... (व्यवधान) कोई बोर्ड वक्त पर कमेटियां नहीं बनाता है तो थोड़ा बहुत इन्तजार किया जा सकता है, 90 दिन के बजाय हम 100 दिन तक इन्तजार कर लेंगे, 150 दिन तक इन्तजार कर लेंगे लेकिन हम सरकार के पास जो अधिकार एक्ट के तहत लिया है निश्चित तौर पर उसकी पालना के लिए सरकार बाध्य है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर नगर निगम के मेयर के द्वारा प्रस्ताव लाया ही नहीं गया है कि कमेटियां बनाई जाएं। अगर बोर्ड अपने इस काम में विफल रहता है, आपने अध्यक्ष के अधिकार दे रखे हैं, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय मंत्रीजी का जो जवाब आ रहा है, वह जवाब आप सुन लें वैसे तो दो बार आपको मौका दे चुका हूं, अब इसमें ज्यादा डिबेट करने की आवश्यकता आसन महसूस नहीं करता है। फिर भी अगर कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गया हो तो आप मंत्रीजी से स्पेसिफिक क्वेरी कर लें। I will not allow you to give a statement. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मोहनलालजी को बैठाना पड़ता है, बैठते कभी नहीं हैं। बैठाना ही पड़ता है इनको, कभी नहीं बैठते हैं। He is not interested in sitting. आन स्टेंडिंग रहता है, यह आदमी पक्का है, यह मैं पक्का जानता हूं। यह बैठता है ही नहीं, बैठाना पड़ेगा इनको तो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने दो बातों का जवाब दिया है। सिंगल टीयर सिस्टम और क्लोज्ड स्टोरेज, उसके बारे में बताइए आप। चार बातें पूछी थीं मैंने। आपने कहा कि 365 दिन सफाई आप करवाएंगे, बहुत -बहुत धन्यवाद। आपने समिति के लिए बताया...

श्री सभापति: Hon'ble Member, I think so, he has a very good memory. Let him complete.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसके अलावा भी आपने सीवर व्यवस्था की बात कही थी कि सीवर लाइन काफी डिफेक्टिव हैं, निश्चित तौर पर इन लाइनों की शिकायत की बात जो आपने की है, मैं उसका दिखवाऊंगा और सीवर लाइन कब डली, किसने डाली, कौन इसका सुपरविजन करने वाला था, किस तरीके से उनका हाउस कनेक्शन हुआ है, उसके बारे में बाकायदा हुआ है या नहीं हुआ है इन सारे प्रकरणों को मैं दिखवा लूंगा।

इसी के साथ-साथ ग्रीन लाइन सर्विसेज चालू की गई हैं। मैं आपको दो-चार बातें और बताता हूं शोर्ट में ताकि आपकी जानकारी में रहें। बायो मेडिकल वेस्ट के लिए अलग से इन्तजाम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, नगरीय ठोस सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए अलग से बी ओ टी पद्धति पर प्लांट लगाने का शुभारम्भ किया जा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट में कचरे की प्लेट्स बनाई जाकर ईंधन के रूप में सीमेंट फैक्टरियों के काम आएंगी, उस पर भी काम किया जा रहा है।

शहर के प्रवेश मार्गों पर उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के लिए एक अलग से योजना तैयार की जा रही है ताकि जितने भी शहर के एंट्री पाइंट्स हैं जयपुर शहर में आने के लिए, उनके सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था किस प्रकार से हो, शहर में ट्रैफिक का कंजेशन किस प्रकार से कम हो सके उसमें कमी कितनी आ सके उसके लिए अलग से प्लान बनाया गया है।

मलबे की समस्या के निस्तारण के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वेस्ट की वार्ड स्तर पर भण्डारण की जो व्यवस्था है उसको बदल कर दूसरी व्यवस्था का प्लान बनाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से सफाई कर्मचारियों के हित के लिए नगर निगम द्वारा जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इससे उनका काफी उत्साह बढ़ेगा और वे निश्चित तौर पर सफाई के कामों में ज्यादा लगने का प्रयास करेंगे।

कचरा ट्रांसफर स्टेशंस के बाबत भी दुबारा से प्लान बनाया जा रहा है। चारदीवारी क्षेत्र की सफाई तथा घर-घर जाकर कचरा एकत्रित करने के बाबत आपने कहा है, उस बात का भी एग्जामिन किया जा रहा है। कुछ टीम यहां से सूरत भी भेजी जा रही हैं, हैदराबाद भी भेजी जा रही हैं ताकि वहां की व्यवस्था को देखकर वह वहां के जो कांट्रेक्टर्स हैं उनसे बात करके कि किस प्रकार से उनको यहां पर इंवाइट करें उनके प्रपोजल्स लें और प्रपोजल्स लेकर एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट निकाल कर उसमें यह तय किया जाए कि वह किस प्रकार से काम उनको दिया जा सके।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां वगैरह और जो कुछ सुझाव परनामी साहब ने, आपने और प्रोफेसर कालीचरणजी ने दिए हैं...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सफाई कार्य रात को करवाइए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): रात में सफाई का काम इन्होंने बताया था तो वह भी करेंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय। चर्चा समाप्त।

श्री पवन कुमार दुग्गल। (अनुपस्थित)

अब आप पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के लिए।

सूचना

कार्यालय कर्मी उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर का धरना

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अजमेर में उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय के सारे लिपिक, अकाउंटेंट, कैशियर, लगातार अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण डी डी एलीमेंट्री आफिस का पूरा स्टाफ धरने पर बैठा है। यहां तक कि उनके समर्थन में माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक का पूरा स्टाफ अभी धरने पर बैठा है और सारी की सारी शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है। वहां पर लिपिकों और अकाउंटेंट्स का आरोप है कि उनसे लगातार बदतमीजी की बातें हो रही हैं और लिपिक और अकाउंटेंट से कमीशन की मांग करने और मना करने पर उनको रिलीव करने की धमकी दी है। इसलिए यह सारा स्टाफ इस समय धरने पर है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी कर तुरन्त कार्यवाही करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: आसन इस पर किसी प्रकार की चर्चा अभी...

श्री मोहनलाल गुप्ता।

याचिकाओं का उपस्थापन

राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, सीकर हाउस, जयपुर में कमरों, शौचालय व पेयजल की व्यवस्था

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर स्थित माली कालोनी, सीकर हाउस, चांदपोल बाहर

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

स्थित राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए समुचित कमरों, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करने के बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति: आय व्ययक वर्ष, 2010-11, अनुदान की मांग पर विचार। मा. भंवरलाल मेघवाल, शिक्षा मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। ...(व्यवधान)...

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मांग 24 ही है यह, 24 की मांग में ही सब है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,94,40,45,000/- (सत्यानवे अरब चौरानवे करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति, कोई भी प्रदेश और देश अगर प्रगति करेगा तो उसका मेरुदण्ड शिक्षा है, मैं इन माननीय सदस्य, मंत्रीजी और मैं अपने आपको भी उसमें सम्मिलित करता हूं। राजस्थान की शिक्षा का दिन-ब-दिन जिस प्रकार का ह्रास हो रहा है, उसका कारण है कि हम यहां जितने बैठे हैं, उसमें से 90 परसेंट लोगों के बच्चे सरकारी एलीमेंटरी और सेकंडरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कालेज एजुकेशन में जरूर पढ़ते हैं इसलिए हम सबका ध्यान उस गरीब की एजुकेशन कैसे हो रही है, न तो प्रशासनिक अधिकारी का बच्चा वहां सरकारी स्कूल में पढ़ता है, न किसी सम्पन्न व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, न किसी सम्पन्न व्यापारी का बच्चा पढ़ता है। सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ने का अगर किसी को सौभाग्य है तो उसके गरीब के कारण से मजदूर का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या छोटा-मोटा पढ़ता है। इसके कारण से हमारी उसकी शिक्षा ठीक है, उसका भविष्य ठीक हो, उस पर ध्यान कम से कम जाता है। यह स्थिति आज नहीं, मैं भी उसमें शरीक हूं कि हम सबके बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब दुर्भाग्य तो इस शिक्षा का यह है कि शिक्षक जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं उसका बच्चा भी उस स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसका मतलब आपको और मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिस अध्यापक को यह विश्वास नहीं रहा कि मेरे विद्यालय में मेरे बच्चे का भविष्य बन सकेगा, वहां हम उन लोगों का भविष्य बना रहे हैं जिनका भविष्य ईश्वर ने पहले से ही कमजोर कर रखा है और सुधारने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमको मिली उसको भी हम ठीक प्रकार से निभा नहीं पा रहे हैं।

मैं आपको यह जो आपने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का जो प्रगति प्रतिवेदन दिया, इसके पेज नम्बर चार को आप खोलकर देखें। आपके ही द्वारा लिखा हुआ है, मैं नहीं समझ पाया कि कहां तक यह सच है, वर्ष 2008-09 की आयोजना सीलिंग 64180 लाख अर्थात् 641 करोड़ रुपये थी, जो 2009-10 में घटकर 605 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 3680 लाख अर्थात् 36 करोड़ से कम थी। कमी के कारण सीलिंग आयोजना-भिन्न द्वारा कम किया जाना, माह दिसम्बर, 2009 तक आयोजना व्यय अभी आपका हुआ है वह 586 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो एलीमेंटरी एजुकेशन है, इस पर आपने घटाया है प्लान को। यह वास्तव में है या इस किताब में लिखने में थोड़ा गलत हुआ है, इसको थोड़ा दिखाएं तो इसमें पता लगेगा।

फिर इसी के पेज 20 पर बहुत आश्चर्यजनक चीज है, अगर यह सच है तो आपको और मुझे बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि यह क्या वास्तव में फीगर सही है या कम हुआ है। इसमें दिया है, आपकी प्राथमिक शिक्षा 2001 से लेकर कितने प्राथमिक विद्यालय थे, उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने थे। अब आपने देखा होगा, 2007-08 में 54,033 प्राथमिक विद्यालय थे, यह जाकर के 2009-10 में यह 47,359 रह गये अर्थात् इसमें कमी आई। हो सकता है स्कूल क्रमोन्नत हो गये हों, मिडल स्कूल की समझ में आ सकती है बात। इसी साल 2007-08 में 47,801 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, 47,801, यह आज की तारीख में घटकर 2009-10 में कितने हो गये, 28,251; इसका मतलब 21 हजार विद्यालय मिडल स्कूल घट गये। यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्रमोन्नत भी हो सकते हैं, हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार सेकंडरी बन सकते हैं पर इतने मिडल स्कूल कहां गये? यह फीगर सही है या गलत है? क्योंकि इसके आगे के टोटल बिलकुल सही हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से 21 हजार मिडल स्कूल कम हो गये। यह कैसे हुआ, आप इसके बारे में देखें।

इसी तरह से, आपने देखा होगा, इसी पेज पर आपको यह लगा कि नामांकन जो है बालक और बालिकाओं का, बहुत आश्चर्यजनक फीगर है, मतलब मैं सोचता हूं कि इस विभाग को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए और हम सब को भी, 2005-06 में आपका इसका टोटल जो है, 129 अर्थात् एक करोड़ 29 लाख था, यह घटकर एक करोड़ 22 लाख हो गया। सात लाख बच्चों का नामांकन कम हो गया, सात लाख बच्चों का नामांकन घटा है। इसका मतलब, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सरकारी स्कूल में पढ़ने की रुचि अब लोगों में रही नहीं या सरकारी स्कूल में बच्चे आते नहीं। इसके कारण से हो सकता है। इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से दिखाएं कि वास्तव में यह फीगर क्या है।

अभी यह जो समानीकरण, समानीकरण, इसमें चिल्लाते-चिल्लाते अपन सब थक गये, हमने भी कोशिश की, जितना कर सकते थे किया लेकिन समानीकरण ठीक प्रकार से हुआ नहीं लेकिन अब समानीकरण पर तो आपको एक तरह से बांध दिया है इस नये एक्ट ने। यह जो नया एक्ट आपका है नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, अब आप इसके मापदंड के अलावा तो समानीकरण कर नहीं सकेंगे और इससे समानीकरण करेंगे तो आपके टीचर्स की संख्या इतनी बढ़ेगी। यह तो एक अप्रेल से लागू हो जाएगा, यह एक्ट आपका एक अप्रेल से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है, एक अप्रेल को जब प्रभावी होगा तो इसके अनुसार जब आपके टीचर्स की संख्या में आवश्यकता होगी, उसका इस बजट में तो आपका 97 अरब का जो आपने बजट पेश किया, यह तो कहीं अटकेगा ही नहीं कहीं इसके। यह तो अनिवार्य हो गया एक तरह से, नहीं तो बच्चा वह कोर्ट जाएगा या उसके पेरेंट्स जाएंगे या और कोई भी जा सकता है। तो सरकार के सामने क्योंकि आप तो आपने कौन सा मिनिमम दो अध्यापक तो होंगे और 60 पर दो होंगे, उसके बाद 90 की संख्या बन गई स्कूल में तो 3 होंगे, 91 से 120 हो गई तो 4 होंगे, इस एक्ट के तहत और 121 से लेकर 200 हो गये तो 5

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होंगे। इसी तरह से, जब चाहे वह मिडल स्कूल होगी तो प्रति क्लास के हिसाब से एक टीचर होगा। उस हिसाब से अगर आप इसको केलकुलेट करेंगे न तो आपकी संख्या का आपको कोई अंदाजा ही नहीं लगेगा। मैं आपको आज की तारीख में जो संख्या आपकी और हमारी है, जितने पद सृजित हैं, उसके हिसाब से भी एक लाख अध्यापक के पद एलीमेंटरी एजुकेशन में आज की तारीख में कम पड़ते हैं और इस एक्ट के आने के बाद अगर हम इस सारे को केलकुलेट करेंगे तो यह संख्या डेढ़ लाख से ऊपर पहुंचेगी। क्या इसकी बजट में व्यवस्था है? या इस बजट में उसका प्रावधान रखा? और नहीं रखा तो यह एक्ट आपको इसके लिए चुनौती देगा।

आज आपके सामने समानीकरण, समानीकरण; मैंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना ली तो मुझे स्वयं को ही बहुत आश्चर्य हुआ कि वास्तव में राजस्थान की एलीमेंटरी एजुकेशन की क्या दशा है, इस दशा को न तो कोई अधिकारी देखता है, न किसी अन्य को देखने की फुर्सत है। यह बारां जिला है, इसमें स्कूल जहां शिक्षक और छात्र अनुपात 1:10 से भी कम है। मतलब एक अध्यापक है वहां 10 बच्चे भी नहीं हैं! कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक अध्यापक है पर बालक एक नहीं, कहीं अध्यापक एक और दो बालक हैं। ऐसे ही ऐसे के सारे के सारे यह 53 स्कूल केवल बारां के मेरे जवाब में जो आया है, इसमें वार्ड नम्बर 5 का प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट पीएस वार्ड नम्बर 5, बारां का, उसके अन्दर दो अध्यापक 10 बालक; 5 का एवरेज आता है, कई जगह तो 3 का एवरेज आ रहा है। यह पूरे के पूरे 53 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अनुपात बच्चे और टीचर का 1:10 से कम है। दूसरी तरफ उसी बारां जिले में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक अध्यापक और बालकों की संख्या 200 से भी अधिक है। यह जो आपका पलायता है, पलायता में एक स्कूल ऐसा है जहां एक अध्यापक और 210 बालक हैं। यह सारे के सारे फीगर हैं। मतलब एक तरह से यह एक इस तरह से, आपके बीकानेर बल्कि आपके डाइरेक्टर की नाक के नीचे, मैं स्वयं भी उसके लिए प्रयत्न करके थक गया लेकिन मुझे भी सफलता मिली नहीं। 26 विद्यालय वहां ऐसे थे, मेरे समय में भी जहां एक बालक नहीं था लेकिन उसके बाद भी वह टीचर वहीं के वहीं तनख्वाह लेते थे और वहीं से होता था। प्रयास किया था, डाक्टर बी शेखर ने इसके लिए प्रयत्न किया था तो उसमें जिस प्रकार का वातावरण उससे बर्दाश्त हुआ, मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति है। यह जो आपका बीकानेर जिला है, इसके भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने जो आंकड़े लिये हैं उनमें 63 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापक और बच्चों का अनुपात है वह 10 से भी कम है, एक से दस से कम है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि उसी बीकानेर में, और दूसरे किसी में नहीं, उसी जिले में 39 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापक और बच्चों का अनुपात 200 से लेकर 250 तक है। एक अध्यापक और 250 बच्चे! एक ही जिले में, एक जिले में 63 स्कूल ऐसे हैं जहां एक अध्यापक है तो दो बच्चे पांती आ रहे हैं और एक ऐसा स्कूल है जहां उसी जिले में 200 से अधिक बालक हैं और एक अध्यापक पढ़ा रहा है।

इसी तरह से अलवर जिले में आया है। यह तो केवल नमूना है, राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें यह अनुपात नहीं होगा। मैंने तो लिमिटेड मांगा था और लिमिटेड सूचना मुझे मिली। अलवर जिले में 45 स्कूल ऐसे हैं, एक स्कूल तो बड़ा आश्चर्यजनक है। यह जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नन्दगली है इसमें अध्यापक एक पुरुष और एक महिला, दो अध्यापक हैं और बच्चा एक भी नहीं है! मतलब दो अध्यापक, एक महिला और एक पुरुष और बच्चा एक भी नहीं है। यह पूरी की पूरी फेहरिस्त है 45 अलवर जिले के स्कूलों की जिनकी यह दशा है। उसके बाद उसी अलवर जिले में 32 स्कूल ऐसे हैं जिन 32 स्कूलों में 100 से अधिक बच्चे प्रति अध्यापक के आते हैं।

तो मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, इन व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, मैं सोचता हूं कि इसके आधार पर अगर मन बनाकर के काम को आगे नहीं बढ़ायेंगे तो अपन उन गरीब के बच्चों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। जो 250 बच्चों पर एक अध्यापक पढ़ा रहा है उस बच्चे का क्या भविष्य बनेगा? वह बच्चा जब 60 साल तक, 70 साल तक धरती पर जिन्दा रहेगा तब तक आपको और मुझे कितना कोसेगा? उसके मन में कितनी ग्लानि और नफरत होगी कि मुझे किस तरह से बर्बाद करके मेरे सारे के सारे बुढापे तक मुझे समाप्त कर दिया? किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे को शिक्षक मिलना चाहिए। हम जो कोशिश करते हैं, कमरे हों या नहीं हों, आप और मैं जब पढ़े तो टाटपट्टी भी घर से ले जाते थे और उसके बाद भी अध्यापक था तो उसने हमें पढ़ाकर योग्य बना दिया तो आज यहां बैठे हैं। हम जिस गुरु से पढ़कर के यहां आये हैं सरकारी स्कूल में, हममें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से अधिकांश लोगों की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है और हम सब काबिल बनकर के यहां बैठे हैं और यहां जो गैलेरी में लोग बैठे हैं न, ये भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर के आये हैं जिसे समाज ने अपने खून-पसीने के पैसे से इन सब को, आपको, मुझको पढ़ाया। हम पढ़कर के योग्य होने के बाद हमारे मन में इस बात का रहम नहीं आता है कि उस गरीब का, खोमचे वाले का बच्चा जो हमारे भरोसे दिया है उस बच्चे के साथ हम जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं, एक तरह से क्रिमिनल आफेंस कर रहे हैं। हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल आफेंस बनाकर के मुकदमा बनना चाहिए कि आखिर यह हम कर क्या रहे हैं। इस तरह से अगर शिक्षा को हम चलायेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह हमारा सोचना ठीक नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं।

फिर मैंने वह ही कहा न कि हम घोषणा करते हैं पर पालना नहीं हुई। मैंने पिछली बार भी गिनाया और शिक्षा विभाग में तो बिलकुल भी पालना नहीं हुई। जितनी घोषणा आपने इस बजट की पिछली साल के बजट में की कि हम इतने अध्यापक लगायेंगे, सर्व शिक्षा अभियान में 17,229 लगायेंगे, एक की भी भर्ती नहीं हुई। अभी जो आपको सैंक्शन मिली न 6,750 की वित्त विभाग से वह भी कभी की मिली हुई पड़ी है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में आपने कहा कि हर साल 10 हजार शिक्षक जो रिटायर होंगे उनके स्थान पर सेवानिवृत्ति के बाद हम पदों को भरेंगे; कोई सवाल नहीं, नतीजा बिल्कुल जीरो। शारीरिक शिक्षकों के 1,000 पदों पर भर्ती करेंगे; कुछ भी नहीं किया, रिजल्ट जीरो। उसके बाद भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को तो आपने भेज दिया लेकिन अभी तक परीक्षा कंडक्ट ही नहीं हुई। उसके बाद आपने लिखा कि मदरसा में ढाई हजार शिक्षक हम लगायेंगे, शिक्षा सहयोगी और संविदा पर भर्ती करेंगे, इसमें अभी तक भर्ती शुरू ही नहीं हुई। इसके बाद आपने उर्दू शिक्षक लगाने की बात कही थी, प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, अभी तक बिलकुल खाली। यह जो घोषणा अभी आपने, जिसकी आप कह रहे हो कि हमने सेकंडरी स्कूल खोल दिये, यह भी इसलिए कि आपने बजट में घोषणा की तो अभी-अभी आपने आर्डर दिये हैं और ये भी अगले साल चलेंगे।

अगर इसको आप ठीक तरह से विश्लेषण करो कि आखिर में आपने जो घोषणाएं कीं तो बजट में कहीं-कहीं इसको लोकेट तो किया होगा। जब आप कह रहे हो कि हम इतने सेकंडरी स्कूल, 1,900 सेकंडरी स्कूल खोलेंगे, आपने कहा कि हम 500 फैकल्टीज खोलेंगे तो आखिर इसका बजट कहीं न कहीं तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिखाया होगा; मुझे तो इस बजट को ढूंढने पर कहीं भी बजट नहीं लगता। इसका मतलब आपके दिमाग में पहले से ही था। मैं आगे बताऊंगा कि आपने जो बजट की घोषणा की और जो बजट की अंतिम पालना हुई उसके बीच में केवल दो प्रतिशत का गैप है। इसका मतलब जो बजट आपने एस्टिमेट किया वह बजट अगर आपका एक्चुअल खर्च हुआ तो उसमें दो प्रतिशत का ही अन्तर है। इसका मतलब आपने टीचर का कहीं तो दो प्रतिशत बढ़ा, इसका मतलब टीचर का कहीं बजट में प्रावधान ही नहीं किया। आप इस तरह से अगर इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 6 करोड़ जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूं कि वे तो गुमराह होंगे या नहीं होंगे, हम अपने मन से जरूर गुमराह हो जाएंगे कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मैं सोचता हूं कि उसी तरह की स्थिति बनी है।

अभी आपने देखा होगा कि यह जो आपका नया एक्ट आया है, इसकी मंशा के अनुसार अब तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको और मेरे को सबको कोई रास्ता नहीं। मैं थोड़ा सा माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह अगर अपने हिसाब से चला तब तो एक तरह से उस एरिया में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का उस स्कूल में पढ़ने का अधिकार होगा। मैं इस पक्ष का हूं कि जब तक सब के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक उस स्कूल के प्रति कभी भी लगाव पैदा नहीं होगा। यह सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो यहां पढ़ता ही नहीं। पर अब इसकी कितनी पालना होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी या कितना समय इसमें लगेगा और कैसी इसकी स्थिति बनेगी। इसमें जो धारा 12 है-'ऐसे स्कूल जो सरकार की सहायता प्राप्त नहीं हैं, प्राइवेट हैं वे स्कूल कक्षा एक के कुल बच्चों की संख्या के आधार पर 25 प्रतिशत ऐसे बच्चों को प्रवेश देंगे जो कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के हैं। 'यह वास्तव में हमारी भावना है। जब तक स्कूल में यह बराबरी का हिस्सा नहीं आयेगा तो एक नई क्लास बना रहे हो आप। आज की इस एजुकेशन के आधार पर गरीब का बच्चा चपरासी बनेगा और जिसके पिताजी के पास 10 लाख रुपये कैपिटेशन फीस देने के लिए हैं वह इंजीनियर बनकर के हिन्दुस्तान का निर्माण करेगा। इस दो के बीच में जो खाई बन रही है न, आज नहीं कल विस्फोट होकर के दिखेगा कि यह क्या अन्याय है, आखिर उसकी जेब में पैसा नहीं है इसलिए वह नहीं पढ़ सकता है। इस एक्ट में इस भावना को जरूर डाला। हममें से भी कई लोग इसका तर्क-वितर्क करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो शिक्षा का स्तर बिगड़ जाएगा। काहे का शिक्षा का स्तर बिगड़ जाएगा? अगर उस गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए उस प्राइवेट स्कूल में हमको फीस भी देनी पड़े तो हम राज्य सरकार की तरफ से फीस देकर के भी उस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें तब तो हम कहेंगे कि हम लोकतंत्र चलाते हैं बाकी हमारे लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रहता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यदि प्राइवेट स्कूल पूर्व-प्राथमिक उपलब्ध है तो 25 प्रतिशत ऐसे बच्चों का प्रवेश मिलेगा जो कि कमजोर या पिछड़े वर्ग से हैं। इसके बदले प्राइवेट स्कूल को सरकार के द्वारा तय राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यानि अगर पैसा भी देना होगा तो सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। यह आपकी धारा 12 के तहत है।

धारा 13- 'कोई भी स्कूल सरकारी या प्राइवेट या व्यक्ति बालक-बालिकाओं को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस या पैसा नहीं ले सकेगा।' अब इसकी पालना के लिए जिस प्रकार की अपनी तैयारी चाहिए न, वह तैयारी है या कागजों में ही है, इसकी तैयारी करना और इसको चलाना इतना आसान काम नहीं है। अगर मैं भी आपकी जगह बैठा होता न तो मुझे भी रात और दिन इसके बारे में सोचना पड़ता कि इसकी पालना होगी कैसे, क्या इसकी पालना सम्भव है। एक समय आपको दिया है उस समय के बीच में आप तैयारी करें। 'बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जायेगी।' अब यह सत्र शुरू होगा, यह फिर प्रवेश परीक्षाएं शुरू होंगी। आप इसको किस तरह से रोकोगे, यह आप बैठकर के बात करो। 'यदि कोई स्कूल बच्चों से प्रवेश शुल्क लेता है तो उस पर प्रवेश शुल्क से दस गुना राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।' यदि किसी स्कूल द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब वास्तव में जितने भी इस एक्ट में बनाया है, बहुत कुछ अच्छी चीजें डाली हैं, कुछ ऐसी बातें जरूर हैं कि जिनका आसानी से पालन कराना सम्भव नहीं होगा पर इसके जो भाव हैं, धारा 14- 'किसी भी बालक-बालिका को जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकेगा, बाद में उसकी पूर्ति हो जाएगी।' इसी तरह से धारा 17- 'किसी बालक या बालिका को किसी कारण फेल नहीं किया जा सकेगा। अगर वह विद्यालय में बराबर प्रजेंट होता है तो उसको यह मानकर के उसकी एज के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाएगा।' अब यह जरूर विवादित विषय है। मैं इसमें एक अध्यापक होने के नाते मानता हूं कि इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरह से बिना परीक्षा के उसको आगे बढ़ाने से उस बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा पर इस एक्ट में है। अब इसके आगे क्या होगा, धारा 17- 'किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा।, इसमें कोई समस्या नहीं।

इसके बाद 18- 'यह कानून लागू होने के बाद कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की पूर्वानुमति से नहीं खोला जा सकेगा।' यह पाबंद करो आप। इस पाबंद को इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जितने बच्चे आप पढ़ा रहे हो उतने बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं, उतने ही। सेकंडरी और हायर सेकंडरी में तो बराबर, आपके लगभग बराबर हैं जितने बच्चे आप पढ़ाते हो। प्राइमरी में बच्चों की संख्या ज्यादा है, निजी शिक्षण संस्थाओं की ज्यादा लेकिन उस अध्यापक को तनख्वाह क्या मिलती है? यह सब कानून कायदा बना, इस कानून में यह भी डालना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का कोई भी चलाने वाला, संचालन करने वाला, कम से कम मजदूरी को मिनिमम चार्ज देते हैं, मिनिमम वेतन देते हैं उतना तो उसको कम से कम दो। हमारा अध्यापक तो 800-1,200 में आज भी गांव में अध्यापकी ही कर रहा है, वह बच्ची अपनी पढ़ी हुई, एम.ए. क्लास क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी गरीबी है, वह गांव से बाहर जा नहीं सकती, नौकरी कर नहीं सकती। क्या हम इतने सालों तक इस व्यवस्था को देखने के बाद भी यह कानून नहीं बना सकते कि कम से कम, मिनिमम इतना तो, एक टीचर को रखना होगा तो तुम्हें 4,000 या 5,000 रुपये देना पड़ेगा? नहीं तो कोई शौक नहीं है कि विद्यालय गली-गली में चलाकर तुम उस बालक का शोषण करो, उस पढ़े-लिखे नौजवान का शोषण करो, इसके लिए अलाऊ नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं, इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। यह जो जिस तरह से दुकानें खुली हैं ना, चाहे जैसे इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी के दो अक्षर वह नहीं बोल सकता, वह इंग्लिश मीडियम के नाम से उस गांव की जनता को लूट रहा है। इस व्यवस्था को कौन देखेगा? और अगर अच्छे टीचर हैं तो फिर उनको पेमेंट भी ठीक प्रकार से हो, यह भी राज को देखना होगा।

धारा-19, नई और पुरानी स्कूलों में तय मापदण्ड पूरे नहीं करने पर मान्यता नहीं दी। काफी रोक लगाई है इन्होंने सब तरह से। धारा-21, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसमें गहराई में जाकर अपनी टीम के साथ बैठकर कितना इसमें पालन करा सकते हैं, एकदम तो एक दिन में तो कोई चमत्कार नहीं होगा और मैं भी इस पक्ष का आदमी नहीं हूं कि एक दिन में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई आप चमत्कार कर देंगे। मैं सोचता हूं कि इस बारे में जरूर है और इसमें भी आपको अभी तो लग रहा होगा, बहुत अच्छा है लेकिन तीन साल तक आपको केन्द्र सरकार 65 प्रतिशत खर्चा देगी, 35 प्रतिशत आपको देना है और तीन साल के बाद 50-50 प्रतिशत होगा। हम कई बार हर योजना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने भी वह चाहे लोक जुम्बिश ली होगी, शिक्षाकर्मी योजना ली होगी, क्योंकि उस समय बाहर से स्वीडिश गवर्नमेंट से हमको मदद मिलती थी, हमने ले ली लेकिन बाद में जब उसका भार आया ना तो हम सबने हाथ खड़े कर दिये। उन सभी अध्यापकों को जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा देकर किया, वह तो बाद में जैसे-तैसे जाकर एडजस्ट हुए और किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यह तीन साल तक 65 प्रतिशत सहायता केन्द्र से मिलेगी, यह सारे के सारे एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए तीन साल के बाद 50-50 प्रतिशत में आपको इस पर आना पड़ेगा तब जाकर के आप इस काम को चला सकोगे।

यह जो खाली पद हैं, मैं आपको सेकंडरी और हायर सेकंडरी दोनों की बता देता हूं, जब तक आप टीचर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि नई स्कूल अगर बहुत आवश्यक हो, कोई दूरी के कारण से खोलना पड़ रहा हो तो खोलें आप, बाकी नहीं खोलते हुए भी जो स्कूल हैं, उनको आप स्ट्रेंथन करें। अध्यापक नहीं हैं, सेकंडरी स्कूल चल रहा है एक-एक अध्यापक के भरोसे। क्या वह बच्चा पढ़ेगा? क्या उसका भविष्य बनेगा आगे जाकर के? मैं सोचता हूं, आपने देखा होगा, जो स्वीकृत पद हैं हमारे पास एलीमेंटरी में, वे हैं 3,09,840 और आज की तारीख में खाली हैं 83,453 पोस्ट और इसी तरह से सेकंडरी में आपके स्वीकृत पद हैं 85,241 और आज की तारीख में खाली हैं 23,531 । अगर ये दोनों जोड़ें ना तो ये 1,15,000 पद आज की तारीख में खाली हैं। इस एक्ट के आने के बाद इसमें और क्या होगा, इसको आप आगे और देखने का प्रयास करिये। इसकी पूर्ति होगी या जिस ढंग से आप चल रहे हैं, वह तो सात जन्म में भी नहीं होगी, सात जन्म में भी नहीं होगी, हम कितना भी कर रहे हैं, कुछ भी कोशिश कर लें।

अब यह सर्वशिक्षा अभियान के तहत आपको लगता है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत पंचायत समिति में चार-चार महीने तक पेमेंट नहीं हो, अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। अब इतनी व्यवस्था भी अपन नहीं कर सकते कि अध्यापक को सैलेरी समय पर मिले, तो वह भी आपके यहां से सैलेरी नहीं मिल सकी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो मिड-डे-मील है ना, इसका कबाड़ा तो और भी कमाल का है, बहुत जबरदस्त है। मतलब मिड-डे-मील को थोड़ा सा गौर से देखिये इसमें, यह जो मिड-डे-मील है ना, यह तो हमने यह जो सूचना-का-अधिकार दिया है ना, इसलिए यह सारी की सारी बातें आकर के सामने आ रही हैं, बाकी तो पता ही नहीं लगेगा कि 2005-06 में एक करोड़ एक लाख बच्चे थे और आज की तारीख में 2009-10 में ही यह बच्चे कितने रह गये, सूचना-के-अधिकार के तहत पता लगा कि 58,055, केवल 58,055 । यानी एक करोड़ बच्चों से सीधे -सीधे कितना 40 लाख बच्चों का यह सामान कहां है? और कौन देखता है इसको? यह फिगर कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाये हैं, मैंने अपने सूचना-के-अधिकार से लिये हैं। उस अधिकार से आपके जो एक करोड़ एक लाख बच्चे थे, अब केवल 58,055 बच्चे आज की तारीख में मिड-डे-मील का काम कर रहे हैं। मिड-डे-मील में भी हमने भी पिछली बार कोशिश की थी, आप जहां घूघरी देते थे, हमने उसको अच्छा भोजन देने का प्रयास किया, राज्य सरकार के बजट से भी मिलाया लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि हमारे पास जो सरकारी स्कूल में आता है, वह गरीब का बच्चा आता है, उसमें से हो सकता है, 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत बच्चे घर से खाना खाकर नहीं आये होंगे, उसके मां-बाप ने बनाया नहीं होगा, उनकी मजबूरी में आता है। उस बच्चे को हमने अच्छा खाना देने की कोशिश की। आप इसको ठीक प्रकार से देखकर इसकी व्यवस्था को ठीक करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

इसी तरह से आपने देखा होगा, डी पी ई पी में मेरे प्रश्न के माध्यम से, मैंने एक प्रश्न पूछा था, इसमें कई घपले सामने आये। आपने स्वयं ने जवाब दिया है। मतलब 2003 में उन्होंने अनियमितता की, अभी तक 2009 आ गया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे कैसे चलेगा? चाहो तो मैं प्रश्न के माध्यम से, यह आप ही के द्वारा दिया गया उत्तर है। इसमें एक-एक व्यक्ति का नाम है, उनके खिलाफ बना हुआ प्रश्न है और वह भी कोई साधारण नहीं है, बहुत गम्भीर आरोप है। स्कूल बैग की आपूर्ति में घपला हुआ, उसकी एक सूची है। उसके खिलाफ इसमें लिखा है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की दृष्टि कमजोर थी, उन बच्चों को चश्में बांटे गये थे, उसमें घपला है। उसके बाद मतलब यह तो वास्तव में कभी कोई शायद शिक्षा गारंटी योजना में वह अधिकारी आज भी आपके पास बैठे हुए हैं, जिनके नाम इसमें हैं। मैं एक-एक व्यक्ति का नाम नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेना चाहता हूं लेकिन जो व्यक्ति आपके इस घपले में दोषी पाया गया, वह इस टेबल से उठाकर उस टेबल पर आकर निर्णायक की कुर्सी पर बैठा हो। अगर यह हमारा सोच रहा ना कि आदमी बड़ा है इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही हो नहीं सकती तो फिर बेकार है, काहे का और किसके लिए इतनी माथाफोड़ी की जाये, किसके लिए बात की जाये।

मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि सेकंडरी एजुकेशन में, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि स्कूल कम हों, कोई चिंता की बात नहीं पर जो हैं, उसमें पूरा स्टाफ लगायें और कम से कम उस गरीब के बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। कौन एजुकेशन को देखता है, किसको फुर्सत है यानी केवल हम बात करते हैं, इतने अरब रुपये और सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, परिणाम क्या है, कुछ नहीं है परिणाम, आप देखेंगे तो।

ये अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ, एक तरह से मैं सोचता हूं कि या तो हमारी सोच ठीक नहीं है, इस प्रदेश में आजादी के पहले जिन्होंने अपने स्कूल चलाये, कोई धन-दौलत कमाने के लिए नहीं चलाये थे, सेवा के लिए चलाये थे और सेवा के लिए चलाने वाली संस्थाओं की हालत आज ऐसी जर्जर हो गई है कि उसको ताला ठोकना पड़ेगा। जो लोग आज व्यवसाय बनाकर एजुकेशन को बेच रहे हैं, वे आज मालामाल हो रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण कितना है कि हम सारे के सारे, पूरे के पूरे राजस्थान में जितनी भी अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके आपके बजट से जाता कितना है, 130 करोड़ रुपये। 130 करोड़ रुपये में आपके बराबर बच्चे पढ़ा रहे हैं और उस 130 करोड़ रुपये में आपको जोर आ रहा है। इसके कारण से आपने देखा होगा कि पहले उनको फ्रीज कर दिया 2008 में, बाद में वापस उनका अनुदान शुरू किया। अनुदान देने की बात शुरू की लेकिन उसमें भी चार -चार महीने तक अनुदान नहीं है। आप जाकर के अगर नहीं हो तो यहां पूछ लेना जो अधिकारी बैठे हुए हैं, यह जो जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इनको अनुदान कितने महीनों से नहीं गया है। इन संस्थाओं को 5-5, 6-6 महीने से अनुदान नहीं गया। वह क्या शिक्षक को देगा? ये अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं। एक को अगर तनख्वाह पूरी देगा, दूसरे को नहीं देगा, विद्यालय चला नहीं सकता है। इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में यह जो आपका जितना भी सैकण्डरी का है ना, अब आप इसको देखिये थोड़ा सा फिगर को तो जितने भी अध्यापक आपके पास हैं ना, उतने के उतने अध्यापक; विद्यालय कितने हैं, एलीमेंटरी के 75,617 स्कूल आपके हैं और निजी शिक्षण संस्थाओं के कितने हैं, 26,853 हैं। इतने विद्यालय वे भी चला रहे हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई सहायता नहीं है। केवल गिने-चुने विद्यालयों को सहायता दी जाती है। मैं आपको आगे बताता हूं। इसी तरह से आपको लगा होगा, इसमें 84 लाख बच्चे आप पढ़ा रहे हो एलीमेंटरी में और 38 लाख बच्चों को ये निजी शिक्षण संस्थाएं पढ़ा रही हैं। 38 लाख बच्चों को जो शिक्षण संस्थाएं पढ़ा रही हैं, उनको भी नहीं। हमारी एक कमेटी बनी थी, मैंने एक सुझाव दिया था कि यह जो ट्यूशन फीस आती है, इसको आप आय में शामिल नहीं करो। आप आय में शामिल करके काटते हो, पहले से ही आपका एड 50 से 60 प्रतिशत है। वह 60 प्रतिशत में भी आधे टीचर होंगे, पांच-छह तो एडेड होंगे, बाकी सब नोन-एडेड होंगे। उनको अगर मिलाकर देखा जाये तो उनकी एड पड़ेगी 30-40 प्रतिशत, वह 30-40 प्रतिशत एड को भी अगर समय पर नहीं देते हैं तो रोज हाई कोर्ट में लिटिगेशन होते हैं और उसकी सारी की सारी सम्पत्तियां बिक जाती हैं। इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

यह जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है ना, इसके बारे में विचार करिये। यह निश्चित तौर पर समय पर पूर्ति हो जाये तब तो यह ठीक है। खाली इन आंकड़ों को लेकर के मैं बार-बार आपको बताता रहूं, कोई मैं इसके लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, मैं उस बच्चे की पीड़ा को आपको कह रहा हूं, अगर आप कुछ कर सको, अगर आपकी सरकार कुछ कर सके तो कम से कम ये अध्यापक किसी तरह से उस बच्चे को मिल जाएं जिसके कारण से उसकी शिक्षा हो जाय।

अब आप यह जो डी.पी.सी. है, यह आपके इतने बड़े अधिकारी करते क्या हैं, क्या डी.पी.सी. नहीं करा सकते? यह डी.पी.सी. का आपके ही प्रश्न के जवाब में है, यह जो आपके कृषि की जो डी.पी.सी. है न, वह कृषि की डी.पी.सी. 80-81 तक की हुई है, उसके बाद डी.पी.सी. ही नहीं हुई है। यह जो कुछ भी फीगर आपने दिये हैं, 80-81, मतलब कहां हैं आज अपन, 2010 में हैं, तीस साल पुरानी डी.पी.सी. पड़ी हुई है। ऐसे ही चित्रकला, संगीत 96, 91, यह सारे के सारे, सिंधी, पंजाबी, सब भाषा, अधिक से अधिक आप अगर आये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं कुछ में तो 2002-03 तक की डी.पी.सी. पूरी हुई है। यह डी.पी.सी. क्यों नहीं हुई, इसका कारण समझिये। सर्विस बुक तैयार नहीं है, सर्विस बुक का रिकार्ड तैयार नहीं है। आर.पी.एस.सी. का जब मेम्बर आता है तो आब्जेक्शन करता है कि सर्विस बुक हमें कम्प्लीट बताइये। मैंने ग्यारह सूत्री कार्यक्रम लेकर के एक अभियान चलाया था और मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, मैंने उस समय एक भी ऐसा सेक्शन नहीं रहा जिसकी हंड्रेड परसेंट डी.पी.सी. करके उसको प्रमोशन का अवसर नहीं दिया हो, हंड्रेड परसेंट। इस बात के लिए प्रयत्न किया क्योंकि उसका चार्म क्या है इस एजुकेशन में, यही तो है और वैसे भी आप नहीं देओ तो अब लोग तो चिंता ही नहीं करते, नौ-अठारह-सत्ताइस आपने वैसे ही दे दिया। यानी इस नौ-अठारह-सत्ताइस के कारण से न तो कोई चिंतित है, न किसी को कोई लेना-देना है, लेकिन हमें अपने बच्चों से तो लेना-देना है; कम से कम उस ग्रेड का अध्यापक उसको मिले, इसके बारे में आप डी पी सी कराइये।

निरीक्षण के बारे में तो हमारा बिल्कुल बंटाढार हो गया। यह जितनी भी बड़ी फौज आपकी यहां बैठी है ना, इन्होंने कभी स्कूल देखा है? क्या यह स्कूल देख सकते हैं? देखना सम्भव है? 75 केवल हमारे पास डी.ई.ओ. और डी.ई.ओ. से लेकर के ऊपर के रैंक के अधिकारी, 75 ओनली! 75 लोगों पर हमारे स्कूल कितने हैं, हमारे स्कूल एक लाख से अधिक हैं। एक लाख से अधिक विद्यालय और अगर निजी शिक्षण संस्थाओं को इनको ही देखना है, इन सबको अगर मिला लें तो यह डेढ़ लाख स्कूल को 75 लोग सुपरविजन करते हैं। सम्भव है? कभी सम्भव नहीं है। मैंने इसके लिए एक योजना बनाई, अगर आपके समझ में आये, मैंने उस समय प्रयत्न किया था, मैंने डी.ई.ओ., डिप्टी डाइरेक्टर को जितने भी टेन-प्लस-टू के स्कूल थे वे उसकी पोस्ट के साथ जोड़ दिये, यह दस स्कूल तुम्हारे पास रहेंगे, यह पांच तुम्हारे पास रहेंगे, यह बारह तुम्हारे पास रहेंगे; हंड्रेड परसेंट साल में तीन बार तुमको दिन भर वहां रुक करके स्कूल का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चा क्या काम कर रहा है। जब तक इसको नहीं देखोगे ना, केवल तनख्वाह देने की फैक्टरी बना करके हमने सब प्रकार से लाभ तो दे दिया लेकिन काम के बारे में कहीं भी हमने पूछने का प्रयास नहीं किया। मैंने एक टेन-प्लस-टू का जो प्रिंसिपल था उसके आस-पास के पांच-छह स्कूलों को नामजद करके उस गांव के प्रिंसिपल को मैंने दिया था कि यह सैकण्डरी स्कूल तुमको देखने हैं, फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सैकण्डरी स्कूल के हैडमास्टर को मैंने आठ-नौ मिडल स्कूल उसके नीचे के जो थे वह उसको दिये और मिडल स्कूल के हैडमास्टर को उसके नीचे के प्राइमरी स्कूल पन्द्रह और बीस और यह अनिवार्य किया था कि वर्ष में तीन बार तुम इस स्कूल से छुट्टी लेकर के रहोगे, तुम्हें छुट्टी मिलेगी, वहां जाकर के दिन भर बैठो और बैठने के बाद शिक्षा का स्तर क्या है, इसका पूरे का पूरा ठीक प्रकार से निरीक्षण करके इसके बारे में स्कूल का स्तर उठाने की कोशिश करो।

मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे एक छात्रवृत्ति का विषय उठाया था, आपको स्वयं को भी जब ध्यान में आया कि वास्तव में उन बच्चों को छात्रवृत्ति 11 तारीख, इस 11, मैंने जब पर्ची लगाई थी उसी दिन आपका वहां से आर्डर हुआ था, उन बच्चों के पैसे इस समय पहुंचे हैं। अब मैं फिर ध्यान दिला रहा हूं, आपका डिपार्टमेंट सोता है। यह जो डिपार्टमेंट चलाता है ना, यह डिपार्टमेंट के अधिकारी को कोई चिंता नहीं, किसको पैसा मिलता है और किसको नहीं मिलता है, इनको तो इनकी तनख्वाह पहली तारीख को मिल जाती है। अगर इनको दो महीने तनख्वाह नहीं मिले ना तो ये सूख जायें। उस गरीब बच्चे को हम मदद करना चाहते हैं, इस गरीब को जो इस सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। उसके बाद भी यह जितने ओ.बी.सी. के बच्चे हैं इन ओबीसी के बच्चों को हमारी तरफ से जो छठी से लेकर आठवीं तक पढ़ते हैं उस छात्र और छात्रा को चालीस रुपये मासिक मिलता है और इसी तरह से नवीं और दसवीं में जो बच्चा पढ़ता है उस बच्चे को पचास रुपये मासिक मिलता है। क्या एक भी पैसा मिला है? एक भी ओ.बी.सी. के बच्चे को आपकी छात्रवृत्ति नहीं बंटी है। कितना अनर्थ है? कहीं कोई देखता ही नहीं है। कोई विचार ही नहीं करता कि आखिर हम इन सारे बच्चे को मदद करके शिक्षा से जोड़ कर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम लोगों का मन ठीक नहीं है, मुझे लगता है।

इसी तरह से आपने देखा होगा यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आपको बहुत खुशी हुई होगी, इस बार आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा था। है ना? इतने साल तक राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अपना एक स्टेटस है सारे हिन्दुस्तान में एजुकेशन की दृष्टि से, लेकिन उसकी क्या गति बनी है? उसमें हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं मैं अकेला या आप अकेले जिम्मेदार हैं लेकिन आखिर यह देखेगा कौन? जिस समय पांच लाख बच्चे परीक्षा देते थे उस समय यहां पद स्वीकृत थे 825;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में पद कितने हैं, जो रेगुलर सर्विस में हैं वह 525 रह गये। तीन सौ पोस्ट खाली हैं। आज दिन तक किसी ने पोस्टें नहीं भरीं। और आपने पोस्टों का काम किससे चलाया? आपने यह आजकल जो ठेका पद्धति चलती है ना, कर्मचारी ठेका, कर्मचारी ठेका में आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान को चला रहे हैं। 1600 लोग आज की तारीख में आपके यहां ठेके पर लगे हुए हैं जिससे यह परीक्षा, पन्द्रह लाख बच्चों ने आज की तारीख में आपकी परीक्षा दी है। 15 लाख बच्चे, पांच लाख से पन्द्रह लाख पर आ गये, कर्मचारी बढ़ना तो दूर रहा, रिक्त स्थानों को भरने की भी किसी को फुर्सत नहीं। केवल पैसा बचा-बचा कर लखपति बन जाओगे और गरीब के बच्चे को उजाड़ कर क्या लेना चाहते हो, क्या आशीर्वाद देगा वह बच्चा तुमको?

आपने देखा होगा कम्प्यूटर पर भी, इनको तनख्वाह कितनी देते हैं, यह जो आपके 1600 कर्मचारी काम कर रहे हैं न, इनको तनख्वाह मिलती है 2500, 2700, 3000 रुपये, ठेके के कर्मचारी हैं और इससे भी घटिया काम यह होगा, जो ठेका लेने वाला है ना, वह इनसे और पैसा काट-काटकर के उन बापड़ों को दो हजार रूपये पड़ता होगा, बाकी वह ठेकेदार खा जाता है। कहीं न कहीं कोई सिस्टम तो बनाओ। यह कम से कम, जो भी पेमेंट करते हो इनको चैक से करो और ठेकेदार को दस-बीस परसेंट, इसके अन्दर से काटना है तो एक साथ काट लो या दस प्रतिशत काट करके ठेकेदार को देना पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम यह तो पता लगेगा कि मुझे 2200 ही मिलेंगे, पर 2200 तो मिलेंगे मुझे। वह भी हम इसके बारे में व्यवस्था नहीं करा सकते।

बोर्ड की जो परीक्षा का रिजल्ट आया न, उसको देख करके आपको सब को बहुत खुशी होगी, सब लोगों को ही, मुझे भी हुई क्योंकि आपकी माध्यमिक शिक्षा का 73.15 प्रतिशत रिजल्ट रहा। आपके विज्ञान का 91 प्रतिशत, वाणिज्य का 94 प्रतिशत और कला वर्ग का 87 प्रतिशत। इसके पहले के रिकार्ड उठा कर देखें तो सैकण्डरी का कभी भी 51 प्रतिशत से ऊपर नहीं आया चालीस साल में। चालीस साल में कभी भी किसी भी सरकार, आपकी भी रही, हम भी रहे, सब रहे लेकिन हमेशा परीक्षा परिणाम 45 से लेकर 51 प्रतिशत तक आया। आप इस रिजल्ट को सीधा 73 प्रतिशत पर ले गये और इस 73 प्रतिशत पर ले जाने का क्या तरीका निकला, वह तरीका निकला है कि आपने यह जो स्कूल को जो मार्क्स दिये बीस, लिखा तो बहुत अच्छे मन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से था कि तीनों टैस्ट और हाफ-ईयरली को जोड़ कर जितने नम्बर उसके आते हैं उतने नम्बर उसको जोड़ दो, व्यवहार के और उपस्थिति के पांच नम्बर जोड़ दो, समझ में आता है लेकिन अब आप शीट मंगवा कर स्वयं देखना, इन सबमें आपको अधिकांश में जहां-जहां भी, यह एक नई बेईमानी का रास्ता खोला है आपने शिक्षक के लिए, जो थोड़ा-बहुत पवित्र रहा उसको भी यह जो सेक्शनल मार्क्स स्कूल में से जाते हैं न, इसके बीस में से अठारह, सत्तरह, सोलह, उन्नीस और वह जो ओरिजिनल 80 की परीक्षा हो रही है उसमें कितने हैं, पन्द्रह, सोलह, सत्तरह, अठारह यानी 80 में से सत्तरह नम्बर वाला, पन्द्रह नम्बर वाला पास हो रहा है और उधर से बीस में से अठारह नम्बर लेकर के बच्चे निकल रहे हैं। रिजल्ट तो अपने आप ठीक हो जायेगा। कम से कम और कुछ नहीं कर सको तो इतना तो करो, उस अस्सी में से भी कम से कम तैंतीस प्रतिशत मार्क्स की राइडर लगाओ कि इतने तो कम से कम उस अस्सी में से भी उसे आना चाहिए। फिर उसकी डिविजन में इम्प्रूवमेंट हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन इस तरह बिलकुल ऐसे निकाल करके अगर आप देंगे तो इसके कारण से मैं सोचता हूं कि हम स्कूलों के यह सारे के सारे...।

अभी आपने बोर्ड का गठन, बोर्ड ही समितियां बना सकता है न; आपका यह जो बोर्ड का एक्ट है ना, यह एक्ट है, इस एक्ट में बोर्ड, बोर्ड का गठन होने के बाद आप समितियां बना सकते हैं। आपके बोर्ड का अध्यक्ष समिति बनाने का अध्यक्ष नहीं है। इसमें पूरा लम्बा-चौड़ा है, कौन-कौन इसके मेम्बर होते हैं, क्या है। आपने समितियों का गठन कर दिया, ठीक है, या तो किताब बनाना नहीं, विधान बनाना नहीं और बनाना तो उसकी पालना होनी चाहिए। जिसको भी बनाना है, जो भी बनना है, इसमें सरकार के नोमिनेटेड भी बहुत हैं, बोर्ड के पदेन लोग हैं बहुत सारे, कुछ इलेक्टेड लोग हैं, कुछ अपने शिक्षक संघों से होंगे, कुछ और किसी यूनिवर्सिटी का एक-एक मेम्बर होगा, बहुत कुछ करके इसको जिस ढंग से बनाया, इस आधार से बनाया कि इतने लोगों की सूझ-बूझ से यह जो समितियां बनेंगी जिसमें आपकी किताबें लिखी जायेंगी वह ठीक ढंग से लिखी जायेंगी लेकिन आपने उसका भी ध्यान नहीं रख कर, केवल बोर्ड ने आपको भेज दिया और आपने उसको ओके करके भेज दिया। आपका अधिकार नहीं है ओके करके भेजना। फिर आपने अभी यह कहा है कि हम एन.सी.ई.आर.टी. का कोर्स चलायेंगे; चलाइये, कोई चिंता की बात नहीं। एन.सी.ई.आर.टी. के कोर्स के आधार पर जो कम्पीटीशन होता है आल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इण्डिया लेवल पर, उसका तो पूरा मैटर उसमें से मिल जायेगा लेकिन हमारे राजस्थान के लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं उसका सिलेबस कौन बनायेगा? इन दोनों का सिलेबस अगर समान नहीं हुआ तो हमारा बच्चा तो परीक्षा किससे देगा? तो आप इसके बारे में फिर आपकी टीम को बिठाओ। अगर आपको...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आप थोड़े से भी अपनी टीम को बिठाकर इन पुस्तकों के बारे में विचार करें क्योंकि हम 12वीं तक के बच्चों को किताबें मुफ्त देते हैं, यह सोचकर के देते हैं कि कम से कम गरीब के बच्चों को मुफ्त किताबें मिलेंगी, इसके सहारे भी वे कुछ-न-कुछ पढ़ेंगे लेकिन जैसे ही आपने एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें लीं, इसकी कीमत चार गुणी हैं। क्या यह चार गुणी कीमत सरकार देकर के खरीद करके देगी बच्चों को? मान लो, इनको दे भी देगी सरकार तो वह जो निजी शैक्षणिक संस्थाओं में जो आपके आधे बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये किताबें किस भाव से पड़ेंगी? कोई-न-कोई ऐसा कुछ तरीका बनाये जिससे इन किताबों की कीमतें किस प्रकार से कम की जा सकती हैं और किस तरह से इसमें से बनाया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तकों में जो बदलाव किया जितना शर्मनाक है, वह तो हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने अपने भाषण के समय कहा था, इतना छोटा दिमाग नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आप और हम भी सवेरे जब उठते हैं तो राम का नाम लेते हैं, गंगा का पानी जब डालते हैं ना, मंत्र डालते हैं। उसमें कोई इतनी साम्प्रदायिकता नहीं आ गई कि उस मंत्र को बोलने से देशद्रोही हो जाएगा और मंत्र नहीं पढ़ेगा तो वह राष्ट्रभक्त बन जाएगा। इस छोटी सोच के आधार पर कभी शिक्षा में सुधार होना मुझे तो कम से कम नहीं लगता।

जिस संस्कृत विश्वविद्यालय को आपने बनाया, मैं आपसे बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि वास्तव में इस संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाने का सारा का सारा काम नारायण दास जी महाराज के सहयोग से और यहां के जन सहयोग से इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया। लेकिन आज की तारीख में इसकी हालत क्या बनाकर के रखी है? कभी इसको देखते भी हैं जाकर के, कोई विचार भी करता है कि यह आखिर क्या हम इस विश्वविद्यालय को बना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हैं? इसमें आपके कुल 37 पद हैं प्रोफेसर के, रीडर के और सहायक आचार्य के, उसमें से आज की तारीख में केवल 21 पद भरे हुए हैं। इसके नीचे आप देखें, जो राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के पद हैं इसमें आपके सारे के सारे मिलाकर के 10 पद हैं और 10 में से आज की तारीख में एक भी पद नहीं भरा है। एक भी पद नहीं भरा है। जब लेक्चरर्स, प्रोफेसर नहीं होंगे तो क्या विश्वविद्यालय चलाओगे? बिल्डिंग के मत्था मारेंगे क्या? केवल बिल्डिंग बना देने से और उसको बना देने से, जिस संस्कृत को इतना महत्व देकर मैं सोचता हूं कि राजस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि संस्कृत विश्वविद्यालय बना लेकिन हमने संस्कृत को नजरअंदाज किया। प्राइमरी और एलीमेंटरी एजुकेशन के संस्कृत के विद्यालय में जाकर के देखें तो इतनी दर्दनाक स्थिति बनकर के खड़ी हुई है कि हम कैसी बात करते हैं, करना क्या चाहते हैं, हमें यह समझ नहीं आता है। संस्कृत के अध्यापकों की भर्ती के लिए आर.पी.एस.सी. ने रिजल्ट निकाल दिया उसके बाद भी नियुक्ति नहीं दे पाये।

कहां-कहां, क्या-क्या वर्णन करें आपका? अब आपको यह लगता होगा कि कटारिया जी आलोचना करते हैं, मैं आलोचना नहीं करता हूं, मैं इस कष्ट को जानता हूं क्योंकि मैं उस साधारण स्कूल में पढ़ा हूं और मुझे आज भी पता है कि अगर मेरी भी अंग्रेजी अच्छी होती तो मैं आज लोगों की ज्यादा ईमानदारी से और अच्छी सेवा कर सकता था। लेकिन उसकी कमजोरी के कारण मन में कई बार हीन भावना लगती है। उसके कारण क्या हैं? मुझे जिस प्रकार का भी वातावरण मिला उसी में तो हम पढ़े हैं। कम से कम हमारे आने वाले बच्चों को यह हीन भावना न हो। मैंने जब तीसरी में अंग्रेजी शुरू की थी, सारे हिन्दुस्तान के हिन्दी प्रेमियों ने मुझे जो उलाहना दिया, जो चिट्ठियां लिखीं, हमारे मंत्रिमण्डल में भी हमारे सारे साथी मेरे ऊपर चढ़ गए कि तुमने यह क्या कर दिया। अंग्रेजी, मैंने कहा आपने अपनी बात सबने कह दी, अब मुझे अपनी बात कहने दो। मैंने कहा, यह मंत्रिमण्डल के जितने लोग बैठे हैं आपका पोता, दोहिता और आपका बच्चा कौनसे स्कूल में पढ़ता है उसका नाम बताओ। एक भी जवाब नहीं दे पाया। मैं घनश्याम जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सरकारी स्कूल में इन्होंने पहली क्लास में अंग्रेजी शुरू की। अरे, ए बी सी डी पढ़ने से कोई पाप होता है क्या? अंग्रेजी पढ़ने से कोई राष्ट्र-भक्ति गायब हो जाती है क्या? आज की तारीख में उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर के हमको चलना पड़ेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आप विचार करें और कम से कम सब्जेक्ट अध्यापक लगाये। यह मैंने आपको कहा, व्याख्याता आप मर जाओगे तब भी आप नहीं भर सकोगे। मैंने भी खूब कोशिश कर ली, सफल नहीं हुआ। उस दिन भी कहा था, व्याख्याता के लिए आप एक इमरजेंसी रिक्रूटमेंट निकालें, जितनी पोस्टें जिस विषय की खाली हैं और विदिन सर्विस में जो टीचर आपके यहां काम कर रहे हैं सेकण्ड ग्रेड के थर्ड ग्रेड के या किसी के भी, उनको चांस दीजिए कि आप आर.पी.एस.सी. में अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अगर वे क्लीयर कर जाएं तो व्याख्याता बनाकर एक झटके में इनको पूरा करें। सारे स्कूल बिलकुल कंगाल होकर के पड़े हैं, एक भी व्याख्याता नहीं।

अब की बार आपने इस समानीकरण में पता नहीं एक यह दिया है कि सब्जेक्ट टीचर की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी के व्याख्याता की जरूरत नहीं है, हिन्दी के व्याख्याता की जरूरत नहीं है, केवल ओपन सब्जेक्ट के व्याख्याता की जरूरत है। यह कैसी थ्योरी लेकर के आये हैं? इससे कितना रुपया बच जाएगा आपका? कितना धनवान बना देंगे राजस्थान को? मैं सोचता हूं कि यह इंवेस्टमेंट है, इस इंवेस्टमेंट से प्राप्त होता है। आप चाहे कितनी सड़कें बना दें कुछ नहीं होगा। अगर हम इंसान बना सकते हैं तो ठीक है, इंसान बनाने की चिंता कर लो। आज नहीं दस साल बाद मेरा राजस्थान का भविष्य बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

उस अध्यापक की ट्रेनिंग के बारे में क्या स्थिति है? अध्यापक क्या पढ़ाता है? होम वर्क जांचता कौन है? पूरी आप 300 पेज की कापी उठाकर के, मंत्री महोदय, कभी किसी स्कूल में जाओगे ना, एक बार स्कूल के बच्चों की कापी उठाकर के देखना, तुम्हे एक कापी किसी की जांची हुई नहीं मिलेगी। जिसको हम 15 हजार तनख्वाह देते हैं, वह एक कापी नहीं जांचता है और जिसको 800 रुपए देते हैं वह 100 प्रतिशत रिजल्ट देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका मतलब कहीं-न-कहीं, मैं इसे यही बंद कर रहा हूं, आगे का विषय मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा।

मेरी प्रार्थना है कि और कुछ कर सको, न कर सको, यह रिक्त पदों को भरिये और टीचर्स को उनकी क्वालिटी के आधार पर कसिए और गुणवत्ता के आधार पर उनको मौका दीजिए, जहां भी ट्रांसफर मांगे। यह जो थर्ड ग्रेड और जो है ना, जीरो प्रतिशत रिजल्ट दे रहे हैं फिर हम एक लाख की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं? कोई जिम्मेदार नहीं? इसके लिए जीरो प्रतिशत जो भी, आप आज घोषणा करें कि इस साल अगर किसी का जीरो प्रतिशत रिजल्ट आया ना तो उसको जिला बदर किया जाएगा। उसको रहना है तो निश्चित रूप से मेरे बच्चे को पढ़ाना होगा। यह नहीं हो सकता। उस गरीब का बच्चा जहां पढ़ता है, आप और मेरे भरोसे पढ़ता है। इस लोकतंत्र में उस बच्चे के साथ हम इतने सालों के बाद भी न्याय नहीं कर सकते हैं तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं सोचता हूं कि हर आदमी अपने बच्चों को 250-300 रुपए और 1 हजार रुपए फीस देकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है लेकिन उसका बाप यह जरूर चाहता है, कुमचा चलाने के बाद भी मेरा बच्चा पढ़कर के कैसे आगे बढ़े। यह जिम्मेदारी आपकी, मेरी और यह जो 97 अरब रुपए जो हम दे रहे हैं ना तो हमें काम भी लेना चाहिए। कुछ टाइम भर्ती करने से अगर 50 या 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, 97 के बजाय 107 करोड़ हो जाएंगे, 107 अरब हो जाएंगे, क्या आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, क्या होगा? मैं सोचता हूं कि आप ध्यान केन्द्रित करें।

यही बात कहकर के आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री करणसिंह राठौड़।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

शिक्षा के बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो इस बजट में घोषणाएं की है उनका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काफी सोच विचार करके जो पिछले कार्यकाल में या जो यह लोग नहीं कर सके उसको हमने करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा फैसला जो लिया इन्होंने कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर माध्यमिक विद्यालय, यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर माध्यमिक विद्यालय खोलना, आजादी के 62 वर्ष बाद भी गांवों के बच्चों को शहर की तरफ जाना पड़ता था और कई गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, वे सैकण्डरी एजुकेशन भी नहीं ले पाते थे। इस सुविधा से गांवों के बच्चों का, गरीब का, उनका विकास हो सकेगा। यह फैसला हमारे लिए, सबके लिए, गांवों के लोगों के लिए और जो गांव में लोग बसते हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी छोटे से गांव से हूं। जब मैं पढ़ता था उस गांव में

(श्री करणसिंह)

प्राइमरी स्कूल थी। मेरे परिवार वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और कोटा दूर पड़ता था, वहां भेजा; वे सक्षम थे इसलिए मुझे पढ़ाया मगर कई हमारे नागरिक बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। यह सुविधा हमने जो दी है वह काफी लेट दी हैं पर जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दी उसकी सराहना करता हूं।

एक डी.पी.सी. की बात चली। दूसरा फैसला डी.पी.सी. का है, 24 हजार 537 कर्मचारियों की डी.पी.सी. हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है, इसकी मैं सराहना करता हूं।

जो फ़ैसले लिए हैं उनको मैं सदन को बताना चाहता हूं मगर जो कमियां हैं उन पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। चाहे बच्चों के पोषाहार के सम्बन्ध में ले लीजिए। पोषाहार में बच्चों को जो मिलता था मिड-डे-मील में, उसके खर्च में बढ़ोतरी की गई है। गांव-गांव में स्कूलों में 67 हजार 200 विद्यालयों में रसोई घर बना दिये गये हैं, उसमें 403 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत बड़ी समस्या थी। जब मिड- डे

(समय : 15.00 बजे)

मील चालू किया गया था तब यह बात उठी थी कि गांव में मास्टर भोजन बनाने लग गये हैं, पढ़ाई नहीं कराते हैं, सामान नहीं है, रसोई घर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है मगर आज गांव के अन्दर स्थिति सुधरी है। यह भोजन व्यवस्था के बारे में भी लोगों ने कहा था कि यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ है मगर मैं इसको खिलवाड़ नहीं मानता हूं। एक गरीब जिसके घर में सुबह-शाम का भोजन नहीं होता है उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से उनको स्कूल में पौष्टिक आहार मिल पाएगा। यह सराहनीय कदम है।

मूक-बधिरों के, नेत्रहीनों के, विमंदितों के विद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले बच्चों का भत्ता बढ़ाकर के बहुत सराहनीय काम किया है। यह परोपकार का काम है। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है। काम करने से ही राजा का काम दिखता है कि राजा की सोच क्या है। कोई भी चाहे सत्ता विपक्ष की हो, चाहे हमारी हो, राजा की सोच गरीब के प्रति होनी चाहिए और हमारे इस बजट में, बिलकुल जो राजस्थान का बजट दिया हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसमें गरीब, गांव के परेशान लोग, विकलांग, अल्पसंख्यकों के ऊपर ध्यान केन्द्रित किया हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में उनको सुविधा देने के लिए इस बजट में

(श्री करणसिंह)

पूरा प्रावधान रखा गया है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजा बनने के बाद ज्यादातर बड़े लोगों के बारे में सोचते हैं।

शिक्षा क्षेत्र में अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वास्तव में सरकारी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाता है और हमारे बच्चे वास्तव में सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की दशा वो बना दी है जिनकी स्थिति देखने लायक है। अभी बारां जिले का जिक्र किया माननीय सदस्य ने, उसी क्षेत्र में मेरा छबड़ा पड़ता है। पूरे दो-दो सौ बच्चों पर एक टीचर और कई जगह तो स्थिति यह है कि दस बच्चों पर पांच टीचर हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों की आदत बिगाड़ने का काम हमारे नेताओं ने किया है, हम लोगों ने किया है। मैं उधर बैठे हुए उन लोगों की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि पांच साल में उनकी ऐसी आदत बिगाड़ दी कि वे शहर छोड़ कर गांव जाना ही नहीं चाहते। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इच्छाशक्ति प्रकट कर समानीकरण की बात सोची है, समानीकरण की सोची पर वो लागू नहीं हो पाया है कारण चाहे पंचायत राज का चुनाव हो, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो मगर मैं शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि इच्छाशक्ति को मजबूत रखते हुए इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। इतना बड़ा लवाजमा जो आपका सरकारी खर्च उठा रहा है, जिस व्यवस्था के लिए हमने लगाया है, दुर्भाग्य की बात है कि वे पढ़ाने नहीं जाते हैं और इतनी मोटी सैलेरी उठाने के बाद भी काम नहीं करना चाहते हैं। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात नहीं है यह? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब बातों के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है। आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी इन लोगों को सुधार नहीं पाये और अभी भी हम इनको सुधार नहीं पाएंगे तो मेरे ख्याल से कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि सरकारी काम करने के लिए जब नियुक्ति दी है तो उनको काम करने का दायित्व भी सिखाना पड़ेगा। उनको अधिकार और काम करने का तरीका भी सिखाना पड़ेगा, इसके लिए आप प्रयास करिये। वास्तव में गांव में स्थिति खराब है; गांव में बच्चे हैं पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

(श्री करणसिंह)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में काफी कुछ किया है। प्री-मैट्रिक स्कालरशिप योजना, इसमें पहले सत्रह हजार विद्यार्थियों को लाभ मिला और इस बार साठ हजार तक विद्यार्थियों की संख्या पहुंची है, बहुत सराहनीय कार्य है। मदरसा बोर्ड के लिए दो हजार पांच सौ शिक्षा सहयोगी उपलब्ध कराने की बात की है, यह आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा है। मदरसा बोर्ड में मुस्लिमों के साथ, मैं तो यह कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जितना शोषण किया मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। इसलिए मुस्लिमों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मुस्लिमों का जीवन स्तर सुधारने के लिए और मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो भी हम सुविधाएं दे सकें उसको देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो कदम उठाया है उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए जयपुर में छात्रावास खोलने की जो घोषणा की है ये इतना बड़ा सराहनीय कदम है इसके लिए हम सबको तारीफ करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, मैं माननीय राठौड़ साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड के स्कूल तो खुलवा दो आप, आवासीय विद्यालय जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी। अल्पसंख्यकों के हितैषी बनते हैं। मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा सैंक्शन हुआ है उस पर जरा एक बार फरमा देना, कांग्रेस के राज में कितना पैसा खर्च हुआ?

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह डिबेट है। मैं बोल रहा हूं आप सुनिये। मैं मंत्री नहीं हूं, अगर मंत्री होता तो मैं जवाब देता। मुझे आप मंत्री बनवा दीजिये मैं आपका काम करवा दूंगा। यह मेरी डिबेट है, मुझे जवाब देने का अधिकार नहीं है मुझे बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब कृपा करके आप सब विराज जाएं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं मंत्री नहीं हूं। मैं मंत्री होता तो आपका काम पूरा कर देता। अभी घोषणा करता दो मिनट में। अभी घोषणा करता आपकी... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, आप मंत्री बनाओ न। बनाओ, कल ही शपथ ग्रहण करो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं और इसको कहने में भी हम नहीं हिचकते हैं तथा आपने जो नहीं किया वह हम करके दिखायेंगे, इसकी चिन्ता मत करिये आप।

दूसरा, आठवीं, दसवीं, बारहवीं की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय आने वाली बच्चियों को जो पुरस्कार की घोषणा की है वह बहुत सराहनीय कदम है। एजुकेशन क्षेत्र में ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि पढ़ने वाली बच्चियों का मनोबल ऊंचा हो सके। बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना, यह इतनी बढ़िया योजना है इसकी हम सबको सराहना करनी चाहिए। जो बच्चियां गरीब परिवार की होती थीं और जो मेरिट में आती थीं, उनका भाग्य पैसों के कारण नहीं बन पाता था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने विदेश में शिक्षा लेने के लिए उनको सुविधा दी है, जो आज तक किसी ने नहीं दी। इसकी मैं तारीफ करता हूं।

दूसरा, अभी कटारिया साहब फरमा रहे थे कि शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नामक जो पाठ्यक्रम शामिल किया है इसमें राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान को उपलब्ध कराने का जो पाठ्यक्रम है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के गौरव की बात को, इतिहास को नष्ट कर दिया गया था और यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच रही है। मैं सदन में आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसा पाठ्यक्रम शामिल कर दिया था जिससे साम्प्रदायिक सद्भावना बिगड़ने की संभावना थी, उसको रोका गया और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आप सबका गौरव बढ़ाने के लिए राजस्थान के इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया है और जो आप इतिहास भूल गये उस इतिहास को वापस पढ़ाने का काम किया गया। यह बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जब हम हमारे इतिहास को और हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हमारे लिए बचा क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी ऐसी चीज को नहीं जोड़ा जिससे किसी के दिल में चोट पहुंची हो।

राइट टू एजुकेशन एक्ट आने वाला है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें केन्द्र का पचहत्तर प्रतिशत पैसा है और पच्चीस प्रतिशत गवर्नमेंट आफ राजस्थान देगी। इसके माध्यम से गांव-गांव में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस राजस्थान के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट को शीघ्र लागू करने का प्रयास करें ताकि जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें।

(श्री करणसिंह)

मैं कुछ प्रसन्नता के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सदन का। आजकल लोगों का सारा ध्यान कांवेंट स्कूलों की तरफ है, सी बी एस ई स्कूलों की तरफ है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट मचायी जाती है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। इतनी फीस, इतनी नाजायज वसूली करते हैं और एक स्टैंडर्ड ऐसा हो गया कि मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिये, मेरी बेटी उसी स्कूल में पढ़नी चाहिये और बच्चों के मन में भी यह बैठ चुका है कि नहीं, पापा, उसी स्कूल में एडमिशन होना चाहिये या उसी कालेज में एडमिशन होना चाहिये। कोटा का बच्चा बोलता है मुझे जयपुर पढ़ाओ और जयपुर का बच्चा बोलता है मुझे पूना पढ़ाओ और पूना का बच्चा बोलता है मुझे कनाडा पढ़ाओ। ऐसी संस्कृति हमारे बीच में डवलप हो गई है। इसका कारण क्या है? शिक्षा पहले सेवा थी और मैं सदन को बताने से भी नहीं चूकूंगा कि अब शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। इस व्यवसायीकरण को रोकने के लिये सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिये। क्या प्राइवेट स्कूलों से या प्राइवेट कालेजों से जो आज लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं इनसे सरकार कुछ लेती है? यह सरकार को कुछ अनुदान देते हैं? इन पर अंकुश लगाने के लिये नीति बननी चाहिये वरना दिन पर दिन इसमें वृद्धि होती जायेगी और जनता लुटती जायेगी और हम इसको रोक नहीं पायेंगे। इसी का परिणाम है कि हम आज शिक्षा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं क्योंकि लोगों की टेंडेंसी बन गई है, लोगों की सोच बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं, जो पढाने वाले हैं वे भी यह सोचते हैं कि मेरे स्कूल में बच्चे पढने नहीं आते हैं तो वह टीचर पढ़ाने वाला भी धीरे-धीरे अपने आचरण को चेंज कर लेता है और वह पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है।

यह गम्भीर बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, गांवों में जो समस्याएं आती हैं वे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का इसमें पूरी तरह से समावेश किया गया है। मेरा निवेदन है कि गांवों में जो समस्या आती है वह यही आती है कि गांव में लोगों के पास स्कूल में सुविधा नहीं होती है, कमरों की सुविधा नहीं होती है, शौचालय की सुविधा नहीं होती है, स्कूल भवन की सुविधा नहीं होती है, पीने के पानी की सुविधा नहीं होती है, आवागमन के रास्ते की सुविधा नहीं होती है। हमें मास्टर प्लान बनाना चाहिये। पूरे हिन्दुस्तान का अगर विकास करना है तो 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, हर चीज में गांव का मास्टर प्लान

(श्री करणसिंह)

बनाने की आवश्यकता है। अभी पिछली चर्चा के दौरान एक सदस्य ने कहा है कि गांव का मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं जबकि शहरों की सफाई नहीं होती है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से लोगों की सोच गांवों की तरफ गई है, बड़ी मुश्किल से लोगों का ध्यान गांवों की तरफ गया है उस ध्यान को वापस खींचने की आप बातें मत कीजिए। गांवों की ओर सरकार का ध्यान जाने दीजिए, इससे गांवों का विकास होगा। अगर गांव में शिक्षा व्यवस्था होगी, अगर गांव में चिकित्सा व्यवस्था होगी, अगर गांव में विद्युत व्यवस्था होगी, अगर गांवों में सड़कों की व्यवस्था होगी, अगर गांवों में खेल मैदान होगा तो क्यों हम लोग शहर की तरफ आयेंगे? जब शहर में भीड़ बढ़ती है तो शहर में गंदगी फैलेगी ही। इसलिए आप शहर की सफाई चाहते हो तो गांवों के लोगों को शहर की तरफ आने से रोकने के लिये यह सुविधाएं आप मुहैया करा देंगे तो कोई भी गांव का आदमी शहर की तरफ नहीं आना चाहेगा। पर जब आप गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं, गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं, गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं देना चाहते हैं, गांव में बिजली नहीं देना चाहते हैं, गांव में सड़कें नहीं देना चाहते हैं तो फिर गांव का आदमी मजबूरी में शहर की तरफ आता है। इसलिए शहर का मास्टर प्लान छोड़ कर गांव का मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। शहर के मास्टर प्लान तो बन चुके हैं, मैं गांव का हूं इसलिए गांव की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए जो पंचायत के माध्यम से जो प्लान बन रहा है उसको बनाते हुए, सभापति महोदय, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल में खेल मैदान बनना चाहिये, यह बहुत गहरी आवश्यकता है। अगर आपने बच्चों के लिये खेल मैदान बनाने के लिये आज से ही इसको सोच रखा है तो खेल मैदान की जगह मिल सकती है। आने वाले टाइम में आपको किसी भी गांव में किसी स्कूल के लिये न तो जमीन मिलेगी, न खेल मैदान के लिये जगह मिलेगी। अभी कुछ जमीन बची हुई है जिस पर लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि गांव-गांव में खेल मैदान बनाये जायें और गांव की जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिये मास्टर प्लान पहले से बना लिये जायें, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो तो हम लोगों को काफी सुविधा मिल पायेगी।

मेरा निवेदन है, शिक्षा क्षेत्र में कोटा में जो हो रहा है उसकी तरफ मैं सदन में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा में सी.बी.एस.ई. में एडमिशन देने के लिये प्राइवेट स्कूल वाले एक-एक बच्चे से 50-50 हजार रुपये लेते हैं। आई.आई.टी. की कोचिंग लेने के लिये बाहर से बच्चे आते हैं

(श्री करणसिंह)

उनको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। यह प्राइवेट स्कूल वालों ने धंधा बना रखा है। इस धंधे को खतम करने के लिये आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे काफी लोगों को निराशा होती है और काफी लोगों का शोषण होता है। यह बहुत गम्भीर चिंतन का विषय है। जब हम कोटा जाते हैं, मेरा डिविजन कोटा पड़ता है, हम वहां पेरेंट्स से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिये अलग से पैसा देना पड़ता है, बच्चे को रहने के लिये हास्टल के पैसे अलग से देने पड़ते हैं, खाने के अलग से पैसे देने पड़ते हैं और कोचिंग संस्थान में एडमिशन फार्म लेने के लिये अलग से पैसे देने पड़ते हैं। यह भी बहुत गम्भीर चिंतन का विषय है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या कोचिंग क्लासेज हैं, उनका एक-एक एडमिशन फार्म 5-5 हजार रुपये का एडमिशन फार्म, 3-3 हजार का एडमिशन फार्म और वे कितने एडमिशन फार्म बेचते हैं और एडमिशन कितने बच्चों को देते हैं, उसकी भी आप जांच करा लीजिए। यह बहुत बड़ा एक व्यावसायिक धंधा बना रखा है, इन धंधा करने वालों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है जिससे गरीब लुटने से बच जायें।

जो विद्यार्थी मित्र टीचर हैं इनके बारे में थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । विद्यार्थी मित्र को हम बहुत कम पैसा देते हैं मगर यह आज की तारीख में 25-30 हजार रुपये लेने वाले टीचरों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्र टीचर हैं इनको स्थाई किया जाये या इनके भविष्य के बारे में विचार किया जाये।

दूसरा, शिक्षा में जो बदनामी होती है कि एक स्कूल में शिक्षक दारू पीये हुए मिलता है, कहीं ताश खेलते हुए मिलते हैं । अभी कटारिया साहब ने कहा कि एक स्कूल में एक ही बच्चा है और एक मास्टर और एक मास्टरनी है। ऐसी व्यवस्थाओं से हमारी बदनामी होती है और हमारी बदनामी, सरकार की बदनामी । इसीलिए ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्यवाही करने का प्रयास करना चाहिये। शिक्षकों के आचरण के बारे में भी कोई नीति बनानी चाहिये और जिस शिक्षक का बार-बार चरित्र खराब रहा हो उसको बदलने की बात करनी चाहिये।

(श्री करणसिंह)

दूसरा, एक और गम्भीर चिंतन की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 10-10 साल से शिक्षक एक ही जगह डटे हुए हैं और आधे शिक्षक तो सरपंच और नेता बन गये । गांव की राजनीति करते हैं वे लोग। यही हाल अपने राशन डीलरों का है। यह आप सबका चिंता का विषय है। अगला एम.एल.ए. या तो मास्टर बनेगा या राशन डीलर बनेगा, देखना आप। अभी दो चार एम.एल.ए. तो मास्टर बन कर आये होंगे। मैं आपको चिंता का विषय बता रहा हूं, मास्टर पढ़ाता नहीं है वह नौकरी करता है उसका भाई सरपंच है। अगर मान लो वह मास्टर है तो उसकी बीबी सरपंच है। यह चिंता का विषय है, यह हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। गांव में जो चर्चा आती है उसको सदन में बताने की आवश्यकता है। अगर इन बातों को नहीं बतायेंगे तो छबडा वाले कहेंगे कि हो सकता है करण सिंह वहां हो-हल्ला कर रहा होगा। इसलिए उनकी सारी बातों को यहां बताना मेरा फर्ज बनता है और इसको मैं नहीं बताऊंगा तो आप यह समझेंगे कि मैं भी यहां अन्दर बैठकर चाय, काफी और पीजा खा जाऊंगा। मैं यहां पीजा-बर्गर खाने नहीं आया हूं । मैं भंवरलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, यह गम्भीर विषय है, चिंता का विषय है आप सबके लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, राठौड़ साहब ने शिक्षा के भगवाकरण की बात की है, तो क्या यह शिक्षा में भी हरित राजस्थान चलाना चाहते हैं क्या?

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप बोलो तब बोलना उस बारे में।

मैंने आपको दो-तीन बातों के बारे में बताया कि यह जो टीचर 15-15, 20-20 वर्षों से एक ही जगह हैं इनको इधर-उधर करना चाहिये बल्कि पंचायत समिति में भी इनको बदलना चाहिये। यह राजनीति करते हैं और जब एक मास्टर राजनीति करता है तो दूसरा सोचता है कि मैं भी राजनीति करूं। इन सारी व्यवस्थाओं पर हम अंकुश लगा नहीं पाते हैं और फिर हम नेता लोग सिफारिश कर देते हैं, जब हम सिफारिश कर देते हैं तो फिर वह सारी व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ पाती है।

दूसरी शिकायत जो गांव में मिलती है कि आपका आदेश निकलने के बाद आपका डी ई ओ बंधी बांध कर रखता है मास्टरों से। ट्रांसफर होने के बाद डेपुटेशन पर लगा देते हैं। इसलिए जितने भी आपके जिला अधिकारी हैं ये

(श्री करणसिंह)

पैसा कमाने का काम भी करते हैं। यह सदन में मैं वह बातें बता रहा हूं जो गांवों में मुझे सुनने को मिलती हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में हमारी कमियां हैं।

मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने काफी योजनाओं का इसमें समावेश किया है चाहे देव नारायण योजना है। भिक्षावृत्ति के लिये आप देखिए, भिक्षावृति के लिए भी सोचा है। भिक्षावृति करने वाले लोगों को हमारे मण्डाना स्कूल में, चन्द्रकांता जी के एरिये में जो 120 सीटें थीं उनको बढ़ाकर 200 तक की कैपेसिटी कर दी। यह एक सराहनीय कदम है। साथ ही बारां क्षेत्र में शाहबाद में छात्रों के पढ़ने के लिए दो विद्यालय खोले, वह भी सराहनीय कदम है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। चन्द्रकांता जी मेघवाल जो हमारी क्षेत्र की हैं उन्होंने कहा कि हर स्कूल के शिक्षक डेपुटेशन पर लगे हुए हैं और यह डेपुटेशन, मैंने पहले ही बोला है कि डी.ई.ओ. धंधा बनाकर रखता है, पैसा डी.ई.ओ. लेता है या ऊपर आता है। यह बात मेरे कहने वाली बात नहीं है। यह सारा काम खतम कर दीजिए। (व्यवधान) आप मुस्कुराओ मत, आप पर भी आ रहा हूं। (व्यवधान) हमने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। अभी जो आपने कर रखा था वे ही लगे हुए हैं, हमने एक भी ट्रांसफर नहीं किया है। हमारी सरकार ने एक ट्रांसफर नहीं किया, जो आपने लगाये वे बैठे हुए हैं अभी। अब यह समानीकरण के माध्यम से उनको निपटा रहे हैं। जो व्यवस्था खराब की, वह आपकी जिम्मेदारी थी। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि शिक्षा क्षेत्र को सुधारने के लिए आप और हम सब मिलकर इस क्षेत्र में जो भी अच्छा काम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। हमारे जो सुझाव हैं, उन पर गम्भीरता से चिंतन करें और जो विधायक बैठे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इसमें सुधार करने के लिए क्या-क्या आपके सुझाव हैं, आप देना, हमारे मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी इस बारे में चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुन्दरलाल जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: विराजें, आदरणीय सदस्य, एक मिनट विराजें। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर...

सूचना

ट्यूरिस्ट बस आपरेटर्स का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के बाहर आल राजस्थान टयूरिस्ट बस आपरेटर्स एसोसिएशन के दो हजार लोग खड़े हैं और वे अपनी परमिट पर कर सीमा 25 हजार से 35 हजार कर दिये जाने के कारण से दुःखी हैं। उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा। वे माननीय मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में चलने वाली लगभग दो हजार आल इंडिया परमिट बसों के मालिक...

श्री सभापति: आपको सदन का ध्यान आकर्षित करना था, हो गया। बिराज जाएं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आप निर्देश करें वह उनका ज्ञापन तो ले लें, उनकी मांग को सुन लें, समस्या का समाधान करें।

श्री सभापति: बिराजें। आदरणीय सुन्दर लाल जी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): माननीय सभापतिजी, आज मांग संख्या 24 शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में 25 मास्टर, 350 बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में 10 मास्टर और 1200 बच्चे हैं। दस मास्टर में भी बी एड करा हुआ एक नहीं है। इसका कारण मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दें।

दूसरी बात, अध्यापक सीकर, झुन्झुनूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, ज्यादा अध्यापक हरियाणा के रहते हैं, शुक्रवार को वे चले जाते हैं और मंगलवार तक आते ही नहीं। इसलिए इसमें भी आप देखें। एक तो जैसा बंशीलाल जी ने फैसला कर दिया था कि कोई अध्यापक अपनी तहसील में नहीं रहेगा इसलिए ऐसा काम करके जाओ। शिड्युल्ड कास्ट के आदमी में से उठकर आये हो, ऐसा फैसला करो कि वे भी याद रखें कि ऐसा फैसला कर दिया।

(श्री सुन्दरलाल)

आजकल कानून हाई कोर्ट ने कर दिया कि गोचर भूमि में ग्राउंड नहीं बनाओगे; कहीं खेल का मैदान ही नहीं है तो यह फैसला तो करो। खेल का मैदान स्कूल में है ही नहीं। कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है और मास्टर है वहां स्कूल नहीं है। तो इस तरह का मामला है इसको आपको देखना चाहिये।

भगवान की प्रार्थना हुआ करती थी, वह भी बंद कर दी। सवेरे स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी, वह भी बंद है। कई दिनों से एक बीमारी चली कि यह सांस लेने से हो जाएगी तो वह बीमारी चलती ही रहेगी क्या ? कल यह आदेश निकालो ताकि स्कूल में भगवान की प्रार्थना तो हो। अब तो आपको पता है, सवेरे मास्टर क्या कहते हैं, कि फिल्मी गीत आता है तो वह सुना दो। क्या फिल्मी गीत सुनने जाते हैं बच्चे वहां? सुबह किसी स्कूल में प्रार्थना ही नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कल से आप आदेश निकालो ताकि स्कूल में प्रार्थना तो हो, भगवान का नाम तो लें। सारे ही अंग्रेज बन गये, भगवान का नाम नहीं लेते। किसी स्कूल में प्रार्थना होती हो तो आप जानकारी लेना, 7-8 महीने से यह बंद है, स्कूल में प्रार्थना नहीं होती।

अध्यापक स्कूल में थोड़ी सी देर रहते हैं। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप एक आदेश निकाल दीजिए कि कोई भी शिक्षक स्कूल में दारू पिया हुआ मिलेगा तो वह सस्पेंड होगा, अपने आप ही पढ़ाई चालू हो जाएगी। आधे से ज्यादा मास्टर अगर दारू छोड़ देंगे तो ठेकेदार तौबा मारेंगे। सबसे ज्यादा अध्यापक दारू पीते हैं। दो काम पहले हैं, एक तो दारू पीना और एक राजनीति। सबसे ज्यादा इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। हमारे तो कुछ ऐसी स्कूल हैं जो हरियाणा बोर्डर पर हैं, आप इंस्पेक्टर को बुलाओ, उसने कभी स्कूल देखी ही नहीं। इंस्पेक्टर कहीं नहीं जाता, कहते हैं तो कह देता है कि मेरे पास साधन नहीं है। साधन नहीं है तो क्या तुझे हवाई जहाज लाकर देंगे? साधन काहे का? गाड़ी में जाता नहीं है, कोई भी स्कूल में जाता नहीं है।

शिक्षा में आप मास्टर हैं, पहले मास्टर लगता है पीछे भंवरलाल लगता है, इसलिए आप इसमें सुधार करने की कोशिश करो। यह नहीं कि स्कूल कितनी खोलें, खोली भी बहुत हैं, एक-एक गांव में 10-10, 12-12 हैं, मेरे भुवाना में 45 प्राइवेट स्कूल हैं। एक-एक प्राइवेट में 1200-1200 और सरकारी स्कूल में 315 लड़के हैं। इसलिए आप इसमें सुधार करें। मेरे को यह समझ में नहीं आती कि सारे एम.ए., बी.एड. वहां तो पढ़ने नहीं जाते; सारे दसवीं पास

(श्री सुन्दरलाल)

वहां 1200 जाते हैं पढ़ने। इसका आप संशोधन, या तो आप सबको बिठाकर तय करें। सब प्राइवेट वाले के 80 प्रतिशत नम्बर में सब पास हो जाते हैं, हमारे सारे नहीं होते। आज से 40 साल पहले यह बात थी कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़े, आज यह है कि प्राइवेट में पढ़े। यह तब्दीली क्यों आई?

सुखाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे तब 35 करोड़ का शिक्षा का बजट था, उठाकर देख लीजिए, 35 करोड़ का और आज 97 अरब रुपये का है। फिर भी वही दशा। इसलिए आप इस बात पर विचार तो करें। 97 अरब का बजट और कभी 35 लाख का था। उस वक्त तो अध्यापकों की इज्जत थी और अब 97 अरब रुपये हो गया, कोई जिक्र ही नहीं है।

आप तो यह करो कि कोई भी दूसरे प्रान्त का अध्यापक है उसके पास-पास मत लगाओ। हमारे तो क्या करते हैं कि जितनी भी बोर्डर की स्कूल हैं नारनौल, महेन्द्रगढ़, सतलानी, लुहारू के आस-पास सब वहां लग जाते हैं और फिर शुक्रवार को शाम को जाते हैं और मंगलवार को शाम को आते हैं। कोई अध्यापक रहता ही नहीं है। स्कूलों में लड़के रामलीला करते हुए मिलते हैं, देख लेना जाकर। पढ़ते नहीं हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो सारा दिन दिमाग लगाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप इस बात को तो देखें।

अगर इस तरह चला तो यह प्राइवेट स्कूल तो चलेंगे ज्यादा और आप वाले अपने सब बंद हो जाएंगे क्योंकि मास्टर नहीं रहे। बच्चे ही नहीं जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? आपने कहा तो था कि सबको पढ़ाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ; और मास्टर मत लगाओ तो वह पढ़ेंगे कैसे? दीवार पढ़ाएगी क्या? इसलिए मास्टर भी लगाओ। इस पर विचार करो कि अपनी कमजोरी कहां आ गई। अपने वाले अध्यापक से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, प्राइवेट के मास्टर हैं वहां बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार करें।

एक अलग से इंस्पेक्टर्स के लिए तय करो कि जाकर स्कूल को देखें। आप इंस्पेक्टर्स की मीटिंग लेकर पूछो कि आपने कितनी स्कूल चैक कीं, पता करो कि कहां चैक कीं, बोर्डर पर स्कूल हैं उसमें गया क्या। इंस्पेक्टर्स यह नहीं बता सकता कि उस गांव की स्कूल का गेट किधर है। जाते ही नहीं हैं कभी।

आपको मौका मिला है इस मौके का फायदा उठाओ। सबसे ज्यादा साधारण आदमी, व्यक्ति आता है सरकारी स्कूल में क्योंकि उसके पास फीस तो है नहीं, वे वहीं जाते हैं। इसलिए आप इस बात पर विचार करें इस बात को

(श्री सुन्दरलाल)

देखकर कि यह तो होना ही चाहिये कि स्कूल समय पर जाए। सरकारी स्कूल में 11 बजे तक अध्यापक नहीं पहुंचता और जाते ही कहता है कि सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ। फिर यह मिड-डे मील है इसमें बच्चों को तो दलिया खिला देते हैं और बाद में देशी घी की जलेबी और खीर मास्टर खाते हैं। यह आप देख लेना, जाकर चैक कर लेना। खीर-जलेबी तो मास्टर खाते हैं और दलिया बच्चे खाते हैं। इसलिए आप इस बात को देखो तो सही जाकर कि यह क्या हो रहा है। हमारे मास्टरों को तो किसी को 18 हजार, किसी को 25 हजार रुपये तनख्वाह मिले और मिड-डे मील की जलेबियों में लग रहे हैं। इसलिये आपको इस बात को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।

मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं तो आपको यह सुझाव दे रहा हूं, जो साधारण सुझाव हैं कि इस तरह के जो काम हैं, उनको आपको बदलना चाहिए। मास्टर जितने भी हैं, आप 10 दिन के अन्दर आदेश निकाल दो कि कोई भी अध्यापक स्कूल में दारू पिया मिल गया तो उसको मैं सस्पेंड करूंगा। वहां पर इतना सुधार हो जाएगा कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने स्कूलों में आ जाएंगे। दूसरा यह है कि जो दूसरे प्रान्तों के अध्यापक हैं वे 30 किलोमीटर बार्डर के नजदीक नहीं लगेंगे। आदेश निकाल दो आप कि जो हरियाणा के, पंजाब के, यू.पी. के, कहीं के भी मास्टर हैं, वे उनके गांव, वहां से 20-25 किलोमीटर, झुंझुनूं में तो आधे से ज्यादा अध्यापक हरियाणा के हैं और पढ़ाते भी गड़बड़ हैं। अपन तो 'स्टेशन' बोलते हैं, हरियाणा में 'सटेशन' बोलते हैं; 'स्टेशन' नहीं बोल सकता है हरियाणा का मास्टर, 'सटेशन' बोलेगा। अपन 'स्टेज' कहें, वह 'सटेज' कहे। तो वे बच्चों को वही बात बताते हैं। इसलिये उसमें तब्दीली कराएं कि यहां आकर के तमाम यहां लग रहे हो तो आप इसको देखो तो सही।

इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देकर के, एक तो खेल मैदान हर स्कूल में होना चाहिए, इसके लिये आप आदेश करो। खेल मैदान हर स्कूल में होना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना स्कूल में होनी चाहिए। आपने आपके टाइम में ही बंद करवाई थी, वह बीमारी की वजह से कराई थी, क्यों कराई थी, प्रार्थना तो स्कूल में हो ही। पता तो लगे कि स्कूल खुल गया। अब कई बार पता ही नहीं लगता, वह प्रार्थना ही नहीं होती स्कूल की। प्रार्थना के टाइम पर बच्चों की हाज़िरी हुआ करती थी। स्कूल में शुरू में खुलते ही प्रार्थना के बाद में अख़बार होता था, कोई अच्छा लड़का जो होशियार होता था,

(श्री सुन्दरलाल)

वह पढ़कर सुनाता था, ताजा खबर है, यह-यह खबर है, आज देश की यह खबर है, पाकिस्तान की यह खबर है। आज अख़बार वाला मामला नहीं है। कोई नहीं पढ़ता है खबर सुबह। सुबह यह अख़बार या तो मास्टर पढ़ता था या अच्छा होशियार बच्चा था, वह पढ़ाया करता था। न तो कोई अख़बार पढ़ाए, न कोई प्रार्थना हो, न कोई टाइम पर जाए। एक घण्टा लगाकर दूसरा नहीं लगता है, चपरासी कहता है, बिना घण्टे के ही पढ़ लेंगे। बोर्ड पर कोई लिखता नहीं है। किसी मास्टर को कहें कि बोर्ड पर लिखो, बोलता है किताबों में बहुत सुन्दर शब्द हैं, देख लेंगे, बोर्ड पर लिखने की क्या जरूरत है।

इसलिये आप इस बात पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और कंट्रोल करके उसको क्रियान्वित कराएं कि यह हो रहा है। कंट्रोल में लिखकर दे दिया तो उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देकर आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने कहा, इस पर अमल होना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्रसिंहजी जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 पर बोलूंगा और मेरा निवेदन है कि जिन बातों पर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, उन पर सरकार और मंत्रीजी ध्यान दें।

शिक्षा के बारे में हर जगह पूरे राजस्थान की कहानी है कि स्कूल क्रमोन्नत हो गया और अध्यापक नहीं है, यह सबका विषय है। उसी विषय में सम्मिलित करते हुए, स्कूल खोले गये, लेकिन जब अगला सत्र शुरू हो, उसके साथ ही अध्यापकों की पूरी-पूरी व्यवस्था हो। जहां स्कूल क्रमोन्नत हो गये, वहां 'सर्वशिक्षा' में कमरे दे दें ताकि बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो जाए। मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर बहुत कुछ दे दिया। बजट सबने पढ़ लिया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ग को दिया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तकनीकी शिक्षा से लेकर हर शिक्षा पर उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान दिया है।

अब मैं पुरातत्व, कला और संस्कृति पर निवेदन करना चाहूंगा। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, चित्तौड़ से, वह पुरातत्व की दृष्टि से एक अपार खजाना है। चित्तौड़ का किला अपने आप में एक इतिहास है। अगर चित्तौड़ के किले में कोई जाए और देखे उसको, और अगर पुरातत्व की दृष्टि से

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जो वहां की आवश्यकता है उसको अगर पूरा कर दें तो पुरातत्व के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। यह किला 13 किलोमीटर के रेडियस के अन्दर फैला हुआ है और इसके लिये इतिहासकारों ने भी कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, और सब गढ़इया हैं। इस पूरे चित्तौड़ के ऊपर पुरातत्व की दृष्टि से लगभग 84 कुण्ड हैं, 100 मन्दिर हैं और पुरातत्व की दृष्टि से वे महल हैं, जयमल फत्ता के, पद्मिनी के, रानी कर्णावती के, पन्ना धाय के; ये ऐसी-ऐसी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह हैं जिनको आज डवलप करने की, उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उसको ऐसे मानचित्र पर लाकर के डवलप करना चाहिए जिससे हमारा पर्यटन उद्योग भी फले-फूले। आज पर्यटन पूरे राजस्थान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक उद्योग है जिसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। उस पुरातत्व के यहां पर बहुत संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अगर हमने संरक्षण नहीं दिया तो वह उजड़ता जाएगा और उसका परिणाम आयेगा कि वह ऐतिहासिक धरोहर बर्बाद हो जाएगी।

सभापति महोदय, चित्तौड़ का दुर्ग वह दुर्ग है जिसने एक बहुत लम्बा इतिहास जिया है। चित्तौड़ का दुर्ग त्याग, तपस्या और बलिदान की एक जीती जागती तस्वीर है। वह त्याग जो पन्ना धाय ने जब बलवीर राणा उदयसिंह को मारने के लिये आया तब पन्ना धाय ने अपने बेटे चन्दन को आगे कर दिया और आगे करके अपने बच्चे को मेवाड़ की धरती के लिये बलिदान कर दिया। उदय सिंह को लेकर वह कुम्भलगढ़ गयी और मेवाड़ के इतिहास को उन्होंने बचा लिया। भक्त के रूप में मीरा से बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं हुआ। मीरा का मन्दिर अपने आप में पुरातत्व की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मन्दिर है जिसको आज संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। बलिदान अगर देखें तो पद्मिनी से बड़ा कोई बलिदान आज तक नहीं हुआ। जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तब उन्होंने 16 हजार वीरांगनाओं के साथ जौहर किया।

तो यह त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती वाला हमारा चित्तौड़ है। एक महिला पर्यटन मंत्री भी हैं, कला और संस्कृति की मंत्री भी हैं। मैंने मंत्रीजी को कहा कि चित्तौड़ आओ, चित्तौड़ के किले के अन्दर बहुत ज्यादा गुंजाइश है, पुरातत्व के संरक्षण की, कला और संस्कृति को बचाने की। लेकिन या तो उनकी व्यस्तताएं या जयपुर छोड़कर के वे नहीं जाना चाहतीं, वे चित्तौड़ नहीं आईं, करीब 15-16 महीने हो गये। यह उनका विभाग है। वह आएंगी तो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

चित्तौड़ के अन्दर काफी कुछ जो केन्द्र सरकार से ला सकती हैं क्योंकि यह किला वह जगह है जहां, सभापति महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू आये, राजीव गांधी आये, चन्द्रशेखरजी आये, कई राष्ट्राध्यक्ष आये। सुखाड़ियाजी जो राजस्थान के निर्माता रहे वह हमेशा, जब भी होता तब कालिका माता का जो मन्दिर है, उस मन्दिर में अवश्य आते। चित्तौड़ के अन्दर लगभग 84 कुण्ड हैं जो कि पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका अपना इतिहास है कि पाण्डवों ने भी वहां पर अपना अज्ञातवास काटा था और भीम ने, एक भीमलत जगह है, सभापति महोदय, कुण्ड जिसके लिये कहते हैं कि उन्होंने पांव से, जोर से गदा से दबाया और वहां पर कुण्ड तैयार हो गया। उसका अपना एक इतिहास है। कालिका माता मन्दिर बहुत पुराना मन्दिर है, जहां पर सुखाड़ियाजी, देवपुराजी, शिवचरणजी माथुर, गहलोत साहब, तत्कालीन उप-राष्ट्रपति के रूप में भैरोंसिंहजी शेखावत, या आज से 2 वर्ष पूर्व जो हमारी मुख्य मंत्री थीं, वसुन्धरा राजेजी, आडवाणीजी, यह जो राजनीतिक हस्तियां हैं और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर के उस किले के पुरातत्व को देखा और उस मन्दिर के अन्दर भी ढोक लगाई है। चित्तौड़ की वह धरती है, सभापति महोदय, जहां कई बार मैंने देखा है कि जो लोग आते हैं, उस धरती की रज को लेकर जाते हैं कि यह पूजने लायक रज है। यह इतनी पवित्र रज है। मंत्रीजी से निवेदन है कि मंत्रीजी, चित्तौड़ के अन्दर आकर के उन ऐतिहासिक स्थलों को देखो, उनके संरक्षण की आज आवश्यकता है।

सभापति महोदय, वहां एक जौहर स्थली है जहां पर 3-3 जौहर हुए हैं। पुरातत्व की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण जगह है। 1303 के अन्दर रानी पदमावती ने जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो 16 हजार रानियों के साथ उन्होंने जीते जी, सती और जौहर में बहुत बड़ा अन्तर है, जौहर इसलिये किया गया अपने सतीत्व की रक्षा के लिये; फिर एक जौहर 1536 में हुआ, वह रानी कर्णावती ने किया 13 हजार वीरांगनाओं के साथ में; फिर 1568 के अन्दर एक जौहर हुआ, उसके अन्दर 9 रानियों ने 5 राजकुमारों व 22 हजार वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। वह जौहर स्थली आज भी ऐसी हालात के अन्दर है कि उसको बहुत बड़े संरक्षण की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार वहां पहल करे और केन्द्र सरकार की मदद से उसको विकसित करे क्योंकि चन्द्रशेखर जी भी आये थे जब वे प्रधान मंत्री थे, ढाई करोड़ की घोषणा कर गये, आडवाणी जी जो उप-प्रधान मंत्री थे पांच करोड़ की घोषणा कर गये

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

लेकिन पैसा नहीं लगा वहां पर, उनका संरक्षण नहीं हुआ। इसलिए आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के अधिकारी आकर उस चित्तौड़ के दुर्ग को देखें जो एक अपने आप में पुरातत्व का बहुत बड़ा खजाना है। आज अगर यह जौहर स्थली विकसित होती है, 1950 के अन्दर एक जौहर मेला शुरू हुआ, माननीय सभापति महोदय, और उस जौहर मेले के अन्दर जब पंडित जवाहर लाल नेहरू 1954 में दुर्ग पर आये गाड़िया लुहारों को किले पर चढ़ाने के लिए क्योंकि गाड़िया लुहारों की एक प्रतिज्ञा थी, देश भक्ति के लिए उन्होंने एक प्रण किया था तो वे लेकर उनको किले पर चढ़े उस वक्त। वह जौहर मेला चैत्र के अन्दर शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू उसमें शामिल हुए, उसके अन्दर उप प्रधान मंत्री के रूप में आडवाणीजी भी गये, उसके अन्दर पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी भी गये, उस जौहर मेले के अन्दर और कई हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भी उसके अन्दर गये हैं। इस जौहर मेले को अगर पर्यटन मंत्रालय, पुरातत्व विभाग अपना संरक्षण दे तो मैं कह सकता हूं कि देशी-विदेशी पर्यटक जो आज हर राज्य चाहता है कि देशी-विदेशी पर्यटक आये, ये तब आएंगे जब हेरिटेज को हम बचा पायेंगे। हमारे पुरातत्व को हम बचा लेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि मंत्रीजी, आप वहां पर आओ।

पुरातत्व की इतनी ज्यादा बाइंडिंग्स हैं, माननीय सभापति महोदय, वहां पर यह टायलेट भी नहीं बन सकता, वहां पर हैंडपम्प भी नहीं खुद सकता। हर जगह पग-पग के ऊपर यह पाबंदियां हैं हेरिटेज के रूप में।

फतेह प्रकाश महल, जहां संग्रहालय है, उस संग्रहालय के अन्दर बहुत अच्छा म्यूजियम बाहर से ला-लाकर उसको डवलप किया जा सकता है। यह चित्तौड़ वह सर्किट है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें पूरा हाड़ौती सर्किट को जोड़ा जा सकता है। हमारे चित्तौड़ के पास में ही एक नगरी जगह है, ढाई हजार वर्ष पुराना उसका इतिहास है कि तामावती रियासत थी और उस तामावती रियासत के अन्दर सिक्के ढाले जाते थे उस नगर के अन्दर। जहां आज भी खुदाई होती है तो पुराने काल के, 2,500 साल पुराने वे सिक्के निकलते हैं। यह नगरी वह जगह है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण पर आया था चित्तौड़ के अन्दर तब उन्होंने सारे हाथियों को उस जगह पर बांधा था। वह वहां पर एक 'दीपड़' बोलते हैं, जहां पर वह पूरा प्रकाश करता था, उजाला करता था सैनिकों के लिए।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मोहर मगरी, माननीय सभापति महोदय, यह मोहर मगरी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जब अलाउद्दीन खिलजी सामने से आकर किले को नहीं जीत सका, जब पीछे से उसने आक्रमण किया तब वह नहीं जीत सका, तब उसने साइड से उस किले को, दुर्ग को भेदने की कोशिश की। एक मोहर का मतलब एक मोहर सोने की देकर और एक तग़ारी वह मिट्टी डलवाता था तब जाकर वह एक मगरी बनी और उसने बुर्ज से, जो किले का बायां भाग है, उससे उसने प्रवेश किया किले के अन्दर। तो मोहर मगरी एक बहुत बड़ी पुरातत्व की दृष्टि से एक विकसित होने वाली जगह है।

मेनाल जो कि बहुत, जिसके अन्दर बहुत बड़ी, अपने पुरातत्व का खजाना अगर चित्तौड़ के बाद देखें तो बहुत पुराने-पुराने मंदिर हैं वहां पर जिनको विकसित किया जा सकता है। उसके साथ-साथ हमारे कई मंदिर हैं वहां पर, जहां मिंडकी महादेव है, केलजर महोदव है, यह ऐसी कई जगह हैं जिनको इस सर्किट के माध्यम से करके इस पुरातत्व को संरक्षण देकर हम पर्यटन की दृष्टि से जोड़कर इस पुरातत्व, पर्यटन उद्योग को पनपा सकते हैं, हम कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ के अन्दर तो स्थिति यह है कि पुरातत्व विभाग जो फोटोग्राफर्स हैं, हमारे नौजवान, उनको फोटो भी खींचने नहीं देता है।

चित्तौड़ का इतिहास, माननीय सभापति महोदय, वह इतिहास है कि अगर चित्तौड़ का इतिहास निकाल दो राजस्थान के इतिहास में से तो राजस्थान का इतिहास नहीं रहता है क्योंकि चित्तौड़ वह स्वाभिमानी की धरती रही है जिसने हमेशा कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, और रियासतों ने कर लिया लेकिन चित्तौड़ ने कभी नहीं किया। इसलिए इस पुरातत्व के संरक्षण की आज आवश्यकता है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे आकर उन पौराणिक जगहों को देखें, उनके अन्दर संरक्षण दें और केन्द्र सरकार से योजना बनवाकर और हमारे चित्तौड़ के दुर्ग के विकास के अन्दर पूरा-पूरा ध्यान दें।

मुझे आपने जो मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

पक्ष में अपनी बात कहूंगा। 'क्रियाशीलो ही पंडितः', मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभ्यास करेगा तो धीरे-धीरे जाकर तराश दिया जाएगा परन्तु जिस तरह से आज के विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और आये दिन समाचार पत्रों में आत्महत्या के जो किस्से आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कितनी मेहनत करने के बाद मेरे एक पड़ोसी के 97 परसेंट मार्क्स आये परन्तु वह आई.आई.टी. में क्वालिफाइ नहीं हो सका, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कालेज में उसका प्रवेश नहीं हो सका तो बड़ा दुःख होता है। अभी तीन दिन पहले मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के लिए इंटरव्यू किये थे। वह सी.बी.एस.ई. स्कूल था। 20 हजार से अध्यापक का ग्रेड शुरू होता है। एम.बी.ए., इंजीनियर और अच्छे से अच्छे कोर्स किये हुए लोग इंटरव्यू देने आये। उन्होंने कहा कारण यह है कि विश्वविद्यालय में अभी हम 150 रुपये में अंश-कालांश के हिसाब से पढ़ा रहे हैं जबकि यू.जी.सी. ने यह ग्रेड, पहले 150 से 250 किये, फिर 500 किये, अभी 1000 कर दिया है, छठे वेतन आयोग में परन्तु जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय के सभी अंश-कालीन या अतिथि अध्यापक जो भी हैं, लेक्चरर्स हैं उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। वे सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों की तादाद में हैं। विश्वविद्यालय में 678 पद हैं उसमें से 323 पद रिक्त पड़े हुए हैं। उन पर नई भर्ती नहीं हो रही है। सभी अच्छे पढ़े-लिखे जो क्वालिफाइड लोग हैं वे इधर-उधर भटक रहे हैं। यहां तक कि शिक्षक बनने को भी तैयार हो जाते हैं स्कूलों में।

यही नहीं, आज जब अखबारों में आया कि बी.एड. के कोर्स के लिए जो पढ़ना चाहते थे, वे हजारों विद्यार्थी पीछे रह गये। आज शिक्षक बनना अपने आप में बहुत हेय पेशा समझा जाने लगा है। अंतिम छोर में जब कोई दूसरा कोर्स नहीं कर पाते हैं या दूसरी तलाश नहीं कर पाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है तो शिक्षक बनने का ठानते हैं और उसके लिए आवश्यक है बी.एड. करें। परन्तु बी.एड. की सुविधा, बहुत सारे और विद्यालयों की जरूरत है। उसमें सरकार को और अधिक सहानुभूतिपूर्वक जिले में ही नहीं, बड़े-बड़े सभी कस्बों में बी.एड. कालेज खोलने चाहिए ताकि लोगों को अच्छा रोजगार उपलब्ध हो सके।

जो हमारी और सबसे बड़ी समस्या है, विषय के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। अब अभी मंत्रीजी ने भी कहा था और मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि हम उन सबको भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष नए स्कूल नहीं खोलकर सबको हम किसी न किसी प्रकार, गांवों में भी टीचर्स भेजने का और उस क्रम

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

में यह भी कहा कि अनुदानित जो शिक्षण संस्थाएं हैं वे वेतन समय पर नहीं दे पाती हैं, उन टीचर्स का समायोजन करके गांवों में लगाएंगे। परन्तु मैं बड़े दु:ख के साथ इस सदन को कह रहा हूं कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का क्या हाल है, पिछले वर्ष 30 परसेंट कटौती की गयी थी जो वह राशि बनती थी, इस बार परसों 34 परसेंट की गयी है। जोधपुर के अनुदानित जितने भी विद्यालय हैं उसमें सरकार से 29 करोड़ रुपये और 26 करोड़ रुपये बाकी हैं। लोगों को नहीं मिल रहे हैं। वे शिक्षण संस्थाएं क्योंकि नियम यह है कि साल में दस बार दस महीनों में एक-एक बार करके सारी राशि दी जाएगी, परन्तु वह नहीं दी जा रही है और तीन-तीन महीने के क्वार्टर से दे रहे हैं। तो क्या करें, वे स्कूल कैसे शिक्षकों को समय पर तनख्वाह चुकाये? यह एक गम्भीर समस्या है। इसी प्रकार से महाविद्यालयों में 10 प्रतिशत कटौती कर दी गयी है। 80 लाख रुपये, मैं एक कालेज को जानता हूं, जिसके बकाया हैं। कैसे दें तनख्वाह? इस विषय को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये जिससे शिक्षकों को समय पर पेमेंट हो सके ताकि जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें असंतोष नहीं रहेगा, वे शिक्षक वहां रहेंगे। सरकार के पास जाकर रोना इसलिये रो रहे हैं कि तनख्वाह उनको समय पर नहीं मिल रही है। यह शर्म की बात है।

मैं एक और गम्भीर समस्या की तरफ आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं जोधपुर की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, उनमें से आधे से अधिक स्कूलों में बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। किसी के पांच साल से, किसी के छह साल से, किसी के दस साल से बिजली बिल की राशि बकाया है। वहां मुख्याध्यापक और अध्यापक यह कहते हैं कि हमको बजट ही इतना नहीं मिलता कि हम बिजली के बिल दे सकें। जब हम कम्प्यूटर एजुकेशन की बात करते हैं कि हर विद्यालय में कम्प्यूटर आवश्यक रूप से सिखाया जायेगा तो अगर बिजली नहीं होगी तो कम्प्यूटर कैसे सिखायेंगे? मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सभी स्कूलों को बिजली मुफ्त दी जानी चाहिये, जितने कनेक्शन कटे हुए हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से वापस कनेक्शन दिये जायें ताकि वे कम्प्यूटर की एजुकेशन करवा सकें।

(समय : 15.52 बजे)

(श्री ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

जोधपुर में सी.ए. कोर्स के लिये बहुत संभावना है। आज जोधपुर के कम से कम 8000 सी.ए. विश्व भर में फैले हुए हैं, करीब 900 सी.ए. जोधपुर

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

में प्रेक्टिस करते हैं। उन्होंने अपनी ब्रांच के लिये, ताकि वहां एक्टिविटीज चला सकें, जे.डी.ए. से जमीन मांगी। जे.डी.ए. ने जमीन अलाट कर दी, फिर वापस उसको निरस्त करके कहा कि नई जमीन तलाश करके दे रहे हैं। इस काम को तुरन्त किया जाये और जोधपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच को जमीन मुहैया कराई जाये।

मेरी एक और मांग है, जोधपुर में अकाउंटिंग एकेडमी के लिये बहुत प्रबल संभावना है। उसके लिये कम से कम 25 एकड़ भूमि राज्य सरकार मुफ्त में आबंटित करे और इंस्टिट्युशन आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से यह बात तय करवायें जिससे जोधपुर में अकाउंटिंग एकेडमी की स्थापना हो।

जोधपुर एजुकेशन हब बन रहा है। मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से आई आई टी हमको मिल गयी। नेशनल ला यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। मेरा इस क्रम में निवेदन है कि वहां कृषि विश्वविद्यालय भी खोला जाये। इसी के साथ आज आई.आई.एम. की बड़ी भारी मांग हो रही है। मेरा यह निवेदन है कि अभी एक संभाग में आई.आई.एम. उदयपुर में खुल रहा है। मैं कहता हूं, सभी संभागों में एक-एक आई.आई.एम. खोला जाये और इसके लिये सरकार पुरजोर प्रयत्न करके हर संभाग में एक-एक आई आई एम स्थापित करें। आज मैनेजमेंट स्टूडेंट का भविष्य भी सबसे उज्ज्वल है। मेरे एक मित्र ने अभी आई आई एम से किया, उसको ईयरली 94 लाख रुपये का पैकेज मिला है। परसों ही केन्द्रीय संसाधन मंत्रीजी कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि 38 हजार विश्वविद्यालय और 4 लाख कालेज आने वाले 20 वर्षो में हमें स्थापित करने हैं। तो मेरा निवेदन है कि कर्नाटक, आन्ध्रा, गुजरात और तमिलनाडु जिस तरह से एजुकेशन हब बन रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में भी एजुकेशन हब बनाया जाये और हर जिले में कम से कम एक बड़ा विश्वविद्यालय, जो वर्ल्ड क्लास हो, वैसा स्थापित हो, तब जाकर हम 38 हजार के फीगर में राजस्थान का भी योगदान दे सकेंगे। सभी कैरियर कोर्सेज का राजस्थान के हर जिले में एक कालेज खुलना चाहिये।

चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय आज राजस्थान का एक अच्छा व्यवसाय है। इसमें हर प्रकार से सरकार को सहयोग देकर जयपुर में जिस तरह से जमीन दी है, उसी तरह से जोधपुर में, उदयपुर में जहां जमीन मांगे, सी.ए. इंस्टिट्युट के लिये जमीन मुहैया करवाई जाये।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

मैं एक बात खेल मंत्रीजी से और खेल विभाग से निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर की एक विकलांग बालिका है, जो हाथ से विकलांग है, अनुश्री मोदी उसका नाम है, उसने चार बार बराबर स्वर्ण, रजत 2007 में दो रजत पदक, 2008 में दो स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, 2009 में तीन स्वर्ण पदक और एक रजत पदक नेशनल पैरा-ओलम्पिक में स्वीमिंग एण्ड वाटर पोलो चैम्पियनशिप में जीतकर जोधपुर का नाम रोशन किया। लेकिन मुझे दुःख है कि हमारे कलक्टर साहब की अनुशंसा और सभी अधिकारियों की अनुशंसा के बावजूद तथा मेरे स्वयं के वहां पत्र लिखने के बाद भी खेल मंत्रालय ने इसका जवाब तक नहीं दिया। उसको यह राशि क्यों नहीं दी जा रही है? उसको 10 लाख 50 हजार की राशि दें। आप कहते हैं कि हम संवेदनशील सरकार चला रहे हैं, फिर विकलांग के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया जा रहा है? उस बालिका की माताजी मेरे पास आई और रोने लगी। वह कहने लगी, सिलाई करके मैंने इस बच्ची को नेशनल में जाने के लिये प्रेरित किया, इसका भरण-पोषण कर रही हूं, सरकार से मुझे 10 लाख 50 हजार की राशि दिलायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, उस बालिका का यह हक दिलाया जाये और तुरन्त उसको यह राशि दिलाई जाये।

श्री सभापति: समाप्त।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, नहीं, सर, मैंने अभी तो प्रारम्भ किया है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमने इस बार घोषणा की है अपने बजट में कि सरकारी स्कूल में जो बालिका मेरिट में आयेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको विदेश में शिक्षा के लिये अवसर दिया जायेगा, सरकार उसमें मदद करेगी। मेरा निवेदन है, सब बालिकाएं बराबर हैं चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ती हों या अनुदानित स्कूल में। हो सकता है सम्पन्न घराने की हों, पर मैं यह भी जानता हूं कि आजकल अनुदानित स्कूलों में चपरासी की बच्ची पढ़ती है, मोची की पढ़ती है। हर पेरेंट्स यह चाहते हैं कि मेरी बच्ची अनुदानित हो या सी.बी.एस.ई. कोर्स हो या दूसरा कोर्स हो, उसमें एडमिशन हो जाये। मेरा यह निवेदन है, दो तरह की बात न हो, एक स्टेंडर्ड के साथ हो। सब बालिकाएं बराबर हैं, जो भी मेरिट में आती हैं, उनको यह सुविधा दी जानी चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, साहब, कर रहा हूं। जोधपुर की कुछ खास बात करना चाहूंगा, मैं जोधपुर से आया हूं इसलिये। जोधपुर में खेल स्टेडियम की कमी है।

श्री सभापति: जोधपुर में कोई खास बात है क्या, जो आप जोधपुर का नाम ले रहे हो?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूं, खास बात है। वहां सिर्फ दो स्टेडियम हैं। 15 लाख से अधिक पापुलेशन है। जोधपुर का एक भाग है सूरसागर, एक है शहर और एक सरदारपुरा। मेरा निवेदन है, एक सूरसागर में, एक शहर क्षेत्र में नया स्टेडियम का निर्माण किया जाये। शारीरिक महाविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे अच्छा महाविद्यालय है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। श्री श्रवण कुमार।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): थोड़ा सा और है, दो मिनट और लूंगा। उसको साधन-सम्पन्न करके, हरेक विद्यालय के पास पार्क हो। मेरा निवेदन सुनिये, हरेक विद्यालय के पास में एक खेल का मैदान हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बिराजें आप। श्री श्रवण कुमार।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): जनरल करिअप्पा ने एक बार कहा था, अगर जमीन नहीं है तो भले ही पास की इमारत गिरानी पड़े परन्तु खेल का मैदान हर बच्चे के लिये मिलना चाहिये। इस बात के मैं भी पक्ष में हूं। मैं इनसे निवेदन करता हूं..(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार। नहीं हैं।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट के लिये साहब। हल्द्वेश्वर पहाड़ी पर ..(व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। श्री विजय बंसल।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया विराज जायें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): xxx

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान शिक्षा का स्वरूप एवं स्तर आज इतना गिर गया है कि राज्य के युवाओं को यह एक लक्ष्यहीन, दिशाहीन और बेरोजगारी की लाइन में खड़ी रहने वाली शिक्षा बनकर रह गयी है।

(: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, क्या गांव में रहने वाले किसान के बेटे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके डाक्टर, इंजीनियर, सी ए बनने का कोई अधिकार नहीं रह गया है? गांव के बच्चे के लिए न तो वहां विज्ञान संकाय है, न वाणिज्य संकाय है। तो वह इस शिक्षा को नहीं प्राप्त करेगा तो किस तरह से वह अपने परिवार को चला पायेगा? क्योंकि इनके बिना आज रोजगार के किसी भी जगह साधन नहीं हैं। सभापति महोदय, आज ग्रामीण विद्यालयों पर यदि नजर डालें तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि दो सौ बच्चों पर दो अध्यापक हैं और शहर में पचास बच्चों पर बीस अध्यापक लगे हुए हैं। तो इतना अन्तर शहर और ग्रामीण स्तर पर अगर है तो ग्रामीण शिक्षा की कैसे कल्पना की जा सकती है? सभापति महोदय, यदि कहीं शहर में विज्ञान संकाय है तो वहां अच्छी लेबोरेटरी नहीं है। अगर आज स्कूलों की हालत देखेंगे तो स्कूलों की चारदीवारी नहीं है, कक्षा कक्ष नहीं हैं, शौचालय नहीं है और जानवर भी स्कूलों में भीतर घुसकर डोलते रहते हैं। आज आवश्यकता है, बिना कक्षा कक्षों के तपती दोपहरी में, बरसात में एक पेड़ के नीचे बैठकर बालक कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है? इसके लिए, मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना किसी भाषणबाजी और राजनिति को हमको ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में निश्चित तौर पर केन्द्र से राज्य सरकार को काफी पैसा मिल रहा है लेकिन उसका कोई इम्पेक्ट फील्ड में नजर नहीं आता है। क्या इस सर्व शिक्षा अभियान में जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस पर निगाह रखकर इसको सफल बनाने के लिए राज्य सरकार की कोई योजना है? मैं यहां कहना चाहूंगा कि डी पी ई पी द्वारा जो स्कूलों में कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं स्कूल के अध्यापकों को दी जाती है।

(श्री विजय बंसल)

वे अध्यापक पढ़ाई का कार्य करायें या स्कूल की मरम्मत करवायें? वैसे ही आज स्कूल्स में मास्टर्स की भारी कमी है। पंचायत समितियों में हर जगह आज इंजीनियर्स हैं, तो मरम्मत निर्माण के कार्य इन अध्यापकों से हटाकर इन इंजीनियर्स को दिये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मिड-डे मील योजना बहुत शानदार योजना थी लेकिन आज मिड-डे मील का गांवों में जो स्वरूप बन गया है, आज देखते हैं कि उस मिड-डे मील को पकाने के लिए या तो टीचर्स लगे रहते हैं या विद्यार्थी लगे रहते हैं। अगर वे मिडडे मील ही पकायेंगे तो पढ़ाई कहां करेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को, पहले जो मिड-डे मील के नाम पर पकी हुई घूघरी दी जाती थी सड़े गले गेहूं की, उन्होंने उसको हटाकर गर्म-गर्म खाना और सप्ताह में बदलते हुए मीनू के हिसाब से जो दिया गया उससे स्कूलों में बच्चों की ड्राप-आउट रेट बहुत कम रही।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में एम एस जे कालेज है, बहुत प्राचीन और रियासत कालीन का बना हुआ है और इस कालेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक आठ हजार के करीब है। बहुत लम्बे टाइम से भरतपुर जिले की जनता और भरतपुर जिले के छात्रों की एक मांग उठती चली आ रही थी कि भरतपुर में विश्वविद्यालय खोला जाए। इसके लिए एक आन्दोलन हुआ। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने वर्ष 2008-09 में भरतपुर जिले में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। दुर्भाग्यवश सरकार बदल गयी लेकिन सरकार बदलने से यह नहीं होता है कि की गयी घोषणा पर अमल नहीं किया जाए। सभापति महोदय, इस घोषणा के बाद एक ट्रस्ट से इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी दान में मिली। सरकार ने बजट में प्रोविजन भी किया, ओ एस डी भी लगा दिया गया लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक पन्द्रह महीनों के पश्चात् भी विश्वविद्यालय को शुरू करने का सरकार का कोई प्रयास नहीं दिखता। मेरी जानकारी के हिसाब से उस विश्वविद्यालय को ड्राप करने की योजना सरकार बना रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि भरतपुर जिले की जनता और भरतपुर जिले के छात्र जब आन्दोलन पर उतरेंगे, सरकार को उसको दबाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसकी गम्भीरता को सरकार को समझना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय से

(श्री विजय बंसल)

अनुरोध है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके मंत्री महोदय जब जबाव दें और मुख्य मंत्रीजी जब वित्त विधेयक पर जबाव दें तो इस पर कुछ न कुछ बतायें कि सरकार इसमें क्या करने जा रही है।

सभापति महोदय, प्राचीन विद्यालय जो बने हुए हैं पूरे राजस्थान में, उनकी मरम्मत के नाम पर सरकार का कोई बजट प्रोविजन नहीं है। मेरे भरतपुर में मल्टीपरपज एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो कि बहुत पुराना और बहुत शानदार इसका भवन था जिसका नाम बदलकर मास्टर आदित्येन्द्र मल्टीपरपज कर दिया था किन्तु आज उस भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि खाली भरतपुर ही नहीं, राजस्थान प्रदेश के जो अन्य ऐसे विद्यालय हैं उनकी मरम्मत के लिए सरकार को निश्चित रूप से कोई राशि इस मद में रखनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज प्राइवेट स्कूल्स का चलन कितना बढ़ गया है। वहां के अध्यापक को दो हजार और तीन हजार तनख्वाह मिलती है और सरकारी विद्यालय के टीचर को बीस-बीस हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज कोई व्यक्ति जिसके पास पेट में रोटी खाने के अलावा अगर थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वह प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाएगा, सरकारी स्कूलों में नहीं। तो इस गिरते हुए स्तर को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? ऐसे कोई प्रयत्न होने चाहिए कि सरकारी स्कूल्स का स्तर ऊंचा उठ सके और उन टीचर्स को जिनके रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, प्राइवेट बी एड कालेज हैं, आई टी आई हैं, उनको मान्यता दी जा रही है लेकिन उनका कोई निरीक्षण नहीं करता। वह एक कमरे और टूटे हुए कमरों में चल रहे हैं। वहां कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे और शिक्षा का स्तर क्या होगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, आज सबसे ज्यादा परेशानी मुझे ही नहीं, इस सदन में बैठे सभी विधायकों की है, वह शिकायत है टीचर्स के स्थानान्तरण की। जब भर्ती होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, हर जगह पर बांड भरकर वह नौकरी प्राप्त करता है लेकिन साल छह महीने बाद माता-पिता की तबीयत खराब, छोटे-छोटे बाल बच्चे, श्रवण कुमार बनकर अपने माता-पिता की सेवा के लिए वापस अपने जिले में आना चाहते हैं। मैं आपसे

(श्री विजय बंसल)

अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जिला स्तरीय कैडर बनाया जाए। जब भर्ती हो उससे बांड लिया जाए कि रिटायरमेंट आपका, जिला स्तरीय कैडर में, जहां भर्ती हुई है, वहीं नौकरी करनी पड़ेगी ताकि वह मानसिक रूप से तैयार हो सके कि उसको वहां रुकना है। वह पढ़ाई भी अच्छी करवा पायेंगे और हम लोगों को भी इस झंझट से छुटकारा मिल पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का चिकसाना गांव है, शहर से 16 किलोमीटर दूर यू.पी. के बोर्डर पर स्थित है। काफी समय से स्कूल में छात्राएं भी काफी अधिक हैं लेकिन वाणिज्य और विज्ञान संकाय नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि इस विद्यालय में वाणिज्य और विज्ञान के संकाय खोले जाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो ही मिनट में बैठ रहा हूं, बीच में आप घंटी मत देना, मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक स्कूल को क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलोटी आज तक क्रमोन्नत नहीं हो पाया है, कृपया शिक्षा मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। साथ ही साथ ग्राम पंचायत पीपला में बालिका माध्यमिक खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाणक्य का एक प्रस्तुत कर रहा हूं-

''कोकिलाम स्वरम् रूपम्,

स्त्री रूपम् पतिव्रतनाम्,

विद्या रूपम् कुरापनाम्,

क्षमा रूपम् तपस्वीनाम्।''

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. रघु शर्मा। नहीं हैं। (अनुपस्थित)

श्रीमती ममता भूपेश।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): Today's topic is very important, Sir. Everybody needs education, rather need of the hour is the Education. मैं अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर सदन में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। कोई भी बात होती है, कभी भी विकास की बात की जाती है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात की जाती है तो हम लोग एक जगह पर आकर के हमेशा अपने आप को निरुत्तर मानने लग जाते हैं और वह क्षेत्र है शिक्षा का। चाहे चिकित्सा हो और चाहे विद्यालय हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की जब कल्पना करते हैं तो हम यह कहते हैं कि हमारे यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगी पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर कि जिन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया और झूठे सिद्धांतों के आधार पर गांव-गांव और ढाणियों-ढाणियों के अन्दर छोटी-छोटी स्कूलें खोल दीं। उनके दिमाग में यह था कि वोट की लालसा की वजह से जहां जायेंगे वहीं स्कूल का नाम ले देंगे, जिस ढाणी और जिस गांव के अन्दर कोई बी.जे.पी. का नेता जायेगा और वहीं स्कूल खोलने की घोषणा साथ में करता आयेगा। उन्होंने यह चीज नहीं सोची कि सिर्फ थोथे स्कूल खोलने से राजस्थान का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, राजस्थान का बच्चा शिक्षित तब होगा जब उन स्कूलों में यथा उचित टीचर्स की भर्ती होगी और बराबर की संख्या में शिक्षक रहेंगे, तब जाकर राजस्थान का बच्चा शिक्षित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लागू करके जो समानीकरण की नीति राजस्थान के बच्चों को और राजस्थान के भविष्य को दी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान का प्रत्येक बच्चा इस समानीकरण की नीति के तहत सुदृढ़ता से शिक्षित होगा और जो हम लोग चाहते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, सरकार की जो मंशा रहती है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार, किस आधार, किन नीतियों के तहत शिक्षित करें, उन नीतियों के तहत जो बराबर की संख्या में अगर शिक्षक उपलब्ध होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार के माध्यम से हम आने वाले समय में हमारे बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित कर पायेंगे।

(श्रीमती ममता भूपेश)

बजट भाषण जो मैंने पढ़ा, इसके पैरा 142 के अन्दर साफ लिखा है कि इस एजुकेशन एक्ट के तहत समानीकरण में स्कूल के टीचर्स बराबर लगाये जायेंगे, कमरे खोले जायेंगे और साथ ही राजीव गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो कि कोई माध्यमिक हैं, उनको उच्च माध्यमिक किया जायेगा, कोई आठवीं हैं तो उनको दसवीं तक किया जायेगा। प्रत्येक तरह के प्रोग्राम हमारे राइट-टू-एजुकेशन एक्ट के अन्दर राजस्थान सरकार राजस्थान के समस्त बच्चों के लिए लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के अन्तर्गत ढाई हजार अतिरिक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार भी आगामी वर्ष में किया जायेगा। मैं इस मौके पर नमन करना चाहती हूं हमारे राष्ट्र के उस महान नेता को क्योंकि कम्प्यूटर की बात आती है तो हमेशा मेरे मन में एक बात आती है और आपके माध्यम से मैं उनको नमन करना चाहूंगी जिस नेता का नाम है महान् राजीव गांधीजी, जिन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर कम्प्यूटर को लाने की पहल की। यहीं विपक्ष में बैठने वाले लोग उस समय यह बात कहा करते थे कि कम्प्यूटर अगर भारत में आ जायेगा तो हमारे बच्चे बेरोजगार हो जायेंगे। लेकिन मुझे फख्र है इस बात का कि राजीव गांधीजी ने उस समय जो कठोर सिद्धांत और नीतियां इस देश के लिए लागू कीं और कम्प्यूटर को जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में आज हम देख रहे हैं, यह उस महान् नेता का सपना था जो आज हमारे कांग्रेस के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साकार होता हुआ हमें नजर आ रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगी इस मौके पर कि कम्प्यूटर की बात हम करते हैं और आज जिस तरह से हमारा मोडर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोग एजुकेशन और टेक्नोलोजी की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे गांव और ढाणी के बच्चों को भी कम्प्यूटर की बहुत जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का नियम लागू करें कि राजस्थान के प्रत्येक दसवीं और बारहवीं के स्कूल के अन्दर कम से कम कम्प्यूटर हो, चाहे वह गांव में हो चाहे ढाणी में हो जिससे हमारा बच्चा भी शहर के अन्दर रहने वाले बच्चे के समान हो सके, गांव के रहने वाले बच्चे का मनोबल बढ़ सके और वह अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ मान सके।

(श्रीमती ममता भूपेश)

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात का भी कि अंग्रेजी, जिस तरह से हम लोग आज विश्व की मुख्य धारा के अन्दर भारत को जोड़ना चाहते हैं, उसके अन्दर अंग्रेजी एक बहुत बड़ी कड़ी है; जो अंग्रेजी जानेगा वह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्रीजी ने जो नीति लागू की है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर दसवीं तक की स्कूल खोली जायेगी, इस बात का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी सरकार की यह मंशा है कि राजस्थान के अन्दर गांव और ढाणियों में रहने वाला वह प्रत्येक बच्चा जिसने गरीब परिवार के अन्दर जन्म लिया है, जिसने अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार में जन्म लिया है और उसके माता-पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वे दसवीं तक की शिक्षा कहीं अन्य जाकर उसको पढ़ा सके, इस नीति का मैं बहुत-बहुत पुरजोर तरीके से और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारी इच्छा है, हमारी सरकार की इच्छा है कि राजस्थान की गांव और ढाणी और सुदूर इलाके में रहने वाला प्रत्येक बच्चा कम से कम दसवीं तक की शिक्षा अपने गांव, अपनी ढाणी और अपनी पंचायत के अन्दर प्राप्त कर सके।

मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाओं को जो आठवीं, दसवीं और बारहवीं में अच्छे नम्बर्स लेकर आयेंगी उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जायेगा। इससे हमारी बालिकाओं की हौसला-अफजाई होगी और यह पुरस्कार सिर्फ थोथा पुरस्कार साबित नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, इस पुरस्कार के तहत 20 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये नकद हमारी बालिकाओं के आगामी भविष्य को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दिये जायेंगे। इसकी मैं बहुत-बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहती हूं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि हमारी सरकार ने पहली बार जो नीति घोषित की है कि दसवीं की परीक्षा में जो तीन बच्चियां मेरिट के अन्दर आयेंगी उन बच्चियों को हम लोग विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, उससे भी हमारी बच्चियों का मनोबल बहुत बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारी बच्चियां समाज के और राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ने के अन्दर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण करके जब आयेंगी तो निश्चित तौर पर मैं मानती हूं कि हमारे राजस्थान के

(श्रीमती ममता भूपेश)

गांव और ढाणियों की बच्चियों का नाम रोशन होगा। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधीजी महिला आरक्षण के प्रति कटिबद्ध हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की नीतियों के तहत चलते हुए हम लोग स्कूलों को जो स्थान देना चाहते हैं देश के अन्दर, उस स्थान में जब हमारी बच्चियां पढ़ी-लिखी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित होकर के आयेंगी तो निश्चित तौर पर उनका गौरव बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और साथ ही आप और हम सब लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहूंगी आज के इस मौके पर कि जिस तरह से हर तीन ग्राम पंचायतों पर 33 के.वी. का जी.एस.एस. स्थापित करने की सरकार ने मंशा प्रकट की, उस आधार पर आप भी प्रत्येक तीन पंचायतों में जो हायर सैकंडरी स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारहवीं तक कीं उनमें विज्ञान संकाय जरूर से जरूर खोलें जिससे कम से कम हर तीन पंचायतों के बीच में एक विज्ञान का संकाय होगा तो हमारे गांव और ढाणियों में पढ़ने वाले बच्चे साइंस की एजुकेशन प्राप्त कर पायेंगे, आने वाले समय में कोई डाक्टर बन पायेगा, कोई इंजीनियर बन पायेगा। मन में सपने सभी के होते हैं लेकिन पैसों के अभाव और अपने परिवार के अभाव की वजह से वह बच्चा पढ़ नहीं पाता और अपने मन के सपनों को अन्दर ही अन्दर कुंठित भावना से लिये हुए बैठा रह जाता है। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो उसके बावजूद भी वह न डाक्टर बन पाता है और न इंजीनियर बन पाता है क्योंकि यह सब बनने के लिए उसे साइंस की जरूरत है और वह एजुकेशन अगर उसको अपने पास के गांव और ढाणी में मिल जाएगी तो निश्चित रूप से उसका भविष्य सुधर पाएगा। इस बात की प्रार्थना मैं शिक्षा मंत्रीजी से आज इस मौके पर करना चाहूंगी।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी संस्कृत शिक्षा की तरफ। पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों के अन्दर 43 संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जिनमें आज भी शिक्षकों का अभाव है। अगर आप चाहें तो मैं सूची भी सदन के समक्ष पेश कर सकती हूं जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 2004-05 में संस्कृत शिक्षा के ग्यारह विद्यालय व चार महाविद्यालय क्रमोन्न्त किये गये जिनमें आज भी शिक्षकों का अभाव है और वहां सिर्फ नाम मात्र के विद्यालय और महाविद्यालय खोले हुए हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने काथाड़ी-बाड़मेर, रामपुरा

(श्रीमती ममता भूपेश)

बास और जसरासर, चूरू के दो संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक प्रवेशिका के स्तर पर क्रमोन्न्त करने की घोषणा तो कर दी लेकिन वहां पर आज भी एक भी शिक्षक उस स्तर का नहीं पहुंच पाया है जिससे उस घोषणा के अनुरूप वहां पर शिक्षा ग्रहण हो सके। आदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन उस आदेश को क्रियान्वित करना बहुत ही मुश्किल होता है।

इसी के साथ, 2007-08 के अन्दर कुल छब्बीस, चूंकि चुनावी साल था, इसलिए तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ छब्बीस स्कूलों को दसवीं और बारहवीं और कुछ महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया। इस बात के लिए कि राजस्थान की जनता के सामने पुनः एक झूठा दिखावा और छलावा करके हम लोगों को ठगने की कोशिश करने के बहाने से एक साथ 26 स्कूलों और महाविद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया संस्कृत शिक्षा के लेकिन उनमें भी आज दिन तक कोई भी शिक्षक नहीं पहुंचा।

मैं संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि उन विद्यालयों के अन्दर कम से कम हमारी सरकार के माध्यम से शिक्षक पहुंचें जिससे हम उनकी झूठी नीतियों को अच्छा साबित कर पाएं। हमारी सरकार का हमारे बच्चों के प्रति और संस्कृत के प्रति क्योंकि संस्कृत से हमारी संस्कृति जिन्दा रहती है, इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन विद्यालयों के अन्दर तुरन्त प्रभाव से शिक्षक लगाए जाएं। झूठी घोषणा हमारी सरकार की साबित न हो, यह भी आवश्यकता हमारी सबकी है कि हमें इन चीजों पर भी करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें अब आप।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): दो मिनट और। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी ने समानीकरण के तहत प्रत्येक बच्चों के हिसाब से शिक्षक पदस्थापित किये हैं उसी प्रकार से कालेजेज के अन्दर भी शिक्षक और व्याख्याता को पदस्थापित किया जाए। क्योंकि मैं यह मानती हूं कि जो लेक्चरर बन जाते हैं वह दूरदराज के सुदूर इलाकों में नौकरी नहीं करना चाहते और वे हमारे जैसे नेताओं की सिफारिश करके कभी किससे लिखा लिया, कभी मुझसे या कभी किसी से लिखवा के बड़े-बड़े शहरों के समीप जो महाविद्यालय हैं, उनके अन्दर आ जाते हैं। बच्चे होते हैं पांच सौ और शिक्षक होते हैं सौ। इस नीति को भी हटाकर वहां भी समानीकरण की नीति लागू की जाए जिससे

(श्रीमती ममता भूपेश)
कम से कम हम लोग कालेज स्तर पर भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें।

मैं आपको अधिक बात नहीं कहते हुए, सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह अनुसूचित जाति जनजाति, ओ बी सी बाहुल्य इलाका है। जिस तरह से हमारी सरकार ने देवनारायण योजना के तहत क्षेत्रों के विकास करने का जो संकल्प लिया है, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र के अन्दर भी लगभग पचास हजार गुर्जर समाज के व्यक्ति रहते हैं। उस नीति के तहत ही हमारे क्षेत्र के अन्दर एक महाविद्यालय खोला जाए क्योंकि सरकार चाहे कोई भी रही हो, भारतीय जनता पार्टी की भी, कांग्रेस की भी लेकिन हमारे क्षेत्र सिकराय विधान सभा क्षेत्र को हर पार्टी ने एक तरह से छिन्न-भिन्न रखा है और शैक्षणिक दृष्टि से उसको हमेशा पिछड़ा हुआ रखा है। किसी ने उसको अपने बराबर करने का प्रयास नहीं किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि मैंने हायर एजूकेशन का यह जो वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, बहुत जरूरी बात है। मैं अपने उन बच्चों की बातें करना चाहती हूं, मेरे क्षेत्र के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, मैंने वार्षिक प्रतिवेदन देखा। इसमें पृष्ठ 53 से लेकर 74 तक मैंने विभिन्न महाविद्यालयों और सबके नाम पढ़े लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ कि इसके अन्दर मेरे सिकराय का कहीं कोई नाम नहीं था। न कोई सरकारी महाविद्यालय है, न गैर-सरकारी महाविद्यालय है। हमारे जिले के अन्दर बांदीकुई, लालसोट, दौसा, महुवा, सभी में महाविद्यालय हैं।

श्री सभापति: आपसे, माननीय सदस्या, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सहयोग करेंगी।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक महाविद्यालय खुलवाएं, चाहे वह देवास योजना, चाहे देवनारायण योजना के तहत खुलवाएं और चाहे हमारी सरकार की नीतियों के तहत खुलवाएं। हमारे क्षेत्र के बच्चे भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जाति,

(श्रीमती ममता भूपेश)

जनजाति, ओ बी सी बाहुल्य इलाका होने की वजह से मैं पुरजोर मांग आपके समक्ष करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वहां पर शीघ्र ही एक महाविद्यालय खुलवाने की घोषणा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सभापति महोदय, आपने दो उधर से लिए दो इधर से। सभापति महोदय, मुझे जाना है साढ़े पांच बजे, पहले आप मुझे टाइम दे दें, मेरी टिकट हो रखी है। निर्दलीय को आप पहले दे दीजिए। दो उधर से लिए आपने, दो इधर से।

श्री सभापति: मैं नाम बोल चुका हूं अभी ...(व्यवधान)

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सभापति महोदय, दो डिमांड हैं, मुझे भाषण नहीं देना है।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़। अभी आप कृपया विराजिए, मैं नाम बोल चुका हूं। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सिर्फ दो डिमांड हैं मेरी।

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दे दो, साहब, बस निकल जाएगी।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सिर्फ दो डिमांड हैं। मंत्री महोदय समानीकरण करेंगे तो बैलेंस हो ही जाएगा। तो ज्यादा मैं कहूंगी नहीं, सिर्फ अपनी डिमांड रखना चाहूंगी। एक तो हमारे क्षेत्र में कालेज की बहुत जरूरत है। मेरे क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक वर्ष 2,500 से 3,000 छात्र-छात्राएं अध्ययन पूर्ण करते हैं। उनके आगे के अध्ययन के लिए इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण अधिकतम छात्र-छात्राओं को अपना अध्ययन बंद करना पड़ता है। कन्याएं तो किसी भी तरीके से कहीं जा नहीं सकतीं। लड़के तो फिर भी बाहर जा के कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं।

आगे आपको जानकर हैरानी होगी कि 45 ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र में हैं लेकिन एक भी लड़की ग्रेजुएट नहीं है वहां पर। बहुत अफसोस की बात है

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

कि हम कन्याओं की उच्च शिक्षा की बात करते हैं और मेरे क्षेत्र में एक भी कन्या ग्रेजुएट नहीं है। सब बारहवीं पढ़ती हैं और वहीं तक रुक जाती हैं क्योंकि वहां पर महाविद्यालय नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो मानसिकता है वे आज भी अपनी कन्याओं को दूर भेजने की स्थिति में नहीं है। दौसा में जो कालेज है यह बस्सी से पड़ता है 30 किलोमीटर और जो जयपुर में है वह 37 किलोमीटर पड़ता है इसलिए कन्याएं वहां नहीं जा पातीं। इस क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिलने के कारण उन्हें उच्च अधिकारी वर्ग की सेवाओं में भी जाने का मौका नहीं मिल पाता। यह मेरी पहली डिमांड है मंत्री महोदय जी से।

दूसरी डिमांड मेरे क्षेत्र में जो राजकीय बाल उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बालिका प्रारम्भिक और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन एक ही स्थान पर हो रहा है जिससे दोनों विद्यालयों में अध्यापक और छात्राओं को काफी असुविधा होती है। मेरे क्षेत्र का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रेलवे परिसर पास में ही स्थित है। इस विद्यालय के पास बहुत जगह पर्याप्त है। इसलिए मेरी और मेरे क्षेत्र की जनता की मांग है कि राजकीय बाल उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्सी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेलवे परिसर बस्सी के पास स्थानान्तरित करवा दिया जाए।

एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम जो दसवीं, बारहवीं तक के स्कूल्स हैं वहां पर टायलेट, बाथरूम की सुविधा जरूर हो क्योंकि लड़कियों को अगर बहुत प्राब्लम होती है तो उन्हें टीचर्स घर भेज देती हैं। यह बहुत दुःख की बात है। उससे उनकी पढ़ाई में दिक्कत आती है।

बस यही मेरी दो डिमांड हैं। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय मेरी इन दो डिमांड्स को ही पूरी कर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक व्यवस्था लाना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्या बोल कर जा रही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपने उनको समय भी दे दिया लेकिन आसन से व्यवस्था यह है कि यहां माननीय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे इस सदन में बोलें तो माननीय मंत्री महोदय जब तक जवाब दें तब तक वह इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदन में उपस्थित रहें। यह सदन केवल इसलिए नहीं है कि माननीय सदस्य आएं और अपनी बात बोलकर चले जाएं। हमेशा इस प्रकार की व्यवस्था रही है, आम तौर पर उनसे आशा की जाती है कि वह सदन की कार्यवाही जब तक चले, रहें और माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनें। इसलिए आज आपने कंसेशन दे दिया, ठीक है।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): आदरणीय सदस्य महोदय, मैं रोज लेट तक बैठती हूं, आज पहली बार जा रही हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं एक आम बात कह रहा हूं यह कह कर कि मैं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, यह उचित नहीं है। उनको बोलें, उनको सुनना भी चाहिए।

श्री सभापति: आपका सुझाव मान्य है पर मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य, हां लॉबी और ना लॉबी दोनों तरफ से ही मैं समझता हूं कि इसका पालन करेंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता सोते-सोते कैसे बोल गये, मुझे तो यह बताएं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, शिक्षा की मांग पर चर्चा हो रही है और राजस्थान का सौभाग्य है कि शिक्षक स्वयं शिक्षा मंत्री हैं। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि शिक्षा मंत्री राजस्थान में शिक्षा में क्रान्ति लायेंगे, आमूलचूल परिवर्तन लायेंगे। इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि-

'रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को,

मजबूर न रहे राजस्थान में कोई, आओ रोशन करें हर सवेरे को।'

इसलिये आपसे यह उम्मीद है कि आप हर सवेरे को रोशन करेंगे। खास तौर से तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

आपने मिड-डे मील में काफी सख्त कदम उठाये हैं, मैंने देखा भी है लेकिन जब नामांकन होते हैं तो वास्तव में मिड-डे मील में जिस प्रकार का गांवों में भ्रष्टाचार है, मिड-डे मील में जिस प्रकार गांवों में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन होता है अगर नामांकन की आप जांच करायेंगे तो जिस गांव के अन्दर प्राइवेट विद्यालय हैं उनके भी नाम आपको मिलेंगे, आंगनबाड़ी के जो नाम हैं वे भी आपको सरकारी स्कूल में मिलेंगे। दोनों जगह वे नाम मिलेंगे।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जब परीक्षाएं आती हैं तो महीने भर, 15 दिन पहले तो मिड-डे मील उठ रहा होता है और परीक्षा के समय वे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। तो यह अन्तर क्यों हो जाता है ? इसकी खास तौर से जांच करें। मिड-डे मील में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी 'भास्कर' के अन्दर यह खबर आयी थी। जब इस घोटाले की जानकारी हुई तो आपने जांच करायी और 9 लाख नाम हटाये गये इसमें और 76 करोड़ की अनियमितताओं को जानकारी मिली। यह खास जांच करने का विषय है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

गांवों के अन्दर ग्रामीण शिक्षक के पद रिक्त हैं और रिक्त पदों की वजह से गांवों में शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है। आपने जांच करायी कि जो अनार्थिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाए। अब आपने यह नहीं सोचा कि अनार्थिक क्यों हो रहे हैं ? एकल अध्यापक से विद्यालय चल रहे हैं। एकल अध्यापक को कई बार पारिवारिक कारण से, सरकारी कारण से, कार्यवश स्कूल से जाना पड़ता है तो स्कूल का ताला बंद रहता है। अधिकतर समय ताला बंद रहता है। अब जहां ताला बंद रहता है, जहां नियमित पढ़ाई नहीं हो रही है तो वहां अभिभावक अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे ? पास ही प्राइवेट स्कूल में संख्या ज्यादा है। यहां स्कूल चल रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है।

जोधपुर के अन्दर विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि थर्ड ग्रेड के 1550 पद रिक्त हैं, शेरगढ़ में 700 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक जोधपुर जिले में 625, शेरगढ़ में 200 हैं। पी टी आई जोधपुर जिले में 26 हैं, शेरगढ़ में 10 हैं। माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य 42, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में 54, व्याख्याता 339, वरिष्ठ अध्यापक 412, अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला 89, जिला जोधपुर में 1200 से अधिक पद रिक्त हैं और सम्भाग में 4700 पद रिक्त हैं। संस्कृत शिक्षा में करीबन 200 पद रिक्त हैं। इस प्रकार हमारे यहां पद रिक्त हैं।

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हमारे यहां दोनों जगह ब्लाक शिक्षा अधिकारी भी थे, सारे एस डी आई भी थे लेकिन सरकार बदलने के बाद आपने दोनों जगह से शेरगढ़, बालेसर से ब्लाक शिक्षा अधिकारी हटा दिये। हटा तो दिये लेकिन लगाये नहीं। वहां एस डी आई की पोस्ट अभी खाली है। तो किस प्रकार की हमारे शेरगढ़ की हालत है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चिन्ता करने की जरूरत है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा और पिछली सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि माध्यमिक विद्यालय पिछली बार भाजपा सरकार ने जब लास्ट बजट था उसमें 3,108 विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये। हमारे यहां भी आज आपके पिछले बजट के अन्दर 1,900 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की घोषणा की, आपने पूरी की। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे शेरगढ़ में भी आपने 14 विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये। क्रमोन्नत तो किये लेकिन साथ-साथ उसमें शिक्षकों को लगाने की व्यवस्था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एल डी सी, यू डी सी, सारी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी तो काम कैसे होगा?

मैं आज कह सकता हूं कि गांवों में जो विद्यार्थी मित्र हैं वास्तव में बहुत सही ढंग से मेहनत कर रहे हैं। जहां स्कूलों के अन्दर शिक्षक नहीं जाते, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां आपने जो स्थानीय विद्यार्थी मित्र लगाये हैं वे ढंग से पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे आठवीं स्कूल हैं पंचायत मुख्यालयों पर जो विद्यार्थी मित्र के भरोसे चल रहे हैं परन्तु अब वह दसवीं हो गये इसलिये अब वहां पर सही ढंग से व्यवस्था कराने की जरूरत है। जो विद्यार्थी मित्र आपने लगाया है अब उसको 3 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है। महंगाई भी अब बढ़ी है। नियमित जो शिक्षक हैं उनको तो महंगाई भत्ता भी मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? सुचारू रूप से जो शिक्षा हुई है विद्यार्थी मित्रों के भरोसे, उनका भी मानदेय आप बढ़ाएं जिससे जब तक ये पद रिक्त हैं, आप भर नहीं पायेंगे तब तक विद्यार्थी मित्रों के भरोसे शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल पायेगा। यह मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

इसी बजट के अन्दर आपने घोषणा की है कि 300 अंग्रेजी शिक्षक लगायेंगे, 200 अंग्रेजी के पद खाली हैं। बाकी विषय व्याख्याता, विषय अध्यापक सारे खाली हैं उनके अन्दर लगाने की घोषणा नहीं की।

अभी आपने घोषणा की है कि विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलेंगे। अब विज्ञान और वाणिज्य संकाय में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके भी पद आपको भरने की जरूरत है। मेरे यहां भी विज्ञान और वाणिज्य संकाय के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां विज्ञान और वाणिज्य संकाय था लेकिन लेक्चरर नहीं होने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने एडमिशन देने से मना कर दिया। एडमिशन नहीं हुआ और विज्ञान, वाणिज्य संकाय कैंसिल हो गये। सेतराव के अन्दर एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर लेक्चरर नहीं होने से

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

प्रिंसिपल साहब ने एडमिशन नहीं दिया और वह एग्रीकल्चर भी नहीं रहा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तो आप खोल देंगे लेकिन लेक्चरर नहीं होंगे तो प्रिंसिपल साहब एडमिशन नहीं देंगे। जो हैं वे भी बंद हो रहे हैं। इसलिये इनमें लेक्चरर लगाने की पुख्ता व्यवस्था करें। मेरे खुद के गांव नाथऊ, खेजराखास, चाबा, शेरगढ़ और सेतराव में जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं इनमें वाणिज्य संकाय खोलेंगे तो ग्रामीण प्रतिभाओं को लाभ मिलेगा।

पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पद रिक्त हैं। पद रिक्त होते समय तो बांड भरा जाता है कि गांवों में सेवाएं देंगे लेकिन थोड़े समय बाद ही वे अपने जिले में चले जाते हैं। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भर्तियां हो रही हैं उसमें आप नियम बनाएं, नियुक्तियों के आप नियम बनाएं कि ग्रामीण सेवाओं के लिए आपको भर्ती किया जायेगा। ग्रामीण सेवा भावना से उनको भर्ती करें जैसे यह हाड़ी रानी बटालियन बनी थी वैसे ही जो शिक्षक आ रहे हैं उनको आप गांवों के लिये भर्ती करें।

शहरों में जो अध्यापक हैं वे अपने स्कूलों को इसीलिये जीवित रख रहे हैं कि हमको शहर में रहना है। कहीं 10 छात्र हैं, कहीं 20 छात्र हैं, उनको लेकर के 10-10 अध्यापक बैठे हैं। उनको तो वास्तव में शहरी भत्ता भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है लेकिन ग्रामीण को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि शहरों में आप कह दीजिये कि शहरी भत्ता, महंगाई भत्ता कुछ भी शहर में रहने वाला नहीं लेगा, तब भी वह रहेगा और गांव नहीं जायेगा। गांव के लिये आपको व्यवस्था बनाने की जरूरत है, उनको सुविधाएं देने की जरूरत है, ग्रामीण भत्ता देने की जरूरत है। अब शहरी भत्ते की जरूरत है, शहरों में तो सभी लोग आना चाहते हैं। गांवों में कौन जाना चाहता है ?

पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में गांवों में विद्यालय खुले। सबको प्राथमिक शिक्षा मिले एक किलोमीटर में, सर्व शिक्षा अभियान में हम गये कि एक किलोमीटर तक सबको शिक्षा देंगे। मेरे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 50 राजस्व गांव ऐसे हैं जिसमें प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 200 विद्यालयों की मांग है।

निजी सहभागिता से स्कूल खुलें, इसके लिये एक योजना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आयी। अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि जिस तहसील में राजकीय महाविद्यालय नहीं है वहां राजकीय

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

महाविद्यालय 2 करोड़ रुपये देकर निजी सहभागिता से खोले जायेंगे। गांवों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। गांवों में बालिकाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और गांवों में एस टी सी, बी एड, ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर सब बच्चे हैं। तो निजी सहभागिता के आधार पर आप स्कूल खोलेंगे तो नियम बनाकर, जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, नियम बनाकर निजी सहभागिता से अगर स्कूल खोलेंगे तो आप वैकेंसी निकालिये और वे स्कूल ज्यादा ढंग से चलेंगे।

हमारे यहां भारती फाउंडेशन है, भारती ने स्कूल खोले हैं। गांव के लोगों ने उसमें जमीन दी। 32 स्कूल खुले हैं और वहां अंग्रेजी, सब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गयी। नामांकन बढ़ गये इसमें, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। उसको भी आपको सहयोग करने की जरूरत है। उनको गांव वालों ने जमीन दी, एन जी ओ के नाम से रजिस्ट्रियां करा दीं। गांव में लोग जमीन देने के लिये तैयार हैं। जमीन मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सरकार की तरफ से अलाट करिये। निजी सहभागिता से आने वाले समय में आप शिक्षा में निजीकरण लाइये और निजी सहभागिता से नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुलें जिससे यह रिक्त पदों की हमेशा समस्या है, वह चलायेंगे। आप कुछ नियम बनाकर स्कूल खोलें, यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

अभी आपने कई जो विषय अध्यापक हैं उनको पातेय वेतन पर लगा दिया, तदर्थ व्याख्याता पर लगा दिया लेकिन उनको आज दिन तक प्रमोशन नहीं मिला और वे समस्या से ग्रसित हैं।

समानीकरण की बात आपने की है, मुख्य मंत्रीजी ने भी की है लेकिन इसको आप बड़ी दृढ़ता के साथ निभाएं और इसको करें। आप बार-बार मापदंड बदल रहे हैं। मापदंड बार-बार बदल रहे हैं लेकिन समानीकरण नहीं हो रहा। इसलिये समय पर आप समानीकरण करेंगे, यह मेरा आप पर विश्वास है।

हमारे यहां एन सी ई आर टी पाठ्यक्रम में आपने बदलाव किया। बदलाव तो कर दिया लेकिन आपने शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया। उनको प्रशिक्षण आप दें जिससे जो बदलाव किया है वह पाठ्यक्रम आपका सही ढंग से चल सके। इसके साथ पाठ्यक्रम में जो बदलाव है उसके हिसाब से समय पर किताबें नहीं छपीं। नहीं छपने की वजह से उनको समय पर किताबें नहीं मिली और शिक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट ही बोलूंगा।

उच्च शिक्षा की बात हम करें तो इसके अन्दर आप जो योजना लाये हैं वह अच्छी योजना है लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में 46 हजार करोड़ रुपये विदेशों में पढ़ाई के लिये अभिभावक दे रहे हैं। यहां से लोग जाते हैं। 46 हजार करोड़ या 50 हजार करोड़। तो उच्च शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आधे से ज्यादा पद खाली हैं। राजस्थान के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आधे से ज्यादा पद खाली हैं। वे अंशकालीन अतिरिक्त शिक्षकों के माध्यम से चल रहे हैं। उनको भी यू जी सी चढ्ढा कमेटी के अनुसार मानदेय नहीं मिल रहा है। उनकी भी समस्याओं का समाधान आपको करने की जरूरत है। मैं आपसे चाहूंगा, शैक्षणिक कार्यों का उन्होंने बहिष्कार कर रखा है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी आज इस सम्बन्ध में घोषणा करें।

सभापति महोदय, जोधपुर के लिए जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हम भी मांग करते हैं कि जोधपुर में आवासीय विश्वविद्यालय है पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ का वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने, आई आई एम बनें और हर संभाग पर आई आई एम बनें। इसको भी आप आगे बढ़ायें।

सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन है कि यह गार्गी पुरस्कारों में जो विसंगतियां हैं इनको आप दूर करें। आठवीं और दसवीं में तो सभी को, गैर-अनुदानित हैं या प्राइवेट हैं, स्वयंपाठी हैं, उन सब बालिकाओं को पुरस्कार मिलता है लेकिन बारहवीं में नहीं मिलता है। यह भेदभाव क्यों है? इसको भी हटायें। क्या वे हकदार नहीं हैं? 75 प्रतिशत को मिलता है, 85 वालों को नहीं मिलता। तो सरकार की नजर में वे क्या प्रतिभावान नहीं हैं? उनको भी प्रदान करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जो योजना लागू की है वह विज्ञान की बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर लागू करें। वह लागू नहीं हुई।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शेरगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान में जो घोटाला हुआ है, कोर्स चला ही नहीं, कागजों के अन्दर पैसा उठा दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उसके अन्दर भी आप सही ढंग से निर्णय करें। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का सरकारीकरण कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे संस्थाएं जीवित रह सकें।

शेरगढ़ तहसील में राजकीय महाविद्यालय नहीं है, उसके लिए मैं मांग करूंगा और संस्कृत में वरिष्ठ उपाध्याय है उसको शास्त्री स्तर तक क्रमोन्नत करने की मांग करूंगा।

मैं शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, 'बालक कोई सुराही नहीं जिसे भरा जाये, बालक तो चिराग है जिसे रोशन किया जाये।' सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 24- शिक्षा पर आज चर्चा हो रही है। पहले तो मैं मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों को जोड़ते हुए बजट में घोषणा करके स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पंचायत हैडक्वार्टर पर सभी स्कूलें क्रमोन्नत की हैं।

सभापति महोदय, मेरे यहां 1998 में जो राजीव गांधी पाठशालाएं खुली थीं उस टाइम की 19 बिल्डिंग बनी हुई हैं, 19 स्कूलें खुलीं। उसके बाद सरकार चेंज हो गयी और 19 स्कूलों में एक टीचर नहीं लगा। आज मैं मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि मेरे यहां पूनरासर, ग्राम गणपतराम की ढाणी, उपनी, राजेड़ू, बापेऊ, हरिजन मोहल्ला उदरासर, गोगाणा जोहड़, सूडसर, रीडी, माताजी मंदिर ठुकरियासर, गोगाणा जोहड़ बाडेला, कितासर भाटीयान, कितासर बिदावतान, बिग्गा, धोलिया रोही, बाना, पाड़की, चेनई तलाई, सोनियासर मीठिया, पीतलाई तलाई, सोनियासर बासी, मैयान दुलचासर, हिंगलाई तलाई, धनेरू रोही, मोमासर रोही, डलवा बास लिखमीसर, ये 19 बिल्डिंग बनी हुई हैं और आज तक उनमें टीचर नहीं लगे। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन विद्यालयों में टीचर लगाये जायें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सभापति महोदय, हायर सैकंडरी, सैकंडरी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, जैसे ग्राम उपनी सैकंडरी स्कूल में पांच स्वीकृत पद हैं और रिक्त पद चार हैं; प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का पद भी रिक्त है। हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये पांच पद खाली हैं; अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 2 पद, ये पांचों पद खाली हैं। मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में सैकंडरी, हायर सैकंडरी स्कूलों में सभी में पद खाली हैं। तो इनमें कम से कम प्रिंसिपल और जो विषयवार टीचर हैं इनको लगाने का आप कष्ट करें।

सभापति महोदय, यह सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीचर लगा रहे हैं उन्हें शहरी क्षेत्र के टीचरों को जो भत्ता आप दे रहे हैं उसी हिसाब से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भत्ता उन टीचरों को देवें तो गांव के लिए बड़ा फायदा होगा क्योंकि कोई टीचर वहां जाना ही नहीं चाहता है। जैसे कोई हाइवे के गांव में स्कूल है या अप-डाउन जिस जगह पर हो सकता है उनमें तो टीचर जा सकते हैं बाकी जो थोड़े-बहुत ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं उनमें पद काफी लम्बे टाइम से खाली पड़े हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने कई स्कूलें क्रमोन्नत की थीं परन्तु इनको महीने बाद में ही कैंसिल कर दिया।

(16.45 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाखनसर, समनसन, राजेडू में नवीं की परीक्षा भी हो गयी, छात्रों ने परीक्षा भी दे दी और उसके बाद में इन्होंने कैंसिल कर दिया तो मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि जो स्कूल खोले हैं और उनका उद्‌घाटन भी हो गया तो वह खोलने का कष्ट करें। मिडल स्कूलें जो सेकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत की थीं उस टाइम पर उनको खोला जाये।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं उसी तर्ज पर कोई नई नीति लागू करके ढाणियों में स्कूल खोलें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ढाणियों में बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा मिल सके। उस टाइम जो स्कूलें खोली थीं जैसे 23 हजार राजीव गांधी पाठशालायें खोली थीं वह एक बहुत ही सराहनीय कदम था। ग्रामीण क्षेत्र में जितना फायदा उन स्कूलों से हुआ है आज तक कोई स्कूलों से नहीं हुआ। उसी ग्राम का लड़का लगेगा पढ़ाने के

(श्री मंगलाराम गोदारा)

लिए शिक्षक, वह लड़का आज भी उस जगह पढ़ा रहा है। पिछली बार स्कूलों के नाम चेंज हुए खाली और माननीय उप नेता महोदय ने जवाब भी दिया था कि हमने बहुत ही स्कूलें खोली हैं, मैंने यह भी कहा था कि आपने मेरे यहां तो नहीं खोली थीं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ढाणियां हैं, राजीव गांधी पाठशालाओं की तरह ही कोई नया कार्यक्रम लाकर उस हिसाब से आप स्कूलें खोलें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में फायदा हो सके।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा दिक्कत मास्टरों की है। जब तक आप गांवों में इसकी कोई न कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो गांव की स्कूलें, आप चाहें तो अनाथ घोषित कर दें। जिस स्कूल में टीचर हैं और लड़के नहीं हैं उनको अनाथ घोषित करो। अगर आप अनाथ घोषित करो उस स्कूल को जिसमें टीचर नहीं है और लड़के हैं, तो टीचर नहीं है तो लड़कें क्यों जायेंगे स्कूल में? उसमें टीचर नहीं हैं तो लड़के जाकर क्या करेंगे? वह तो प्राइवेट में जायेंगे। आप लिस्ट मंगाकर के देखें कि स्कूल में कितने टीचर हैं और लड़के कितने हैं। उसका रिजल्ट अगर जीरो है तो उस स्कूल को आप अनाथ घोषित करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ये मास्टर मिल सकें और उनको फायदा मिल सके। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, एक-एक पंचायत में दो-दो, चार-चार स्कूलें खुल रही हैं और शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हमारे जो राजीव गांधी स्कूल हैं वे आज टीचरों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। इसलिए टीचर वहां आप लगायें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में महाविद्यालय नहीं है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि डूंगरगढ़ में महाविद्यालय खोलें जिससे दूरदराज के ग्रामीण इलाके को फायदा मिल सकेगा, विशेषकर छात्राओं को क्योंकि उनको बीकानेर और दूसरी जगह काफी दूर जाना पड़ता है। छात्राएं जा नहीं सकती हैं। मेरा निवेदन है कि डूंगरगढ़ में एक महाविद्यालय खोलें।

आपने भरतपुर संभाग में शिक्षा संभाग कार्यालय स्थापित किया है, संस्कृत शिक्षा का संभाग कार्यालय स्थापित नहीं किया है। इसलिए आप भरतपुर में संस्कृत शिक्षा का संभाग कार्यालय खोलने का कष्ट करें।

आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री हनुमान बेनीवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची में उल्लिखित कार्यों के पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बेनीवालजी प्रस्ताव कर रहे हैं इनको निकालने का।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा प्रस्ताव तो नहीं कर रहे हो आप? मेरा तो मत कर देना वापस।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं तो तैयार रहता हूं, आप मौका तो दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आज की पूरी कार्य सूची के अनुसार सारे कार्य सम्पादित होने तक समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज सदन में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जिसका सम्बन्ध आम आदमी से है। आजादी के 6 दशक गुजरने के बाद भी गांव के अन्दर यह कहावत कि काला अक्षर भैंस बराबर, आज गांवों के चौपाल पर प्रचलित है। आज भी गांवों में 50 प्रतिशत लोग न तो अपना नाम लिखना जानते हैं और न ही अपना नाम पढ़ना जानते हैं। एक ओर भारत सरकार अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अरबों रुपए खर्च करके शिक्षित राज्य की कल्पना को मूर्त रूप देने की कल्पना करती है वहीं आपके प्रगति प्रतिवेदन के पेज नम्बर 13 पर यह लिखा है कि राजस्थान में 1,824 प्राथमिक स्कूल व 293 उच्च प्राथमिक स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान में गर्मी में लू के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

थपेड़े। और सर्दी में तापमान माइनस डिग्री चला जाता है उस मौसम में जब कोई भी व्यक्ति बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता है तो अपने नौनिहालों को कौन खुले आसमान में पढ़ने के लिए भेजेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए।

हम चाहे कितने भी नारे दें, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों पर से आम आदमी का विश्वास उठता जा रहा है। सरकारी से ज्यादा निजी विद्यालय आज गांव-गांव में खुल गए हैं। इसी प्रगति प्रतिवेदन के पेज 7 पर 6 से 11 वर्ष तक का जो नामांकन पूरे राजस्थान में वह 90.27 लाख बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने की बात आपने कही है जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 लाख कम है। नामांकन के लक्ष्य बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जबकि वस्तु स्थिति में बच्चों का केवल नामांकन ही सरकारी स्कूलों में होता है, नामांकन के पश्चात् 60 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में भवनों की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, अध्यापकों की कमी है। खाली नामांकन का लक्ष्य बढ़ाने से अपन शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं हो सकते।

आपने खुद ने अपने प्रगति प्रतिवेदन के पेज 11 पर स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 65 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की तथा सेकंड ग्रेड तथा मदरसा शिक्षक मिलाकर 85 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, जबकि आपने अभी तक एक भी शिक्षक नहीं लगाया है। राजस्थान में कम से कम 1 हजार स्कूल ऐसे हैं जिन पर ताले लग चुके हैं; 1 हजार स्कूल बंद हैं। आए दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं कि फलां गांव में ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ा, अध्यापकों की कमी के कारण वह स्कूल बंद हुआ, कई प्राइमरी स्कूल तो आपने परमानेंट ही सत्ता में आते ही बंद कर दिए। पूर्ववर्ती सरकार ने प्राथमिक से लेकर सेकंडरी स्तर तक 19 हजार विद्यालय खोले हैं लेकिन आपने अपनी बजट घोषणा में पिछली और अब की बार, दोनों बार में यह कहा था कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर माध्यमिक स्कूल होगा, स्कूल क्रमोन्नत करेंगे लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 15 महीनों में राजस्थान में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक भी स्कूलें क्रमोन्नत होने की बात मंत्रीजी के सामने कई बार कहते रहते हैं लेकिन 15 महीनों में सिवाय गोलीबाजी के पूरे राजस्थान की जनता को कुछ भी नहीं दिया गया।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राज्य में उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती भाषा के विकास के साथ-साथ राजस्थानी भाषा का भी विकास हो, राजस्थानी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भाषा के लिए भी नए विद्यालय खोलें और राजस्थानी के साथ-साथ पिंगल और डिंगल जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं उन भाषाओं का विस्तार होना चाहिए और उनके स्कूल खुलने चाहिए।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना का आपने उल्लेख किया लेकिन खाली नाम ही नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक योजना है। पूरा वर्ष बीत जाने के बाद भी हजारों गरीब छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें राजस्थान में नहीं मिल रही हैं।

छात्रवृत्ति, आपके विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमांत छात्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कक्षा 6 से 8 एवं अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह छात्रवृत्तियां अगर दिसम्बर माह से पहले दी जाती हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता है लेकिन दिसम्बर और मार्च तक ये छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं। कई बार तो छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अगले साल में दी जाती हैं जिससे छात्रों को कोई फायदा नहीं होता और छात्र गरीबी के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का आपने बढ़-चढ़कर प्रगति प्रतिवेदन में बताया है लेकिन कक्षा 1 से 8 तक के राजस्थान के विद्यार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

पेयजल की दृष्टि से आजादी के 6 दशक बाद भी राजस्थान में 4,838 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 1,347 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। 7,562 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 1,192 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था भी आपकी सरकार नहीं कर पाई है। यह बात आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन के पेज नम्बर 13 पर बताई है।

आयोजना व्यय, वर्ष 2008-09 की आयोजना सीलिंग 64180.9 लाख थी जो वर्ष 2009-10 में घटकर 60500.01 रह गई जो गत वर्ष की तुलना में 3680.9 लाख रुपए कम है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा संकेत नहीं जा रहा है।

मिड-डे मील योजना की शानदार तरीके से शुरुआत हुई हम लोगों की सरकार से और आपने जानदार तरीके से इसका अंत भी कर दिया। पहले घर वाले कहते थे कि बच्चों स्कूल से खाना खाकर आना, अब कहते हैं खा मत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लेना। क्योंकि कभी तो छिपकली, कभी काक्रोच, कभी चूहे, अखबारों में यह पढ़ने को मिल जाता है और रोज ही हर संभाग, हर जिला मुख्यालय पर घटना निश्चित रूप से हो जाती है।

इस सरकार को गांव व गरीब का बताया है लेकिन आपने गांव के लिए क्या किया? 90 प्रतिशत सीनियर स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं है। आप गांव और गरीब की बात करते हो, जब उनका बच्चा विज्ञान नहीं पढ़ेगा तो डाक्टर, इंजीनियर कैसे बनेगा? बी टेक और एम टेक में कैसे जाएगा? गांव के लड़कों के लिए तो चुनावी घोषणा पत्र में वोट लेने के लिए किसान की सरकार की बात करते हो लेकिन आपकी मंशा है कि गांव का आदमी तो मास्टर से ज्यादा बने ही नहीं। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए विज्ञान संकाय खोलने की आपकी मंशा मुझे तो ठीक नहीं दिख रही। 15 महीने में एक भी विज्ञान संकाय राजस्थान के स्कूलों में नहीं खुला। अतः

(7.00 बजे)

मेरी मांग है कि प्रत्येक सीनियर स्कूल के अन्दर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जाएं।

सरकार का निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं। अभी स्वाइन फ्लू का कहर जब पूरे राजस्थान के अन्दर बरपा और मंत्रीजी ने एक आदेश जारी किया कि पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित करें लेकिन इनके आदेश की धज्जियां उड़ीं। जयपुर के अन्दर ही 10 ऐसे शिक्षण संस्थान थे, प्राइवेट जिन्होंने मंत्रीजी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्कूलों के अन्दर छुट्टियां नहीं कीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकता। आप इन स्कूलों को बंद कराएं, शिक्षा मंत्रीजी, जहां आपकी नहीं चल रही है।

आपके ही एक नेता का स्लोगन है, 'एक भारत में दो भारत नहीं, गरीब और अमीर में भेद नहीं', आपके नेता का ही स्लोगन है तो आप अपने नेता के स्लोगन को ही पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर कौन सी बात पूरी करना चाहते हैं? अमीर-गरीब का भेद मिटाइए। इन मोटे जो ये प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, इनके अन्दर गरीब छात्रों को शिक्षा मिले, इसके उपाय आपको करने चाहिए और सरकारी नियंत्रण में इन स्कूलों को कैसे लिया जाए, इस मामले में आपको कड़ाई से, मंत्रीजी, पालन करना चाहिए क्योंकि आप गांव से आते हैं, किसान के बेटे हो तो निश्चित रूप से आपकी सोच गांव और गरीब के लिए अच्छी होनी चाहिए। जिन-जिन प्राइवेट स्कूलों ने आपके आदेशों को नहीं माना

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है, आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाईं, उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करके उनके लाइसेंस निलम्बित करने चाहिए।

पिछली सरकार द्वारा खोले गये तीनों विश्वविद्यालय जो पूर्ववर्ती सरकार ने सीकर के अन्दर शेखावाटी विश्वविद्यालय, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय और भरतपुर के अन्दर महाराज सूरजमल विश्वविद्यालय खोले थे। एक-एक करोड़ का बजट आबंटित किया, एक-एक ओ एस डी की नियुक्ति कर दी लेकिन 15 महीने के बाद भी आपने बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया। आपके नवलगढ़ से आने वाले हमारे भाई जो हमारी राजस्थान सरकार के अन्दर मंत्री बन गये, बड़ी-बड़ी बातें करके शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम पर वोट लेकर राजस्थान की विधान सभा में पहुंचे थे लेकिन पहुंचने के बाद व मंत्री बनने के बाद, इस साल मंत्री तो बन गये और +++ मुख्य मंत्रीजी के लेकिन जो वादा पब्लिक के बीच करके आये थे, जिस विषय पर नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों, किसान के बेटों ने उनको वोट दिया, उस बात को भुला दिया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप तीनों विश्वविद्यालयों को खोलने का श्रम करावें और तीनों विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी खुलें ताकि किसान के बेटों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके।

राज्य में आपने विश्वविद्यालयों को कुकरमुत्ते की तरह 900 विश्वविद्यालय और प्राइवेट सेक्टर में खोलने की इजाजत दे दी। इस तरह एडमिशन हो रहे हैं, जैसे गौशालाओं के अन्दर गायों की भर्ती हो रही है, जगह-जगह डिग्रियां बांटेंगे, विश्वविद्यालय अपनी मनमर्जी से डिग्रियां बांटेंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों पर आपका नियंत्रण हो और विश्वविद्यालय नियामक आयोग, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां अगर विराजे हैं तो मेरी बात सुनें, विश्वविद्यालय नियामक आयोग बने व विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल रखें और महाविद्यालयों में भी पढ़ाई की व्यवस्था का सही कंट्रोल हो।

आज राजस्थान विश्वविद्यालय जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात सरकार कभी करती थी और पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाती थी कि केन्द्र और राजस्थान में सरकार होने के बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया लेकिन आपके खुद ऊपर, नीचे, दोनों सरकार आपकी, आपने क्यों नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, जो हिन्दुस्तान के अन्दर मुख्य विश्वविद्यालयों के अन्दर आता है? आज पूरे राजस्थान के छात्रों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की भावना थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए लेकिन आपने छात्रों का घोर अपमान किया, इससे पूरे राजस्थान का छात्र समुदाय आहत है।

दूसरी बात, आपके राजस्थान के अन्दर शिक्षाविदों की कमी नहीं, उसके बावजूद आपने परम्परा डाल दी कि बाहर के लोगों को लाकर कुलपति बनायें और बाहर के लोग नहीं मिलें तो गैर-शिक्षाविद् लोगों को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाना राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला है। आप कृपया राजस्थान के अन्दर जाये-जन्मे आदमी को, यहां के अच्छे शिक्षाविद्, माटी में जन्मे, उनको ही राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति बनायें।

छात्र संघ चुनाव की बड़ी-बड़ी बातें घोषणा पत्र के अन्दर कही थीं कि राजस्थान के अन्दर सरकार बनेगी, हम छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। इस बात को लेकर आपने राजस्थान के नौजवान का वोट लिया, राजस्थान के नौजवान ने आपको वोट दिया, राजस्थान का छात्र समुदाय चुनाव के अन्दर आपके साथ

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लगा लेकिन चुनाव होने के बाद आपने बीच में एक अड़ंगा लगा दिया कि चुनाव कराएंगे लेकिन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराएंगे। अगर लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के आधार पर चुनाव होते हैं तो छात्र संघों का औचित्य ही खतम हो जाएगा। छात्र संघों का औचित्य क्या रह जाएगा? छात्र समुदाय ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष चाहते हैं जो उनके हित के लिए लड़ सकें, उनके हित के लिए आवाज उठा सकें। आज लिंगदोह कमेटी की सिफारिश लागू होने के बाद ऐसे लोग छात्र संघ के अध्यक्ष बनेंगे जिनका मतलब सिर्फ पढ़ाई से है या गोल्ड मेडल से है। उसके अन्दर आयु की सीमा निर्धारित कर दी, 21 से 23 वर्ष होगी, 80 परसेंट होंगे तो 80 परसेंट लाने वाला लड़का कभी भी छात्र संघों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। यह पपलु टाइप के जो छात्र संघ अध्यक्ष बनेंगे, ये छात्र संघों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों से सिरे से नकारते हुए आपको छात्र संघ के चुनाव बिना लिंगदोह कमेटी की सिफारिश वाले करने चाहिए। सभापतिजी के माध्यम से, शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी शायद उपस्थित नहीं हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के छात्र समुदाय के नौजवानों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की भावनाओं को देखते हुए छात्र संघ के चुनाव पुरानी प्रणाली के तहत करायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आज शिक्षा नीति की बात कहते हैं, गांव के अन्दर दो सौ लड़के, वहां एक मास्टर और शहर में 10 लड़के और वहां 20 मास्टर, यह शिक्षा है आपकी। मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान के अन्दर अगर यही हालात रहे और शिक्षकों की नई भर्ती नहीं हुई तो राजस्थान में मास्टर के नाम पर सिर्फ मास्टर भंवरलालजी दिखेंगे, बाकी राजस्थान में मास्टर कहीं दिखाई नहीं देगा। आज समानीकरण का डर दिखाकर पूरे राजस्थान में 15 महीने में समानीकरण करेंगे, समानीकरण करेंगे और सारे राजस्थान के अध्यापकों को डरा दिया, सब बेचारे अध्यापक डर रहे हैं कि पता नहीं मास्टर जी का कब डंडा चल जाए और आपका समानीकरण हो जाए। समानीकरण तो नहीं हुआ लेकिन आपके विभाग के अधिकारियों की जेब का समानीकरण हो गया। मास्टरों को तो ट्रांसफर का डर दिखाकर और मोटी रकम राजस्थान के मास्टरों से वसूली गयी, समानीकरण के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं तो मांग पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: स्कूलें खुली हैं वह तो सभी का विषय है, अब आप इसको सम-अप करो। आपका विषय था छात्र संगठन।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट में। आज राजस्थान के अन्दर विद्यार्थी मित्रों को पूर्ववर्ती सरकार ने जहां टीचर्स की कमी थी, उसके लिए वहां के पढ़े लिखे नौजवानों को विद्यार्थी मित्र के नाम पर सौ रुपये और डेढ़ सौ रुपये डेली वेजेज के हिसाब से लगाया। आपने आते ही सबसे पहले उनको हटाया और प्रबोधक की भर्ती के अन्दर आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। अगर ढाई हजार, तीन हजार लोगों को आप जो पैरा-टीचर लगे थे, जो आपकी सरकार ने ही पैरा-टीचर लगाये थे और हमारी सरकार ने उनको परमानेंट किया था, अब आपकी सरकार में लगाये गये आपके नेता के स्लोगन को तो याद रखकर पूरा करो कम से कम। वे ढाई-तीन हजार बच्चे, उनको पैरा-टीचर को पूरा करो, कीजिए पूरा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जोधपुर यूनिवर्सिटी जो पी टी टी का एग्जामिनेशन ले रही है इस बार, पिछली बार जब प्रदेश में पी टी टी का एग्जामिनेशन हुआ, एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अंक 40 परसेंट रखे थे लेकिन इस बार उसी का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अन्दर उन अंकों को बढ़ाकर 45 परसेंट कर दिया गया है। मंत्रीजी, आप पुनः एस सी, एस टी और ओ बी सी के दोनों, पिछले साल का और इस बार का पी टी टी का जोधपुर का प्रोस्पेक्ट्स मंगवा लें, उसके अन्दर 5 परसेंट बढ़ाकर 45 परसेंट प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों के लिए कर दिया, यह पुनः 40 परसेंट किया जाए। यह पूरे राजस्थान के छात्र समुदाय की पीड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान में सरकारी सेवाओं में आयु 35 से बढ़ाकर 40, लोक जुम्बिश कर्मियों का नियमितीकरण, पूर्व में दी जा रही सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं पुनः आव्हान करता हूं कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा का भठ्टा मत बैठाएं। मंत्री महोदय, आपको मैंने निवेदन किया था कि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि गोली देने में आप सबसे ज्यादा, एक भी काम नहीं करते और स्वास्थ्य मंत्री होते तो गोली देकर लोगों को ठीक कर देते। इनको शिक्षा मंत्री गलत बना दिया; आपको चेंज कर देना चाहिए, अशोकजी को।

आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद। आजाद साहब, एक मिनट।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ...(व्यवधान)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या 10)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2010 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ने निर्णय लिया कि दिनांक 30 मार्च, 2010 से 02 अप्रैल, 2010 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 2010 बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 2010	राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर 1- होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 2- श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010
गुरुवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2010	3- राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010 4- एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 एवं 5- डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 - पर विचार एवं पारण 1- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 2- राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010
शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2010	3- पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 4- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 एवं 5- राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 - पर विचार एवं पारण

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन जी आजाद।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने की इजाजत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर शिक्षित भी और जो शिक्षित नहीं हो वह भी अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार प्रकट कर सकता है। मैंने आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में किये जा रहे कार्य और पहले किये गये कार्यों के बारे में कई विचार सुने। चूंकि मैं शिक्षा से सम्बन्धित रहा हूं, सोचता था कि कहां से शुरू करूं। माननीय सदस्य सुन्दर लाल जी यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत पहले से शिक्षा के सम्बन्ध में 40 साल पुरानी बात की तो मैंने यह सोचा कि यहां जो लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, किसी को इम्पेक्ट नजर नहीं आ रहे, किसी को तरक्की और प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में किये हुए कार्यों में कोई विशेष बात नजर नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं पूरे 70 साल पहले से शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी बात प्रारम्भ करूंगा और सिर्फ एक-एक लाइन में कहूंगा।

विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और सरकार, इन चारों का अनन्य सम्बन्ध है शिक्षा देने के मामले में। मैं 'भारत छोड़ों आंदोलन' से पहले एक छात्र के रूप में स्कूल में गया। लू चलना है, सर्दी लगना है, क्या होना है; एक चबूतरे पर बिठाया जाता था और हमारा नाम तो उस चबूतरे पर बैठने में उस जगह आता था जहां जो टाटपट्टी, पहले बोरी की टाट चलती थी वह बिछी हुई होती थी और उस पर लड़के बैठते थे। कुछ नीचे बैठते थे, हम पीछे लाइन में बैठने वाले लोगों में थे। इस तरह के स्कूल चलते थे। इस तरह की शिक्षा की

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

उस वक्त पूरे देश में व्यवस्था थी। वह पराधीनता की शिक्षा थी, अंग्रेजों की शिक्षा थी, आजादी के पहले की शिक्षा थी जिसमें एक विद्यार्थी के रूप में मैंने पढ़ा। आजादी के बाद में एक शिक्षक के रूप में मैं 1954 में गया। यह दूसरी पंक्ति है जो मैं छात्र और शिक्षक के बारे में कहता हूं। एक वन टीचर स्कूल के हिसाब से जब मैंने स्कूल में प्रवेश किया और मुझको कहा कि एक स्कूल खोलने के लिए एक आदमी आया है, शिक्षक आया है तो मुझे एक मन्दिर का चबूतरा बताया। एक घंटे बाद यह मालूम पड़ने के बाद कि यह मुसलमान है, गांव वालों ने स्कूल खुलाने से इन्कार कर दिया और एक महीने बाद ढूंढ-ढांढ करके दूसरे गांव में वह स्कूल चालू किया गया उसी गांव के नाम से।

ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। इस तरह के हालात से हमने शिक्षा में हमारे विकास की गाड़ी को चालू किया। आजादी आई और आजादी के बाद भी मैं आपको बताता हूं कि जो अंग्रेजों का जमाना और पाठ्यक्रम था, प्रोस्पेक्ट्स था वह 1952 तक चला जब मैंने मैट्रिक पास की। सलेक्शन प्रोजबाई, एपिकोकस, माई सलेक्शन पॉज, पॉल्ट्री, स्टोरी ग्रेव एंड गे, सिटीजनशिप, ग्रामर बाई दौलत राम, इस तरह की अंग्रेजों के टाइम की किताब पढ़कर के वह थे। आदरणीय सुन्दर लाल जी ने बहुत बढ़िया बात याद दिलाई कि प्रार्थना बोली जाती थी और प्रार्थना नहीं होती है। आज भी होती है प्रार्थना तो, आजादी के बाद भी प्रार्थना हुई मगर आपने यह नहीं बताया कि उस जगह जब हमने प्रार्थना बोली तो पहली प्रार्थना तो अंग्रेजी की बोली जाती थी और दूसरी प्रार्थना उस क्षेत्र के राजा की बोली जाती थी। ये हमने स्कूल में बोलीं। उस स्थिति से हम हमारे इस विकास के जहाज को आगे बढ़ाकर के लाये हैं। आजादी आई, ऐसे-ऐसे लोग आजादी लाये, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं, सरदार बल्लभ भाई पटेल ने पहला शिक्षा मंत्री बनाया अबुल कलाम आजाद को। क्यों बनाया? शिक्षा के लिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज इतिहास में जाओगे तो बहुत लम्बा चला जाएगा। अभी कम से कम 38 माननीय सदस्यों को बोलना है। दो दिन का अवकाश है, सब माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में जाना है। इसलिए थोड़ा सा मुख्य-मुख्य विषय पर आप आ जाओ। निवेदन है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मेरे को आप 2-5-10 मिनट, औरों को टाइम दिया वह तो देंगे न?

श्री सभापति: वह तो दूंगा लेकिन जो आपकी मूल समस्या है वह बता दें। इसीलिए निवेदन किया है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): मेरी यही मूल समस्या है। मेरी यह मूल समस्या है कि पहला शिक्षा मंत्री इस भारत में इसलिए रखा गया कि हम इस देश की शिक्षा को सेकुलर बनाना चाहते थे। कौनसा आदमी सेकुलर, जिसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और जो जिन्ना का पक्का विरोधी था, देश को तुड़वाने से जिसने इन्कार कर दिया, सारे लोगों को मिलने की बात जिसने की। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में एक शिक्षा पद्धति हमने चालू की और उस शिक्षा प्रणाली को इस देश में चालू करने में कामयाब हुए।

माननीय कटारिया साहब ने एक बड़ी अच्छी बात अपने हिसाब से कही। एक बड़ी अच्छी बात कही और वह यह कही कि पर्सेंटेज आपकी पढ़ाई में, पिछली बार बोर्ड के पर्सेंटेज बढ़ गये हैं मगर उसका कारण यह है। अगर पर्सेंटेज घट जाएं तो आप कहें कि आपके पर्सेंटेज घट गये। प्रैक्टिकल के नम्बर कब से नहीं दिये जाते? वर्षों से प्रैक्टिकल के नम्बर दिये जाते हैं और अपने चहेतों को दिये जाते हैं। हम जैसे और हमारी औलादों को तो प्रैक्टिकल के नम्बर सबसे बाद में मिले हैं क्योंकि साम्प्रदायिक विचाराधारा के लोग-बाग़ और अपने जातिवाद के हिसाब से, क्षेत्रवाद के हिसाब से बाहर से देने वालों का वर्षों से यह क्रम चलता रहा है। मगर यह सही है कि पिछले सालों से इस साल हमने रिजल्ट को बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ाया है और इसकी आलोचना करने के बजाय या कोई कारण निकालने के बजाय तारीफ की जानी चाहिए।

कई लोगों ने कहा कि पढ़ाई में इम्पेक्ट नहीं आया, हमारी पढ़ाई में यह जबरदस्त इम्पेक्ट आया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के छात्रों से कह रहा है कि हिन्दुस्तान में पढ़ाई का इतना स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान इतना आगे बढ़ गया है, अगर नहीं चेते तो नम्बर एक नहीं रहोगे, हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में शिक्षा के मामले में नम्बर एक पर आकर मानेगा। यह ओबामा ने कहा।

अंग्रेजी की बातचीत चली, बहुत अच्छी बात थी, अंग्रेजी की बात यह थी कि माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने फरमाया कि धन्यवाद देना चाहिए घनश्यामजी तिवाड़ी को कि पहली क्लास से उन्होंने अंग्रेजी चालू की। यह बिलकुल सही है। जब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, दुनिया के मुकाबले में कुछ नहीं रह सकोगे मगर याद रखिये कि आपकी पार्टी की, पार्टी के देश के राष्ट्रीय नेताओं की यह रही है कि हिन्दी को प्रमुखता दी जानी चाहिए। आपके नारे

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लगाये जाते हैं कि 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, नहीं रहेगा पाकिस्तान।' आप अंग्रेजी को बढ़ावा देकर के यह नहीं कह सकते। मेरा ताल्लुक उर्दू से है, अंग्रेजी पढ़ा मगर मैंने अपना पोस्ट-ग्रेजुएशन और लेक्चरर जो रहा वह हिन्दी में रहा। हिन्दी के और राष्ट्रीय विचारधारा मेरी यों स्पष्ट थी कि हिन्दी की जब बातचीत आई, पूरे देश में आंदोलन चला, दक्षिण में हिन्दी को समाप्त करने के लिए आदमियों ने आत्महत्याएं कीं, तब 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में मेरी एक कविता छपी थी, वह यह दिखाती थी चार लाइन में कि राष्ट्रीय विचार लेकर, उस जमाने में भी हमारे हिन्दी के वही विचार थे, जो राष्ट्रीय विचार थे, जो भारतीय संविधान के विचार थे, जो हमारी पार्टी के विचार थे :

जले होलिका अंग्रेजी की,
रानी का अधिकार मिले दासी को कैसे
अब आजाद जलायें अंग्रेजी की होली
65 के पश्चात् चलेगी है विधान में हिन्दी ही
जो 17 कोटि जनों की बोली
बोल रहे राजाजी मेकाले के स्वर में
द्रविड़ वाले भारत का संविधान जलाते
चीन, पाक के संकट का उत्तर देने में
काश उदाहरण प्राण त्याग का यह दे पाते
शेख, संत, मिजो और द्रविड़वासी
द्रोह भंग में मस्त मनाते श्रोणित होली
क्यों दोहरे इतिहास पुराना, भस्म किया बापू ने जिसको
खाकर गोली
हमने अंत में कहा, एक संदेश दिया,
कि आओ, भर लें पिचकारी संगीन लगाकर
हिमगिरि के हिम को भी हम रंगीन बनायें
और विघटन को तज, एक राष्ट्र भाषा के रंग में
बहुभाषी मिलकर होली हम आज मनायें।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

हमने हिन्दी की पैरवी, हमारी पार्टी ने, हम लोगों की सरकार ने की और अंग्रेजी को प्रश्रय दिया। यह सही था कि वर्षों बाद आपको यह सुध आई कि अंग्रेजी को प्रश्रय दिया जाये और राष्ट्रीय भाषा की बात की जाये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को, बालिकाओं को जितना महत्व दिया गया है, उनको मदद करने-धरने के मामले में, वजीफा देने के मामले में, फर्स्ट-सैकंड-थर्ड होने के बाद में इन्दिरा प्रियदर्शिनी इनाम देने के मामले में हमारी यह स्पष्ट नीति है कि 'एक लड़के को पढ़ाओ, एक व्यक्ति को पढ़ाओगे। एक लड़की को पढ़ाओ, आप पूरे परिवार को पढ़ाओगे।' तो याद रखिये, इसी हिसाब से हमने विकास करने में और उनको तरक्की करने में बातचीत की। आपके एक सदस्य ने कहा, बताइये, विदेश में भेजेंगे फर्स्ट, सैकंड, थर्ड आने पर, कौन पिता विदेश में भेजने के लिए तैयार होगा? ये विचार आपके अपने हो सकते हैं, मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता मगर आज भारत की बेटियां दुनिया में वह नाम कर रही हैं, कल्पना चावला, पूरे अंतरिक्ष को छेदकर गई और उसने इतिहास में अपना नाम लिखवा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आप मेरे साथ में कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं। पहले वाले तो कर रहे थे, मगर आप तो थोड़ा ध्यान रखिये।

कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, माननीय राजीव जी गांधी ने एक प्रोग्राम दिया कि कम्प्यूटराइजेशन करो, कम्प्यूटर के टीचर तैयार करो, जब कम्प्यूटर के टीचर तैयार होंगे, दुनिया के मुकाबले में हम आगे निकलने के लिए तैयार होंगे। आप मुझे बोलने नहीं देंगे मगर मैं एक बात आपके लिए भी कह देना चाहता हूं कि आपने बहुत तारीफ की चित्तौड़गढ़ की, मैं नमन करता हूं, मैंने बड़े लिखा कई ऐतिहासिक जब विचार लिखे गये थे मगर मैं आपको एक बात अपनी भी याद दिला देना चाहता हूं, मेरे यहां भी सवाईमाधोपुर में भी एक गढ़ है, दुर्ग रणथम्भौर। उसका जब लिखा है, वर्षों पहले 40 साल पहले यह लिखा था कि "गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ियां", यह कहावत सत्य है मगर रणथम्भौर दुनिया में ऐसे विश्वप्रसिद्ध गढ़ों में से है, ऐसा प्राकृतिक गढ़ है जिसके बारे में लिखा है कि that is known as the biggest natural fort in the world. पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिये, ऐसा एक नेचुरल फोर्ट, ऐसा एक धार्मिक स्थान और तीसरा, ऐसी एक गेम सैक्चयुरी; तीनों यदि एक जगह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मिल जायें, ऐसा ट्यूरिस्ट स्थान दूसरा पूरे हिन्दुस्तान में मिल नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि वह जर्जर हो रहा है। उसका बादल महल है, पद्मिनी महल है, उसका दूसरा महल है, ये जितने भी हैं, सब जर्जर हो रहे हैं। उनके विकास की ओर बातचीत की जाये, मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा।

आपने कम्प्यूटराइजेशन सब जगह करने की बात की। पिछली बार मदरसों में कम्प्यूटराइजेशन करने के लिए दो करोड़ रुपये के कम्प्यूटर खरीदे गये थे। पिछली बार उसका टेंडर बोम्बे की एक टीम को दिया गया। 25,000 या 30,000 या 26,000 या 35,000 या 40,000 में यहां मिलता था, 50,000 रुपये प्रति कम्प्यूटर लिये, 5,000 रुपये साल भर तक उसको ठीक करने के लिए भी उसको गारंटी दी गई। हालांकि यह केन्द्र की योजना थी मगर आदमी आपके थे, मदरसा आपके थे, सेक्रेटरी आपके थे, चेयरमैन आपका था। वह कम्प्यूटर कहां है, आज उनका पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात मानते हुए एक लाइन आपकी सेवा में और प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन मदरसों में टीचर लगाने के लिए जो इस पीछे चोर दरवाजे से, बेइमानी करने की कोशिश की गई थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा सचिव को, मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस योजना को समाप्त करके, उसकी अर्हताओं को चैंज करने के आदेश के साथ में इंसाफ करने की बातचीत की ताकि सही लड़कों को, उर्दू के लड़कों को पर्सेंटेज के हिसाब से और ईमानदार लड़कों का सलेक्शन हो सके और उसकी बेइमानी को रोका जा सके।

कई बातें बोलना चाहता था, मैं पुनः आपको नमस्कार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर जो आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जिस प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता है तथा उसी प्रकार से एक आदमी को अपने विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। प्राइमरी स्कूल में थोड़ी कमी है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होती, तब तक उस पर मकान बढ़िया बन नहीं सकता। हमारे यहां कर रखा है कि

(श्री सूरजभान धानका)

पांचवीं तक किसी को फेल नहीं किया जाये लेकिन आगे जाकर वह गोलमाल होता रहता है। तो इस बेसिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे क्षेत्र में सैकंडरी स्कूल अब की बार ना के बराबर क्रमोन्नत किये हैं। तो नाआण एक स्कूल है, जो बहुत पुराना स्कूल है, जहां लड़कियां दूर-दूर तक नहीं जा सकतीं तो उसको वह नहीं किया गया है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो विशेष एरिया को छोड़कर वे लड़कियां नहीं जा सकतीं क्षेत्र विशेष को देखते हुए। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह आग्रह है कि इतने बड़े क्षेत्र में मात्र तीन स्कूल देना नाइंसाफी है।

भवन रहित स्कूल चल रहे हैं क्योंकि पानी का साधन नहीं है। लक्ष्मणगढ़ हायर सैकंडरी स्कूल आज भी निजी भवन नहीं रखता। पहली शिफ्ट में जाते हैं उस स्कूल में लड़के, मिडल स्कूल के लड़के और उसके बाद जाती हैं शाम को लड़कियां। लगभग 20-25 साल से यह क्रम चल रहा है। अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने माननीय मंत्रीजी को अपनी परिवेदना दी। शिक्षा मंत्रीजी बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी संवेदनशील हैं, गुरुजी हैं आखिर, बच्चियों के बारे में हम इतना ढिंढोरा पीटते हैं, मैंने कहा कि गुरुजी, कोई इसके लिए रास्ता बतायें तो वह बोले, बंद करा दो। मैंने कहा, वाह गुरुजी, आपसे बंद करने की सलाह नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ उसको भवन मिले, ऐसा करें। तो वह बोले, अपने खाते से दो। वह तो लास्ट चांस है, उसमें तो आपका अहसान भी क्या होगा? मैंने उनको बताया कि तुम एस्टिमेट बनाकर दो; 12 लाख का एस्टिमेट बनाया, मैंने 10 लाख रुपये की उनको सैंक्शन दी क्योंकि बच्चियां हमारी हैं। तो इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ तो हम नारी शिक्षा में इतना बढ़-चढ़कर कर रहे हैं, दूसरा यह जवाब मिलता है। तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था।

उच्च शिक्षा में यह आवासीय स्कूल है मेवात बोर्ड में जो बनी है, वह अभी शुरूआत नहीं हुई है जिससे हमारे मेवात क्षेत्र का विकास हो, वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। आज शिक्षा में राजगढ़ हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां लड़कों का कालेज है और सन् 1967 का बना हुआ है। उसके बाद हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत दिनों से मांग चल रही है कि वहां लड़कियों का कालेज, गर्ल्स कालेज हो ताकि वहां से 50-60 किलोमीटर अलवर है, वहां नहीं जा सकें और वहीं शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(श्री सूरजभान धानका)

विद्यार्थी मित्र, इसके बारे में विद्यार्थी मित्र आये थे, पीछे धरना दिया है। तो यह हकीकत है कि एक अनपढ़ मजदूर जो कि सौ रुपये की दिहाड़ी नरेगा में लेता है और हमारे पढ़कर बी ए, बी एड कर घूम रहे हैं। उनको नाम मात्र की यह दी जाती है, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। तो इसके बारे में भी, स्थायी न करें तो कम से कम उनको छुट्टियां दें, उनका वेतनमान बढ़ायें।

विद्यार्थियों के वेलफेयर के बारे में कहूंगा कि बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण हो। आजकल बच्चों में आंख की बड़ी बीमारी चल रही है, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको एक वह कोई घोल आता है, मेरे ध्यान नहीं है, तो उनको वह दिया जाय, आंखों का परीक्षण किया जाय। बच्चों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था हो। जिस प्रकार से लड़कियों के लिए दूर जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की है चाहे वह बीजेपी ने की हो, कांग्रेस ने, बहुत अच्छा सोचा-समझा फैसला है।

अब की बार डी पी सी, समानीकरण का इतना वह चलता रहा। क्षेत्र वाले किसी में एक मास्टर है, किसी में दो मास्टर है, चिल्लाते रहे; मैंने कहा, भई, अब के तो कोई ऐसा विशेष ही प्रयोग होगा कि जिसमें शायद सबको न्याय मिले। लेकिन यह साल पूरा निकल गया, बच्चों को विषय के अध्यापक नहीं मिले। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा। दूसरा, शिक्षा में राजनीति को नहीं जोड़ें। जिस प्रिंसिपल के बच्चे मेरिट में छठे और आठवें नम्बर पर आ रहे हैं उनको बाड़मेर किया गया है, उनको एक तोहफा दिया गया है कि तुमने ऐसा अच्छा काम किया! इसमें भी प्रोत्साहन होना चाहिए। शिक्षकों को अगर उनका रिजल्ट डाउन होता है तो दूर फेंकिये और जो बढ़िया काम करता है उसको वहां रखें जहां उसने मेहनत की है। उन हैड मास्टर, प्रिंसिपल का सिर्फ यही था कि उन्होंने जीते हुए विधायक को बुलाकर किसी चीज का शुभारम्भ करवाया था चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे 26 जनवरी हो। तो उनको यह सज़ा दी गई है कि वह बाड़मेर भेजा गया है। तो मुझे बड़ी पीड़ा है इन चीजों को देखते हुए। जिस प्रिंसिपल का लड़का छठे और आठवें नम्बर पर आया है, उसको बाड़मेर भेजा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जीते हुए विधायक आप ही थे न?

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको मैंने कितना समझाया था कि इनका समर्थन मत करो, अब ले लिया न । अभी आज घोषणा कर दो कि इनके साथ नहीं हैं, अभी करवा देते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, क्या हो रहा है यह?

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): नहीं, लगभग सभी मंत्री इस चीज को अहमियत दे रहे हैं, कहीं-कहीं गलत हो रहा है। तो इसको हम ठीक करें। समर्थन इसलिए दिया कि हमारे क्षेत्र का काम हो, अगर ऐसा होगा तो फिर उसके बारे में सोचा जायेगा।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों को भी आग्रह करूंगा कि हम भी जन-प्रतिनिधि हैं, कोई दो लाख का और कोई ढाई लाख का, क्षेत्र का करते हैं? तो, माननीय मंत्रीजी, आप भी हम में से निकले हुए हैं। मंत्री का मतलब मोर पर कलगी हुआ, अगर आपके कलगी लग गई है तो आप एम एल एज को बिलकुल मत भूलिये, तवज्जह दीजिये। धन्यवाद। राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल गर्ग। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि सीधा विषय के ऊपर, आपकी समस्या और सुझाव।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसी पर मैं बोलता हूं, बाहर जाता ही नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद।

अभी सिकराय से आने वाली माननीय सदस्य बहन ने यह आरोप लगाया था गत सरकार पर कि पिछले पांच साल में पूरी शिक्षा का इन्होंने भठ्टा बैठा दिया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमने तो 3,108 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया और उसमें शिक्षक नहीं लगा पाये लेकिन उसकी तर्ज पर ही माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने गत बजट में 1900 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात कही, उन्होंने कौनसे 1900 विद्यालयों के लिए शिक्षकों, विषय अध्यापकों की, प्रधानाध्यापकों की कोई ऐसी योजना बनाई या लगाये हैं? तो गलती जो हमने की, वह की वह गलती आप भी दोहरा रहे हैं। और तो और, 1900 जो विद्यालय खोले गये हैं, कहां खुले हैं? पन्द्रह महीनों में आज तक तो खुले नहीं हैं, लिस्ट जरूर निकली है। तो मैं अब आशा करता हूं कि आने वाला जो सेशन है, इसमें सभी माननीय सदस्य यह बात बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी विषय अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक नहीं हैं तो अब की बार यह पूरी आशा है कि ये अगले सैशन तक इसको पूरा करेंगे।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि 'सी' एवं 'डी' श्रेणी की जो नगरपालिकाएं हैं या ग्रामीण परिवेश की जो नगरपालिकाएं हैं उनके एक्सटेंशन में जो गांव, ढाणियां हैं, वार्ड हैं जिनमें कम से कम बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस साल हो गये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चलते, उनको भी यदि आप 1900 विद्यालय जो क्रमोन्नत कर रहे हैं उनको भी सम्मिलित करते तो जो ढाणियों में बसे हुए नगरपालिका क्षेत्र की पेरिफेरी में हैं, ढाणियां हैं, वह गांव की तरह हैं, वहां पर कम से कम चार-चार सौ, पांच-पांच सौ बच्चे अध्ययनरत हैं, यदि उनको भी आप सम्मिलित करते इन क्रमोन्नत विद्यालयों में तो उनका भी भविष्य सुधर सकता।

इसी तरह आपने पंचायत मुख्यालयों के लिए किया था कि भई, ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं वहां के हम विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे तो उस लिस्ट में मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के तीन-चार ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय बच गये हैं वहां पर उस क्षेत्र में कहीं माध्यमिक विद्यालय नहीं है जैसे बीरामी, सिंधीपुरा, खातियासनी, यह तीन ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और इनके अन्दर आने वाले गांवों में भी कहीं पर, राजस्व गांव में भी कहीं माध्यमिक विद्यालय नहीं रहा है और यह बच गये, इनको भी उसमें सम्मिलित करवायें।

इसके अलावा आपने यह भी घोषणा की थी कि पांच सौ सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हम विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलेंगे लेकिन अभी तक आपने कहीं खोले नहीं हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो-तीन आते हैं तो कम से कम विधायक या माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, जहां पर पांच हजार, दस हजार की आबादी का बड़ा गांव है, तीन सौ, चार सौ बच्चों की स्ट्रेंथ है वहां पर कम से कम विधायकों की अनुशंसा के आधार पर करें तो उसमें मेरे बोरून्दा जिसकी आबादी करीब बीस-पच्चीस हजार है, खारिया मीठापुर दस-बारह हजार का गांव है, बीसलपुर है, खेजड़ला है, तो वहां पर विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय खोलें तो ये बड़े गांव लाभान्वित होंगे।

इसी तरह आपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो यह विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये लेकिन साथ के साथ 1900 वह विद्यालय भी इनके साथ बालिका के लिए जहां पर बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल हो गये, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं बालिकाओं के और वे क्रमोन्नत नहीं हुए। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वहां भी माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए करते तो यह एक अच्छा कदम होता।

(श्री अर्जुन लाल)

उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है जबकि अबकी बार मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे। तो बिलाड़ा के अन्दर बालिका महाविद्यालय भी नहीं है।

अभी ऐसे समय आपके यहां से या निदेशालय से एक आदेश निकाल कर के भेजा है कि पी.डी. अकाउंट से जिनको तनख्वाह मिलती है, वे ऐसे समय के टीचर्स लगे हुए हैं, उनको आपने अप्रत्यक्ष रूप से बिना कहे आदेश निकाले हैं एवं उनकी जो सरेंडर लीव होती है उसके भुगतान पर रोक लगा दी है। यह उनका वर्ष का अंतिम समय है यदि उसमें आप वापस छूट करेंगे तो उन लोगों को जिनको सरेंडर लीव के पैसे मिलने हैं वह मिल जाएंगे।

शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित जो मदरसे चल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान की धार्मिक महता को देखते हुए जैसे मदरसे चल रहे हैं वैसे के वैसे गुरुकुल भी आप खोलें जहां पर वेद, योग, ज्योतिष विज्ञान, यंत्र-तंत्र-मंत्र, इनकी शिक्षा चालू हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट लूंगा, साहब। पूर्व सरकार ने 1500 खेल प्रशिक्षकों के खेल को बढ़ावा देने के लिए इंटरव्यू लिए थे, उनकी फिजिकल फिटनेस हो गई थी लेकिन पता नहीं, उनके साक्षात्कार होने के बाद भी आज तक उनकी भर्ती नहीं की गई है। तो कम से कम आप उनके ऊपर इस प्रकार पुनर्विचार करके जो खेल प्रशिक्षक थे उनको वापस नियुक्ति दें।

एक अनुदानित स्कूलों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने अबकी बार घोषणा की थी कि उसमें शिकायत आ रही है, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, उनको राजकीय स्कूलों में नियुक्ति देंगे, उनकी सेवा के नियम पृथक से बनाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि उसमें उन स्कूलों का क्या होगा जिनसे आप टीचर्स अपने राजकीय स्कूलों में ले लेंगे? और उनको नई नियुक्ति क्यों देंगे? जब वे उस स्कूल में 9-10 साल से सेवारत टीचर्स हैं? उनके अलग से सेवा नियम क्यों बनेंगे? जो सेवा नियम अपने बने हुए हैं राजकीय, उनके आधार पर वह काम कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करे। श्री महेन्द्रजी चौधरी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): यह कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा पर आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्ज करता हूं।

वैसे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उसके अन्दर शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अभी लगभग-लगभग सभी वक्ताओं को मैंने बोलते हुए सुना, पक्ष और प्रतिपक्ष से और मैं स्वयं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दो मिनट आप घंटी का इस्तेमाल नहीं कर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें। क्योंकि हम पहली बार जो विधायक जीत कर आये हैं और जिनका शिक्षा जगत से विशेष रूप से जुड़ाव रहा है उनको अगर, हमारी सरकार की इस शिक्षा के विषय पर कुछ कमियां होंगी तो हम वह भी बताएंगे और पिछली सरकार ने क्या किया हम उसको भी उजागर करेंगे और कुल मिलाकर कैसे उस कमी को दूर किया जा सकता है उसके जो सुझाव होंगे उनको भी हम देने का अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे।

शिक्षा के ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के जैसे अभी पुराने वक्ताओं ने बताया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र जिनको समुचित सुविधा नहीं मिल पाती, समुचित संसाधन नहीं मिल पाते, टीचर्स स्कूलों में कम होते हैं, विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, कहीं बिजली की व्यवस्था कम हो तो बच्चा पूरा समय पढ़ नहीं पाता, शहर के और गांव के विद्यार्थी में इतना फर्क हैं। मैं स्वयं भी गांव से पढ़ा हुआ विद्यार्थी था। आज के 25 साल पहले इस जयपुर के अन्दर एडमिशन लेने के लिए आया था तो मैं अपने ऊपर बीती हुई बात से आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। साइंस का विद्यार्थी होते हुए सब्जेक्ट चेंज करके राजस्थान कालेज में हमने प्रवेश लेने की कोशिश की। गांव के विद्यार्थी के कम अंक आते हैं, वहां मुझे प्रवेश नहीं मिल पाया। एक प्राइवेट कालेज लाल बहादुर शास्त्री कालेज में मुझे अपनी पढ़ाई यहां पर शुरू करनी पड़ी। जिस दिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना था, मुझे पीड़ा थी उस बात की, उस गांव से आने वाले विद्यार्थी की और अध्यक्ष बनने के बाद इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में जो प्रावधान नहीं था, वह प्रावधान लागू करवाया कि गांव से आने वाले छात्र को पांच प्रतिशत अंक

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बोनस के दिए जाएंगे। यह राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में हुआ और गांव के उस छात्र की पीड़ा हम अच्छी तरह जानते हैं।

मैं अभी सुन रहा था उदयपुर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं उनको भी, वे शिक्षा के अध्यापक रहे हैं उनकी काफी बातें अच्छी भी मुझे लगीं, उनकी कई बातों पर मुझे एतराज भी हुआ। होना स्वाभाविक था क्योंकि 1998 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री बने थे, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ' का जो नारा दिया गया था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उस नारे को पोत दिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने उस गांव में और उन ढाणियों के अन्दर बैठे हुए उस छात्र के बारे में सोचा कि यहां पर स्कूल खोलनी चाहिए। हज़ारों राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, हज़ारों उन बेरोज़गारों को रोजगार मिलने का अवसर मिला और राजस्थान में वह पांच लाख बच्चे जो कभी भी स्कूल नहीं जाते थे, वे स्कूल जाने लगे। जब इनकी सरकार आई तो सबसे पहले हिन्दुस्तान के महान् प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का नाम उन्होंने स्कूलों के ऊपर से हटा दिया। राजीव गांधी खाली कांग्रेस के नेता नहीं थे, राजीव गांधी पर गर्व होना चाहिए। इस देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने 18 साल के उस नौजवान को वोट का अधिकार दिया था, इस देश के अन्दर संचार क्रांति और शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी हटाने का एक प्रयास किया था, एक कड़ी जोड़ने का प्रयास किया था, वह राजीव गांधी थे।

हम और इनमें फर्क क्या है? हम भी चाहते हैं कि शिक्षा ज्यादा बढ़े, शिक्षा में जो कमियां हैं दूर हों, गांवों के अन्दर अध्यापक लगें। आप लोगों ने वाहवाही लूटने के लिए सत्र में जाते-जाते स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं परन्तु एक भी अध्यापक नहीं लगाया, पूरे पांच साल के अन्दर एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने 15 महीने के अन्दर 24,537 प्रमोशन किये हैं। उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और मांग करता हूं कि चाहे समानीकरण के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से, इस शहर में वह बैठा हुआ टीचर्स जो ज्यादा समय से बैठा हुआ है उसको निकाल करके उस गांव और ढाणी के अन्दर भेजिए जहां पर उनकी सख्त आवश्यकता है। इसकी मैं मांग करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से। और तो और, मुख्य मंत्रीजी के उस वक्त भी नियम लागू हुआ था कि गाड़ियों लुहारों

(श्री महेन्द्र चौधरी)

के बच्चे, वे भी स्कूल में पढ़ने चाहिए लेकिन उनके लिए समस्या थी कि उनकी गाड़ी आज इस गांव में है और दूसरे दिन उस गांव में होगी तो वहां पर भी एक इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी कि उनको स्कूलों में जाकर के और गाड़ियों में बैठ कर टीचर्स एक-एक कर उनको पढ़ाकर के आते थे। यह इतिहास था कांग्रेस पार्टी का।

मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि पिछली सरकार के अन्दर हम छात्र संघ अध्यक्ष रहे और पिछली सरकार में, माननीय तिवाड़ीजी अभी यहां पर हैं नहीं, आते ही उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करवाये। छात्र संघ चुनाव बंद कराने के अलावा भी इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर छात्र संघ अध्यक्ष सहित छात्रों को पुलिस द्वारा पीटा गया और छात्राओं को भी बेरहमी से पीटा गया। यह भी इस कार्यकाल के अन्दर हुआ है।

इसके अलावा, मैं इस सत्र के अन्दर अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों के जिनके कर्मचारी और जो शिक्षक हैं उनको इस सरकार ने राज्य सरकार के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर लेने का जो प्रस्ताव पेश किया है उसका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि मेरे कुचामन महाविद्यालय में भी बड़ी खुशी की लहर है इस बात को लेकर।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किए हैं कि 10वीं के अन्दर मेरिट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में भेजा जाएगा और 10वीं के अन्दर 65 प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी के साथ जो 12वीं में भी 65 प्रतिशत लेकर आएगी तो स्नातक के अन्दर प्रथम वर्ष 20 हजार रुपए, सैकंड में 10 हजार और फिर थर्ड के अन्दर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। एससी/एसटी, ओ बी सी, अल्पसंख्यकों की दसवीं और बारहवीं की छात्राओं को जिले के अनुसार इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाएगा। यह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया गया है।

एक हजार नये भवनों का निर्माण होगा। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए 2500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है।

बात कर रहे थे कि स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया, मैं भी नहीं चाहता, अभी पहले पिछली सरकार ने जो स्कूलें क्रमोन्नत की हुई हैं उनके

(श्री महेन्द्र चौधरी)

शिक्षक भरने चाहिए, नियमित रूप से कक्षाएं लगनी चाहिए उसके बाद में स्कूलें क्रमोन्नत होनी चाहिए। यह मेरी भी आपके माध्यम से मांग है। पिछली सरकार ने साइकिल वितरण कीं लेकिन उनको भगवा रंग में रंगवा करके कीं। कालीचरणजी सराफ शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा सत्र के मध्य 67 लाख बच्चों को स्कूली बैग जिनका रंग भगवा, एक तरफ वसुन्धरा राजेजी की फोटो और एक तरफ कालीचरणजी की फोटो। यह इन्होंने किया पिछले सत्र के अन्दर, यह भी आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। पांच साल के अन्दर वासुदेवजी देवनानी, आप भी शिक्षा मंत्री थे +++ ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) एक भी नंबर बढ़ाया तो इस्तीफा दे दूंगा। या तो आप इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा दूंगा। या तो आप इस्तीफा दो या मैं इस्तीफा दूंगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपके चार शिक्षा मंत्री रहे हैं, चारों शिक्षा मंत्री, बाबूलाल वर्मा ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। +++ और आप सुझाव दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) एक भी बढ़ाया हो तो इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान) इस्तीफा दो आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में बोलने का बिलकुल अधिकार नहीं है। (व्यवधान) आपके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुआ है (व्यवधान) सभापतिजी, व्यक्तिगत आरोप लगे हैं ...(व्यवधान) ये आरोप, माननीय सभापति महोदय, जगजाहिर हैं, उनकी सरकार में अखबारों में बड़ी-बड़ी फोटो छपीं। ये किसी से छिपा हुई बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजो। विराजो। शिक्षा जैसे पवित्र विषय पर बोल रहे हो। माननीय सदस्य, अपना सीधा-सीधा बोलो न आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बैठ जाइये, देवनानी जी। बोलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बिना नोटिस दिये माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है। सभापति महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपसे ही मांग कर रहा हूं कि आप सदन की एक कमेटी बना दो और उसका चेयरमैन इन्हीं को बना दो। अगर एक नंबर भी बढ़ाने की बात सामने आ जाए तो वासुदेवजी इस्तीफा देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) समिति बनाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कैसी बात करते हैं? यह राजस्थान की विधान सभा है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, माननीय, कौन इस्तीफा देगा? आप उनके लिए कह रहे हो क्या? आप उनके लिए कह रहे हो क्या, इस्तीफा देंगे?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) अख़बार की कटिंग है। (व्यवधान) अख़बार में छपा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराज जाएं। एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) एक्सपंज करो या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक्सपंज कर दिया, विराजो। विराजें आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, अपने विषय पर चलो ।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): हां, मैं इसी सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं। मैं पाइंट-टू-पाइंट बोल रहा हूं। मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, यह भी मैं समझता हूं अच्छी तरह। सदन में बोल रहा हूं ।

श्री सभापति: विषय पर बोलें आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मिड-डे मील के अन्दर यह बात उठायी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक्सपंज कर दिया?

श्री सभापति: एक्सपंज करा दिया है । मैंने दे दी व्यवस्था, विराजो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ...उसके बारे में कहना चाहता हूं कि मिड-डे मील में क्या किया, एक करोड़ बच्चों की उपस्थिति बताकर मिड-डे मील के अन्दर इनकी सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं उठा लिया। जब सरकारी आंकड़ों में रिकार्ड आया तो उन बच्चों की संख्या 52 लाख पायी गयी। वे 48 लाख बच्चे कहां गये? या तो उनका ज्यादा गेहूं उठाया या वे इनकी शिक्षा का गिरता हुआ स्तर देख कर स्कूल छोड़ कर चले गये। यह भी सोचने का विषय है, सभापति महोदय।

और तो और, शिक्षा सत्र के अन्दर क्या-क्या हुआ, नसीराबाद केन्द्रीय विद्यालय में यौन शोषण कांड हुआ, कोटपूतली स्थित बी एड कालेज की तमाम छात्राओं का यौन शोषण कांड हुआ और नागौर में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण कांड इनकी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण ...(व्यवधान) जिस टाइम यह होता था ...(व्यवधान) कोई न कोई ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) आपके कुचामन वाली सी डी बनायी न ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कुचामन में दर्जी ने बनायी थी न सी डी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हो। तो बात क्या है, ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पाली, बूंदी, जालोर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अनुमति दे रहे हो इस तरह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अनुमति दे रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो न। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: विराजें। विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजें। विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है कुछ भी। विराजिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): xxx

श्री सभापति: विराज जाएं। आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। बेनीवाल साहब, विराजिये। हनुमानजी बेनीवाल साहब, विराजिये। माननीय सदस्य, मेहरबानी करके शिक्षा के विषय के ऊपर जो चल रहा है, आप अपनी बात.....(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: विराजें आप। माननीय सदस्य, विराजें। आप क्यों खड़े हो रहे हो? विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। आसन पैरों पर है, विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: आसन पांवों पर है, विराजिये आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें। देवनानी साहब, विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): xxx

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): xxx

श्री सभापति: मदन जी प्रजापत, आप बैठ जाइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: विराजिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। माननीय सदस्य, विराज जाएं। विराज जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजिए। विराजो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, महेन्द्र कुमारजी चौधरी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विषय से बिलकुल न हटे, समय आपका समाप्त होने वाला है। आप मेहरबानी

(श्री सभापति)

करके शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छे सुझाव हैं, क्या आपकी समस्या है, उस पर अपने आप को सीमित करके बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, आप तो वरिष्ठ हो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। मैंने एक्सपंज करवा दिया। मैंने एक्सपंज करवा दिया, फिर क्या बात है? विराजिए आप। मैंने कह दिया, अब आप विराज जाइए। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, देवनानी साहब, विराजिए, विराजिए । श्री महेन्द्रजी चौधरी, केवल विषय पर, बस।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ठीक है, साहब।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): xxx

श्री सभापति: मंत्रीजी विराज जाइए। मंत्रीजी मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। बिलकुल नहीं। मंत्रीजी, यह नहीं चलेगा, विराजिए। मंत्रीजी, विराजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराज जाइए। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): xxx

श्री सभापति: एक्सपंज हो चुका है। अंकित ही नहीं हुआ तो एक्सपंज कहां से होगा?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: विराजिए आप, विराज जाइए। विराजिए, देवनानी साहब, विराज जाइए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराज जाइए। माननीय सदस्य, विराज जाइए। माननीय सदस्य, अब मैं आपको सिर्फ दो मिनट अलाऊ कर रहा हूं। माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित ही नहीं हुआ ना।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: ...(व्यवधान) अंकित ही नहीं हुआ, किसको एक्सपंज कराना चाह रहे हो? (व्यवधान) अंकित ही नहीं हुआ ना। फिर वही बात कर रहे हो आप। अंकित ही नहीं हुआ, विराज जाइए आप। मैंने कहा, अंकित ही नहीं हुआ। फिर वही बात कर रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): xxx

श्री सभापति: विराजिए, विराज जाइए। विराजिए, विराजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, विराजो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 269(9) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, अन्य सदस्य कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे। इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, जो कि प्रतिपक्ष के सचेतक के पद पर भी विराजमान हैं, समय-समय पर व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आसन से व्यवस्था दी जाये कि जब कोई माननीय सदस्य आपसे अनुमति लेकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उस पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप उसमें अपनी बात रखें, नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सदन में इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे इस सदन की गरिमा बढ़े। हम आपस में आरोप-प्रत्यारोप और सदन के नेता के प्रति और उनके परिवार जनों के प्रति जो रखना चाह रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड कर निवेदन करूंगा कि परिवार जनों से आगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। विराजो ना आप, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: हां, बिलकुल दूंगा मैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छे वातावरण में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अच्छा वातावरण बना है वह बिगडे नहीं, इसके लिये कृपया आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप जोर मत खाइए, क्या मतलब है? एक व्यवस्था के प्रश्न पर बात हो रही है किसको जोर से बोल कर दिखलाते हैं। जोर से बोलना आपको ही आता है या ज्यादा नियम आपको ही आते हैं।

श्री सभापति: विराजो आप, विराजिए । सचेतक महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 272 की तरफ दिलाना चाहता हूं। 272 (2) में लिखा है, किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेंगे। नावां से आने वाले माननीय विधायक अपनी बात कह रहे थे, हम बात सुन रहे थे। पर इन्होंने अजमेर से आने वाले माननीय विधायक का नाम लेकर जब यह कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में +++ तब इन्होंने यह कहा कि आप अपने +++ कर लो। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई अगर किसी पर इस तरह के आरोप लगायेंगे तो आरोप सुनने के लिये भी तैयार रहें। वरना आप दोनों को एक्सपंज करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम अपनी मर्यादाओं में हैं, हम खुद चाहते हैं।

श्री सभापति: कर चुका मैं, दे चुका। माननीय सदस्य, पूरे सदन से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा, कला, संस्कृति, तीनों के ऊपर आज सभी माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। मेरा पुनः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि समय का ध्यान रखते हुए, अपने क्षेत्र की समस्या रखते हुए, सुझाव रखते हुए, इसके अलावा अगर आप उससे आगे निकलेंगे या दायें-बायें होंगे, आज सुबह भी हम लोग यहां सदन से तीन बजे गये हैं, आप सभी माननीय सदस्यों को ध्यान है। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि वह चीजें आप न बोलें जिससे किसी की भी चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, किसी भी माननीय सदस्य की भावना आहत या किसी दल विशेष की या किसी समाज विशेष की भावना आहत हो।

मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप सदन को चलाने में मेरा सहयोग करें, यह सदन बिना आपके सहयोग के नहीं चल सकता। मैं भी आप में से ही एक सदस्य हूं, यह आसन है। मेरे से कई वरिष्ठ सदस्य यहां विराजे हुए हैं । मेरा अनुभव उनसे बहुत कम है लेकिन एक आसन का सम्मान है। इसलिए मैं आपसे तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करें, अभी कम से कम 30 माननीय सदस्यों को और बोलना है और उसके बाद मुखबंद करके मांगें पारित होनी हैं। आप अंदाजा लगा लें, कितना वक्त लगेगा।

इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि कोई भी विषय वस्तु से न हटे, अगर वे हटेंगे तो मैं उनको अंकित नहीं होने दूंगा। यह मैं आसन से व्यवस्था अभी दे रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)
बहुत तरीके के साथ में उस बात को वापस रिकार्ड पर ले आने का प्रयास किया है जिसके बारे में आपने अपनी ओर से व्यवस्था दे दी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस बात को अंकित नहीं करवाने की बात की है, वह बात रिकार्ड पर नहीं आये।

श्री सभापति: अंकित ही नहीं हुई ना; हां, वह सब एक्सपंज है, सब एक्सपंज है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह पुन: क्योंकि आपने नियमों का हवाला देते हुए रखी है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: सब एक्सपंज है, सब एक्सपंज है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: महेन्द्रजी, अब आप केवल अपने क्षेत्र के बारे में कहेंगे।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, क्षेत्र की बात तो मैं रखूंगा लेकिन जब.....

श्री सभापति: नहीं मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। नहीं, माननीय सदस्य, अब मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। विराजो आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, इन्होने सदन में कही है 2.46 बजे ....

श्री सभापति: आप फिर से पुराने रास्ते पर जा रहे हैं, फिर सदन में व्यवधान होगा। माननीय सदस्य, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ...(व्यवधान) बात कही है, हम नहीं कहेंगे क्या? महात्मा गांधी जी की तस्वीर के सामने हमने भी शपथ ली है।

श्री सभापति: आप अपने विचार, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मेहरबानी करके रखें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हीं महात्मा गांधीजी की तस्वीर के सामने सभी सदस्यों ने शपथ ली है और हमने भी शपथ ली है। इन्होंने पाठ्यपुस्तकों में महात्मा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की है उसके बारे में हम क्यों नहीं बोलेंगे शिक्षा के मामले के अन्दर? अगर हम यह कहते हैं कि इनके शासन में स्कूलों के पास में शराब

(श्री महेन्द्र चौधरी)

की दुकानें थीं और हमने हटाईं तो यह क्यों नहीं कहेंगे हम? इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट 75 परसेंट जा रहा है, पहले 45 से 50 परसेंट जाता था। हमें ध्यान है वह चीज इनके शासन में जब आधे छात्र फेल हो गये थे और 6 छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ी थी इसी राजस्थान के अन्दर। वह भी इनके ऊपर काला अध्याय है। वह क्यों नहीं कहा जायेगा इस शिक्षा के मामले के अन्दर? सभापति महोदय, प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिए, कटारिया जी ने जो बात कही है मैं भी उसी के ऊपर आ रहा हूं। मिङडे मील के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाये इस सरकार के ऊपर, वह मैंने जवाब दिया। पाठ्यपुस्तक की इन्होंने बात कही, उसको मैंने बोला है। इसके अलावा परीक्षा परिणाम की इन्होंने जो बात कही, उसको वापस मैं बताना चाह रहा था। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजो पीछे से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मैंने विवाद पर नहीं, मैंने जो कारण बताया, 20 नम्बर में से विद्यालय देता है वह 18 नम्बर देता है, 17 नम्बर देता है और 80 नम्बर का जो पेपर है उसमें उसके 16 और 17 नम्बर आते हैं, वह लड़का पास होता है। मैंने यह कहा, यह जो 80 नम्बर का आपका है इसमें कम से कम मिनिमम 33 प्रतिशत वह बच्चा कवर करें तो वह प्रतिशत भले ही बढ़े लेकिन वह बच्चा क्या है कि पेपर में तो मान लो कि 12 प्रतिशत लाता है तो वह पास हो जाएगा लेकिन उससे स्टेंडर्ड गिरेगा। मैंने यह नहीं कहा कि 20 प्रतिशत वाले को हटा दें, मैंने कहा कि कम से कम जो 80 नम्बर का पेपर है उसमें वन थर्ड जो 33 प्रतिशत है वह उसमें वह बच्चा जरूर कवर करे ताकि उसका स्तर नहीं गिरे। यह कहा था। आपने विषय नहीं समझा। मैंने तो स्वयं आंकड़े रखे हैं । मैंने आंकड़े रखे कि हमारे टाइम में 2000 में इतने बच्चे थे, अब बच्चे 5800 कैसे हो गये? यह मैंने स्वयं ही रखा। मैंने कोई बात छिपाई थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपने कहा था, उसी का मैंने जवाब दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप तो यूं कर रहे हो कि आपका रिजल्ट खराब है, आपने यह कर दिया...(व्यवधान) मैंने कहा, रिजल्ट खराब और अच्छा, यह..(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपने मिड-डे मील की जो बात उठाई, वह आपके समय की बात थी। मिड-डे मील में नहीं हुआ था, केन्द्रीय पुल से एक करोड़ बच्चों का नहीं उठाया था ?(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो मैंने थोड़े ही छिपाई, मैंने स्वयं ने मेरे आंकड़े...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नहीं, आपने तो उसको भी सरकार पर डाल दिया। मैंने वह ही बात कही है। आप प्रोसिडिंग्स देख लेना, मेरी भी देख लेना, आपकी भी देख लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मैं शोर्ट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैंने यह बात कही कि आजकल जो ज्वलंत सबजेक्ट है वह, प्रश्न यह है कि सरकार किसी की हो लेकिन स्कूलों में अध्यापक जाने चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण सबजेक्ट है। पिछली बार क्या कारण हुआ था, कारण यह हुआ था कि पूर्व शिक्षा मंत्री, फिर चिल्लाएंगे आप कि नाम ले रहे हैं, उनको स्कूल के बच्चों ने उनके खुद के विधान सभा क्षेत्र कापरेन बूंदी के अन्दर, स्कूल के अन्दर ताला लगा दिया था। यह आपके पुराने शिक्षा मंत्रीजी का रिकार्ड है, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं थे। ब्यावर की जवाजा पंचायत समिति के अन्दर एक दिन के अन्दर 80 स्कूलों के अन्दर ताले लगे थे। यह आपके कार्यकाल के अन्दर हुआ था, यह मैं आपको, सदन को कहना चाहता हूं।

अंत में माननीय शिक्षा मंत्रीजी को 1-2 सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षकों की पूर्ति करनी है, नये विद्यालय जहां पर आवश्यकता हो वहीं खोलने हैं, कई जगह नहीं खोले गये वे खोलने हैं। पाठ्यपुस्तकों का, जो पाठयपुस्तक जिला हैडक्वार्टर पर भेजते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिला हैडक्वार्टर पर जब आप भेजते हैं तो एक अध्यापक को वहां पर जाना पड़ता है, वह कुली की तरह उनको लेकर आता है। तो उसको आप ब्लाक स्तर पर करवा दें ताकि शिक्षक का समय भी बच जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, यह मुझे एक अध्यापकों की संगोष्ठी के अन्दर अध्यापकों ने ज्ञापन दिया था, मैंने आपके सामने यह बात रख दी।

विद्यार्थी मित्रों की जो बात आई है उसमें भी मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों का भी भत्ता बढ़ाया जाय या सरकार उनको नियमित करे, यह मैं मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा कला और संस्कृति पर विचार विमर्श हो रहा है, मैं भी आपके माध्यम से विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण सबजेक्ट है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जब शिक्षा वहां की अच्छी हो। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में। हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता को हम देखें तो हम नीचे से सातवें नम्बर पर हैं, महिला साक्षरता में जो आंकड़ा 2001 के सेंसस का है वह सातवें नम्बर पर है।

माननीय सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने पर हमारे यहां पर भी एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10-11 का बजट है उसके पैरा नम्बर 142 में कहा है कि आगामी वर्ष में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत करने के बजाए प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। किन्तु, सभापति महोदय, इस बजट में केवल उन्होंने यह व्यवस्था की है, 3 सौ अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद सृजित करने की व्यवस्था है। भर्ती करने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई। किसी भी श्रेणी की भर्ती का प्रावधान इस बजट में नहीं है।

जो वेकेंट पोस्ट हैं उनके सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहूंगा। माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा में टोटल स्ट्रेंथ 84,262 है उसमें से 23,531 पद रिक्त हैं जो कुल का 28 प्रतिशत है। इसी प्रकार से स्कूली व्याख्याताओं के 19,575 पद हैं उनमें से 8,362 पद रिक्त हैं जो कुल का 43 प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, अभी आप 1900 विद्यालय और क्रमोन्न्त करने जा रहे हो, उसमें भी पद स्वीकृत करेंगे। एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत होगा, सैकंड ग्रेड के पद स्वीकृत होंगे। 500 विद्यालयों में सबजेक्ट खोलने की बात कही है, उसमें पद स्वीकृत करेंगे। इसी प्रकार से 2008-09 में जो स्कूल खुले थे उनमें अब तक आपने केवल प्रधानाध्यापक का पद क्रियेट किया है, दूसरे अध्यापकों के पद क्रियेट नहीं हुए हैं, तो हमारी संख्या और बढ़ेगी। लेकिन इस बजट में कहीं पर भी शिक्षक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में कोई भर्ती की व्यवस्था नहीं की गई है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में 09-10 के बजट में एस एस ए के माध्यम से 17,229 टीचर्स की भर्ती की व्यवस्था बजट में की गई थी, एक हजार पी टी आईज की भर्ती की व्यवस्था की गई थी, दस हजार ऐसे अध्यापक जो सेवानिवृत्ति से हर साल रिक्त होंगे उनको भी पिछले साल भर्ती करने की व्यवस्था की थी लेकिन अब तक एक भी भर्ती आपके द्वारा नहीं की गई।

मदरसों में 2500 शिक्षा सहयोगी अनुबंध के आधार पर लगाने की आपने बजट में व्यवस्था की थी लेकिन अभी तक एक भी नहीं लगाया है। उर्दू के जो पद खाली हैं उनको भरने की बात है, आपने बजट में व्यवस्था की थी लेकिन आपने एक भी अध्यापक अभी तक नहीं लगाया है। इसी प्रकार से पिछली सरकार में करीब साढ़े पांच हजार सैकंड ग्रेड के टीचर्स की लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, दो साल में भी आपने उसके एग्जाम कंडक्ट नहीं किये हैं। इसी प्रकार से संस्कृत विद्यालय में कई पद खाली हैं, सभी जगह संस्कृत के टीचर नहीं हैं। पिछली सरकार में 2900 टीचर भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई थी, लोक सेवा आयोग ने एग्जाम भी कंडक्ट कर लिये, उसका रिजल्ट भी आ गया, करीब 6 माह हो गये रिजल्ट आये लेकिन उनकी भर्ती, रिजल्ट आने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यह सोचने का विषय है।

इसी प्रकार से बजट में कहा है कि हमने पातेय वेतनमान पर कई लोगों को प्रमोट कर दिया। अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हमने कई लोगों को प्रमोट कर दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पातेय वेतनमान पर उनको पदोन्नति दी है और पिछले कई वर्षों से लोग पातेय वेतनमान पर पदोन्नत हैं। पहले आपने उनको सेकंड ग्रेड से हैडमास्टर बनाया, उनको कंफर्म नहीं किया अब आपने उनको बी ई ई ओ पर पदोन्नति दे दी। अब इसमें भी आपने कई अनियमितताएं की हैं। सेकंड ग्रेड पदोन्नति के लिए जिले का कैडर तय किया जाता है। भीलवाड़ा जिले में कई लोगों की पदोन्नति की लेकिन बेइमानी क्या की, जो एस टी, एस सी के लोग उस जिले से ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले गये उन लोगों को पातेय वेतनमान में पदोन्नति दी गई और वे पद आज भी खाली हैं। कहने को तो आपने एस टी, एस सी का कोटा पूरा कर दिया लेकिन एक्चुअली उनको पदोन्नति नहीं मिल पाई क्योंकि वे तो ट्रांसफर होकर उनके गृह जिले में चले

(श्री शिवजीराम मीणा)

गये हैं। यह स्थिति सारे जिलों की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी गलती हुई हो उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें और जो योग्य कैंडिडेंट हैं, उनको पदोन्नति से लाभान्वित करने का कष्ट करें।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, समानीकरण की खूब चर्चा हो रही है। माननीय मंत्रीजी ने लोगों को खूब डराया और कई बार अख़बार के माध्यम से कहा कि सामान्य ट्रांसफर से पहले समानीकरण करेंगे। कई बार इन्होंने कम्पेन भी किया, कई बार डी ई ओज को, डी डीज को, पूरे स्टाफ के साथ यहां जयपुर में बुलाया, उसमें लाखों रुपये खर्च भी हुये लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब तक आपने समानीकरण नहीं किया। सबसे ज्यादा इसकी जो मार आ रही है वह गांव के बच्चों पर आ रही है। शहर में खूब टीचर्स हैं लेकिन गांव के बच्चों की जो स्कूल हैं वहां आज भी अध्यापक नहीं हैं। कटारिया साहब कह रहे थे कि स्कूल कई तो ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की शून्य संख्या है, वहां पर भी आपने टीचर लगा रखे हैं और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां 200-250 की संख्या है वहां केवल एक अध्यापक है। तो आप किस प्रकार से इस शिक्षा को सुधारना चाहते हो? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 23 तारीख को प्रश्न काल के दौरान इंटरवीन करके व्यवस्था दी थी कि समानीकरण किया जाएगा तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगला सत्र प्रारम्भ हो, उससे पहले समानीकरण की व्यवस्था की जाए और प्रत्येक विद्यालय में छात्र अनुपात में शिक्षक मिलें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, प्रबोधक भर्ती में, पिछली सरकार के समय आप लोगों ने राजीव गांधी विद्यालयों में पैरा टीचर्स की भर्ती की थी उनको नियमित करने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने पैरा टीचर्स को नियमित करने का साहस किया और प्रबोधक भर्ती की व्यवस्था की गई। उसमें भी इन लोगों ने बेइमानी और छलावा किया है। माननीय सभापति महोदय, कुल 28,673 पदों का सृजन किया गया था लेकिन अभी तक 22,495 को ही प्रबोधक लगाया गया है। इसमें जो आपने आवेदन मांगे थे, प्राइवेट स्कूल्स के लोगों ने भी एप्लाई किया था लेकिन आपने उनकी

(श्री शिवजीराम मीणा)

मेरिट सही होने पर भी, सरकारी स्कूलों के मुकाबले इनकी मेरिट अच्छी होने पर भी आपने उनको नियुक्ति नहीं दी है। इसलिये आज भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के पद खाली पड़े हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, प्रबोधक भर्ती में जो प्राइवेट स्कूलों के लोगों ने एप्लाई किया था और जो मेरिट में स्टैंड कर रहे हैं उनको नियुक्ति देने का कष्ट करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर कालेज एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक निजी क्षेत्र में विद्यालय था, उसने भी कुछ शर्तें पूरी नहीं करने से प्रथम वर्ष में इस साल एडमिशन नहीं दिया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि जहाजपुर क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक कालेज खोलने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। मैंने पहले ही निवेदन किया आपको कि अपने क्षेत्र के बारे में और कोई सुझाव हों और आपकी समस्या हो तो बता दें। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): तो क्षेत्र की तो बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने और तो कुछ बोला ही नहीं आपसे।

श्री सभापति: बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स पर पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने और आपके वरिष्ठ नेता ने कवर कर ही लिया ना सब कुछ। आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलिये ना। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ और तो बोल ही नहीं रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे यहां पर। भीलवाड़ा जिले में 50 संस्कृत स्कूल हैं लेकिन जो सेकंडरी स्कूल, संस्कृत स्कूल में सिस्टम है, वहां केवल तीन स्कूल हैं और दो सीनियर सेकंडरी स्कूल के समकक्ष हैं। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है...

श्री सभापति: ठीक है, माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। श्रीमती नसीम अख्तर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें आप। विराजें आप।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपसे एक मिनट ले रहा हूं, एक मिनट ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे बहुत विषय हैं, आप किस-किस विषय पर... (व्यवधान) मैंने पूर्व में निवेदन किया था, आप अपने क्षेत्र पर बोलें। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आपका आदेश शिरोधार्य हैं, माननीय सभापति महोदय। बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में मैं आपसे एक मिनट ...(व्यवधान) एक बात कहकर के मैं मेरी बात समाप्त करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: तो फिर आप अपने विषय पर बोलें ना। कोई दिक्कत हो, वह बताओ, और कोई सुझाव, क्या कर सकते हैं, वह बताओ आप।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): बालिका शिक्षा में हमारे यहां केवल दो सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं, तीन सेकंडरी स्कूल हैं। इसलिये मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, मेरे क्षेत्र में पारोली, रोपा, पीपलूद और लुहारीकलां बालिका विद्यालयों को सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें और यह जो टीचर्स की कमी है, उसको समान अनुपात में, छात्र अनुपात में ... (व्यवधान) लगाने का कष्ट करें।

आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: पूरे राजस्थान के विषय ले रहे हैं। श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, निःशक्त बालिकाओं को बोर्ड की परीक्षा में आठवीं, दसवीं और बारहवीं में जिले में प्रथम स्थान आने पर 25, 40 और 50 हजार रुपये का इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार देने की जो घोषणा

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

की है, एक सराहनीय कदम है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। हम उनका स्वागत करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय थे जो 20-20 साल से क्रमोन्नत नहीं हुए, वे अब क्रमोन्नत हुए हैं। उसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। साथ ही साथ पंचायत स्तर के विद्यालयों में जहां पर पंचायत हैड-क्वार्टर के अलावा भी जो शिक्षा के मापदण्ड तय करते हैं जहां छात्रों की संख्या अधिक है, उनको भी क्रमोन्नत किया जाए। यह मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन है और सुझाव भी है क्योंकि जो मापदण्ड पूरा करते हैं, जहां छात्रों की संख्या अधिक है और दूसरे विद्यालयों की दूरी अधिक है और जो एक पंचायत हैड-क्वार्टर का वही गांव है तो उन्हीं स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया जाए तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और गांव में शिक्षा की महत्ती आवश्यकता की पूर्ति होगी। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत हैड-क्वार्टर के अलावा कायड़, ककलाना, थल, ये विद्यालय हैं, ये पंचायत हैड-क्वार्टर के अलावा हैं, उनको भी क्रमोन्नत कर दिया जाए क्योंकि यहां छात्र संख्या अधिक है और माइनोरिटी के और एस.सी., एस.टी. के ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहर ज्यादा पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। अगर इन विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया जाए तो मेरे क्षेत्र की ग्रामीण जनता को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोले इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। आज उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए, कम्प्यूटर व आई.टी. युग को देखते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर का रूपनगढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आस-पास के 40-50 गांव लगते हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, वहां उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए, रूपनगढ़ उप तहसील मुख्यालय भी है, वहां एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए जिससे छात्रों व ग्रामीण जनता की लम्बे समय से आ रही मांग पूरी होगी और छात्रों को अजमेर, परबतसर व किशनगढ़ नहीं जाकर वहीं उच्च शिक्षा मिलेगी एवं उनके धन व समय की बचत होगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट में कहा कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उस समय भी मैंने कहा था कि उर्दू का एक मात्र प्रशिक्षण

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

संस्थान था जो अजमेर में चलता था, 10 वर्ष पहले उसे बंद कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि माइनोरिटी के जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं जो उर्दू लेते हैं, जो उर्दू विषय लेकर पढ़ते हैं, वे दसवीं के बाद, बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर बारहवीं के बाद इस उर्दू प्रशिक्षण संस्थान को आप खोल देते हैं तो वे बच्चे, वे छात्राएं, वे बालिकाएं उर्दू प्रशिक्षण लेकर यहां टीचर लग जाएंगे और उर्दू के टीचर्स की कमी भी पूरी होगी। यह उर्दू प्रशिक्षण संस्थान वापस खोला जाए। मेरे साथ मेरे काफी विधायक भी इस चीज से सहमत हैं। मैं चाहूंगी कि उर्दू प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए, मेरी पुरज़ोर मांग है माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी से क्योंकि उर्दू प्रशिक्षण खुल जाएगा तो यह अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये एक वरदान साबित होगा।

साथ ही साथ मैं सुझाव देना चाहूंगी कि मदरसा पैरा टीचर्स का और प्रबोधकों का मानदेय बढ़ना चाहिए क्योंकि मदरसा पैरा टीचर्स अपनी अच्छी सेवाएं देते हैं। जब नरेगा में सौ रुपये दिये जाते हैं तो मदरसा पैरा टीचर्स का इतना कम मानदेय क्यों हो? मदरसा पैरा टीचर्स का मानदेय भी बढ़ना चाहिए।

साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि उनकी भी अलग छुट्टियां हों और गर्मियों की छुट्टियों का भी पैसा मिलना चाहिए। यह भी मेरा कहना है कि उनको भी वे परिलाभ मिलने चाहिए जो दूसरी संस्थाओं को मिलते हैं, दूसरे श्रमिकों को मिलते हैं।

साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि पुष्कर में राजकीय स्कूलों के लिये जमीन की कमी है। तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि यह जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें जमीन अलाट कराएं ताकि ये बड़े स्तर पर चल सकें; जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, उनके लिये जमीन अलाट कराएं ताकि यहां जगह की कमी की वजह से छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।

साथ ही साथ अनुदानित शिक्षक व्याख्याताओं की पीड़ा को समझते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में उनको नियुक्त किया जाएगा, इससे उनकी पीड़ा भी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की कमी की पूर्ति भी होगी। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट चाहिए, मुझे आज लम्बा नहीं बोलना है। मैं सिर्फ अपने सुझाव दे रही हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

निवेदन है कि समानीकरण जल्द करें और गांव, ढाणियों के स्कूलों में टीचर्स जल्द से जल्द भेजें ताकि जो आपने स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, जो गत सरकार ने भी स्कूलें क्रमोन्नत की हैं, उन स्कूलों में भी टीचर्स की कमी है। तो मैं चाहती हूं कि जो सिटी का पेरिफेरी बेल्ट होता है उसमें तो 14-14, 15-15, 17-17 टीचर्स होते हैं और गांव में एक-एक, दो-दो टीचर्स ने स्कूलें सम्भाल रखी हैं। तो माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जहां शिक्षक ज्यादा संख्या में हैं उन्हें इंटिरियर गांवों में भेजें, उनको गांव-ढाणियों में भेजें जहां शिक्षा की महती जरूरत है। गांव का बच्चा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा।

अब माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, पुष्कर के बारे में कहना चाहूंगी कि पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए। पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की 19 वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है। पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल का गठन तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब ने किया था। उन्होंने मीटिंग भी ली थी। उसके बाद माननीय शिवचरणजी माथुर साहब ने भी मीटिंग ली थी, हरिदेवजी जोशी साहब ने भी मीटिंग ली थी, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने भी मीटिंग ली थी। तो अब मैं चाहती हूं कि इस पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की नियमित बैठक की जाए ताकि पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा का जो एक मात्र मंदिर है और 300 अन्य मंदिर हैं, पुराना बड़ा रंगजी का मंदिर है, एक नया रंगजी का मंदिर है, यह पुरा-महत्व की चीजें और विदेशी पर्यटकों की आवक और देशी पर्यटकों की आवक और विदेशी मुद्रा और देशी मुद्रा जो अर्जित होती है तो इसके विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की जो 19 वर्षों से इसकी बैठक नहीं हुई है, इसकी बैठकें नियमित आयोजित की जाएं और पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की बैठकें नियमित करें और साथ ही साथ इसे पुनर्जीवित करें ताकि विकास के नये आयाम मिल सकें।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो एक और सुझाव है। एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में कहना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, ब्रह्मा सावित्री वेद विद्या संस्थान है, उसमें यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जा रही है, उसमें चारों वेदों की शिक्षा दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वेद विद्या संस्थान के छात्रों को इसमें खेल-कूद, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है वेद के साथ-साथ, कम्प्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है। मैं चाहती हूं कि इस वेद विद्यापीठ संस्थान के छात्रों को भी मान्यता, इनकी परीक्षा को मान्यता दी जाए ताकि इनकी परीक्षा को मान्यता मिले।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना। हां, आप।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मान्यता मिले तो इनको नौकरी में कहीं भी, नौकरी में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कर लिया माननीय सदस्य, विराजो, विराजो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): कहीं भी नौकरी मिल सके, अपना यह जीवन-यापन कर सकें और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नया आयाम मिल सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है, निश्चित रूप से शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज सदन में सुबह से जो चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा में किस तरह से गुणवत्ता का सुधार लाया जा सके, शिक्षा को किस तरह से पिछड़े हुए राजस्थान में हम क्या अंजाम दें ताकि हर व्यक्ति शिक्षा से जुड़ सके, इस पर अपनी-अपनी बात रखी लेकिन बीच में कुछ सदस्यों ने अपनी वह ही पुरानी बात जो और मांगों पर थी, उसको दोहराने का प्रयास किया। हम आपसे, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से उस बात को उजागर करेंगे, जिस सरकार की जो उपलब्धि रही है उसका दायित्व बनता है कि अपनी सरकार की उपलब्धियां बतायें। आज मेरे सामने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में हमारी सरकार पर उंगली उठायी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मैं सही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था पर आप मेहरबानी करके सहयोग करो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मैं शिक्षा पर ही आ रहा हूं। नहीं बोलूं? बैठ जाऊं फिर? (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, तो बस उसी पर ही, आप अपनी बात उसी पर ही कहो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मैं शिक्षा पर बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला है? माननीय सभापति महोदय, बिलकुल संसदीय भाषा बोलूंगा। पढ़ा-लिखा आदमी हूं, बोलता गवार परन्तु एम.ए., एलएल.बी. हूं, आपकी जानकारी को निवेदन करना चाहता हूं। सच बात बताऊंगा, कोई बड़ी-बड़ी बात इन लोगों ने की, निश्चित रूप से मैं भी अपनी पार्टी की बात रखूंगा।

इस शिक्षा के क्षेत्र में 19 हजार विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में खुले थे और आज तक 15 महीने में एक भी अगर विद्यालय, और मेरे अलवर जिले में तो एक भी नहीं खुला। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। 85 हजार अध्यापकों की भर्ती, जिसमें मदरसे के अध्यापक भी हैं, 67 हजार स्कूल के अध्यापक और शेष मदरसों के, 85 हजार, 85 हजार अध्यापकों की 5 साल में ऐतिहासिक भर्ती की और आपकी विगत सरकार ने तो प्रमोशन क्या, नौकरियां ही खतम कर दीं। आप कहते हो कि हमने प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन तो उन्हीं में से किया है, भर्ती कहां से की?

अभी मिड-डे मील की बात हो रही थी, मिड-डे मील में हमने सुधार किया है। मिड-डे मील में हमारी सरकार थी, गुणवत्ता लायी थी। आपने तो मिड-डे मील में घूघरी जिसको बाकड़ी भी कहते हैं देसी में, उसको पका-पका कर बच्चों को बीमार करने का काम किया था।

आपकी सरकार में, पिछली सरकार में पैरा-टीचर, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। बेरोजगार, शैक्षिक बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। 1200 रुपये में, आज अगर कोई मजदूरी पर नरेगा में जाता है तो 100 रुपये मिलते हैं और 1200 रुपये में भर्ती करके पैरा-टीचर के साथ में, बेरोजगार के साथ खिलवाड़

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

किया। हमारी सरकार ने सारे पैरा-टीचर्स को परमानेंट करके उनको तीन हजार रुपये मानदेय बढ़ाया।

निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने सीनियर सैकंडरी तक सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाये। मिडल स्कूलों तक सभी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनको नि:शुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये, नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवायी। क्यों नहीं उपलब्ध करवाएंगे?

अभी मेवात विकास की बात हो रही थी, माननीय सदस्यों ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेवात विकास के नाम से 11 आवासीय विद्यालय अलवर जिले में और 5 आवासीय विद्यालय हमने अपनी सरकार के समय में खोले, यह जीता-जागता उदाहरण है लेकिन कांग्रेस सरकार ने आने के बाद उसमें से एक को भी संचालित करने का काम नहीं किया।

आज आवश्यकता है हमारी इच्छा शक्ति की। आरोप-प्रत्यारोप से हटकर के आज इस शिक्षा में, आपके अन्दर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, निश्चित रूप से सुधार होगा। इस राजस्थान के 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं और किसान और मजदूर व्यक्ति का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जो गांव में स्कूल हैं। आज भी यहां सदन में बैठे हैं, जो अधिकतर उच्च वेतन-भोगी लोग हैं वे लोग निश्चित रूप से अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गांव का, खेत का मजूदर का बच्चा। आज हमको आवश्यकता है समानीकरण की। सुबह से चर्चा चल रही है, समानीकरण की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए। 200 बच्चे उस विद्यालय में, एक अध्यापक और 20 बच्चे जहां पर वहां पर पांच-पांच अध्यापक हैं। किसी भी चीज को सुधारने के लिए, आप अध्यापकों को सुधारने की बात कर रहे हो, अध्यापकों को हमने बहु-उद्देशीय बना दिया। अध्यापक तो जन-गणना करेगा, अध्यापक ही पल्स पोलियो में जाएगा, अध्यापक ही पशु गणना करेगा और अध्यापक ही जो टीकाकरण के काम को करवाएगा। जितने भी कार्य हैं, अध्यापक को लगा रखे हैं। तो नहीं कराए जाएं उनसे। मेरा सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि निश्चित रूप से इसमें सुधारने के लिए आपका ग्राम सेवक होता है, आपका जी.एस.एस. का ग्राम सेवक होता है, आपका पटवारी होता है, क्यों नहीं

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

इनको लगाकर उनकी जगह ये लगाये जाएं? हम बात करते हैं, स्कूलों के अन्दर कम्प्यूटर की बात करते हैं। कम्प्यूटरीकरण तब करोगे, इलेक्ट्रिफाई तो करो उससे पहले। आज स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, गांव का बच्चा जो सुबह से शाम तक गर्मी में पसीने पोंछेगा, वहां पर पंखे की उपलब्धता होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं, शिक्षा के अन्दर गुणवत्ता की बात करते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता तब आयेगी जब हम अध्यापकों का, विद्यार्थियों के अनुपात से जिस दिन तय लिए कर लेंगे, उस दिन होगा।

मिड-डे मील में हर व्यक्ति जाता है स्कूल में, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिले का जिलाधीश चला जाए। पहले इंस्पेक्टर स्कूलों में जाता था, बी.ई.ओ. जाता था, डी.ई.ओ. जाता था। अध्यापक से जाकर बात करते थे, स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते थे। आज जाते हैं, यह मिड-डे मील में क्या हुआ है, मिड-डे मील ऐसा धंधा बन गया, हर व्यक्ति मिड-डे मील की बात करता है, कोई भी जाकर यह नहीं पूछता कि आपने स्कूल के अन्दर क्या पढ़ाया है। कहां रही गुणवत्ता की बात?

एस.एस.ए. के अन्दर अनियमित भुगतान हो रहा है। अध्यापकों को दो-दो, तीन-तीन महीने का आप वेतन नहीं देते हो। अध्यापक सुबह से शाम तक स्कूल में जाता है, हमको आवश्यकता है शिक्षा के स्तर को सुधारने की। दूसरी बात, आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, वह हमारे सामने चुनौती है। निजी स्कूलों में अध्यापक कम वेतन में अधिक पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा वेतन मिलने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। आज ठहराव स्कूलों में बच्चों का नहीं हो रहा है। उसके पीछे हमको सोचना पड़ेगा। स्कूलें खोल रहे हैं हम, हम स्कूलों को क्रमोन्नत कर रहे हैं लेकिन इन स्कूलों के भवन बनाने से और क्रमोन्नत करने से इस शिक्षा का ढांचा नहीं सुधरेगा। शिक्षा का ढांचा सुधरेगा उसमें व्यवस्थाएं बदलने से, उसमें अध्यापकों को नियुक्त करने से। मैं बोल रहा हूं, स्कूलों में जितनी भी प्राइमरी स्कूलें हैं और मिडल स्कूलें हैं, मेरा सुझाव है, इनमें एक निर्णय लेना पड़ेगा, समानीकरण के नाम पर अध्यापकों को डराया जा रहा है। अध्यापक सुबह पढ़ाता नहीं, शाम को पढ़ाता है और दिन में राजनेता के चक्कर लगाता है, विधायक के यहां जाता है, डी.ई.ओ. के पास जाता है। अगर समानीकरण करना है तो मेरा सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय, इसको प्राथमिक स्तर पर लें, बी.ई.ओ. लेवल पर करायें, डी.ई.ओ. लेवल पर करायें। आप जयपुर में,

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

बीकानेर में सारे डी.ई.ओ. को, सारे अधिकारी एक क्विंटल के पोथे लेकर चले जाते हैं और एक-एक महीने पूछते हैं डी.ई.ओ. साहब कहां गये, साहब, समानीकरण में गये हैं; बी.ई.ओ. साहब कहां गये समानीकरण में गये हैं, लेकिन समानीकरण का हुआ क्या? प्रतिनियुक्ति, कभी सोचा, जितने भी अध्यापक हैं जिनकी राजनीति पर पकड़ है, जिनकी राजनैतिक अप्रोच है, वे निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति से राजनैतिक अप्रोच लगाकर प्रतिनियुक्ति के नाम पर, शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर उनका किया जाता है कि शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए उनको फलां जगह नियुक्त किया जाता है, उसकी सुविधानुसार की जाती थी। प्रतिनियुक्ति की जाये पर राजनीति में लाभ के लिये नहीं हो, प्रतिनियुक्ति शिक्षक सुविधा के लिये नहीं हो, प्रतिनियुक्ति उस अध्यापक के ऐशो-आराम के लिये नहीं हो, प्रतिनियुक्ति हो वहां पर स्कूल की व्यवस्था देखते हुए, वहां पर अध्यापक की पूर्ति को देखते हुए, वहां पर बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए। अभी पाठ्यपुस्तक मंडल में आठ महिलाएं लगी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): समाप्त ही कर रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आठ महिलाएं कौन लगी हैं पाठ्य-पुस्तक मंडल में? कौन लगी हैं आठ महिलाएं, मंत्री महोदय बतायें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): यह माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे। अभी शिक्षा मित्रों ने यहां पर धरना दिया। पूरे राजस्थान से आये और आपके शिक्षा मंत्रीजी ने वहां पर उनके बीच में जाकर, वे भी हमारे मतदाता हैं, इसी राजस्थान के नागरिक हैं, इसी क्षेत्र के हैं, उन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उनकी पीड़ा सुनना उचित नहीं समझा। आप लोगों से मैं जवाब चाहूंगा इन शिक्षा मित्रों को कब तक कंफर्म करोगे? मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आरोप-प्रत्यारोप के बजाय हमको गांव के अन्दर स्कूल और शिक्षा का विकास करना है। गांव का ढांचा सुधारना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक मिनट। हमारे तीन-तीन विश्वविद्यालय और जिसमें अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, यह कल्याणकारी, दम भरने वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की सरकार यह कहते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, आपने राजीव गांधी के नाम से पाठशालाएं खोलीं लेकिन हमने उनको कंफर्म कराया। हमारे तीनों विश्वविद्यालय, अलवर विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल भरतपुर विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय, इनको निश्चित रूप से खोलने का काम करें, उनको चलाने का काम करें तभी इस शिक्षा में विकास की बात होगी। निश्चित रूप से हम सबको इस बात को देखना पड़ेगा। शिक्षा में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय, जो मैंने बात रखी है ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय मंत्री महोदय, मैंने जो बातें रखी हैं, उनका जवाब दें और शिक्षा में आप गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा पर सुबह से भारी जोरों से चर्चा चल रही है। पहली बात तो शिक्षा का मूल रूप खतम कर दिया, अब इसकी चर्चा ही कहां से होगी? जब शिक्षा में पहला प्राथमिक सेक्शन था, एल.के.जी. था, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। अब शिक्षा का नाम ही मिटाने जा रहे हैं, शिक्षा कहां से शुरू होगी?

मैं बताना चाहता हूं, संस्कृत में एक श्लोक है- 'चिंता शरीर शोषणम्, मातृ शरीर पोषणम्, विद्या शरीर भूषणम्'। मां से बड़ा कोई शरीर का पोषण करने वाला नहीं, विद्या से बड़ा कोई आभूषण नहीं और चिंता से बड़ी कोई शोषण करने वाली चीज नहीं है। जब दुनिया में सबसे बड़ा आभूषण शिक्षा को माना है, व्यक्ति कितने ही ओर्नामेंट्स पहनकर जाये, कितने भी कपड़े पहने, उसको कोई एक बार झलक मार सकता है पर जिसके मुंह से सरस्वती बोलती है, वह देश और प्रदेश में सबसे ऊंचा आदमी होता है। सरस्वती के लिये किसी ने कहा, मां, तेरी उपमा चांद से करूं, कहा, नहीं मां, चांद में दाग है तू पवित्र

(श्री श्रवण कुमार)

है। कहा, मां, तेरी उपमा सूरज से करूं; कहा, नहीं, मां, सूरज में गर्मी है, तू ठंडी है। कहा, मां, तेरी उपमा समुद्र से करूं, कहा, समुद्र का पानी खारा है, तू मीठी है। तो सरस्वती मां अपने आप में महान् है, उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। सरस्वती के भंडार के लिये कहा करते हैं ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाये।

इस सरस्वती मां को बोलते हुए इस बात का गर्व होता है, हम उस भूमि से आते हैं जहां स्वामी विवेकानन्दजी ने खेतड़ी में शिक्षा और दीक्षा दोनों ली थी। स्वामी विवेकानन्दजी विदेश में गये और कुछ लेट हो गये, हमारी तरफ लेट-लतीफ थे। सब अक्षरों पर बोल चुके, जीरो मिला उनको। जीरो पर बोलते गये, बोलते गये। आखिर उनको हाथ जोड़कर रोकना पड़ा। तो स्वामी विवेकानन्द जी जिस भूमि में पैदा हुए, वह भूमि झुंझुनूं जिला है। उस जिले से हम आते हैं जो सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा और सैनिक के मामले में प्रसिद्ध है। हमारे झुंझुनूं जिले के शहीदों की संख्या 33 प्रतिशत है। हमारी बेटी बाड़मेर की तलहटी में पढ़ाती हुई नजर आयेगी, हमारी बेटी बांसवाड़ा की तलहटी में सूई लगाते हुए नजर आयेगी। शिक्षा की मेहरबानी राजस्थान सरकार की नहीं है, वह हमारे राजस्थान के सेठों की है; जो सेठों की भूमि शेखावाटी है, उन्होंने शिक्षा हमें दी। आज वहां न कोई विश्वविद्यालय है, न कोई मेडिकल कालेज है, न कोई सैनिक स्कूल है। जहां 0.1 प्रतिशत सैनिक चित्तौड़ से जाते हैं, वहां सैनिक स्कूल है। झुंझुनूं जिले में 33 प्रतिशत शहीद होते हैं ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह (बेगूं): रहने दो, चित्तौड़ का क्या इतिहास है, वह सबको पता है। चित्तौड़गढ़ ही होना चाहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं। चित्तौड़गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़इया, जिला तो झुंझुनूं जिला बाकी सब जलइये, यह कहूं क्या? हमारे झुंझुनूं जिले की बात कर रहा हूं, मैं वहां से आता हूं। मुझे पूरे राजस्थान की चिन्ता नहीं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जिस जिले में मैं पैदा हुआ और जिस जिले से चुनकर आया।

मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले की बेटी जब सूर्य उगता है तो बच्चों को पट्टी देकर आंक सिखाती नजर आती है, जब आंख खुलती है तो सूई लगाती हुई नजर आती है। जब हमारे हिन्दुस्तान की

(श्री श्रवण कुमार)

सीमाओं पर इस देश की मान और मर्यादा को कायम करने में हमारे जवान शहीद होते हैं और उनकी वीरांगनाएं चिता को हाथ में लेकर, सबको हाथ में लेकर चिता पर चढ़ाती है और उस जिले का बच्चा पढ़ने के लिये चित्तौड़ जाये और हमारे झुंझुनूं जिले में स्कूल नहीं हो। आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने सिफारिश भेजी दिल्ली के अन्दर कि हमारा झुंझुनूं जिला बहुत बड़ा सैनिकों का जिला है, सीकर-शेखावाटी, वहां सैनिक स्कूल होना चाहिये? किसी के दिल में दर्द ही नहीं है, किसी के दिल में भावना ही नहीं है। ''बरानी भाव से बहती जिसमें रजार नहीं है, वह पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं''।

आज बार-बार एक बात कहते हैं, शिक्षा में कभी शिक्षा का जिक्र किया? केवल मिड-डे मील की बात करते हैं। हमारी कलक्टर जायेगा स्कूल में, वह पूछता है, क्यों, बेटा, स्कूल में मिड-डे मील अच्छा मिला, चावल अच्छे मिले, रोटी जली हुई तो नहीं मिली, बर्तन साफ हैं क्या। यह कभी किसी के दिल में दर्द आया कि पानी स्वच्छ था क्या? 15-15, 20-20 दिन, 6-6 महीने, 12-12 महीने और कहीं तो दो-दो साल तक टंकियों में पानी पड़ा रहता है। कभी किसी ने उसके अन्दर दवाई डाली क्या? जिस भोजन को शुद्ध करने के लिये पानी की महती आवश्यकता है, उस पानी के लिये आज तक किसी के दिल में दर्द नहीं आया। कितने निर्दयी लोग हैं, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बेटा पानी कौनसा पी रहा है, जिस पानी से भोजन बनता है उस पानी की क्वालिटी कैसी है, उसमें फ्लोराइड तो है ही, गंदगी कितनी है।

आज सबसे पहले स्कूलों में शुद्ध पानी मिलना चाहिये। आज स्कूलों में पानी नहीं है। आज भी बेटा बोतल में पानी लेकर जा रहा है। हैंडपम्प लगा दिये। अब पांच-सात वर्ष का बेटा हैंडपम्प चलायेगा क्या? कहां से स्कीम लेकर आये हैं? कौन इसका दिमाग देने वाला है कि स्कूल में हैंडपम्प लगा दो? मास्टर कभी हैंडपम्प चलाकर पानी पिला देगा क्या? सात वर्ष का बेटा पानी के लिये हैंडपम्प चलायेगा? किसी के दिल में दर्द नहीं है।

आज सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रदेश में पानी खारा और सही नहीं है, वह देश 21वीं सदी की बात करता है! सुबह-सुबह बातें करते हैं कि जयपुर को हेरिटेज सिटी बनायेंगे, 21वीं सदी में जा रहे हैं। अभी तो आप लोगों की सोलह सदी पूरी नहीं हुई। अभी राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैंने मंत्रीजी को कहा कि स्कूल में कमरे नहीं हैं तो उन्होंने कहा बताया कि स्कूल को बन्द कर दो। यह जबाव है क्या मंत्रियों का?

(श्री श्रवण कुमार)

सरकार कह रही है कि विकलांगों को तीन परसेंट कोटा देंगे। ये मंत्री तो विकलांग को धक्के मारकर निकालते हैं कोटा कहां से दोगे? आप कोटा कहां से देंगे? जब विकलांगों को धक्का मारकर निकाल देते हो तो फिर विकलांगों के लिए जगह कहां है? जबकि विकलांग के प्रति दिल में दर्द होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति के दिल में इस बात का विचार होना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति है, उसको सड़क के नजदीक के स्कूल में लगाना चाहिए। जो विकलांग हैं, वे बस से उतरते ही स्कूल चले जायें और स्कूल टाइम खतम होते ही तुरन्त वे बस में बैठकर चले जायें।

इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की बात करते हैं, आज स्कूल्स में मास्टर शराब पीकर जाते हैं। शिकायत हुई, जांच हो गयी और जांच के बाद में वही मास्टर वहां दुबारा लग गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं प्रेक्टिकल बात कह रहा हूं, यह कोई बनावटी बात नहीं है। जिस अध्यापक की हमने शिकायत की, वह शराब पीता था, उसका ट्रांसफर हो गया और वही अध्यापक अब दुबारा उसी स्कूल में लग गया और सुबह शराब पीकर जाता है। इससे बड़ी गिरावट और क्या देखना चाहते हो आप शिक्षा में? जिस स्कूल में 1100 बच्चे थे, शराबी अध्यापक के आने से उस स्कूल में बच्चों की संख्या 242 पर आ गयी। फिर भी आंख मींचकर बैठे हैं। हम यह नहीं कहते, हम यह कहना चाहते हैं, कोई मंत्री बने, चाहे इधर से बने, चाहे उधर से बने, चिन्ता इस बात की कि राजस्थान में शिक्षा की गिरावट, जो प्रतिदिन गिरती जा रही है उसका सोच किसी व्यक्ति के दिल में नहीं है।

कटारियाजी सुबह जो बात कह रहे थे, वह वाजिब बात थी, रिजल्ट्स डाउन जा रहे हैं। यह बात सही है, डाउन जा रहे हैं। स्कूल के पेपर आउट हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में पेपर पहले ही मिल जाते थे। अब जाकर कोई प्रबन्ध हुआ है। पेपर आउट ही हो जाते थे। चाय की दुकान पर पेपर मिल जाता था। यह शिक्षा है क्या? हिन्दुस्तान के मानचित्र में माना जाता था कि राजस्थान का बोर्ड है। आज बिहार से भी गया गुजरा हो गया। पांचवीं क्लास के बच्चे को मैंने कहा कि बेटा, तेरा नाम लिख। वह बोलता है, नाम लिखना ही नहीं आता। मैंने पूछा, कौनसी क्लास में है, वह बोला, छठी में हो गया। मैंने कहा, किताब पढ़, बोला, पढ़ना ही नहीं आता है। मैंने कहा, क्या करना आता है तो वह बोला कि गुरुजी ने कहा है कि आठवीं तक तो ऐसे ही हो जाएगा। कहां जाएगा वह? जिस मकान की नींव कमजोर है उसके कंगूरे अच्छे लगेंगे क्या? जिसका

(श्री श्रवण कुमार)

मकान कमजोर होगा, उस मकान से आप क्या आशा रखते हो? भूकम्प आयेगा तो गिरेगा। हवा में भी गिरेगा वह तो। यह आर्टिफिशियल तो शिक्षा है, इसको मैं पसन्द नहीं करता।

आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच पोजिटिव है, शिक्षा के प्रति जागरूक भी हैं पर उनके सोच को काम में कौन ले? आज जो अनुदानित स्कूल्स हैं, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने एक आदेश निकाला कि जो अध्यापक सरकारी स्कूल में आना चाहे तो उसको ले लेंगे। मुश्किल से आठ सौ-नौ सौ अध्यापक ऐसे हैं जिनकी वजह से वे बेचारे नहीं लग सकते। उनको कहा कि वे 1990 के बाद के हैं। जब हमने रूल बना दिया कि आठ सौ अध्यापक हैं तो वे अध्यापक तो हैं ही। एस टी सी भी होंगे, बी एड भी होंगे। तो उनके साथ दुराचार क्यों किया जा रहा है? सभी को लिया जाना चाहिए फिर तो।

अब टीचर्स की भर्ती की बात आती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बज गयी घंटी। सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्कूल्स में आज सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं है। एक स्कूल में पचास बच्चे हैं, चार अध्यापक बैठे हैं; एक स्कूल में ढाई सौ बच्चे हैं, दो अध्यापक भी नहीं हैं। कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां आठ मास्टर हैं, बच्चा एक भी नहीं है। समानीकरण का ढर्रा छह महीने तक चला। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। या तो मन में इच्छा पैदा नहीं करनी चाहिए थी और की तो लागू करना चाहिए था। यदि कोई बात को हम लेकर चलते हैं और पूरी नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो भी मुद्दा उठाया, वह मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि हमारी शिक्षा में सुधार होना चाहिए।

अभी थोड़ी देर पहले महेन्द्रजी कह रहे थे कि मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव कौन मानता है? मैं मंत्रीजी को कहता हूं कि व्यवहार ठीक करें। एम एल ए कोई हवा में नहीं उड़कर आते हैं, एम एल ए चुनकर आता है दो लाख वोटों से। जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता वह समाज में आगे भी नहीं बढ़ सकता। मंत्री बनने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। मंत्री बनने का उपयोग क्या होगा? उसकी भावना क्या है? समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है? एक ऋषि ने कहा है कि अपने पिता के द्वारा, अपने भाई

(श्री श्रवण कुमार)

के द्वारा कोई चीज मिल तो जाती है, मिलना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दुनिया के लिए छोड़कर क्या जाता है, वह बड़ी चीज है। हमें रियासत में राज मिल गया परन्तु हम जनता के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, यह दुनिया के देखने योग्य बात है। आज किसी को मंत्री बना दिया, मेहरबानी हो गयी ऊपर से लेकिन उसका व्यवहार क्या है, उसका एटिट्यूड क्या है, शिक्षा के प्रति जागरूकता क्या है, शिक्षा के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है, जनता के प्रति उसका व्यवहार क्या है, वह हमें नोट करना है।

अभी कह रहे हैं कि 2010-11 में 1100 स्कूल्स के कमरे बनायेंगे । इसका क्राइटेरिया तो बना दिया क्या कि कहां-कहां बनायेंगे? शिक्षा में भी समानीकरण होना चाहिए। शिक्षा में भी दुराचार है। एक व्यक्ति का काम हो जाएगा, दूसरा देखता रह जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में समानीकरण होना चाहिए। जहां बच्चों का अभाव है, मैं कहता हूं, राजस्थान में मिड-डे मील की बात करता हूं, मैं तो इस बात के लिए पीड़ित हूं कि हमारे हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने वाले लोगों का सपना यह नहीं था, हमारे सामने जो गांधीजी बैठे हैं, उनका सपना यह नहीं था कि मेरे हिन्दुस्तान का बेटा किसी से रोटी मांगकर खायेगा, स्कूल में जाकर रोटी खायेगा। उनका सपना था कि वह कमाकर खायेगा, हिन्दुस्तान की शान और शौकत को कायम करेगा। यह मिड-डे मील बन्द होना चाहिए। क्या है यह? बच्चे को पैरासाइट बनाना चाहते हो आप। आज समाज का बेटा जाकर रोटी खाना सीख जायेगा, कमाकर खाना नहीं सीखेगा, पंगु हो जायेगा और समाज की आने वाली पीढ़ी असहाय हो जायेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अब समाप्त करो। श्री जीवारामजी चौधरी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मिड-डे मील की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है, हटाइये इससे ध्यान को। शिक्षा को जाग्रत कैसे किया जा सकता है? मैं कहता हूं कि जिस तरह आपने मिड-डे मील को प्रोत्साहित किया, यह मिड-डे मील प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रोत्साहित होनी चाहिए। शिक्षा में जो गिरावट आती जा रही है,

(श्री श्रवण कुमार)

सभापति महोदय, दस साल बाद 'राम तेरी गंगा मैली' वाली कहानी हो जाएगी। कोई राजस्थान की इस शिक्षा पर विश्वास नहीं करेगा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा में जो गिरावट है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पांचवी, आठवीं, नवीं और दसवीं क्लास जो पास होते जा रहे हैं, इसको बन्द करिए। शिक्षा को सुदृढ़ करिये।

नम्बर दो, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा, बहादुर जिला है शेखावाटी, इसमें कोई कालेज नहीं है, न कोई विश्वविद्यालय है। केवल मात्र सपना दिखा रखा है। मैंने बीस पाइंट नोट कर रखे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप शिक्षा मंत्रीजी के साथ बैठकर बात कर लेना। अब आप मेहरबानी करो। समाप्त करो आप। संक्षिप्त करो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शिक्षा मंत्री बात करने वाला होता तो बात ही कर लेता न। आपके माध्यम से मैं बात ही तो कर रहा हूं। बात कहां करेंगे? किससे बात करेंगे? बात कर रहा हूं न मैं आपसे, सुनो आप, नोट करिये न। शिक्षा मंत्री बात करें न, ये पाइंट मैं लिखकर दे रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं, सभापति महोदय, ये नोट करने वाली बातें हैं। मैं इस बात का द्योतक नहीं हूं कि शिक्षा हमारे क्षेत्र में खुले, मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की हालत सुधरे। मैं मेरे लिए कह रहा हूं क्या? पूरे राजस्थान की शिक्षा में जो गिरावट है, इस गिरावट के लिए मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री सभापति: अब आप केवल सुझावों पर आ जाओ। अब संक्षिप्त करो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फीस कोई दस हजार रुपये ले रहा है, कोई पांच हजार रुपये ले रहा है। मुझे एक बात बतायें कि जब हमारा कंट्रोल ही नहीं तो हम क्या करेंगे? राजस्थान में प्राइवेट स्कूल्स के लोग चाहे वे पचास हजार रुपये ले लें, चाहे दस हजार रुपये ले लें, चाहे पन्द्रह हजार रुपये ले लें। उसके अन्दर कम से कम गरीब का बेटा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल तो होना चाहिए। हमारा कंट्रोल ही नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

है उसके ऊपर। जब हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे देश में शिक्षा चल रही है और हमारा कोई अनुसरण नहीं है। तो कैसे काम चलेगा?

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा के अन्दर जब कोई आदमी का अनुसरण नहीं होगा, सुबह कटारियाजी एक बात कह रहे थे कि 75 हजार स्कूल्स में डी ई ओ क्या करेगा, मैं कहता हूं, कटारिया साहब, कि आप तो कह रहे हो 75 हजार, डेढ़ करोड़ स्कूल्स भी हों और जिसका टेरर हो न तो हिम्मत नहीं है कि दूसरा अध्यापक उसमें गड़बड़ कर दे। राजस्थान की शिक्षा का टेरर खतम हो गया है। अगर टेरर रहता तो इनकी हिम्मत नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीजी को, एक भले आदमी को लगा दिया इसलिए शिक्षा में सुधार हुआ है, जिन्दा हुई है वरना मर जाती अभी तक यह शिक्षा।

(19.00 बजे)

हमारा दुर्भाग्य है इस बात का, चाहे आप रहे चाहे यह रहे, कोई भी रहे पर शिक्षा में दस साल में जो गिरावट आयी है इससे बड़ी गिरावट कोई हो नहीं सकती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह पाठ्यपुस्तक मण्डल का क्या है, श्रवणजी? (व्यवधान) पाठ्यपुस्तक मण्डल का क्या मामला है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इतना पैसा आता है भारत सरकार का और कौन काम करता है, उसमें भी मास्टर काम करता है। जब मास्टर काम करेगा तो क्या सर्व शिक्षा अभियान में क्या काम करेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप। (व्यवधान) समय होता जा रहा है। नहीं, मैं अब अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान का इतना पैसा आता है कि हमारा जो जे.ईएन. है ...

श्री सभापति: अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा, अब आप सम-अप करो। अब आप सम-अप करो। आपको 16 मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट।

श्री सभापति: 16 मिनट हो गये हैं। नहीं, अब नहीं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब 16 ही हो गये तो तीन मिनट और दे दो न।

श्री सभापति: नहीं, हो गये। अब आप संक्षिप्त ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर हमारे राजस्थान में इतना पैसा आता है, उसके बावजूद भी शिक्षा में यह पैसा काम में नहीं लिया जा रहा है।

श्री सभापति: विराजें आप। आप विराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मास्टर को बैठकर के उसको काम दिया जाए, मास्टर कोई कमरा बनाने के लिए बना है क्या?

श्री सभापति: श्री जीवारामजी। जीवारामजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मास्टर कमरा बनाता है, हम चाहते हैं कि हमारा सर्व शिक्षा अभियान के पैसे का पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से काम होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आता है, सर्व शिक्षा अभियान का यह सारा गड़बड़ हो गया। हमें इस बात का सोच बदलना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पाठ्यपुस्तक मण्डल वाला जो मामला है, श्रवणजी, पाठ्यपुस्तक का मामला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विरजो, आप विराजो। हो गया, सभी हो गये। करीब सभी बिन्दु कवर हो गये। माननीय सदस्य, हो गया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाठ्य पुस्तक मण्डल में आठ अध्यापिकाओं को लगाया। सरकार क्या लगा सकती है?

श्री सभापति: हां, हो गया अब। मैंने आपको निवेदन किया न, हो गया सभी। श्री जीवाराम जी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह आशार्थी स्कूलें, 17 स्कूलें चेंज कीं।

श्री सभापति: श्री जीवाराम जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इतनी देर में तो ...

श्री सभापति: श्री जीवाराम जी। माननीय सदस्य, आपको बोलना है या नहीं बोलना है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं बोलना, नहीं बोलना है; मेरे आदमी हैं, नहीं बोलना है इनको।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंहजी रावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूं ...

श्री सभापति: नहीं, अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा अब, नहीं होगा अंकित। श्री शंकरसिंहजी रावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराज जाओ, अब आप विराज जाओ। अब आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: विराजो। श्री शंकर सिंहजी रावत। जीवारामजी, आप विराजो। आप विराजो, मैंने शंकर सिंहजी रावत को पुकार लिया। नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, मेरा भाषण नहीं है, खाली एक संशोधन चाहता हूं मंत्रीजी से और मैं इनको दो शब्दों में धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मेरा भाषण नहीं है, एक लाइन का ही काम है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने 9 विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन माननीय सदस्य इतने आक्रोशित हैं, मंत्री महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनको संतुष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र सांचोर में एक वीरावा ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर में जो स्कूल है उसकी छात्र संख्या ज्यादा है। तो उस हैडक्वार्टर में स्कूल न खोल करके उसके पास में एक हलीवाव करके गांव है उस स्कूल को आपने क्रमोन्नत किया है। वहां छात्र संख्या सिर्फ 100-125 है और उस स्कूल में है 800 । तो मेरा निवेदन है कि हलीवाव को संशोधन करके वीरावा किया जाए। एक ग्राम पंचायत पीछावाड़ी में आपने विद्यालय क्रमोन्नत किया है, मैंने लिखित में निवेदन किया था राजेसरपुरा ग्राम पंचायत पीछावाड़ी, क्योंकि छात्र संख्या इस स्कूल में ज्यादा है। यह दोनों का संशोधन करवाने का कष्ट करावें।

(श्री जीवाराम चौधरी)

सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में 63 ग्राम पंचायतें हैं और एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, इस बार भी करता हूं और अगर नहीं खोला तो आगे भी करता रहूंगा जब तक विधायक रहूंगा।

एक मेरे सांचोर विधान सभा क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. बालिकाओं की, छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है। सांचोर में भी हमारे पास जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन है, भवन है सिर्फ एक छात्रावास खोलने की अनुशंसा मैंने पिछले बजट में भी की थी, आज भी करता हूं। मंत्री महोदय, इस पर आप कृपया गौर करें और मेरी इन समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री शंकर सिंहजी रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी इस सदन में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं, मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इतनी दूर से, पूरे राजस्थान के कोने-कोने से चुनकर के आने वाले सदस्य अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं तो आपको ऐसा दायित्व मिला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए किसी सदस्य को कहेंगे तो वह नहीं कर पायेगा लेकिन आप कर सकते हो। इसलिए आपके सामने सारे लोग विनती कर रहे हैं और इस बात को सुदृढ़ मानना चाहिए कि अपना कर्तव्य मानते हुए, भगवान को हाजिर-नाजिर मानते हुए इसके ऊपर सुधार करना चाहिए।

आज शिक्षा की वह दुर्दशा हो रही है, जिस प्रकार की शिक्षा की दुर्दशा हो रही है, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसी दुर्दशा नहीं है। आदमी पैदा होने के बाद वह भगवान की कृपा से बड़ा होता है और यहां पर अगर कोई शिक्षा के अन्दर पहली क्लास में जाता है बच्चा तो समझ लो उसके स्तर को बनाने का काम मात्र आपका है। इसलिए आप उसमें भागीदार बनें और अच्छे सुझाव रखें अपने दिमाग को काम में लेते हुए।

(श्री शंकर सिंह)

आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्कूलों का स्तर इस प्रकार गिरता जा रहा है, जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि आज पांचवीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, किताब नहीं पढ़ सकता है, वह बच्चा अपने जीवन में सारी उम्र आपको दोष देगा। आप चाहें तो उसके अन्दर सुधार हो सकता है। आप कह रहे हैं, सरकारी स्कूलें खाली पड़ी हैं और वहां पर किसी प्रकार के बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अध्यापकों को अलग से, सरपंचों को अलग से, वार्ड पंचों को अलग से, ऐसा यहां से प्रचार करते रहते हैं कि वहां पर जाकर के डूंडी पीटो, गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहे, सारे आओ, सारे बच्चों को स्कूल भेजो। वे मां-बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सरकारी बाड़े के अन्दर इन बच्चों को बाड़ने के बजाय क्या है, क्योंकि वहां टीचर तो हैं नहीं, खाली बाड़ा। 500 बच्चे जहां पर और एक टीचर। वह टीचर जाकर के स्कूल खोलेगा और क्या, उस भेड़-बकरी को ले जाकर के बाड़े में डालने का काम करेगा और चार बजे छुट्टी करके वापस घर पर और जाओ, अपने-अपने घर जाकर के पढ़ाई करना और जल्दी बड़े हो जाना और अपनी नौकरी लग जाना। तो बेचारे सारी उम्र आपको दोष देंगे।

मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां पर पढ़ाई का स्तर अच्छा है, पहली क्लास से कम्प्यूटर की शिक्षा मिल रही है। पहली क्लास से कम्प्यूटर की शिक्षा मिलने के बाद वह बच्चा आगे जाकर के अपना जीवन का स्तर आगे बढ़ाता है। इसलिए इस सदन में यह बात कही जाती है कि इस शिक्षा के दायित्व को बढ़ाने के लिए आप उसके अन्दर सुधार कर सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों में जो टीचर नौकरी लग जाता है, मैं भी जानता हूं इस बात के लिए कि वह इस प्रकार है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो; ट्रांसफर कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। उस पर अगर ऐसा कोई अंकुश लगाएं तो ऐसा कोई उसके अन्दर संशोधन करें, ऐसी कोई प्रक्रिया निकालें, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जो पूर्व में और अभी वर्तमान में हैं, माननीय अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षकों को एक सबक सिखाया है। जिस प्रकार ये हमेशा हड़ताल की परम्परा बनाकर के और आम जनता को भ्रमित करते हैं, सदन में किसी की भी सरकार हो लेकिन वे कहते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे; अगर, मंत्रीजी, आप ठीक नहीं चले तो हम हड़ताल कर देंगे लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि

(श्री शंकर सिंह)

उन्होंने यह जो शिक्षक थे और जो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करके और उसके अन्दर सिर्फ हड़ताल का झुनझुना बजाने का काम करते थे, उनको उन्होंने सबक सिखाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार आप भी अगर धन्यवाद के पात्र बनना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर ऐसा कोई सुझाव करें, जिस प्रकार शिक्षाकर्मी की जो स्कूलें चल रही थीं, शिक्षाकर्मी के अन्दर जिस प्रकार उसी गांव के बच्चों का स्कूल में चयन होता था और वहीं के बच्चे, न तो ट्रांसफर की किसी प्रकार की नौबत आती थी और न किसी प्रकार की ऐसी कुछ थी। ऐसी कोई योजना आप भी इसके अन्दर चालू करिये कि बच्चों के स्कूल में चयन जो हों वहीं के टीचरों का चयन हो। ऐसी कोई योजना हो। वहां पर बेरोजगारी भी खतम होगी और ट्रांसफर की लाइन भी वहां से हटेगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। शिक्षाकर्मी के बच्चों का पढ़ाई का स्तर आप पांचवीं क्लास को देख लीजिए और गवर्नमेंट स्कूल के नवीं क्लास के बच्चे का इंटरव्यू करवा लीजिए, मेरे ख्याल से पांचवीं क्लास का बच्चा आपका शिक्षाकर्मी स्कूल का बहुत अच्छा जवाब दे पाएगा। इस शिक्षा के अन्दर सुधार आप कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैंने ऐसे कोई शब्द कहे होंगे जिनसे आपको ठेस पहुंची होगी लेकिन मैंने इस प्रकार से आपको ठेस पहुंचाने के लिए इसलिए कहा है कि मन की पीड़ा को आप तक व्यक्त नहीं करेंगे तो भैंस के सामने अगर बीन बजाएं और किसी को देखते हैं कि साहब, यह कड़ब का भाड़ा आया है वह डालने लगते हैं। इस प्रकार आप इस बात को ध्यान से सुनें और पीड़ा पर आप निश्चित रूप से विचार करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

आपने माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक पंचायत के अन्दर खोलने की जो घोषणा की है उसके लिए अभी मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में काफी स्कूलें हैं, वहां पर हुई नहीं हैं। आपको निवेदन भी किया था, कई बार लिखकर के भी दिया था लेकिन पता नहीं, यह आपके अन्दर पार्टी का या बी जे पी, कांग्रेस का दिमाग में कहीं रखकर उसके ऊपर चालू नहीं की हैं। घोषणा अगर आपने की है, पिछले मार्च में की थी, मैं दूसरे मार्च में पूछ रहा हूं; आने वाला मार्च आ गया है तब तक भी नहीं की है। ग्राम पंचायत सुआवा में माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में करने के लिए, साहपुरा, देवखेड़ा, कालिंजा, ठीकराना, कालाखेजड़ी, बागलिया, हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, बराथण बालिया, इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में

(श्री शंकर सिंह)

क्रमोन्नत करने के लिए आपको लिखकर के दिया हुआ है, एक साल भर हो गया है लेकिन अभी तक क्रमोन्नत नहीं हुए हैं।

शिक्षा के अन्दर जिस प्रकार से सुधार का जो काम किया है, मैं यह कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों के अन्दर बच्चों की संख्या अगर घटानी है और सरकारी स्कूलों के अन्दर शिक्षा को बढ़ाने का काम करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षाकर्मी की तर्ज पर किसी प्रकार का इसमें संशोधन करना पड़ेगा, तब ही जाकर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के स्तर को छू पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिड-डे मील के ऊपर काफी लोगों ने बोल दिया। सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिस प्रकार शिक्षाकर्मी के अन्दर एक देवेन्द्र सिंह भाटी..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करो आप। आपके क्षेत्र की कोई बात हो तो बोलो आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्षेत्र की बात पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: उसी पर बोलो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र की बात पर ही बोल रहा हूं। अब जिस प्रकार शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत जो एक टीचर, अपने यहां डिपार्टमेंट के अन्दर भी इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, एक शिक्षाकर्मी देवेन्द्र सिंह भाटी, साल भर पहले से वह मेडिकल छुट्टियां ज्यादा रह गया था, उसका निस्तारण करने के लिए आया हुआ है लेकिन अभी तक उसको लटका कर रखा हुआ है। इसका भी नहीं हुआ है अभी ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हो गया आपका। करीब-करीब सभी विषय हो गये आपके, अब आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट तो आप दोगे, ऐसे थोड़े ही है कि बोलने से पहले ही आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

(श्री शंकर सिंह)

इस प्रकार शिक्षा के अन्दर अगर आप गुणवत्ता देना चाहते हैं तो आज ब्यावर कालेज है, ब्यावर महाविद्यालय की जो जमीन है वहां पर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी, आपको भी एक फैक्स करके दिया है कि वहां पर जो लेक्चरर्स लगे हुए हैं, वे वहीं के रहने वाले हैं और उन लेक्चरर्स ने उस कालेज की जमीन के ऊपर कब्जा करके वहां पर उसमें निर्माण कार्य भी चालू कर दिया है लेकिन यहां पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि विधायक कोष का जो बजट है, उसके अन्दर नब्बे परसेंट सरकार के और दस परसेंट विधायक कोष के, उसमें जन सहभागिता योजना में सम्मिलित करते हुए चारदीवारी के लिए कालेज की, उसमें आपको चालू करना चाहिए।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, पांच पाइंट बोलूंगा मैं सिर्फ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाओ। अब आप विराज जाओ। अब मेरा निवेदन है, आप विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक पाइंट दे दो, साहब। यूनिवर्सिटी राजस्थान का मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति: आप कहां यूनिवर्सिटी पर पहुंच गये, अपने क्षेत्र की बात...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): राजस्थान विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र में प्रोफेसर के पद हेतु विज्ञापन हुआ था, राजस्थान पत्रिका के दिनांक 21.11.07 में, उसका इंटरव्यू भी हुआ, प्रोफेसर के पद के ऊपर साक्षात्कार 9.9.2008 को हुआ और नौकरी भी लग गयी। नौकरी लगने के बाद में आपने द्वेषता से, पता नहीं, कहीं दूसरा और भी उसमें चयन कर लिया जबकि एक की वेकेंसी निकली थी।

श्री सभापति: अब आप विराज जाओ। अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री सभापति: विराजें, विराजें। डाक्टर श्री रघु शर्मा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजो। आपका अंकित नहीं हो रहा, आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री सभापति: वह दे देंगे, विराजो, विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की घटिया राजनीति यहां हो रही है, मुझे बोलना था नम्बर तीन पर, बी ए सी की मीटिंग में चला गया मैं और उसके बाद इंटेंशनली सरकार का पक्ष रखने की बात है यहां पर, उसमें अगर राजनीति करने लग जाए कोई व्यक्ति तो मैं किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं हूं। मैं इस सदन के अन्दर चुनकर आया हूं और बोलने का मेरा अधिकार है। उसको कोई किसी व्यवस्था के तहत, किसी जिम्मेदारी की वजह से मुझसे छीनना चाहे तो यह अधिकार भी, मैं नेता महोदय से बात कर लूंगा, इस तरह की घटिया राजनीति अगर इस सदन में की गयी तो बिलकुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलो आप तो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर मैं अपने विचार रखूंगा। इस सदन में प्रतिपक्ष में चार पूर्व शिक्षा मंत्री, दो बार उदयपुर से आने वाले हमारे कटारिया साहब को मौका मिला इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था का सुधार करने का, संचालन करने का, डेढ़ साल से हमारे इधर बैठे हैं भंवरलाल जी, इनको भी मौका मिला। सवाल यह है, आज आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है, कटारिया साहब बहुत लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त लेकर आए और बार-बार यह कहते गये कि मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता और बराबर आलोचना करते रहे तथा जब हमारी तरफ से एक सदस्य ने मामूली बातें रखीं तो उस पर भारी शोरगुल हुआ, एतराज हो गया।

शिक्षा ऐसा विषय है जिसमें तिवाड़ी साहब को भी मौका मिला शिक्षा मंत्रालय संभालने का, सवाल यह है कि हम कितने संजीदा होकर बात कर रहे हैं इस सदन के अन्दर। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने देश की आजादी के बाद में एक सपना देखा, शिक्षा को अधिकार के रूप में इस

(डा. रघु शर्मा)

देश के आम व्यक्ति को हम कब दे पायेंगे। मुझे खुशी है, माननीय सभापति महोदय, यह कहते हुए कि राजीव गांधी ने उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाये। राजीव गांधी ने जो बातें कीं, आज जो विपक्ष में हमारे आदरणीय सदस्य बैठे हैं, जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, चालीस साल की उम्र में उस नौजवान युवा प्रधानमंत्री ने इस देश में जब कम्प्यूटर की बात की, मखौल उड़ाया गया। देश के प्रतिपक्ष के नेताओं ने राजीव गांधी के विचार को समझने की कोशिश नहीं की। आज अगर 25 साल बाद राजीव गांधी के उस कदम की बात करते हैं तो सारा जमाना राजीव गांधी ने जो 25 साल पहले सोचा था उसकी तरफ जा रहा है, दुनिया उधर जा रही है। आज पूरा जमाना कम्प्यूटर और इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। तो यह भविष्य दृष्टा हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री रहे। अब उस परिकल्पना को जो महात्मा गांधी की थी कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसको साकार करने का काम, मुझे खुशी है सदन में यह कहते हुए कि यू पी ए की चेयरपर्सन सोनिया गांधीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार 1 अप्रैल, 2010 से मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस देश में करने जा रही है।

माननीय, बहुत सारी बातें हैं शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आयीं अभी। स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। नि:सन्देह, इसमें दो राय नहीं कि स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है और यह जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, आप साइंस का सब्जेक्ट ले लीजिये, मैथेमेटिक्स का सब्जेक्ट ले लीजिये, आप इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लीजिये, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट ले लीजिये, इन विषयों के अध्यापक आज जगह-जगह स्कूलों में नहीं हैं। इसकी व्यवस्था के लिये मैं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि हम 15 महीने से बराबर आपको कह रहे हैं, इसकी व्यवस्था के बारे में आपने आश्वासन तो दिये लेकिन कोई ठोस कदम हमारी सरकार की तरफ से नहीं आये जो अफसोसजनक बात है।

मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी को आज यहां होना चाहिये था। आज अनुदान की मांगों में उच्च शिक्षा का मंत्रालय भी है, संस्कृत शिक्षा का मंत्रालय भी है। एक माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं और कला व संस्कृति विभाग की हमारी मंत्रीजी बैठी हैं। तकनीकी शिक्षा का परसादी लालजी ने चार्ज संभाल रखा होगा, ये बैठे हैं।

अब सवाल यह है कि अगर शुरुआत करते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मैं

(डा. रघु शर्मा)

धन्यवाद देना चाहता हूं यू पी ए की गवर्नमेंट को जिन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला, प्रबंध संस्थान खोला उदयपुर के अन्दर, उदयपुर के अन्दर अलग खोला। लेकिन राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या हो रहा है, यह भी हमारे ध्यान रखने की बात है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, उदयपुर विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, जोधपुर विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, बीकानेर विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, कोटा विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कुल 8 विश्वविद्यालय और 8 में से अधिकांश में कुलपति नहीं हैं। हम किधर जा रहे हैं ?

आज उच्च शिक्षा के केन्द्र, होना तो यह चाहिये था कि हम कमेटी बनाएं शिक्षाविदों की जो समय-समय पर हमें सुझाव दे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। यहां आपने कहा भी है एक सलाहकार परिषद् बनाने का, हालांकि वह बनी नहीं और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी। आज शिक्षा की गुणवत्ता में अगर सुधार करने की बात है, कटारिया साहब, हमारी सरकार बात करती है कम्प्यूटर की, आपकी सरकार भी अपराधी थी इस बात की कि आपने शिक्षा के भगवाकरण पर ज्यादा जोर दिया। शिक्षा के भगवाकरण से इस देश का भला नहीं हो सकता, कम्प्यूटर से इस देश का भला होगा। इस सच्चाई को आपकी स्पीच में भी आपने स्वीकार किया है।

हमें उन मूल बिन्दुओं की ओर जाना पड़ेगा कि राजस्थान की जो शिक्षा की समस्या है, आज शिक्षा का प्रतिशत 2001 की सेंसस के हिसाब से देखो आप। हम पुरुष शिक्षा में कौनसे स्थान पर खड़े हैं? महिला शिक्षा में कौनसे स्थान पर खड़े हैं? आज नहीं बात कर रहा 15 महीने की, आपके जमाने में कहां खड़े थे हम? 29वें नम्बर पर थे महिला शिक्षा में, पुरुषों में 22वें नम्बर पर थे हम। आज सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य इस प्रदेश में लेकर जब तक इस सदन के माननीय सदस्य नहीं चलेंगे तब तक चाहे कितनी आप आलोचना कर लो, हम आपकी आलोचना कर लें, इस प्रदेश को हम कुछ देने वाले नहीं हैं। इस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे, उसके लिये सुझाव आने चाहिये थे इस सदन के अन्दर। आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपको गाली दे रहा हूं। सदन का समय जाया हो रहा है। कोई बोलने में राजनीति कर रहा है। इन सब चीजों से राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता को निराश करने में लगे हुए हैं। अपराध कर रहे हैं। आपने खुद ने कहा कि एक अक्षम्य अपराध है यह।

(डा. रघु शर्मा)

केरल जैसे छोटे प्रदेश ने सौ प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया। हम क्यों सम्पूर्ण साक्षर नहीं बन सकते? क्या कभी हमने सोचा इस बात पर? क्या कमियां रहीं इस प्रदेश के अन्दर? आप भी शिक्षा मंत्री रहे, आप भी शिक्षा मंत्री रहे। देवनानीजी की शक्ल दिख रही है, वे भी शिक्षा मंत्री रहे। हमारे भी शिक्षा मंत्री बैठे हैं। आलोचना नहीं कर रहा मैं, आलोचना नहीं कर रहा लेकिन क्या हमने उन यक्ष प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश की जिनकी वजह से आज हम सम्पूर्ण...

अब आप योजनाएं लेकर आते हैं। सरकार में आप हो, चाहे हम हैं, केन्द्र में सरकार है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों से सम्बन्धित योजनाएं लाते हैं, किसानों से सम्बन्धित योजनाएं लाते हैं। अक्षर ज्ञान उसके पास नहीं होगा, योजनाओं की जानकारी के अभाव में करोड़ों रुपये इस देश के चाहे वह गरीब के लिये दिये जा रहे हैं बजट के माध्यम से, चाहे वह किसी कमजोर तबके के आदमियों के लिये दिये जा रहे हैं लेकिन इस अशिक्षा के चलते इस परिस्थिति के अन्दर उसका लाभ वह नहीं उठा पा रहा। तो आज सवाल इस बात का है कि बात उपलब्धियों की जब करेंगे, आपके जमाने में भी आपने काम किये होंगे, मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी भी होंगी, बहुत सारे काम हमने भी किये। हम आगे भी बढ़े हैं 50 साल में। मैं यह भी नहीं कहता। नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं। हम आगे भी बढ़े हैं लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिये, हम सम्पूर्ण साक्षरता की तरफ कैसे बढ़ें। हमारे बच्चों को एजुकेशन में आज परिस्थितिवश जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनमें सुधार कैसे आए। कोई कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे मील बंद कर दिया जाना चाहिये। यह तो योजना भारत सरकार की है और उसके तहत लिटरेसी रेट को बढ़ाने का काम है यह कि बच्चे भोजन के माध्यम से स्कूलों में आए कम से कम। इस उद्देश्य को लेकर मिड-डे मील की शुरुआत हुई। यह तो स्वागतयोग्य बात है, सभापति महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गये कहां ? बच्चा गया कहां ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऐसी बात नहीं है। अच्छी योजना है।

हमारी संस्कृति मंत्री महोदया बैठी हैं, एकेडमीज की बात हुई, पिछली बार भी मैंने इसी सन्दर्भ में कहा कि हमारा सबसे कम ध्यान जा रहा है हमारी एकेडमीज पर। अगर हम साहित्य का संवर्धन कर रहे हैं, हमारी कला

(डा. रघु शर्मा)

और संस्कृति को निखारें। आज डेढ़ साल में हम इन एकेडमीज का पुनर्गठन नहीं कर पाये। इनके अभी एक अच्छा काम जरूर किया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, दो दिन पहले एक छत के नीचे सारी एकेडमीज को लाने का काम किया।

डेढ़ साल हो गया, संस्कृत के लिये, अभी माननीय मंत्री महोदय नहीं हैं यहां पर, संस्कृत एकेडमी का भी गठन नहीं हुआ। संस्कृत शिक्षा की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर आज बच्चों के अन्दर ग्रामीण परिवेश में यह जो आनुपातिक शिक्षकों की व्यवस्था है, यहां पर 5 बच्चों के ऊपर 20 टीचर और 200 बच्चों पर एक मास्टर। आप कर क्या रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी? जो शहर में शिक्षक लगेगा उसको तो हाउस रेंट भी देंगे, उसको तो और भी सुविधाएं देंगे, गांव में जो आदमी है उसको वह भी नहीं मिलेगा। तो गांव के शिक्षकों का एक अलग कैडर आप तैयार करो।

हर साल नये-नये कोर्सेज ईजाद हो रहे हैं। क्या सरकार के पास यह व्यवस्था है कि हम इन कोर्सेज के बारे में हमारे जो शिक्षक हैं, क्योंकि कोई एस टी सी करके शिक्षक लग गया, कोई बी एड करके उस जमाने में शिक्षक लग गया, कोर्स आज दूसरा आ गया, अप-डेट करने की कोई व्यवस्था हमारे पास है कि नहीं है? इस पर विचार होना चाहिये। आप प्राथमिक शिक्षा से, उच्च प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से और उससे ऊपर की शिक्षा पर, हर स्तर की शिक्षा पर ऐसे लोगों की प्रबुद्ध व्यक्तियों की, विचारकों की, हमारे जो टेलेंटेड लोग हैं उनकी समितियां बनाएं। समय-समय पर उनके सुझाव लें। कोर्सेज में तब्दीली की बात वे करें। कैसे हमारे टीचर्स कोप-अप करें पूरे एजुकेशन के चेंज सिस्टम के साथ। यह चीजें जब तक इस प्रदेश में नहीं होंगी, आप कितने लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं हर साल? क्यों बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, इस पर विचार करें। अगर स्कूल आ गया तो ड्राप आउट कितना हो रहा है और ड्राप आउट के कारण क्या हैं? उनका निदान कैसे किया जायेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर अगर इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि हम सदन का समय जाया कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बहुत पालिटिक्स होती है, बीजेपी का राज आ गया, फिर ट्रांसफर की फेहरिस्त, हम कहेंगे तबादला उद्योग कर दिया। जब हमारा राज आयेगा, आप लगाओगे चार्ज की यह तबादला उद्योग हो गया। नीति बनाने की बात स्थानान्तरण की हम भी करते हैं। अध्यापकों का जिला कैडर

(डा. रघु शर्मा)

बनाने की बात हर बार करते हैं यहां पर। क्या हम बना पाये? अगर शिक्षक वर्ग को हम प्रताड़ित करने की योजना लेकर बैठे हैं कि यह आदमी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में यकीन करता है इसलिए इसको धौलपुर टिकाओ, इसको डूंगरपुर में टिकाओ, इसको जैसलमेर टिकाओ और यह चूंकि कांग्रेस मानसिकता का आदमी है, इसको एक हजार किलोमीटर दूर टिकाओ। इसी राजनीति के चलते क्या हम प्रदेश की शिक्षा का नुकसान नहीं कर रहे हैं? इसको राजनीति से दूर रखने के लिए भी कोई कदम उठाने की कोशिश करें। ये शिक्षक राजनीति में भाग नहीं लें, प्रतिबंध करने की योजना हालांकि है लेकिन व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल करने पर इस सदन में बैठे लोग यह तय करें कि मन, वचन, कर्म से इन शिक्षकों को हम अपनी क्षुद्र राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए काम नहीं लेंगे, यह भी तय कर लें। यहां पर आप और हम ही इस्तेमाल करते हैं मास्टरों का। कौन इस्तेमाल करता है? उसके बाद वह बदले की राजनीति का शिकार होता है और उससे हमारा शिक्षण कार्य सफर होता है। यह भी हम सब जानते हैं लेकिन कोई मानने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं तो यहां आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यहां इंटरनेट की एजुकेशन की बात हुई, कम्प्यूटर एजुकेशन की बात हुई, मास्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, सरकार को धन्यवाद दूंगा, चार-पांच हजार स्कूलों में आपने कम्प्यूटर प्रोवाइड करने की बात कही है। एक बात सुनिश्चित कर लीजिये कि क्या उन स्कूलों में बिजली का कनेक्शन भी है कि नहीं है। कई जगह आज भी हमारे नोटिस में है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो कम्प्यूटर चलेगा कैसे? इसलिए दोनों चीजें साथ-साथ जरूरी हैं। अगर कम्प्यूटर दे भी दिया तो कम्प्यूटर को आपरेट करने वाला ट्रेंड आदमी जब तक आप नहीं देंगे वह बच्चों को ग्रामीण परिवेश में कैसे सिखायेंगे?

सभापति महोदय, इस सदन में हर विधायक को लैपटाप दिया है, 50-50 हजार रुपये मिले हैं, मैं तो यह ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी को ही ले लो और पहले के शिक्षा मंत्रीजी को ले लो, किसको कम्प्यूटर आपरेट करना आता है? यह बता दीजिये मेरे को। आपको तो आता है, आप शिक्षा मंत्री नहीं हो। कुछ लोगों को आता है। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ को आता है लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं आता है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत कर दीजिये ताकि कम से कम विधायक लोग अपडेट होकर के इंटरनेट के

(डा. रघु शर्मा)

माध्यम से कुछ जानकारी ले लें, कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाये इस तरह से। स्कूलों में कम्प्यूटर लगा दिये आपने, प्रशिक्षित व्यक्ति कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में आप नहीं रखेंगे तो फिर हम कम्प्यूटर एजुकेशन हमारे बच्चों को नहीं दे पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता लेकिन बड़ी गहरी चिंता है जिससे इस सदन की सहमति होगी कि एक अंतर जो बढ़ता जा रहा है, कटारिया साहब ने कहा, उनकी उस बात से मैं सहमत हूं, यहां बैठे हुए लोगों के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? उधर बैठे हुए लोगों के बच्चे किधर पढ़ रहे हैं? पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमें उस बच्चे का दर्द नहीं मालूम जो टाट-पट्टी वाले सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। यह जो गैप हो रहा है...

एक माननीय सदस्य: रघु जी, नेताओं के तो पढ़ रहे हैं लेकिन इन अधिकारियों के कहां पढ़ रहे हैं, वह भी बतायें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधीजी की चिंता कि इस देश में दो भारत नहीं हो सकते हैं, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि इस देश में दो भारत हों। एक का बच्चा चूंकि वह सक्षम है, पैसे वाला है, पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा और एक का बच्चा चूंकि वह गरीब है, शहर में नहीं रह सकता है, दो जून की रोटी का इंतजाम नहीं है, उसको वह शिक्षा मिलेगी, सैकंड ग्रेड की शिक्षा, सेकंड ग्रेड की फैसिलिटी मिलेगी। इस अंतर को कम करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी कुछ कदम उठायें और आपसे भी कहना चाहता हूं कि कुछ सहयोग करिये इस काम के लिए, आपका भला होगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे इलाके की कुछ मांगें तो रख दूं यहां पर।

श्री सभापति: जल्दी रखें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पहले भी राजनीति का शिकार हुआ, आप भी करोगे क्या?

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कोई शिकार नहीं हुआ। आपका कनफ्युजन है, कोई शिकार नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शिक्षा मंत्रीजी को एक शेर बोल दूं क्या मैं?

श्री सभापति: बोल दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शिक्षा मंत्रीजी,

(डा. रघु शर्मा)

'नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है,
दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।'
इसलिए थोड़ा दिशा को बदलने की जरूरत है।

मैंने, माननीय मंत्री महोदय, जब से विधायक बना हूं, लिखकर दिया कि मेरा इतना पिछड़ा हुआ इलाका है जहां 50 हजार की आबादी आज भी अनुसूचित जाति की रहती है, 12-15 हजार एस.टी के लोग रहते हैं, वहां पर अशिक्षा का बोलबाला है। आज भी सात जगह ऐसी हैं जहां हायर सैकंडरी नहीं है, स्यार, खीरियां, लसाड़िया, खवास, गुलगांव, घटियाली, बाजटा इसके अतिरिक्त सैकंडरी स्कूल जहां पर नहीं हैं-देवलिया खुर्द, कुशायता, तसवारिया, शेरगढ़, भगवानपुरा, सापुन्दा, खवास और इनमें से तीन तो पंचायत मुख्यालय हैं। आपने घोषणा की थी कि हर पंचायत मुख्यालय पर एक सैकंडरी खोलेंगे, तीन तो वहां पंचायत मुख्यालय हैं। इसके अलावा मिडल स्कूल हैं शोकली और बड़ला। एक मात्र कालेज हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं यहां पर लेकिन रिकार्ड पर तो मैं लाऊंगा, एक मात्र यू.जी. कालेज है।

सभापति महोदय, आज अजमेर जिले की दशा में जायें तो 5 हजार लोगों की आबादी पर एक कालेज हमने दे रखा है। सरकारी कालेज तो मात्र 7 हैं, एक महिला महाविद्यालय है और 6 छात्रों के हैं। अगर प्राइवेट को मिला लो तो 15 और 32 हैं। आज अजमेर जिला जिसको शिक्षा का हब माना जाता था वह शिक्षा के दृष्टिकोण से दुर्दशा का शिकार है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 100-125 किलोमीटर अजमेर से केकड़ी पड़ता है। वहां पर पी.जी. कालेज नहीं है, वहां पर गर्ल्स के लिए कालेज नहीं है, वहां पर संस्कृत शिक्षा का कोई कालेज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप शिक्षा के विस्तार के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे? सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि इसी बजट सत्र में आप इस बात की व्यवस्था को सुनिश्चित करें कि यहां पर तीन तरह के कालेज, प्रथम यू.जी. कालेज को पी.जी. में कन्वर्ट करें, सरवाड़ में नया कालेज खोलने की व्यवस्था करो और सावर में संस्कृत कालेज की स्थापना करने की घोषणा करें,

(डा. रघु शर्मा)
तब तो मैं समझूंगा कि आप उस गरीब के लिए अच्छी दिशा में जा रहे हैं और नहीं, तो हमारे लिए तो माननीय मंत्री महोदय आपको कोसने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 पर विचार गोष्ठी हो रही है शिक्षा और संस्कृति पर, इस पर मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। सदियों पहले कहा करते थे कि भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था। अब था तो है मगर परिवर्तन करना है तो शायद अब पक्ष और प्रतिपक्ष को मिलकर, एकजुट होकर, इन सब नेतागिरियों से परे हटकर के अगर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो शायद जो चाहते थे वह हम परिवर्तन कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इस परिवर्तन के लिए सबसे प्रथम हमारा कदम शिक्षा है। शिक्षा सभी विकासों की जननी है। सर्व शिक्षा अगर चाहें तो हमें शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा। उसी के अनुरूप आज हम और हमारी सरकार, हमारा एक ही ध्येय है कि हम कैसे हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को सुशिक्षित करें। जो पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति के वर्ड थे कि अरे, जागो अमेरिकियों, नहीं तो भारतीय आ जायेंगे, भारतीय क्यों आ जायेंगे, इसलिए आ जायेंगे कि ये पढ़ाई-लिखाई में सक्षम हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि पूरे विश्व में करीब 30 से 35 प्रतिशत भारतीय राज कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ले लीजिये, बड़े-बड़े उद्योग-धंधे ले लीजिये या आप कोई भी डाक्टरी साइड ले लीजिये, इंजीनियरिंग साइड ले लीजिये, आज हमारे भारतीय सब जगह विद्यमान हैं। लेकिन अगर हमें आम आदमी को आगे लाना है तो शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जनता जो 100 में से 70 प्रतिशत गांवों में बसती है, अगर हमें भारतवर्ष को विकसित बनाना है तो सर्वप्रथम शिक्षा की तरफ ध्यान देकर गांवों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। गांवों में जब तक हमारे बच्चे-बच्चियां नहीं पढ़ पाएं, जब तक हमारी सुशिक्षा नहीं होगी तब तक विकसित राष्ट्र बनाने की हमारी कल्पना कोरी ही रह जाएगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य रघुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरी बहुत कुछ समस्या का समाधान कर दिया। इन्होंने बोला कि महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं, विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं, प्राइमरी, सैकंडरी और हायर सैकंडरी

(श्री हरिसिंह रावत)

हर स्तर पर शिक्षकों की कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्कूल खोलें लेकिन स्कूल खोलने के साथ-साथ आप वहां शिक्षकों की व्यवस्था भी करें।

मेरे से पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल तो खोल दिए लेकिन टीचर नहीं लगाए।

श्री सभापति: आप तो अपने क्षेत्र की बोलो कि आपके क्षेत्र में क्या कमी है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई डिपार्टमेंटल स्टोर तो है नहीं कि फट से पैसे निकाले और कह दिया कि चाय दे दें, चीनी दे दें। स्कूल हमने खोले लेकिन खोलते-खोलते ही हमारा समय पूरा हो गया, इसकी वजह से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह भर्तियां करनी चाहिए। हमारी जो कमी थी वह आप पूर्ण कर दें, इसमें किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है।

अब मेरा समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात पर आना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरे क्षेत्र में सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्कूलों में आप समझिए कि करीब 70 प्रतिशत स्कूलों में ऐसी स्थिति है जहां अभी तक प्रधानाचार्य नहीं हैं, सब्जेक्ट टीचर नहीं हैं। जहां तक मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम की बात करता हूं, वहां के सीनियर सैकंडरी स्कूल में पद स्वीकृत हैं 56 और कार्यरत हैं खाली 21 और व्याख्याता के 23 पद हैं लेकिन वहां खाली 4 व्याख्याता कार्यरत हैं। तो क्या वहां पढ़ाई होगी और हमारे देश का क्या उत्थान होने वाला है?

(समय : 19.41 बजे)

(मेजर ओ पी यादव, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्कूल हैं वहां पर जहां प्रधानाचार्य कम हैं, व्याख्याता कम हैं, वहां उनके पद तत्काल भरे जाएं। सारोठ स्कूल हमारे काल में क्रमोन्नत हुआ था उसमें अभी तक कोई एक भी व्याख्याता या सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वे भी लगाए जाएं। जहां नए स्कूल खुले हैं वहां भी पद स्वीकृत कर तत्काल भरे जाएं।

(श्री हरिसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं कि जिन स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की व्यवस्था की जाए, स्कूलों में बाउंड्रीवॉल नहीं है वह बनाई जाए और शिक्षकों की जो कमी है वह तत्काल पूरी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विशेष आग्रह है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो योजना बनाई गई है, अभी तक तो मिडल ही है, इनको आप सीनियर सैकंडरी तक कराएं तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि आठवीं तक की पढ़ाई के बाद कोई बच्ची घर जाती है तो वह वहां वैसे ही निरुत्साहित हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सेंटर की योजना है इसलिए आप सेंटर तक अप्रोच करें और इनको मिडल से सीधा सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत कराएं। तो मैं सोचता हूं कि जो गरीब बेसहारा बच्चियां हैं वे कम से कम बारहवीं पास कर लेंगी तो अपने जीविकोपार्जन के कुछ साधन कर सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, नर्स बन सकती हैं लेकिन केवल आठवीं पास करने के बाद वह बच्ची कहीं की नहीं रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को आप आठवीं से बारहवीं तक क्रमोन्नत करें तो काफी फ्रूटफुल रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मिड-डे मील के बारे में हमारे माननीय सदस्य श्रवणकुमारजी बोल रहे थे कि यह बहुत बड़ा अन्याय है, यह बहुत बड़ा अन्याय नहीं है, यह वास्तव में सही है, हमारी सरकार की योजना है क्योंकि आज गांवों में ऐसी स्थिति है कि मां-बाप दो जून की रोटी भी बच्चों को नहीं दे पाते हैं। इस योजना में पहले वाली सरकार जो थी गहलोतजी की उन्होंने घूघरी चालू की थी जब हमारी सरकार आई वसुन्धराजी की तो उन्होंने उसका 7 दिन का मीनू बनाया था और 7 दिन के मीनू में अच्छा और पौष्टिक आहार प्रारम्भ हुआ था लेकिन बड़ा अफसोस है कि जैसे ही हमारी सरकार गई और वापस गहलोत सरकार आई, वापस उस योजना को खटाई में डाल दिया और वापस घूघरी ही चालू कर दी। आज हालत यह है कि बच्चे आजकल स्कूल जाने से ही डरने लग गए हैं और कहते हैं कि मैं घूघरी नहीं खाउंगा, घूघरी खाने से पेट में दर्द होता है। यह स्थिति हो गई है बच्चों की। इसलिए मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी से कि हमारी जो योजना थी 6 दिन की स्कूलों में मिड-डे मील की, जो पौष्टिक आहार मिलता था उसको वापस चालू किया जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक खाना मिले।

(श्री हरिसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, मेरे भीम और देवगढ़ में मदरसों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। वैसे तो कांग्रेस सरकार बड़ी हिमायती होती है अल्पसंख्यकों की लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सही ढंग से उनकी एजुकेशन के बारे में सोचा नहीं है। मेरा निवेदन है कि भीम और देवगढ़ में जो मदरसे हैं, वहां न तो सरकारी जमीन है न सरकारी भवन है इसलिए वहां पर उनको जमीन और भवन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ-साथ कम्प्यूटर आ गया लेकिन कम्प्यूटर चलाने वाले वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई है। मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो शिक्षक लगने चाहिए थे वे भी नहीं लिए। तो मेरा निवेदन है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए।

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मैं कोई फालतू बात तो कर नहीं रहा, मेरे सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे यहां भीम में राजकीय महाविद्यालय खोला है और अभी वहां थर्ड ईयर चल रहा है। बड़ा अफसोस है कि थर्ड ईयर चलने के बावजूद भी अभी तक वहां तीन-तीन, चार-चार सब्जेक्ट व्याख्याता नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि इंग्लिश लिटरेचर, हिस्टरी और जियोग्राफी के लेक्चरर के पद वहां तत्काल भरे जाएं। माननीय सभापति महोदय, वहां सबसे बड़ी समस्या है कि वहां अकाउंटेंट नहीं हैं। वहां अकाउंटेंट के दो पद स्वीकृत हैं, अभी तीसरा साल चल रहा है लेकिन अभी तक एक भी अकाउंटेंट की पोस्टिंग वहां नहीं हुई है जिसकी वजह से कोई भी पैसे का लेना-देना होता है तो बड़ी समस्या आ रही है। तो मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी और सम्बन्धित सेक्रेटरी यहां विराजमान हैं, उनसे निवेदन है कि वहां अकाउंटेंट और एल डी सी के जो भी पद सृजित हैं उनको तत्काल भरा जाए ताकि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हमारे वहां एल डी सी भी नहीं है। मैदान की जगह है लेकिन पी टी आई नहीं है, इस कारण खेलकूद नहीं हो सकता। वहां रात्रि के लिए वाचमैन की भी जरूरत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। श्री टीकाराम जूली।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह भी व्यवस्था कराएं। मेरे यहां देवगढ़ पंचायत हैडक्वार्टर और तहसील हैडक्वार्टर है, वहां भी महाविद्यालय खुलवाया जाए ताकि मेरी समस्या का समाधान हो सके।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली। कृपया आप विराज जाएं, माननीय सदस्य। दो बार घंटी बज चुकी है, आपका टाइम खतम हो गया। अब कुछ भी अंकित नहीं होगा। श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा दो अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है जिससे कि आज हमारा समाज कैसे तरक्की करे, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे तरक्की करे, यही सब इस पर टिका हुआ है।

आज काफी महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है और मैं कहना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत और माननीय मंत्रीजी जिन्होंने सबसे बड़ी बात राइट-टू-एजूकेशन एक्ट की जो इस बजट में घोषणा की है इससे निश्चित तौर पर राजस्थान की शिक्षा में एक नया बदलाव आएगा।

जहां इसके लागू होने की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि थानागाजी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि बी जे पी सरकार ने 19 हजार स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी दुर्दशा शिक्षा की जो पिछले 5 सालों में हुई, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। जितनी स्कूलों के ताले लगे, पूरे भारत देश में एक रिकार्ड बन गया कि इन 5 साल के अन्दर अगर कहीं सबसे ज्यादा लगे हैं तो राजस्थान की स्कूलों में ताले लगे हैं।

यहां पर स्कूलों में जो आज समानीकरण की बात आ रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी को, धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इतनी अच्छी तगड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति इन्होंने दिखाई है क्योंकि हमसे पहले राज तो बीजेपी का भी था लेकिन बच्चों की शिक्षा के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जहां टीचर जिस स्कूल में लगने चाहिए थे, वे वहां नहीं लगा कर या तो वह टीचर शहरों में लगे या फिर उस जगह पर लगे जहां कि स्कूल सडकों के ऊपर हैं, जहां आने-जाने की सुविधा है; बच्चों की सुविधा नहीं देखी गई, आने-जाने की सुविधा देखी गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरा सदन आज तो बीजेपी और कांग्रेस के सब जितने भी यहां माननीय सदस्य हैं, सब लोगों ने इस चीज के लिए आपका साथ देने का वादा किया है कि आप समानीकरण करें। एक बार दिक्कत जरूर आएगी लेकिन पूरे राजस्थान में एक ऐसा काम हो जाएगा कि दुनिया याद करेगी।

(श्री टीकाराम जूली)

खास तौर से जो आपने एन सी आर टी के सिलेबस की घोषणा की है, दो कक्षाओं में तो इसी साल में शुरू हो जाएगा और 11वीं और 12वीं में अगली बार शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा। आपने कम्प्यूटर पर ध्यान देते हुए ढाई हजार स्कूलों में कम्प्यूटर को जोड़ने की जो बजट में घोषणा की है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज बालिका शिक्षा के ऊपर हम अगर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर एक कहावत है कि अगर एक बालिका को हम पढ़ाते-लिखाते हैं तो वह दो घरों में जाकर उजाला करती है, दो घरों में। आपने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, जो कि एस सी, एस टी, ओ बी सी, अल्पसंख्यक, नि:शक्तजन, इनमें जो भी आठवीं, दसवीं और बाहरवीं में क्रमश: प्रथम आएंगी उनको 25 हजार, 40 हजार और 50 हजार का सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षा में जो बालिकाएं प्रथम तीन स्थान प्राप्त करेंगी उनको विदेश में जाने का अवसर मिलेगा स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पुरस्कार सिर्फ तीन बच्चियों को मिलने या तीन बालिकाओं को मिलने वाली बात नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि इन तीन पुरस्कारों के पीछे तीन लाख बच्चियां होड़ में आएंगी और आपस में एक कम्पीटिशन होगा और उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी विदेश में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए बहुत बड़ी सोच सरकार की रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में पिछली सरकार ने स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये लेकिन अध्यापक तो क्या, वहां हैडमास्टर भी नहीं लगा पाये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी को जिन्होंने 25 प्रमोशन करके जिन विद्यालयों में हैडमास्टर नहीं थे, सभी विद्यालयों में हैड-मास्टर लगाये और ऐसा रिकार्ड भी पहली बार हुआ है कि इच्छित स्थान पर सबसे पहले उनको बुलाकर उनकी सुविधानुसार उनके नजदीकी स्थान पूछकर वहां पर उनको पोस्टिंग दी गई है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूं। जो मेरे से पूर्व माननीय सदस्य, हैं तो मेरे जिले के ही, कहेंगे कि मेरी बात को काट रहा था, जो कह रहे हैं कि 85 हजार भर्ती बी जेपी सरकार ने की, मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक पैसा दिल्ली में केन्द्र सरकार कांग्रेस की थी, वहां से आया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है। चाहे वह अध्यापकों की भर्ती की गई हो या आज हर स्कूल में हम जाकर देखते हैं तो गुलाबी रंग की जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सारा केन्द्र सरकार का पैसा है, सर्व शिक्षा अभियान

(श्री टीकाराम जूली)

का पैसा है। आज झूठी वाहवाही लेने में तो किसी को क्योंकि काम करने में जोर पड़ता है और सच हमेशा कड़वा होता है, मेरे से पूर्व मेरे साथी ने जब कोई सच बात कही तो विपक्ष को बहुत कड़वी लगी, उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि सच सुनने की क्षमता हममें होनी चाहिए।

मैं साथ की साथ कहना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि मेरा क्षेत्र अलवर ग्रामीण जिसका विधान सभा क्षेत्र ही अलवर ग्रामीण के नाम से है, खास तौर से सबसे ज्यादा आबादी एस सी, एस टी की वहां पर निवास करती है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वहां पर आता है और उसके बाद अगर किसी जाति के लिए जगह बचती है तो वह ओ बी सी है। पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो एक ही स्कूल आपसे मैं आठवीं से दसवीं का मांग रहा हूं, मोहब्बतपुर जो कि नार्म्स से रह गया था, वह मैं आपको बताना चाहूंगा।

साथ की साथ, मैं कहना चाहूंगा कि एक कालेज मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर आप कहीं भी देते हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे आने में फायदा मिलेगा, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मैं साथ की साथ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की आज स्थिति बन रही है, मेरा अपना सुझाव है और मैं यह भी कह रहा हूं कि आज तो यह सुझाव है, आने वाले टाइम में इसमें जरूर सरकार भी सोचेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं यह कहना चाहता हूं कि समानीकरण करने के बाद में सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाए और जहां-जहां जो अध्यापक लगे हुए हैं, उन्हीं को ये सरकारी स्कूल सौंप दें, उन्हीं को मालिक बना दें और जितने पैसे आज सरकार के एक बच्चे के ऊपर हमारे खर्च हो रहे हैं उसमें से 10 परसेंट पैसा तो हम मानिटरिंग का रख लें और बाकी 90 परसेंट पैसा प्रति छात्र के हिसाब से इन्हीं को दे दें, वे चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाये या सरकारी स्कूल में पढ़ाये। मैं दावा करता हूं, अगर राजस्थान की शिक्षा का स्तर नहीं सुधर जाए तो। आज सोचने की बात है, आज हमारी स्कूलों में जो ग्रेजुएट बीए, बीएड और योग्यताधारी टीचर जहां पर पढ़ा रहे हैं, कम्पीटिशन का टैस्ट पास करके आर पी एस सी के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, वे पढ़ा रहे हैं और एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें जिनका सलेक्शन नहीं होता है, वे टीचर पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूलों में तो बच्चों की शिक्षा नहीं है और प्राइवेट स्कूल दिन-दुगुनी-रात-

(श्री टीकाराम जूली)

चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अगर कहीं न कहीं कोई कमी है तो हममें है। मैं कहना चाहूंगा हमें बच्चों की सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, चाहे टायलेट्स की सुविधा हो या खेल मैदान की सुविधा हो, बिजली की, फर्नीचर की, ये सुविधा हों, इस पर भी सरकार ध्यान दे।

खास तौर से मैं बस अन्तिम बात कहना चाहूंगा कला एवं संस्कृति के ऊपर कि अलवर जो कि राजस्थान का सिंहद्वार है, महाराजा भर्तृहरि की जन्मभूमि, जहां पर पांडुपोल, सरिस्का, सिलिसेड़, जयसमंद, बालाकिला, मूसी महारानी की छतरी और मोती डूंगरी जैसी जगह हैं लेकिन एन सी आर में यह जिला होते हुए और अलवर शहर उसमें होते हुए भी आज मैं कहना चाहूंगा कि कला और सस्कृति के नाम पर अगर वहां कोई राशि जा रही है तो वह बहुत कम राशि है और वह बहुत क्षीण राशि है। इसमें आप वृद्धि करके इस क्षेत्र में आप कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन का विकास होगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय जी का क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा बोलना था लेकिन आपने मेरे को बिना रोके-टोके जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी पत्नी यहां उपस्थित हैं, इसलिए मैंने घंटी नहीं बजाई।

श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आज शिक्षा, कला और संस्कृति की मांगों पर अपने विचार एक शिक्षक की पीड़ा और सुझाव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि शिक्षा शायद इस सरकार के लिए प्रायोरिटी का विषय ही नहीं है, कारण बड़ा स्पष्ट है कि संस्कृत शिक्षा अतिरिक्त प्रभार, उच्च शिक्षा अतिरिक्त प्रभार, तकनीकी शिक्षा अतिरिक्त प्रभार। एक माध्यमिक और प्राथमिक के जरूर हमारे माननीय मंत्रीजी हैं जिनका नाम भी मास्टर भंवरलाल है। मुझे बड़ी खुशी थी कि मास्टर का अर्थ होता है मां का स्तर, मुझे लगा कि मां के स्तर से शिक्षा को संभालेंगे लेकिन पिछले सवा साल से, डेढ़ साल से मुझे लगता है, हमारी आशाएं पूरी होती हुई नहीं लगती हैं। हम सब का एक

(श्री वासुदेव देवनानी)

सोच है, एक संस्कारित विद्यार्थी तैयार करें, एक संस्कारवान तैयार करें और एक अच्छा नागरिक बने, उसके लिए हम शिक्षा की सारी व्यवस्था करें लेकिन लगता है कि हम उस ओर केवल राजनीति में उलझ गये हैं। कोई कहता है भगवाकरण कर रहे हैं, कोई कहता है कम्प्यूटर शिक्षा चाहिए। मेरा मानना है कि कम्प्यूटर शिक्षा तो चाहिए लेकिन भगवा का जो वास्तविक अर्थ है, त्याग और समर्पण, उसको भी यदि बालक के जीवन में नहीं लाएंगे तो वह जीवन मानवीय नहीं बनेगा, केवल एक मशीन बन जाएगा। इस प्रकार की संस्कारयुक्त शिक्षा देने की आज आवश्यकता है।

मैं शिक्षकों के पदों की, रिक्तियों की चर्चा नहीं करूंगा, काफी सदन में हो गई लेकिन मैं चार विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने 9 लाख बच्चों के फर्जी नामांकन की चर्चा की, 78 करोड़ रुपये का घपला हुआ। उसमें जो दोषी हैं उनको तुरन्त सज़ा होनी चाहिए। बच्चों के खाने

(समय : 20.00 बजे)

पर जिसने भी डाका डाला है वह जेल की सींखचों में होना चाहिए। आप इसकी निष्पक्ष जांच करवा कर उनको आप दोषी बनायें।

दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों एस सी, एस टी के लिए सवाई माधोपुर में एक छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रजिस्टर किया और संभावना यह है कि वह कोई एक जिले की नहीं, 12 जिलों की घटना है। उस पर भी आप शीघ्र कार्यवाही करें।

दो मुद्दों पर तो आपको शिक्षा विभाग वास्तव में आंख मूंदे सोया हुआ है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसका गठन अभी बाकी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसका तुरन्त गठन करें। उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं और इस प्रकार के कुछ पदेन सदस्य होते हैं, आप उसका गठन करके क्योंकि आज मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जिन बच्चों के 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं उनको 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति 2008-09 की 4 हजार विद्यार्थियों की, 2009-10 के 4 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आई हुई, वह छात्रों को आज तक वितरित नहीं हुई। मेरा आपसे आग्रह है, नम्र निवेदन है कि उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है जिसमें तय हुआ कि जो 60 प्रतिशत से अधिक वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 हजार रुपये प्राप्त होंगे। आज अजमेर में, मैं स्कूलों के नाम आपको व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा, उन बच्चों को दो-दो हजार, ढाई-ढाई हजार रुपये दे रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मास्टर उनसे दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये अपने पास वसूल करके रख रहे हैं। ऐसे 1800 विद्यार्थी हैं। इसलिए 90 लाख का यह सबसे बड़ा घपला सामने आता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं अभी तक बोला नहीं लेकिन चैक दिये जा रहे हैं। बच्चों के नाम से चैक दिये जा रहे हैं। बच्चों के नाम से चैक हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं आपसे निवेदन करूं कि बच्चों के नाम से चैक आया है। मैं आपसे वह ही निवेदन कर रहा हूं, मास्टर साथ में जाता है और उससे वहीं से वह पैसे ले रहा है। आप स्कूलों के नाम और एफ आई आर भी दर्ज हुई है, मैं आपको यह दूंगा, आप जांच करवायें।

दूसरा, हमने सुना था कि राजनीति नहीं होगी लेकिन पिछले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको आपने 16 सीसीए का नोटिस दे दिया कि उन्होंने बिना अपने विभाग से पूछे जोइन किया। राज्यपाल के आदेश से नियुक्ति होती है, राज्यपाल के आदेश से उनकी नियुक्ति की। वर्तमान बोर्ड के अध्यक्ष, सारी सरकार ने तय कर रखा है कि कोई निगम, बोर्ड का अध्यक्ष कोई हवाई यात्रा नहीं करेगा लेकिन आपके नव-नियुक्त अध्यक्ष ने पिछले दिनों चार हवाई यात्रा करके आपके निर्णयों का एक तरह से मखौल उड़ाया है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसको नियंत्रित करें। अभी यदि आप बोर्ड को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आगे वह आपके भी अंकुश में नहीं रहने वाला है।

मैं उच्च शिक्षा की चर्चा करूं तो आज राजस्थान उच्च शिक्षा में बहुत पीछे है। यदि हम राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार आना चाहेंगे तो कम से कम 1000 कालेज और खोलने की आवश्यकता है। उसके लिए आज विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब है। हम नये महाविद्यालय तो खोलें लेकिन विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, उसके बारे में जरा थोड़ी जानने की कोशिश की क्या? मैं थोड़ा सा संक्षेप में बात रखने की कोशिश करूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद स्वीकृत 61 कार्यरत 11, एसोसिएट प्रोफेसर के पद 135 कार्यरत 15, लेक्चरर स्वीकृत 704 और कार्यरत 470; जोधपुर जिसमें स्वीकृत 54 कार्यरत जीरो, एसोसिएट प्रोफेसर 122 में से 26; उदयपुर में स्वीकृत 26 कार्यरत केवल एक; आज अजमेर में तो किसी प्रकार का कोई प्रोफेसर का एक पद है बाकी विभाग तीन हैं। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालयों को 25 प्रतिशत पद

(श्री वासुदेव देवनानी)

भरने की स्वीकृति दी थी, सोचा था कि और 25 प्रतिशत देंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि विश्वविद्यालयों में लेक्चरर्स नहीं रहेंगे, प्रोफेसर नहीं रहेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो उनके हाल क्या होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। यदि मैं महाविद्यालयों की चर्चा करूं तो उसमें 1200 पद आज भी खाली हैं। उन पदों को भरने की तुरन्त आवश्यकता है। आपने, शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि मैंने हर क्लास में 100 संख्या कर दी। क्या कोई भी एक क्लास रूम है किसी कॉलेज में जहां पर 100 विद्यार्थी बैठ सकें? एक तरफ आप 65 प्रतिशत अटेंडेंस करते हैं, एक तरह से यह उसके निर्णयों का स्पष्ट मजाक है। फिर आपने लेक्चरर्स को यू जी सी पैकेज दिया। यू जी सी पैकेज में था कि उनके पदनाम हम पलटेंगे, हमने फाइल मूव की थी, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद देने वाले थे लेकिन वह हम लोग नहीं दे पाये। हमने इस बार ट्रांसफर किये। ट्रांसफर करना आपका अधिकार है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार के गठन के पश्चात् कहा था कि दुर्भावनावश किसी का भी स्थानांतरण नहीं किया जायेगा लेकिन उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग में घोषणा और आश्वासन के विपरीत दुर्भावनावश स्थानांतरण हुए हैं। निकट स्थानों पर पद रिक्त थे और पति-पत्नी के प्रकरणों का ध्यान नहीं रखा और रूक्टा के छांट-छांट कर पदाधिकारियों के दूर-दराज स्थानों पर ट्रांसफर किये और कुछ ट्रांसफर तो ऐसे हैं जहां पर उस विषय का एक भी विद्यार्थी नहीं है। यह कितनी शर्मनाक बात है, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया दुर्भावनावश किसी प्रकार का कोई स्थानान्तरण नहीं करें तो विषय ठीक रहेगा। यह हमारे और आप, सरकारें तो आयेंगी और जायेंगी लेकिन यदि स्थानांतरण केवल राजनीतिक दुर्भावनावश किये तो शिक्षा में तो कोई सुधार आ नहीं पायेगा, स्थितियां बिगडेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा की बात करूं। हम तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तकनीकी शिक्षा में लोग कहां से आयेंगे? जब तक साइंस फैकल्टी नहीं होगी, आखिर कालेजों में साइंस फैकल्टी नहीं, स्कूलों में साइंस फैकल्टी नहीं, आपने 500 विद्यालयों में साइंस और कामर्स फैकल्टी की घोषणा की है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। आज महाविद्यालयों में केवल 11.3 प्रतिशत साइंस के विद्यार्थी हैं इसलिए साइंस के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

इंजीनियरिंग कालेज खोलते जायेंगे, सीटें बढ़ाते जायेंगे लेकिन उनको विद्यार्थी मिलेंगे नहीं तो उन कालेजों को खोलने में क्या बचेगा? आपके पोलीटेक्नीक के अन्दर 275 लेक्चरर्स के पद खाली हैं, 150 पद टेक्नीशियंस के खाली हैं, आई टी आई में 842 पद खाली हैं। यदि टेक्नीशियन नहीं होगा तो मेरे बच्चे को सिखायेगा क्या? क्या वह फिटर बनेगा? क्या वेल्डर बनेगा? उसको सिखाने वाला शिक्षक ही नहीं होगा। तो उस प्रकार की आई टी आई खोलने की और चलाने की कोई आवश्यकता ध्यान में नहीं आती है।

हमने तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की बात की। 1977 में बना था लेकिन आज तक उसका पुनर्गठन नहीं हुआ। फाइल चली लेकिन पता नहीं, कहां अधिकारियों के पास चक्कर काट रही है, आज तक वह आगे नहीं बढ़ पाई। एक राजस्थान में तकनीकी शिक्षा अधिनियम बनने वाला था, आपने पिछले बजट में घोषणा की लेकिन वह भी आज तक नहीं बना। लेकिन उल्टा हो रहा है, एक राजस्थान तकनीकी शिक्षा परिषद् नाम का एन जी ओ जिसने फर्जी नाम से विज्ञापन दिया, लाखों विद्यार्थियों के उन्होंने ड्राफ्ट ले लिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा के अधिकारियों को ऐसे फर्जी नाम, जो मिले-जुले शब्द हैं उन नाम का उपयोग करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए।

तकनीकी शिक्षा में हम अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक अच्छा पढ़ाये लेकिन उनको आज तक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम उन पर लागू नहीं हुई। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 18 सितम्बर, 1998 को आप ही की सरकार के समय मंत्रीमण्डलीय आज्ञा संख्या 139/98 के अन्तर्गत इनको वेतनमान देने का निर्णय किया गया था, उस वेतनमान में तय किया गया था कि इनके सर्विस नियम बनाकर के हम लागू करेंगे। आज जनवरी, 2010 को सेवा नियम भी लागू हो गये लेकिन उनको आज तक कैरियर एडवांसमेंट नहीं मिला है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको यह सी ए एस जो सब जगह लागू की जा चुकी है, उसको आप जरूर करें।

राजस्थान में इंजीनियरिंग कालेज खोले हैं, बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज अनियमितताओं का केन्द्र बना हुआ है। इन सारे इंजीनियरिंग कालेजो पर लोक सेवाओं में नियुक्ति, विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण, 1999 लागू होता है उसका उल्लंघन हुआ है। टीचिंग और नान-टीचिंग के पद बिना विज्ञापन के, बिना साक्षात्कार के, बिना साक्षात्कार समिति के भरे गये हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

सभापति महोदय, यदि मैं एक कदम और आगे निवेदन करूं कि एक वहां पर साफ्टवेयर है सेप, एसएपी, जिसकी कहीं कोई अंडर-ग्रेजुएट विद्यार्थियों की आवश्यकता नहीं है। एक ही कम्पनी बनाती है, उसके साथ एम ओ यू हुआ और उसको एक करोड़ पांच लाख रुपये 15 फरवरी से पहले एडवांस दे दिये। जब मैंने प्रश्न लगाया, उसके बाद 15 मार्च से उन्होंने वह पाठ्यक्रम शुरू करने का एक प्रयास किया है। यह एक प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको संभालने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से एक ही कम्पनी की मोनोपाली के आधार पर जो कुछ तय किया है, मैं समझता हूं कि उसको ठीक नहीं माना जा सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं केवल दो मिनट आपसे लूंगा।

श्री सभापति: हां, मुझे मालूम है, आप शिक्षा पर बोल रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक अनुदानित संस्थाओं के विषय में मैं जरूर कहूंगा। आपकी सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के बारे में तय किया कि जो विकल्प देगा वह सरकार में समायोजित हो सकता है लेकिन जो लोग विकल्प नहीं देंगे उनका क्या होगा? अभी कोई नियम उनके बारे में बने नहीं, उनके बारे में नियम बने, उनको बराबर मिले। यदि मैं एक निवेदन करूं कि आज इस प्रकार जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं ये सरकार का बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आज एक ओर तो हम इन पर 97 अरब खर्च कर रहे हैं, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को केवल दे तो 130 करोड़ ही रहे हैं, वह भी समय पर नहीं दे रहे हैं। आज अजमेर में अध्यापकों को आठ महीने से और पांच महीने से वेतन तक नहीं मिला है। वे कितनी सेवा कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। दो घंटी बजाई जा चुकी हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मुझे दो मिनट और दीजिये, सभी के बराबर दीजिये।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं। आप समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अंत में केवल अजमेर से जुड़ी हुई 2-3 बातों पर आपसे कहूंगा। अजमेर में जी.सी.ए. कालेज का विखण्डन हुआ है। आर्टस कालेज के लिए भी आप बजट में प्रावधान करें। अनुदानित कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले। अजमेर विश्वविद्यालय में ग्रांट आपकी सरकार ने बंद कर दी है, उसको आप वापस दें। एक सावित्री गर्ल्स कालेज जिस पर 1974 से प्रशासक बैठा हुआ है, सारे ट्रस्टी इस दुनिया में अब नहीं रहे, उसको जरा सरकारी कालेज में परिवर्तित करें। एक गर्ल्स कालेज का आप भवन बनायें और साथ में अल्पभाषा स्कूल, उर्दू और हिन्दी...

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...इनमें अध्यापकों की पूर्ति करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। श्री ओम जोशी। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग संख्या-24 पर विस्तार से विचार-विमर्श, मंथन और चर्चा हो रही है। राजस्थान का यह सौभाग्य है कि पुनः श्रीयुत् अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान को कांग्रेस की सरकार मिली है। उनके... (व्यवधान) उनके द्वारा सदैव जीवन से जुड़े हुए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर, पहलुओं पर सूक्ष्मता से अनुभव के पश्चात् नीतिगत निर्णय लिया जाता है और उसी के तहत शिक्षा विषय पर भी जब पिछली बार उन्होंने कार्यभार संभाला था और "सबको पढ़ाओ" का जो नारा दिया था, वह अपने आप में अहमियत रखता था। उसी को आगे बढ़ाते हुए राइट-टू-एजुकेशन का जो एक्ट एक अप्रैल से लागू हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

चूंकि शिक्षा विषय पर कई शिक्षाविद्, ज्ञानी और विद्वान अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और इन दस्तावेजों के माध्यम से भी ये सब सूचनाएं हमें उपलब्ध हो चुकी हैं, समय की आपकी सीमा को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा हैं और उनके साथ में जो अधिकारियों की टीम है, मैं चूंकि उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जिस तरीके से वे गांव, ढाणी और पश्चिमी क्षेत्र से जुड़े

(श्री ओम जोशी)

हुए हैं, उनको इस बात का अनुभव है कि शिक्षा की सुविधा हमें मीलों दूर ढाणी में रह रहे लोगों को, ग्रामीणों को किस तरह से दी जाये, इस बात का ध्यान रखते हुए नीतियों की क्रियान्विति कर सकते हैं।

(समय : 20.13 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

हमारे मंत्री महोदय और अधिकारियों की दृढ़ इच्छाशक्ति है। मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान की जनता की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले 15 महीनों में कार्य की शुरुआत की गई है, उससे आशा की जा सकती है कि निश्चितरूपेण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

पिछले पांच वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र के सन्दर्भ में चूंकि आदरणीय तिवाड़ीजी पहले बोल चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को और जिस तरीके से एक विचारधारा विशेष का पोषण करने के लिए पदस्थापन करके और जो कार्य किया गया है, मैं समझता हूं, जो राजनीति की गई है, वह पाप है। ऐसे कृत्यों से शिक्षा के जगत में जिनसे कि हम बहुत बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, वहां जो वातावरण अशांति पैदा करने का, अफवाहें फैलाने का और बवंडर पैदा करने का गलत काम किया गया है, उस पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। एक विचारधारा का पोषण और उसके माध्यम से राजस्थान में अशांति हो, यह उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि तिवाड़ीजी विद्वान हैं और शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और जानता हूं कि शास्त्र में निंदा निषेध है इसलिए मैं अधिक आलोचना नहीं करते हुए केवल एक संकेत ही कर रहा हूं कि अगर हमें इस राजस्थान में शिक्षा का समग्र विकास करना है तो जो आपकी सोच है, उस सोच के तालमेल के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे और सही काम को सही कहेंगे तो उचित रहेगा। निश्चितरूपेण स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है कि उसकी पूर्ति हो। पदोन्नति के माध्यम से, लोकल एडजस्टमेंट के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी निरन्तर जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करके उसकी पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको राजस्थान में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): "निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छबाय" जो निंदा करता है, उनको अपने घर में कुटी छवाकर रखना चाहिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, तिवाड़ी साहब से अभी मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता इसलिए वापस जवाब भी नहीं देना चाहता। चूंकि ये हमारे वरिष्ठ हैं, मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं इसलिए मैं उसके सन्दर्भ में, आगे नहीं बढ़ूंगा ताकि मेरा मूल विषय न रह जाये। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको भावना बताता हूं। यह भावना अध्यापकों के मामले में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की उपलब्धि हो और उस बात के लिए शहरों में सुविधाजनक स्थानों पर जो बड़ी संख्या में शिक्षक बैठे हैं और जिस तरीके से अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, उनका समानीकरण किया जाये और ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में उन शिक्षकों को भेजा जाये। इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर दृष्टि से राजस्थान की जनता आपके साथ रहेगी और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देगी।

माननीय महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए, मेरे यहां पर अनुसूचित जाति का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला, माननीय मंत्रीजी पधारे और वहां पर छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है।

पंचायत स्तर पर माध्यमिक स्कूल खोलने की बात आई। अधिकांश जगह पर यह सुविधा मिली। पिछले समय में राजनीति हुई और पंचायत मुख्यालय को छोड़कर ऐसे स्थान जो जाति विशेष से सम्बन्ध रखते थे, वहां पर माध्यमिक विद्यालय खोल दिये गये। पंचायत मुख्यालय जहां पर आवश्यकता थी, वहां पर यह स्कूल नहीं खोल पाये। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बच्चों की भलाई के लिए, उस क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता को देखते हुए कृपा करके केवल मात्र तीन स्कूल, एक तो स्कूल ऐसा है जहां पर पंचायत मुख्यालय में कोई भी पंचायत पूरे में स्कूल नहीं है, वह है नूरे की भुज, दूसरा है उदट और तीसरा है, पड़ियाल, ये तीनों स्कूल हैं, कृपा करके अगर आप करायेंगे तो 20 वर्षों से जो यह इलाका पिछड़ा हुआ है, उनको सुविधा का लाभ होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत 20-25 सालों में हमारे जो माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे, निरन्तर हम उपेक्षा का शिकार रहे, हम वंचित रहे। चूंकि हमारे यहां पर हमारी पार्टी का जन प्रतिनिधि नहीं था पिछले 10 सालों में, इसलिए कृपा करके जो मैं पांच स्कूल आपसे निवेदन कर रहा हूं, फलौदी में लटियालपुरा, खीचन, लोरडिया, मोखेरी, बावड़ी, इनको कृपा करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। साथ ही आपने विषय खोला, फलौदी की आवश्यकता थी, बालिका विद्यालय में वाणिज्य

(श्री ओम जोशी)

विषय की, उसके लिए आपको हार्दिक आभार; बाप में आपने विज्ञान का विषय खोला है, उसके लिए आपको हार्दिक आभार। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विषय भी आप खोलने का प्रावधान रखते हैं, इसलिए फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृपा करके आने वाले सत्र में कृषि विषय खोलने की अनुकम्पा करायें।

एक कमी जो देखी गई है, उर्दू का विषय हमारे क्षेत्र में पढ़ाया जाता है, उसकी सुविधा हो लेकिन उर्दू और संस्कृत के शिक्षक की निरन्तर कमी महसूस की गई है। मैं आशा करता हूं कि आप उर्दू और संस्कृत के शिक्षकों का पदस्थापन करायेंगे।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से सम्बन्धित विषय है।

फलौदी में पिछली अशोक गहलोतजी की सरकार में जो हमारी तीस साल से पुरानी मांग थी राजकीय महाविद्यालय की, उस मांग की पूर्ति करते हुए हमें महाविद्यालय मिला था और वह राजकीय महाविद्यालय संचालित हो गया। पांच वर्ष तक उसकी किसी भी प्रकार की सीटें नहीं बढ़ाई गई लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि इस सरकार ने आने के बाद इस साल में दो सौ सीटें छात्रों के लिए बढ़ाकर जो हमारे वंचित छात्र थे उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई है। एक शानदार भवन उस विद्यालय के लिए बनकर तैयार हो गया, अतिशीघ्र उसमें छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि फलौदी जो जिले की तरफ बढ़ने वाला इलाका है वहां पर कृपा करके स्नातकोत्तर कक्षाएं उस राजकीय महाविद्यालय में उपलब्ध करायें। मैं इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, लेणिया जो है अशोक गहलोतजी से और आपकी सरकार से ही है, हमारी सरकार से है, इसलिए कृपा करके पी जी क्लासेज इस राजकीय महाविद्यालय में प्रारम्भ करने की अनुकम्पा करायें।

माननीय गहलोत साहब की सोच गांधीवादी होने से उन्होंने जो कला के क्षेत्र में निर्णय लिया है, स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरण एवं स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का स्थापन जो किया है वह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। 246 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके संस्मरण और जिनके बारे में जो हार्ड डिस्क बनकर सीडी बनेगी वह हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। मैं यह विषय इसलिए कह रहा हूं कि मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र से जो आंदोलन हुआ था हमारे देश की आजादी का, उसके 14 स्वतंत्रता

(श्री ओम जोशी)

सेनानी हुए थे। इसलिए यह जो निर्णय है, हमारे लिये बहुत ही सुखद और आनन्द देने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, संस्कृति के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कम बात यहां पर हुई है, अध्यापकों को लेकर, शिक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर बात हुई; मैं कला और संस्कृति के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर, पोकरण, फलौदी, नागौर और बीकानेर में एक पुरानी परम्परा, कला का विकास चला आ रहा था, रम्मत कहते हैं उसको, एक रम्मत जो होती है रात भर तक चलती है, उस रम्मत के माध्यम से कलाकार जनता जो इकट्ठी होती है उनके सामने विशेष रूप से जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो एक-एक अच्छी बातें हैं उनको उस रम्मत के माध्यम से पेश करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस रम्मत को संरक्षित करने के लिए और उस रम्मत को आगे बढ़ाने के लिए कृपा करके कुछ सरकारी स्तर पर व्यवस्था करने की अनुकम्पा करायें।

घंटी आपने पूर्ण समय होने की बजा दी है इसलिए मैं अनुशासित होकर आपको पुनः जो उपलब्धि हमारी सरकार की है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्य्वाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, सदन में आज शिक्षा के ऊपर माननीय बहुत सारे सदस्यों ने शिक्षा के स्तर के बारे में चिंता व्यक्त की, मैं भी यह समझता हूं कि आज हमारे राजस्थान में शिक्षा के स्तर में और सुधार की जरूरत है। जैसे अभी माननीय हमारे उदयपुर से आने वाले सदस्य कटारिया साहब ने शिक्षा के बारे में बताया कि हमारी बहुत सारी स्कूलें ऐसी है जहां पर सौ बच्चे हैं और टीचर वहां पर दस हैं और बहुत सारी स्कूलें ऐसी है जहां पर दो सौ बच्चे, तीन सौ बच्चे हैं और टीचर की संख्या तीन और चार है। बड़ी चिंता का विषय है, मेरे क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जहां यह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो यह स्कूलों में टीचरों का असंतुलन है उसको ठीक करें। समानीकरण की जो

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

बात आप कह रहे हैं उसमें राजनीति नहीं करके अगर आपका विचार समानीकरण करने का है तो जरूर समानीकरण करें और टीचरों की जो अव्यवस्था चल रही है, जिस स्कूल में जरूरत है वहां टीचर नहीं है और जहां जरूरत नहीं है वहां टीचर है, उसको ठीक किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर पानी, बिजली और शिक्षा की बहुत अति आवश्यकता है। मेरा क्षेत्र खाजूवाला पाकिस्तानी बोर्डर के पास है, बीकानेर से करीब 150 किलोमीटर दूर है, शिक्षा का स्तर और शिक्षा की जो वहां की व्यवस्था है बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, स्कूलों की चारदीवारी भी नहीं है, स्कूलों में शौचालय भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो स्कूलों की दयनीय स्थिति है उसको सुधारें।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर में खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में मेरे जो अभी नई खाजूवाला पंचायत समिति बनी है, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद वहां सृजित किया जाय और ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पद के साथ अन्य पद सृजित कर वहां पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किया जाय जिससे मेरे क्षेत्र की टाइमली मानिटरिंग हो पायेगी और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा। अगर वहां पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी बैठेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, शिक्षा में और अच्छा सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र में क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कई जगह दस-दस किलोमीटर तक बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, मैं नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं और हमारे क्षेत्र में मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में जो स्कूलों में रिक्त पद पड़े हैं उनको भी मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी भरा जाय। जुलाई 2009 तक जो स्थिति है, मेरे क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के करीब 70 पद रिक्त पड़े हैं तृतीय श्रेणी के करीब 175 पद रिक्त पड़े हैं और व्याख्याताओं के 15 पद रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन पदों को भरा जाय।

श्री सभापति: मंत्रीजी। शिक्षा मंत्रीजी, वह माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बड़ी गम्भीर समस्या रख रहे हैं अपनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उन्होंने क्या कहा, वह सुना क्या आपने?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सुन रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या?

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आभार भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दंतोर जो वहां पर माध्यमिक विद्यालय है उसको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें एक एलडीसी का पद सृजित किया जाय और जो यह पोषाहार, मिड-डे मील का कार्य जो एजेंसी स्कूल को बना रखा है उसको हटा कर ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया जाय जिससे शिक्षा में सुधार होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी मांग करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाय और राजकीय महाविद्यालय भी खोला जाय। खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में खाजूवाला में सीनियर सेकंडरी स्कूल है जिसमें वाणिज्य संकाय का करीब दो साल से पद रिक्त है जिससे वाणिज्य संकाय की वहां पर कोई क्लास नहीं लग रही है। काफी सारे वहां जो प्रिंसिपल और व्याख्याताओं के पद भी रिक्त पड़े हैं कृपया उनको भी भरा जावे और खाजूवाला में विज्ञान संकाय को भी खोला जाय। पूगल, छतरगढ़ के क्षेत्र में भी सीनियर सेकंडरी स्कूल में वाणिज्य संकाय व विज्ञान संकाय खोला जाय और रिक्त पड़े पदों को भरा जाय, यह मैं आपसे मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर बन कर रह गया है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय को संघटक कालेजों से जोड़ कर जैसे डूंगरगढ़ कालेज है और एम.एस. कालेज को इनसे जोड़ा जाए जिससे

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

विश्वविद्यालय एक एग्जामिनेशन सेंटर न बनकर अच्छा एक विश्वविद्यालय होगा। मंत्रीजी से, सरकार से यह मांग करता हूं कि बीकानेर में जो दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिसको व्यास कमेटी ने बीकानेर के लिए रिकमंडेशन किया था लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप करके हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यास कमेटी की रिपोर्ट न मानकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अन्यत्र इन्होंने स्थापित कर दिया है। मैं मांग करता हूं कि अगर दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाता है तो बीकानेर में खोला जाए। बहुत सारे राज्य में दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, राजस्थानी भाषा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और मैं यह मांग करता हूं कि राजस्थान साहित्यिक एकेडमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाए, जो पद खाली पड़े हैं जिससे कि राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देवे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार प्रकट करने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की संस्कृति मंत्रों की संस्कृति रही है। हमारे यहां गुरुओं का, संतों का हमेशा सम्मान किया गया है लेकिन जो आज का समय चल रहा है शिक्षा में जो गिरावट आ रही है उसमें मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तरफ तो सरकारी स्कूल हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में सारे ट्रेंड टीचर होते हैं, अच्छे पढ़े-लिखे होते हैं और उनको पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव होता है, सरकार उनको तनख्वाह और सुविधाएं भी बहुत देती है। उसके बावजूद भी जो शिक्षा का स्तर है वह प्राइवेट स्कूलों का अच्छा रहता है और गवर्नमेंट स्कूल का कम रहता है। गांवों में ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, टीचर नहीं हैं; लड़के ज्यादा हैं तो टीचर कम हैं। इसलिए मैं माननीय शिक्षा

(श्री सी.एल. प्रेमी)

मंत्रीजी को अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपने समानीकरण का प्रोग्राम बनाया है आपकी दृढ़ इच्छा है, मुख्य मंत्रीजी आपके साथ हैं, आप दोनों मिलकर इस समानीकरण के प्रोग्राम को सुदृढ़ बनाये तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार होगा और गांव वाले लड़कों को इसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी।

आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में जो माननीय गहलोत साहब ने पिछले बजट में घोषणा की थी, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूलों को सेकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा और इनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ कुछ ग्राम पंचायतें रह गई हैं रेबारपुरा, केथुवा, उतराणा और करवाड़ा की झोंपड़ियां तो मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इनको भी सेकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रयास करें।

जहां तक केशवरायपाटन विधान सभा का प्रश्न है, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर कालेज नहीं है। अब आप देखिए कि कोटा के पास सवाई माधोपुर कालेज जाना पड़ता है और इधर बूंदी जाना पड़ता है। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोलें ताकि केशवरायपाटन का कापरेन, लाखेरी, इन्द्रगढ़, सुमेरगंज मण्डी और करवर के जो सेकंडरी के और हायर सेकंडरी के बच्चे हैं जो कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जाते हैं उनको असुविधा न हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाए।

श्री सभापति: यह आपका संक्षिप्त है?

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि पहली क्लास से ही यदि कम्प्यूटर की शिक्षा और अंग्रेजी की शिक्षा प्रारम्भ की जाए तो मैं समझता हूं कि शिक्षा में सुधार होगा। जो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी कम्प्यूटर को लेकर के आये इस भारतवर्ष में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह अनुरोध करूंगा कि शिक्षा में अंग्रेजी और कम्प्यूटर पहली क्लास से ही प्रारम्भ हो और ऐसे ट्रेंड टीचर लगाये जाएं ताकि कम्प्यूटर की

(श्री सी.एल. प्रेमी)

शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा अच्छी हो क्योंकि अंग्रेजी के बगैर आज भी मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो हिन्दी अच्छी बोलता है उसको नहीं दी जाती है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि कम्प्यूटर के साथ-साथ पहली क्लास से ही अंग्रेजी भी हो, उसमें भी अच्छे टीचर वहां लगाकर और इसमें सुधार किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: एक तो यह हीन भावना निकाल लो कि हिन्दी बोलने को तो हीन देखा जाता है, अंग्रेजी बोलने वाले को ...(व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आज भी यही हो रहा है, बिलकुल यही हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, सभापति महोदय। मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूं कि बार-बार हीन भावना जो है ना, ''अंग्रेजी पढ़के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बेनिज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन'' और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी जिंदगी में अंग्रेजी नहीं बोली और यू.एन.ओ. में जाकर भी नहीं बोली, सारा देश और दुनिया उनका सम्मान करती है। यह बात नहीं है कि हिन्दी बोलने वाले कमजोर होते हैं, यह बातें बोलना बंद करो आप। यह 60 वर्ष की आजादी के बाद भी, हां, नौकरी करने के लिए हो सकता हो थोड़ी बहुत काम आ जाए, बाकी राज करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): तिवाड़ी जी, यह सदन को बताना चाहूंगा कि आप आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन जाओगे तो बिना अंग्रेजी के बन जाओगे क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बन जाएंगे।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): नहीं बनेंगे, साहब, मैं यह बता रहा हूं आपको। फिर आप उसमें से भी हटा दो, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के लिए भी हटा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने पहली क्लास से अंग्रेजी प्रारम्भ की थी, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो मत, अंग्रेजी जरूर पढ़ो, अंग्रेजी का ज्ञान भी जरूर रखो, अंग्रेजी बच्चों को भी पढ़ाओ, और भाषा भी पढ़ाओ लेकिन यह मत कहो कि उनकी योग्यता ज्यादा है या उनका सम्मान ज्यादा है। बस इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, यदि ऐसी ही बात है तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें से आज अंग्रेजी हटा दीजिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे गांव के लोग आज तक आई.ए.एस. और आई.पी.एस. नहीं बन सकते, वह क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बनते हैं कि उनकी अंग्रेजी कमजोर है। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि इस तरह का एक सेटअप हो ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। जिन भी पंचायतों में कम्प्यूटर शिक्षा नहीं है और आज भी यह है कि आज आठवीं वाले हैं वह साक्षर बन रहे हैं, नौकरियां गांव वालों को नहीं मिल रही हैं। तो अभाव तो कहीं-न-कहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की शिक्षा डवलप हो ताकि रोजगार भी मिले और वह बिलकुल सांसारिक बनें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 24-शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। इस हाउस में शिक्षा के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने आपस में सकारात्मक विचार कहे। मेरा निवेदन है शिक्षा के बारे में कि जिस हिसाब से जो कोई मकान बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन जैसे मजबूत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी से जब स्कूल अच्छी होती है तो बच्चा अच्छा तैयार होता है, आगे कभी कमजोर नहीं पड़ता है। उसका मेन कारण, मैं मेरे क्षेत्र जैसलमेर की बात करता हूं कि प्राइमरी स्कूलें महीने में पन्द्रह दिन बंद रहती हैं, बीस दिन बंद रहती हैं; कभी टीचर नहीं आता है तो कभी अध्यापक को ऑफिस में लगा दिया जाता है। जब पांचवीं क्लास तक बच्चा बहुत कमजोर रहता है तो कमजोर रहने के बाद आठवीं में आता है तो भी वह ही हालत रहती है। इससे यह साबित होता है कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चे में फर्क होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में जिस हिसाब से विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ हो उस हिसाब से अध्यापक यदि लगा दिये जाएं, अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिफाइड टीचर होते हैं तो सुधार अपने आप आएगा। गांवों में बच्चों की संख्या सत्तर प्रतिशत होती है और शहर में तीस प्रतिशत होती है। किसी भी कम्पीटिशन में शहर के बच्चों का आगे आना, कालेज में उनका एडमिशन होना, उसका मेन कारण है उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव अच्छी है।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में अध्यापक शहरों से जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, उनमें होड़ लगी रहती है कि दस बजे पहुंचना है और पांच बजे निकलना है, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा निवेदन है और सुझाव है कि उन अध्यापकों का ठहराव वहां किया जाए। यदि ठहराव नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी।

दूसरा मेरा निवेदन है, विशेषकर मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, मिडल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं और सेकंडरी स्कूल हैं, उस जगह अध्यापकों की बहुत कमी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्रमोन्नत आपके राज में हुए, हम मानते हैं पर परिवार बढ़ता है तो घर भी बनते हैं और घर बनता है तो मुखिया की ड्यूटी बनती है कि वह कमा कर दे। तो मुखिया आप हो, आपको इसका अरेंजमेंट, इसका नेतृत्व करना है; जहां भी अध्यापकों की कमी है वहां अध्यापक लगायें। हमारा जैसलमेर विशेषकर शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा जिला है, वहां शिक्षा की कमी है। नयी भर्ती के लिए इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा फरमाया गया है, मेरा निवेदन है विशेषकर जैसलमेर जिले के लिए क्योंकि वहां अध्यापक, ए एन एम की भर्ती होती है और दो साल बाद यह वोटों की राजनीति में वे वापस चली आती हैं, वे स्कूलें खाली हो जाती हैं वहां ए एन एम से सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खाली हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आने वाली भर्ती में यह कंडिशन रखी जाए, यह शर्त रखी जाए कि जहां भी आपका अपाइंटमेंट होगा आपको वहीं नौकरी करनी पड़ेगी, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तभी वे अध्यापक वहां रह सकते हैं और पढ़ा सकते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारा क्षेत्र डेजर्ट है, वहां हर आदमी नहीं रह सकता क्योंकि वहां पानी की कमी है, लाइट की कमी है, परिवहन की कमी है। जिस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में उन अध्यापकों को या कर्मचारियों को जो भत्ता दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से हमारे रेगिस्तानी इलाके में सीमावर्ती क्षेत्र में उनको भत्ता दिया जाए जिसके लालच में वे वहां रहकर वहां के बच्चों को पढ़ा सकेंगे।

इसके साथ में मेरा निवेदन है कि जब मैं पढ़ता था तो रामगढ़ में हायर सेकंडरी स्कूल था, वहां विज्ञान का संकाय नहीं था और आज भी उस स्कूल में विज्ञान संकाय नहीं है। मतलब करीब पैंतीस साल हो गये और 35

(श्री छोटू सिंह भाटी)

साल में क्रमोन्नत तो अभी पांच साल हो गये, अभी बी जे पी ने क्रमोन्नत किया और वह रह गया। यह क्यों नहीं हुआ? मेरा निवेदन है कि जिस स्कूल को तीस-पैंतीस साल हो गये और वह हायर सेकंडरी स्कूल है तो वहां विज्ञान का संकाय, कामर्स का संकाय खुलवाया जाए जिससे कि वहां के बच्चे वहीं पढ़ कर आगे कालेजों में एडमिशन लें और इंजीनियर और डाक्टर बनें।

इसके साथ में मेरा निवेदन है कि हमारे बालिका महाविद्यालय वहां भी विज्ञान का संकाय नहीं है। विभाग के द्वारा उसकी बिल्डिंग बनायी गयी है, उसके उपकरण भी है फिर भी बालिका विद्यालय में विज्ञान और कामर्स का संकाय नहीं है। वे बायज् कालेज में जाना नहीं चाहती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि वहां विज्ञान संकाय खुलवाने के लिए सरकार अपने स्तर पर संकाय खोले।

इसके साथ में मेरा निवेदन है कि हमारे मिडल स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी शारीरिक शिक्षक नहीं है, वहां शारीरिक शिक्षक उपलब्ध करवाये जाएं। साथ में मेरा निवेदन है कि पंचायत हैडक्वार्टर में स्कूल मिडल भी है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): स्कूल सेकंडरी भी है लेकिन बालिका स्कूल नहीं है। जब बच्ची आठवीं और दसवीं कर लेती है तो पुरुष अध्यापक से पढ़ना पसंद नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि अलग से उसका स्कूल खुलवाया जाए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला अध्यापकों को लगाया जाए जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इन्हीं के साथ ...

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण। विराजिये आप।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, बोलने से कुछ निकलता नहीं है मन की तो निकाल लेने दो बोल के। इसमें अपना क्या खर्चा लगता है?

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों का, भाटी साहब, आप तो लेट पधारे हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): रात अभी बहुत बाकी है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): देवीसिंह जी साहब ने सिफारिश की थी, रेगिस्तान का इलाका है, उसके लिए जरूरी है और हमारा क्षेत्र वैसे भी सत्तर प्रतिशत बाहर रहता है। जैसलमेर के सत्तर प्रतिशत बालकों और गांवों का श्रृंगार शिक्षा पर है और शिक्षा से वंचित यदि बालक रह जाएंगे तो शिक्षा और जैसलमेर का श्रृंगार नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जैसलमेर का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे डेजटर्ज इलाके को सुधारने के लिए आप वहां अध्यापक पूर्ण संख्या में पर्याप्त भिजवायें। आपने जो हमारी स्कूलों को क्रमोन्नत किया, इसके लिए मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद है। जय हिन्द।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वाहवाह, शाबासी ले ही ली आखिर में।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार जी सहारण।

(अनुपस्थित)

श्री नवल किशोर जी।

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांग संख्या-24 पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि मैं मानता हूं कि जो देश, जो राज या जो गांव शिक्षित है वह दीक्षित भी है क्योंकि शिक्षा से ही बुद्धि का विकास होता है और जहां बुद्धि का विकास है उस देश या राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति हमेशा उन्नत रहती है। इंग्लैंड व जापान जैसे देश जिनकी आबादी हमारे राजस्थान के भी बराबर नहीं है, सिर्फ बुद्धि के विकास के कारण ही 21वीं शताब्दी में सबसे औद्योगिक और उन्नत देश हैं। हमारा देश गरीबी की दशा में है उसका कारण यह है कि हमारे शिक्षा का अभाव है। एक छोटा सा देश इंग्लैंड जिसने पूरे विश्व में राज किया, उसके राज में दिन नहीं छिपता था, उसका कारण यह था कि वह शिक्षित देश था; वहां का बच्चा जब सुबह उठता है तो उसकी मां से उठते ही यह मांगता है, मां, मुझे अख़बार दो क्योंकि वह हमेशा बुद्धि से काम करना चाहता है और जापान का बच्चा जब उठता है तो वह अपनी मां से काम मांगता है कि मां,

(श्री नवल किशोर मीणा)

मुझे काम दो। इसलिए काम के कारण जापान एक छोटा सा देश जो हमारे राजस्थान से भी छोटा है, वह आज पूरे विश्व में एक औद्योगिक और उन्नत देश है। हमारा देश का बच्चा जब सुबह उठता है तो मां से कलेवा मांगता है, मां, मुझे खाने को दो। इसका कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षा का अभाव है।

हमारा देश भी शिक्षा में उन्नत हो, इसके लिये शिक्षा की कमी व खामियों को दूर करने के लिये सुधार आयोग बनते रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी भी राजस्थान में शिक्षा का उत्थान हो, इसके लिये चिंतित हैं और राइट-टू-एजुकेशन एक्ट के तहत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो, शिक्षा सिलेबस उन्नत हो, राज्य का हर विद्यालय कम्प्यूटराइज्ड हो, ऐसी व्यवस्थाएं बजट में की हैं जिससे कि शिक्षा का वातावरण अच्छा बनेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने एस टी, एस सी, ओ बी सी, अल्पसंख्यक व पिछडे वर्ग की छात्राओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया और उनको जिलेवार प्रथम स्थान आने पर 25, 40 और 50 हजार रुपये का जो उपहार दिया उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी की घोषणा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रथम तीन छात्राएं आयेंगी उनको विदेश में भेजने और उनका पूरा व्यय उठाने का भी मैं स्वागत करता हूं।

मुख्य मंत्रीजी की छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की जो भावना है, उसको देखते हुए मैं भी मेरे क्षेत्र बामनवास में जहां शिक्षा के लिये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का अभाव है और किसान अपनी बेटी को शहर और दूर-दराज नहीं ले जा सकता, वह अपने गांव में स्थित स्कूल में 8वीं तक का जो मिडल स्कूल होता है वहां तक ही वह उसको पढ़ा पाता है और दूर ले जाने में वह असमर्थ होता है, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र बामनवास में विद्यालय और कालेज का अभाव होते हुए भी वहां के किसान ने अपने बच्चों को पढ़ा कर देश और राज्य में सैकड़ों प्रशासक सेवा के रूप में दिये हैं, छात्र गांव से बाहर जा सकता है, बाहर जाकर पढ सकता है लेकिन गांव की बेटियां बाहर नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि एक दो आवासीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय मुझे मेरे क्षेत्र में देवें तो मेरे क्षेत्र की छात्राएं भी राजकीय सेवा में जरूर आगे बढ़ेंगी । मेरे क्षेत्र में एक बरनाला गांव है उसमें कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है, प्राथमिक स्कूल है उसको भी मैं माध्यमिक करने की मांग करता हूं।

(श्री नवल किशोर मीणा)

जब महिलाओं को हमारी सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिकाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और हमारा देश 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहा है तो हमारे गांव की स्कूलें जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलें है उनमें भी मैं मांग करता हूं कि सारी स्कूलों में 20 प्रतिशत महिलाएं कर दी जायें। ऐसा बजट में शायद नहीं होगा इसलिए जो स्थित विद्यालय हैं उनको ही महिला विद्यालय करने का मैं सुझाव देता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को मेरी तरफ से और मेरी जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि मेरे क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत किया है लेकिन ऐसी पंचायत भी हैं जिनमें पहले से माध्यमिक स्कूल हैं लेकिन उनमें भी क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है क्योंकि पंचायत हैडक्वार्टर एक छोटा गांव है जो राजनीतिक कारणों से बनाया गया है, बड़े-बड़े गांव हमारे ऐसे हैं जो पंचायत हैडक्वार्टर के अलावा हैं उनमें भी क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र बौंली में पीलुखेड़ा, हनुता ऐसे गांव हैं जो पंचायत हैडक्वार्टर नहीं हैं, उनके माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत किये जायें।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उच्च शिक्षाविद् का परिचय देते हुए शिक्षा के सिलेबस में एन सी ई आर टी में राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का जो पहलू जोड़ा है उससे मैं मानता हूं कि राजस्थान का हर बच्चा अब यह जान पायेगा कि हमारे राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र सब-डिविजनल क्षेत्र है, तहसील हैडक्वार्टर है वहां पर एक कालेज की मैं मांग करता हूं। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं होती है इसलिए हर विद्यालय और प्राथमिक स्कूल में पानी के लिये कोई हैंडपम्प की व्यवस्था हो। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने की मांग करता हूं। बच्चों का बौद्धिक और व्यक्तित्व का विकास हो इसलिए खेलों की मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र में एक सुकार गांव है जो कि संस्कृत का बहुत बड़ा केन्द्र है वहां पर मैं कालेज की मांग करता हूं।

कला एवं संस्कृति पर मैं कहना चाहूंगा, जैसा मेरे जिले के आदरणीय सदस्य आजाद साहब ने बताया, मेरे जिले में एक बहुत बडी ऐतिहासिक धरोहर है, रणथम्भोर का दुर्ग और उस ऐतिहासिक धरोहर में एक ऐतिहासिक गणेश

(श्री नवल किशोर मीणा)

जी का मंदिर है जिसमें लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। उस किले की स्थिति जर्जर है। वहां पर लाखों पर्यटक आते हैं और उस किले में भी जाते हैं, इसलिए उस किले की मरम्मत करने की और उस मंदिर में जहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है, वहां ठहरने की व्यवस्था के लिये मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो।

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): अंत में सदन में पक्ष और विपक्ष को मैं यह कहना चाहता हूं कि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो आने वाला कल नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी तो बुद्धि का विकास नहीं होगा और बुद्धि का विकास नहीं होगा तो वह राज्य हमेशा के लिये पिछड़ा और अविकसित होगा। जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता सिंह।

सूचना

अवैध खनन में 7 व्यक्तियों की मृत्यु

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पाइंट आफ इंफोर्मेशन, सर। प्रतापगढ जिले में पारसोला गांव है वहां पर कोई अवैध खनन हो रहा था उसमें 7 आदमियों की तो मृत्यु हो चुकी है, 100 के करीब इंजर्ड हुए हैं, ऐसी खबर मिली है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, अनिता सिंह जी नहीं हैं इसलिए...

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) अनिता सिंह जी नहीं है, यह मेरे को मालूम नहीं है ना साहब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अनिता सिंह, अनिता सिंह नहीं चलेगा, सभापति महोदय यहां जिस माननीय सदस्य को बुलायेंगे उसी को बुलायेंगे ना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, उनके तुरन्त बाद मेरा नंबर है। इसलिए मैं खड़ी हुई हूं।

श्री सभापति: हां, अनिता जी भदेल बोलिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर अपने कुछ सुझाव और विचार व्यक्त करना चाहूंगी। किसी भी देश का भविष्य वहां का बालक होता है और यदि बालक की शिक्षा-दीक्षा ठीक प्रकार से हो जाये तो निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम बालका का विकास ठीक प्रकार से करें और उनको शिक्षा के समस्त अवसर उपलब्ध करायें। किसी भी समाज का स्तर आंकने के लिये भी जब हम उस समाज का स्तर आंकते हैं तो सबसे पहले इस बात की ओर देखते हैं कि उस समाज में शिक्षा का स्तर क्या है, उस समाज के कितने स्त्री-पुरुष शिक्षित हैं और किस स्तर तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हमारे राष्ट्र की धरोहर और हमारे राष्ट्र का आने वाला भविष्य बालक है तो हमारी प्रथम आवश्यकता बन जाती है कि हम उस बालक की शिक्षा-दीक्षा की अच्छी व्यवस्था करें। जितने भी माननीय सदस्य बोलें है उन सबके बोलने से यह बात तो सिद्ध हो गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में क्योंकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में ही बहुत अंतर है, फिर शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय और निजी क्षेत्र के विद्यालयों में भी बहुत अंतर है। इस अंतर का बहुत खूबी से माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया ने यहां विवरण किया है, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहती बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूं, एक सुझाव देना चाहती हूं कि शहरों में शिक्षकों के आने की होड़ लगी रहती है, जितने भी माननीय सदस्य चुन कर आते हैं चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, एक बहुत लम्बी लाइन उनके पास होती है कि आप हमारा किसी तरह से शहर में स्थानांतरण करा दीजिए और ना चाहते हुए भी, दबाव में या वोट की राजनीति के कारण उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर

(समय : 21.00 बजे)

होना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि स्थानान्तरण की कोई नीति बने। इसके साथ ही गांव में जो हमारा शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है उसके लिए अलग से हम कोई प्रोत्साहन राशि उसके लिए दें या ग्रामीण भत्ते के नाम से उसको कुछ अतिरिक्त दें तो वह शायद अपने लाभ के कारण से ही, स्वार्थ के कारण से ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देने जाएगा। जब वह इस सेवा में आता है तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

निश्चित रूप से पांच या दस साल का प्रतिबंध होना चाहिये कि दस साल की सर्विस आपकी गांव में ही होगी तभी आपको इस-इस तरह का प्रमोशन मिलेगा या शहर में स्थानांतरण होगा, जब हम गांव में इतने वर्ष की सेवा पूरी करके आएंगे तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और बालक के लिए शिक्षक की व्यवस्था हम कर सकते हैं। हम भवन बना सकते हैं हम उसमें स्टूल और चेयर लगा सकते हैं, हम पुस्तकें और बैग दे सकते हैं हम उसके लिए ब्लेकबोर्ड की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु उसमें अगर शिक्षक नहीं होगा तो उस शिक्षक के अभाव में उसको जो मूल आवश्यकता है वही हम नहीं दे पाएंगे। कई बार यह कहा जाता है कि शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए कक्षा कक्ष का वातावरण अच्छा होना चाहिए, स्कूल के आसपास अच्छा वातावरण होना चाहिये पर देखने में यह आया है कि इतनी सुविधा न होते हुए भी यदि अच्छा शिक्षक उसको मिल गया तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुधर जाएगा और उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें प्राप्त कर लेगा। इतना निवेदन करना चाहती हूं।

मैं इस बजट में कुछ घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी। इस बजट में घोषणा हुई है कि हम जो अनुदानित विद्यालय हैं, उन अनुदानित विद्यालयों में जो अनुदानित पद पर काम कर रहे हैं टीचर, उनको राजकीय सेवा में आने का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इस घोषणा के साथ ही बहुत सारे यक्ष प्रश्न हवा में तैरने लगे हैं और कुछ प्रश्न मेरे पास भी हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब आप अपना उत्तर दें तब इन प्रश्नों का जवाब भी दे दें तो जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो सकेगा।

पहला प्रश्न यह है कि विकल्प के अनुसार कितने समय में इन कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी जाएगी? आज घोषणा हुई है उस घोषणा की पूर्ति कितने वर्ष बाद होगी? पहली बात यह दूसरी बात, नियुक्ति के समय इनके वेतन निर्धारण एवं सेवा शर्तों का क्या होगा? जब ये एडेड पोस्ट पर नियुक्त हुए थे तो उनका जो वेतन निर्धारित हुआ था, जो सेवा शर्तें उन पर लागू हुई थीं, उनका क्या होगा? इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने से पूर्व का अनुदान दिया जाएगा या नहीं? अभी जो अनुदान उनका बकाया है उस अनुदान का क्या होगा? क्या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन संस्थाओं में कार्यरत वे

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर्मचारी जो उक्त विकल्प का लाभ नहीं लेना चाहते, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है? क्योंकि वह राजकीय सेवा में आने के लिए एक बार गांव में तो चले जायेंगे पर गांव से पुनः कोशिश करेंगे शहर में आने के लिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंरा दूसरा विषय ही उठाया है; 4-5 बिन्दु मेरे पास हैं, कृपा करके मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सीधे-सीधे बिन्दु पर आयें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सीधे-सीधे बिन्दु पर आ रही हूं।

श्री सभापति: भूमिका बहुत लम्बी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): भूमिका तो मैंने बनाई ही नहीं, मैंने सीधा ही बोला है। ये प्रश्न कोई भूमिका के प्रश्न नहीं हैं। ये प्रश्न हैं, सारे राजस्थान के अनुदानित कर्मचारियों के पास ये प्रश्न हैं, इन्हीं का उत्तर जानना चाह रहे हैं।

जो कर्मचारी ग्रामीण राजकीय सेवाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विकल्प देते हैं तो उनके बकाया वेतनमान, उपार्जित अवकाश एंड उपादान राशि के भुगतान की क्या व्यवस्था होगी? राजस्थान राज्य के तीन हजार महाविद्यालयों में कृषि संकाय में कार्यरत कर्मचारियों को इस विकल्प का लाभ देय है या नहीं? वर्तमान में राज्य सरकार से इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का लगभग 45 प्रतिशत ही अनुदान प्राप्त हो रहा है, अतः राज्य सरकार के नियमानुसार इन संस्थाओं को निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अनुदान जारी किया जाएगा या बकाया जो अनुदान है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ये जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के समाधान किस प्रकार से होंगे, कैसे हम उसका समाधान करेंगे?

इसके अतिरिक्त, इस बजट सत्र में यह बात कही गई है कि हम एन सी ई आर टी के पाठ्यक्रम को इसी सत्र से 2010-11 से लागू करेंगे और कक्षा 9 और 12 में इस सत्र से इनकी पाठ्यपुस्तकों की भी व्यवस्था करेंगे, पर मेरा प्रश्न यह है कि जब हम इसी सत्र से आरम्भ कर रहे हैं तो वे पाठ्यपुस्तकें

(श्रीमती अनिता भदेल)

जिनकी इन छात्रों को आवश्यकता है, वे पाठ्यपुस्तकें क्या सत्र के प्रारम्भ होते समय उनको उपलब्ध हो जाएगी ? उनकी कीमत क्या होगी? इसके अतिरिक्त, जब पाँच करोड़ पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता है, जो दिल्ली के प्रकाशक हैं, इन पुस्तकों के प्रकाशक थे, क्या वे इनकी जो मांग है उसकी पूर्ति कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि किताबों के अभाव में जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ने के लिए जब पूरा सत्र निकल जाएगा तो परीक्षा में किसी प्रकार से बैठेंगे ?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बिराजे। श्री पेमाराम जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुश्किल से मुझे 5-10 मिनिट हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य,बिराजे, बता देना, लिखकर दे देना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, थोड़ा सदन की भावनाओं को भी समझो आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): शिक्षा, कला और संस्कृति पर मेरे पाँच कट मोशंस, दो ही कट मोशन पर बोली हूं।

श्री सभापति: सारे विषय हैं, उस पर तो बहुत लंबा...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):इतना तो देंगे समय, कट मोशंस लगाये उन पर तो बोलने का अधिकार देंगे ना।

श्री सभापति: आ जाएंगे कट मोशंस के जवाब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह व्यवस्था होती है कि आपके कट मोशंस हैं उस पर आप बोलिए। मैं तो अपने कट मोशंस पर ही बोल रही हूं, या तो आप उठाकर देख लीजिए आज की कार्य-सूची।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि यदि हम शिक्षा का स्तर देखें तो शिक्षा के हमारे कितने प्रतिशत साक्षर है जब हम यह देखते हैं तो अलग अलग दृष्टि से, यदि हम धार्मिक दृष्टि से अलग-अलग समाजों की व्याख्या करते हैं या और दूसरी दृष्टि से

(श्रीमती अनिता भदेल)

व्याख्या करते हैं तो अनुसूचित, हिन्दू धर्म में अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित हैं या उनकी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है; जब हम छात्रवृति की दृष्टि से देखते हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए छात्रवृति दी जाती है, जब छात्रवृति की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे कम अल्पसंख्यकों की शिक्षा का स्तर देखें तो उनका अच्छा स्तर है और यदि कम्पेयर करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति में शिक्षा का स्तर कम है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों-बालिकाओं को भी शिक्षा मिले तो जो छात्रवृति आप दे रहे हैं अल्पसंख्यक के छात्रों को, उतनी ही छात्रवृति आप अनुसूचित जाति जनजाति के बालक बालिकाओं को देंगे तो निश्चित रूप से वे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशंस भी खतम कर रही हूं।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों के साथ न्याय तो करना है ना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): महिलाओं के साथ न्याय कर लो।

श्री सभापति: बिल्कुल, पूरा न्याय। अब आप समाप्त कर दें, इतना निवेदन है आपसे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं कट मोशंस पर ही बोल रही हूं; एक कट मोशंस, दूसरा कटमोशन खतम हुआ है, तीसरे कटमोशन पर ही बोल रही हूं। मैं आपसे इतना निवेदन कर रही हूं (व्यवधान) मैं अपने क्षेत्र की बातें जो प्रमुख-प्रमुख है वह तो बोल सकती हूं ना? अपने कट मोशंस पर तो बोल सकती हूं ना? नहीं बोल सकती आप इजाजत नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगी।

श्री सभापति: सुबह तीन बजे तक चला है सदन।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तीन बजे तक की बात नहीं है, मैं अपने कट मोशंस पर ही तो बोल रही हूं।

श्री सभापति: फिर आप बोलो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपने कट मोशंस पर ही बोल रही हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): I am on a point of order. कला संस्कृति के ऊपर इतनी गम्भीर चर्चा हो रही है और उसके मंत्री महोदय नजर नहीं आ रहे। कहां हैं? (व्यवधान) यूं क्या जिम्मेदारी होती है? हम जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और उसको सुनने वाले नहीं है। फिर कौन तो फालोअप करेगा, कौन उसके ऊपर नई नीति बनाएगा, कौन उसके ऊपर चिंता करेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): संस्कृति वाले में और कौन ज्ञान देगा?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमारे पास तो कला और संस्कृति है, हम देना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपसे ले लेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत):हम भी पात्र को देते हैं, कुपात्र को नहीं देते। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी। हमारे यहां पर पुस्तकालयाध्यक्ष की एक पोस्ट है जो भाषा और पुस्तकालय विभाग के अन्तर्गत आती है। पिछली सरकार में जब घनश्याम जी शिक्षा मंत्री थे तो बहुत बड़ी संख्या में पंचायत मुख्यालयों पर पुस्तकालयों की स्थापना हुई थी, पुस्तकालय बने थे और इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी हमारे समस्त प्रदेश में जितने प्रकार के आते हैं चाहे वे विद्यालय में पुस्तकालय संचालित हों, चाहे महाविद्यालय में संचालित हों, चाहे स्थानीय निकायों के अन्तर्गत या ग्रामीण पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत संचालित हों, मेरा इतना निवेदन है कि उन सबका एक संवर्ग बना लिया जाए और संवर्ग बनाकर उनके स्थानांतरण और जो भी तय करना है कैडर वह उसके अन्तर्गत किया जाय। पूरे राजस्थान भर का। तो जो अच्छे हमारे पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों में हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष की पूर्ति हम कर पाएंगे और अच्छे से उन पुस्तकालय के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे।

एक और, माननीय, अंत में इतना कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कल्याणीपुरा विद्यालय में भवन नहीं है, उसकी जमीन आरक्षित नहीं है लेकिन उसका भवन नहीं है। इतना निवेदन करूंगी कि इस बजट में उसके भवन निर्माण की आप घोषणा कर दें । धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष आज मांग संख्या 24 पर सवेरे से चर्चा कर रहा है। अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूं और अन्त में बोलते-बोलते जो बात हमें बोलनी चाहिए, वह बोल गये। क्या बोल गये? विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं हैं, ग्रामीण स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। जहां अध्यापक हैं वहां बच्चे नहीं हैं और जहां बच्चे हैं वहां भवन नहीं है। इसके लिये कोई जिम्मेदार, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी और विपक्ष के माननीय सदस्य भी शायद हम लोगों से मांग कर रहे थे, तीसरी ताकत से कि मेरे यहां भवन बनवा दो, मेरे यहां टीचर लगा दो। मेरी समझ में नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 1947 में जिन दीवानों ने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़कर के, भगतसिंह जैसे लोगों ने जिन आकांक्षाओं के साथ फांसी के फंदे चूमे थे कि शायद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बाद रोजगार मिलेगा, हर किसान के खेत को पानी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने शासन करने के बाद दो तरह की जिन्दगी बना दीं, एक नरक की जिन्दगी, एक स्वर्ग की जिन्दगी; उसी प्रकार से दो तरह की शिक्षा नीति बना दीं, एक अमीर का बेटा पढ़ेगा और एक गांव के गरीब का बेटा पढ़ेगा। उसके लिये कोई जिम्मेदार है तो दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति का ही परिणाम है, माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट स्कूलें, यह प्राइवेट स्कूलें अपनी मनमर्जी का सौदा नहीं हैं, सरकार की अनुमति लेकर स्कूलें खुलीं और एक फौज खड़ी हो गई, व्यवसायीकरण हो गया, दुकान हो गई। गरीब का बेटा वहां नहीं जा सकता। आज हमारे सीकर में मोदी इंस्टिट्यूट है। अभी बात चल रही थी, किसका बेटा जा रहा है; मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक तो उस स्कूल में पढ़ रहा है जहां सिंगल टीचर है, आठ तक की स्कूल है और एक वहां सहयोगी लगा हुआ है। हमारे लिये वे स्कूलें हैं और अमीरों के लिये हमारे सीकर में मोदी स्कूल है। उसको बनाने के लिये कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? इसलिये मैं, चूंकि समय कम है लेकिन तीसरे मोर्चे की बात है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैंने अपना पूरा समय आपको दिया।

श्री पेमाराम (धोद): भाटीजी का समय भी मेरे को मिल गया।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं, देकर के नियंत्रण में प्राइवेट स्कूलों को जनता की जेब पर डाका डालने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से सवेरे दूधिया घर-घर जाकर के दूध के लिये घंटी बजा करके पुकारता है, प्राइवेट स्कूल वालों की जीप गाड़ी हर घर में जाती है कि तेरे बच्चे को भेज दे। तीन साल के बच्चे को भी लाद-लाद कर के वहां ले जाते हैं। अभी सदन में चर्चा चल रही थी 5-7 दिन पहले, यह प्राइवेट स्कूलों का ही नतीजा है कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को, उनके गार्जन को कहते हैं कि भ्रमण के लिये जाना पड़ेगा, इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद एक्सीडेंट की दुखांतिका पूरे राजस्थान को देखनी पड़ती है। न भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रण किया, न कांग्रेस में बैठे ही नियंत्रण कर पाये।

सभापति महोदय, मैं समानीकरण के बारे में कहना चाहूंगा, समानीकरण के लिये न भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, इनकी भी हिम्मत नहीं हो पाई और मेरी चुनौती है कि कांग्रेस की भी समानीकरण करने की भी हिम्मत नहीं हो पायेगी, सिवाय भाषण के।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अपना नम्बर कब आयेगा?

श्री पेमाराम (धोद): अपना नम्बर आयेगा, तभी अपन करेंगे समानीकरण और तभी समान रूप से शिक्षा।

निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों को बैठकर के विचार करना चाहिए कि जो राजस्थान की मूल आवश्यकता है शिक्षा, उसके लिये कोई नीति बनाकर के, वाकई में कभी कांग्रेस आती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आती है; वह आते हैं, वह पाठ्यक्रम चेंज कर देते हैं, वह आते हैं, वह दूसरा पाठ्यक्रम चेंज कर देते हैं।

इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में अध्यापकों की कमी है, सरकार को चाहिए कि नई भर्ती करे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बाकी सभी जगह अध्यापकों की कमी की पूर्ति होगी। दूसरा जो समानीकरण है, वाकई में जहां 3 बच्चे और 13 टीचर और कुछ ऐसी स्थिति भी है, अध्यापकों की जहां मांग है। मैं, सभापति महोदय, मेरे इलाके का एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्कूल है पूरणपुरा, दो दिन से आज भी वहां ताला लगाकर पूरा गांव, 500 आदमी, मर्द,

(श्री पेमाराम)

सब वहां पर बैठे हैं और वहां इसलिये बैठे हैं कि उसमें पढ़ाने वाला जो मास्टर है, वह शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया। एक तीसरा मोर्चा बना दिया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर। उसको न तो भारतीय जनता पार्टी वाले हटा पाये, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम करता था और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर के। जब मैंने कलक्टर साहब से कहा तो ए.सी.ओ. वहां गया, हैडमास्टर को तो सस्पेंड कर दिया लेकिन उस मास्टर का बाल भी बांका कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिक्षा माफिया के रूप में वह 13 साल से वहां है। स्कूल में कभी जिन्दगी में गया नहीं, कभी हाजरी उसने की नहीं। दो हजार रुपये वाला मास्टर छोड़ रखा है, उसके भरोसे स्कूल चल रही है। शिक्षा का बंटाढार करने के लिये जिम्मेदार हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां हैं।

इसलिये मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों और यह तब तक नहीं हो सकता मेरी समझ में कि शिक्षा का जो खर्चा है राजस्थान की सरकार के बजट का दसवां हिस्सा हो। जब तक बजट का दसवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च नहीं होगा, तब तक स्कूलों में न भवन बनेगा, न अध्यापकों की कमी पूर्ति होगी, न नये विद्यालय खोले जाएंगे, न कोई दूसरी बात होगी। जहां अभी कालेजों की कह रहे थे, हमारे वहां पर सांगलिया में खींवादारजी बाबूजी, जिन्होंने झोली लेकर के प्राइवेट एक कालेज खोली, जो उस इलाके में, यह पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, जिस इलाके में उन्होंने शिक्षा के लिये, बच्चों के लिये एक कालेज खोला। यदि राजस्थान की सरकार के पास भी उस कालेज को कोई सहयोग करने के लिये कुछ हो तो निश्चित तौर पर कीजिएगा, वरना हमारे इलाके का बच्चा, तो वही हालत है।

इसलिये मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति में जो कमियां हैं, खामियां हैं, पक्ष और विपक्ष, आलोचना का सवाल नहीं, निश्चित तौर पर राजस्थान के बच्चों के भविष्य के बारे में बैठकर के सोचिये और जो कमियां हैं, उनको दुरुस्त कीजिए, समानीकरण कीजिए जिससे राजस्थान के आम-अवाम को शिक्षा मिल सके। यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से मांग संख्या 24 के ऊपर, शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर हो रही चर्चा में शामिल सभी वक्ताओं को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे

(श्री मदन प्रजापत)

सभी एक ही बात कर रहे थे कि शिक्षा में राजनीति न हो, शिक्षा में भेदभाव न हो लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दांत खाने के और बताने के और होते हैं। शायद राजनीति कौन कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस, मुझे मालूम नहीं पड़ा।

सर्वप्रथम मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी को याद करता हूं, उनकी भावना थी कि 21वीं सदी का भारत बने। उन्होंने कम्प्यूटर क्रान्ति के तहत जो आधुनिक शिक्षा के ऊपर बल दिया, आज उसका परिणाम है कि पूरे विश्व में भारत की साख है; आज अमेरिका भी डरता है कि बच्चों पढ़ो नहीं तो भारत आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। आने वाला समय स्वर्गीय राजीव गांधी को हमेशा-हमेशा याद करेगा कि उन्होंने कड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया।

माननीय सभापति महोदय, आज सर्वप्रथम जो हमारे शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि आज राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। उन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में माननीय मंत्री महोदय ने सैकंडरी स्कूल एक भी बाकी नहीं रखी, सबको क्रमोन्नत करके 100 प्रतिशत शिक्षा में जो बढ़ावा दिया है, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जो राजनीति और भेदभाव की बात कर रहे थे, माननीय वक्ता कह रहे थे लेकिन गत सरकार ने, पूर्व सरकार ने पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकंडरी स्कूल नहीं करके जहां दूसरे कम लड़के थे, वहां स्कूल करके आज हमारे 4 ग्राम पंचायत हैडक्वाटर्स बाकी हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि जो हैडक्वार्टर हैं लेकिन पंचायत में स्कूल हैं उन पंचायत हैडक्वार्टर पर भी सैकंडरी स्कूल खोली जायें। माननीय मंत्रीजी भी अभी विराजमान हैं, माननीय सभापति महोदय, स्कूल खोलना अलग बात है लेकिन एक मन से स्कूल खोलना और एक पूरे मन से स्कूल खोलना, मैं इस बात का माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार बनते ही, मंत्री बनते ही प्रथम वर्ष में सैकंडरी स्कूल खोलने का जो फैसला किया है, यह मामूली कदम नहीं है। उन्होंने जाते-जाते स्कूलें खोली हैं। इस बात में भी फर्क है।

अन्य माननीय वक्तागण जो कह रहे थे, 65 हजार की भर्ती की जो बात की, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, मुझे विश्वास है कि यह तो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह तो साल-डेढ़ साल हुआ है, 65 हजार क्या कई 65 हजार भर्तियां करेंगे आप। हमें पूरा-पूरा भरोसा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सुन रहे हैं मेरे को? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज जो एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, ओ.बी.सी. और खासकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो कदम उठाये हैं, यह जो इन्होंने क्रमशः पुरस्कार का जो कार्यक्रम, जो नीति अपनायी है, माननीय सभापति महोदय, इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, इससे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., गरीब तबके, अल्पसंख्यक तबके का मनोबल बढ़ेगा और इनकी शिक्षा के प्रति भावना जागेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है लेकिन मेरे एक साथी से मैं निवेदन करके कल आपके समय का समायोजन कर रहा हूं, क्षमा करना। साथ ही आज जो समानीकरण की भावना, आज सभी माननीय सदस्य जो कह रहे थे, सभी माननीय सदस्यों की जो भावना थी तो मुझे विश्वास है और मैं भी माननीय मंत्री महोदय की जो भावना है, काफी जो नीति बना रहे हैं, मैं समानीकरण की बात के पक्ष में हूं और स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो तकनीकी शिक्षा की बात है, इस मामले में मेरा सुझाव है कि आज बाड़मेर जिले के पश्चिमी सीमांत बालोतरा में आज जो आई.टी.आई बनी हुई है, बाड़मेर जिले में उस समय एक ही आई.टी.आई. थी, उस समय बोर्डर जिले की तहसीलों को प्राथमिकता देते हुए आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, उसके बाद बाड़मेर में भी आई.टी.आई. बन गयी और भी एक तहसील में है। तो मेरा निवेदन है और सुझाव भी है कि वह आरक्षण व्यवस्था खतम करके सामान्य प्रक्रिया की जाए ताकि बाकी तहसील वालों को लाभ मिल सके।

सर्व शिक्षा के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि शिक्षा के लिए जो अध्यापक होते हैं, आज वे एक ठेकेदार बनकर जो घूम रहे हैं। मेरा निवेदन और सुझाव है कि यह जो सर्व शिक्षा के निर्माण कार्य हैं, वे ग्राम पंचायत या पी.डब्ल्यू.डी. एजेंसी से करवाये जाएं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो और फ्री होने के बाद में शिक्षा में ज्यादा समय दे सकें।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय संस्कृत के शिक्षा मंत्रीजी भी विराजमान हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भी संस्कृत्त स्कूलों को सैकंडरी करने जा रहे हैं। आप जो प्रस्ताव ले रहे हैं, आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही कला और संस्कृति की जो बात है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज बाड़मेर सीमांत रेगिस्तान का इलाका है और खासकर वीर दुर्गादास की कर्म भूमि और राव मलीनाथजी का जो विश्वविख्यात तिलवाड़ा पशु मेला है, कनाना का जो गेर मेला है, आज पूरे विश्व में साफ है और खासकर के कला और गायक कलाकारों के बारे में जाए तो आज बाड़मेर जिला वह जिला है जिसने पूरे विश्व में, देश में राजस्थान की छाप छोड़ी है। उन कलाकारों के लिए, उस गेर नृत्य में भाग लेने वालों के लिए माननीय सभापति महोदय, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज वे कलाकार हैं जिनके बल के ऊपर अपने राजस्थान की मूल परम्परा, राजस्थान की मूल संस्कृति आज जीवित है। उन सभी कलाकार महोदयों को मैं सदन में बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आज जो सांस्कृतिक केन्द्र हैं, विशेषकर उन जिलों में जो कलाकार हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर पर्यटन कला केन्द्र खोले जायें, उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए ताकि कलाकारों का मनोबल बढ़े और वे परम्पराएं और अपनी संस्कृति जीवित रहे। अपन जानते हैं कि आज बाड़मेर जिले में राव मलीनाथजी के समय से शुरू हुआ तिलवाड़ा पशु मेला आज भी विश्वविख्यात है। उनके ऊपर जो भी मतलब, राजस्थान की मूल कला और संस्कृति है, वह देखने को मिलती है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो मेला समाप्त हुआ है, माननीय, उस पुरानी संस्कृति और कला के ऊपर भी बढ़ावा दें।

माननीय सभापति महोदय, आज पूर्व शिक्षा मंत्री सम्माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी भी विराजमान हैं, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी भावना थी कि शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा में राजस्थान अग्रसर हो, इस बात का मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन पूरा जो कंट्रोल पावर है, इनकी गलती नहीं, इनके हाथ में नहीं था, यह मजबूरी थी लेकिन इनकी भावना थी। इसलिए भावना के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, और भी एक-दो बात हैं। मैंने तो अभी शुरू किया है लेकिन चूंकि समय कम है और आज वे...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, विराजो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और कल अवकाश है इसलिए मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। माननीय, शिक्षा के बारे में और भी जो कोई बातें हैं, एक बात मैं कहते हुए ...(व्यवधान) पुनः मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: ठीक है। श्री कानसिंहजी कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा कला और संस्कृति के बारे में मैं मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना की जनसंख्या दो लाख के करीब है व मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैं कालेज की मांग करता हूं क्योंकि बालिकाओं को अभिभावक बाहर भेजने को तैयार नहीं हैं और छात्र भी आर्थिक परिस्थिति के कारण बाहर नहीं जा सकते। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक कालेज की स्थापना की जाए।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी, आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो पंचायत मुख्यावास हैं, उनके पंचायत क्षेत्र के अन्दर तो माध्यमिक विद्यालय हैं परन्तु मुख्यावास पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, सावरड़ा और लालाना। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के अन्दर आप माध्यमिक स्कूल खोलने की कृपा करें। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अध्यापकों की कमी है, सब्जेक्ट टीचर्स की कमी है। हमारे समदड़ी, सिवाना, मोकलसा, पादरू जैसे जो बड़े विद्यालय हैं वहां पर सब्जेक्ट टीचर्स की कमी है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे साथी विधायक, बालोतरा ने निवेदन किया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्दर भी गेर मेले लगते हैं। आजकल गेर मेलों के प्रति गांवों के अन्दर रुझान कम होता जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 4 ग्राम पंचायतें हैं जो मेले का

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

आयोजन करती हैं। आज हमारे उस मारवाड़ के अन्दर आंगी गेर है, जत्ता गेर है, डांडिया गेर है और स्त्रियों की जो लूर है, वे आज बंद होती जा रही हैं। मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की पंचायतें जो लोक कला को जीवंत रखने का प्रयास करती हैं, उन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह लोक कला और संस्कृति है वह जीवित रह सके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा पर्यटन मंत्रीजी से कि सिवाना के अन्दर हलदेसर स्थान आया हुआ है जो दुर्गादास की शरणस्थली रही है। ऐतिहासिक धरोहर है। उसका भी संरक्षण किया जाए। वहां पर मुग़ल बादशाह औरंगजेब के पौत्र और पौत्री को मुसलमान धर्म की शिक्षा दी और दुर्गादासजी ने 14 वर्ष तक उन छप्पन की पहाड़ियों के अन्दर और हलदेसर के अन्दर अपना जीवन गुजारा, वहां पर वे रहे। इसलिए इस प्रकार की जो ऐतिहासिक धरोहर है, सिवाना का किला है उसके पीछे भी भारी इतिहास है, मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो खंडहर होती जा रही है, उनके संरक्षण के लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुखारामजी मेड़ता।

श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर विचार प्रकट कर रहा हूं। मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता सिटी में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय, मिडल स्कूल में 17 पद रिक्त हैं, माध्यमिक विद्यालय में 14 पद रिक्त पड़े हैं। प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद भी आगामी वर्ष में भरने की व्यवस्था करावें। नम्बर दो, मेरे क्षेत्र में कई विद्यालय भवन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के हैं, इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इनकी तुरन्त प्रभाव से मरम्मत करवाई जावे अन्यथा कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। नम्बर तीन, मेरे मेड़ता क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करीब 20 के लगभग हैं, उन्हें माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवायें। अरनियाला, ग्वारझड़ी, मूंगदड़ा, बड़ायली, मेड़ास, देवरीया जाटान, जसबन्दाबाद, हिरकुरी, मेड़ता रोड, सिरसला, भूरासनी,

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

बीटन, लुणीयास, रामनगर, इदौकिया। नम्बर चार, अभी भी मेरे क्षेत्र के बहुत से स्कूलों में छात्रों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अतः शीघ्र व्यवस्था करावें। नम्बर पांच, मेरे क्षेत्र की आठवीं एवं दसवीं की स्कूलों में बिजली की व्यवस्था करावें ताकि बच्चों को लाभ हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के ऊपर मेरे विचार इस सदन में रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई राजस्थान में यह माने, शिक्षकों की तरफ इंगित करे कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। राजस्थान में शिक्षा जगत में अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया है तो इन सरकारी स्कूलों ने किया है। राजस्थान का शिक्षक यह कीर्तिमान स्थापित करने में, आज उसी शिक्षक की बदौलत हम इस सदन में हैं और जो गैलेरी में बैठे हैं, अगर कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.टी.एस. और आर.जे.एस. निकलते हैं तो केवल सरकारी स्कूलों से ही निकलने वाले बच्चे होते हैं। प्राइवेट में रट्टूमल हो सकते हैं मगर शिक्षा का सम्पूर्ण रूप से अगर विकास होता है तो सरकारी स्कूलों के मार्फत ही होता है।

मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में पंचायत हैडक्वार्टर की बोरनड़ी, सेहवाज, मुसालिया, गजनीपुरा के स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। साथ ही डुठारिया, पुनाड़िया और विगरजा को भी माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। प्राथमिक विद्यालयों को अनार्थिक बताकर के जो बंद करने के प्रयास किये जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूल कभी अनार्थिक नहीं हो सकतीं। इसलिये मेहरबानी करके किसी हालत में अनार्थिक बताकर उनको बंद नहीं करें।

मेरे क्षेत्र में वाणिज्य संकाय धनला उच्च माध्यमिक विद्यालय में खोलने की मांग करता हूं। साथ ही विज्ञान संकाय, एग्रीकल्चर देवली आऊवा में खोलने की मांग करता हूं।

आठवीं बोर्ड को जो बंद करने की चेष्टा की जा रही है, मेरा निवेदन है आठवीं के बोर्ड को भंग नहीं किया जाये। नहीं तो शिक्षा की गुणवत्ता में एक ऐसा स्टेप है यह आठवीं बोर्ड, जो विद्यार्थियों की गुणवत्ता की परीक्षा आठवीं

(श्री केसाराम चौधरी)

बोर्ड से होती है और उसके आगे दसवीं का बोर्ड रहता है, इसलिये ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिये।

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 74 ग्राम पंचायतें हैं और पूरा क्षेत्र 125 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। उस पूरे क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। इसलिये मैं मेरे क्षेत्र में एक महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोलने की मांग करता हूं। मारवाड़ जंक्शन में एक बार आई टी आई खुली थी मगर वह आई टी आई न मालूम किस कारण से बंद हो गई। उसे वापस खोलने की मांग करता हूं।

मेरे क्षेत्र में तीन स्कूलें भवनरहित स्कूल के रूप में चल रही हैं। पिंजारो का अरट कन्टालिया, अर्जुन सागर ग्राम पंचायत झुंझाड़ी और रायपुरिया की ढाणी, ये तीन स्कूलें बिलकुल ही भवनरहित हैं। इनके भवन बनाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि पाली जिले में सजन शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित सजन विधि महाविद्यालय की मान्यता 20 अक्टूबर, 2005 को बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा पत्र क्रमांक बी.सी.आई.डी. 1553/2005/एलईएमटीजी, 57 राज. द्वारा रद्द कर दी गई, फिर भी सजन शिक्षा समिति ने विगत तीन वर्षों में छात्रों को अंधकार में रखते हुए प्रवेश दे दिये और तीन वर्ष तक अध्यापन भी कराया परन्तु मान्यता रद्द होने के कारण विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त नहीं हो सकी। सजन शिक्षा समिति के निदेशक एवं प्रबन्धक कार्यकारिणी को मान्यता रद्द होने की जानकारी होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को अंधेरे में रखकर डिग्री से वंचित रखा तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सजन शिक्षा समिति के निदेशक एवं प्रबन्धक कार्यकारिणी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68 दिनांक 23 फरवरी, 2009 को थाना कोतवाली जिला पाली में गोविन्द प्रजापत पुत्र पुखराज प्रजापत व अन्य ने मिलकर दर्ज करवाई। उक्त प्रकरण की अतिशीघ्र जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये। संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी ने भी दिनांक 22 फरवरी, 2009 को आमरण अनशन पर बैठे विद्यार्थियों के धरना स्थल पर जाकर बातचीत भी की और इस पर शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था किन्तु आज दिन तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः सभापति महोदय ...(व्यवधान) अतः सभापति

(श्री केसाराम चौधरी)

महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि एलएल बी अन्तिम वर्ष कर चुके छात्रों को बार कांउलिंग आफ इंडिया से मान्यता दिलवाकर डिग्री प्रदान कराई जावे, विद्यार्थियों को उचित मुआवजा दिया जाये तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाये।

सभापति महोदय, मैं मेरे पाली जिले के संस्कृत विद्यालयों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पाली जिले में वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय एक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 36 और प्राथमिक विद्यालय एक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 38 विद्यालय हैं। उनमें पाली जिले में स्वीकृत अध्यापकों की कुल संख्या 193 है। पाली जिले में रिक्त पदों की संख्या 143 निकालते हैं तो 38 विद्यालय 50 अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कैसी संस्कृत शिक्षा देने की कल्पना की जा रही है? मैं अफसोस करता हूं इस बात का। इन्होंने अब कुछ विद्यार्थी मित्र लगाये हैं। उसके बावजूद भी पाली जिले में 113 कुल अध्यापक, विद्यार्थी मित्र और अध्यापक मिलाकर 113 हैं और 80 पद हाल भी रिक्त हैं संस्कृत विद्यालयों में। आठ स्कूलें आपने ऐसी बताई हैं, रायरा खुर्द उन्नत बासनी, शैलमाता मंदिर, मेघवालों की ढाणी, ग्राम बिजलियाबास, राइको की ढाणी, मामाजी की ओरण रानी और घाणेराव, इन आठ विद्यालयों में आपने शून्य अध्यापक बताये हैं। शून्य अध्यापकों के भरोसे ये संस्कृत विद्यालय किस तरह से चलते होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय बासनी, उसमें भी शून्य अध्यापक बताया है। वह उपाध्याय विद्यालय शून्य अध्यापकों की उपस्थिति में किस तरह से चलता है? इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में पाली में संस्कृत विद्यालयों की तरफ इस शिक्षा विभाग का कैसा ध्यान है और यह किस तरह से संस्कृत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मांग करता हूं कि संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति करके इन विद्यालयों को सुचारू करें वरना यह विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सर।

श्री सभापति: श्री रमेशजी मीणा।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

शिक्षा के क्षेत्र में हमको राजस्थान और विधान सभा क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो साक्षात् यह भी ध्यान आता है कि आज हमारे देश के लिए और राज्य के लिए जो आवश्यकता है उसको क्रमशः एक-एक कदम अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना भी जरूरी है। बुधवार का स्टेटमेंट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट मिनिस्टर का "India needs at least 800 more universities in addition to its current number of 480 to boost higher education." इसलिए हायर एजुकेशन के लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है और अभी भी मंत्रीजी और सरकार से निवेदन है कि इस समय राजस्थान में 12.4 प्रतिशत का अनुपात है हायर एजुकेशन का, हर सौ विद्यार्थियों में से हायर एजुकेशन के लिए 12.4 जाते हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग यही अनुपात है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात पूरे विश्व का, पिछड़े देशों को शामिल करके यह 23 प्रतिशत है, जबकि डवलप्ड कंट्रीज में 40 प्रतिशत और 53 प्रतिशत। इसलिए इस समय अपन विश्वविद्यालय अगर राजस्थान में खोलने का निर्णय करें विश्व के साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए तो आगे आने वाले कुछ सालों में, चार-पांच सालों में कम से कम सम्पूर्ण देश की दृष्टि से देखें तो 800 होता है लेकिन अपने राजस्थान के लिए कम से कम 180 विश्वविद्यालय चाहिए और...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक तो खुलवा लो इनसे।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): यही निवेदन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में हरेक तहसील पर जैसे कालेज का अभी निर्णय लिया है तो नादौती तहसील पर भी एक कालेज होना जरूरी है, ऐसा मेरा निवेदन है। टोडाभीम में है पहले से। इसलिए यदि माननीय मंत्रीजी कर सकें तो अच्छा है।

माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए जो 1974-75 से जो विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें चार विद्यालय हैं और उनको सैकंडरी से हायर सैकंडरी में क्रमोन्नत करना है, ऐसा मेरा निवेदन है। बालिका विद्यालय, अभी चार बालिका विद्यालय हैं सम्पूर्ण क्षेत्र में, जिनको सेकंडरी से हायर सैकंडरी में क्रमोन्नत करना बहुत आवश्यक है, जिनमें संख्या आठ हजार से ज्यादा है। फिर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय, इसके लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोड़ाभीम में विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च

(श्री रमेश चन्द मीणा)

माध्यमिक विद्यालय, नादौती, इसमें कामर्स। 68 पंचायतों में से आठ पंचायतें ऐसी हैं जिन ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। इसलिए उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों में 68 पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में 200 से अधिक रिक्त पदों को भरने का मेरा निवेदन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 150 से अधिक रिक्तियां हैं जिनको भरने का मेरा निवेदन है। माध्यमिक शिक्षा में कुल 68 रिक्तियां भरी जानी हैं। इसके कारण शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। तो पिछले दो साल से जो रिक्त हैं, इनको अगर आप भर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: चलो। सम-अप करो, माननीय सदस्य। संक्षिप्त करो।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): बस एक मिनट। इसके साथ-साथ में मध्य प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनायी। राजस्थान में भी ये जो दो अलग-अलग बेल्ट हैं, उदयपुर की तरफ और सवाईमाधोपुर, दौसा और करौली की तरफ, इसमें दो यूनिवर्सिटी तुरन्त प्रभाव से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेषकर करेंगे तो इन छात्रों और उच्च शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा और मदद मिलेगी।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल चन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं आज की इस मांग संख्या जो कि शिक्षा, कला और संस्कृति पर है, इसको समराइज करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा के मामले में दोनों पार्टियों का कार्यकाल लगभग 60 वर्ष है, 45 वर्ष तक कांग्रेस के बन्धुओं ने शासन किया, 15 वर्ष तक हमने किया। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सदन में जो कुछ बोला जाए वह तथ्यात्मक हो। जो रिपोर्ट है वह पुरानी है, नई नहीं बननी है। पन्द्रह साल में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सब जानते हैं, पन्द्रह साल, पच्चीस साल, इसमें ज्यादा अपने क्षेत्र के बारे में बात करो आप। ज्यादा भूमिका में मत जाओ आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं समराइज कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1990 से 2000 तक हमने लगातार शासन किया, उसके पहले आपने शासन किया। पूरे भारतवर्ष की जो ग्रोथ रेट है शिक्षा की, वह 15 परसेंट है और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है 1990 से 2000 तक का, उसमें शिक्षा की विकास दर 23 परसेंट है। यह मेरा डाक्यूमेंट नहीं, पेज नम्बर 93 पर प्राथमिक शिक्षा का जो डाक्यूमेंट जो अभी आपने, जो सरकार ने दिया है, उसका अन्तिम पृष्ठ है 93, उसको पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यह एक ही उदाहरण मैंने दिया है।

मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा में दो प्रकार के असंतुलन पैदा हुए हैं, एक तो महिला शिक्षा का असंतुलन है और उसमें ग्रामीण शिक्षा का असंतुलन और भी अधिक है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रीय असंतुलन में अभी भी 14 जिले ऐसे हैं जिनमें महिला शिक्षा की स्थिति 33 परसेंट से नीचे है जबकि हम पचास परसेंट आरक्षण की बात करते हैं। इस कारण से महिला शिक्षा की जो हालत खराब है शिक्षा की, 2010 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने यह कहा है, जो आल इंडिया की रिपोर्ट है, 85 परसेंट शिक्षा की, 89 परसेंट आल इंडिया की गयी है लेकिन राजस्थान की पूर्व शिक्षा 91 परसेंट चली गयी, हम उससे आगे चले गये हैं लेकिन महिला शिक्षा में हम अभी 17 परसेंट से नीचे हैं, 66 परसेंट पर हैं। इस कारण से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिले, महिला शिक्षा के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं लेकिन शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा आप विशेष पैकेज लें। आठ जिले ऐसे हैं जोधपुर डिविजन के जो महिला शिक्षा में राजस्थान में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इस कारण से विशेष पैकेज लेकर महिला शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए।

उसके लिए मैं सुझाव जरूर दूंगा। प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में मेरा निवेदन है कि जो भी विधायक हैं, जिन विधायकों के सरकारी कालेज नहीं हैं पूरे राजस्थान में, समान तरीके से अगले चार-पांच वर्ष में अगर सरकारी कालेज खोल दिया जाए तो यह जो शिक्षा का इम्बैलेंस है, एक तो यह ठीक हो सकता है। मेरी एक प्रार्थना है।

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि महिला शिक्षा को ठीक करने के लिए जैसे 1978 में माननीय भंवरलालजी शर्मा ने एक आदेश प्रसारित किया था कि तीन हजार की आबादी पर एक सैकण्डरी स्कूल होगा, इस कारण से अब इतने

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

वर्ष बाद में लगभग 33 वर्ष बाद मैं यह निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया कि तीन हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव में सैकंडरी स्कूल लड़कियों का हो और पांच हजार की आबादी पर सीनियर सैकंडरी लड़कियों का हो तो अगले पांच साल में मेरा दावा है कि हम भारत सरकार की जो रिपोर्ट में है, उससे आगे निकल सकते हैं। यह उदाहरण दे रहा हूं मैं। इस कारण से यह स्थिति अगर पैदा की जाती है और प्रत्येक पंचायत को हमने जो अभी सैकंडरी स्कूल किया है, धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह भंवर लाल जी के हाथ से हुआ लेकिन उसके पहले भी प्रयास हुए हैं, एक बार गुलाब चन्दजी ने सभी पंचायतों में मिडल स्कूलें खोली थीं, 21 हजार तो घनश्यामजी ने खोलीं और 1900 आप खोल रहे हैं, यह मैं दोनों को सम्मिलित धन्यवाद दे रहा हूं, सदन में मौजूद हैं। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक पंचायत में अगले पांच वर्षों में हम सीनियर हायर सैकंडरी खोलेंगे तो महिला शिक्षा में जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकतीं, सब जगह सड़कें नहीं हैं, सब जगह साधन नहीं हैं इसलिए जब प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर होगा या बड़े गांवों में होगा तो लड़कियों की शिक्षा अपने आप आगे बढ़ जायेगी।

दूसरा, इसमें जो ढांचा है शिक्षा का उसमें भवन तो हमें मिल जायेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी भवन के पैसे मिल जायेंगे लेकिन भूमि नहीं मिलेगी। इस कारण से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है गांवों का मास्टर प्लान बनाने के लिए, उसमें महिला शिक्षा के लिए और पुरुष शिक्षा के लिए या सह शिक्षा के लिए अभी जो जमीन उपलब्ध है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चार मंत्री आगे बात कर रहे हैं, यह उन्हीं के लिए आवश्यक है क्योंकि ये मंत्रिमण्डल में बैठेंगे, इस कारण से मैं चाहता हूं कि मास्टर प्लान बने तो गांव के मास्टर प्लान में भूमि रिजर्व रखी जाए, बाद में 20 साल बाद भूमि नहीं मिलेगी।

एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, गांवों में अगर गरीब और किसान के बेटों को शिक्षा देना चाहते हो, एस.सी.-एस.टी. के बालकों को शिक्षा देना चाहते हो सरकारी क्षेत्र में तो एक निवेदन करना चाहता हूं। पांचवीं की स्कूल में दो अध्यापक होते हैं और कक्षाएं कम से कम पांच होती हैं, छह भी हो सकती हैं, सात भी हो सकती हैं लेकिन सामान्य तपा पांच होती हैं; जब वह मिडल स्कूल बनता है तो कक्षाएं केवल तीन बढ़ती हैं लेकिन अध्यापक छह बढ़ते हैं। इस कारण से यह कौनसा न्याय है? हम गांव के बच्चों को अगर प्राथमिक शिक्षा

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

अच्छी देंगे, पांच कक्षाओं में पांच अध्यापक रखेंगे तो मिडल स्कूल जब बनेगी तो आपको तीन ही अध्यापक बढ़ाने पड़ेंगे, अभी पांच बढ़ाने पड़ते हैं। इस कारण से मेरी प्रार्थना है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे विशेष तौर पर सभापति महोदय के माध्यम से कि आप कम से कम आठ प्लस एक, पहले भी किया है जब यहां सदन में शिक्षा मंत्री थे माननीय गुलाबजी, उन्होंने 1994-95 में 700 करोड़ का एक साथ बजट दिया था, उसमें एक घोषणा की थी, आठ प्लस एक मिडल में होगा, और उन्होंने किया भी था। आज एक लाख 15 हजार पद रिक्त हैं, उस समय मिडल स्कूल में सारे पद भर दिये गये थे। मैं आपके लिए एक रास्ता बता रहा हूं कि आप मुख्य मंत्रीजी से कहिये कि मुझे एक साथ बजट दो, जैसे माननीय भैरोंसिंहजी ने दिया था।

दूसरा विषय जो उच्च शिक्षा के बारे में है, उच्च शिक्षा के बारे में मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे विश्वविद्यालय बने हुए हैं उनमें असमानता है। मैं समराइज कर रहा हूं, उच्च शिक्षा के साथ भी, उसमें मैं समराइज में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अभी एक तरह से जो सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय हैं, जोधपुर है, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, जयपुर में 561 कालेज हैं, अजमेर में 181 कालेज हैं, बीकानेर में 172 कालेज हैं लेकिन कोटा में 75 हैं और जोधपुर में 21 कालेज हैं। मैं चाहता हूं कि जो घोषणा हुई है 20 लाख रुपये देकर जो तीन हैं ओ.एस.डी., एक भरतपुर में बैठता है, एक अलवर में बैठता है, एक सीकर में बैठता है, अगर पुनर्गठन किया जाए तो भरतपुर में 82 कालेज हो जायेंगे, अलवर में 177 कालेज हो जायेंगे और सीकर में भी 185 कालेज हो जायेंगे तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो भार 561 कालेज का है वह 298 रह जायेगा। इस कारण से मैं प्रार्थना करता हूं कि पुनर्गठन को पूरा सदन स्वीकार करे। अगर झुंझुनूं, सीकर में विश्वविद्यालय खुलता है तो हमारे शान की बात है क्योंकि आल इंडिया पर जो 77 हजार पर एक कालेज है उसके स्थान पर 23 हजार और 30 हजार पर सीकर के और झुंझुनूं कालेज उस औसत को ले आये हैं। हमारा जो राष्ट्रीय औसत है, मैं माननीय घनश्यामजी को धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय औसत 77 हजार है और घनश्यामजी ने इतने कालेज खोले, ऐसी नीति बनायी कि 54 हजार पर, पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे बढ़िया अगर औसत है तो हमारा है, 54 हजार पर एक कालेज है और आल इंडिया पर 77 हजार पर है। इस कारण से यह भी ठीक हो जायेगा।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

इसके साथ-साथ एक मेरे क्षेत्र का विषय है जो मैं अंत में निवेदन कर रहा हूं। हमारे राजस्थान में दो कालेज ऐसे हैं जिनमें कृषि संकाय है और दोनों कालेजेज में अलग-अलग बिल्डिंगें हैं, अलग-अलग उनके फार्म हाउस हैं, चिमनपुरा में भी और सवाईमाधोपुर में भी लेकिन आई.सी.ए.आर. का अनुदान इसलिए नहीं मिलता कि सेपरेट कालेज नहीं है। आपको केवल एक पद प्रिंसिपल का देना है, उसके बाद सारा काम वहां मौजूद है। इस कारण यह दोनों कालेजेज पी.जी. भी हो सकते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने खूब विश्वविद्यालय खोले लेकिन एग्रीकल्चर का सरकारी क्षेत्र का एक भी कालेज पी.जी. नहीं है, वह भी हो जायेगा क्योंकि वह शर्त है आई.सी.ए.आर. की।

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। 1963 में जब दो प्राण हो गये थे इंडिया के उस समय एक अंग्रेज आया था, उसने सर्वे किया और एक बात कही थी; माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह आपके लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण है और हम सबके लिए महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, सौ फूल भी उस धरती पर उगाये जा सकते हैं जहां एक फूल भी बिना उचित देखभाल के कारण से मुरझा जाता है। यह व्यवस्था कर दीजिए, शिक्षा अपने आप ठीक हो जायेगी।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवरलालजी मेघवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कोई व्यवस्था का नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है मेरा व्यवस्था का प्रश्न। (व्यवधान) नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं, नहीं।

व्यवस्था का प्रश्न

एक अनुदान-मांग का जवाब दो मंत्री नहीं दे सकते

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्लीज, बी सीरियस।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, यह मांग संख्या 24 एक ही हैड है और यह 6 मंत्रियों के पास है। पिछली बार मैं शिक्षा मंत्री था और माननीय वासुदेवजी देवनानी शिक्षा राज्य मंत्री थे और टेक्नीकल एजुकेशन हमारी देखते थे। जब टेक्नीकल एजुकेशन का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो तत्काल में विपक्ष में श्री सी.पी. जोशीजी थे, उन्होंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जब एक ही डिमांड है और एक मंत्री है उसका, तो दो मंत्री उसका जवाब नहीं दे सकते। उसके बाद में माननीय सुमित्रा सिंहजी ने यह व्यवस्था दी कि देवनानीजी जवाब नहीं दे सकते और इसके कारण से मुझे जवाब देना पड़ा अकेले को ही।

इसलिए अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यह जो माननीय छह मंत्री हैं वे गायब थे सुबह से, +++। इनको जब यहां पर बातचीत चल रही थी ...(व्यवधान) सुन लो, सुन लो आप पहले। कला, संस्कृति मंत्रीजी कहां +++, किसी को पता नहीं, नहीं थीं यहां पर। संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी संस्कृतमय हो रहे थे और उच्च शिक्षा मंत्रीजी ऊंचे काम में लगे हुए हैं निपटाने में, यहां नहीं हैं और माननीय मालवीय जी अस्वस्थ हैं, उनकी जगह अपने वे बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय भंवरलालजी, जो सुबह से लेकर शाम तक यहां बैठे हुए हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं, उन एक से ही जवाब दिला दें ताकि हमारे आसन ने जो व्यवस्था की वह भी पूरी हो और सरकार का जवाब भी आ जाए।

श्री सभापति: श्री भंवरलालजी मेघवाल।

मांग संख्या 24 पर विचार

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने जो बात कही वह बात तो सही है लेकिन आपके तो स्टेट मिनिस्टर थे, हमारे सब बराबर के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। विशेष बात यह है, बाकी जवाब तो मैं दे ही रहा हूं न। वह थोड़ी है जवाब तो देने के लिए तैयार हैं लेकिन वे आपके स्टेट मिनिस्टर थे, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में माननीय सदस्यों ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर लगातार शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत ही अमूल्य सुझाव सदन में रखे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के सुझाव बहुत ही व्यावहारिक थे और जो सुझाव आये हैं उन सब सुझावों को मैं अमलीजामा पहनाने की चेष्टा करूंगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब तक कुल माननीय 38 सदस्यों ने आज चर्चा में भाग लिया और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के लिए और राजस्थान में शिक्षा का ढांचा कैसे ठीक हो, इसके लिए अपने विचार सदन में रखे। साथ-साथ में 245 कट-मोशंस माननीय सदस्यों ने विभाग में पेश किये हैं। जो कट-मोशंस पेश किये हैं उनका जवाब मैं सात दिन के अन्दर-अन्दर उनके पास पहुंचा दूंगा। सात दिन, दो दिन की छुट्टी है।

माननीय सभापति महोदय, यहां बहुत बात की गयी कि टीचर्स कम हैं, रिक्तियां हैं, बात सही है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 84,970 राजकीय विद्यालय हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सैकंडरी और सीनियर सेकंडरी। उसमें प्रारम्भिक शिक्षा के अन्दर 83,93,600 बालक आज की तारीख में अध्ययनरत हैं और माध्यमिक शिक्षा में 12,44,000 छात्र अध्ययनरत हैं। एक

(समय : 22.00 बजे)

अध्यापक, प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक 2,06,246 और माध्यमिक शिक्षा में 63,515 आज की तारीख में शिक्षक कार्यरत हैं। मैं ये आंकड़े इसलिए पेश करना चाह रहा हूं कि आज माध्यमिक शिक्षा में 20 बच्चों के ऊपर, 20 छात्र-छात्राओं के ऊपर एक अध्यापक है, आप इसका भाग दे लें और प्राथमिक शिक्षा के अन्दर 41 छात्र-छात्राओं के ऊपर एक अध्यापक है। इसलिए जब मैंने पिछली बार यहां पर सदन के अन्दर समानीकरण की बात कही और अबकी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज से दो-तीन दिन पहले प्रश्नकाल के अन्दर जोर देकर के कहा कि राजस्थान के शिक्षा के ढांचे को अगर ठीक करना है तो हमें समानीकरण करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मैंने आंकड़े पेश किये हैं ताकि हमारे सभी सदस्यों को इस बात का पता लग जाए। क्योंकि मेरे को, जब भी मिलता हूं तो या तो समानीकरण की बात करते हैं या मुझे ही समानीकरण कहने लग गये। हमारे होम मिनिस्टर साहब तो रोज ही समानीकरण कहते हैं मुझे। वह कहते हैं, ''समानीकरण कब होगा? आओ, समानीकरण जी।'' तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये आंकड़े इस पूरे सदन के सम्मुख पेश करना बहुत जरूरी है।

समानीकरण के अन्दर आज जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर हमारे स्कूलों का ढांचा है, इसमें कम से कम एक हजार के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जो पेपर विद्यालय हैं और कम से कम पन्द्रह सौ से दो हजार ऐसे विद्यालय हैं जिनके अन्दर जो नार्म्स होता है छात्र-छात्राओं का कि डेजर्ट के अन्दर 25 होने

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में 25 बच्चों पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है और दूसरे जो जिले हैं उनमें 40 बच्चों के ऊपर एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि आज राजस्थान के अन्दर करीब-करीब 1000-1500 ऐसे विद्यालय हैं जिनके अन्दर पेपर विद्यालय तो अलग चीज है, जीरो से लेकर 10-15-20 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान की मैंने जब समानीकरण करने की चेष्टा की और पूरे राजस्थान के अधिकारियों से जब मैंने यह मंगाया कि आप समानीकरण करके लाइये, इतने में पंचायत चुनाव आ गये। चूंकि पंचायत चुनाव आ गये इसमें सात दिन ही बीच में मिले। पंचायत और नगरपालिका चुनाव के बीच 7-8-10 दिन ही मिले। इतने में नगरपालिका चुनाव आ गये। पंचायत चुनाव और नगरपालिका के चुनाव की वजह से हम समानीकरण नहीं कर पाये। अब हमारे सामने मुश्किल इस बात की आ गयी कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षा आ गयी।

अब मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा, कइयों ने कहा कि आप कर नहीं पाएंगे। पेमारामजी तो इस तरह से कह गये कि बी जे पी और कांग्रेस कोई नहीं कर पाये, यह तो तीसरा मोर्चा ही करेगा। न तीसरा मोर्चा आने वाला है आपका, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। यह तो समानीकरण कांग्रेस की सरकार ही करके छोड़ेगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस की सरकार भी नहीं कर पाएगी, यह तो केवल मास्टर भंवरलाल ही कर पाएगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह भी बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे सामने प्राब्लम यह आ गयी, घनश्याम जी, आप तो उस समय शिक्षा मंत्री नहीं थे लेकिन आपकी सरकार के जाने के साल भर पहले जिस प्रकार से अनट्रेंड मतलब बी एस टी सी, बी एड या एम एड बच्चे नहीं थे और यहां से आदेश फरमान हो गया कि विद्यार्थी मित्र लगाये जाएं। तकलीफ इस बात की है कि आज हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है विद्यार्थी मित्रों का। डबल बेंच में गये, हमें अब उसकी कुछ रिलीफ मिली है। ऐसे-ऐसे विद्यार्थी मित्र लगाये गये जो अनट्रेंड हैं। पहले भी हमारा शिक्षा का ढांचा बिगड़ा हुआ था, आपके जाने के बाद, मैं कहना चाहूंगा, आपने न तो ट्रांसफर किये और न आपने विद्यार्थी मित्र लगाये लेकिन विद्यार्थी मित्र प्रधान के कहने से लग गये, सरपंच के कहने से लग गये, जिसके जो मन में आया वह लग गया। आज प्राइमरी स्कूल के अन्दर बीस हजार से ऊपर विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

माध्यमिक शिक्षा में तो कम हैं जहां ज्यादा होने चाहिए और वहां लग गये जहां आवश्यकता ही नहीं थी। पहले ही हमारे पास टीचर उस गांव में बहुत विद्यार्थी मित्र लगे बैठे हैं। उसी गांव का लड़का है, कोई सरपंच का बेटा है, कोई प्रधान का बेटा है, कोई का रिश्तेदार है, उन्होंने लगा लिया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): घनश्यामजी की चलती नहीं थी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): नहीं, घनश्यामजी के पास उस समय डिपार्टमेंट नहीं था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले जब शिक्षा मंत्रालय था तो इनका समानीकरण तो वसुन्धराजी ने कर दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाएगा। न तो इन्हें मास्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी और न ट्रांसफर में पचना पड़ेगा, समानीकरण कर दो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं बिल्कुल इसी पर आ रहा हूं। इसीलिए मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से विस्तृत चर्चा की और विस्तृत चर्चा करने के बाद मैंने यह कहा कि अबकी बार इस साल ट्रांसफर नहीं किये जाएं और यह सारा का सारा या तो प्रमोशन या समानीकरण। तो समानीकरण की बात आयी तो अलवर, सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, इनके अन्दर से थर्ड ग्रेड के टीचर हजार हजार, दो दो हजार बाहर जाने लग गये, सैकंड ग्रेड के टीचर बाहर जाने लग गये, और तो और लेक्चरर भी बाहर जाने लग गये। इसलिए मैंने पदोन्नति का काम चालू किया और पदोन्नति का काम चालू किया तो मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के इतिहास में आज तक 24,537 एक साथ प्रमोशन करना अपने आप में रिकार्ड है। अब करेक्ट तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि इन चौबीस हजार में से गांवों में कितने गये लेकिन शहर में मैंने एक भी प्रमोटी को नहीं लगाया। जो भी प्रमोटी, वहां वे सारे के सारे गांवों के स्कूलों में गये। गांवों के स्कूलों में गये तो निश्चित तौर से गांवों के अन्दर जो प्रिंसिपल भरने थे, प्रिंसिपल की पोस्ट सारी खाली पड़ी थीं, मात्र दस परसेंट प्रिंसिपल थे। हैडमास्टर 3,118 स्कूलों में तो थे ही नहीं, जो शेष पुरानी स्कूलें थीं उनमें भी हैडमास्टर नहीं थे।

इसलिए कुल मिलाकर के आज की तारीख में राजस्थान में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी का पद खाली नहीं है। सारे 91 पद जिला शिक्षा अधिकारी के भर दिये। वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के 433 प्रमोशन

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

करके वे भर दिये। प्रधानाचार्य, 1,384 प्रधानाचार्यों का प्रमोशन किया गया, प्रिंसिपल लगाये। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक सेकंडरी स्कूल, 2,314 प्रमोट करके लगाये गये, व्याख्याता 1,786 लगाये गये और वरिष्ठ अध्यापक 18,542 जिसमें मिडल स्कूल में एच एम गये। सैकंडरी स्कूल में जहां पिछली बार ताले लगे थे, जब पिछली बार मैं शिक्षा मंत्री बना, गांव-गांव के अन्दर ताले लगे हुए थे, अबकी बार गांवों में गये तो मुझे कहते हुए खुशी है कि न तो एक भी जगह ताले लगे मिले, क्योंकि किसी भी स्कूल में एक-दो तो निश्चित रूप से वरिष्ठ अध्यापक गये। जब हैडमास्टर, घर का मालिक जब घर में मौजूद होता है तो उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य सब लाइन पर चलते हैं। प्रिंसिपल चला गया, पढ़ाई ठीक होने लग गयी; सेकंडरी का हैडमास्टर चला गया, पढ़ाई ठीक होने लग गयी; मिडल का हैड मास्टर चला गया, पढ़ाई ठीक होने लगी; जिला शिक्षा अधिकारी का पद भर गया, पढ़ाई ठीक होने लगी।

मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि आज राजस्थान के अन्दर एडिशनल डायरेक्टर दो, जोइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इन पर प्रमोशन करने के लिए उनकी पात्रता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए तीन साल का एक्सपीरियंस, सारे रिटायर हो गये।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1980 के बाद में किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आर पी एस सी के अन्दर शारीरिक शिक्षक हों, अंग्रेजी के शिक्षक हों, हिन्दी के शिक्षक हों, यानि करीब नौ हजार के आसपास तो डी पी सी के जरिए हमने कन्फर्म डी पी सी के भरे हैं और यह पातेय वेतन वाले हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि यह 2009-10 तक के जितने भी डी पी सी से हो सकते हैं उन सबको हम डी पी सी से करके कंफर्म करेंगे। यह मैं आपको कहना चाहूंगा और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। क्योंकि अभी बीच के अन्दर परीक्षा आ गयी, आने वाली 1 मई से पहले-पहले राजस्थान की एक भी सीनियर सैकंडरी स्कूल नहीं होगी जिसमें प्रिंसिपल नहीं जाएगा। जब तक सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी में प्रिंसिपल, हैडमास्टर नहीं जायेंगे तब तक हमारी शिक्षा का ढांचा मुझे सुधरता नहीं दिखता। इसलिये इसको भी 1 मई तक प्रमोशन करके मैं निश्चित रूप से प्रिंसिपल और एच एम को भिजवा दूंगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चूंकि आप जानते हैं, सदन को मालूम है कि पुराने समय के अन्दर अनुदानित स्कूलें हुआ करती थीं, सरकारी स्कूलें हुआ करती थी या राज्य सरकार अनुदान देती थी चाहे वे प्राइमरी हों, मिडल हों, सैकंडरी हों, चाहे सीनियर सैकंडरी हों, चाहे कालेज हों। आज बहुत से कालेज भी हैं। राजस्थान के अन्दर हमारी जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, जगह-जगह हड़ताल चल रही थी। जोधपुर में हड़ताल चल रही थी, मेरे वहां हड़ताल चल रही थी, सीकर में हड़ताल, जगह-जगह हड़ताल क्योंकि समय पर उनका जो मैचिंग ग्रांट होता है वह पैसा नहीं दिया जा रहा था। राजस्थान के अन्दर, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगे होकर उन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को, जो भी कार्यरत हैं और जो अनुदानित शिक्षक और कर्मी हैं, उनमें करीब 8 हजार के आसपास तो शिक्षक हैं और हजार के पास दूसरे एल डी सी हैं, यू डी सी, वगैरह-वगैरह हैं, इन 9 हजार कर्मियों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में यहां पर कहा है इसके लिये कमेटी का गठन किया जायेगा, कमेटी गठन करके इसकी रिपोर्ट देगी और उसके बाद में इसका एक अलग कैडर बनेगा। अलग कैडर बनने के बाद इनके कैडर में यह तय है कि यह जो अपनी रिक्वेस्ट करेंगे उसमें ग्रामीण सेवा के अन्दर जायेंगे और इनका कैडर भी करीब-करीब अलग होगा। जो ग्रामीण सेवा में जाना चाहेंगे, अलग कैडर में जाना चाहेंगे, उनको सरकार वही सैलेरी देगी, उसका मैचिंग ग्रांट मिलाकर सैलेरी देगी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्राय:-प्राय: 90 परसेंट यह चले जायेंगे, यह भी मैं कहना चाहूंगा।

शिक्षा का अधिकार....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चले जायेंगे और अनुदानित संस्थाएं बंद हो जायेंगी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): नहीं, वह संस्थाएं बंद नहीं होंगी, घनश्याम जी। उप नेता महोदय, मेरे पास राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं के लोग आये। आप तो सीकर से आये हैं, नेछवा के अभी सांवरमल जी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): टीचर्स तो राज़ी हैं, टीचर्स तो चले जायेंगे। टीचर्स तो चले जायेंगे, जो अपन अनुदान देते हैं वह अनुदान की बजाय टीचर्स को अपनी स्कूल में लगा देंगे, उनका लाभ हो जायेगा लेकिन वह स्कूलें जो हैं जिनको अनुदान मिलता था उनका अनुदान बंद हो जायेगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): नहीं, ऐसा है, उप नेता महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 90 परसेंट से ऊपर ऐसी स्कूलें होंगी। मेरे पास प्राय:-प्राय: राजस्थान के इन शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारी आये, उन्होंने कहा, आप इनको ले लीजिये, हम मैचिंग ग्रांट नहीं दे सकते, हम फीस बढ़ा नहीं सकते। सबसे मोटी बात उनकी यह थी कि अनुदानित शिक्षण संस्था फीस नहीं बढ़ा सकती। उनकी फिक्स फीस थी सरकारी, उसके ज्यादा वे नहीं बढ़ाते हैं। अब ज्योंहि ये टीचर विदड्रा होंगे तो एकदम मान्यता प्राप्त स्कूल रह जायेंगे। अनुदानित स्कूल बंद हो जायेंगे और वे मुताबिक फीस लेकर, अपने टीचर लगाकर स्कूल चालू रखेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। वे प्राइवेट स्कूल हो जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह प्राइवेट स्कूल हो जायेंगे। सरकार की करोड़ों की दी हुई जमीन और बिल्डिंग, सबके वहां ट्रस्टी मालिक बन जायेंगे और पैसा कमायेंगे आराम से बिना स्कूल। मैं पढ़ा, राजेन्द्रजी पारीक पढ़े, जैन स्कूलों में पढ़ें। जिन स्कूलों में पढ़े..

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी पढ़ा हुआ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी पढ़े हो। वे सारे स्कूल अब सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल कर सारी सम्पत्तियों के मालिक वे बन जायेंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं उप नेता महोदय से कहना..(व्यवधान) आप बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जितनी भी अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं के लिए हमारी कमेटी जो बनेगी और सरकार की तरफ से जमीन दी हुई है तो उसके अन्दर निश्चित तौर से कहीं न कहीं शर्त उसमें डाली जायेगी तब जाकर के मामला आयेगा। ऐसी बात नहीं है। एक कमेटी गठित की जायेगी। कमेटी की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की है, वह इसमें होगा।

शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009, भारत सरकार ने आपको मालूम है कि पास किया, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 । इसके अन्दर माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने बहुत कुछ सुझाव,

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

अपनी पुस्तक ले रखी थी उन्होंने, पुस्तक में एक्ट की जो धाराएं हैं, उन 5-7 धाराओं के बारे में अच्छी बातें बतायीं। मैं और पांच-सात धाराओं का उसमें उल्लेख करना चाहूंगा। वैसे तो इस अधिनियम में 38 धाराएं हैं लेकिन 3 वर्ष के भीतर वांछित स्कूल खोलना, यह सरकार के लिये पाबंदी है। एक साल, छह महीने, तीन महीने नहीं, तीन साल के अन्दर राजस्थान की सरकार हो, चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार देश के अन्दर हो, तीन साल के अन्दर-अन्दर उनको 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल खोलनी है, 3 किलोमीटर में मिडल स्कूल खोलनी है, 7 किलोमीटर में सैकंडरी स्कूल खोलनी है और आगे 10 या 15 किलोमीटर में सीनियर सैकंडरी खोलनी है अगर बच्चे मिलते हों तो। अब उनका 65 और 25, ऐसा नहीं है, 75 और 25, 65 और 35 के बजाय 75 व 25, अब यह तीन साल के लिये तो है ही है; यह कोई जरूरी नहीं कि आगे नहीं बढ़े, बढ़ेगा।

दूसरा, इनकी धाराओं के अन्दर शालाओं में मान्यता अनिवार्य है। आपने कहा ना मान्यता, अब वर्तमान में क्या है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल किसी भी गली में खोल लें, मान्यता नहीं है। चाहे जैसे ही पैसा ले लो, चाहे जैसा ही कर लो चाहे उसमें कमरे हों या नहीं हों, किसी तरीके से। इसलिये अब मान्यता, पहले मान्यता नहीं थी 5वीं तक। हमारे समय में नहीं थी, आपके समय में नहीं थी। हमारे समय में हमने चालू किया, आपने भी कंटीन्यू रखा। गली-गली के अन्दर स्कूलें खुली रहीं लेकिन अब मान्यता उनको लेनी पड़ेगी।

प्रवेश के समय फीस वाली बात। न फीस ले सकते, न टैस्ट ले सकते, न डेट आफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट ले सकते। उसके मां-बाप आकर जो जन्म तिथि लिखायेंगे वह लिखनी पड़ेगी। यह राइट-टू-एजुकेशन बिल के अन्दर यह लिखा है। वैसे तो यह बहुत कड़ा काम है, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर पायेंगे लेकिन इच्छाशक्ति होगी तो निश्चित तौर से यह इम्प्लीमेंट हो जायेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

किसी को पहली क्लास से लेकर फेल नहीं किया जायेगा। पहली में, न आठवीं में, न नवीं में, दसवीं तो अभी तक है। आठवीं वाला मैटर जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक्ट में दिया है, इसके बारे में मेरी अलग धारणा है आठवीं बोर्ड के लिये लेकिन इसके बावजूद राइट-टू-एजुकेशन बिल जब आ गया तो मुझे भी उसके साथ बंधना पड़ेगा, सरकार को भी उसके साथ बंधना पड़ेगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

इसके बारे में मैं दिल्ली, जिस प्रकार आप वहां जोर से बछीड़ लगाते थे, मैं भी बोलता हूं। आपको मालूम है, मैं भी वहां पर बोलता रहता हूं, मैं भी वहां कहता रहता हूं, यह आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि वहां पर राजस्थान के मंत्री का नाम है। आपका वहां पर नाम है या अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री का नाम है। इसलिये मैं कहता चाहता हूं वहां पर बिलकुल जिस प्रकार से ठोक कर बात कहनी चाहिये, ठोक कर बात कहते हैं। ठोक कर बात कहनी चाहिये। एक बार जब मैं मीटिंग में था तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, क्यों न राजस्थान में आई आई टी आए, क्यों न राजस्थान में आई आई एम आए। माननीय प्रणव मुखर्जी ने जब बजट पेश किया तो आई आई एम की बात आ गयी उसमें। मेरा तो अपने आप ही हो गया नाम। मैंने सोचा मन में, मैं मन की बात कह रहा हूं कि मैंने बोला तो माननीय कपिल सिब्बल साहब ने मेरे को टोका कि ऐसे मिलती है क्या आई आई एम ? और फिर वह मिल गयी। मैंने उनको फोन किया, मिल गयी वह आई आई एम। आपने दो-तीन लड़ाई तो लोक सभा में जरूर की लेकिन आई आई एम मिल गयी। आज आई आई एम मिल गयी अपने राजस्थान को, एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। घनश्याम जी इसके मंत्री रहे हुए हैं, आप सब जानते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मान्यता वापस लेने के पश्चात् जारी विद्यालय पर, आप सुनना, यह धारा बहुत कड़ी है, यह धारा नम्बर 19 है, मान्यता वापस लेने के पश्चात् जारी विद्यालय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और अगर उल्लंघन करता है तो पर-डे 10,000 रुपये का जुर्माना। एक्ट की धारा 19 । यानि इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को बांधा गया है, कहां जायेंगे? या तो मान्यता खतम; एन ओ सी विथड्रा, मान्यता खतम। बच्चे कहां जायेंगे? बच्चे अपने आप ही निकलेंगे। वरना मैनेजमेंट को इस एक्ट के मुताबिक हर सूरत में बच्चों को भर्ती करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। 25 परसेंट बच्चों को फीस चाहे सरकार दे, चाहे मैनेजमेंट दे, उनको करना पड़ेगा, ऐसी एक्ट में धारा बनायी है।

धारा नम्बर 21-विद्यालय प्रबंधन में ¾ सदस्य अभिभावक होंगे और 50 परसेंट का मामला अभी आपको मालूम है कि महिलाओं का होगा, 50 प्रतिशत महिलाएं आयेंगी, शिक्षकों हेतु नियमितता एवं समय की पाबंदी। पाठयक्रम पूरा कराना अनिवार्य अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही मय सुनवाई। शिक्षकों की जो समस्या है ना कि हम अब की बार यह नहीं पढ़ाते

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

हैं, इसके अन्दर मानिटरिंग कमेटी होगी। उसके आधार पर उस शिक्षक की इतनी मानिटरिंग होगी कि उस शिक्षक पर अनुशासनात्मक कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी इस एक्ट की धारा में है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दस प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त नहीं होंगे। अब आपने दिन भर जो बात कही है ना, यह तीन साल के पीरियड में किसी भी प्रदेश में 10 प्रतिशत से ज्यादा किसी सूरत में चाहे किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वे रिक्त नहीं रख सकेंगे। यह भी इस एक्ट के अन्दर धारा रखी है। प्राइवेट ट्यूशन पर बिलकुल रोक। अगर प्राइवेट ट्यूशन पर इतनी बड़ी रोक लगी तो हमारे बालकों को फायदा होगा, हमारे अभिभावकों को फायदा होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर दस प्रतिशत से ज्यादा खाली रख लेंगे तो क्या कार्यवाही होगी उन पर?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): उनके ऊपर कार्यवाही यह होगी कि उनका जो स्टेट शेयर है वह तुरन्त बंद हो जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह उसमें है, यह तो पाइंट ही आपको बताया है।

इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट ट्यूशन अब नहीं कर पायेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान मूल्यों के अनुरूप एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के मुताबिक मूल्यांकन। अब उसमें लिखा है, एक्ट के अन्दर, कक्षा आठ की बोर्ड की परीक्षा 1 अप्रैल, 2010 से नहीं, नये सत्र से यानि आगे 1 मई के बाद या 1 जुलाई के बाद जब भी सत्र चालू होगा, अगली परीक्षा होगी। तो किसी भी सूरत में आठवीं की परीक्षा एक्ट के मुताबिक नहीं जायेगी। इसके बारे में मेरे दिमाग में थोड़ा सी है कि आठवीं की परीक्षा को हम किस प्रकार से देखेंगे। एकदम डायरेक्ट जैसे अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं एक बच्चे को पूछने के लिए गया और उस बच्चे को कहा कि तेरा नाम लिख तो नाम नहीं लिखा, बच्चे से पूछा कि कौनसी में पढ़ रहे हो तो बच्चे ने कहा छठी में, किताब पढ़ तो कहा कि नहीं पढ़ सकता। ऐसी स्थिति के अन्दर इसके बारे में थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपने तो जो जन्मेगा, वह दसवीं पास ही जन्मेगा अब।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): इसके अलावा, घनश्यामजी, उप नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में एक धारा ऐसी रखी है कि सरकार को वह अधिकार प्रदत्त है इस अधिनियम के तहत, नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदत्त हैं जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह लागू होगा। इसमें मैं समझता हूं कि यह राइट-टू-एजुकेशन जो बिल आया है इससे बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलने वाला है।

सर्व शिक्षा अभियान में 2009-10 की वार्षिक कार्य योजना में 2000 करोड़ का प्रावधान था और अब इसको बढ़ाकर के हम 2500 करोड़ रुपये कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक हैं, उनके अन्दर हमने इस साल 4,735 लहर कार्यक्रम, यह लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान है, यह कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जैसे बच्चा जाता है पहली क्लास का या चार, पांच, छह साल का और उसका मन नहीं लगता है तो चौकी बनी हुई है उसके अन्दर खेल-खेल में, वहां खिलौने पड़े रहते हैं रंग भरने के लिए, यह लहर कार्यक्रम वह है। जो मैंने चालू किया है, इसी सत्र से चालू किया था, इस बजट के बाद चालू किया है। लहर कार्यक्रम इसका नाम है और यह जिस प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूलों में चालू किया गया, वहां बच्चों की संख्या बढ़ी है। एक भी बच्चे का नाम नहीं कटा है, ठहराव हुआ है।

इसके अतिरिक्त, 226 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये, 12,401 शौचालय, 2,495 पेयजल, 1,009 चारदीवारी, 917 प्रधानाध्यापक कक्ष, 3,614 विद्युत..

एक माननीय सदस्य: मुख्य-मुख्य बात बता दो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह मुख्य बात ही है। शिक्षा में और क्या है? घोषणा वाली बात तो है नहीं, मुख्य बात यही है।

घनश्याम जी का भाषण मैंने देखा था ये कम से कम 1 घंटे 15 मिनट बोले थे। कालीचरण जी 1 घंटा 3 मिनट बोले थे। इतनी बात तो थोड़ा देखो ना। रात 3 बजे मैं कह रहा था सबको कि क्यों 3 बजाते हो, कल मेरे

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

को फिर बैठना है। 3 बजे यहां से गये, 4 बजे घर गये, आराम से हाथ-मुंह धोया, खाना खाया, इतने में 5 बज गये, थोड़ा आधा घंटे घूमे और नहाना-धोना किया और सुबह 8-9 बजे यहां पर आ गये। ऐसे आपके सामने हम भी तो बैठे हैं और हम बोल रहे हैं। हम आपको ताजा नहीं दिख रहे हैं क्या? तरोताजा हैं अभी तक तो। इसलिए चिन्ता नहीं करनी है। अब आप भी आराम से बैठो हो। जब मैं कह रहा था कि मत बोलो, मत बोलो, कम बोलो; कल तो आप कोई रुके नहीं, सबने कहा कि हम बोलेंगे। मैंने सबकी भावनाओं को मेरे अन्दर समा लिया है, सबकी भावनाओं की कद्र की जायेगी और हरेक का जवाब दिया जायेगा और हरेक का काम किया जायेगा। बिना स्वार्थ के और बिना राजनीति के काम किया जायेगा, यह मैंने कहा था पहले भी। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सुनना तो पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह लहर कार्यक्रम स्कूलों में चला है कि आपमें आ गया है यह लहर?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अब, घनश्याम जी, आप भी सुबह आये हो, माननीय सदस्य आप भी सुबह आये हैं, मैं भी आया हूं लेकिन अब बात तो सुननी पड़ेगी। रात तीन बजे तक हम बैठे थे तो बात तो सुनो।

2,93,230 एससी, एसटी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें दी गयी हैं। सभापति महोदय, कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एडेड लर्निंग कार्यक्रम, इसके अन्दर 4,142 विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। यह प्राइमरी, अपर प्राइमरी की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से 582 पोलियोग्रस्त बच्चों की सर्जरी नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से करायी गयी। 398 विशेष शिक्षक दृष्टिदोष, श्रवण दोष एवं मानसिक विमंदित विद्यार्थी हेतु लगाये गये हैं। 20,959 विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण हेतु रेडियो कार्यक्रम संचालित जिससे लगभग 70 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 15,155 बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं। इनमें 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक, उनमें हमने अब 10 और जोड़ दिये हैं, जहां माइनोरिटी ज्यादा है वह 14 माइनोरिटी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्वीकृत कर दिये, उनकी बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें छात्राएं रहेंगी। यह कार्यक्रम हमने किया है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम, हमने अबकी बार ...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आठवीं से बारहवी कक्षा की..

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आ रहा है, आ रहा है, वह भी आ रहा है। मैडम, आ रहा है। एक बार पूरा सुन लो। मैं बिलकुल नहीं बोला हूं आज। ऐसा मत करो। मैं जब बोला ही नहीं, लगातार यहां पर 13 घंटे से बैठा हूं, 9 बजे आया था, 11 बजे यहां आया, लगातार यहां 11 घंटे से बैठा हूं। बीच में मेरे पर किसी ने कुछ भी बोला हो, मैंने बीच में किसी को नहीं टोका। मेरे को सुनो पहले।

मैं पिछली बार बोल रहा था मैं बोल रहा था, ऊपर की एक-दो लाइन ही पढ़ा कि इतने में घनश्यामजी खड़े हो गये, मंत्रीजी पढ़कर बोल रहे हैं, हम तो बाहर जाते हैं। मैंने कहा, जाओ आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब मैं आराम से पढूंगा, अब तो दिक्कत नहीं है पूरा पढूंगा। पिछली बार खड़े हो गये, नहीं तो ऐसा ही आनंद दिलाता आपको। लेकिन आपको तो जाना था क्योंकि पहले दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन आपने देखा कि यह भी पढ़ेगा। अब की बार हम दोनों ने तय कर लिया कि हम पढ़कर के नहीं बोलेंगे। अब की बार हम दोनों ने प्रैक्टिस कर ली है, घनश्यामजी ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो।

अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माननीय हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय और हम दोनों ने मिलकर के इतना शानदार कार्यक्रम किया है कि हमने राजस्थान की...

एक माननीय सदस्य: क्या किया है आपने? मिलकर क्या किया है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके उस कार्यक्रम की फिल्म है क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह रही, यह सुनो, यह फिल्म है। राजस्थान की जितनी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलें हैं सरकारी, उनके अन्दर राजस्थान में 40 हजार से ऊपर जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हर स्कूल के अन्दर हमने एक कक्षा कक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए तय कर दिया, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कक्ष लिख रहे हैं, अभी लिखने का आदेश दिया है। 10 हजार रुपये हमने दिये हैं और उसमें आंगनबाड़ी कक्ष लिखा जायेगा। 1 मई, 2010 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन बच्चों को जो ढाई साल के होंगे, तीन साल के होंगे, चार साल के होंगे, पांच साल को होंगे, जिन बच्चों को पकड़-पकड़ करके प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं, गरीब बच्चों को और वे बीच में छठी के बाद में छोड़कर के आते हैं तो वे न हिन्दी वाले रहते

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

हैं और न अंग्रेजी वाले रहते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम हम दोनों ने हाथ में लिया है। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब छोटे बच्चों को दो घंटे पढ़ायेगी और बड़े बच्चों को चार घंटे वहां खेल-खेल के अन्दर 'लहर' कार्यक्रम के अन्दर एल के जी, यू के जी, प्रेप, जो छोटी क्लासें होती हैं उनके अन्दर पढ़ायेंगी जिससे हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। यह कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है।

एक माननीय सदस्य: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ी लिखी है क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर पढ़ी-लिखी नहीं है तो वह बदल दी जायेगी। चिंता मत करो, यह बात तो तय है। जिस प्रकार से प्रेरक और सह-प्रेरक किसी को पता ही नहीं था, साक्षरता में आऊंगा तब पता लगेगा आपको।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान राजस्थान में आया है उसी तरीके से राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान इस साल आ गया। हमने एक हजार करोड़ रुपए की योजना बनाई है। उस एक हजार करोड़ रुपए की योजना के आधार पर अभी तो क्योंकि हमने मार्च में भेजा, लेट हो गए हम लेकिन आगे जो नया सत्र होगा उस नए सत्र में हम निश्चित तौर पर हमारी जो दसवीं-बारहवीं की स्कूलें हैं जिनमें कक्षा कक्ष खराब पड़े हैं, मरम्मत स्कूलों की नहीं हो रही है, बिल्डिंग एकदम जीर्ण- शीर्ण है, बाउंडरी नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खेल की सामग्री नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, किताबें नहीं हैं, इसलिए, सभापति महोदय, इसके लिए हमारा माध्यमिक शिक्षा अभियान वैसा ही चलेगा जैसा सर्व शिक्षा अभियान चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका चेयरमैन कौन है, यह जो यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकंडरी एजुकेशन आया है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी। और बोलिए? ऐसी बात नहीं है, मैं वहां जाता हूं तो बी जे पी की सरकार थी या कांग्रेस की, वह मैं नहीं कहता हूं, मैं वहां कहता हूं मेरे पूर्व शिक्षा मंत्री, मैं यह कहता हूं वहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे चेयरमैन बी जे पी की सरकार ने नहीं बनाया था, मुझे वहां चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया था।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, अर्जुन सिंहजी ने बनाया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अर्जुन सिंहजी ने बनाया था और हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अलग घटना थी, एक राज्य का शिक्षा मंत्री चेयरमैन था उस कमेटी का और उस राज्य का मुख्य मंत्री मेम्बर था।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यही तो कह रहे हैं। यह तो कांग्रेस का बड़ा दिल है, बड़ा दिल कांग्रेस का ही होता है, घनश्याम जी। बी जे पी का नहीं होता है बड़ा दिल, कांग्रेस का होता है बड़ा दिल, तिवाड़ी जी। इसलिए...

श्री सभापति: यह क्यों नहीं कहते हो कि इनमें योग्यता भी थी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): इस अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में शैक्षिक दृष्टि से जो 186 ब्लाक हमारे पहले से हैं, उन 186 ब्लाकों के अन्दर हम मॉडल स्कूल खोलेंगे। माडल स्कूलों के प्रस्ताव हमने मांग लिए हैं। कुछ प्रस्ताव हमारे पास आ गए हैं जिनको हमने भारत सरकार को भेज दिया है। आने वाले दो-तीन सालों में 186 जो पिछड़े हुए ब्लाक हैं उनमें माडल स्कूल खुलेंगे। इनमें एक विद्यालय पर करीब तीन करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपए तक की राशि खर्च होगी। अभी तीन करोड़ की राशि से पहले बिल्डिंग बनेगी, अलग ही इसकी बिल्डिंग होगी, अलग ही इसकी जमीन होगी और नवोदय टाइप का इसका अलग ही डायरेक्टोरेट होगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहूंगा।

186 जो ब्लाक हैं, उनमें अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि हमारी बालिकाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, आपको भी मैं तोहफा दे रहा हूं, आपकी बालिकाएं भी होंगी, हमारी बालिकाएं भी होंगी। 186 ब्लाकों में से इस साल हम 74 ब्लाकों के अन्दर हम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर वैसे ही आवासीय विद्यालय हम खोल रहे हैं लेकिन वह केवल रहने के लिए और खाने पीने के लिए होगा, पढ़ाई उनकी दूसरी स्कूल में होगी। क्योंकि नवीं-दसवीं की जो बच्चियां होंगी, पहले नवीं से चालू करेंगे, दसवीं में जाएंगी, फिर ग्यारहवीं में जाएंगी, फिर बारहवीं में जाएंगी, यह प्रोजेक्ट है। पहले इस साल 74 को ले रहे हैं, भारत सरकार से हमें 74 की स्वीकृति प्राप्त हुई है और अगले साल हम फिर इसको बढ़ाएंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा परिषद की भी स्थापना की जाएगी, यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे पांच मिशन बने हैं, उन पांच मिशन के अन्दर

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)
राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन की स्थापना की जा चुकी है, इसमें बराबर माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और शिक्षा के अन्दर हम राजस्थान को ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं कि यह हिन्दुस्तान में एक माडल स्टेट बने, यह मेरी इच्छा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी को नहीं बनाना चाहिए, इस परिषद् का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री को बनाना चाहिए था। शिक्षा सचिव को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसका सचिव बनाना चाहिए था। इसकी बार-बार मीटिंग होती हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी बन गए तो पहले अपने सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष होता था शिक्षा मंत्री, तो मीटिंग होती थीं, बीच में मुख्य मंत्रीजी बन गए तो मीटिंग होनी ही बंद हो गई। तो आपको इसकी मीटिंगें लगातार करनी हैं तो माननीय माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजाय शिक्षा मंत्री माध्यमिक का हो वह उसका अध्यक्ष हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का, वह उसका सेक्रेटरी हो, तब यह सफल होगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आपने जो सुझाव दिया है, इसकी माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करेंगे।

अब अति महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान के बालकों के लिए, राजस्थान के शिक्षा जगत के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो तोहफा दिया है, जो काम किया है वह है एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम लागू करना। घनश्यामजी, आप तो इसके पक्ष में थे, वहां मैंने जब जानकारी की। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा कि क्यों न राजस्थान में इस पाठ्यक्रम को अडोप्ट कर लिया जाए। दिक्कत सामने यह आ रही कि इसकी किताबें हमारे पास नहीं थीं तो मैंने कहा कि किताबें नहीं हैं तो एन सी ई आर टी से यह एम ओ यू कर लिया जाए। इस साल हम नवीं और ग्यारहवीं में चालू करें, अगली साल दसवीं और बारहवी में चालू करें और उसके बाद पहली से लेकर आठवीं तक अगले साल चालू करें ताकि पहली से लेकर बारहवीं तक एन सी ई आर टी का सिलेबस लागू हो जाए। इसलिए सबसे शानदार काम जो शिक्षा जगत में होगा वह यह होगा। हमारे जितने भी आर ए एस आफिसर होते हैं, आई पी एस आफिसर होते हैं, आई ए एस आफिसर होते हैं वे एन सी ई आर टी किताबें देखते रहते हैं और उसके बाद परीक्षा देते हैं। उसके आधार पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह लागू हो जाएगा नवीं और ग्यारहवीं में, इसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी राजस्थान राज्य से

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान सम्बन्धी एक अतिरिक्त पुस्तक बनाए ताकि हमारे राजस्थान का भूगोल क्या है, संस्कृति क्या है, वह बच्चे जानें। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में हमने एक कमेटी बना दी ताकि एक जुलाई को इन किताबों के साथ-साथ वह किताब भी छात्रों को मिल जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हर किताब में बीस-तीस प्रतिशत हिस्सा आएगा। जैसे भूगोल की हो वह किताब सारे देश की तो बीस-तीस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का भी आएगा, इसलिए यह कमेटी बनाई। उसमें इतनी ही दिक्क्त थी और कोई दिक्कत नहीं थी। एन सी ई आर टी की पुस्तकों में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है, उसके बारे में अलग से स्थान अपन करें। एन सी ई आर टी पाठ्यक्रम लागू करना बहुत बढ़िया है हमारे लिए, इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अब यह लागू कर दिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से राजस्थान के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान और स्थान बना पाएंगे।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, माइनोरिटी के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान में कितने मदरसे हैं, 2,918 मदरसे हैं। माननीय कटारियाजी ने कहा कि आपने 2,500 की भर्ती उसमें नहीं की, 2,500 की भर्ती प्रोसेस में थी लेकिन टेक्नीकल गड़बड़ी की वजह से, तकनीकी शब्द ही कहूंगा, उसकी वजह से हमने उसको बीच में रोक दिया। हमने सारे फार्म भरा लिए हैं और 1 जुलाई से जो नया सत्र चालू होगा उसमें 2,500 तो वह और एक हजार जो इस साल घोषित हुए वह, 30 जून तक कम्प्लीट कर इनको भर्ती कर लिया जाएगा। मदरसों के अन्दर यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए हमारे पास 19,000 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति थी जिसको बढ़ाकर 66,000 बच्चों के लिए हमने की लेकिन इसमें हमें 59,018 बच्चों की छात्रवृत्ति प्राप्ति हुई है जो 1 करोड़ 83 लाख के स्थान पर 6 करोड 32 लाख यानि 5 करोड़ की सीधी वृद्धि। इसके लिए मैं नवाब साहब दुर्रु मियां को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे भारत सरकार के मंत्री गुलाब नबीजी हैं, उनसे कहकर इसको बढ़वाया ताकि छात्रों को फायदा हो सके, सलमान खुर्शीद जी से।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

उर्दू के लिए द्वितीय श्रेणी के 35 अध्यापकों व 2 लेक्चरर के लिए आर पी एस सी को लिख दिया है। उर्दू के कम ही होते हैं, 35 के लिए और 2 के लिए आर पी एस सी को अर्थना भेज दी गई है, डी पी सी हो जाएगी।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, हमारी पुष्कर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि हमारा अजमेर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बंद कर दिया, बात सही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर जहां पर उर्दू के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जो बंद कर दिया गया था, उसको अगले सत्र से चालू करने की हम पूरी चेष्टा करेंगे।

यह भी मैं कहना चाहूंगा कि पहले साक्षरता मिशन था, साक्षरता मिशन के बाद अब 'साक्षर भारत'। 'साक्षर भारत' को माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने लांच किया जिसको अखबारों में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। पहले के साक्षरता मिशन में था, 5 से 35, अब किया है 15 से अबोव, पूरा चाहे 15 से 50 का हो, 40 का हो, 45 का हो, 60 का हो, हर व्यक्ति साक्षर हो। इसके लिए 75 और 25 का वही रेशो रखा गया है, 75 प्रतिशत भारत सरकार से पैसा मिलेगा और 25 प्रतिशत हमें मिलाना होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में भी इसकी राज्य स्तरीय कमेटी अलग है। साक्षरता का अलख पूरे राजस्थान में जगाना है, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसको हमने चालू कर दिया है। हमने जिला प्रमुखों की दो दिन की कार्यशाला का आयोजन कर लिया, हमने दो दिन की कार्यशाला का आयोजन जो हमारे जिलों के सी ई ओज हैं और हमारे जो जिला साक्षरता अधिकारी हैं, दो दिन की यहां पर कॉफ्रेंस की है और उस कांफ्रेंस के अन्दर मैं समझता हूं कि उनको हमने जो कुछ निर्देश दिये हैं उसके मुताबिक हम जल्दी इसमें काम करेंगे।

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, यह आप सब लोगों ने सुना ही है कि आठवीं, दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के अन्दर जो बच्चियां प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगी, प्रथम वाली को 50 हजार, दूसरी को 40 हजार और तीसरी को 25 हजार हर जिले में दिया जाएगा, इसकी घोषणा की। दसवीं की मेरिट के अन्दर आने वाली तीन छात्राओं के लिए स्नातक के बाद में विदेश भेजने का, इसलिए इसकी लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। 35,217 उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विज्ञान प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5 हजार रुपये नकद, हमारे

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

केन्द्र सरकार के जो माननीय राज्य मंत्री हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, उनके द्वारा जो परीक्षा ली गई, उनके विभाग द्वारा तो माननीय मुख्य मंत्री ने और माननीय पृथ्वीराज जी चौहान ने 17.60 करोड़ रुपये, 17 करोड़ 60 लाख रुपये में से राजस्थान के इन बालकों को पांच-पांच हजार रुपये का चैक दिया जाएगा।

अब कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप 1 जुलाई, 2010 से दसवीं और ग्यारहवीं की आपकी घोषणा हो ही गई, एन सी ई आर टी के जरिए, इसी भांति, 1 जुलाई, 2001 से कक्षा एक से आठ तक की एन सी ई आर टी की पुस्तकें तथा दसवीं और बारहवीं में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप एन सी ई आर टी की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। (व्यवधान) छपाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस मामले में मैं सतर्क हूं। इस मामले में मैं बहुत सतर्क हूं।

आई सी टी, इस योजना के अन्तर्गत जो कम्प्यूटर शिक्षा है उसके अन्दर दो हजार विद्यालयों के अन्दर दसवीं और बारहवीं के अन्दर कम्प्यूटर एक जुलाई से पहले-पहले लगा दिये जाएंगे। (व्यवधान) कोई बात नहीं, तालियां नहीं बजाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप थके हुए हो न, मैं भी तो कल का थका हुआ हूं।

एस एस ए के अन्दर जो सर्व शिक्षा अभियान की जो 'कल्प' योजना है हमारी, कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम के अन्तर्गत, उसके अन्दर 4,142 विद्यालयों में तो हमने इस साल किया, पहले किया और ढाई हजार अतिरिक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार 2010-11 में किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में जैसा मैंने कहा कि शैक्षणिक वातावरण को रोचक बनाने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन 186 ब्लाक में जो लहर कार्यक्रम मैंने कहा कि 4,735 में चालू किया है, अब अगले साल से 3,800 विद्यालयों में और चालू किया जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह लहर कार्यक्रम क्या है? मंत्री महोदय, लहर कार्यक्रम के बारे में बताएं आप विस्तार से।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): लहर नहीं पता? बताया नहीं क्या आपको?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, लहर का पूरा बताओ, लहर कौनसी वाली?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, बताओ।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): लहर, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। अब तो समझ गये क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आ गई।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह हमारा एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हम हिन्दी में लहर कार्यक्रम कह रहे हैं ताकि इसको समझ सकें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, हमने कोई और लहर सुन लिया था।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): हमने 3,800 विद्यालयों में इसको 2010-11 में चालू किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आगामी वर्ष में राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा शत-प्रतिशत बालिका विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षकों की सेवा एवं प्रशिक्षण को हमारी सरकार गम्भीरता से लेती है और भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य हो, इन कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हो, इसके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा और एक अलग प्रकार की कमेटी बनाकर उससे सलाह लेकर के कि किस प्रकार से हम गुणात्मक शिक्षा दे सकें और किस प्रकार से हम शिक्षकों को ठीक ढंग से ट्रेनिंग दे सकें, यह कार्यक्रम भी हाथ में लेंगे।

राजस्थान के अन्दर शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भर्ती में एस सी और एस टी का जितना बैकलाग है, उस बैकलॉग को 2010 और 2011 में भर दिया जाएगा।

इस सत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणात्मक स्थिति ठीक हो, इसके लिए हम अभी 25 हजार रुपये 31 मार्च के पहले-पहले भेज देंगे और 40 हजार रुपये मार्च के बाद नये शिक्षा सत्र में, माध्यमिक शिक्षा में ताकि 65 हजार रुपये जब जाएंगे तो उन 65 हजार रुपये में पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, खेलकूद सामग्री, पानी एवं बिजली सुविधा के

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

लिए 6,325 स्कूलों में 65 हजार रुपये दे दिये जाएंगे। (व्यवधान) आपकी अपनी स्कूलें, जोर से ताली बजाएं, पता तो इनको लगा नहीं, पता लगना चाहिए।

अन्त में, मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि राजस्थान के अन्दर हमारे माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार चिंता व्यक्त की है, हमारी सरकार की इच्छा है कि आने वाले सत्र में यानी इस सत्र में चुनाव ही चुनाव हो गये, अगर लोक सभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव और नगरपालिका का चुनाव नहीं होता तो लोग देखने के लिए आते कि राजस्थान में किस प्रकार से समानीकरण का काम हुआ है। अब मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी, जो सदन की भावनाएं थीं और माननीय सदस्यों के जो सुझाव थे, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर उन पर अमल किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती बीना काक।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति जी, एक मिनट, छोटा सा।

श्री सभापति: विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): विसंगति है, बजट घोषणा में विसंगति है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) एक विसंगति है। ठीक करवा रहा हूं मैं तो। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्षीय व्यवस्था बदल रहे हो क्या?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ठीक करा रहा हूं मैं तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कैसे बदल रहे हो? (व्यवधान) पिछली बार हुई थी। ये करने पर आप कैसे बदलोगे व्यवस्था ? पिछली बार जो अध्यक्षजी की व्यवस्था थी......(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सुनिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बोल ही नहीं सकते न।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो टेबल करने का तो बोल सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों टेबल करो? पोल है क्या?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्यों अनाउंस क्यों नहीं करेंगे? जब टेबल कर रहे हैं? (व्यवधान) आप सुन ही नहीं रहे? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, एक विसंगति है उनके, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के भाषण में, वह ठीक करा दूं। मैं तो शिक्षा का आदमी हूं इसलिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज जब कला एवं संस्कृति विभाग की बजट 2010-11 की अनुदान मांगों पर मांग संख्या-24 पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और जो भी कटमोशंस आए हैं, केवल 16 और करीब 4, 5 माननीय सदस्यों ने ही कला, संस्कृति की अनुदान मांगों पर चर्चा की लेकिन राजस्थान कला संस्कृति के मामले में बहुत ही अमीर है। तो मैं तो यह कहना चाहती हूं कि ''क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षो रहा है दुश्मन दौरे दोहरे जमां हमारा''। तो मैं जो मेरे विचार हैं, मेरी सोच है, सरकार की सोच है कला, संस्कृति के बारे में और तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी और संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी, हम तीनों अपने जो विचार हैं, वह टेबल कर रहे हैं। इतना तो बोल ही सकते हैं।

(कला एवं संस्कृति मंत्री के मांग संख्या 24 पर उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(समय : 22.47 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो शेर सुनाया न आपने कि हस्ती मिटती नहीं आपकी, इसलिए है कि ये खण्डहर बता रहे हैं कि ये इमारत बुलंद थी। हां, ये बुलंद थी इमारत।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब आप भी कर दो न। आप क्यों रुके हुए हो? आप क्या तैयारी करके बैठे हुए हो? (व्यवधान) कर दो, कर दो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आप भी कह दो, रख दूं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रख दो, टेबल कर दो। दिन भर के थके हुए हो आज आप।

श्री अध्यक्ष: बीना जी, आपने क्या टेबल करने का कहा? आपने भी टेबल करने का कहा क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): बोल रहा हूं, साहब, टेबल करने के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान) कोई बात नहीं, अध्यक्ष जी, जैसा आप आज्ञा दें। अध्यक्ष जी, जैसा आप आज्ञा देंगे वैसे करेंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): टेबल करने का कह रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): टेबल कर दूं?

(संस्कृत शिक्षा मंत्री के मांग संख्या 24 पर उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: यह सुझाव मेरे ख्याल से भाजपा के उप नेता का था।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भी टेबल पर रखता हूं। (व्यवधान)

(उच्च शिक्षा मंत्री के मांग संख्या 24 पर उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की जो आज बहस हुई है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसकी मांगों को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: तकनीकी शिक्षा का हो गया?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आ गये, सब आ गये।

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,94,44,45,000/- (सत्यानवे अरब चोरानवे करोड़ चवालीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 – राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,65,22,000/- (छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 – मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,19,62,000/- (सात करोड़ उन्नीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 – सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,69,24,19,000/- (एक अरब उनहत्तर करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 – जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,87,20,49,000/- (दो अरब सतासी करोड़ बीस लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 – प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,35,69,000/- (नवासी करोड़ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 – न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,99,29,39,000/- (दो अरब निन्यानवे करोड़ उन्तीस लाख उन्तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 – राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,63,22,74,000/- (पांच अरब तिरेसठ करोड़ बाइस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 – विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,90,71,000/- (तीस करोड़ नब्बे लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 – विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,30,26,000/- (छब्बीस करोड़ तीस लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 – अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,86,70,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 – आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,74,99,000/- (एक अरब दस करोड़ चौहत्तर लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 – बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,38,50,17,000/- (एक अरब अड़तीस करोड़ पचास लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,95,33,61,000/- (उनचास अरब पचानवे करोड़ तैंतीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 – जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,46,84,000/- (पच्चीस करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 – लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,09,49,97,000/- (चार अरब नौ करोड़ उनचास लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 – आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,28,01,000/- (अठावन करोड़ अट्ठाइस लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(समय : 23.00 बजे)

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,76,34,73,000/-(सोलह अरब छिहत्तर करोड़ चौतीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,02,57,51,000/-(एक अरब दो करोड़ सत्तावन लाख इक्वायन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,62,44,58,000/-(एक अरब बासठ करोड़ चवालीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,48,37,91,000/-(उन्नीस अरब अड़तालीस करोड़ सैतीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,15,27,67,000/-(दस अरब पन्द्रह करोड़ सत्ताइस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,93,28,68,000/-(छह अरब तिरानवे करोड़ अट्ठाइस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,97,71,000/-(एक अरब नौ करोड़ सतानवे लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,68,000/-(एक करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,37,02,40,000/-(दस अरब सैतीस करोड़ दो लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,06,32,000/-(पच्चीस करोड़ छह लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/-(रुपये नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,80,01,000/-(तियालीस करोड़ अस्सी लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,08,04,24,000/-(चालीस अरब आठ करोड़ चार लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,14,92,000/-(बारह करोड़ चौदह लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,96,75,95,000/-(दो अरब छियानवे करोड़ पचहत्तर लाख पिचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,32,13,73,000/- (सात अरब बत्तीस करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री शांति धारीवाल जी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) विराजिये। आसन पांवों पर है।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 29 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.04 बजे, सोमवार दिनांक 29 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर-भरतपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना से नदबई क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति

306. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर "दीपा" (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ग्रीष्मकालीन कन्टिनजेंसी योजना के तहत नदबई, उच्चैन, खानुवा (रूपवास) एवं पंचायत समिति सेवर में सूखे ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्पों के स्थान पर नये ट्यूबवैल लगाकर चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए इन क्षेत्रों में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

(2) क्या सरकार धौलपुर-भरतपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना के तहत नदबई क्षेत्र को भी पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रीष्म कंटीजेन्सी-मार्च, 2009 एवं आपात योजना-प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्वीकृत योजनाओं में वर्णित क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार राशि रुपये 189.80 लाख के नये नलकूप एवं हैण्डपम्प निर्माण के कार्य निम्नानुसार स्वीकृत किये गये-

नदबई-6 नलकूप एवं 87 हैण्डपम्प

उच्चैन-1 हैण्डपम्प

खानुवा-1 हैण्डपम्प

पंचायत समिति सेवर-9 नलकूप एवं 55 हैण्डपम्प

(2) जी हां। नदबई क्षेत्र के गांव इस परियोजना के फेज द्वितीय में शामिल हैं जिनके कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर शुरू किये जायेंगे।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की पुरासम्पदाओं का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण

307. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित पुरातात्विक घोषित सम्पदा सूरसागर महल अतीव प्राचीन एवं ऐतिहासिक है? क्या सरकार उक्त सूरसागर महल के संरक्षण हेतु कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी?

(3) जोधपुर के महामंदिर स्थित नाथ जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जोधपुर की ऐतिहासिक छतरियों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इसके संरक्षण हेतु कोई योजना नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसके संरक्षण की योजना बनाई जावेगी।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जा सकेगा।

(3) महामंदिर जोधपुर स्थित नाथ जी का मंदिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। वर्तमान में जीर्णोद्धार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। विगत वर्षों में पंचकुण्डा की 15 छतरियों में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य हुआ है, जिस पर राशि रुपये 25.24 लाख व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जोधपुर की 5 छतरियों का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है, जिस पर राशि रुपये 68.50 लाख का व्यय किया गया है।

यह कार्य राज्य आयोजना मद व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत कराये गये हैं।

भीम विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण

308. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2003 से 2008 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मिसिंग लिंक व अन्य मदों से किन-किन गांवों में कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया?

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2010 तक इन्हीं मदों से कितने गांवों को जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के शेष राजस्व ग्रामों जैसे दर्रा, पावतिया एवं बीटी से बीएमडब्ल्यू के अन्तर्गत बचे हुये अथूणगढ़ से बोरवा को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में जनवरी 2003 से दिसम्बर 2008 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मिसिंग लिंक व अन्य मदों में करवाए गए सड़क निर्माण कार्यों का विवरण वर्षवार, गांववार मय सड़क लम्बाई परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 2009 से अब तक उल्लेखित मदों से निर्माण कार्य करवाकर 22 गांवों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ा गया है विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदण्डों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित सामान्य क्षेत्र की 500 व इससे अधिक आबादी की बसावटों व मरूक्षेत्र तथा जनजातिय क्षेत्र में 250 व इससे अधिक आबादी की सड़कों से नहीं जुड़ी पात्र बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र भीम में ग्राम दर्रा जनगणना 2001 के पश्चात राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अत: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मरू क्षेत्र में 250 व इससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को जोड़ने की योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। बसावट दर्रा की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 300 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मरूक्षेत्र में 250 व इससे अधिक की बसावटों को सड़क से जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को नवम्बर, 2009 में प्रेषित प्रस्तावों में बसावट दर्रा सम्मिलित कर लिया गया है। बसावट दर्रा को डामर सड़क से जोड़ना भारत सरकार की इस परियोजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

ग्राम पावटिया जनगणना 2001 के पश्चात् राजस्व गांव घोषित किया गया है। जिसकी जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 140 है। गांव पावतिया जनगणना आधार पर वर्तमान में किसी योजना के मापदण्डों में नहीं आता है, अत: इसे सड़क से जोड़ा जाना सरकार की पारस्परिक प्राथमिकताओं व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

अथूणगढ़ से बोरवा सड़क डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक निर्मित है। इसका डामरीकरण सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम अजमेर के सीमावर्ती ग्रामों की प्रशासनिक व्यवस्था

309. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम अजमेर में कौन-कौन से पेराफेरी गांवों को प्रारम्भ में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया तथा इसके आधार/मानदण्ड क्या थे?

(2) क्या यह सही है कि कुछ गांवों को बाद में नगर निगम की सीमा से बाहर रखा गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को तथा उनका आधार क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अभी हाल ही में सम्पन्न पंचायत चुनावों में इन गांवों में भी चुनाव करवाये गये? यदि नहीं, तो इन गांवों में पंचायत चुनाव कराने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिसूचना दिनांक 23.1.2008 द्वारा ग्राम माकडवाली, लोहागल, कायड, भुणाबाय-काकरदा, घूघरा, रसूलपुरा, नारेली, मदारपुरा, सेदरिया, सोमलपुर, बोराज-काजीपुरा, हाथीखेडा, किरानीपुरा, बडगांव, दौराई एवं तबीजी को सम्मिलित किया गया था।

इन गांवों को सम्मिलित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र से शहर में पलायन से बढती आबादी, शहरी सीमा से नजदीकी एवं मास्टर प्लान के पेराफेरी एरिया में होने के कारण शामिल किया गया है।

(2) अधिसूचना दिनांक 18.12.2009 द्वारा नगर निगम अजमेर की सीमा से माकडवाली, लोहागल, कायड़, भुणाबाय-काकरदा, घूघरा, रसूलपुरा, नारेली, मदारपुरा, सेदरिया, सोमलपुर, बोराज-काजीपुरा, हाथीखेड़ा ग्रामों को पृथक किया गया है। उक्त ग्रामों के निवासियों की मांग के आधार पर नगर निगम सीमा से बाहर किया गया है।

(3) जी नहीं। पंचायतों का गठन होने पर निर्धारित 6 माह की अवधि में चुनाव सम्पन्न करवाये जायेंगे।

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

310. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा इनमें अध्यापकों, लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार स्कूलों में उक्त रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं एवं इनमें कितने पद रिक्त हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, खण्डेला में 109 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से जिन विद्यालयों में अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, उनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

रिक्त पद विभागीय पदौन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरे जा सकेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में 36 माध्यमिक विद्यालय तथा 17 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट-ख संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदौन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

311. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कहां-कहां संस्कृत विद्यालय संचालित हैं तथा छात्रों की संख्या क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्कृत विद्यालयों में कितने पद किस-किस विद्यालय में स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में 5 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। छात्र संख्या सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संस्कृत विद्यालयों में संस्थावार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची भी परिशिष्ट-1 में ही सम्मिलित है।

वरिष्ठ अध्यापक-II ग्रेड के 543 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शीघ्र किये जाने की संभावना है।

अध्यापक ग्रेड-III के 2916 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों सूची प्राप्त होने पर ही रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों की सूची मय छात्रसंख्या, स्वीकृत/रिक्त पदों सहित

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	अध्यापक ग्रेड-II			अध्यापक ग्रेड-III		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सूरपुरा	61	1	1	—	4	2	2
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बेनीवालों की ढाणी	79	1	—	1	4	—	4
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हार्डियों का बेरा	40	1	—	1	4	—	4
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जाखडों की ढाणी	20	1	—	1	4	1	3
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मालियों की ढाणी	74	1	—	1	4	1	3

संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों के संचालन एवं संधारण हेतु गठित प्रबोधन समितियां

312. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों के संचालन एवं संधारण के प्रबोधन हेतु आदेश द्वारा अलग से प्रदूषण निवारण न्यास गठित करने का आदेश किया गया है? क्या उक्त आदेशानुसार प्रबोधन समितियों का गठन किया गया? यदि हां, तो जिला पाली, जोधपुर, बाड़मेर व अलवर के समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली में दिनांक 27.8.2009 के आदेश की पालना कर समिति का गठन नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 6(39) प्र.सु./अनु. 3/2009 दिनांक 27.8.2009 द्वारा संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों के संचालन एवं संधारण के प्रबोधन हेतु पाली, जोधपुर, बाड़मेर व अलवर जिलों के लिए प्रबोधन समितियों का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प.6(39)प्र.सु./अनु3/2009　　　　जयपुर, दिनांक 27/8/09

आदेश

महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से संयुक्त उपचार संयंत्रों के संचालन एवं संधारण के प्रबोधन हेतु पाली, जोधपुर, बाड़मेर व अलवर जिलों के लिए प्रबोधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

(1)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
(2)	क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लिमिटेड	सदस्य
(3)	संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग	सदस्य
(4)	आयुक्त नगर परिषद्/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका	सदस्य
(5)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
(6)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण निगम	सदस्य
(7)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग	सदस्य
(8)	क्षेत्र के किसानों/किसान समितियों के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामांकित)	सदस्य
(9)	संयुक्त उपचार संयंत्र से जुडे औद्योगिक इकाइयों/प्रदूषण निवारण न्यास के दो प्रतिनिधि, (राज्य सरकार द्वारा नामांकित)	सदस्य
(10)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज. प्र. नि. मंडल,	सदस्य सचिव

यह समिति संयुक्त उपचार संयंत्रों के संचालन एवं संधारण का कार्य करेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग पर्यावरण विभाग होगा।

आज्ञा से,
ह./-
शासन उप सचिव

उद्योगों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्य-योजना

313. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश कारपोरेशन लिमिटेड (रिको) व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में लगने वाले उद्योगों की कुल भूमि में विकसित होने वाले ग्रीन बेल्ट व अन्य सुविधाओं के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्यों? नियमों की प्रति व सरकार की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि व वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य में किस-किस उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमा से अधिक ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दोनों द्वारा उद्योगों की कुल भूमि में विकसित होने वाले ग्रीन बेल्ट व अन्य सुविधाओं के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(2) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 की अवधि में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि एवं वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सीमा से अधिक ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर समुचित नियंत्रण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) के नकारा हैण्डपम्प

314. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ में कहां-कहां पर हैण्डपम्प खराब एवं अनुपयोगी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ के खराब एवं अनुपयोगी हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प खोदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में स्वीकृत हैण्डपम्प को खुदवाने का कार्य शेष है? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार स्वीकृत हैण्डपम्पों को खुदवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ के 47 ग्रामों की 62 ढाणियों में 62 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण वर्तमान में स्थायी रूप से खराब एवं अनुपयोगी (नकारा) हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) तहसील शेरगढ़ में आवश्यकतानुसार 54 नये हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गई है :-

(अ) ग्रीष्म कंटीजेन्सी-मार्च, 2009 :- उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त 18 हैण्डपम्प निर्माण उपरान्त चालू किये जा चुके हैं।

(ब) आपात योजना-द्वितीय चरण :- दिनांक 20 फरवरी, 2010 को स्वीकृत इस योजना में 36 नये हैण्डपम्प निर्माण का प्रावधान लिया गया है। ये समस्त हैण्डपम्प माह अप्रैल, 2010 तक चालू करने प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार 36 स्वीकृत हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य शेष रहा है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार माह फरवरी, 2010 में स्वीकृत 36 हैण्डपम्पों को माह अप्रैल, 2010 तक चालू करना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कांकरोली-भीलवाड़ा सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण

315. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ाई बढ़ाने एवं सड़कों को फोरलेन बनाने के लिये नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कांकरोली-भीलवाड़ा सड़क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं फोरलेन बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कितनी राशि व्यय की जावेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मार्ग पर वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी राशि के कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ाई बढ़ाने एवं सड़कों को फोरलेन बनाने हेतु राज्य सरकार भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टी संख्या (आई.आर.सी.) 81-1997 तथा विशिष्टी संख्या (आई.आर.सी.) 64-1990 में निर्धारित मानदण्ड तथा सड़क चौड़ाईकरण हेतु राज्य सड़क नीति के अनुच्छेद संख्या-9 के अनुसार कार्य करती है। इसी सम्बन्ध में भारत सरकार के केन्द्रीय सड़क निधि से कराये जाने वाले इस श्रेणी के कार्यों के हेतु भारत सरकार के असाधारण गजट नोटिफिकेशन 10 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप कार्य करवाया जाता है। इन मानदण्डों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। कांकरोली से भीलवाड़ा दो लेन सड़क का सुदृढ़ीकरण मय डामरीकृत शोल्डर का कार्य बी.ओ.टी. (टोल) योजना के अन्तर्गत कराना राज्य सरकार के विचाराधीन है ना कि फोर लेन बनाने का। विचाराधीन कार्य की लागत राशि लगभग रुपये 154.56 करोड़ आंकी गई है। विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

इस सड़क पर वर्तमान यातायात 4667 पैसेन्जर कार यूनिट (पी.सी.यू.) है, जो कि फोर लेन हेतु निर्धारित मानदण्ड 17250 पी.सी.यू. (आई.आर.सी. 64-1990) से कम है। अत: उक्त सड़क को फोर लेन बनाना विचाराधीन नहीं है।

(3) कांकरोली से भीलवाड़ा सड़क पर वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 212.70 लाख तथा वर्ष 2009-10 में राशि रुपये 322.23 लाख व्यय कर विभिन्न कार्य करवाये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत जारी पट्टे

316. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टों के वितरण हेतु कट आफ डेट का पुनर्निर्धारण करते हुये पात्र व्यक्तियों को एक रुपये के शुल्क पर पट्टों का वितरण करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगरपालिका फुलेरा, सांभर, रेनवाल में स्टेट ग्रान्ट योजना के तहत कितने पट्टे जारी किये गये व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगरपालिका फुलेरा, सांभर, रेनवाल में स्टेट ग्रान्ट एक्ट योजना के तहत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये और उनमें से कितने व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये? क्या सरकार शेष आवेदनकर्ताओं को स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका फुलेरा द्वारा 4, सांभर द्वारा 1 पट्टा जारी किया गया है एवं नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल द्वारा 1 पट्टा देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगरपालिका फुलेरा, सांभर, रेनवाल में स्टेट ग्रान्ट योजना के तहत कुल प्राप्त आवेदनों, जारी किये गये पट्टों, निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों एवं कारणों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देने हेतु विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगर निकायों की स्थिति का विवरण

नगर पालिका का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	जारी पट्टों की संख्या	निस्तारण से शेष प्रकरणों की संख्या	कारण
फुलेरा	6	4	2	एक प्रकरण में पट्टा देने हेतु आवेदनकर्ता को सूचना दी जा चुकी है एवं एक प्रकरण को स्टेट ग्रान्ट एक्ट की श्रेणी में नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया है।
सांभर	32	1	31	31 प्रकरणों में पट्टा जारी करने बाबत समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की गयी हैं।
किशनगढ़ रेनवाल	7	—	7	एक प्रकरण में पट्टा देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं 6 प्रकरणों में भूमि नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्त किये गये है।

इंटिग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (आई.सी.टी.) के अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण

317. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंटिग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (आई.सी.टी.) के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने स्कूलों में कितने कम्प्यूटर कब तक लगा दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो इस हेतु किस कम्पनी का चयन किया गया?

(3) उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं मेंटीनेंस की जिम्मेदारी के क्या प्रावधान रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आई.सी.टी. योजना के तहत 2500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर लगाये जा चुके हैं तथा द्वितीय चरण में 2000 रा.मा.वि. एवं उ.मा.वि. में कम्प्यूटर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। मै. कम्प्यूकॉम साफ्टवेयर लिमिटेड, जयपुर तथा मै. एण्ड कॉम्प सोल्युशन्स लिमिटेड गुडगांव का चयन किया गया है।

(3) कम्प्यूटर एवं मेंटीनेंश की समस्त जिम्मेदारी निविदा शर्तों के अनुसार निविदित फर्म की ही है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र के नवीन मार्गों पर निगम बस सेवा

318. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में रोडवेज बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों की स्वीकृति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने एवं कौन-कौनसे तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर में राजोता कला, चौपड़ा, सोजत, सिरियारी, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर मार्ग पर रोडवेज बस की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मेड़ता से जैतारण, देवलीकलां, बोयल, बारूणा, सोजत, पाली नये मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र सोजत में रोडवेज बसों के संचालन हेतु नए बस मार्गों की स्वीकृति का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(यातायात मंत्री)

अत: यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को तहसील मुख्यालयों में निगम बसों द्वारा जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर, योजना आयोग केन्द्र सरकार तथा राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित की गई है। इस योजना की स्वीकृति के पश्चात् सभी ग्राम पंचायतों को तहसील मुख्यालयों से निगम बसों से जोड़े जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। चूंकि जोधपुर से राजोला कला, चौपड़ा, सोजत, सिरियारी, डिगोर, पुलाद, कामलीघाट, देवगढ़ तक मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं (केवल देवगढ़ से उदयपुर वाया नाथद्वारा तक का भाग राष्ट्रीयकृत है) तथा इस मार्ग पर निजी वाहनें पर्याप्त संख्या में संचालित है पूर्व में निगम द्वारा फरवरी, 2009 में सितम्बर, 2009 तक सोजत से जोधपुर वाया चाड़वास, राजोलाकला मार्ग पर दो परिचक्रों पर वाह्न संचालन किया गया था। किन्तु परिवर्तित लागत से भी कम आय प्राप्त होने के कारण संचालन बन्द करना पड़ा। उक्त संचालित सेवा की प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त मार्ग के दूसरे भाग, सोजत-उदयपुर वाया देवगढ़ मार्ग पर निगम द्वारा 22 फरवरी, 2007 से 20 मई, 2007 तक, एक बस सेवा से दो परिचक्रों का संचालन किया गया था। इस मार्ग पर सोजत से देवगढ़ अराष्ट्रीयकृत मार्ग होने से निजी वाहनों से प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पर्याप्त आय व यात्रीभार प्राप्त नहीं होने से निगम को उक्त सेवा का संचालन भी बंद करना पड़ा। सोजत-उदयपुर वाया देवगढ़ मार्ग की प्राप्त आय एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग को खोला जाकर उस पर निगम के सीमित संसाधनों एवं निजी वाहनों से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निगम की बसों के संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि निगम ने दिनांक 21.6.2009 से 4.8.2009 तक दो परिचक्रों में प्रतिदिन मेड़ता से जैतारण वाया देवली कलां, चण्डावत, सोजत मार्ग पर बसें चलाई थीं वहां पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में आय व यात्रीभार प्राप्त नहीं होने के कारण संचालन अलाभप्रद रहा। इस सम्बन्ध में प्राप्त आय व यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में अवैध खनन

319. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोपाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में कौन-कौनसे ग्रामों में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि खनिज कार्य करने हेतु कब से व कितनी अवधि के लिये लीज पर आबंटित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि के अलावा भी अन्य भूमि पर अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में अवैध खनन की कितनी शिकायतें कहां-कहां व किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई और प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जिन-जिन व्यक्तियों को खनन पट्टे आबंटित किये हुए हैं, उनकी सूची मय क्षेत्रफल, अवधि एवं निकट ग्राम के विवरण सहित परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा आबंटित की गई भूमि के अलावा भी अन्य भूमि पर अवैध खनन की कुल 6 शिकायतें गत दो वर्षों में प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण मय शिकायतों की प्रति सहित परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर क्षेत्र की जांच समय-समय पर की गई। गत दो वर्षों में दो वाहन खनिज का अवैध निर्गमन करते हुए पकड़े जाने पर पेनल्टी की राशि रुपये 19,600/- वसूल किये गये हैं। क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर चैकिंग की जाती है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सावर ग्राम (केकड़ी) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

320. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में रीको द्वारा अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सावर में मार्बल खनन कार्य की अधिकता को मद्देनजर रखते हुए रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकड़ी एवं सरवाड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय चरण की स्थापना दिसम्बर, 1981 व तृतीय चरण की स्थापना दिसम्बर, 1996 में की गई। औद्योगिक क्षेत्र सरवाड़ की स्थापना जनवरी, 1997 में की गई।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर के प्रस्ताव पर ग्राम सावर में जिला कलक्टर द्वारा लगभग 85 बीघा 14 बिस्वा राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है। उक्त आरक्षित भूमि पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर तकनीकी व अन्य संबंधित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

कोटा शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु अतिरिक्त फिल्टर प्लांट की स्थापना

321. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में कोटा शहर के किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने घंटे फिल्टर पानी व नलकूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा शहर की जिन बस्तियों एवं नगर निगम में सम्मिलित गांवों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, क्या सरकार इनमें 24 घंटे पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कोटा शहर में बढ़ती जनसंख्या एवं आवासीय विस्तार के कारण पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए इस हेतु अतिरिक्त फिल्टर प्लान्ट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में कोटा शहर में जलदाय विभाग को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई तथा पेयजल हेतु कितनी-कितनी पाइप लाइन कब-कब बिछाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। कोटा शहर एवं इसकी नगर निगम की सीमा में सम्मिलित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

कोटा शहर की पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मार्च, 2007 में राशि रुपये 48.34 करोड़ की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। योजना के पूर्ण होने के उपरान्त शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में और सुधार होगा।

(3) जी नहीं। राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम (आर.यू.आई.डी.पी.) की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार 64 एम.एल.डी. क्षमता का एक अतिरिक्त फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाकर माह जुलाई, 2006 से पेयजल वितरण किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य फिल्टर प्लांट निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(4) कोटा शहर में गत पांच वर्षो में पेयजल संबंधी समस्त कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 3103.55 लाख का आबंटन किया गया तथा इस अवधि में 245000 मीटर पाइप लाइन बिछाई गई। वर्षवार आबंटित राशि एवं बिछाई गई पेयजल पाइप लाइनों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

322. श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण के दौरान ठेकेदारों के भारी वाहनों के चलने से क्षेत्र में आस-पास की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण से अमरतिया तथा चित्तौड़िया पंचायत लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ के गांवों के रास्ते बन्द हो गये हैं और गांव, स्कूल तथा खेत सड़क के एक दूसरी तरफ रह गये हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों हेतु नियमानुसार सड़कें बनवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उक्त सड़कों में से बैरीसाल से छोटी बिजोलिया तथा सम्पर्क सड़क सदारामजी का खेड़ा की मरम्मत का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। शेष 9 सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्पर्क कर मरम्मत/पुनर्निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग-76 का फोर लेन निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है चित्तौडिया गांव में अन्डर पास का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अमरतिया में अन्डर पास तथा नियमानुसार सड़कें बनवाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्पर्क कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में नवीन कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

496. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कहां-कहां पर कोल्ड स्टोरेज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 80 कोल्ड स्टोरेज संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत हैं जिनका जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झालरापाटन में किया जा रहा है एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जोधपुर, अलवर, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सुमेरपुर में 6 नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु निविदायें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं।

राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत कोल्ड स्टोरेज की सूचना

क्र. सं.	जिला उद्योग केन्द्र	जिलों में स्थापित कोल्ड स्टोरेज की संख्या
1	**2**	**3**
1.	अजमेर	0
2.	अलवर	3
3.	बांसवाड़ा	0
4.	बारां	0
5.	बाडमेर	1
6.	भरतपुर	12
7.	भीलवाड़ा	1

1	2	3
8.	भिवाड़ी	1
9.	बीकानेर	4
10.	बूंदी	2
11.	चित्तौड़गढ़	0
12.	चुरू	0
13.	दौसा	0
14.	धौलपुर	14
15.	डूंगरपुर	4
16.	हनुमानगढ़	1
17.	जयपुर (ग्रामीण)	0
18.	जयपुर (शहर)	6
19.	जैसलमेर	0
20.	जालोर	0
21.	झालावाड़	2
22.	झुन्झुनूं	0
23.	जोधपुर	7
24.	करौली	0
25.	कोटा	6
26.	नागौर	2
27.	पाली	2
28.	प्रतापगढ़	0
29.	राजसमन्द	0

1	2	3
30.	सवाईमाधोपुर	2
31.	सीकर	0
32.	सिरोही	0
33.	श्रीगंगानगर	7
34.	टोंक	0
35.	उदयपुर	3
	योग	**80**

नगर निगम कोटा की नगरीय सीमा में शामिल नवीन ग्रामों में विकास कार्य

497. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम, कोटा में कितने एवं कौन-कौन से नए ग्रामों को नगरीय सीमा में सम्मिलित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों में आने वाली सिवाय चक, गैर खातेदारी भूमि का स्वामित्व सरकार की किस एजेंसी को सौंपा गया एवं नगर निगम/नगर विकास न्यास के खाते में कुल कितनी जमीन कब हस्तान्तरित की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरीय सीमा में शामिल करने के उपरांत आज तक किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि के विकास कार्य नगर निगम/नगर विकास न्यास/पंचायत द्वारा करवाए गए? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम कोटा में 36 नये ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं-गिरधरपुरा, अर्जुनपुरा, हाथीखेड़ा, सुखपुरा, लखावा, कोयला तलाई, आंवली, देवनगर, चन्देसल, हनुवंतखेड़ा, धाकडखेड़ी, चकरानपुरा, बंधा, रथकांकरा, गोरधनपुरा, बोरखण्डी, राजनगर, खेडाजगपुरा, रानपुर, धर्मपुरा, रोटेदा, शंभूपुरा, मानपुरा, मंडालिया, उम्मेदपुरा, रंगबाड़ी, रोझडी, दसलाना, सोगरिया, नयानोहरा, कंवरपुरा, भीमपुरा, आनन्दपुरा, उर्फ फूटा तालाब, दौलतगंज उर्फ नयागांव एवं झालीपुरा।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगर निगम कोटा के नगरीय सीमा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों की सिवायचक/गैर खातेदारी भूमि का स्वामित्व किसी भी संस्था को नहीं सौंपा गया है। नगर निगम कोटा में सम्मिलित निम्नांकित ग्रामों की भूमि नगर विकास न्यास कोटा को वर्ष 2009 व 2010 में निम्नानुसार आबंटित की गई है :-

क्र. सं.	नाम ग्राम	किता	रकबा (हैक्टर)
1.	लखावा	147	144.22
2.	खेडा जगपुरा	86	159.01
3.	दौलतगंज उर्फ नया गांव	58	21.66
4.	रोजडी	90	85.00
5.	आनन्दपुरा उर्फ फुटा तालाब	15	8.26

(3) नगर निगम कोटा में शामिल किये जाने के उपरान्त निगम द्वारा निम्न गांवों में विकास कार्यों के अन्तर्गत रोड लाइट व्यवस्था पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. गिरधरपुरा — 61632/-
2. गोरधनपुरा — 70513/-
3. सोगरिया — 521974/-

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा निम्नांकित ग्रामों में उनके सम्मुख अंकित राशि के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं :-

क्र. सं.	गांव का नाम	कार्य की लागत (लाखों में)
1	2	3
1.	बोरखण्डी	24.00
2.	रानपुर	301.50
3.	लखावा	249.44
4.	गोरधनपुरा	96.00

1	2	3
5.	गिरधरपुरा	47.00
6.	गिरधरपुरा से गणेशपाल	65.30
7.	एन.एच. 12 से गोरधनपुरा तक	75.00

विद्याधर नगर जयपुर स्थित श्री कृष्ण कदम पार्क की क्षतिग्रस्त चार दीवारी का पुनर्निर्माण

498. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विद्याधर नगर सेक्टर नं.-1 के प्लाट संख्या 1 से 9 के सामने स्थित श्री कृष्ण कदम पार्क की क्षतिग्रस्त चारदीवारी के कुछ हिस्से की मरम्मत जयपुर नगर निगम द्वारा नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त चारदीवारी का पुन: निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार अब उक्त क्षतिग्रस्त चारदीवारी का पुनर्निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री कृष्ण कदम पार्क की दीवार की मरम्मत का तकमीना विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति उपरान्त बजट की उपलब्धता अनुसार कार्य करवाया जावेगा।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा नगर परिषद्, उदयपुर को देय अंशदान

499. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा वर्ष 1994 से 2009 तक नगर विकास न्यास क्षेत्र में अपने बजट 15.33 करोड़ रुपया व्यय किया है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या नगर सुधार न्यास ने अब तक भूमि विक्रय, कृषि भूमि नियमन एवं आबंटन की आय का मात्र 973 लाख रुपया ही चैक से दिया एवं 836 लाख विभिन्न योजना में समायोजित कर लिया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, उदयपुर को भूमि विक्रय, नियमितिकरण एवं आबंटन से हुई आय का 1 प्रतिशत भी नगर परिषद् को नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों तथा उनके दोनों संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष आय व्यय संबंधी बैठक कर समायोजन नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बार-बार निर्देश देने के बाद भी नगर सुधार न्यास उदयपुर द्वारा 15% अंश का भुगतान नगर परिषद् उदयपुर को नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा वर्ष 1993-94 से वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 09) तक नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में भूमि विक्रय की अंशदान राशि रु. 1123.72 लाख एवं कृषि भूमि नियमन से प्राप्त आय की अंशदान राशि रु. 441.13 लाख कुल राशि रुपये 1564.85 लाख चैक द्वारा एवं राशि रु. 763.41 लाख विभिन्न मदों में समायोजित की गई है।

(3) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा नगर परिषद् को अब तक निम्नानुसार राशि भिजवाई गई है :-

अ– नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में भूमि/भूखण्ड विक्रय की आय का 15 प्रतिशत अंशदान :-

वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की कुल देय राशि रु. 76.51 लाख राशि का भुगतान/समायोजन निम्नानुसार किया गया है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

चैक द्वारा		समायोजन
राशि (लाखों में) चैक द्वारा	भेजे जाने का दिनांक	
2.50	12.01.1995	राशि रु. 28.80 लाख का समायोजन नगर परिषद् क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में किया गया।
15.00	10.03.1995	
15.00	06.09.1995	
15.21	15.02.1996	
47.71		

इस प्रकार वर्ष 93-94 से 94-95 तक की कुल देय राशि 76.51 लाख में से राशि रु. 47.71 लाख चैक द्वारा एवं 28.80 लाख रु. जरिये समायोजन भिजवाई गई।

वर्ष 95-96 एवं 96-97 की कुल देय राशि 108.70 लाख का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

चैक द्वारा		समायोजन
राशि (लाखों में) चैक द्वारा	भेजे जाने का दिनांक	
15.00	27.07.1996	ओ.टी.सी. स्कीम में सामुदायिक भवन निर्माण में अंशदान महावीर नगर में पानी की लाइन (सहभागी योजना) में राशि रु. 1.75 लाख का समायोजन किया गया।
0.46	09.08.1996	
16.29	23.11.1996	
20.00	31.03.1997	
50.00	30.03.1998	
5.20	23.04.1998	
106.95		

इस प्रकार वर्ष 95-96 से 96-97 तक की कुल देय राशि 108.70 लाख में से राशि रु. 106.95 लाख चैक द्वारा एवं 1.75 लाख रु. जरिये समायोजन भिजवाई गई।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वर्ष 97-98 से 2001-2002 तक देय राशि रु. 302.02 लाख का भुगतान/समायोजन निम्नानुसार किया गया है :-

चैक द्वारा		समायोजन
राशि (लाखों में) चैक द्वारा	भेजे जाने का दिनांक	
30.00	23.03.2000	राशि रु. 20.00 लाख का समायोजन नगर परिषद्, उदयपुर की ओर से झील संरक्षण एवं विकास सोसायटी को दी जाने वाली राशि के विरुद्ध किया गया राशि रु. 137.86 लाख का समायोजन भूणावा में स्टेडियम हेतु भूमि मुआवजे के विरुद्ध किया गया एवं राशि रु. 100.00 लाख का समायोजन महाराणा प्रताप अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हेतु भूमि मुआवजे के विरुद्ध किया गया है।
14.16	02.01.2006	
44.16		

इस प्रकार वर्ष 97-98 से 2001-2002 तक की कुल देय राशि 302.02 लाख में से राशि रु. 44.16 लाख चैक द्वारा एवं 257.86 लाख रु. जरिये समायोजन भिजवाई गई।

वर्ष 2002-03 से 2004-05 (जनवरी 2005 तक)

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 6 में नगर परिषद् को भूखण्डों के विक्रय राशि के 15 प्रतिशत राशि हस्तान्तरण का प्रावधान था जिसे राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना क्रमांक प.9(15)यूडी/3/2001 दिनांक 15.01.2002 के उक्त नियम में संशोधन करने के फलस्वरूप उक्त प्रावधान विलोपित कर दिया गया। जिसे

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पुन: जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ. 9(63) यूडी/3/81 दिनांक 27.01.2005 के द्वारा पुन: जोड़ा गया। इस कारण वर्ष 2002-03 से जनवरी, 2005 तक के विक्रीत भूखण्डों का 15 प्रतिशत अंशदान नहीं भिजवाया गया।

फरवरी 2005 से वर्ष 2007-08 तक देय राशि रु. 1271.27 लाख का भुगतान समायोजन निम्नानुसार किया गया है :-

चैक द्वारा		समायोजन
राशि (लाखों में) चैक द्वारा	भेजे जाने का दिनांक	
57.87	10.10.06	सीवर परियोजना पर हुए अतिरिक्त व्यय राशि रु. 300.00 लाख में से नगर परिषद् का अंशदान 75.00 लाख समायोजित किया गया इसके अतिरिक्त विभूति पार्क के निर्माण के विरूद्ध 200.00 लाख एवं स्टेडियम के निर्माण के विरुद्ध 200.00 लाख का समायोजन किया गया।
213.73	15.03.07	
173.79	16.02.08	
103.74	26.08.08	
247.15	15.07.08	
796.28		

इस प्रकार वर्ष फरवरी, 2005 से 2007-08 तक की कुल देय राशि 1271.27 लाख में से राशि रु. 796.28 लाख चैक द्वारा एवं 475.00 लाख रु. जरिये समायोजन भिजवाई गई

वर्ष 2006-09 में देय राशि रु. 81.61 लाख का भुगतान निम्नानुसार किया गया :-

राशि (लाखों में) चैक द्वारा	भेजे जाने का दिनांक
81.61	21.07.2009

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वर्ष 2009-10 में राशि रु. 47.01 लाख चैक दिनांक 15.02.2010 चैक की कुल राशि 3,84,40,153/- में सम्मिलित कर भेजी गई है।

ब-कृषि भूमि नियमन से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत अंशदान :-

राज्य सरकार द्वारा भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 6(क) में संशोधन जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ-12(14)नविआ/06-149 दिनांक 08.03.06 के नियमितिकरण राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा नगर परिषद् को हस्तान्तरित करने का प्रावधान तुरन्त प्रभाव से किया गया, अत: नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा कृषि भूमि नियमन से प्राप्त आय का अंशदान निम्नानुसार भिजवाया गया है :-

वर्ष	राशि (लाखों में)
मार्च, 06	2.25
2006-07	32.57
2007-08	68.92
योग :-	**103.74**

उक्त राशि रु. 103.74 न्यास द्वारा चैक संख्या 263068 दिनांक 22.08.08 द्वारा भेजी गई।

वर्ष	राशि (लाखों में)
2008-09	179.09
2009-10	158.30
कुल	**337.39**

उक्त राशि रु. 337.39 न्यास द्वारा चैक सं. 178980 दिनांक 15.02.10 चैक की कुल राशि 3,84,40,153/- में सम्मिलित कर भेजी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद् सीमा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भूमि विक्रय से प्रन्यास, उदयपुर को विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1993-94 से अब तक 17394.20 लाख रु. की आय प्राप्त हुई है।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण) नियम 74 के नियम 6(क) में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उक्त 15 प्रतिशत राशि योजनाओं के संधारण एवं रखरखाव हेतु दिये जाने का प्रावधान हैं। नगर परिषद् सीमा क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र होने के कारण नगर परिषद् द्वारा बाहरी क्षेत्र के संधारण एवं रखरखाव नहीं किया जाता है, इस कारण उक्त राशि नगर परिषद् को नहीं दी गई है।

(4) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा नियमानुसार उपरोक्त विवरण के अन्तर्गत नगर परिषद् को देय अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।

मालवीय नगर, जयपुर में निर्मित कियोस्कों का आबंटन

500. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री शिक्षित बेरोजगार एवं रोजगार गारंटी योजना के तहत कियोस्क (गुमटियां) करधनी शापिंग सेन्टर बी-ब्लाक सामुदायिक केन्द्र, हरिमार्ग, मालवीय नगर जयपुर में बनाई गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी और इनकी साइज लम्बाई चौड़ाई कितनी-कितनी है? नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कियोस्क आवंटित करने के मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त कियोस्क सरकार द्वारा कब व किस-किसको आबंटित किये गये एवं कितने कियोस्क आबंटित से वंचित हैं? क्या सरकार शेष कियोस्कों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में कितने कियोस्क चालू या बन्द हालात में हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कियोस्कों का क्रय-विक्रय भी किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार की ऐसी नीति है कि दो कियोस्कों को मिलाकर एक बड़ा कियोस्क बनाकर दुकान संचालित की जा सके? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि इन कियोस्कों की ऊंचाई कम होने के कारण इनकी ऊंचाई स्वयं दुकानदार द्वारा निर्माण करवाई जा सकती है? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) कियोस्कों को आबंटित तिथि के पश्चात् कब तक इनका क्रय-विक्रय किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री शिक्षित बेरोजगार एवं रोजगार गारंटी योजना के बजाय मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 कियोस्क (गुमटियां) करधनी शापिंग सेन्टर बी ब्लाक सामुदायिक केन्द्र, हरिमार्ग, मालवीया नगर जयपुर में वर्ष 1999-2000 में बनाई गई थी जिनकी साइज 4'-9"x'5'-9" है। नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

8 कियोस्क आबंटित किये गये हैं एवं 2 कियोस्क रिक्त हैं जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम	कियोस्क संख्या
1.	शिव राम वैष्णव	63
2.	राजेश सिसोदिया	64
3.	गुरमीत सिंह	65
4.	दौलत राम	66
5.	महेन्द्र कुमार	67
6.	सुंदेश छाबड़ा	68
7.	श्रीमती कार्तिक गुलवाणी	69
8.	श्रीमती सुमन राजोरा	71
9.	रिक्त	62
10.	रिक्त	70

पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में से यदि पात्र आवेदक पाया जाता है तो आबंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) वर्तमान में सभी कियोस्क बन्द हैं।

(4) जी नहीं। आबंटन पत्र की शर्त संख्या 1 के अनुसार आबंटी का कियोस्क पर मालिकाना हक नहीं होगा और नहीं किसी अन्य को हस्तान्तरण कर सकेगा।

(5) जी नहीं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। आबंटित तिथि के पश्चात् शर्तो अनुसार क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों के बकाया का भुगतान

501. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को जोधपुर विकास प्राधिकरण के कितने ठेकेदारों के बिलों का भुगतान रुका हुआ था तथा उन बिलों की कुल राशि कितनी थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिलों के भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर धरना दिया तथा आन्दोलन किया? यदि हां, तो अपूर्ण कामों की सूची सदन की मेज पर रखें तथा उन कार्यों को ठेकेदारों ने कितने भुगतान के बाद पुन: प्रारम्भ किया? पुन: प्रारम्भ किये गये कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही दिन में 3 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया? यदि हां, तो भुगतान राशि सहित उन ठेकेदारों की सूची मय भुगतान राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भुगतान के पूर्व कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई तथा किन कार्यों का भुगतान नहीं किया गया और दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक ठेकेदारों के कितने बिलों का भुगतान बाकी है?

(5) 1 अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में कितने नये कार्यों को स्वीकृत किया गया? कार्यों हेतु स्वीकृत राशि तथा कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के 141 ठेकेदारों के 291 बिल राशि रुपये 12,74,85,733/- रुपया बकाया थे। बकाया बिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) पूर्व में प्राधिकरण में वित्तीय कठिनाई होने के कारण बिलों के भुगतान नहीं होने से धरना तथा आन्दोलन किया गया जो भुगतान करने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया। किसी भी ठेकेदार ने वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य अधूरा नहीं छोड़ा है।

(3) हां। यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा एक ही दिन दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को 5,73,38,175/- रुपये दिनांक 8 जून, 2009 को 4,22,17,513/- रुपये, दिनांक 8 जून, 2009 को 6,23,37,580/- दिनांक 3 फरवरी, 2010 को 3,62,55,615/- रुपये दिनांक 11 फरवरी, 2010 को 5,01,62,735/- रुपये दिनांक 17 फरवरी, 2010 को 3,44,35,317/- का भुगतान किया है। जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) कार्य की गुणवत्ता की जांच के पश्चात् ही बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रस्तुत किसी भी बिल का भुगतान बकाया नहीं है।

(5) दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित तहसील बस्सी के ग्राम

502. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी के कौन-कौन से गांव जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में हैं? ग्राम पंचायतवार गांवों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील के किस-किस गांव की कितनी-कितनी सिवाय चक, गैर मुमकिन एवं अन्य सरकारी भूमि राजस्व विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जा चुकी है तथा किस-किस क्षेत्र की, कौन-कौनसी भूमि प्रस्तावित है? ग्रामवार खसरा नं. तथा रकबा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राधिकरण के नाम दर्ज उक्त भूमि के बदले राजस्व विभाग में अब तक कितनी राशि प्राधिकरण द्वारा जमा करवाई जा चुकी है तथा कितनी राशि जमा होनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(4) उक्त तहसील में गत पांच वर्षों में किस-किस गांव में विकास सम्बन्धी किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील बस्सी के 41 गांव जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आते हैं। ग्राम पंचायतवार गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट "अ" के अनुसार वर्णित समस्त ग्रामों की सिवाय चक/चरागाह भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम दर्ज हो चुका है। पृथक-पृथक ग्राम वार जमाबंदी का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) प्राधिकरण के नाम दर्ज नवीन 10 राजस्व ग्रामों की तहसीलदार बस्सी के मांग पत्र अनुसार 7,24,504,40/- रुपये की सम्पूर्ण राशि प्राधिकरण द्वारा राजस्व विभाग में जमा करवाई जा चुकी है। वर्तमान में कोई राशि शेष नहीं है।

(4) गत 5 वर्षों में बस्सी तहसील में स्थित गांवों के विकास कार्यों पर मदवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

ईण्टाली ग्राम तहसील मावली जिला उदयपुर में पेयजल आपूर्ति

503. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में जलापूर्ति की जाती है? यदि हां, तो किस-किस योजनान्तर्गत प्रतिदिन कितनी-कितनी मात्रा में जलापूर्ति की जाती है और उक्त ग्राम में जलापूर्ति के क्या-क्या स्रोत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त आपूर्ति को ग्राम की आबादी के अनुसार पर्याप्त मानती है? यदि हां, तो जलापूर्ति के क्या मानदण्ड हैं तथा उक्त ग्राम में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कब तक जलापूर्ति करा दी जाएगी?

(3) उक्त ग्राम में जलापूर्ति किए जाने के लिए कितने हैण्डपम्प कहां-कहां लगाए गए हैं? क्या उक्त सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो इनमें से कौन-से हैण्डपम्प कब-कब से किस-किस कारण से कार्य नहीं कर रहे हैं?

(4) क्या सरकार उक्त नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नए हैण्डपम्प खुदवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(5) उक्त ग्राम में विभाग के कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पानी की दो टंकियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो उक्त टंकियों की सफाई एवं रंग-रोगन कब किया गया? क्या सरकार अब उक्त टंकियों की सफाई व रंग-रोगन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में 2 नलकूप एवं 3 खुले कुओं से कुल 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन कर ग्राम को दो भागों में बांटकर प्रत्येक भाग में एकान्तरे 31 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) वर्तमान भू-जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्राम में वर्तमान पेयजल व्यवस्था सामान्य एवं संतोषप्रद है। इसके अतिरिक्त ग्राम में 15 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

(3) उक्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित कुल 20 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 15 हैण्डपम्प क्रियाशील एवं 5 हैण्डपम्प सूखे हैं। स्थानवार स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता अनुरूप हैण्डपम्पों का निर्माण सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। उक्त ग्राम में उपरोक्तानुसार कोई हैण्डपम्प वर्तमान में नकारा नहीं है।

(5) वर्तमान में कार्य प्रभारित संवर्ग के 3 पद स्वीकृत हैं तथा तीनों पर कर्मचारी कार्यरत हैं।

(6) जी हां। उक्त ग्राम में पेयजल के भण्डारण एवं आपूर्ति हेतु दो उच्च जलाशय क्षमता क्रमश: 200 किलोलीटर एवं 70 किलोलीटर के निर्मित हैं। इन उच्च जलाशयों की सफाई दिनांक 28 एवं 29 जनवरी, 2010 को कराई गई है। विभागीय नीति अनुरूप उच्च जलाशयों की सफाई अर्धवार्षिकी की जानी नियत है। उच्च जलाशय, क्षमता 70 एवं 200 किलोलीटर के रंग-रोगन का कार्य क्रमश: वर्ष 2006 एवं 2008 में कराया गया है तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार यह कार्य किया जायेगा।

परिशिष्ट "अ"

ग्राम ईण्टाली, तहसील मावली जिला उदयपुर में वर्तमान में स्थापित हैण्डपम्पों का स्थानवार विवरण

क्रम संख्या	हैण्डपम्प का स्थान	वर्तमान स्थिति
1.	पंचायत भवन के पास	क्रियाशील
2.	बस स्टैण्ड	क्रियाशील
3.	गमेती बस्ती	सूखा
4.	गमेती बस्ती	क्रियाशील
5.	प्राथमिक विद्यालय, गमेती बस्ती	क्रियाशील
6.	लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास	क्रियाशील
7.	साल्वी मौहल्ला	क्रियाशील
8.	गमेती मौहल्ला	क्रियाशील
9.	छापर बागा बा की कुई	सूखा
10.	श्मशान घाट	क्रियाशील
11.	पतवारी के पास	क्रियाशील
12.	भैरूजी बावजी	क्रियाशील
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर	क्रियाशील
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्दर	सूखा
15.	पुलिया के पास	क्रियाशील
16.	कलावतों का मौहल्ला	क्रियाशील
17.	रैगर मोहल्ला	सूखा
18.	खैरोदा रोड पर	क्रियाशील
19.	आंगनबाड़ी के पास	सूखा
20.	कलालों का मौहल्ला	क्रियाशील

झाडोल में पेयजल हेतु खोदे गये कुएं

504. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र झाडोल में पेयजल हेतु कितने कुएं खोदे गये और वर्तमान में उक्त कुओं की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र, झाडोल में गत दो वर्षों में स्वीकृत 6 पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 10 कुओं में से 6 कुओं का कार्य पूर्ण किया जाकर 3 कुओं को पेयजल व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। 3 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा एक कुएं का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में भू-जल के व्यावसायिक उपयोग पर रोक

505. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नलकूप खोदकर जल का व्यवसाय किया जा रहा है? क्या उक्त कारण आस-पास के निवासियों को भूजल उपलब्ध नहीं होता? क्या सरकार ऐसे लोगों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में निरन्तर गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए जल के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत वर्षों से लगातार कम वर्षा होने के कारण तदनुसार भू-जल पुनर्भरण की धीमी गति के फलस्वरूप भू-जल स्तर घटा है।

सभी उपलब्ध सतही एवं भू-जल संसाधनों के न्यायोचित, सामयिक व सुदृढ़ आर्थिक विधि से उपयोग के लिये सुपरिभाषित राजकीय जल नीति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नई राज्य जल नीति के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2010 को कर दिया गया है। निर्णय अनुसार नई जल नीति शीघ्र जारी की जा रही है।

(2) उपरोक्तानुसार।

कठूमर में विभिन्न योजनान्तर्गत पेयजल हेतु व्यय राशि

506. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र, कठूमर में पेयजल हेतु कौन-कौन से कार्य गत वर्ष में करवाये गये? हैण्ड पम्प, समरसीबल मोटर व अन्य योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य पर विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2009 में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये गत वर्ष 2009 में स्वीकृत एवं कराये गये विभिन्न कार्यों के संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार वर्ष 2009 में उक्त क्षेत्र में पेयजल संबंधी कराये गये विभिन्न कार्यों पर कुल 51.67 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर संभाग में तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति

507. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में तकनीकी कर्मचारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त पदों को नई भर्ती से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जोधपुर संभाग में तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार दूसरे संभागों की तरह जोधपुर संभाग के कर्मचारियों की भी पदोन्नति करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की दिनांक 31.12.2009 तक की रिक्त पदों की सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

राज्यादेश दिनांक 28.2.1994 के तहत कार्यप्रभारित संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के कारण कार्य प्रभारित संवर्ग के पद कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु के पश्चात् स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं।

नियमित संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर लगभग विगत 15 वर्षों से भर्ती पर रोक है।

नियमित संवर्ग के पदोन्नति पदों पर समय-समय पर नियमानुसार पात्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति की जाती है।

(2) वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा की जाकर क्रियान्वित की जाती हैं। इन पदों पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों के संदर्भ में अनुकम्पात्मक नियुक्तियां की जा रही हैं।

वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण कार्य करवाया जा रहा है ताकि राज्य में पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

(3) जोधपुर संभाग में नियमित संवर्ग के पदोन्नति पदों हेतु पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकी है।

संभाग के अधीन जिन वृत्तों में वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, वहां तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार पदोन्नति शीघ्र सम्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रतनगढ़ में प्रस्तावित आपणी योजना-II के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति

508. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम व शहर आपणी योजना के द्वितीय चरण की योजना हेतु वर्ष 2007 में जर्मनी के सहयोग से वित्त पोषण हेतु भिजवाई गई थी? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक करने का विचार रखती है?

(श्री राजकुमार रिणवां)

(2) क्या आपणी योजना के द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना में रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसीलों के 256 ग्राम व 5 कस्बे सम्मिलित हैं? क्या उक्त क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेयजल स्रोत की सुनिश्चितता उपरांत संवर्धन योजनाएं बनाई जाकर स्वीकृति प्रदान की जानी थी? यदि हां, तो कब तक और अब उक्त योजना की क्या स्थिति है?

(3) अब उक्त विधान सभा क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों को शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आपणी योजना-द्वितीय चरण में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के समस्त ग्राम एवं शहर सम्मिलित करते हुए, योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी के सहयोग से वित्त पोषण हेतु माह जनवरी, 2007 में प्रेषित की गई थी।

के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी से आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण आपणी योजना के शेष बचे चूरू जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़ एवं राजगढ़ तहसील के 6 कस्बं व 431 ग्राम तथा झुन्झुनूं तहसील के 13 गांवों को इंदिरा गांधी नहर की साहवा लिफ्ट कैनाल से स्रोत लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 1330.00 करोड़ के प्रस्ताव बनाये जाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विश्व बैंक से ग्राह्य वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रेषित किये गये हैं।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(3) आवश्यक वित्त पोषण सुनिश्चित होने के उपरांत परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

विद्याधर नगर के वार्डों में पेयजल आपूर्ति

509. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर, जयपुर में वार्ड संख्या 1 से 10 तक में सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 के मध्य विभिन्न स्थानों पर नलकूप, पाइपलाइन, हैण्डपम्प का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो उक्त वार्डों में नलकूप, पाइप लाइन, हैण्डपम्प किस-किस स्थान पर तथा कब-

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कब निर्मित किये गये? प्रत्येक नलकूप तथा पाइप लाइन की स्वीकृति आदेश तथा उन पर कितना-कितना व्यय किया गया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के किस-किस वार्ड के कौन-कौन से क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है एवं कौन-कौन से क्षेत्र में नलकूप की आवश्यकता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वर्णित वार्डों में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि में स्थानवार निर्मित किये गये नलकूप, हैण्डपम्प एवं बिछाई गई पाइप लाइनों एवं इन निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर तथा वांछित स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सामान्य एवं संतोषप्रद बनाये रखने के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2010 को स्वीकृत आपात योजना के द्वितीय चरण में आवश्यकता अनुसार प्रभावित स्थानों में 12 नवीन नलकूपों के निर्माण का प्रावधान लिया गया है। उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ताकि आगामी ग्रीष्म, 2010 में वर्णित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू रहे। सूची संलग्न परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण, प्रतियां व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी गौशाला, डूंगरी कला (जयपुर) हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

510. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी गौशाला, डूंगरी कला, पंचायत समिति सांभरलेक, जिला जयपुर में संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गौशाला में गायों एवं आश्रम हेतु उपलब्ध पानी खारा व फ्लोराइड युक्त है? क्या पानी खारा व फ्लोराइड युक्त होने से पशुधन में बीमारी होने से गायें कमजोर व बीमार हो रही हैं? यदि हां, तो शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गौशाला में गायों हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था भी नहीं है?

(4) क्या उक्त गौधन को स्वच्छ एवं पर्याप्त पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत व जनता द्वारा सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों पर किस-किस द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त गौशाला में गांयों को मीठा व फ्लोराइड विहीन पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त गौशाला हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कब तक करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम डूंगरी कलां में स्थानीय जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुरूप नहीं होने के कारण स्रोत ग्राम डूंगरी खुर्द से (लगभग 8 किलोमीटर दूर) स्वजलधारा योजना अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम की जल योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम के पास श्री जयरामपुरी जी महाराज का निजी आश्रम व गोशाला स्थित है जिसमें आश्रम प्रशासन द्वारा एक नलकूप व भू-तल जलाशय के माध्यम से निजी पेयजल की व्यवस्था की हुई है।

ग्राम में सरकार द्वारा ग्रीष्म में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जी हां। माननीय विधायक, सिविल लाइन, जयपुर ने पत्र दिनांक 12 मई, 2009 के माध्यम से वर्णित स्थान पर पेयजल व्यवस्था हेतु लिखा था परन्तु ग्राम की सम्पूर्ण पेयजल व्यवस्था ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति के अधीन होने के कारण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) उपरोक्तानुसार।

(6) उपरोक्तानुसार।

भरतपुर जिले में खेलों के विकास हेतु कार्य-योजना

511. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में खेलों के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्यालय स्तर पर खेल के विकास हेतु प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षकों को सरकार द्वारा क्या लक्ष्य दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्यालय वार छात्र चयनित कर उनकी मासिक स्तर वृद्धि जांचने (विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों को एथलेटिक्स स्पर्धाओं में) के प्रति सरकार की क्या योजना है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि महाविद्यालय स्तर पर भी खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षकों को उक्त प्रकार के लक्ष्य दिये जाते हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में दिये गये लक्ष्यों एवं परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला भरतपुर में कितने खेल प्रशिक्षण छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं तथा इनमें कितने खिलाड़ियों को किस-किस स्पर्धाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में खेलों के विकास हेतु राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाता है। जो स्थानीय खिलाड़ियों की आवश्यकता की यथा सम्भव पूर्ति करता है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना के अन्तर्गत भरतपुर जिले की ब्लाक पंचायत रूपवास व ग्राम पंचायत महमदपुरा, सिनसिनी, जुरहरा, कठोल, सतवाडी, बाबेन, हन्तरा, कैथवाडा, खोहरी, सीकरी, रूदावल, उच्चैन, बछामदी, जघीना, माढोनी एवं वल्लभगढ़ में खेल मैदान तैयार करने, खेल उपकरण उपलब्ध कराने व प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत भरतपुर जिले की शेष पंचायतों को वर्ष 2015-16 तक चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(2) विद्यालय स्तर पर खेल के विकास हेतु प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षकों को युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा कोई लक्ष्य नहीं दिये गये हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) युवा मामले एवं खेल विभाग की कोई योजना नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) भरतपुर जिले में खेल प्रशिक्षण छात्रावास संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

आसीन्द में खेल मैदान व स्टेडियम की स्थापना

512. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कहां-कहां खेल मैदान तथा स्टेडियम बने हुये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये खेल मैदान व स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां कितने व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत बदनोर, आंगुचा, सरेरी, हुरडा में खेल मैदानों का विकास/निर्माण किया जा रहा है।

(2) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत आसीन्द विधान सभा क्षेत्र की शेष पंचायतों को वर्ष 2015-16 तक चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधायें) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम में संशोधन

513. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नियमों के विपरीत बनाये गये नियम राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 एवं उसका एक संशोधन दिनांक

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

8-7-1999 वित्त व विधि विभाग की राय लिए बगैर राजपत्र में प्रकाशन के ही बना दिया? यदि हां, तो किस नियम के तहत? उक्त नियमों व संशोधनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियम व संशोधन की अधिसूचना भी नहीं निकाली गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 के बिन्दु संख्या 8 में सन् 2007 में संशोधन किया गया है? क्या उक्त को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश है।

(2) भाग-1 में वर्णित अनुमोदित दिशा-निर्देशों की अधिसूचना बाध्यकारी नहीं है।

(3) राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम, 1997 के बिन्दु संख्या 8 में वर्ष 2007 में संशोधन किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 29.11.2007 को हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर शहर में सारस चौराहे पर निर्मित सड़क

514. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एन.एच. संख्या 11 पर भरतपुर शहर में सारस चौराहे पर बनाई गई सड़क का डिजायन प्रोपर नहीं है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार उक्त डिजायन को तकनीकी तथा दुर्घटना के दृष्टिकोण से गलत मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका दुबारा डिजायन कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार की कार्यकारी एजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन.एच.-11 पर भरतपुर शहर में सारस चौराहे पर बनाई गई सड़क का डिजाइन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप है।

(2) जी नहीं। फिर भी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि उक्त स्थल पर दुर्घटनाओं को देखते हुए सारस चौराहे की डिजाइन की पुन: तकनीकी जांच करावें और यदि कोई खामी है तो यथाशीघ्र ठीक करवायें। प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दांतारामगढ़ की सड़कें

515. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम खण्डेलसर को सड़क से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त ग्राम को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) ग्राम शेरपुरा (दांतारामगढ़) की डामर सड़क को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ के ग्राम खण्डेलसर को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1986-87 में निर्मित डामर सड़क द्वारा जोड़ा जा चुका है।

डामर सड़क व गांव खण्डेलसर की मुख्य आबादी के बीच एक मंदिर व कुछ मकान स्थित हैं व मुख्य आबादी सड़क से मात्र 405 मीटर दूरी से प्रारम्भ हो जाती है व यह लम्बाई 500 मीटर से कम होने के कारण सड़क नीति के अनुसार गांव खण्डेलसर सड़क से जुडे होने की श्रेणी में है।

(2) जी नहीं। ग्राम खण्डेलसर को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1986-87 में जोड़ा जा चुका है।

(3) ग्राम शेरपुरा की डामर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत है। इसकी कुल लम्बाई 1.75 किमी. में से 485 मीटर के विवादित भाग को छोड़

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवादित लम्बाई का कार्य न्यायालय में लम्बित भूमि विवाद हल होने पर किया जाना सम्भव होगा।

शिवदासपुरा (जयपुर) रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज

516. **श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में शिवदासपुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो ओवरब्रिज का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर आर.ओ.बी. बनाये जाने हेतु कभी कन्सलटेन्ट/कन्सलटिंग की गई थी? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है? ओवरब्रिज निर्माण के मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिवदासपुरा, रेलवे फाटक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर स्थित है। इस राजमार्ग को चार लेन बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार शिवदासपुरा रेलवे फाटक पर परियोजना के प्रथम चरण (जयपुर से देवली) में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उपरोक्त आर.ओ.बी. बनाये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कन्सलटेन्सी प्रदान की गई थी।

कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रस्तावित ओवरब्रिज की योजना की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार ओवरब्रिज निर्माण के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट “क” पर संलग्न है।

(मानदण्डों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय चौहटन का मुख्यालय चौहटन पर स्थानान्तरण

517. **श्री पदमाराम** (चौहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पदमाराम)

(1) क्या सही है कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौहटन के नाम का कार्यालय बाड़मेर में संचालित है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय को विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय चौहटन पर स्थानांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चौहटन (मुख्यालय बाड़मेर) का कार्यालय चौहटन मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह विषय भविष्य में प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

रेवाणा से निमोर (अलवर) की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

518. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रेवाणा से निमोर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। रेवाणा से निभोर सड़क पर स्थित गांवों के आबादी क्षेत्र के अलावा सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

जी हां। उक्त सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादन करवाना प्रस्तावित है।

लोहावट विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण

519. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लोहावट की 'ओसियां से बिरलोका

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

सड़क' क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सड़क को दुरूस्त/ठीक कराने अथवा पुन: डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पुरानी एवं जर्जर अवस्था वाली सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण की कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लोहावट की ओसियां-रणजीतपुरा सड़क एम.डी.आर.-37 की कुल लम्बाई 35 कि.मी. है। इसमें विधान सभा क्षेत्र लोहावट में पड़ने वाला भाग कि.मी. 18/0 से 30/0 तक है। इस भाग के कि.मी. 18/0 से 20/0 तक का नवीनीकरण वर्ष 2002 में तथा कि.मी. 20/0 से 30/0 का नवीनीकरण वर्ष 2005-06 में किया गया है। तत्पश्चात् समय-समय पर पैच मरम्मत आवश्यकतानुसार की जाती रही है। सड़क की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। सड़क का पुन: डामरीकरण निर्धारित नवीनीकरण चक्र के अनुसार तथा राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा।

(2) जी हां। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्ठी संख्या आई.आर.सी. 82-1982 के अनुच्छेद संख्या-6 एवं राज्य सरकार की घोषित सड़क नीति 1994 के अनुच्छेद संख्या 8.3 के अनुरूप, एवं भारत सरकार के सी.आर.एफ. योजना के संदर्भ में 10 जुलाई, 2007 के राजपत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण (पुन: डामरीकरण) कराया जाता है। उल्लेखित अनुच्छेद की प्रतियां परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्टेट हाइवे नं. 48 क्षेत्र खैरवाड़ा का नवीनीकरण

520. डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र की खैरवाड़ा राणी छाणी सड़क स्टेट हाइवे नं. 48 है तथा उक्त सड़क गुजरात राज्य को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर केवल साढ़े तीन मीटर की चौड़ाई की डामर की हुई है? यदि हां, तो उक्त अन्तरराज्यीय सड़क की चौड़ाई एवं नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्तमान में यह सड़क तीन मीटर चौड़ाई की डामर सड़क है। सड़कों के चौड़ाईकरण हेतु राज्य सरकार की सड़क नीति 1994 में अनुच्छेद संख्या 8 में निर्धारित मानदण्ड एवं भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्ठी संख्या 64-1990 के मानदण्ड, यातायात 6000 पी.सी.यू. से कम यातायात होने के कारण इस सड़क का चौड़ाईकरण नहीं किया जा सका है। भविष्य में उक्त अन्तरराज्यीय सड़क की चौड़ाई एवं नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

देलून्दा ग्राम पंचायत मुख्यालय (बूंदी) हेतु सड़क निर्माण

521. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के देलून्दा पंचायत मुख्यालय की जनसंख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि गांव देलून्दा पंचायत मुख्यालय होते हुए भी किसी भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना में देलून्दा गांव को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के देलून्दा पंचायत मुख्यालय की जनसंख्या 2001 की जनगणनानुसार 1799 है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत मुख्यालय देलून्दा ग्राम बाजड़ (जो तालेड़ा-केशोरायपाटन सड़क के कि.मी. 8 में स्थित है) से जो सी.ए.डी. की सड़क कोटा को जाती है, उसके कि.मी. 6/0 से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क से जुड़ा हुआ है।

(3) जी नहीं। देलून्दा गांव पहले से डामर सड़क से जुड़ा हुआ होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पुन: जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों हेतु सुविधाएं

522. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने ईंट भट्टे कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने श्रमिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन ईंट भट्टों में कार्यरत मजदूरों को प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी नहीं देकर मजदूरों को कच्ची ईंट के निर्माण की संख्या के आधार पर मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक भट्टा मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन भट्टों पर श्रमिकों के साथ-साथ उनके छोटे-छोटे लड़के/लड़कियों द्वारा भी मिट्टी लाने, मिट्टी में पानी मिलाने तथा ईंटों को ले जाने का कार्य भी किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे ईंट भट्टों का कब-कब निरीक्षण किया गया व जांच के क्या परिणाम रहे तथा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ईंट भट्टों पर मजदूर झुग्गी झोपड़ी बनाकर बाल बच्चों सहित रहकर कार्य करते हैं? यदि हां, तो श्रमिकों के छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए ईंट भट्टा मालिकों द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में ईंट भट्टों का विभाग के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो एक वर्ष में किस-किस भट्टे पर किस-किस निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा वहां पर क्या-क्या कमियां पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 1274 ईंट भट्टे 24 जिलों में संचालित हैं जिनमें कुल 65129 श्रमिक कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी नहीं। ईंट भट्टों पर नियोजित होने वाले स्थाई कर्मकारों यथा मुनीम, सेल्समैन, जलाईवाले, बेलदार आदि को दैनिक/मासिक वेतन दिया जाता है परन्तु थपाई एवं निकासी व लोडिंग-अनलोडिंग वाले कर्मकारों को पीस रेट जो आपसी समझौते के आधार पर तय होते हैं, के अनुसार भुगतान किया जाता है। ये दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम नहीं होती हैं।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(3) जी नहीं। निरीक्षण के दौरान बाल श्रमिक नहीं पाये गये। विस्तृत सूचना परिशिष्ट- "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। ईंट भट्टों के पास ही झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं तथा श्रमिकों के छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा नजदीकी स्कूल एवं स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र में उपलब्ध है तथा कुछ नियोजकों द्वारा प्राथमिक उपचार की दवाइयां संस्थान में ही रखी जाती हैं।

(5) जी हां। विभाग के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षकों का नाम तथा उनके द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

523. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सांगानेर (जयपुर) में कार्यरत डी.पी.ई.पी. अध्यापकों को छठे वेतनमान का लाभ

524. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सांगानेर,

(श्री रामस्वरूप कसाना)

जयपुर के अधीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों को छठे वेतनमान के एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का अब तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) ब्लाक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय, सांगानेर, जयपुर के अधीन कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदस्थापित अध्यापकों को अभी तक छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त अध्यापकों को कब तक उक्त एरियर का भुगतान करा देगी? उक्त भुगतान देरी करने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षकों को एस.एस.ए. नार्म्स में निर्धारित एवं निश्चित राशि वेतन के रूप में देय है। सांगानेर ब्लाक में (AWP&B) वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2009-10 हेतु शिक्षक वेतन मद में राशि 10,11,88,591 रु. निर्धारित थी, जो ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सांगानेर को जिला परियोजना समन्वयक जयपुर द्वारा दिनांक 09.03.2010 तक हस्तान्तरित की जा चुकी है।

(2) जी हां। ब्लाक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर के अधीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित अध्यापक जिन्हें छठे वेतनमान के एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त अध्यापकों की एरियर राशि का भुगतान बजट उपलब्धता के अभाव में नहीं किया गया है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बकाया एरियर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इस हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज को स्थानान्तरित बांधों का रखरखाव

525. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर "दीपा"** (नदबई) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पंचायत समिति स्तर पर बंधों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु उन्हें स्थानान्तरित किये गये बंधों को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप ग्यारहवीं सूची में वर्णित विषयों से जुडी गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु सिंचाई विभाग के 0 से 80 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के तालाब/बांध वर्ष 2001 में तथा 80 से 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के तालाब वर्ष 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं जिसके तहत हस्तान्तरित तालाबों संबंधी समस्त क्रिया-कलाप, मरम्मत/रख-रखाव/समस्त आय प्राप्ति व उसका उपयोग आदि पंचायत राज संस्था द्वारा किये जावेंगे।

पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित तालाबों/बांधों को पुन: जल संसाधन विभाग में लिये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजनाएं

526. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजना धनवास, तीनधर, बांसखेड़ी लोढान की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2008 में दी गई थी? क्या उक्त कार्य गैर सरकारी संगठन सद्‌गुरु फाउण्डेशन द्वारा करवाया जाना था? किन्तु उक्त परियोजनाओं का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्य धनवास, तीनधार एवं बांसखेड़ी लोढान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2008 में जारी की गई थी। प्रारम्भ में इन कार्यो को गैर सरकारी संस्था मै. सदगुरू फाउन्डेशन द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित था। परन्तु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्य करवाए जाने हेतु राज्य सरकार की गाइड लाइन के मापदण्ड के अनुरूप एन.एम. सदगुरू का प्रस्ताव न होने के कारण यह कार्य एन.एम. सदगुरू द्वारा नहीं करवाया जा सका है।

(2) उपरोक्त कार्यो को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जा सकेगा।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के सेमनालों की सफाई

527. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील रावतसर व पीलीबंगा के बड़ोपल में दो सेमनाला (पाइलेट प्रोजेक्ट) केन्द्र व राज्य सरकार एवं जन सहभागीदारी द्वारा बनाये गये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइलेट प्रोजेक्ट (सेमनाला) सफाई (सिल्ट) के अभाव में अवरुद्ध हो गये हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या उक्त अव्यवस्था से सेम के पानी का बहाव रूक गया है? क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सेम समस्या के निवारण हेतु तहसील रावतसर क्षेत्र में रावतसर पाइलेट परियोजना व तहसील पीलीबंगा में बड़ोपल क्षेत्र में भैरूसरी बड़ोपल जाखड़ावाली योजनाऐं स्वीकृत हैं। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2000 को रावतसर पायलेट परियोजना जन सहभागीदारी आधार पर स्वीकृत की गई। उक्त परियोजना में दिनांक 31.03.2003 तक 0 से 15 किलोमीटर मुख्य ड्रेन का निर्माण करवाया गया।

राज्य सरकार द्वारा मानकथेडी, बडोपल, जाखडावाली, भैरूसरी सेमग्रस्त क्षेत्र के निवारण हेतु दिनांक 24.03.05 को मूल व दिनांक 04.02.08 को संशोधित योजना स्वीकृत की गई। यह स्कीम जन सहभागीदारी योजना के अन्तर्गत नहीं है। ड्रेन की खुदाई का कार्य वर्ष 2009 में पूर्ण हो गया था।

(2) जी नहीं।

(3) इस व्यवस्था में सेमग्रस्त क्षेत्र का आंशिक क्षेत्र सेम मुक्त हुआ है। रावतसर पाइलेट परियोजना की मुख्य ड्रेन का निर्माण कर इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 96.300 पर पम्प हाउस का निर्माण कर पम्पों की सहायता से सेम के पानी को मुख्य नहर में डाला जा रहा है। उक्त कार्य किये जाने से 3600 हैक्टर भूमि को सेम मुक्त किया जा चुका है। भैरूसरी से बड़ोपल तक सेमनाले का निर्माण कर योजना की क्रियान्वयन कर जाखड़ावाली क्षेत्र के सेम प्रभावित क्षेत्र से लगभग 3000 हैक्टर क्षेत्र को सेम मुक्त की गयी है।

प्रदेश में सांख्यिकी सहायक निरीक्षकों के रिक्त पद

528. श्री पेमाराम (धोद) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सांख्यिकी सहायक, निरीक्षक एवं संगणकों के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सांख्यिकी सहायक एवं संगणकों के पदों पर भर्ती की क्या प्रक्रिया है? शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती के मानदण्डों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पद कब से रिक्त हैं तथा अब तक इनको नहीं भरने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी निरीक्षक एवं संगणकों के वर्तमान में कुल स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
सांख्यिकी सहायक	821	127
सांख्यिकी निरीक्षक	284	96
संगणक	347	189

जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सांख्यिकी सहायक एवं संगणकों के पदों पर भर्ती के मानदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त पद कब से रिक्त हैं उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। उक्त पदों को नहीं भरने के कारण निम्नानुसार है :-

1. समय-समय पर भर्ती की प्रक्रिया पर रोक
2. न्यूनतम अर्हता में संशोधन की प्रक्रिया
3. पदौन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्रता सूची में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होना

(आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री)

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सांख्यिकी सहायकों के 16 रिक्त पदों (बैकलाग) की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। दिनांक 29 एवं 30 मार्च, 2010 को साक्षात्कार की तिथी तय की गई है।

न्यूनतम अर्हता में संशोधन प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् संवर्ग का पुनर्विलोकन करने उपरान्त सरकार भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीम विधान सभा क्षेत्र के पौराणिक स्थलों का जीर्णोद्धार

529. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के मदारिया मालियों का बास में राणा कुम्भा महल जन्म स्थली एवं चावण्ड माता मंदिर तथा वीरांगना पन्नाधाय के ससुराल हीम की कमेरी (माद) का जीर्णोद्धार करने हेतु मेवाड़ काम्प्लेक्स में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में इन स्थलों को मेवाड़ काम्प्लेक्स में जोड़ने के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले के धार्मिक स्थलों का पर्यटकीय विकास

530. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पाली जिले के चामुन्डा माता मन्दिर को पर्यटक स्थल विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत के चामुन्डा माता मन्दिर लुणावास हुल्लिया पगार, धारेश्वर महादेव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में इन स्थलों पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) वर्तमान में इन स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटकीय विकास

531. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के एकमात्र ऐतिहासिक स्थल विराटनगर को जहां पाण्डवकालीन अवशेष, बुद्धस्तूप, अकबर का स्मरण भवन, प्राचीन जैन मन्दिर, बाणगंगा का उदगम स्थल, इचके की पहाड़ी, प्राचीन गणेश मन्दिर, पाण्डवकालीन भटोड का भैंरू मन्दिर, देश का कपासन माता का एक मात्र मन्दिर स्थित है, को पर्यटक स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु पर्यटकों के आवागमन के आधार पर स्थल विशेष स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

मकराना विधान सभा क्षेत्र के नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

532. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के 193 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि मकराना क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में दो पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एवं एक पद आंगनबाड़ी सहायिका का और इकत्तीस पद आशा सहयोगिनियों के रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या मकराना क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में चलाने, आंगनबाड़ी केन्द्र पर उक्त रिक्त पदों को भरने

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

तथा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 163 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना मकराना ग्रामीण एवं मकराना शहरी का भाग सम्मिलित है। विधान सभा क्षेत्र मकराना ग्रामीण परियोजना में 120 केन्द्र वर्ष 1994-95 से तथा 7 केन्द्र वर्ष 2006 से किराये के भवनों में संचालित हैं। इसी प्रकार मकराना शहरी परियोजना के 37 आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 2005-06 से किराये के भवनों में संचालित हैं।

(2) जी हां।

1. आंगनबाड़ी केन्द्र मामड़ोली में कार्यकर्ता का 1 पद फरवरी 2009 से कालवा छोटी में 1 पद नवम्बर 2009 से रिक्त है।
2. आंगनबाड़ी केन्द्र लाडोली में सहायिका का 1 पद अक्टूबर 2009 से रिक्त है।
3. आशा सहयोगिनीयों के कुल 52 पद रिक्त हैं, इनमें से 26 पद 2005-06 से, 3 पद अक्टूबर 2009 से, 17 पद फरवरी 2009 से एवं 6 पद नवम्बर 2009 से रिक्त हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना मकराना ग्रामीण के लिए 18 आंगनबाड़ी तथा 7 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र नवीन स्वीकृति के तथा मकराना शहरी क्षेत्र के लिए 11 आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने के प्रस्ताव वर्ष 2009 में प्राप्त हुए।इस प्रकार प्राप्त कुल 36 प्रस्तावों में से भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले 30 प्रस्तावों को क्रमश: दिनांक 18.12.09, 2.03.2010 तथा 23.03.2010 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(4) राज्य में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराकर स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है तथा उपलब्धता अनुसार केन्द्र स्थानान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध नहीं हैं वहां पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

नवीन स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करने हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के चयन हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 24.02.2010 को प्रसारित कर दिये हैं।

विभाग को प्राप्त प्रस्तावों में से निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रस्तावों को बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखितानुसार स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

राजगढ़ तहसील मुख्यालय (अलवर) में निगम आगार की स्थापना

533. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ का तहसील मुख्यालय का कस्बा राजगढ़, अलवर-सिकन्दरा राजमार्ग पर होने के कारण यात्रियों का भारी दबाव है? क्या सरकार राजगढ़ में राजस्थान पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ से गुजर रहे अलवर-सिकन्दरा राजमार्ग पर स्थित राजगढ़ कस्बे के यात्रीभार को देखते हुए निगम वाहने संचालित की जा रही हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

अलवर शहर से राजगढ़ मात्र 36 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा अलवर जिले में अलवर, मत्स्य नगर एवं तिजारा (कुल 3 आगार) स्थापित हैं। चूंकि राजगढ़ में पूर्व से उप आगार स्थापित है अत: निगम की नीति के अनुसार इसे आगार में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-फुटोलाव-दौसा बस सेवा का झालाना आगार से संचालन

534. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालाना डूंगरी आगार से पथ परिवहन निगम की जयपुर-फूटोलाव-दौसा के लिए नियमित रूप से संचालित बस अब दौसा आगार से संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री गोपाल मीणा)

(2) उक्त बस को जयपुर से दौसा आगार में संचालित करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस दौसा आगार से नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में उक्त बस को पुन: झालाना आगार से संचालित करने के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया गया है? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त बस सेवा को पुन: दौसा आगार से हटाकर झालाना आगार से संचालित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि जयपुर-फुटोलाव-दौसा मार्ग पर जाने वाली वाह्न मांजी की छतरी से संचालित होती है तथा झालाना डूंगरी से मांजी की छतरी की दूरी लगभग 5 कि.मी. है उक्त मार्ग पर निगम द्वारा 2 परिचक्रों पर वाह्न संचालित है इस प्रकार उक्त वाह्न प्रतिदिन 10 किमी अनायिक (Dead Kms.) संचालित हो रही थी। जिससे निगम का एक माह में 300 किमी. का डीजल तथा टायर आदि का व्यय निरर्थक हो रहा था। इसे रोकने की दृष्टि से उक्त सेवा, झालाना डूंगरी आगार के स्थान पर दौसा आगार द्वारा संचालित की जा रही है।

(2) उक्त बस को दौसा आगार से संचालन के कारण प्रश्न के भाग संख्या के उत्तर में अंकित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। दौसा आगार द्वारा संचालित जयपुर-फुटोलाव बस सेवा का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है।

(4) जी हां। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में उक्त बस को पुन: झालाना आगार से संचालित करने के लिए सरकार को दिनांक 9.12.2009 को प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना का परीक्षण मुख्य प्रबन्धक, झालाना डूंगरी आगार से करवाया गया। परीक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। क्योंकि झालाना डूंगरी आगार से वाहनों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरंग मार्ग झालाना डूंगरी आगार के मध्य होकर निकाला जाना प्रस्तावित है। इस कारण उक्त बस का संचालन पुन: दौसा आगार के स्थान पर झालाना डूंगरी आगार से किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय झालाना डूंगरी अगार, जयपुर

क्रमांक 810-01　　　　　　　　　　　　दिनांक 19.3.2010

श्रीमान् कार्यकारी प्रबन्धक (याता.)

श्रीमान् कार्यकारी प्रबन्धक (सामान्य)

रा. रा. प. प. निगम,

जयपुर।

विषय :-ग्राम फुटोलाव के लिये बस सेवा संचालन के संबंध में।

प्रसंग :-श्रीमान् E-M (Tr) के पत्र क्र. 196 दि. 11.3.2010.

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम फुटोलाव के लिये झालाना डूंगरी आगार द्वारा Feb. 2005 तक बस सेवा संचालित की गई थी। उक्त वाहन मुख्यालय द्वारा अनायिक कि.मी. मांजी की छतरी से फुटोलाव-दौसा के लिये प्रस्थान करती थी। झालाना डूंगरी आगार से मांजी की छतरी की दूरी 5 Kms. है तथा उक्त वाहन प्रतिदिन 2 परिचक्र का संचालन करती है। जिससे 10 कि.मी. प्रतिदिन अनायिक कि.मी. होते हैं। तथा प्रतिमाह 300 कि.मी. अनायिक होने से डीजल, टायर आदि पर अधिक राशि व्यय करनी पड़ती थी। इस निरर्थक व्यय को रोकने के उद्देश्य से ही उक्त बस सेवा को दौसा-आगार को स्थानान्तरित की गई थी। तब से ही उक्त बस सेवा दौसा आगार द्वारा संचालित की जा रही है।

झालाना डूंगरी आगार के मध्य होकर टनल रोड बनाया जाना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है। इस हेतु आगार की भूमि का अधिग्रहण किये जाने से झालाना डूंगरी आगार को बन्द किया जा रहा है। इसलिये जयपुर-फुटोलाव वाहन सेवा का संचालन झालाना डूंगरी आगार द्वारा किया जाना सम्भव नहीं होगा।

ह./-
मुख्य प्रबन्धक
रा.रा.प. प. निगम
झालाना डूंगरी आगार

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बस सेवाएं

535. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में परिवहन निगम द्वारा कौन-कौन से मार्गों पर किस-किस समय पर कितनी बसें संचालित की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार परबतसर वाया खाटु तरनाऊ रूट को बोरावड़ से तरनाऊ तक राष्ट्रीयकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नागौर से जयपुर चलने वाली रोडवेज बसों में से एक बस सुबह के समय वाया बिदीयाद होते हुए परबतसर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा जिन-जिन मार्गों व समय पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(3) नागौर से जयपुर के लिए वाया खाटु मकराना परबतसर होकर संचालित हो रही दो बसों में से एक बस को सुबह बिदियाद होते हुए परबतसर चलाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि मकराना-बिदियाद-परबतसर मार्ग अराष्ट्रीयकृत है जिस पर निजी वाहनें संचालित हो रही हैं तथा सुबह के समय बिदियाद होकर वाहन संचालन हानिप्रद रहने की सम्भावना है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान परिवहन निगम में नवीन कार्मिकों की भर्ती

536. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 793 कार्मिकों की भर्ती करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उनमें से कितने कार्मिकों की भर्ती की गई एवं नहीं, तो क्यों? उक्त भर्ती किये गये कार्मिकों का कहां पदस्थापन किया गया?

(श्री अर्जुन लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा 1000 पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें क्रय की गई हैं? यदि हां, तो कितनी बसें क्रय कर किस-किस डिपो में भेजी गई व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उनमें से अभी तक किसी भी कार्मिक की भर्ती नहीं की गई है। 793 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 219/2009-10 दिनांक 5.3.2010 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 20.4.2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(2) वर्ष 2009-10 के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी बसों के क्रय की स्वीकृति के क्रम में 400 बसें JNNURM scheme के तहत जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट हेतु खरीदने की कार्यवाही JCTSL द्वारा की जा चुकी है। इनमें से अब तक 47 बसें प्राप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार 35 बसें JNNURM scheme के तहत अजमेर सिटी ट्रान्सपोर्ट हेतु खरीदने की कार्यवाही ACTSL द्वारा की जा चुकी है, सभी 35 बसें प्राप्त हो चुकी हैं। शेष 650 नई बसें खरीदने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा निगम को दी गई है, जिसके क्रम में 650 चैसिस खरीदने एवं बस बाडीज बनवाने हेतु क्रय/कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं। दिनांक 18.3.2010 तक 149 चैसिस प्राप्त कर बस बाडी निर्माण हेतु बस बाडी निर्माताओं को जारी कर दिये हैं, जिन पर वर्तमान में बस बाडीज का निर्माण कार्य जारी है। अत: बसें बनकर प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित आगार को आबंटित कर भेजी जावेगी।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में संविदा परमिट निजी वाहन

537. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के शहर बालोतरा से कुल कितने संविदा परमिट निजी यात्री वाहन गुजरते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वाहनों के पास बालोतरा से यात्री भार उठाने का परमिट है? यदि नहीं, तो उक्त वाहनों द्वारा बालोतरा से यात्री भार किस आधार पर उठाया जा रहा है?

उत्तर

(1) चूंकि संविदा वाहन परमिट वाले यात्री वाहन एक निश्चित स्थान से निश्चित गंतव्य तक यात्रियों को यात्रा कराने हेतु अधिकृत होते हैं अत: ऐसे परमिट

(यातायात मंत्री)

धारी वाहनों का मार्ग विशेष निर्धारित नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के शहर बालोतरा से गुजरने वाले संविदा परमिट निजी यात्री वाहनों की संख्या निर्धारित एवं निश्चित नहीं है।

(2) संविदा वाहन परमिटों के अन्तर्गत संचालित होने वाले वाहन संविदा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रास्ते के बीच सवारियां न उतारने व न चढ़ाने की शर्त पर यात्रियों को यात्रा कराने हेतु अधिकृत होते हैं किन्तु ऐसे वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते अथवा बिना परमिट चलते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। बालोतरा से होकर गुजरने वाले संविदा परमिट निजी यात्री वाहनों के विरुद्ध परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने एवं बिना परमिट चलने के आरोप में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :-

वाहन का प्रकार	बनाये गये चालानों की संख्या	वसूल की गई प्रशमन राशि
बस	34	226750/-
टैक्सी कार/जीप	23	45700/-
योग	**57**	**272450/-**

माडा ग्राम कालाभाटा (जहाजपुर) का सड़क निर्माण कार्य

538. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माडा लघुखण्ड जहाजपुर के माडा ग्राम कालाभाटा को सड़क से जोड़ने के लिए स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति मय आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त माडा ग्राम कालाभाटा को सड़क से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण के शेष कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माडा लघुखण्ड जहाजपुर के माडा ग्राम कालाभाटा को सड़क से जोड़ने हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. सं.	दिनांक	राशि (लाखों में)
1.	12.6.2007	10.50
2.	19.5.2008	15.69
3.	07.8.2008	13.00
4.	23.5.2008	7.50
	योग	**46.69**

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) माडा ग्राम कालाभाटा को सड़क से जोड़ने की कुल लम्बाई 4.00 किलोमीटर में से 3.2 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 0.80 किलोमीटर का कार्य शेष है। जिसका तकमीना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तकमीना प्राप्त होने पर उपलब्ध राशि अनुसार स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान

539. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 29.9.09 को प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान दिये जाने तथा वेतन आयोग से सम्बन्धित चड्डा कमीशन द्वारा अनुशंसित लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान तथा चड्डा कमीशन द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार लाभ दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षकों को लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करने हेतु आदेश क्रमांक पं. 6(29)प्रसु-3/2009 दिनांक 23.7.2009 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

(3) समिति की रिपोर्ट आने पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।

कृषि उपज मण्डियों के निर्माण कार्यों हेतु संवेदकों को भुगतान

540. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों की राशि मण्डी समितियों द्वारा ही वहन की जाती है तथा उक्त राशि का भुगतान संवेदक को मण्डी समिति द्वारा सीधा नहीं किया जाकर अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है और इस माध्यम से किये जाने वाले भुगतान पर आयकर विभाग द्वारा टीडीएस की मांग की गई है?

(2) क्या सरकार मण्डी समिति को इस नुकसान से बचाने के लिए संवेदकों को मण्डी से सीधे ही भुगतान करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा स्वयं कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के तहत ही गठित राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडी समितियों के निर्माण कार्य कराये जाते हैं एवं निर्माण कार्यों का भुगतान संवेदक को बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्माण कार्यों हेतु मण्डी समितियों के द्वारा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को दी जाने वाली राशि पर आयकर विभाग द्वारा टी.डी.एस. की मांग की गयी है।

(2) आयकर विभाग द्वारा टी.डी.एस. की मांग किये जाने के बिन्दु का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त ही समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ द्वारा स्वीकृत सड़कें

541. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) वर्ष 2009-10 में कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ को किस-किस मद से कितनी आय हुई एवं किस-किस मद में कितना व्यय किया गया तथा अंतिम शेष राशि कितनी रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ ने कितने किलोमीटर सड़क के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये एवं इनमें से किन-किन गांवों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई तथा कितनी विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व में मंडी द्वारा निर्मित सड़कों में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और इनका सुदृढ़ीकरण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में फरवरी 2010 तक कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ की कुल आय 212.56 लाख रु. हुई। इसमें से 156.67 लाख रु. व्यय हुआ मदवार आय व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है। कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ में दिनांक 28.2.2010 तक अन्तिम शेष राशि 113.46 लाख रु. है।

(2) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार कषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ से नवीन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ द्वारा 32 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है जिनमें से निम्न 5 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं :-

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	निर्माण वर्ष	लम्बाई किमी	लागत लाख रु.
1.	बडी लाक	1999-00	4	47.00
2.	जाजली	1999-00	3.50	40.00
3.	असावता	1999-00	7	88.25
4.	बोरो	1999-00	2	20.50
5.	जोलर	1999-00	5	58.88

क्रम 5 पर अंकित सम्पर्क सड़क की विशेष मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। शेष सड़कों की विशेष मरम्मत मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ की आय व्यय वर्ष 2009-10
(फरवरी 2010 तक)

आय मद	(राशि लाख रु. में)
अनुज्ञापत्र शुल्क	0.04
मण्डी शुल्क	200.62
जमाधन पर ब्याज	0.44
आबंटन शुल्क	4.00
फार्म पर्ची विक्रय से	0.53
विलम्ब शुल्क	0.10
वादशमन	0.14
अन्य आय	6.69
योग आय	212.56
व्यय मद	
संस्थापन व्यय	43.51
बोर्ड अंशदान/किसान कल्याण कोष	30.55
मण्डी सुविधाओं पर	11.11
निर्माण कार्यों पर	55.48
अन्य व्यय	16.02
योग व्यय	156.67
अन्तिम शेष (दिनांक 28.2.2010)	113.46

बीकानेर जिले की फल एवं ऊन मण्डी की चारदीवारी का निर्माण

542. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की फल, सब्जी एवं ऊन मण्डी द्वारा चारदीवारी को ठीक कराने व ऊन मण्डी से निकल रही विद्युत की हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए मण्डी निदेशालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को गत तीन वर्ष पूर्व प्रस्ताव भेजे गये हैं? यदि हां, तो कितने? अध्यक्ष के पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की फल, सब्जी ऊन मण्डी के पास खुद की धनराशि होने के बाद भी निदेशालय द्वारा लम्बे समय तक निर्णय नहीं लेने का क्या कारण रहा है? क्या सरकार समय पर निर्णय नहीं लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी बीकानेर फ.स. से हाईटेंशन लाइन हटाने का कोई प्रस्ताव वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में प्राप्त नहीं हुआ। चारदीवारी हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं उन पर की कई कार्यवाही का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण
2007-08	6/24.7.2007	प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 17.9.2007 द्वारा चारदीवारी की विशेष मरम्मत हेतु 13.90 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई।
2008-09		वर्ष 2008-09 में मण्डी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
2009-10	27/12.6.2009	प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मण्डी समिति की बचत उपलब्धता ऋणात्मक (-) 20.91 लाख रुपये होने से क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत हेतु स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति फ.स. बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक 9.5.2007 की प्रति संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर यथा समय कार्यवाही की गई है। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्धता के अनुरूप विचार किया जा सकेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डी समितियों में अधिकारियों का नियम विरुद्ध पदस्थापन

543. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में स्थानान्तरण नीति निर्धारित है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के कृषि विपणन विभाग में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने अधिकारी पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि विपणन विभाग में संवर्ग के अनुरूप अधिकारी उपलब्ध होने के उपरान्त भी अधिकारियों को नीति विरुद्ध विभिन्न मण्डी समितियों में पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नीति विरुद्ध पदस्थापित अधिकारियों का नीति अनुरूप पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि विपणन विभाग में निम्न अधिकारी पदस्थापित हैं :-

कृषि विपणन राज्य सेवा

1.	संयुक्त निदेशक	—	—
2.	उपनिदेशक	—	4
3.	सहायक निदेशक	—	27
4.	विपणन अधिकारी	—	38

अधिनस्थ सेवा

1.	कनिष्ट विपणन अधिकारी	—	95

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(4) इस सम्बन्ध में नीति अनुरूप शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति व सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर कृषि मण्डी द्वारा कृषकों को प्लेटफार्म/दुकानों का आबंटन

544. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर कृषि मण्डी द्वारा किसानों को अपने उत्पाद बेचने हेतु प्लेटफार्म एवं दुकानें या अन्य कोई भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो आबंटित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अभी भी इनको प्लेटफार्म/दुकान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) उदयपुर द्वारा किसानों को अपने उत्पाद बेचने हेतु प्लेटफार्म एवं दुकानें या अन्य कोई भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) उदयपुर द्वारा किसानों को गौण मण्डी प्रांगण खेरवाडा में अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के प्रावधानानुसार वर्ष 2006-07 में कृषक कोटे के तहत 4 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर किसानों को आबंटित किये गये हैं। आबंटियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आबंटित व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान	भूखण्ड संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	श्री विमल कोठारी	श्री मोतीलाल कोठारी	मु. खैरवाड़ा, तह. खैरवाडा, उदयपुर	17
2.	श्री जयनारायण	श्री केवलचंद	मु. पो. खाड़ीवाला तह. खैरवाड़ा, उदयपुर	18

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

1	2	3	4	5
3.	श्री नानालाल अहारी	श्री हरजी	मु. पो. केसरीया तह. खैरवाडा, उदयपुर	7
4.	श्री निर्भयसिंह	श्री नाहरसिंह	मु. पो. छोडी तह. खैरवाड़ा, उदयपुर	31 आरक्षित एससी/ एसटी वर्ग हेतु

(2) उक्त दोनों मण्डियों में भविष्य में आबंटित होने वाले भूखण्डों/दुकानों में से विभागीय आबंटन नीति के अनुसार कृषकों को कृषक कोटे के भूखण्ड/दुकान आबंटित किये जावेंगे।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

मेड़ता कृषि उपज मंडी समिति निर्मित सड़कों की मरम्मत

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता जिला नागौर के अन्तर्गत वर्ष 1995 से पूर्व कृषि उपज मण्डी द्वारा जो सड़कें बनवायी गई थी। वह वर्तमान में जीर्ण-शीर्ष अवस्था में हैं तथा इसके बाद से जब-जब भी कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं वह सब वर्तमान में टूटी हुई अवस्था में है। ये सड़कें टूटी-फूटी होने के कारण किसानों को जीरा, रायडा और सभी प्रकार के अनाजों को लाने ले जाने में आवागमन के कारण काफी असुविधा होती है और परेशानी भी होती है।

माननीय कृषि मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी से पिछले तीन वर्षों में मेड़ता मण्डी से कितनी आय हुई है। सालाना बतायें और उसमें से कितनी राशि सड़कों की मरम्मत हेतु व्यय की गई है।

अत: मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेड़ता कृषि उपज मण्डी द्वारा बनवायी जाने वाली टूटी हुई सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवायी जाये। ताकि किसानों को किसी अप्रिय दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ें।

सुखाराम नेतड़िया

(मेड़ता)

जायल विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय जायल में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का निवेदन करती हूं।

जायल मुख्यालय से 50 कि.मी. की दूरी में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जायल तहसील में गरीब व पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रायें 12वीं कक्षा के आगे की शिक्षा से पूर्ण वंचित है क्योंकि उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2005 से

नाममात्र की निजी कालेज खोली हुई है जो कि किराये के मकान में चल रही है जहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार की कालेज के आढ़ में सरकारी महाविद्यालय खोलने में जो बाधा बताई जा रही है वह व्यवहारिक नहीं है। पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा को महत्व देना अति आवश्यक है, साथ ही हमारा हक है कि हमारे गरीब छात्र-छात्रायें कम से कम स्नातक शिक्षा अपने क्षेत्र में प्राप्त करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि मेरे क्षेत्र जायल में राजकीय महाविद्यालय खोलकर अनुग्रहित करावें।

मंजू देवी

(जायल)

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के गांवों व कस्बों की पेयजल समस्या का निराकरण

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पेयजल की गम्भीर समस्या है। वर्तमान में अपर्याप्त स्रोत हैं, उनमें भी फ्लोराइड की समस्या है, आम जनता को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है जिसकी वजह से कई तरह के शारीरिक रोग एवं विकृतियां पैदा हो रही हैं। गर्मियों में क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की आंशका है।

अत: मेरी मांग है कि बीसलपुर द्वितीय चरण (पीसांगन प्रोजेक्ट) में पीसांगन तहसील के 53 मुख्य गांव व 85 उपगांवों, अजमेर तहसील के 59 मुख्य गांव व 84 उपगांवों एवं रूपनगढ़ फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट में उपतहसील रूपनगढ़ के 29 गांव 117 ढाणियां शेष आते हैं। उक्त लगभग सभी गांव विधान सभा क्षेत्र पुष्कर एवं नसीराबाद के अन्तर्गत आते हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा जन. स्वा. अभि. मंत्रीजी से अनुरोध है कि गर्मियों से पहले विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के विभिन्न गांवों एवं कस्बों की पेयजल समस्या निराकरण के लिए कृपया बीसलपुर द्वितीय चरण में उक्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन से जोड़ने के लिए राशि का आबंटन व वित्तीय स्वीकृति जारी करने के आदेश जारी करावें।

नसीम अख्तर इंसाफ

(पुष्कर)

बीकानेर में मेगाफूड पार्क बनाया जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान बीकानेर जिले में मेगाफूड पार्क स्थापित करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने बजट में मेगाफूड पार्क मद में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसमें से एक परियोजना राजस्थान में स्थापित की जानी थी। बीकानेर मेगाफूड पार्क बनाने के लिए उपयुक्त स्थान है क्योंकि बीकानेर का रसगुल्ला व पापड़ भुजिया देश में ही नहीं वरन विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि 50 करोड़ की लागत से यहां मेगाफूड पार्क बनाया जाता है तो इस लघु उद्योग को चार चांद लग जायेंगे।

बीकानेर जिले में इस लघु उद्योग के पनपने का मुख्य कारण है यहां मूंग, मोठ, मूंगफली व दूध का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। बीकानेर का शुष्क वातावरण भी इसमें सहयोगी हैं। यहां के व्यापारियों ने अन्य स्थानों पर कच्चा माल व पानी ले जाकर रसगुल्ला, पापड़ भुजिया बनाने की कोशिश की है लेकिन बीकानेर जैसा स्वाद नहीं बैठा।

यदि सरकार बीकानेर में मेगाफूड पार्क स्थापित करती है तो यहां स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय में खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम खोले जा सकते है। इसका लाभ बीकानेर में खाद्य प्रसंस्करण की 500 लघु इकाइयों व बड़े उद्योगों को भी मिलेगा। साथ ही किसानों को भी अच्छा लाभ मिलेगा, उनके द्वारा उत्पादित मोठ, मूंगफली व दूध की खपत बढ़ेगी।

बीकानेर में भुजिया उत्पादन के लिए मूंगफली का तेल ज्यादा उपयोग होता है, इस कारण सैकड़ों तेल मिलों को व मूंगफली गोटा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यदि बीकानेर में मेगाफूड पार्क की स्थापना की जाती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बीकानेर जिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा जिला है यहां अधिकतर लोग कृषि एवं पशुपालन से जुडे हैं एवं अपने पारम्परिक कार्य के अलावा घर-घर में पापड़ बेलने, मूंगफली के गोटे निकालने, भुजिया व रसगुल्लों की फैक्ट्रियों, तेल मिलों में मजदूरी करते हैं, यहां के अधिकांश युवक रोजगार की तलाश में सूरत, मुम्बई में कपड़ा व्यवसायियों के यहां मजदूरी करने जाते हैं, उनको यहां रोजगार मिल सकेगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार बीकानेर में मेगाफूड पार्क बीकानेर में स्थापित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवायें।

मंगलाराम गोदारा

(डूंगरगढ़)

श्रीगंगानगर जिले में हटाये गये अतिरिक्त पैराटीचर्स को प्रबोधक पद पर नियुक्ति दिया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीगंगानगर जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त पैराटीचरों की नियुक्ति के लिए फरवरी, 03 में विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें चयन हेतु बी.ई.ई.ओ. के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के द्वारा साक्षात्कार द्वारा अतिरिक्त पैराटीचरों का चयन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया।

श्रीगंगानगर जिले में कुल 302 अतिरिक्त पैराटीचरों को चयनित करते हुए 42 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद 01 अप्रेल, 03 से नियुक्ति दी गयी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इन अतिरिक्त पैराटीचर ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की परिणामस्वरूप इन विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ी। इन अतिरिक्त पैराटीचरों ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए निर्देशानुसार अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी ड्यूटी दी। भाजपा के शासन काल में 30 सितम्बर, 04 को बजट का अभाव दर्शाते हुए श्रीगंगानगर जिले में 302 प्रशिक्षित पैराटीचरों को हटाने के आदेश जारी कर दिये। नाममात्र के मानदेय 1260/- रु. पर कार्य करने वाले इन अतिरिक्त पैराटीचरों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया। जबकि राजस्थान के अन्य किसी भी जिले में ऐसा नहीं किया गया।

मेरा मान्यवर से निवेदन है कि श्रीगंगानगर जिले के इन 302 अतिरिक्त पैराटीचरों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति का लाभ दिया जावे क्योंकि ये लोग प्रशिक्षित हैं एवं इन्हें कार्य अनुभव भी है। इन्हें नियुक्ति देने से 302 परिवारों को भरण-पोषण का लाभ मिलेगा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी।

पवन दुग्गल

(अनूपगढ़)

केकड़ी में पुरानी सीमेंट पाइप लाइन को स्टील पाइप लाइन में बदल पेयजल समस्या का समाधान

मैं सदन का राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय केकड़ी में पेयजल की अत्यन्त समस्या है। इस ग्रीष्मकाल में यदि कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई तो

स्थानीय जनता को पेयजल हेतु भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। वर्तमान में केकड़ी शहर में पेयजल सप्लाई हेतु 50 वर्षों पुरानी सीमेन्ट की पाइप लाइन डाली हुई है, जिसके जगह-जगह से लीकेज हो जाने के कारण एवं बार-बार टूट जाने के कारण पेयजल सप्लाई बार -बार बाधित होती है। उक्त पाइप लाइन पुरानी होने के कारण जगह-जगह जड़े जमा चुकी है, जिससे पानी दुषित होकर के आम जनता तक पहुंचता है, जिसके कारण कभी भी क्षेत्र में बीमारियां फेल सकती हैं।

स्थानीय जनता द्वारा बार-बार क्षेत्र के 50 वर्षों पुरानी इस सीमेंट पाइप लाइन को बदलने की मांग की गई, जिस पर मैंने सरकार से व इस सदन के माध्यम से भी इस पाइप लाइन को बदलकर स्टील की पाइप डाले जाने की मांग की है।

पुन: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय केकड़ी के 50 वर्षों पुरानी सीमेंट पाइप लाइन को बदलकर उसके स्थान पर स्टील पाइप लाइन डलवाने की कृपा करावें ताकि स्थानीय जनता को इस ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या से निजात दिलवाई जा सके एवं पेयजल उपलब्धता हेतु कोई ठोस योजना बनाकर के स्वीकृति प्रदान की जाये।

डा. रघु शर्मा

(केकड़ी)

किसानों के थ्री फेस विद्युत कनेक्शनों को सिंगल फेस में परिवर्तन कराने हेतु नियमों में संशोधन

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निरन्तर भू-जल स्तर गिर रहा है जो करीब 250'-300' से बढ़कर आज करीब 600' गहराई तक पहुंच गया है तथा काश्तकार जिन्होंने अपने नलकूपों पर 250'-300' पानी उपलब्ध होने की स्थिति में खेतों की सिंचाई हेतु उस समय 30 से 40 हार्स पावर तक थ्री फेस कृषि कनेक्शन ले रखे थे। आज नलकूपों एवं भू-जल करीब 600' गहराई तक चले जाने एवं भू-जल कम होने की स्थिति तथा बार-बार ट्रिप झटकों के साथ बिजली मिलने के कारण खेती की सिंचाई पर्याप्त नहीं हो रही है इस कारण काश्तकार परेशान होकर अपने कनेक्शन कटवा रहा है और नलकूपों एवं अपने कृषि फार्म पर आबाद होने के कारण पशुओं के एवं स्वयं के पीने के पानी की कमी से भी दु:खी है। अत: वे किसान अपने थ्री फेस कनेक्शन को सिंगल फेस के कनेक्शन में परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि पानी की कमी व बिजली

की कमी तथा सिंचाई महंगी होने तथा एक बार बिजली का ट्रिप आने पर प्रति ट्रिपींग 4 से 5 यूनिट तथा नलकूप से हौज तक बिना पानी मिले 20 से 25 यूनिट खर्च हो जाते हैं। जो काश्तकार और सरकार के हित में नहीं है। इससे काश्तकार को यह सिंचाई महंगी साबित होती है।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मांग है कि राजस्थान के किसानों को थ्री फेस कृषि कनेक्शन में परिवर्तन करने हेतु नियमों में संशोधन करावे कि किसान 7.5 से 10 हॉर्स पावर तक का पम्प लगाकर अपने पशुओं के लिए तथा स्वयं के परिवार के लिए पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो सके।

अर्जुन लाल

(बिलाड़ा)

भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नन्नाणा, गरदाना खोडिप में भू-जल संरक्षण के तहत वाटर शेड कार्यक्रम की जांच

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नन्नाणा, गरदाना खोडिप में वर्ष 2006-07 से भूजल संरक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें 10 वाटर शेड कार्य स्वीकृत है एवं राशि 300 लाख है। इसमें से फरवरी, 2010 तक 225 लाख की राशि खर्च हो चुकी है। जिस तरह से इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौके पर कुछ भी भौतिक कार्य नहीं हुआ है। व्यक्तिगत लाभान्वित किसानों की संख्या 1030 दर्शा रखी है जबकि वास्तव में इतने लोगों को फायदा नहीं हुआ है।

इसी प्रकार अभी 8,60,0001 का बीज खरीदा वो भी मौके पर किसानों को नहीं दिये गये हैं। इसकी पूरी जरमीनेशन रिपोर्ट मंगवा कर जांच करायी जावे। साथ ही सुखवाडा व नाहरगढ़ में नये कार्य स्वीकृत हुए हैं उसमें भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्हें भी बन्द कराये जावें। यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि वाटर शेड कार्यक्रम में अधिकारियों की मिलीभगत से नाम मात्र का भौति कार्य किये बिना करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। संलग्न सूची में दर्शाए गांवों में 500 एकड राजकीय भूमि ही उपलब्ध नहीं हो तो भौतिक काम तो कागजों तक ही सीमित रहना स्वाभाविक है।

अत: प्रस्ताव प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वोटर शेड प्रोजेक्ट की जांच करा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष रूप से बी.डी.ओ. को हटाकर कार्यवाही की जावे।

नरपत सिंह राजवी

(विद्याधर नगर)

जयपुर शहर में भूमिगत विद्युत केबल डालने के कार्य में विलम्ब

जयपुर शहर में बिजली के तारों का जो मकड़जाल फैला हुआ है, उसको हटाकर भूमिगत लाइनें डालने की व्यवस्था चालू की गयी थी। उसमें काफी देरी हो रही है। कई स्थानों पर विद्युत केबल डाले जाने के दौरान खम्भे/विद्युत पोल हटाकर सार्वजनिक रोशनी की लाइटें हटा दी जाती हैं। जिसके कारण कई माह तक उन गलियों में अंधेरा रहता है, जिसके कारण चोरी, डकैती, लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं तथा शाम होते ही समाज कंटको का जमावड़ा लगा रहता है। शाम को आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अत: जब तक सार्वजनिक रोशनी की व्यवस्था नहीं हो तब तक पुरानी लाइटों को नहीं हटाया जाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जनता को राहत देने के लिए रोज जो दुर्घटनाएं होती हैं, हाइ वोल्टेज के द्वारा जनता के उपकरणों का जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा व अन्य घरेलू विद्युत उपकरण जल जाने से नुकसान होता है। जिसकी जवाबदेही विभाग भी नहीं लेता है और उपभोक्ता पर ही इसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। विभाग द्वारा जयपुर में उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर बदले जा रहे हैं। जो काफी घटिया किस्म के लगाये जा रहे हैं जिसके कारण आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बहुत बढ़े हुए आ रहे हैं। आम जनता को इससे राहत देने के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है। इसमें बिजली चोरी की सम्भावना भी बहुत ज्यादा रहती है।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आम उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

मोहनलाल गुप्ता

(किशनपोल)

संगरिया विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मोघों से किसानों को पानी अनापूर्ति के चलते लगान माफी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पांच मोघे सीधे लगे हुए हैं। इन मोघों से इस साल एक बार भी पानी नहीं मिला है। चूंकि नहर में मोघे 14000 क्यूसेक मीटर/सैकेण्ड के हिसाब से ऊंचे लेवल पर लगाये गये थे। अब इस नहर में पानी इस लेवल पर नहीं चलता है। किसानों को इस साल में बिलकुल भी पानी नहीं मिला है। इस तरह भाखड़ा नहर परियोजना में भी इस बार पानी आधा ही मिला है।

मेरे क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर लगे पांच मोघों के क्षेत्र कुलचन्द, सहारणी, सिलवाला कलां, सिलवाला खुर्द, बेहरवाला, मंसीतावाली, सूरेवाला, टिब्बी, राठीखेड़ा आदि गांवों में नहर के पानी से कोई भी फसल उत्पादन नहीं हुई है। किसानों द्वारा ट्यूबवैलों के पानी से ही फसल पैदा की व बिजली का अतिरिक्त बिलों का भुगतान किया जाता है। जब किसानों को पानी ही नहीं मिला तो किसानों से लगान किस बात का लिया जा रहा है। अत: निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का फसली लगान बिलकुल माफ किया जाये। जिससे किसानों को दोहरे खर्चे से बचाया जा सके। इसी प्रकार भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को नहर से सिंचाई के लिये आधा पानी ही मिला है इस कारण उनसे भी आधा ही लगान वसूल किया जाये।

अत: निवेदन है कि सरकार द्वारा लगान माफ कर किसानों के हितों की रक्षा करवाने का कष्ट करें। इसके अभाव में यह भी सम्भव है कि किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या ना करने लग जाये। अत: इस स्थिति से बचने के लिये पूर्व में ही आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह

(संगरिया)

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में कंटिंजेंसी व विधायक कोटे से स्वीकृत पेयजल योजना

मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पेयजल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए सरकार में कंटिंजेंसी में ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत किये थे, लेकिन जून 2009 तथा दिसम्बर, 2009 तक पंचायत समिति राजगढ़ व थानागाजी में आज तक ट्यूबवैल व हैण्डपम्प नहीं लगाए गए हैं। कंटिंजेंसी पंचायत राजगढ़ में कारोट में जून 2009 की कंटिंजेंसी से स्वीकृत ट्यूबवैल अभी तक नहीं लगे हैं, तथा करीब 21 हैण्डपम्प भी अभी तक नहीं लगाए गए हैं।

विधायक कोटे से सिंगल फेस की मोटर व टंकी निर्माण जिनकी कार्यवाही एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बनाया गया था, जिनमें ग्राम पंचायत बन्जारा बास (थाना राजाजी) टहला, पावटा, पंचायत समिति राजगढ़ तथा भीकमपुरा बाली की ढाणी (मालूताना), टोडा (लालपुरा) जैतपुरा (समरा) में दिये हुए हैं। पिछले एक वर्ष से जलदाय विभाग के पास राशी भिजवा दी गई है लेकिन आज तक विभाग ने एक भी कार्य को चालू नहीं कियाहै अत: पानी की विकट परिस्थितियों को देखते हुए

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित कंटिंजेंसी तथा विधायक कोटे से स्वीकृत पेयजल योजनाओं को तुरन्त चालू कराने की व्यवस्था करें।

हेमसिंह भड़ाना

(थानागाजी)

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की रूपारेल नदी पर पुल निर्माण

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र श्रीरामगढ़ अलवर में बहने वाली रूपारेल नदी के कारण वर्षा काल में आने वाली कठिनाई के कारण जनता को सुविधा देने के लिए दो पुल बनाने हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय/सभापति महोदय मैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री को आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के बीचों-बीच रूपारेल नदी बहती है। वैसे तो इन कई वर्षों में वर्षा कम नहीं हो रही है। किन्तु फिर भी जितनी वर्षा होती है उसमें ही रूपारेल नदी जो सैंथली और निजाम नगर के बीच बहकर निकलती है, इसके बड़ौदा मेव क्षेत्र के लगभग 100 गांव/ढाणी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है, एक-दूसरे के सम्पर्क से टूट जाता है।

इसी प्रकार ग्राम चिमरवाड़ा से जलालपुरा (नगर विधान सभा क्षेत्र) के बीच जब रूपारेल नदी बहती है, तब लगभग 200 गांव ढाणी प्रभावित होती है, आपसी संपर्क से कट जाती है। जनता को काफी असुविधा होती है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं से वंचित हो जाते हैं।

अत: माननीय मंत्रीजी राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन स्थानों पर पुल बनाने का कष्ट करें। आपको मेरे क्षेत्र के ग्रामवासी जनता तो दुआएं देंगी। साथ में भगवान भी आपका भला करेगा।

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

परिशिष्ट-2

श्रीमती बीना काक (कला संस्कृति मंत्री का) अनुदान की मांग संख्या-24 के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कला एवं संस्कृति विभाग की बजट 2010-11 की अनुदान मांग संख्या 24 पर सार्थक चर्चा हुई तथा जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिये इसके लिये मैं विभाग की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

राज्य में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन वर्तमान में 19 संस्थायें कार्यरत हैं इनमें 10 अकादमियां तथा 9 अन्य संस्थायें कार्यरत हैं।

दिनांक 24.3.2010 को मा. मुख्य मंत्री महोदय ने जयपुर मुख्यालय पर झालाना डूंगरी क्षेत्र में अकादमी संकुल भवन का शिलान्यास किया है। इस भवन के निर्माण पर 390.00 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा इसमें राज्य के मुख्यालय की सभी अकादमियों के कार्यालय एक ही भवन में संचालित किये जायेंगे, जिससे राज्य के कलाकारों को सुविधा होगी एवं परस्पर समन्वय बढ़ेगा। इस चार मंजिला इमारत में पुस्तकालय, वाचनालय, आडिटोरियम, सभा भवनों एवं कला दीर्घाओं का प्रावधान रखा गया है। यह भवन लगभग एक वर्ष की अवधि में पूर्ण होगा।

वर्ष 2010-11 के बजट अभिभाषण में प्रावधान किया गया है कि "कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं को आगामी वर्ष एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।"

इस विभाग ने राज्य में प्रदेश के स्मारकों एवं संग्रहालयों में विकास एवं संरक्षण के कई कार्य करवाये गये तथा इसके लिये वर्ष 2009-10 के बजट में राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत ऐतिहासिक संरक्षण के कार्यों के लिये प्रदत्त बजट राशि 49.99 लाख रुपये से बढाकर 191.71 लाख रुपये किया गया।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय निधि के अन्तर्गत 7,557.00 लाख रुपये के प्रस्ताव विभिन्न योजना के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। इनमें से शेरगढ़ कस्बा बारां, मुचकुण्ड-धौलपुर, हवामहल-जन्तर मन्तर (द्वितीय चरण), नाहरगढ़ किला जयपुर, संग्रहालय बारां, मण्डौर व भरतपुर आदि प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

राज्य के 246 स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरण एवं हाडडिस्क में सुरक्षित किये गये हैं तथा स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा हेतु 3.35 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों पर आधारित सचित्र दीर्घा का कार्य प्रगति पर है।

बीकानेर में अभिलेखागार म्यूजियम का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर कुल लागत 5.65 करोड़ रुपये आयेगी। इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा राशि 1.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। भारत सरकार से हिस्सा राशि 4.52 करोड़ रुपये प्राप्त होते ही यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार बारां में संग्रहालय हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा बारहवें वित्त आयोग से स्वीकृत प्रावधान के अन्तर्गत ऐतिहासिक धरवाजों में जालौर एवं बीकानेर शहर स्थित सिटी गेट का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया है। हेरिटेज जोन के अन्तर्गत प्राचीन अवशेष मउबोरदा, झालावाड़, मन्दिर मण्डपरा, दलहनपुर (झालावाड़) का संरक्षण, जीर्णोद्वार एवं विकास कार्य करवाया गया है।

राजकीय संग्रहालय, मण्डोर (जोधपुर), जोधपुर अजमेर, भरतपुर, अल्बर्ट हाल, जयपुर का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ऐतिहासिक स्मारकों पर संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाये गये हैं जिनमें बाड़ी किला (धौलपुर), शेरगढ़ कस्बा (बारां), नाहरगढ़ दुर्ग (जयपुर), गैटोर की छतरियां (जयपुर), भारमल की छतरियां (जयपुर) पटवा हवेली (जैसलमेर), झाला हाउस (कोटा), सुनहरी कोठी (टोंक), ईसरलाट (जयपुर) रघुनाथ मन्दिर, जमवारामगढ़ (जयपुर) एवं अभिलेखागार भवन, बीकानेर मुख्य है।

ऐतिहासिक पुस्तकालयों यथा जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही एवं डूंगरपुर पर संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विद्युत कार्य करवाये गये हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग-जयपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान-जोधपुर व प्राच्य अभिलेखागार-बीकानेर में रखे ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कार्य भी करवाया गया है। सवाई मानसिंह टाउन हाल संग्रहालय की स्थापना एवं आमेर महल के संरक्षण कार्यों हेतु आमेर विकास एवं प्रबन्धन संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत संरक्षण के कार्यो में गागरोन किला (झालावाड़), उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ का संरक्षण कार्य, जयपुर स्थित हवामहल, जन्तर-मन्तर, मचकुण्ड (धौलपुर), कांकवाडी फोर्ट (अलवर), बाला किला (अलवर), का संरक्षण कार्य प्रगति पर है। इस योजना में फरवरी, 2010 तक 602.23 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की सुदृढीकरण योजनान्तर्गत (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) स्वीकृत प्रावधान में राजकीय संग्रहालय,

कोटा एवं केसरी सिंह बारहठ की हवेली, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगति पर है। माह फरवरी-2010 तक 68.75 लाख रुपये व्यय किये गये।

राजकाम्प के माध्यम से डिजिटाइजेशन के द्वितीय चरण में 34 लाख पृष्ठों के डिजिटाइजेशन व माइक्रोफिल्मिंग का कार्य दिनांक 06.01.2010 से प्रारम्भ हो चुका है। माह फरवरी, 2010 तक 12,10,331 पृष्ठों की स्केनिंग की गई है। प्रथम चरण में 25 लाख से अधिक पृष्ठों के स्केनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। एन.आई.सी. के माध्यम से बीकानेर सम्भाग (बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व चूरू) के 1.47 लाख पट्टा रिकार्ड के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है। विभाग के डिजिटाइज हुए अभिलेखों को आन-लाइन करने की योजना है। अभिलेख व्यवस्था के अन्तर्गत 159800 अभिलेखों की व्यवस्था/पुनर्व्यवस्था की गई एवं 25030 अभिलेखों का सूचीकरण किया गया। देश-विदेश के 230 शोध-अध्येताओं ने शोध कार्य हेतु विभाग में उपस्थित होकर शोध सम्बन्ध अध्ययन किया एवं 2572 मांगपत्र प्रस्तुत किए। जीर्ण-शीर्ण अभिलेखों की मरम्मत में लेमिनेशन, समतलीकरण, मरम्मत, कारी, एवं कारियां हटाने का कार्य 51370 किया गया। 44794 जीरोक्स प्रतियां शोधार्थियों, राज्य सरकार व जनसाधारण को उपलब्ध करायी गयीं। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 7.70 लाख पाण्डुलिपियों की खोज कर इस क्रम में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में रहा।

भूतपूर्व रजवाड़ों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखलाओं के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारम्भ कर विभाग देश के अग्रणी अभिलेखागारों में सम्मिलित हो गया है। प्रथम चरण में 25 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। द्वितीय चरण में माह फरवरी, 2010 तक 12,10,331 पृष्ठों की स्केनिंग की गई है। बीकानेर सम्भाग (बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले) के 1.47 लाख पट्टा अभिलेखों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो गया है। शेष पट्टों का डिजिटाइजेशन कार्य जारी है। 25 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों व दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में 34 लाख अभिलेखों के डिजिटाइजेशन व माइक्रोफिल्मिंग का कार्य प्रगति पर है। फरवरी, 2010 तक 12,10,331 पृष्ठों की स्केनिंग की गई है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान में हो रहे पाण्डुलिपि/हस्तलिखित ग्रंथों की सर्वेक्षण योजना में राज्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए विभाग 26 जिलों के 7.70 लाख पाण्डुलिपियों/हस्तलिखित ग्रंथों का सर्वे कर डाटा राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली को सौंप चुका है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है। पाण्डुलिपि सर्वेक्षण योजना में राजस्थान में सर्वाधिक पाण्डुलिपियां सर्वे द्वारा

प्रकाश में आई हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम श्रेणी में है।

राजस्थान में 246 स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों को सुरक्षित रखने एवं इन्हें आमजन तक पहुंचाने के लिए विभाग ने इनकी हाड डिस्क व सी.डी. तैयार करवाई है। जनसाधारण के लिए 60/- रु. प्रति सी.डी. कीमत रखी गई है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवार के लिए सी.डी., नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों की सचित्र दीर्घा का कार्य मुख्यालय, बीकानेर में प्रगति पर है।

मुख्यालय, बीकानेर में भूतपूर्व 22 रजवाड़ों का ऐतिहासिक व प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित व संरक्षित है। अपनी स्थापत्य कला के लिए देश-विदेश में विख्यात इस अभिलेख-भवन की सम्पूर्ण बिजली फिटिंग में आद्योपांत परिवर्तन किया गया है तथा अभिलेखों की सुरक्षा के लिए कोल्ड लाइटें लगवाई गई हैं।

आज तत्कालीन प्र. मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी को याद करती हुयी अपनी बात शुरू करना चाहती हूं :-

कला संस्कृति के क्षेत्र में जलजला

अपना उत्सव व दुनियाभर में Festurals of India

एक लंगा-मांगणियार से कार्य

एक गुलाबो से कार्ड

दुनिया भर में हमारे कलाकारों ने धूम मचा दी थी

प्रपुल जयकर, मार्तण्ड सिंह, कोमल कोठारी जैसे कई लोगों ने इस ओर सराहनीय कार्य किया

उसी जज्बे से हमारी सरकार कार्य करना चाहती है Haritage Conservation Institute—Regeslevichni संस्था है Aims or alyedines defined है।

पुरानी मरती हुयी Amt या कला, चाहे वो अराइश इमारतों को बनाने, संवारने की परम्परागत Techniques को Revive विद्याओं का Documentations, Consultancy, Training विद्याओं की जानकारी दे सकने में सक्षम राजस्थान की performing Arts को बढ़ावा देने के लिये J.K.K. ललित कला acedamies, रवीन्द्र मंच इत्यादि के कार्यकलाप के साथ-साथ P.P.P. made पर निजी संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे श्रुति मंडल, spic Macay इत्यादि ऐसी संस्थाओं को facilitate करेंगे व ऐसी reputed संस्थाओं को बढ़ावा देंगे। Seminars, work shaps, lettures, fraining programmes

भी लिये जायेंगे जो Dying arts को बढ़ावा देने की ओर कार्य करेगी-zardozi, Maand गायकी, ध्रुपद, बहु रूपिया कला, फड़ बौचना, गवरी इत्यादि

वर्ष 2010-11 के बजट अभिभाषण में प्रावधान किया गया है कि "कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं को आगामी वर्ष एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।"

2000-2001 में कलक्टर कोष बनाया गया था इसे Revine किया जायेगा नियम व उप नियम बनाये गये इस वर्ष भी 40 लाख रुपये आबंटित किये हैं।

असमर्थ कलाकारों एवं उनके आश्रितों को सहायता प्रदान की जायेगी।

बाड़मेर जैसलमेर-कण-कण में संगीत बिखरा है कई बच्चे Beggers बन जाते हैं।

कला भवन-नरेगा से club करके

आंगन मंच या छोटे शालाएं जहां बच्चे नियमित पढ़ाई के साथ संगीत का फन भी सीख सकें।

लंगा-मांगणियार-घर की महिलाएं संगीत सिखाती हैं परन्तु स्वयं Bule line performance नहीं कर सकतीं।

रूकमा एक ऐसी कलाकार है जिसने हिम्मत करके pulelie में गाना शुरू किया।

कम है कि बच्चा पैदा होते ही रोता ही सुर में है।

संगीत नाटक Acedamies Zanal cultural centres के जरिये यह कार्य कलाप करवाये जा सका।

परिशिष्ट-3

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या-24 के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

संस्कृत शिक्षा और राजस्थान

संस्कृत, भारतीय संस्कृति की न केवल प्रतीक है अपितु यह समस्त संसार की मार्गदर्शक है। देश में राजस्थान जहां अपनी शूरता एवं वीरता के लिए जाना जाता है वहीं भारतीय संस्कृति, परम्परागत संस्कृत ज्ञान और भक्ति के कारण सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में भी अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है।

हमारे प्रदेश में आजादी से पूर्व ही जनसहयोग से अनेक संस्कृत की शिक्षण संस्थाएं संचालित रही हैं, जिन्हें आजादी के बाद राज्य सरकार द्वारा लगातार सहयोग मिल रहा है।

संस्कृत के संरक्षण, विकास और प्रचार प्रसार के लिए जनता तथा लोक सभा के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा सन् 1956 में केन्द्रीय संस्कृत कमीशन का गठन किया गया, जिसके सुझाव पर 1958 में यहां परम्परागत संस्कृत शिक्षा के विकास और विस्तार के क्रम में निदेशालय, संस्कृत शिक्षा के रूप में स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया।

संस्कृत निदेशालय का वर्तमान स्वरूप

संस्कृत निदेशालय की स्थापना के बाद वर्तमान में इसका वार्षिक बजट लगभग 150 करोड़ का निर्धारित है। संस्कृत निदेशालय के अधीन 06 सम्भागीय कार्यालय और 1951 राजकीय/अराजकीय विद्यालय-महाविद्यालय प्रदेश के विभिन्न भागों में संचालित है। जिनमें करीब 2 लाख 30 हजार छात्र-छात्राऐं परम्परागत संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। विभाग में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से विभिन्न सेवाओं के 10075 पद स्वीकृत हैं।

संस्कृत निदेशालय की वार्षिक प्रगति

विभाग में दिनांक 01.04.2009 तक संवर्गवार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। रिक्त पदों को पूर्त करने के लिए जहां पदोन्नति के जरिये 337 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति और पदस्थापन कर दिये गये हैं, वहीं मंत्रालयिक वर्ग के विभिन्न पदों पर 43 कर्मियों की पदोन्नति की जाकर पदस्थापन किये जा रहे हैं।

सीधी भीर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 57 वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी व 2916 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं, जिनमें आयोग द्वारा विभाग को 1458 चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिये गये है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, शेष तृतीय श्रेणी के 1778 व वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी के 57 चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी आयोग से शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है।

द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग को पूर्व में भिजवाये गये संस्कृत, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के 543 पदों को भरने के क्रम में शीघ्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराने की सूचना आयोग से विभाग को प्राप्त हुयी है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में प्रथम श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक के 89, द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 267 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक के अवशेष 454 पदों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

रोजगार परक शिक्षा की दृष्टि से इस वर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मकाण्ड पौरोहित्य-ज्योतिष-वास्तुशास्त्र डिप्लोमा प्रारम्भ किया गया है जिसे आगामी सत्र 2010-11 से राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रारम्भ कराये जाने की योजना है।

कम्प्यूटर शिक्षा की दृष्टि से 180 राजकीय प्रवेशिका/उपाध्याय विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने एवं अनुदेशक पदों पर नियुक्ति के लिए आई.सी.टी. योजनान्तर्गत की गयी कार्यवाही शीघ्र क्रियान्वित होने की आशा है।

संस्कृत शिक्षा में उच्च शिक्षा की स्थिति

संस्कृत शिक्षा में उच्च शिक्षा की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 19 हजार छह सौ 98 शिक्षार्थी शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं में अध्ययनरत रहते हुए परीक्षाओं में सम्मिलित हुये।

शोध की दृष्टि से 115 शोधार्थी संस्कृत की विभिन्न विधाओं पर शोध कार्य हेतु पंजीकृत किये गये हैं।

प्रकाशन की दृष्टि से 11 विभिन्न संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया एवं 10 ग्रन्थों की पाण्डुलिपियां मुद्रण के लिए प्रेस को भिजवायी गयी हैं।

महाविद्यालय शिक्षकों की वेतन विसंगति के क्रम में स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। जिसका

प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रतिवेदन में वर्णित गुणावगुण के आधार पर महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान दिलाने के सम्बन्ध में कारगर प्रयास किये जायेंगे।

संस्कृत शिक्षा में विगत वर्षों से संशोधन प्रक्रियाधीन संस्कृत राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा नियमों को प्रभावशील बनाने की दृष्टि से किये गये प्रयासों के क्रम में आशा है कि शीघ्र ही संस्कृत विभाग के संशोधित सेवा नियम प्रभावशील हो सकेंगे।

संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती

माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्दजी कटारिया ने प्रश्न उठाया था कि संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वीकृत 37 पदों में 21 पद ही भरे हैं, इसलिए शेष पदों को भरा जाना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त 06 रीडर एवं 06 लेक्चरर के पद भरे जाने का विज्ञापन शीघ्र ही 10-15 दिन की अवधि में जारी कर दिया जावेगा।

इसके अतिरिक्त मंत्र प्रतिष्ठान के 10 पदों को भरे जाने हेतु भी शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जावेगा।

माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री बाबू सिंह राठौड़ एवं श्री शिवजीराम मीणा, श्री केसाराम चौधरी ने संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा में अध्यापकों के 2916 पदों को भरे जाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम दिनांक 22.9.2009 एवं 2.10.2009 को घोषित किये गये।

आयोग से विभाग को दिनांक 18 मार्च, 2010 को 1138 चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

आयोग द्वारा 2916 पदों के लिए घोषित परिणामों में शेष 1778 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आयोग से जल्द ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

माननीय सदस्या श्रीमती ममता भूपेश ने प्रश्न उठाया था कि विगत वर्षों में क्रमोन्नत संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों के पद अभी तक आबंटित नहीं हुये हैं।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि संस्कृत

शिक्षा के वर्ष 2004-05 में 02 आचार्य महाविद्यालय, 02 शास्त्री महाविद्यालय, 05 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय एवं 06 प्रवेशिका विद्यालय क्रमोन्नत/खोले गये थे।

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 01-01 प्रवेशिका विद्यालय क्रमोन्नत किये गये थे।

वर्ष 2007-08 में 26 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय क्रमोन्नत किये गये थे।

इन विद्यालयों में से केवल वर्ष 2007-08 में क्रमोन्नत 26 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के लिए 26 पद प्राचार्य के प्राप्त हुये हैं। शेष पदों का आबंटन अभी तक नहीं हो पाया है।

इन विद्यालयों के पद आबंटन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-4

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या-24 के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

प्रदेश में उच्च शिक्षा

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीतियों एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचारों के कारण प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछता चला गया। न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हेतु देश के जाने माने शिक्षण संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

1. उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या :--

विश्वविद्यालयों की प्रकृति	संख्या
राजकीय	14
निजी	16
डीम्ड	02

महाविद्यालय	वर्तमान स्थिति
राजकीय	126+15=141
निजी	948
कुल	1074
छात्र नामांकन (लाख)	10.00 लगभग

2. उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु उपलब्ध बजट :-(वर्ष 2009-10 अनुमानित)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	**विश्वविद्यालय का नाम**	**आयोजना मद**	**गैर आयोजना मद**	**दिया गया**
1.	आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर	1556.95	43731.38	43731.38
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	0.01	4000.00	4000.00
3.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	0.01	2997.00	2997.00
4.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	0.01	1215.00	1215.00
5.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	0.01	350.00	87.50
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	0.01	340.00	00.00
7.	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	15.00	59.00	00.00
8.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	100.00	50.00	00.00
9.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	500.00	—	—
	कुल	**2172.00**	**52742.38**	**52030.88**

विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

1. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में 03 नवीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किये गये हैं। इनमें एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, जयपुर एवं श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) सम्मिलित हैं। दो विश्वविद्यालयों डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) एवं पैसेफिक एकेडमी आफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर के बिल सदन के पटल पर रखे गये हैं।

2. राजकीय/निजी एवं निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय :--

अधिकांश माननीय सदस्यगण ने अपने विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग की है लेकिन राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। राज्य में उच्च शिक्षा का तीव्रता से विस्तार करने हेतु तथा इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को ध्यान में रखते हुये अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं, जिसके कारण निजी क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। राज्य में इस समय कुल महाविद्यालयों में से 85 प्रतिशत महाविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं तथा इनमें लगभग 51 प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप जिन तहसीलों में राजकीय/निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है, उनमें निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोले जायेंगे। जो संस्थायें निजी सहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय स्थापित करना चाहेंगी, उनके लिये राज्य सरकार की ओर से भूमि तथा भवन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय, पुस्तकालय एवं सम्बद्धता शुल्क हेतु प्रथम वर्ष के लिये 20 लाख रुपये की सहायता अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दी जावेगी।

3. राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करना एवं स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने :—

वर्ष 2010-11 में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 10 नवीन विषय स्नातक स्तर पर एवं 10 नवीन विषय स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भ किये जायेगे।

4. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यूजीसी वेतनमान :—

वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के लाभ देने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों को नवीन यूजीसी वेतनमान 01.01.2006 से लागू किये हैं। संशोधित वेतनमानों के कारण उत्पन्न होने वाले कुल वित्तीय भार 840.00 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत 672.00 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

उक्त वेतनमान संशोधन के कारण वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत विश्वविद्यालयों के 1052 एवं महाविद्यालय शिक्षा के लगभग 5000 शिक्षकों को लाभ मिल पायेगा।

5. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12(बी) में पंजीयन के सम्बन्ध में :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के आयोग की धारा 12 (बी) में पंजीयन होने पर ही विश्वविद्यालय एवं उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों को आयोग से ग्रान्ट मिल सकती है। लेकिन यह शर्त है कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय में न्यूनतम 5 विषयों में कुल 5 प्रोफेसर, 10 एसोसियेट प्रोफेसर एवं 15 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिये। स्थापना के समय यानी 2003 से ही कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालयों को यूजीसी की ग्रान्ट से वंचित रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों को 10 10 पद एसोसियेट प्रोफेसर एवं 10-10 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किये गये हैं। इसके फलस्वरूप इन विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. से अनुदान मिल सकेगा।

6. विश्वविद्यालयों में आवश्यक शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की अनुमति :-

वर्ष 2005-06 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यभार का मूल्यांकन कर स्वीकृत एवं रिक्त पड़े पदों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जानी थी। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के 75 प्रतिशत पदों तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के समस्त रिक्त पदों को भरने की अनुमति पूर्व में जारी की गई थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु जारी विज्ञापन में अनु. जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु बैकलाग पदों को अलग से नहीं दर्शाने के कारण उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे बैकलाग पदों को अलग से विज्ञापित कर पद भरने की कार्यवाही करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के शेष बचे 25 प्रतिशत पदों की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जा रहा है।

7. राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में :-

माननीय सदस्यगणों ने कटौती प्रस्तावों पर यह भी मांग की है कि कई राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद होने के कारण छात्रों को

अध्ययन में कठिनाई आ रही है। उक्त समस्या के निराकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार ने व्याख्याताओं 457 रिक्त पदों भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना दिनांक 11.08.2009 को भेजी जा चुकी है, जिससे नियमित व्याख्याताओं की नियुक्ति हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त अध्यापन/शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविदा पर व्याख्याता नियुक्ति किये गये हैं तथा अतिथि व्याख्याता रखे जाने हेतु समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को दिनांक 22.02.2010 अधिकृत किया जा चुका है। अगले सत्र से आवश्यक व अस्थाई आधार पर लगभग 500 व्याख्याताओं की नियुक्ति की जायेगी।

8. विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े अशैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति :-

राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार समय समय पर आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति जारी की जाती रही है। वर्तमान में महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यकाल के आदेश दिनांक 30.1.2010 के संदर्भ में कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की अध्यक्षता में एक कौर कमेटी का गठन किया गया है, इसकी रिपोर्ट कुलपतियों की समन्वय समिति की उप समिति में प्रस्तुत की जानी है, अभी तक कौर कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट उप समिति को प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव :-

हमारी सरकार की यह मंशा रही है कि विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक वातावरण बन सके इस हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहत पीठ में लम्बित निर्णय को प्रयास कर शीघ्र निर्णय हेतु प्रयास किये गये एवं इस सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 के सन्दर्भ में छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल शैक्षणिक सत्र 2010-11 से कराये जाने हैं।

10. अलवर, भरतपुर एवं सीकर में नवीन राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना :-

बजट सत्र 2008-09 में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी। तदनुसार तीनों के सम्बन्ध में मंत्रीमण्डल आज्ञा प्राप्त होने पर तीनों के अध्यादेशों के प्रारूप महामहिम कुलाधिपति महोदय के कार्यालय में भेजे गये थे लेकिन कुलाधिपति के अधिकारों के संदर्भ में एक संदेश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ व पुन: मंत्रीमण्डल आज्ञा प्राप्त कर अध्यादेश के प्रारूपों को पुन: हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया गया।

नवीन सरकार के गठन के पश्चात् पूर्व मंत्रीमण्डलीय निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित समिति के सुझाव अनुसार प्रकरण मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण पुराने विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन व उसके वित्तीय प्रभावों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों से आवश्यक सूचनायें चाही गई हैं। प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।

11. निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता हेतु रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म समिति का गठन :-

माननीय सदस्यगणों ने कटौती प्रस्तावों निजी शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता स्तर में गिरावट आने की आंशका जाहिर की है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णतया सचेत है, राजकीय और निजी क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में किया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट 30.06.2010 तक अपेक्षित है।

12. विधि महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण :-

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष राजकीय विधि महाविद्यालयों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किए जाने हेतु 8 महाविद्यालयों के भवन निर्माण कराने एवं स्टाफ के पदस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

13. कोचिंग क्लासेज :-

राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि इन्जिनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज एवं सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु गरीब मेधावी छात्रों को तैयारी हेतु उनके अध्ययन स्थल के आस-पास एवं कम शुल्क की कोचिंग कक्षाओं की सुविधाऐं नहीं मिल पाने से वह उक्त कोर्सेज में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

अत: गरीब एवं मेधावी छात्रों को उनके निवास के निकटतम चुनिन्दा जिला मुख्यालय एवं चुनिन्दा उप खण्ड स्तर के राजकीय महाविद्यालयों पर ही स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत (SFS) के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कोचिंग कक्षाऐं इस वर्ष से ही प्रारम्भ की जा रही हैं।

14. व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार पूरक प्रशिक्षण हेतु युवा विकास केन्द्र :-

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से 121 राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों का व्यक्तित्व विकास किये जाने एवं उन्हें अपने शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 20 घण्टे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे छात्रों को शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् रोजगार मिल सके।

उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान में सामान्य शिक्षा (नान प्रोफैशनल) के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्धन करता है। देश की आजादी के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे परन्तु पिछले छह दशकों बाद अब यह संख्या लगभग एक सहस्र के अंक पार कर चुकी है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का अनुमान इस तथ्य से लगता है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 7% (राष्ट्रीय ज्ञान आयोग) है वही राजस्थान के लिए यह लगभग 11% है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के तीव्र गति से हुए प्रसार के फलस्वरूप आज प्रदेश में कुल 1135 महाविद्यालय हैं जिनमें से 126 राजकीय महाविद्यालय, 15 राजकीय विधि महाविद्यालय, 71 अनुदानित महाविद्यालय, 923 निजी महाविद्यालय स्थापित महाविद्यालय हैं। इन संस्थाओं से इस वर्ष लगभग 4.21 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। यदि विश्वविद्यालयों, उनके सम्बद्धक महाविद्यालयों एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों के नामांकन को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या 9 लाख पहुंच जाती है।

उच्च शिक्षा में उपलब्धियां

राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2009-10 में छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप 76 नये वर्ग आबंटित किये गये हैं एवं प्रत्येक वर्ग में सीटें बढ़ाई (वर्तमान सत्र 2009-10 के लिए) गईं जिससे इस सत्र में 25000 छात्र उच्च शिक्षा क्षेत्र में लाभान्वित हुए।

वर्ष 2009-10 में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 10 स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं 10 स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ किये गये।

वर्ष 2009-10 में 11 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया गया तथा 03 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2009-10 से मूक-बधिर छात्रों को महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सीटों का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध स्थानों में से 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किये गये। विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट प्रदान की गई।

युवाओं के विकास व उन्हें रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए युवा विकास व उन्हें रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ किए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय को 1 लाख रु. का बजट आबंटित किया गया है। ये केन्द्र अंतिम वर्ष स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 20 घन्टे का आवश्यक पाठयक्रम पढ़ाए गए। जिससे उन्हें रोजगार के प्रति स्वयं को तैयार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही केन्द्र युवाओं को भावी अध्ययन एवं रोजगार प्राप्त करने सम्बन्धी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

राजकीय महाविद्यालयों के विज्ञान, कला व गृह विज्ञान संकायों में प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु रु. 4.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

व्याख्याताओं के वार्षिक कार्य मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ मापदण्डों पर आधारित प्रारूप विकसित कर लागू किया गया।

राज्य में विद्यार्थियों को प्रारम्भिक कम्प्यूटर की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 में बी.पी.एल. परिवार की छात्राऐं जिन्होंने 2007-08 में स्नातक स्तर की परीक्षा पूर्ण की उनको 5000 रु. की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई इस योजना से 236 छात्राऐं लाभन्वित हुई।

राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्या का समाधान करने, रिक्त पदों की समीक्षा व भर्ती के सम्बन्ध में तथा पेंशन समस्या पर विचार कर सुझाव देने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर विचार कर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व वित्तीय समस्याओं का एक बारगी समाधान किया जायेगा।

सभी वर्गों के लिए सिविल सर्विस तथा पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. की तैयारी हेतु जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषी योजना के अन्तर्गत कोचिंग प्रारम्भ की जायेगी।

भावी योजनाएँ

राज्य के सभी उप खण्ड स्तर के राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु अगले वर्षों में 13 महाविद्यालयों में विज्ञान व 6 महाविद्यालयों में वाणिज्य विषय राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करने की योजना है।

राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय संकाय व विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगामी वर्ष राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक के 10 तथा स्नातकोत्तर के भी 10 नवीन विषय प्रारम्भ किए जायेंगे, जिन पर 1 करोड़ रु. का खर्चा होगा।

विश्वविद्यालय एवं जिला स्तर के एक राजकीय महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा।

आगामी वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए नये उपकरण क्रय करने हेतु 4 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

राज्य के 8 राजकीय विधि महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं नवीन पदों का सृजन किया जायेगा, जिस पर 7 करोड़ 73 लाख रु. का भार आयेगा।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में छात्र संख्या 4000 से अधिक होने से इस महाविद्यालय को विभक्त कर एक अलग कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

वर्तमान में संचालित स्कूल आफ आर्टस एवं राजकीय संगीत संस्थान के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसे जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा एवं इन संस्थाओं के लिये नवीन भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा।

विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं इनके पुनरूद्धार हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है तथा इतनी ही राशि राजकीय महाविद्यालय विकास समिति कोष द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

महाविद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत संचालित अनुदानित महाविद्यालयों के

शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनुदानित स्कूल शिक्षा की भांति ही ग्रामीण राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

जैसलमेर में स्थित महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

ऐसी तहसीलों में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा जहां सामान्य शिक्षा का एक भी महाविद्यालय नहीं है।

छठे वेतन आयोग एवं चड्ढा समिति की सिफारिशों के क्रम में कालेज शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी तथा व्याख्याताओं को विश्वविद्यालयों की तरह एस्टिंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि पदनाम प्राप्त हो सकेंगे।

निजी महाविद्यालयों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देशों को संशोधित कर सरलीकरण किया गया। अब अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (TNOC) एक साथ तीन वर्ष के लिए दी जायेगी तथा पांच वर्ष के अन्दर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (PNOC) देय होगी। उससे निजी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। एक बार PNOC प्राप्त संस्था को अतिरिक्त विषयों हेतु कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। ऐसी संस्थाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर नये विषय प्रारम्भ कर सकेंगे।

राजकीय तथा निजी क्षेत्र में शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने हेतु रेग्यूलेटरी मैकेनिज्म पर विचार कर सुझाव देने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट 30 जून, 2010 तक अपेक्षित है।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, प्राध्यापक, व्याख्याता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

4. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 20 नये प्राथमिक एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत भूरटिया, उण्डखा, शिक्कर, मारूड़ी में पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

6. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं, शिक्षक द्वितीय, तृतीय ग्रेड एवं शारीरिक शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) :

8. राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोड़ी (हिण्डोली) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

9. राजस्थान में शिक्षा की गिरती दशा को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

10. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा एवं साम्भर लेक में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक, राजकीय माध्यमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

12. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बाटड़ानाऊ व पाटोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में उर्दू संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हापास एवं खींवासर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

15. धौलपुर में गर्ल्स कालेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

16. आगामी शिक्षा सत्र हेतु समय पूर्व पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में लोक कला रंगमंच की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

18. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भट्टी की बावड़ी 17 ई के लिये स्वीकृत भूमि पर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की विशाल जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

21. शिक्षा के लिये सभी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को, विद्यार्थी मित्र योजना में कार्यरत कार्मिकों को प्रमोट कर पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

22. शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

23. शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

24. विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सैकण्डरी विद्यालय, राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में स्टाफ की पूर्ति कराने एवं पंचायत मुख्यालय में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

25. तहसील भरतपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलोढ़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. तहसील भरतपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय चिकसाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के समस्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री विजय बंसल)

28. तहसील भरतपुर के ग्राम पीपला में छात्राओं के लिये बालिका विद्यालय शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

29. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में राजकीय महाविद्यालय में प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्रामीण विद्यालयों में आवश्यक कमरों के निर्माण की अतिरिक्त स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

31. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

32. सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में राजकीय विधि महाविद्यालय पाली हेतु बजट प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

33. रूपनगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं अजमेर में उर्दू एस.टी.सी. वापस खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

34. चूरू जिले के सैकण्डरी स्कूलों में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में बड़ी संख्या में विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. चूरू जिले में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के बड़ी संख्या में रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश भर के अंधता से ग्रस्त बच्चों को ब्रेल पद्धति की पुस्तकें वितरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. चूरू जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नेत्र ज्योति बाधित बच्चों का नेत्र परीक्षण नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

39. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनीजाथान खोंकर में स्वीकृत व्याख्याताओं के पद भरे जाने एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में आबादी के कई गांव तथा नई कालोनियों में प्राथमिक विद्यालय सांवतपुरा का बास (बहतूकला) में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

41. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये स्कूल क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

42. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अनूपगढ़ में घोषित व शिलान्यास किये राजकीय महाविद्यालय को शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

45. जैसलमेर जिले में कला के प्रदर्शन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

46. जिला उदयपुर में कार्यरत अध्यापकों/व्याख्याताओं/मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला मुख्यालय पर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. जिला उदयपुर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन विहिन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. जिला उदयपुर के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

49. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में नई प्राथमिक स्कूल खोलने एवं क्षेत्र की सभी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

50. बीकानेर में शिक्षा संस्थानों में कमी एवं आठवीं बोर्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

51. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों खारियामिठापु भावी, बिसलपुर, पालासनी, बाला में विज्ञान व वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

52. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कस्बा सावर में नवीन संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. राजकीय महाविद्यालय केकड़ी को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं नगरपालिका क्षेत्र सरवाड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. राज्य की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय की तरह बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

55. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डुटारिया, विगरला, पुनाडिया तथा जाणुन्दा जिला पाली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बासनी (जोजावर) जिला पाली में प्राचार्य तथा महिला शिक्षक की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. चुनाव शाखा मारवाड़ जंक्शन सहित विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को पुन: विद्यालयों में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

58. विधान सभा क्षेत्र नगर में राजकीय पोलिटेक्नीक महाविद्यालय व आई.टी.आई. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

59. नौसर (सिणधरी), रूपजी राजावेरी (बालोतरा) पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बायतू एवं राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बायतू में वर्ष 2002 से 2007 तक नव क्रमोन्नत विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र बायतू के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

63. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंचायत समिति बालेसर के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

64. ग्राम पंचायत हनुतिया, अमरपुरा व हाथनोदा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाणा, बिशनगढ़, राड़ावास, खेजरोली, देवन व करीरी में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर) में स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

66. बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मेवाराम जैन)

67. प्रदेश में उर्दू के शिक्षकों के लिये एस.टी.सी. सेंटर जो पूर्व में अजमेर में था को पुन: चालू करने एवं उसमें पिछड़े जिले बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर के छात्रों के लिये अलग से कोटा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

68. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति एवं तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

69. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नये कालेज/स्कूल खोलने व अध्यापकों एवं स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

70. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर एक की पूर्ववर्ती सरकार ने बन्द करवाकर उसका भवन व भूमि को डीडवाना विकास समिति द्वारा संचालित निजी महिला कालेज को किराये पर दे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

71. विधान सभा क्षेत्र जालौर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

72. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

73. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पिछड़े हुये गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामस्वरूप कसाना)

76. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद) :

78. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में लम्बे समय से चल रहे शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

79. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में जनवरी, 2009 से आज तक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

81. गुर्जर बाहुल्य ग्राम पंचायतों (विराटनगर) में माध्यमिक विद्यालय न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1994 से 1998 तक के अनुरूप 8+1 के अनुपात में अध्यापक न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. सैकण्डरी स्कूलों में 2004 से 2009 तक नवसृजित प्रधानाचार्यो के पदों पर सीधी भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा मापदण्डों के अनुरूप पद सृजित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

85. राजस्थान के निजी विद्यालय द्वारा एक तिहाई शिक्षा देने के उपरान्त भी उनमें कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. राजस्थान में बालक एवं अध्यापक विहिन विद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

87. संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. कालेज व विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं अन्य रिक्त पदों से शिक्षा की गुणवत्ता में हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. स्कूल शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु अत्यधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

90. लोक कलाकारों यथा कालबेलिया, भोपा, लंगा आदि की कला जीवित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

91. नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

92. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के विभिन्न स्तर के भवन विहिन, अपर्याप्त भवन, शौचालय, मूत्रालय, पेयजल, विद्युत, खेल मैदान, बाउण्ड्री विहिन राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक, अध्यापिकाओं के स्वीकृत रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मंजू देवी (जायल) :

94. जायल में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

95. एन.सी.आई.आर.टी. पाठ्यक्रम को शिक्षा सत्र 2011-2012 से लागू किया जाने एवं शिक्षा सत्र 2010-2011 में पुराना पाठ्यक्रम ही जारी रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. अनुदानित शिक्षकों को राजकीय सेवाओं को लेने के कार्यक्रम को विकल्प के रूप में समयबद्ध पूर्ण कर राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

97. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के सभी राजकीय विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. जोधपुर की सभी ऐतिहासिक धरोहर, स्मारकों को संरक्षण देने तथा उनकी मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. जोधपुर को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने हेतु आई.आई.एम. की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

100. लोक गायकी की सभी विद्याओं को जिले अनुसार समान प्रोत्साहन राशि जिसमें परम्परागत गायकों को हर एक जिले में तहसीलवार प्रोत्साहन राशि कम से कम 21,000/- रुपये करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सभी स्कूलों तथा कालेजों में रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) :

102. विधान सभा क्षेत्र नागौर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र नागौर की पंचायत समेरण के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र नागौर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

105. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कला एवं संस्कृति का केन्द्र कनानागेर मेले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कला एवं संस्कृति का केन्द्र तिलवाड़ा पशु मेले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

108. नदियों के प्रदूषण, वनों की कटाई, पानी की कमी को दूर करने, वायु मण्डल में

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

व्याप्त प्रदूषण एवं वृद्ध माता-पिता की दुर्दशा को दूर करने के लिए हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताओं को शिक्षा पद्धति में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

109. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखे कम्प्यूटरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. श्रीगंगानगर जिले में शिक्षकों को विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजकर शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

112. राज्य के विद्यालयों में विषय अध्यापक नहीं होने से विद्यार्थियों के अध्ययन के हुए नुकसान की भरपाई हेतु अतिरिक्त कक्षाएं लगाने व उसके बदले अध्यापकों को नकद भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. राज्य के विश्वविद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. सर्व शिक्षा अभियान में क्रय की जा रही सामग्रियों में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

115. विधान सभा क्षेत्र धोद में माण्डोता, भढ़ाडर तथा कासली की सैकेण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र धोद की सभी प्राथमिक से लेकर सीनियर स्तर तक के विद्यालयों में बिजली, पानी व छात्र-छात्राओं के लिए सुविधा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. सीकर के सर माधव स्कूल के खेल मैदान पर हुए अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पेमाराम)

118. सीकर जिले की सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) के सभी सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विषय अध्यापकों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

120. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुहावा व शाहपुरा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा, कोटड़ा, काबरा, लोरियाणा, बराखन एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ा खेड़ा, टाटगढ़ में विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवंत सिंह यादव (बहरोड़) :

122. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में शिक्षा कला एवं संस्कृति को अधिक बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

123. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उपखण्ड भोपालगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने व खेल मैदान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

124. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के मंदामदनी व कोछोर के विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. निजी विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण सख्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय व सरकारी मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. जयपुर के जलमहल और जलेबी चौक हेरिटेज को निजी हाथों में देने पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

128. राज्य में शिक्षक के रूप में लगे विद्यार्थी मित्र पैरा टीचर, प्रबोधक व मदरसा पैरा टीचर को शिक्षक के रूप में स्थायी नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

129. विधान सभा क्षेत्र नावां के विद्यालयों में स्काउट व्यवस्था लागू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की वितरण व्यवस्था को सदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. नावां तहसील में सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय से वंचित विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र नावां के विद्युतमय स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

133. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरफोर्ट (टोंक) में अध्यापकों के रिक्त पदों के चलते उत्पन्न स्थिति का सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद, की गई अनदेखी पर चर्चा के लिये।

134. राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ली (बोसरिया) सहित विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के कई स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति की जानकारी विभागीय उच्चाधिकारियों को होने के बावजूद भी मरम्मत कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

135. बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारम्भ किये गये अलीगढ़ (टोंक) स्थित छात्रावास को पुन: संचालित किये जाने में प्रदर्शित की जा रही विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

136. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उनियारा (टोंक) में उर्दू विषय खोले जाने की नागरिकगणों एवं जनप्रतिनिधियों की पुरजोर मांग पर भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं निखार तथा छात्रों के स्वस्थ शारीरिक विकास की महत्ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवल किशोर (बामनवास) :

138. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन एवं चारदीवारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

141. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में ग्राम पंचायत सूडसर, दुसारणा, इन्दपालसर, लालमदेसर बड़ा में माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) :

142. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के समान ही अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 की मूल भावना के विपरीत गैर अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों को अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों के समान राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति का विकल्प नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. समस्त प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों स्थानीय निकायों, ग्रामीण पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत आने वाले पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों का भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अन्तर्गत पृथक सेवा संवर्ग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अन्तर्गत कार्यरत अजमेर शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के भवन की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित कल्याणीपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

147. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमीनपुर एवं

(श्री सुन्दर लाल)

देवरोड़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय समय में शिक्षकों के अनुपस्थित रहने से अभिभावकों में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

150. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय अध्यापकों द्वारा ट्यूशन प्रवृत्ति के कारण विद्यालय में अध्यापन कार्य में शिथिलता बरतने से परीक्षा परिणाम न्यून रहने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी से पढ़ाई बाधित होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

152. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में गिरते शिक्षा के स्तर व राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

153. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अध्यापकों के रिक्त पद भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में उप खण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के धांधपुर, सुभीवा क्यारिया, देवका व अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

156. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सुखराम)

158. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के गांव-सलेमपुर, ममोधन, गुलावली, बोरेली, जारगा में कन्या विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. बसेड़ी उप खण्ड के गांव सलेमपुर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

161. शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संविदा कार्मिकों का स्थायीकरण करने एवं वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2004 में हटाये गये 302 अतिरिक्त पैराटीचर्स को प्रबोधक पद पर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) :

163. सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने एवं प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

164. बीकानेर में राज्य का दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को संघटक कालेजों डूंगर कालेज, एम.एस. कालेज से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के स्कूलों में पड़े रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

168. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय रोजगार एवं स्वरोजगार को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्य, विज्ञान एवं विभिन्न रोजगारोन्मुखी/व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अनिल जैन)

169. राज्य के एक मात्र महिला शिक्षण विहार, झालावाड़ के सुगम संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. राज्य के एक मात्र महिला शिक्षण विहार आवासीय विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. झालावाड़ जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

173. टी.एस.पी. क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था अलग से करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पाना चन्द (बारां-अटरू) :

174. राजकीय महाविद्यालय बारां में विधि संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. अटरू में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बराना तहसील बारां को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

177. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न स्तर के राजकीय विद्यालयों में भवन, बाउण्ड्री, खेल मैदान, शौचालय, मूत्रालय, पेयजल, विद्युत, खेल सामग्री उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. राज्य में संविदा शिक्षकों का वर्ष 1998 में साक्षात्कार होने के उपरान्त भी नियमित नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ के स्वीकृतशुदा पदों के रिक्त पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी)

180. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में लोक जुम्बीश द्वारा संचालित स्कूलों में स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय बारांवरदा, दमोतर, थड़ा, बरडिया, बानसी, बोहेडा, मंगलवाड, निकुंभ, चिकाड़ा, बड़ी सादड़ी, मोरवन, आवरीमाता, खोडिप आदि में कामर्स, साइंस, एग्रीकल्चर एवं आर्टस में होम साइंस आदि संकाय खोलकर विषय प्राध्यापक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

182. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में ग्राम पंचायत मुख्यालय बघेरी खुर्द, लाडपुर, मकड़ावा, टेऊवास, महरमपुर, बृसंगपुर, मुसाखेड़ा, माहोन्द, पाटन मेवान व ग्राम अहीर बासना, मिर्जापुर, शेरपुर आदि ग्रामों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, अध्यापक व लिपिक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के विद्यालयों के भवन, चारदीवारी व रसोई बनवाने व सभी विद्यालयों में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जौडिया में विज्ञान संकाय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बास कृपालनगर में गणित संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

186. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के विद्यालयों में छात्र अनुपात का समानीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

190. शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा में छात्र अनुपात में समानीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के शिक्षक का सामान्य परिस्थितियों में अवकाश लेने हेतु दो दिन पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से इजाजत लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापकों को निर्वाचन, जनसंख्या गणना, पशुगणना, पल्स पोलियो अभियान से मुक्त कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) :

193. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में उच्च प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के पंचायत समिति रेलमगरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के पीपली दोदियान पंचायत समिति रेलमगरा के स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के रेलमगरा मुख्यालय पर राजकीय कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

198. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. हायर सैकण्डरी स्कूल (छात्र) प्रतापगढ़ के भवन का अधिकांश भाग जर्जर स्थिति में होने के कारण भवन की मरम्मत एवं विद्यालय की चारदीवारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. तहसील अरनोद व प्रतापगढ़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद, दलोट व प्रतापगढ़ के अचलेश्वर, रामपुरिया में कृषि विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

201. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़, दमोतर, देवगढ़, कूलयाना, बारापरदा में कला वर्ग में राजनैतिक शास्त्र व विज्ञान वर्ग में साइंस बायलाजी विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

203. अलवर जिले में एक मात्र राजकीय आचार्य संस्कृत कालेज कोटकासिम को इसी सत्र में स्ववित्त-पोषित संस्था से राजकीय करने एवं विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबीरानी में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान, कला संकाय में भूगोल, गृह विज्ञान, संस्कृत साहित्य व कृषि विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान कृषि, जीव विज्ञान कृषि आदि विषयों को स्ववित्त पोषित संस्था से राजकीय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

204. पोलोटेक्निक शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

205. पोलोटेक्निक शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

206. जयपुर जिले की पंचायत समिति के ग्राम भोजलावा (जैतपुरा) हाथनोड़ा, अमरपुरा पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विषय के वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय राधास्वामी बाग (चौमूं), मोरीजा, हाड़ोता, जाटावाली, महारकलां को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

209. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम बोशा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान व वाणिज्य संकाय, गोविन्दगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान विषय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाकरड़ा में वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

210. जयपुर में वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय खोलने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अलवर, सीकर, भरतपुर में तीन नये विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. जयपुर में संस्कृत महिला महाविद्यालय खोले जाने एवं संस्कृत शिक्षा का बालिकाओं के लिए अलग से प्रसार किये जाने व विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में संस्कृत के नवीन विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किये जाने के बावजूद स्थायी योग प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने एवं जयपुर में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तीन नये महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. डाइट जयपुर द्वारा आठवीं बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किये जाने से परीक्षकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

215. राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोलने एवं वाणिज्य विषय के स्कूल व्याख्याताओं के नये पद सृजित करने व रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

216. भारतीय संस्कृति को बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

217. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स्वीकृत शुदा प्रिंसीपल, प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक द्वितीय श्रेणी शिक्षक आदि के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र बाली की सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र में एग्रीकल्चर कालेज तथा बाली नगरपालिका क्षेत्र में वेटेनरी कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडौल, नारलाई, धाणेराव, नाणा, भन्दर, बीजापुर, बीसलपुर एवं फालना-खुडाला आदि में विज्ञान संकाय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र बाली के नगरपालिका क्षेत्र फालना में पोलिटेक्निक कालेज खोले जाने तथा यहां के आई.टी.आई. केन्द्र में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडौल, नारलाई, धाणेराव, मुण्डारा, लुणावा, भाटुन्द, चामुण्डेरी एवं भीमाणा आदि में वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

222. जैसलमेर जिले में शिक्षकों के विभिन्न पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. जैसलमेर जिले में सर्व शिक्षा अभियान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. मदरसा पैराटीचर्स एवं उर्दू अध्यापकों की भर्ती करवाने एवं अजमेर में उर्दू एस.टी.सी. को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. राजीव गांधी बन्द पाठशालाओं को निर्मित भवन में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. जैसलमेर व पोकरण में कला एवं संस्कृति की धरोहर पुरानी हवेलियों के संरक्षण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

227. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय अमखसर रोपां, सवाईपुर एवं खजूरी में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहरीकलां, पारोली, पीपलुन्द एवं बिरानिया में वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सभी स्तर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. उप खण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर संचालित निजी महाविद्यालय की स्वीकृति निरस्त होने से नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपां, पारोली, पीपलून्द एवं खजूरी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

232. राजस्थानी लोक कला को बढ़ावा देने एवं कलाकारों का पारिश्रमिक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. आमेर महल एवं उसके आस-पास की पुरातत्व शैली की कलाकृतियों की रख रखाव व प्लास्टर एवं पेन्टिंग कुचरने/मिटाने की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. आमेर महल में लाइट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम नियमित चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये1

235. राज्य की पुरानी बावड़ियों, झीलों की सफाई, सुरक्षा एवं पानी की पुनर्भरण व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

236. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पनन स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

238. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पंचायत समिति मुख्यालय सिवाना पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रामीण क्षेत्रों में लुप्त होती जा रही लोक कला एवं संस्कृति को जीवित रखने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

240. प्रदेश में शिक्षा विभाग में रिक्त समस्त संवर्गों के पदों को भरने तथा नव क्रमोन्नत एवं पुराने उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य संकाय नहीं है, उनमें उक्त संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. बून्दी जिले की पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया बरधा, बाजड़, ठीकरिया, गामा, भवानीपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. कोटा व बून्दी जिलों के नव क्रमोन्नत विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों यथा अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक आदि पदों को सृजित कर भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. कोटा शहर के नए कोटा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की स्थापना तथा जे.डी.बी. कालेज कोटा में अंग्रेजी साहित्य, संगीत, चित्रकला, एम.एस.सी. फिजिक्स के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा कृषि महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. राजकीय महाविद्यालय कोटा की छात्र संख्या 7000 होने के कारण, अजमेर की तरह कोटा में भी पृथक् स्नातकोत्तर कालेज खोलने तथा विधि महाविद्यालय कोटा का भवन बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

245. विधान सभा क्षेत्र वैर में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र वैर के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।